समावेशी शिक्षा

Inclusive Education

MAED-206

इकाई सं०	इकाई का नाम	पृष्ठ सं०
1	विशिष्ट बालक का अर्थ , धनात्मक एवं ऋणात्मक विचलन	1 -14
2	क्षति, अक्षमता एवं नि:शक्तता की संकल्पना	15 -29
3	विशिष्ट बालकों के प्रकार	30 -52
4	विशिष्ट बालकों की आवश्यकताएँ एवं समस्याएँ	53 -79
5	विशेष शिक्षा के संप्रत्यय एवं कार्य क्षेत्र	80 -95
6	विशिष्ट शिक्षा के उद्देश्य एवं सिद्धांत	96 -108
7	विशिष्ट शिक्षा सेवाओं के प्रकार, संसाधन/ परिभ्रामी शिक्षक, संसाधन कक्ष एवं उपकरण	109-127
08	एकीकृत शिक्षा का अर्थ, एकीकृत शिक्षा की प्रक्रिया/प्रकृति, एकीकृत शिक्षा का क्षेत्र, एकीकृत शिक्षा का महत्व	128-140
09	विशेष तथा समावेशित शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय नीतियाँ और कानून	141-154
10	नई शिक्षा नीति तथा क्रियान्वयन क्रार्यक्रम (1992) राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की प्रमुख सिफारिशें, राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा	155-180
11	मुख्यधारा, मुख्यधारा के संघटक, मुख्यधारा का प्रभाव, एकीकरण में मुद्दे	181- 192
12	शिक्षा में समावेशन की अवधारणा, शिक्षा में समावेशन के संघटक समावेशित शिक्षा के लाभ, समावेशित शिक्षा में मुद्दे	193-210
13	श्रवण बाधिता का अर्थ, वर्गीकरण तथा विशेषताएँ	211- 224
14	श्रवणबाधित बच्चों की पहचान, स्थापन, देख-रेख एवं प्रशिक्षण	225-238
15	श्रवणबाधित बच्चों के लिए शैक्षिक समावेशन, शिक्षक की भूमिका	239-252

16	दृष्टिबाधिताः अर्थ, वर्गीकरण, कारण तथा लक्षण	253-268
17	दृष्टिबाधित बच्चों की पहचान, स्थापन, देख- रेख एवं प्रशिक्षण	269-286
18	दृष्टिबाधित बालकों हेतु समावेशी शिक्षा एवं शिक्षकों की भूमिका	287-303
19	मानसिक मंदता की अवधारणा, परिभाषा, वर्गीकरण एवं विशेषताएँ	304-331
20	मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता की स्क्रीनिंग , पहचान, उनका शिक्षण एवं प्राशिक्षण	332-368
21	मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता युक्त बालकों की समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका	369-397
22	अधिगम अक्षमताः अर्थ, विशेषता एवं वर्गीकरण	398-412
23	अधिगम अक्षम बालकों की पहचान, मूल्यांकन तथा प्रशिक्षण	413-427
24	अधिगम अक्षमता युक्त बालकों की समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका	428-457
25	प्रतिभाशाली बच्चे : संप्रत्यय, पहचान तथा विशेषताएँ	458-472
26	प्रतिभाशाली बच्चों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम, समावेशी शैक्षिक कार्यक्रम, अल्प सम्प्राप्ति वाले प्रतिभाशाली बच्चे	473- 483

इकाई 1: विशिष्ट बालक का अर्थ, धनात्मक एवं ऋणात्मक विचलन

1.1 प्रस्तावना
1.2 उद्देश्य
1.3 विशिष्ट बालक का अर्थ
1.4 बालक की विशेषताएं
1.5 धनात्मक एवं ऋणात्मक विचलन
1.5.1 धनात्मक विचलन
1.5.2 ऋणात्मक विचलन
1.6 सारांश
1.7 शब्दावली
1.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
1.9 संदर्भ ग्रंथ सूची
1.10 सहायक/ उपयोगी पाठ्यसामग्री
1.11 निबंधात्मक प्रश्न

1.1 प्रस्तावना

विशेष आवश्यकता वाले विशिष्ट बालकों के संप्रत्यय से सम्बंधित यह प्रथम इकाई है।
विशेष आवश्यकता वाले बालकों के संप्रत्यय को समझने के लिए सर्वप्रथम यह जानना आवश्यक है कि विशिष्ट बालक का अर्थ क्या है? उनकी प्रकृति क्या है? उनकी विशेषताएं क्या हैं? ये सामान्य समूह से भिन्न कैसे है? सामान्य समूह या वर्ग से विचलन की दिशा क्या है? यह विचलन धनात्मक है अथवा ऋणात्मक? धनात्मक एवं ऋणात्मक विचलन से तात्पर्य क्या है? प्रस्तुत इकाई में विशिष्ट बालक का अर्थ तथा धनात्मक एवं ऋणात्मक विचलन से तात्पर्य पर विस्तृत परिचर्चा प्रस्तुत है।

इस इकाई के अध्यायानोपरांत आप विशिष्ट बालक के अर्थ को स्पष्ट कर सकेंगे तथा धनात्मक एवं ऋणात्मक विचलन की व्याख्या कर सकेंगे।

1.2 उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई के अध्ययनोपरांत आप

1. विशिष्ट बालक के अर्थ को स्पष्ट कर सकेंगे।
2. विशिष्ट बालक की प्रकृति एवं विशेषताओं को स्पष्ट कर सकेंगें।
3. विशिष्ट बालक का सामान्य समूह के बालकों से विचलन का अर्थ समझा सकेंगे।
4. विशिष्ट बालक का सामान्य समूह के बालकों से विचलन की दिशा ज्ञात कर सकेंगे ।
5. विशिष्ट बालक का सामान्य समूह के बालकों से विचलन का क्या तात्पर्य है? को स्पष्ट कर सकेंगे।
6. विशिष्ट बालक का सामान्य समूह के बालकों से विचलन की दिशा को निर्धारित कर सकेंगे।

1.3 विशिष्ट बालक का अर्थ

प्रत्येक बालक अपने आप में विशिष्ट होता है फिर भी जब आप "विशिष्ट बालक" शब्द से मुखातिब होते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि ऐसा बालक जो बालकों के सामान्य समूह से अलग कुछ विशिष्टता रखता हो उसके बारे में बात की जा रही है । "विशिष्ट बालक" की ये विशेषताएं सोचने, समझने, सीखने, समायोजन करने आदि की योग्यताएं हो सकती हैं, जिसमें बालक भिन्न हो सकता है । इन भिन्नताओं के आधार पर विशिष्ट बालकों को कई समूहों एवं उपसमूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे- बुद्धि के आधार पर प्रतिभाशाली या मंदबुद्धि बालक, शारीरिक क्षमता के आधार पर चलन-क्रिया अक्षमता, दृष्टिबाधा, श्रवण-ह्रास, वाणी दोष वाले बालक, सामाजिक दृष्टि से कुसमयोजित अथवा समस्यात्मक बालक आदि। चूँकि इन सभी उपवर्गों से सम्बंधित बालकों की प्रकृति भिन्न होती है इसलिए इनके लिए विशिष्ट प्रकार की शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक व्यवस्थाओं की आवश्यकता होती है।

वास्तव में विशिष्ट बालक शब्द एक वृहद पद है जिसके अंतर्गत विभिन्न असामान्यताओं से युक्त बालकों के अनेक समूह समाहित रहते हैं। विभिन्न विद्वानों एवं मनोवैज्ञानिकों ने विशिष्ट बालक की परिभाषा अपने-अपने तरीके से दी है। कुछ परिभाषाएं निम्नवत इसप्रकार हैं-

क्रुक शैंक के अनुसार, "विशिष्ट बालक वह है जो बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक अथवा संवेगात्मक दृष्टि से सामान्य समझे जाने वाली वृद्धि तथा विकास से इतना भिन्न है कि वह नियमित विद्यालय कार्यक्रम से पूर्ण लाभ नहीं उठा सकता है तथा विशिष्ट कक्षा अथवा पूरक शिक्षण व सेवा चाहता है"।

डन के अनुसार, "विशिष्ट बालक वह है जो बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक अथवा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं में इतना भिन्न है कि बहुसंख्यक बालकों के लिए बनाया गया विद्यालय कार्यक्रम उनको सर्वांगीण समायोजन व अनुकूलतम विकास के अवसर उपलब्ध नहीं करा पाता है तथा इसीलिए अपनी योग्यताओं के अनुरूप उपलब्धि प्राप्त कर सकने के लिए वे विशेष शिक्षण अथवा कुछ स्थितियों में विशेष सहायक सेवाएं अथवा दोनों चाहते हैं" ।

क्रो एवं क्रो के अनुसार, “विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट शब्द ऐसे गुणों या उस गुण को रखने वाले व्यक्ति पर लागू किया जाता है जिसके कारण व्यक्ति अपने साथियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है” ।

उपरोक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि विशिष्ट बालक वे बालक हैं जो अपने आयु वर्ग के समूह के बालकों के किसी भी चर के मापन के सापेक्ष औसत मानों से काफी दूर होते हैं। ये मान केन्द्रीय मानों से अधिक या कम दोनों हो सकते हैं। अर्थात यदि हम बालकों के समायोजन को मापते हैं और किसी बालक के समायोजन की माप केन्द्रीय मान से अत्यधिक कम है तो बालक विशिष्ट श्रेणी में रखा जायेगा तथा यदि केन्द्रीय मान से अत्यधिक अधिक है तब भी बालक विशिष्ट श्रेणी में ही रखा जायेगा तथा इन दोनों प्रकार के बालकों को विशिष्ट बालक कहा जायेगा।

1.4 विशिष्ट बालकों की विशेषताएं

विशिष्ट बालक व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों- शरीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक और नैतिक आदि सभी में व्यक्तित्व गुणों के आधार पर सामान्य से बहुत अधिक आगे बढ़े हुए या पिछड़े हुए होते हैं। इस दृष्टि से अगर शारीरिक वृद्धि और विकास के स्तर तथा शारीरिक योग्यता और क्षमता पर नजर डाली जाय तो जो बालक शारीरिक योग्यताओं और क्षमताओं जैसे वजन, ऊंचाई, शारीरिक शक्ति और सामर्थ्य आदि में असाधारण रूप से अधिक विशेष ऊँचाइयों पर पहुंचे होते हैं अथवा जिनमे इन प्रकार की योग्यताओं, क्षमताओं और शक्ति-सामर्थ्य का बहुत अधिक आभाव होता है, वे विशिष्ट बालक कहे जाते हैं। निष्कर्षतः विशिष्ट बालकों की प्रकृति और विशेषताओं को निम्नवत बिन्दुओं में प्रदर्शित किया जा सकता हैं-

1. विशिष्ट बालक सामान्य या औसत बालकों से निश्चित रूप से काफी अधिक अलग एवं भिन्न होते हैं।
2. सामान्य या औसत बालकों से विशिष्ट बालकों की यह भिन्नता या विशेष दूरी विकास की दोनों दिशाओं धनात्मक और ऋणात्मक में से किसी भी एक में हो सकती है। उदारहण के लिए वे बुद्धि की दृष्टि से जहाँ जरूरत से अधिक धनी हो सकते हैं वहीं बुद्धि की बहुत कमी भी उन्हें मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के रूप में विशिष्ट बालकों का दर्जा दिला सकती है।
3. सामान्य या औसत बालकों से विशिष्ट बालकों की यह भिन्नता या विशेष दूरी इस सीमा तक बड़ी हुई होती है कि इसकी वजह से उन्हें अपने और अपने वातावरण से समायोजित होने से विशेष समस्याओं का सामना करना पड़ता है और अपनी विशिष्ट योग्यताओं और क्षमताओं के विकास, उचित समायोजन तथा आवश्यक वृद्धि एवं विकास हेतु विशेष देख-रेख एवं शिक्षा दीक्षा की आवश्यकता पड़ती है।

अभ्यास प्रश्न

1. विशिष्ट बालक की दो परिभाषायें लिखिये।
2. विशिष्ट बालक के संप्रत्यय से आप क्या समझते हैं?
3. विशिष्ट बालकों की तीन विशेषताएं लिखिए।

1.5 धनात्मक व ऋणात्मक विचलन

विचलन का तात्पर्य बिखराव से है, फैलाव से है। विचलन यह बताता है कि कोई भी प्राप्तांक केन्द्रीय मान से कितना दूर तथा कितना समीप है। जब हम किसी विशेष गुण को धारण करने वाले समूह के गुण का मापन करते है तो प्राप्त आंकड़ों का आलेखीय निरूपण घंटी के आकार का आता है जिसे हम सामान्य प्रायिकता वक्र कहते हैं। उदाहरणार्थ यदि हम किसी कक्षा के छात्रों कि बुद्धि-लब्धि और प्रतिशत संभावना के बीच आलेख खींचें तो हमें निम्नवत आकृति प्राप्त होगी और इसे ही सामान्य प्रायिकता वक्र कहा जाता है। सामान्य प्रायिकता वक्र के शीर्ष बिंदु से X-अक्ष पर डाला गया लम्ब पूरे वक्र को दो सममित भागों में विभाजित करता है। लम्ब का पाद केन्द्रीय मान को प्रदर्शित करता है। केंद्रीय मान के बांये के प्राप्तांक केन्द्रीय मान से कम हैं तथा इनका विचलन ऋणात्मक है। इसी प्रकार केन्द्रीय मान के दांये के प्राप्तांक केन्द्रीय मान से अधिक हैं तथा इनका विचलन धनात्मक है।

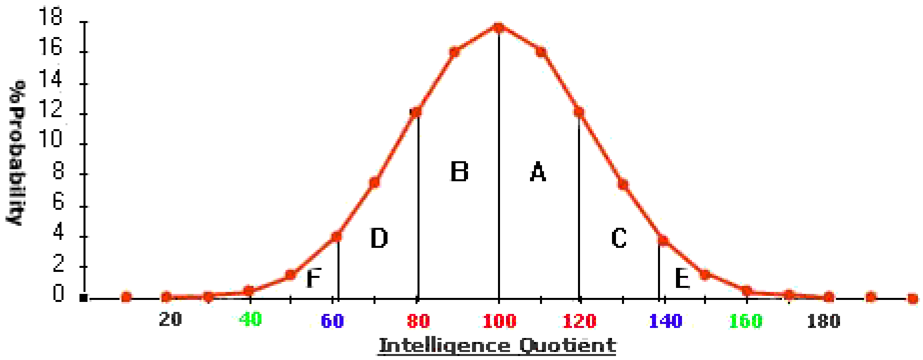

इसी प्रकार यदि किसी खेल के मैदान का आप निरीक्षण करेंगे तो आपको यहाँ भी यह अद्वितीयता देखने को मिल जायेगी। कुछ बालक बहुत तेजी से तथा बेहतर समन्वय के साथ दौड़ते मिलेंगे। कुछ अपने घनिष्ठ मित्रों से घिरे हुए मिल जायेंगे तथा कुछ कहीं एकांत में अकेले बैठे मिल जायेंगे। बालकों में यह अद्वितीयता कक्षा की अपेक्षाकृत ज्यादा स्पष्ट यहाँ खेल के मैदान में मिल जायेगी। विशिष्ट शिक्षा का क्षेत्र ऐसे बालकों से सम्बन्धित है जो कि कक्षा में अधिगम और सफलता पूर्वक कार्य करने में इतने विचलित होते है कि वह मायने रखता है। उनके शिक्षण अधिगम को सामान्य बनाने हेतु कुछ विशिष्ट प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है या किसी विशेष प्रकार के कौशल के विकास की आवश्यकता होती है। विद्यालय में सफल अधिगम या कहीं भी सफल अनुकूलन हेतु कुल सात महत्वपूर्ण आयाम हैं। ये सातों आयाम इस प्रकार हैं- दृष्टि, श्रवण, गति, सम्प्रेषण, प्रत्यक्षण-गामक, सामाजिक-सांवेगिक तथा बुद्धि। एक विशिष्ट बालक इनमें से एक या अधिक आयामों में धनात्मक या ऋणात्मक किसी भी दिशा में विचलित हो सकता है।

दृष्टि- कक्षा में अनुदेशन अथवा वातावरण में स्वतंत्र गमन हेतु दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम है। हम सभी लोगों की दृष्टि भिन्न –भिन्न होती है। हममें से कुछ लोग उनसे भी अधिक दूर तथा स्पष्ट देख सकते हैं जो कि सामान्य से धनात्मक दिशा में ही विचलित होते हैं। हममें से ज्यादातर लोग दृष्टि-आयाम के मध्य बिंदु के आस-पास ही मिलेंगे। जो लोग चश्में का प्रयोग करते हैं, जिन्हें दृष्टि की समस्याएं हैं या पूर्ण दृष्टि हीनता से ग्रस्त व्यक्ति सामान्य व्यक्तियों से ऋणात्मक दिशा में विचलित होते हैं। पुनः जो लोग ऋणात्मक दिशा में विचलित होते हैं वो भी आपस में अलग-अलग दृष्टि क्षमता रखते हैं।

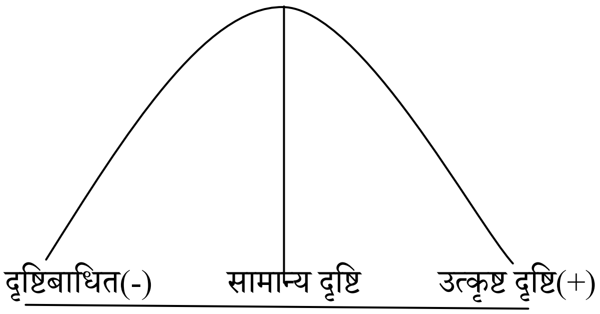

श्रवण- अधिगम के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण आयाम श्रवण है। हममें से कुछ लोग जो सामान्य से धनात्मक दिशा में विचलित होते है बहुत ही उत्कृष्ट श्रवण शक्ति रखते हैं तथा वे 25० फुट की दूरी की क्षीण आवाज को भी पहचान जाते हैं। हममें से ज्यादातर लोग श्रवण-आयाम के मध्य या उसके आस-पास में स्थित होते हैं। हममें से कुछ लोग जो ऋणात्मक दिशा में विचलित होते हैं सुनने में कठिनाई महसूस करते हैं। पुनः जो लोग ऋणात्मक दिशा में विचलित होते हैं उनमें भी विविधता होती है तथा उन्हें अलग-अलग श्रवण सहायक सामग्री के द्वारा ध्वनि विस्तारण की जरूरत होती है। इनमें से कुछ लोग इस समस्या-प्रसार में सबसे निचे होते हैं तथा पूर्ण श्रवण बाधित या बहरे होते हैं।

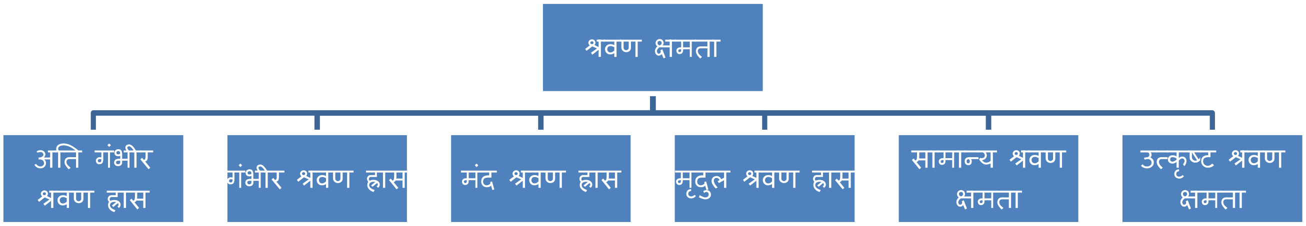

गति- बालक की गति शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करती है। अतः बालक के विकास का एक प्रमुख घटक है। बालक किसी बीमारी अथवा किसी दुर्घटनावश अपनी गति सम्बन्धी अंगों की शक्ति को खो देता है या कम कर देता है तो वह गति के सन्दर्भ में पिछड़ जाता है। जैसे बालक पोलियो आदि के कारण आपने पैरों की शक्ति खो देता है तो उसकी गति सामान्य से कम हो जाति है और गति के कम हो जाने से बालक का

वातावरण से संपर्क कम हो जाता है। अतः व्यवहार परिवर्तन के आयाम कम हो जाते हैं। कुछ बालको में उनकी गति करने की शक्ति अधिक होती है फलस्वरूप बालक का वातवरण से संपर्क अधिक होता है। बालक का अधिगम अधिक होता है।

सम्प्रेषण- बालक के विकास या अधिगम की दृष्टि से सम्प्रेषण अत्यंत ही महत्वपूर्ण घटक है. सम्पूर्ण अधिगम की आधारशिला सम्प्रेषण पर रखी होती है. सम्प्रेषण से तात्पर्य बालक के अपने विचारों को दूसरों तक शत-प्रतिशत प्रेषित करने तथा दूसरों के प्रेषित विचारों के शत-प्रतिशत ग्रहण करने से है. संप्रेषण, भाषा पर अच्छी पकड़, विचारों की तात्कालिक प्रक्रिया एवं अनुक्रिया को सम्मिलित करता है. कुछ बालक सम्प्रेषण कौशल में बहुत ही निपुण होते है तथा कुछ बहुत ही कमजोर. ऐसा बिलकुल नहीं होता की बालक की बौद्धिक क्षमता कम या ज्यादा होती है. बालक विचारों को समझते हुए भी अनुक्रिया करने में असहज महसूस करते हैं. कभी-कभी कुछ बालक लिखित अनुक्रिया के बजाय मौखिक अनुक्रिया में सहजता महसूस करते हैं तो कुछ बालक मौखिक के बजाय लिखित अनुक्रिया करने में सहजता महसूस करते हैं. कुछ बालक ऐसे भी मिल सकते हैं जो विचारों को समझते हुए भी उनकी अभिव्यक्ति किसी भी माध्यम से करने में असक्षम महसूस करते हैं.

प्रत्यक्षण गामक- प्रत्यक्षण गामक शक्ति भी बालकों के अधिगम को प्रभावित करने वाला एक कारक है. इसका सीधा संबंध बालक की समय-दूरी सहसंबंध प्रत्यक्षण से है. जिन लोगो का समय-दूरी सहसंबंध प्रत्यक्षण उत्तम होता है उनकी गति उत्तम होती है. उनके सीखने की गति उत्तम होती है. दूसरी तरफ क्षीण समय-दूरी सहसंबंध प्रत्यक्षण वाले बालकों की गति निम्न होती है. अघिगम दर कम होता है. इस प्रकार से यह कहा जा सकता है कि बालकों को विशिष्ट बालकों की श्रेणी में रखने वाला यह कारक भी अधिगम व समायोजन के सन्दर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण है. वे बालक जिनकी प्रत्यक्षण गामक शक्ति सामान्य से अधिक है धनात्मक दिशा में विचलित हैं जबकि सामान्य से कम प्रत्यक्षण गामक वाले बालक ऋणात्मक दिशा में विचलित है.

सामाजिक-सांवेगिक आयाम- बालक का सामाजिक-सांवेगिक विकास विद्यालय में सफल अधिगम या अनुकूलन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण आयाम है। विद्यालय की किसी कक्षा का अवलोकन किया जाय तो कुछ बालक ऐसे मिलेंगें जिनका सामाजिक सांवेगिक विकास अच्छा होता है। ऐसे बालक अन्य छात्रों के साथ जल्द ही घुलमिल जाते हैं तथा अन्य छात्रों के दुखों-सुखों में शामिल होते हैं। तथा कुछ बालक ऐसे मिलेंगें जिनका अन्य बालकों से सामाजिक संबंध बहुत ही कमजोर होते हैं तथा वे अन्य बालकों के संवेगों से प्रभावित भी नहीं होते या कभी-कभी आपराधिक प्रवृति के भी होते हैं। ऐसे बालक सामाजिक सांवेगिक दृष्टि से ऋणात्मक दिशा में विचलित होते हैं।

बुद्धि- बुद्धि व्यक्तित्व का बहुत ही अहम् हिस्सा है। जो बालक के बौद्धिक विकास के लिए अति आवश्यक है। कुछ बालको की बुद्धिलब्धि सामान्य बालको से बहुत अधिक होती है जिससे इन्हें कुशाग्र बुद्धि या प्रतिभावान की श्रेणी में रखा जाता है तथा कुछ बालकों की बुद्धिलब्धि अत्यंत कम होती है जिससे उनका

अधिगम बुरी तरह से प्रभावित होता है। ऐसे बालकों की शिक्षा व्यवस्था हेतु भी विशिष्ट तकनीकों की आवश्यकता पड़ती है।

किसी बालक के सफल अनुकूलन हेतु उपर्युक्त सभी सातों आयामों में सामान्य होना अति आवश्यक है। हमने अभी एक खेल के मैदान के अवलोकन से यह देखा कि बालक व्यक्तिव के इन आयामों में किसी भी दिशा में विचलित हो सकते है। ये दोनों दिशाओं के विचलन बालक के सामान्य अधिगम व अनुकूलन को प्रभावित करते हैं।

प्रश्न उठता है कि क्या व्यक्तित्व के इन सभी आयामों की धनात्मक और ऋणात्मक दिशाओं में सामान्य या औसत से बहुत अधिक दूर जाने वाले सभी बालकों को विशिष्ट बालकों की संज्ञा दी जा सकती है? अथवा ऐसा करने में कोई और शर्त लगाई जानी चाहिए। ध्यान से सोचा जाय तो एक ऐसी शर्त उपर्युक्त परिभाषाओं में लगाई गयी है वह यह है कि किसी बालक के व्यक्तित्व के आयामों की धनात्मक या ऋणात्मक दिशाओं में सामान्य या औसत से बहुत अधिक तय की गयी दूरी तभी विशिष्ट बालकों की विशेषताओं में शामिल होकर उस बालक को विशिष्ट बालक का दर्जा दिला सकती है जब कि वह इतनी अधिक या असामान्य हो जाये कि जिसकी वजह से

1. बालक की सामान्य वृद्धि या विकास में रूकावट आने लगे।
2. बालक की विशिष्ट योग्यता और क्षमता को उचित पोषण न मिलने की बात सामने आ जाय।
3. बालक के अपने आप से तथा अपने वातावरण के साथ समायोजन करने में समस्याएं उठ खड़ीं हों।
4. उपर्युक्त सभी बिन्दुओं के सन्दर्भ में उसके लिए विशेष प्रकार की शिक्षा-दीक्षा या प्रशिक्षण की व्यवस्था करना अति आवश्यक हो जाय।

उपर्युक्त वर्णित शर्तें अब हमें यह निर्णय लेने में उचित सहायता प्रदान कर सकती हैं कि व्यक्तित्व आयामों में औसत से बहुत अधिक या बहुत कम क्षमता दिखाने वाले किन बालकों को विशिष्ट बालकों का दर्जा दिया जाय और किनको नहीं। इस आधार पर जिन बालकों की शारीरिक शक्ति और सामर्थ्य, शारीरिक वृद्धि एवं विकास , शारीरिक स्वास्थ्य, डील-डौल और बनावट के आधार पर औसत से बहुत अधिक पाया जाता है, विशिष्ट बालकों का दर्जा इसलिए नहीं दिया जा सकता कि इनके लिए समायोजन सम्बन्धी कोई समस्या नहीं होती और न इनके कल्याण हेतु किसी विशेष लालन-पालन तथा शिक्षा-दीक्षा की आवश्यकता महसूस होती है। हाँ जिनमें कुछ योग्यता और शक्तियाँ ऐसी होती हैं जिनको प्रतिभा क्षेत्र मानकर उनके विशेष विकास की आवश्यकता हो तो उन बालकों को उनके विशेष क्षेत्र में प्रतिभावान (जैसे खिलाडी, पहलवान, निशानेबाज़ आदि) बालक घोषित कर उचित देखभाल और प्रशिक्षण व्यवस्था का प्रयास किया जा सकता है।

1.5.1 धनात्मक विचलन

धनात्मक विचलन से तात्पर्य यह है कि बालक उपर्युक्त वर्णित सभी सातों आयामों में किसी एक या एक से अधिक आयामों में केन्द्रीय/औसत मान से इतना अधिक धनात्मक दिशा में विचलित हो कि बालक के अनुकूलन में या सामाजिक-सांवेगिक विकास में कोई विशेष बाधा न आये तथा बालक का प्रदर्शन सामान्य से

उत्तम हो। ऐसे बालकों को भी सामान्य शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया से उतना लाभ नहीं मिलता। इनका अधिगम-दर अधिक होने के कारण बालक सामान्य शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया से लाभ प्राप्त नहीं कर पाता है। इनके शिक्षण-अधिगम हेतु विशेष कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है। ऐसे बालकों के साथ भी समायोजन सम्बन्धी समस्यायें पायी जाती हैं। ऐसे बालकों की अपनी विशिष्टता के क्षेत्र में उपलब्धि अधिक होने के कारण कभी-कभी आत्मसम्मान की अधिकता पाई जाती है। ऐसे बालकों की श्रेणी में मुख्यतः निम्नवत प्रकार के बालक आते हैं।

१. प्रतिभावान बालक
२. सृजनशील बालक

इनकी चर्चा अगली इकाई में विस्तृत ढंग से की जायेगी।

1.5.2 ऋणात्मक विचलन

ऋणात्मक विचलन से यह तात्पर्य है कि बालक उपर्युक्त वर्णित सभी सातों आयामों में किसी एक या एक से अधिक आयामों में केन्द्रीय/औसत मान से इतना अधिक ऋणात्मक दिशा में विचलित हो कि बालक के अनुकूलन या सामाजिक-सांवेगिक विकास बाधित हो जाय तथा बालक का प्रदर्शन सामान्य से कम हो। ऐसे बालकों को भी सामान्य शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया से उतना लाभ नहीं मिलता। इनके शिक्षण-अधिगम हेतु विशेष कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है। ऐसे बालकों के साथ भी समायोजन सम्बन्धी समस्यायें पायी जाती हैं। ऐसे बालको के शिक्षण अधिगम हेतु विशिष्ट कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है जबकि आजकल सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा प्रदान करने का प्रतिमान प्रचलन में आ रहा है। जिसे समावेशी शिक्षा के नाम से जाना जाता है। इस शिक्षा व्यवस्था में बालक की क्षति को सहायक यंत्रों एवं प्रविधियों की सहायता से समाप्त कर दी जाती है या कम कर दी जाती है जिससे बालक सामान्य कक्षा व्यवस्था से लाभान्वित होने लगता है। ऐसे बालकों की श्रेणी में मुख्यतः निम्नवत प्रकार के बालक आते हैं।

1. दृष्टिबाधित बालक
2. श्रवण ह्रास वाले बालक
3. मानसिक मंद बालक
4. अपराधी बालक
5. समस्यात्मक बालक
6. पिछड़े बालक
7. मंद अधिगमित बालक
8. स्वलीन बालक
9. चलन क्रिया बाधित बालक

इनकी चर्चा अगली इकाइयों में की जाएगी।

अभ्यास प्रश्न

4. धनात्मक विचलन से आप क्या समझते हैं?
5. ऋणात्मक विचलन का क्या तात्पर्य क्या है?श्रवण के सन्दर्भ में ऋणात्मक विचलन का क्या अर्थ है?
6. विद्यालय में सफल अधिगम या कहीं भी सफल अनुकूलन हेतु कुल कितने महत्वपूर्ण आयाम हैं। लिखें।

1.6 सारांश

विशिष्ट बालक उन बालकों को कहा जाता है जो अपनी योग्यताओं, क्षमताओं, व्यवहार तथा व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं की दृष्टि से अपनी आयु के अन्य औसत अथवा सामान्य बालकों से बहुत अधिक भिन्न होते हैं। ये बालक अपनी कक्षा या समूह विशेष के अन्य बालकों की तुलना में अपनी कुछ निजी विशेषता या विशिष्टता रखते हैं जिसके कारण इस समूह विशेष में या तो उनकी गिनती अति उच्च कोटि के बालकों में होती है और या फिर उन्हें निम्न कोटि में रखा जाता है। इसप्रकार से ये बच्चे अपनी आयु या समूह के अन्य सामान्य बच्चो से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और सांवेगिक विकास की दृष्टि से इतने पिछड़े हुए अथवा आगे निकले हुए होते है कि उन्हें जीवन में पग-पग पर बाधाओं तथा समायोजन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन बालकों को अपनी शक्तिओं का समुचित उपयोग करने तथा ठीक ढंग से अपने आपको समायोजित करने के लिए विशेष देख-भाल और शिक्षा –दीक्षा की आवश्यकता होती है।

विशिष्ट बालक व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों- शरीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक और नैतिक आदि सभी में व्यक्तित्व गुणों के आधार पर सामान्य से बहुत अधिक आगे बढ़े हुए या पिछड़े हुए होते हैं। इस दृष्टि से अगर शारीरिक वृद्धि और विकास के स्तर तथा शारीरिक योग्यता और क्षमता पर नजर डाली जाय तो जो बालक शारीरिक योग्यताओं और क्षमताओं जैसे वजन, ऊंचाई, शारीरिक शक्ति और सामर्थ्य आदि में असाधारण रूप से अधिक विशेष ऊँचाइयों पर पहुंचे होते हैं अथवा जिनमे इन प्रकार की योग्यताओं, क्षमताओं और शक्ति-सामर्थ्य का बहुत अधिक आभाव होता है, वे विशिष्ट बालक कहे जाते हैं। निष्कर्षतः विशिष्ट बालकों की प्रकृति और विशेषताओं को निम्नवत बिन्दुओं में प्रदर्शित किया जा सकता हैं-

3. विशिष्ट बालक सामान्य या औसत बालकों से निश्चित रूप से काफी अधिक अलग एवं भिन्न होते हैं।
4. सामान्य या औसत बालकों से विशिष्ट बालकों की यह भिन्नता या विशेष दूरी विकास की दोनों दिशाओं धनात्मक और ऋणात्मक में से किसी भी एक में हो सकती है। उदारहण के लिए वे बुद्धि की दृष्टि से जहाँ जरूरत से अधिक धनी हो सकते हैं वहीं बुद्धि की बहुत कमी भी उन्हें मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के रूप में विशिष्ट बालकों का दर्जा दिला सकती है।
5. सामान्य या औसत बालकों से विशिष्ट बालकों की यह भिन्नता या विशेष दूरी इस सीमा तक बड़ी हुई होती है कि इसकी वजह से उन्हें अपने और अपने वातावरण से समायोजित होने से विशेष समस्याओं

का सामना करना पड़ता है और अपनी विशिष्ट योग्यताओं और क्षमताओं के विकास, उचित समायोजन तथा आवश्यक वृद्धि एवं विकास हेतु विशेष देख-रेख एवं शिक्षा दीक्षा की आवश्यकता पड़ती है।

विचलन का तात्पर्य बिखराव से है, फैलाव से है। विचलन यह बताता है कि कोई भी प्राप्तांक केन्द्रीय मान से कितना दूर तथा कितना समीप है। जब हम किसी विशेष गुण को धारण करने वाले समूह के गुण का मापन करते है तो प्राप्त आंकड़ों का आलेखीय निरूपण घंटी के आकार का आता है जिसे हम सामान्य प्रायिकता वक्र कहते हैं।

यदि किसी खेल के मैदान का आप निरीक्षण करेंगे तो आपको यहाँ भी यह अद्वितीयता देखने को मिल जायेगी। कुछ बालक बहुत तेजी से तथा बेहतर समन्वय के साथ दौड़ते मिलेंगे। कुछ अपने घनिष्ठ मित्रों से घिरे हुए मिल जायेंगे तथा कुछ कहीं एकांत में अकेले बैठे मिल जायेंगे। बालकों में यह अद्वितीयता कक्षा की अपेक्षाकृत ज्यादा स्पष्ट यहाँ खेल के मैदान में मिल जायेगी। विशिष्ट शिक्षा का क्षेत्र ऐसे बालकों से सम्बन्धित है जो कि कक्षा में अधिगम और सफलता पूर्वक कार्य करने में इतने विचलित होते है कि वह मायने रखता है। उनके शिक्षण अधिगम को सामान्य बनाने हेतु कुछ विशिष्ट प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है या किसी विशेष प्रकार के कौशल के विकास की आवश्यकता होती है। विद्यालय में सफल अधिगम या कहीं भी सफल अनुकूलन हेतु कुल सात महत्वपूर्ण आयाम हैं। ये सातों आयाम इस प्रकार हैं- दृष्टि, श्रवण, गति, सम्प्रेषण, प्रत्यक्षण-गामक, सामाजिक-सांवेगिक तथा बुद्धि। एक विशिष्ट बालक इनमें से एक या अधिक आयामों में धनात्मक या ऋणात्मक किसी भी दिशा में विचलित हो सकता है।

प्रश्न उठता है कि क्या व्यक्तित्व के इन सभी आयामों की धनात्मक और ऋणात्मक दिशाओं में सामान्य या औसत से बहुत अधिक दूर जाने वाले सभी बालकों को विशिष्ट बालकों की संज्ञा दी जा सकती है? अथवा ऐसा करने में कोई और शर्त लगाई जानी चाहिए। ध्यान से सोचा जाय तो एक ऐसी शर्त उपर्युक्त परिभाषाओं में लगाई गयी है वह यह है कि किसी बालक के व्यक्तित्व के आयामों की धनात्मक या ऋणात्मक दिशाओं में सामान्य या औसत से बहुत अधिक तय की गयी दूरी तभी विशिष्ट बालकों की विशेषताओं में शामिल होकर उस बालक को विशिष्ट बालक का दर्जा दिला सकती है जब कि वह इतनी अधिक या असामान्य हो जाये कि जिसकी वजह से

1. बालक की सामान्य वृद्धि या विकास में रूकावट आने लगे।
2. बालक की विशिष्ट योग्यता और क्षमता को उचित पोषण न मिलने की बात सामने आ जाय।
3. बालक के अपने आप से तथा अपने वातावरण के साथ समायोजन करने में समस्याएं उठ खड़ीं हों।
4. उपर्युक्त सभी बिन्दुओं के सन्दर्भ में उसके लिए विशेष प्रकार की शिक्षा-दीक्षा या प्रशिक्षण की व्यवस्था करना अति आवश्यक हो जाए।

1.7 शब्दावली

1. **विशिष्ट बालक-** जो अपनी योग्यताओं, क्षमताओं, व्यवहार तथा व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं की दृष्टि से अपनी आयु के अन्य औसत अथवा सामान्य बालकों से बहुत अधिक भिन्न होते हैं।
2. **सामान्य प्रायिकता वक्र-** सामान्य वितरण से प्राप्त वक्र जोकि घंटी के आकर का होता है, सामान्य प्रायिकता वक्र कहलाता है।
3. **धनात्मक विचलन-** सामान्य प्रायिकता वक्र में मध्यमान के दाहिनी ओर का विचलन धनात्मक विचलन कहलाता है।
4. **ऋणात्मक विचलन-** सामान्य प्रायिकता वक्र में मध्यमान के बायीं ओर का विचलन ऋणात्मक विचलन कहलाता है।
5. **दृष्टि-** मनुष्य के शरीर का देखने वाला संकाय
6. **श्रवण-** मनुष्य के शरीर का सुनने वाला संकाय
7. **गति-** एक स्थान से दुसरे स्थान तक जाना
8. **सम्प्रेषण-** सूचनाओं का आदान-प्रदान
9. **प्रत्यक्षण-गामक-**
10. **सामाजिक-सांवेगिक-**
11. **बुद्धि-** वातावरण से अनुकूलन करने की क्षमता

1.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. विशिष्ट बालको की परीभाषाएं निम्नवत है-

   क्रुक शैंक के अनुसार, "विशिष्ट बालक वह है जो बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक अथवा संवेगात्मक दृष्टि से सामान्य समझे जाने वाली वृद्धि तथा विकास से इतना भिन्न है कि वह नियमित विद्यालय कार्यक्रम से पूर्ण लाभ नहीं उठा सकता है तथा विशिष्ट कक्षा अथवा पूरक शिक्षण व सेवा चाहता है"।

   डन के अनुसार, "विशिष्ट बालक वह है जो बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक अथवा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं में इतना भिन्न है कि बहुसंख्यक बालकों के लिए बनाया गया विद्यालय कार्यक्रम उनको सर्वांगीण समायोजन व अनुकूलतम विकास के अवसर उपलब्ध नहीं करा पाता है तथा इसीलिए अपनी योग्यताओं के अनुरूप उपलब्धि प्राप्त कर सकने के लिए वे विशेष शिक्षण अथवा कुछ स्थितियों में विशेष सहायक सेवाएं अथवा दोनों चाहते हैं" ।

   क्रो एवं क्रो के अनुसार, "विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट शब्द ऐसे गुणों या उस गुण को रखने वाले व्यक्ति पर लागू किया जाता है जिसके कारण व्यक्ति अपने साथियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है" ।

2. विशिष्ट बालक उन बालकों को कहा जाता है जो अपनी योग्यताओं, क्षमताओं, व्यवहार तथा व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं की दृष्टि से अपनी आयु के अन्य औसत अथवा सामान्य बालकों से बहुत अधिक भिन्न होते हैं। ये बालक अपनी कक्षा या समूह विशेष के अन्य बालकों की तुलना में अपनी कुछ निजी विशेषता या विशिष्टता रखते हैं जिसके कारण इस समूह विशेष में या तो उनकी गिनती अति उच्च कोटि के बालकों में होती है और या फिर उन्हें निम्न कोटि में रखा जाता है। इसप्रकार से ये बच्चे अपनी आयु या समूह के अन्य सामान्य बच्चो से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और सांवेगिक विकास की दृष्टि से इतने पिछड़े हुए अथवा आगे निकले हुए होते है कि उन्हें जीवन में पग-पग पर बाधाओं तथा समायोजन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन बालकों को अपनी शक्तिओं का समुचित उपयोग करने तथा ठीक ढंग से अपने आपको समायोजित करने के लिए विशेष देख-भाल और शिक्षा –दीक्षा की आवश्यकता होती है।
3. विशिष्ट बालकों की प्रकृति और विशेषताओं को निम्नवत बिन्दुओं में प्रदर्शित किया जा सकता हैं-

i. विशिष्ट बालक सामान्य या औसत बालकों से निश्चित रूप से काफी अधिक अलग एवं भिन्न होते हैं।
ii. सामान्य या औसत बालकों से विशिष्ट बालकों की यह भिन्नता या विशेष दूरी विकास की दोनों दिशाओं धनात्मक और ऋणात्मक में से किसी भी एक में हो सकती है। उदारहण के लिए वे बुद्धि की दृष्टि से जहाँ जरूरत से अधिक धनी हो सकते हैं वहीं बुद्धि की बहुत कमी भी उन्हें मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के रूप में विशिष्ट बालकों का दर्जा दिला सकती है।
iii. सामान्य या औसत बालकों से विशिष्ट बालकों की यह भिन्नता या विशेष दूरी इस सीमा तक बड़ी हुई होती है कि इसकी वजह से उन्हें अपने और अपने वातावरण से समायोजित होने से विशेष समस्याओं का सामना करना पड़ता है और अपनी विशिष्ट योग्यताओं और क्षमताओं के विकास, उचित समायोजन तथा आवश्यक वृद्धि एवं विकास हेतु विशेष देख-रेख एवं शिक्षा दीक्षा की आवश्यकता पड़ती है।

4. धनात्मक विचलन से तात्पर्य यह है कि बालक उपर्युक्त वर्णित सभी सातों आयामों में किसी एक या एक से अधिक आयामों में केन्द्रीय/औसत मान से इतना अधिक धनात्मक दिशा में विचलित हो कि बालक के अनुकूलन में या सामाजिक-सांवेगिक विकास में कोई विशेष बाधा न आये तथा बालक का प्रदर्शन सामान्य से उत्तम हो। ऐसे बालकों को भी सामान्य शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया से उतना लाभ नहीं मिलता। इनका अधिगम-दर अधिक होने के कारण बालक सामान्य शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया से लाभ प्राप्त नहीं कर पाता है। इनके शिक्षण-अधिगम हेतु विशेष कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है। ऐसे बालकों के साथ भी समायोजन सम्बन्धी समस्यायें पायी जाती हैं। ऐसे बालकों की अपनी विशिष्टता के क्षेत्र में उपलब्धि अधिक होने के कारण कभी-कभी आत्मसम्मान की अधिकता पाई जाती है। ऐसे बालकों की श्रेणी में मुख्यतः निम्नवत प्रकार के बालक आते हैं।
   १. प्रतिभावान बालक
   २. सृजनशील बालक

5. ऋणात्मक विचलन से यह तात्पर्य है कि बालक उपर्युक्त वर्णित सभी सातों आयामों में किसी एक या एक से अधिक आयामों में केन्द्रीय/औसत मान से इतना अधिक ऋणात्मक दिशा में विचलित हो कि बालक के अनुकूलन या सामाजिक-सांवेगिक विकास बाधित हो जाय तथा बालक का प्रदर्शन सामान्य से कम हो। ऐसे बालकों को भी सामान्य शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया से उतना लाभ नहीं मिलता। इनके शिक्षण-अधिगम हेतु विशेष कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है। ऐसे बालकों के साथ भी समायोजन सम्बन्धी समस्यायें पायी जाती हैं। ऐसे बालको के शिक्षण अधिगम हेतु विशिष्ट कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है जबकि आजकल सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा प्रदान करने का प्रतिमान प्रचलन में आ रहा है। जिसे समावेशी शिक्षा के नाम से जाना जाता है। इस शिक्षा व्यवस्था में बालक की क्षति को सहायक यंत्रों एवं प्रविधियों की सहायता से समाप्त कर दी जाती है या कम कर दी जाती है जिससे बालक सामान्य कक्षा व्यवस्था से लाभान्वित होने लगता है। ऐसे बालकों की श्रेणी में मुख्यतः निम्नवत प्रकार के बालक आते हैं।
   i. दृष्टिबाधित बालक
   ii. श्रवण ह्रास वाले बालक
   iii. मानसिक मंद बालक
   iv. अपराधी बालक
   v. समस्यात्मक बालक
   vi. पिछड़े बालक
   vii. मंद अधिगमित बालक
   viii. स्वलीन बालक
   ix. चलन क्रिया बाधित बालक
6. अधिगम के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण आयाम श्रवण है। हममें से कुछ लोग जो सामान्य से धनात्मक दिशा में विचलित होते है बहुत ही उत्कृष्ट श्रवण शक्ति रखते हैं तथा वे 25० फुट की दूरी की क्षीण आवाज को भी पहचान जाते हैं। हममें से ज्यादातर लोग श्रवण-आयाम के मध्य या उसके आस-पास में स्थित होते हैं। हममें से कुछ लोग जो ऋणात्मक दिशा में विचलित होते हैं सुनने में कठिनाई महसूस करते हैं। पुनः जो लोग ऋणात्मक दिशा में विचलित होते हैं उनमें भी विविधता होती है तथा उन्हें अलग-अलग श्रवण सहायक सामग्री के द्वारा ध्वनि विस्तारण की जरूरत होती है। इनमें से कुछ लोग इस समस्या-प्रसार में सबसे निचे होते हैं तथा पूर्ण श्रवण बाधित या बहरे होते हैं।

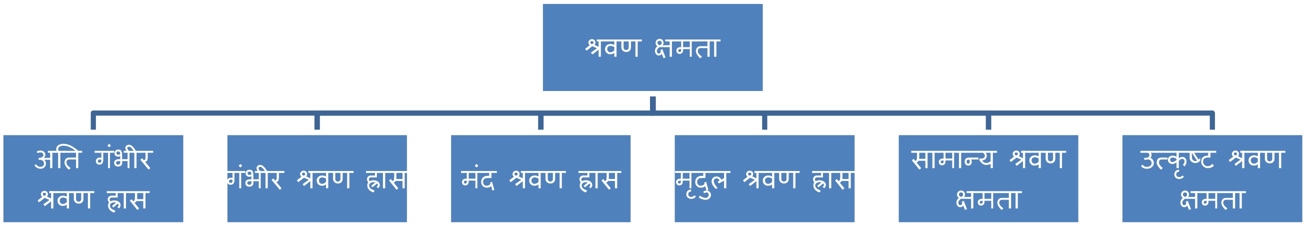

7. विद्यालय में सफल अधिगम या कहीं भी सफल अनुकूलन हेतु कुल सात महत्वपूर्ण आयाम हैं। ये सातों आयाम इस प्रकार हैं- दृष्टि, श्रवण, गति, सम्प्रेषण, प्रत्यक्षण-गामक, सामाजिक-सांवेगिक तथा बुद्धि।

1.9 संदर्भग्रंथ सूची

१. Das. M.(2007). *Education of Exceptional Children*. Atlantic Publishers, New Delhi.
२. मंगल. एस० के०(2००8). *शिक्षा मनोविज्ञान*. पी० एच० आइ० लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली.
३. Werts. M. G. etal.(2007). *Fundamentals of Special Education*. PHI Learning Private Limited, New Delhi.

1.10 सहायक/ उपयोगी पाठ्यसामग्री

1. संजीव के.(2००8). *विशिष्ट शिक्षा*. जानकी प्रकाशन, पटना.
2. भार्गव एम.(2००9). *विशिष्ट बालक शिक्षा एवं पुनर्वास*. एच. पी. भार्गव बुक हाउस, आगरा.
3. Das. M. (2007). *Education of Exceptional Children*. Atlantic Publishers, New Delhi.
4. Werts. M. G. etal.(2007). *Fundamentals of Special Education*. PHI Learning Private Limited, New Delhi.

1.11 निबंधात्मक प्रश्न

1. विशिष्ट बालक से आप क्या समझाते हैं? विशिष्ट बालको के प्रकृति एवं विशेषताओं का वर्णन करें।
   What do you understand by exceptional children? Elucidate the nature and characteristics of exceptional children.
2. विशिष्ट बालकों के धनात्मक एवं ऋणात्मक विचलन से आप क्या समझाते है? विवेचना कीजिये।
   What do you understand by positive and negative deviations of exceptional children? Discuss it.

इकाई 2 क्षति, अक्षमता एवं नि:शक्तता की संकल्पना

2.1 प्रस्तावना
2.2 उद्देश्य
2.3 विकलांगता के क्षेत्र में वर्गीकरण
 2.3.1 वर्गीकरण की आवश्यकता
 2.3.2 वर्गीकरण के आधार
2.4 आईसीआईडीएच (ICIDH)
 2.4.1 आईसीआईडीएच् की संकल्पना
 2.4.2 क्षति (Impairment)
 2.4.3 अक्षमता (Disability)
 2.4.4 नि:शक्तता (Handicap)
 2.4.5 आईसीआईडीएच की सीमाएं
2.5 आई.सी.एफ. (ICF)
 2.5.1 आई.सी.एफ. का मॉडल
 2.5.2 आई.सी.एफ. का अनुप्रयोग
 2.5.3 आई.सी.एफ. के सिद्धांत
2.6 सारांश
2.7 शब्दावली
2.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
2.9 संदर्भ ग्रन्थ सूची
2.10 सहायक उपयोगी पाठ्य सामग्री
2.11 निबन्धात्मक प्रश्न

2.1 प्रस्तावना

विशेष आवश्यकता वाले विकलांग जनों का नामकरण या लेबलिंग या वर्गीकरण का उद्देश्य केवल उन्हें आवश्यकताओं के अनुरूप विशेष सेवा प्रदान करने का नहीं रहा है। इसके अन्य सामाजिक कारण भी रहे हैं। हालांकि विशेष शिक्षा में लेबेलिंग या वर्गीकरण का प्रभाव नकारात्मक माना जाता रहा है। विशेष शिक्षा में इसे नीचा दिखाने, लांछन लगाने तथा भेदभाव को पैदा करने वाले साधन के रूप भी देखा गया। किन्तु वर्गीकरण कई मायनों में महत्वपूर्ण भी है। यह कानूनी अधिकार प्राप्त करने में, सरकारी सेवाओं के सटीक प्रबंधन में, उपयुक्त चिकित्सीय उपचार निर्धारित करने में, प्रभावी शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के निर्धारण में, शोध कार्यों में तथा सक्षम मानव संसाधन के विकास में सहायक होता है।

इस इकाई में आप विकलांगता से सम्बन्धी विभिन्न मानक वर्गीकरण के बारे में समझ बना सकेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा स्थापित क्षति, अक्षमता तथा नि:शक्तता के संप्रत्यय को समझते हुए इसकी आवश्यकता तथा इसके उपयोग को भी जानेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 1980 में विकलांगता के क्षेत्र में अंतराष्ट्रीय मानक निर्धारित करने की दिशा में एक वर्गीकरण आई.सी.आई.डी.एच. (ICIDHiCIi) को स्थापित किया, जिसका आधार मेडिकल मॉडल था. बीसवीं सदी के अंतिम दो दसकों में इस बात को माना गया की विकलांग जनों के साथ सामाजिक न्याय के सिर्फ विकलांग जनों को ही नहीं बल्कि समाज को भी उनके आवश्यकता अनुरूप बदलना होगा. वर्गीकरण का आधार कहीं न कहीं तत्कालीन समाज के मानसिकता से परिलक्षित होता है. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस बात को स्वीकारने में देरी नहीं की कि अक्षमता या इसकी गंभीरता समाज की विभिन्न परिस्थितियाँ तय करती हैं. फलस्वरूप संगठन ने 2000 में मेडिकल मॉडल को नकारते हुए सामाजिक मॉडल पर आधारित वर्गीकरण को व्यापक रूप में प्रसारित और क्रियान्वित किया जिसे आई.सी.एफ. के नाम से जानते हैं। इस इकाई में हम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्थापित आई.सी.एफ. (जिसे आई.सी.आई.डी.एच.-2 के नाम से भी जानते है) के बारे में भी चर्चा करेंगे।

2.2 उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन उपरान्त आप:

1. जान सकेगें कि आई.सी.आई.डी.एच. तथा आई.सी.एफ. क्या है।
2. बता सकेगें कि किस प्रकार क्षति (Impairment), अक्षमता (Disability) तथा नि:शक्तता (Handicap) विकलांगता शब्द एक दूसरे से भिन्न हैं।
3. समझ सकेंगे कि किस प्रकार सामाजिक स्थितियाँ किसी शारीरिक क्षति के गंभीरता को प्रभावित करती है।

2.3 विकलांगता के क्षेत्र में वर्गीकरण

क्षमता एक तुलनात्मक संप्रत्यय है और इसका स्वरुप शारीरिक के साथ-साथ बौद्धिक, सांवेगिक, मनोगातिक और सामाजिक भी है। सामजिक परिवेश ही क्षमता और अक्षमता को परिभाषित कर इनके मध्य की खाई को पैदा करता है। हमारा इतिहास गवाह है कि अक्षम व् निशक्त जनों के लिए हमारे समाज की सोच संकीर्ण और पूर्वाग्रह से ग्रसित रही है। क्षमता को हम सिर्फ शारीरिक क्षमता से जोड़ कर देखते आयें हैं। इसी कारणवश निशक्त जनों के लिए पूर्व में हमारे संबोधन नकारात्मक रहे है। वर्ष 1981 को संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय विकलांग जन वर्ष के रूप में मनाने का फैसला लिया। यह घोषणा मात्र ही अपने आप में समाज के बदलते नजरिये को प्रदर्शित करता है। इस वर्ष से अनेक कार्यक्रमों की शुरुआत हुई और नए कार्यक्रमों की ओर हम निरंतर उन्मुख होते चले गए जो सामाजिक न्याय को समर्थित करता हो। जिस समाज में विकलांगता का संबंध पूर्व में घृणा और दया से था अब वह अधिकारपूर्ण सामाजिक न्याय एवं भागीदारी से सम्बंधित हो गया। निश्चय ही इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, समूह एवं विभिन्न राष्ट्रीय प्रयासों ने अहम् भूमिका निभाई है।

2.3.1 वर्गीकरण की आवश्यकता

विकलांगता के क्षेत्र में वर्गीकरण एक महत्वपूर्ण और विवादित विषय है। चुकी विकलांगता के क्षेत्र में शुरुआत के लेबेलिंग या वर्गीकरण या नामांकित करने का उद्देश्य उन्हें समाज के अन्य लोगों से कमतर दिखाने से सम्बंधित था। हम कह सकते हैं कि विकलांगता में वर्गीकरण का प्रभाव नकारात्मक माना जाता रहा है। इसे निचा दिखाने और भेदभाव को पैदा करने वाले साधन के रूप भी देखा जाता रहा है। किन्तु विकलांगता में वर्गीकरण आवश्यक है। यह वह साधन है जो आवश्यकता विशेष की पहचान में मदद करता है। इसका संबंध केवल अतिरिक्त जानकारी संग्रह कर मौजूदा सूचना प्रणाली पर बोझ बढ़ना से नहीं वरन समस्याओं के समाधान के लिए अधिक उपयुक्त नीतियों के विकास के लिए यह महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है। वर्गीकरण सरकारी नीतियों, योजनाओं तथा सेवाओं के सटीक क्रियान्वयन में भी मददगार होता है। लाभार्थी के आवश्यकताओं को समझे बिना सटीक नीतियाँ या योजना नहीं बन सकती है। विकलांगता एक समावेशी संतप्रय है जो अनेक प्रकार के विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों या बच्चों को अपने में समाहित करता है। यह तो स्पष्ट है की दृष्टिबाधित एवं गामक विकलांग जन के लिए एक ही प्रकार की पुनर्वास की व्यवस्था सटीक नहीं हो सकती। हमें पहले इनके आवश्यकताओं का अध्ययन करना होगा। अतः उपयुक्त चिकित्सीय सेवा के निर्धारण तथा प्रभावी शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के निर्धारण हेतु वर्गीकरण जरुरी है। पुनः वर्गीकरण हमें सक्षम मानव संसाधन के विकास एवं सम्बंधित क्षेत्र में शोध कार्य में भी मदद करता है।

2.3. 2 वर्गीकरण के आधार

हजारों वर्ष पूर्व समुदायों में अक्षम बच्चे का होना अपमानजनक समझा जाता था तथा विकलांगता को अवांछित समझा जाता था। सामाजिक स्तर पर इन प्रभावित व्यक्तियों को एक योगदान देने वाले नागरिक के रूप में नहीं समझा जाता था। इतिहास में विकलांगता को सजा का प्रतीक समझा गया। यह भी मान्यता रही

कि विकलांगता पाप का प्रतिफल है. अवमानना और अस्वीकृति अलगाव और गाली से निरन्तर स्थानान्तरण सैकड़ों वर्षों में हुआ और सहानुभूति, भिक्षादान और परोपकारिता ने इसका स्थान लिया। असमर्थ व्यक्तियों के लिये सकारात्मक प्रवृति के विकास के क्रम में समाज ने विकलांग जनों की स्वतन्त्रता की आवश्यकता की जरूरत समझी। नवीनतम विकास के क्रम में अवमानना तथा सहानुभूति दोनों को पूर्वाग्रह से ग्रसित माना जाता है। असमर्थ व्यक्ति भी समाज में आर्थिक रूप से स्वतन्त्र और समाज में` सुदृढ़ वैयक्तिक पहचान बना सकें इसके लिए अब अधिकार आधारित सामाजिक न्याय के संकल्पना को प्रोत्साहित किया जा रहा है। विकलांग जनों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा पारित की गई कन्वेंशन यूएनसीआरपीडी(2006) के अनुसार भी विकलांगता का संबंध उन व्यवहारगत और पर्यावरण बाधाओं से है जो व्यक्ति को समाज में अन्य लोगों के साथ एक समान-आधार पर उनकी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी से रोकती है।

विकास के क्रम में विकलांगता के प्रति विभिन्न बदलते मान्यताओं में ही विकलांगता के वर्गीकरण का आधार समाहित होता है। हम यह भी कह सकते हैं की सामाजिक मान्यताएं ही वर्गीकरण के आधारभूत सिद्धांतों को जन्म देती है। विकलांगता के वर्गीकरण हेतु इसके विभिन्न वैचारिक मॉडल भी हैं, जो विकलांगता के सम्पूर्ण समझ का आधार बनती है. आएं हम इसके दो महत्वपूर्ण वैचारिक मॉडल की चर्चा करते हैं, जो है-चिकित्सा मॉडल तथा सामाजिक मॉडल।

चिकित्सा मॉडल विकलांगता को एक चिकित्सीय/मेडिकल घटना के रूप में विश्लेषित करता है। कुछ शारीरिक, बौद्धिक, मनोवैज्ञानिक और मानसिक अपंगता वाले व्यक्ति को विकलांग के रूप में लिया जाता है। यह विकलांगता को एक विशेषता के रूप में देखता है, जो रोग या, आघात से उत्पन्न हुए है। अर्थात इस मॉडल के अनुसार, विकलांगता व्यक्ति में निहित है। इसमें इलाज, उपचार और पुनर्वास के माध्यम से पर्यावरण के साथ समायोजन को निर्धारित करता है। फलस्वरूप इस मॉडल में विकलांगता के क्षेत्र में पेशेवर स्वस्थ्यकर्मी द्वारा इलाज या चिकित्सीय देखभाल की आवश्यकता होती है।

इसके विपरीत सामाजिक मॉडल सामाजिक मॉडल विकलांगता सामाजिक आधारों पर निर्धारित होती हैं। वेन्डेल (1996) ने अपनी पुस्तक 'दी रिजेक्टेड बॉडी' में विकलांगता को एक सामाजिक घटना बताया है। वह मानतीं है कि किसी भी रोग या हानी को सामाजिक स्थितियाँ प्रभावित करती हैं और यह प्रभाव आसानी से देखा या समझा जाने वाला होता है। इन्ही मान्यताओं पर आधारित दूसरा मॉडल है जिसे सामाजिक मॉडल कहते हैं। सामाजिक मॉडल में विकलांगता को एक समाज द्वारा उत्पन्न समस्या के रूप में देखा जाता है। चुकि गैर-अनुग्रही भौतिक परिवेश सामाजिक वातावरण को सुनिश्चित करता है इसलिए सामाजिक मॉडल में, विकलांगता राजनीतिक प्रतिक्रिया की मांग करता है। पुनः कानूनी या योजना के अंतर्गत सुविधाओं को मुहैया करने के लिए भी सरकार वर्गीकरण के स्वरुप को निर्धारित करती है. भारत सरकार के सर्वेक्षण 2011 के अनुसार भी विकलांगता का वर्गीकरण किया गया है।

2.4 आई.सी.आई.डी.एच. (ICIDH)

अनेक वर्षों से चल रहे प्रयासों के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 1980 में क्षति, अक्षमता तथा नि:शक्तता का अंतराष्ट्रीय वर्गीकरण- आई.सी.आई.डी.एच. (International Classification of Impairments, Disabilities, and Handicaps - ICIDH) नामक मैन्युअल प्रकाशित किया। इसका उपयोग नियमित स्वास्थ्य के आंकड़ों से लेकर स्वास्थ्य सेवा योजना, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक प्रशासन और सामाजिक नीति में अनुप्रयोगों तक विस्तारित है। इस मैन्युअल में बीमारी के परिणामस्वरूप उत्पन्न तीन भिन्न और स्वतंत्र वर्गीकरण को शामिल किया गया। आई.सी.आई.डी.एच. में वर्गीकरण का आधार निम्न रेखीय प्रगमन को माना गया और इसीलिए आई.सी.आई.डी.एच. को मेडिकल मॉडल पर आधारित वर्गीकरण भी माना जाता है।

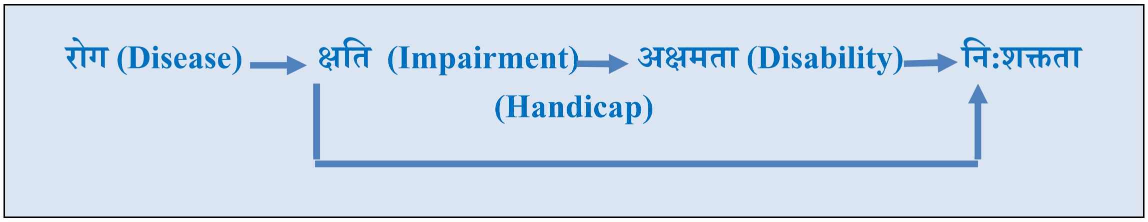

रोग एक आतंरिक स्थिति (विषमता/हानि) को सूचित करता है, क्षति आतंरिक स्थिति के बाह्य-प्रदर्शित होने से सम्बंधित है, अक्षमता हानि के वस्तुनिष्ठिकरण से सम्बंधित है जबकि नि:शक्तता हानि के समाज मूलक संबंधों को इंगित करता है। बाद में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने माना की इस रेखीय संरचना को विकलांगता के वर्गीकरण का सटीक आधार नहीं माना जा सकता। फलस्वरूप कई सुधार प्रस्तावित किए गए और नवीन संस्करण (आई.सी.एफ.) में संशोधित मॉडल को अपनाया गया, जिसकी चर्चा हम इसी इकाई के अगले खंड में करेंगे। आइए पहले हम आई.सी.आई.डी.एच. के तीन संकल्पनाओं को बारी–बारी से समझने का प्रयत्न करते हैं।

2.4.1 क्षति (Impairment)

"स्वास्थ्य अनुभव के संदर्भ में, **क्षति** शारीरिक, मनोवैज्ञानिक या संरचनात्मक कार्य अथवा संरचना से सम्बंधित विषमता या हानि है"

"In the context of health experience, impairment is any loss or abnormality of psychological, physiological, or anatomical structure or function"

(WHO-ICIDH, 1980)

इस परिभाषा के दो पहलुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। पहला कि 'क्षति' विकार या दोष (Disorder) से ज्यादा व्यापक शब्द है जो हानि को भी अपने में शामिल करता है। जैसे एक हाथ का न होना क्षति है किन्तु विकार या दोष नहीं है। दूसरा क्षति क्रियात्मक सीमाओं या विषमताओं को भी समावेशित करता है। जबकि आई.सी.आई.डी.एच. के ड्राफ्ट में क्रियात्मक सीमाओं या विषमताओं को अक्षमता का हिस्सा माना गया था। सैधांतिक रूप से 'क्षति' अंग स्तर पर गड़बड़ी प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका संबंध किसी भी कारण से उत्पन्न हुए शरीर संरचना और उपस्थिति या, अंग या प्रणाली समारोह की असामान्यताओं से है।

प्राथमिक रूप से क्षति की परिभाषा मानक पर आधारित शारीरिक और मानसिक कार्यत्मकता के निर्धारकों पर आधारित है। क्षति, व्यक्ति में जैव-चिकित्सीय मानक स्थिति से विचलन को इंगित है। यह असामान्यता की स्थिति है, जो एक ऊतक, अंग, अंग-तंत्र या शरीर के अन्य संरचना में विसंगति, दोष, या हानि, या कार्यात्मक (मानसिक क्रियाओं की प्रणाली सहित) दोष को दर्शाता है। इसमें सीमाएं या हानि अस्थायी या स्थायी हो सकते हैं। स्थिति किस प्रकार उत्पन्न तथा विकसित हुई है, इनके कारणों पर 'क्षति' निर्भर नहीं करता है। यधपि रोग से 'क्षति' की स्थिति आती है फिर भी क्षति की स्थिति के लिए रोग का होना भी आवश्यक नहीं है। पुनः क्षति मानक से विचलन को बताती है किन्तु, प्रत्येक विचलन 'क्षति' हो यह आवश्यक नहीं है।

2.4.2 अक्षमता (Disability)

"स्वास्थ्य अनुभव के संदर्भ में, व्यक्ति के लिए सामान्य माने जाने वाले क्रियाओं की श्रेणी में सामान्य रूप से गतिविधि प्रदर्शन करने की क्षमता में बाधा या कमी (जो क्षति से उत्पन्न हुई है) **अक्षमता** है"

"In the context of health experience, a disability is any restriction or lack (resulting from an impairment) of ability to perform an activity in the manner or within the range considered normal for a human being"

(WHO-ICIDH, 1980)

व्यक्ति द्वारा गतिविधि और कार्यात्मक प्रदर्शन के संदर्भ में 'अक्षमता' क्षति के परिणाम को दर्शाता है। अक्षमता इस प्रकार व्यक्ति के स्तर पर गड़बड़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक ओर जहाँ क्षति (Impairment) शरीर के कुछ हिस्सों के अलग अलग कार्यों के साथ संबंध है और यह एक आदर्शवादी धारणा जो पूर्णता में क्षमता को दर्शाती है। दूसरे ओर, अक्षमता (Disability) का संबंध व्यक्ति के या उसके पूरे रूप में शरीर के कार्य, कौशल, और व्यवहार से परिलक्षित होने वाले एकीकृत और मिश्रित गतिविधियों से है। अक्षमता चुकि क्षति तथा नि:शक्तता के बीच लिंक प्रदान करता है इसलिए इसकी अवधारणा कुछ हद तक अस्पष्ट प्रतीत होती है। इसकी अवधारणा प्रथानुसार अपेक्षित व्यवहार या गतिविधि की कमी या अधिकता से वर्णित होती है जो अस्थायी या स्थायी, परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय, और प्रगतिशील या प्रतिगामी हो सकते है। इसकी प्रमुख

विशेषता वस्तुनिष्ठता से संबंधित है। वस्तुनिष्ठता एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति की कार्यात्मक सीमाएं उसके रोजमर्रा की जिंदगी में एक वास्तविकता के रूप में प्रकट हो जाती हैं। दूसरे शब्दों में, जब व्यक्ति को अपनी पहचान में परिवर्तन के बारे में पता हो जाता है अक्षमता रूप ले लेता है। एकीकृत शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक संदर्भ में क्रियात्मकता को हमारे प्रथागत सोच नकारते आये है। हम सामान्यतः सामाजिक और शारीरिक पहलुओं पर क्रियात्मकता व् क्षमता को अलग-अलग नहीं देख पाते हैं। आई।सी।आई।डी।एच के अनुसार किसी एक को कहना है कि उसमें अक्षमता है (has a disability) तुलनात्मक रूप से तटस्थता शब्द है। जबकि किसी को कहना कि वह अक्षम है (is disabled), अधिक स्पष्ट और हानिकर हो जाते हैं।

2.4.3 नि:शक्तता (Handicap)

“स्वास्थ्य अनुभव के संदर्भ में, एक व्यक्ति के लिए **नि:शक्तता**, क्षति या अक्षमता से उत्पन्न सीमा के रूप में है जो उस व्यक्ति विशेष एक सामान्य भूमिका (उम्र, लिंग, और सामाजिक व् सांस्कृतिक कारकों के अनुरूप) की पूर्ति होने में बाधा लाता है या रोकता है”

“In the context of health experience, a handicap is a disadvantage for a given individual, resulting from an impairment or a disability, that limits or prevents the fulfillment of a role that is normal (depending on age, sex, and social and cultural factors) for that individual”

(WHO-ICIDH, 1980)

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वयं ही नि:शक्तता (HandHandicap*Handicap*) को एक विवादित अवधारणा माना है। इस अवधारणा के तीन महत्वपूर्ण विशेषताएँ ध्यान देने योग्य हैं:

- इसके अंतर्गत व्यक्ति के स्वयं के या किसी समूह/साथियों के प्राथमिकता एवं मूल्यों में विस्थापन देखा जाता है (संरचनात्मक एवं कार्यात्मक मानदंडों से अलग हो जाते हैं).
- इस अवधारणा के लिए समय, स्थान, स्थिति और भूमिका सभी महत्वपूर्ण है. यानी एक व्यक्ति एक परिवेश में निशक्त हो सकता है तो दूसरे परिवेश में निशक्त नहीं भी हो सकता है;
- इस अवधारणा में आकलन प्रभावित व्यक्ति के सीमाओं का ही होता है।

क्षति और अक्षमता के एक परिणाम के रूप में नि:शक्तता का संबंध व्यक्ति द्वारा अनुभव किए जाने वाले सीमाओं तथा बाधाओं से है। व्यक्ति का उसके परिवेश के साथ अनुक्रिया और अनुकूलन नि:शक्तता को प्रतिबिंबित करता है। व्यक्ति की स्थिति या प्रदर्शन और समूह विशेष की अपेक्षाओं (जिसका वह एक सदस्य है) के बीच एक मतभेद या अंतर ही नि:शक्तता को विशेषित करता है। अपने पास के वातावरण या यूनिवर्स के

मानकों के अनुरूप करने में असमर्थ होने की स्थिति सीमाओं एवं बाधाओं की वृद्धि करती है। इस प्रकार नि:शक्तता एक सामाजिक घटना है। क्षति, या अक्षमता की स्थिति सामाजिक और पर्यावरणीय परिणामों द्वारा नि:शक्तता में बदल जाती है। इसलिए नि:शक्तता में प्रभावित व्यक्ति के स्वयं का प्रयोजन कोई खास मायने नहीं रखता है।

ओरिएंटेशन, शारीरिक स्वतंत्रता, गतिशीलता, व्यवसाय, सामाजिक एकीकरण और आर्थिक आत्मनिर्भरता सामाजिक अनुभव के महत्वपूर्ण आयाम के रूप में माने गए हैं। इन आयामों पर अपने समाज के मानदंडों के अनुसार व्यक्ति की क्षमता बाधित हो सकती है। इन सभी आयामों में परिस्थितियों के लिए बदलाव संभव है। निशक्त होने की स्थिति अन्य लोगों के सापेक्ष है। इसलिए समाज की मौजूदा संस्थागत व्यवस्था जो सामाजिक मूल्यों की महत्ता को बनाती है, का महत्वपूर्ण स्थान है। इस प्रकार गैर-निशक्त लोगों की अभिवृति तथा प्रतिक्रिया एक केंद्रीय भूमिका के रूप में उभर कर आती है।

अभ्यास प्रश्न

1. टेबल 'अ' तथा टेबल 'ब' में मिलान करें:

टेबल 'अ'	**टेबल 'ब'**
1. रोग Disease	क. वस्तुनिष्ठिकरण Objectification
2. क्षति Impairment	ख. समाजमूलक Socialized
3. अक्षमता Disability	ग. आंतरिक स्थिति Intrinsic Situation
4. नि:शक्तता Handicap	घ. बाह्य-प्रदर्शन Exteriorized

2. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष __________ में आई.सी.आई.डी.एच. को प्रथम बार प्रकाशित किया था।

3. _____________ अंग स्तर के हानि को इंगित करता है।

4. आई.सी.आई.डी.एच. के अनुसार _________________ सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारकों द्वारा भी निर्धारित होता है।

2.5 आई.सी.एफ. (ICF)

क्रियात्मकता, विकलांगता तथा स्वास्थ्य के अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण (International Classification of Functioning, Disability and Health) जो सामान्यतः आई.सी.एफ.(ICF) के नाम से जाना जाता है और यह स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी स्थितियों हेतु मानक भाषा और रूपरेखा का विवरण प्रदान करता है। यह स्वास्थ्य और स्वास्थ्य से संबंधित ज्ञान-क्षेत्र (डोमेन) का एक वर्गीकरण है। वह ज्ञान-क्षेत्र जो शरीर क्रियाओं और संरचना में परिवर्तन को समझने में, एक मानक वातावरण में एक व्यक्ति का शरीर किसी स्वास्थ्य स्थिति के साथ क्या कर सकता हैं को जानने में, साथ ही साथ अपने सामान्य वातावरण में वास्तव में किए जाने वाले कार्यों को वर्णन करने में हमें मदद करता है। इस वर्गीकरण के पुरे नाम के पहले अक्षर को देखें तो इसका नाम आई.सी.एफ.डी.एच. होता है। किन्तु इसे आई.सी.एफ. कहते हैं। इसकी वजह यह है की यह वर्गीकरण विकलांगता पर केन्द्रित न होकर, स्वास्थ्य और क्रियात्मकता पर केन्द्रित है। अतः कामकाज के रूप में इसका नाम आई.सी.एफ. है। यह एक क्रांतिकारी बदलाव है को इंगित करता है कि विकलांगता पर बल देने के बजाय अब स्वास्थ्य स्तर पर ध्यान दिया जा रहा है।

2.5.1 आई.सी.एफ. के मॉडल

जैसा की हमें जाना है कि विकलांगता के दो प्रमुख वैचारिक मॉडल हैं- चिकित्सा मॉडल तथा सामाजिक मॉडल। चिकित्सा मॉडल विकलांगता को व्यक्ति की एक विशेषता के रूप में देखता है, जो रोग या, आघात से उत्पन्न हुए है तथा जिसमे पेशेवर स्वस्थ्यकर्मी द्वारा इलाज या चिकित्सीय देखभाल की आवश्यकता होती है। विकलांगता के इस मॉडल में व्यक्ति के समस्या को दूर करने के लिए चिकित्सा, अन्य उपचार या हस्तक्षेप की बात होती है। दूसरी ओर, सामाजिक मॉडल में विकलांगता को एक समाज द्वारा उत्पन्न समस्या के रूप में देखा जाता है न कि व्यक्ति के शारीरिक और चिकित्सीय स्थिति पर। सामाजिक मॉडल में, विकलांगता राजनीतिक प्रतिक्रिया की मांग करता है क्योंकि गैर-अनुग्रही भौतिक परिवेश सामाजिक वातावरण को सुनिश्चित करता है। दोनों मॉडल में कोई मॉडल पर्याप्त नहीं है किन्तु दोनों आंशिक रूप से सही हैं। विकलांगता एक जटिल घटना है जो व्यक्ति के स्तर की समस्या या बाधा के साथ-साथ सामाजिक घटना भी है। दोनों मॉडल के संश्लेषण से सृजित नए मॉडल को आई.सी.एफ. द्वारा एक बेहतर मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया गया। चिकित्सा और सामाजिक मॉडल के एकीकरण से निर्मित इस मॉडल को बायोसाइकोसोशल मॉडल कहते है। निम्न आरेख आई.सी.एफ. के लिए आधार है तथा यह विकलांगता के बायोसाइकोसोशल मॉडल का एक प्रतिनिधित्व है:

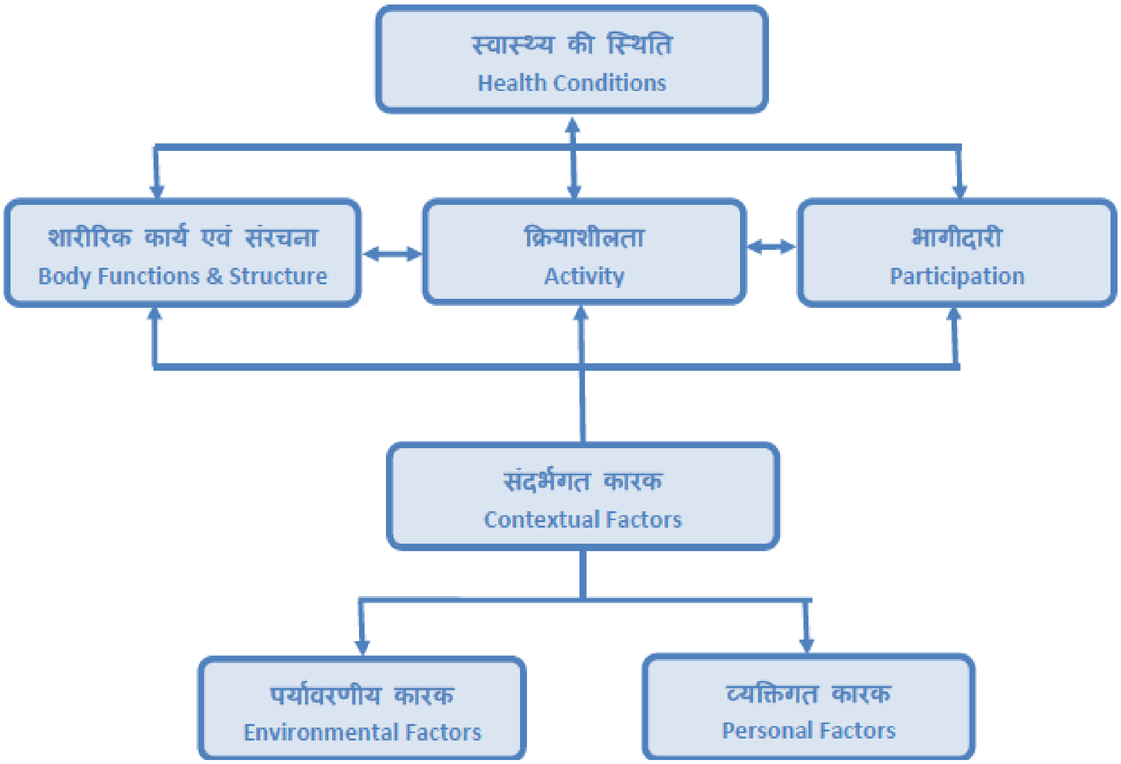

2.5.2 आई.सी.एफ का अनुप्रयोग

आई.सी.एफ. नीति निर्धारण, आर्थिक आकलन, शोध कार्य, वातावरण निर्माण, सटीक हस्तक्षेप आदि कई क्षेत्रों में किया जा सकता है। इसके अनप्रयोग को निम्न चार्ट द्वारा बेहतर ढंग से समझ सकते हैं:

व्यक्तिगत स्तर पर	संसथान स्तर पर	समाज स्तर पर
• व्यक्ति के क्रियात्मकता के आकलन में. • व्यक्ति के उपचार की योजना में. • हस्तक्षेप तथा उपचार के आकलन में. • मेडिकल प्रोफेशनल के मध्य सटीक सम्प्रेषण स्थापित करने में. • लाभार्थी के स्व-मूल्यांकन में.	• शिक्षण तथा प्रशिक्षण के लिए • संसाधन के योजना तथा विकास में. • सेवा के गुणवत्ता सुधारने में. • प्रबंधन तथा परिणाम के मूल्यांकन में • स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने हेतु प्रभावी मॉडल के विकास में.	• सामाजिक न्याय सम्बन्धी योजनाओं के लिए पात्रता निर्धारण में. • सामाजिक नीतियों के विकास तथा पुनरीक्षण में. • आवश्यकता आकलन में- जिससे नीतियाँ निर्धारित हों. • यूनिवर्सल डिजाइन या सुगम वातावरण के आकलन में.

2.5.3 आई.सी.एफ. के सिद्धांत

स्वास्थ्य तथा विकलांगता के वर्गीकरण के रूप में आई.सी.एफ. के बुनियादी सामान्य सिद्धांत निम्न हैं, जोकि बायोसाइकोसोशल (Biopsychosocial) मॉडल पर आधारित हैं। ये सिद्धांत आई.सी.एफ. के मॉडल के आवश्यक घटक हैं और ये संशोधन की प्रक्रिया निर्देशित करती हैं।

सार्वभौमता (Universality)- स्वास्थ्य की स्थिति पर ध्यान दिए बिना, क्रियात्मकता और विकलांगता का वर्गीकरण सभी लोगों पर लागू होना जाना चाहिए। इसलिए, आई.सी.एफ. सभी लोगों के बारे में है। यह हर किसी के क्रियात्मकता का सवाल है। अतः इसे विकलांग व्यक्तियों को एक अलग समूह के रूप में लेबलिंग करने वाला एक उपकरण नहीं बनाने देना चाहिए।

समानता (Parity)- प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, क्रियात्मकता और विकलांगता के वर्गीकरण को केवल संरचना आधारित स्वास्थ्य स्थितियों में अंतर (जैसे- मानसिक और शारीरिक) नहीं करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, विकलांगता में एटियलजि (etietiology) आधारित भेदभाव नहीं होना चाहिए।

निष्पक्षता (Neutrality)- जहाँ तक संभव हो क्रियात्मकता और विकलांगता के वर्गीकरण में निष्पक्ष भाषा का प्रयोग होना चाहिए। यानी प्रत्येक ज्ञान-क्षेत्र के पहलूओं को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों पर अभिव्यक्त करना चाहिए।

पर्यावरणीय कारक (Environmental Factors)- विकलांगता के सामाजिक मॉडल को पूरा करने के क्रम में, आई.सी.एफ. में संदर्भगत कारकों को सूचीबद्ध किया गया है, जिसमे पर्यावरणीय कारक भी शामिल हैं। इनमें भौतिक कारक (जैसे जलवायु और इलाका) से लेकर सामाजिक अभिवृति, संस्थान तथा नीतियाँ शामिल हैं।

हमने इस बात को समझा है कि यह स्वास्थ्य और विकलांगता के लिए परिभाषा, माप और नीति निर्धारण के लिए वैचारिक आधार है। यह हमें एक अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक उपकरण प्रदान करता है। यह उपकरण एक प्रतिमान-बदलाव भी है जो हमें विशुद्ध मेडिकल मॉडल वाले दृष्टिकोण से एकीकृत जैविक-मनोवैज्ञानिक-सामाजिक (biopsychosocial) मॉडल की ओर ले जाता है। यह अपने सभी आयामों (अंग या व्यक्ति स्तर पर क्षति, व्यक्ति स्तर गतिविधि में बाधा और सामाजिक स्तर पर भागीदारी की बाधा) के साथ विकलांगता में अनुसंधान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपकरण है। कई देशों ने आई.सी.एफ. के मॉडल को विकलांगता के क्षेत्र में कानून और सामाजिक नीति बनाने का आधार बना कर पेश गया है।

आई.सी.एफ. विश्व स्तर पर, क्रियात्मकता और विकलांगता के सभी आयामों से संबंधित डेटा के मानकीकरण का आवश्यक आधार भी बन सकता है। अर्थशास्त्र की भी दृष्टि से भी यह विकलांगता एवं स्वास्थ्य संबधी देखभाल के लागत को समझने तथा हस्तक्षेप कार्यक्रम के मूल्यांकन में मदद कर सकता है। यह अपने स्वास्थ्य की देखभाल और पुनर्वास की जरूरतों की पहचान के लिए ही नहीं, वरन शारीरिक और सामाजिक वातावरण

के प्रभाव की पहचान करने और मापने में भी प्रयोग में लाया जा सकता है। अंत में सिर्फ इतना कहा जा जाना चाहिए की विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रयास से विकसित यह वर्गीकरण स्वास्थ्य से संबंधित क्षेत्रों के लिए क्रियात्मकता और विकलांगता का एक व्यापक और सार्वभौमिक वर्गीकरण है।

अभ्यास प्रश्न

5. आई.सी.एफ. किस मॉडल पर आधारित है:
  i. सामाजिक
  ii. मेडिकल
  iii. कार्मिक
  iv. बायोसाइकोसोशल

6. दिए गए विकल्पों में से कौन सा आई.सी.एफ. का एक बुनियादी सिद्धांत है:
  i. लचीलापन
  ii. दूरदर्शिता
  iii. सर्वभौमिकता
  iv. पारदर्शिता

7. आई.सी.एफ. का अनुप्रयोग निम्न दिए विकल्पों में किस में संभव नहीं या सबसे कम है:
  i. विकलांगो हेतु योजना निर्माण में
  ii. सटीक उपचार के चुनाव में
  iii. आवश्यकता के आकलन में
  iv. विद्यालय हेतु यूनिफार्म सिलवाने में

2. 6 सारांश

विकलांगता के क्षेत्र में वर्गीकरण एक महत्वपूर्ण और विवादित विषय है। एक तरफ विकलांगता में वर्गीकरण का प्रभाव नकारात्मक माना जाता रहा है। जबकि दूसरी ओर उपयुक्त नीतियों के विकास, योजनाओं के सटीक क्रियान्वयन, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के निर्धारण तथा प्रभावी शिक्षण-प्रशिक्षण के लिए यह महत्वपूर्ण है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 1980 में क्षति, अक्षमता तथा नि:शक्तता का अंतराष्ट्रीय वर्गीकरण (आई.सी.आई.डी.एच.) को अस्तित्व में लाया। इस वर्गीकरण में बीमारी के परिणामस्वरूप उत्पन्न तीन भिन्न और स्वतंत्र संकल्पनाओं को शामिल किया गया। इस वर्गीकरण का आधार एकरेखीय प्रगमन (रोग से क्षति, क्षति से अक्षमता तथा अक्षमता से नि:शक्तता) को माना गया। रोग एक आतंरिक स्थिति (विसमता/हानि) को सूचित करता है, क्षति आतंरिक स्थिति के बाह्य-प्रदर्शित होने से सम्बंधित है, अक्षमता हानि के वस्तुनिष्ठीकरण से सम्बंधित है जबकि नि:शक्तता हानि के समाज मूलक संबंधों को इंगित करता है।

स्वास्थ्य अनुभव के संदर्भ में, क्षति मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, या, संरचनात्मक कार्य या संरचना से सम्बंधित विषमता या हानि है। जबकि, व्यक्ति के लिए सामान्य माने जाने वाले क्रियाओं की श्रेणी में सामान्य रूप से गतिविधि प्रदर्शन करने की क्षमता में बाधा या कमी (जो क्षति से उत्पन्न हुई है) अक्षमता है। पुनः एक व्यक्ति के लिए नि:शक्तता, क्षति या अक्षमता से उत्पन्न सीमा के रूप में है जो उस व्यक्ति विशेष एक सामान्य भूमिका (उम्र, लिंग, और सामाजिक व् सांस्कृतिक कारकों के अनुरूप) की पूर्ति होने में बाधा लाता है या रोकता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2000 में आई.सी.आई.डी.एच. का नया संस्करण प्रस्तुत किया जो आई.सी.एफ.(ICF) के नाम से जाना जाता है। यह स्वास्थ्य और स्वास्थ्य से संबंधित ज्ञान-क्षेत्र का एक वर्गीकरण है। इस वर्गीकरण के पुरे नाम (International Classification of Functioning, Disability and Health) के पहले अक्षर को देखें तो इसका नाम आई।सी।एफ।डी।एच। होता है। किन्तु इसे विकलांगता पर केन्द्रित न होकर, स्वास्थ्य और क्रियात्मकता पर केन्द्रित बनाने की सोच से इसे आई।सी।एफ। कहते हैं। यह मेडिकल तथा सामाजिक मॉडल के संश्लेषण से सृजित नए मॉडल (बायोसाइकोसोशल मॉडल) पर आधारित है। सार्वभौमिकता, समानता, निष्पक्षता तथा पर्यावरणीय कारक आई.सी.एफ. के बुनियादी सिद्धांत हैं। यह हमें एक अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक उपकरण प्रदान करता है। कई देशों ने आई.सी.एफ. के मॉडल को विकलांगता के क्षेत्र में कानून और सामाजिक नीति बनाने का आधार बना कर पेश गया है। यह वर्गीकरण स्वास्थ्य से संबंधित क्षेत्रों के लिए क्रियात्मकता और विकलांगता का एक व्यापक और सार्वभौमिकता वर्गीकरण है।

2.7 शब्दावली

1. आई.सी.आई.डी.एच.- विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 1980 में आई.सी.आई.डी.एच. (International Classification of Impairments, Disabilities, and Handicaps - ICIDH) नामक विकलांगता के क्षेत्र में वर्गीकरण स्थापित किया। यह मूलतः क्षति, अक्षमता तथा नि:शक्तता का अंतराष्ट्रीय मानक वर्गीकरण करने को उद्घोषित था।
2. क्षति- क्षति(Impairment) मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, या, संरचनात्मक कार्य या संरचना से सम्बंधित विषमता या हानि है।
3. अक्षमता- व्यक्ति के लिए सामान्य माने जाने वाले क्रियाओं की श्रेणी में सामान्य रूप से गतिविधि प्रदर्शन करने की क्षमता में बाधा या कमी (जो क्षति से उत्पन्न हुई है) अक्षमता(Disability) है।
4. नि:शक्तता- एक व्यक्ति के लिए नि:शक्तता(Handicap), क्षति या अक्षमता से उत्पन्न सीमा के रूप में है जो उस व्यक्ति विशेष की सामान्य भूमिका (उम्र, लिंग, और सामाजिक व् सांस्कृतिक कारकों के अनुरूप) की पूर्ति होने में बाधा लाता है या रोकता है।
5. आई.सी.एफ.(ICFIICF) – आई.सी.एफ.(International Classification of Functioning, Disability and Health) मूलतः आई.सी.आई.डी.एच. का व्यापक एवं विकसित रूप है। यह बायो-साइको-सोशल(biopsycosocial) मॉडल पर आधारित वर्गीकरण है।

2.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. **1-** ग
   2- घ
   3- क
   4- ख
2. 1980
3. क्षति (Impairment)
4. नि:शक्तता (Handicap)
5. बायोसाइकोसोशल
6. सर्वभौमिकता
7. विद्यालय हेतु यूनिफार्म सिलवाने में

2.9 संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. Government of India (2012). Manual on Disability Statistic. Ministry of Statistics and Programme Implementation. Central Statistics Office, Sansad Marg, New Delhi
2. Wendell, S. (1996). The Rejected Body: Feminist Philosophical Reflections on Disability, New York: Routledge.
3. World Health Organization (1980). International Classification of Impairments, Disabilities, and Handicaps. Geneva: WHO.
4. World Health Organization (2000). International Classification of Functioning, Disability and Health. Geneva: WHO, 2000.

2.10 सहायक उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. World Health Organization (1980). International Classification of Impairments, Disabilities, and Handicaps. Geneva: WHO.
2. World Health Organization (2002). Towards a Common Language for Functioning, Disability and Health: ICF. Geneva: WHO.

3. World Health Organization (2012). Measuring Health and Disability: Manual to use WHO Disability Assessment Schedule 2.0 (WHODAS 2.0). Geneva: WHO.

2.11 निबन्धात्मक प्रश्न

1. विकलांगता के क्षेत्र में वर्गीकरण की आवश्यकता, महत्ता तथा सीमाओं पर प्रकाश डालें।

2. विश्व स्वास्थ्य संगठन के आई.सी.आई.डी.एच. (ICIDH-1980) के अनुसार क्षति (Impairment), अक्षमता तथा नि:शक्तता के प्रत्यय को समझाएं।

3. विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विकसित आई.सी.एफ. विकलांगता के क्षेत्र में एक वर्गीकरण के साथ साथ एक मॉडल भी प्रस्तुत करता है, व्याख्या करें।

4. आई.सी.एफ. के विभिन्न सिधान्तों पर संक्षिप्त टिप्पणी दें।

इकाई 3 विशिष्ट बालकों के प्रकार

3.1 प्रस्तावना
3.2 उद्देश्य
3.3 विशिष्ट बालकों के प्रकार
3.4 प्रतिभाशाली बालक
3.4.1 प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं
3.5 मानसिक मंद बालक
3.5.1 मानसिक मंद बालक की विशेषताएं
3.6 दृष्टि अक्षम बालक
3.6.1 दृष्टि अक्षम बालक की विशेषताएं
3.7 श्रवण ह्रास से ग्रसित बालक
3.7.1 श्रवण ह्रास से ग्रसित बालक की विशेषताएं
3.8 भाषा-दोष से ग्रसित बालक
3.8.1 भाषा-दोष से ग्रसित बालक की विशेषताएं
3.9 सारांश
3.10 शब्दावली
3.11 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
3.12 संदर्भग्रंथ सूची
3.13 सहायक/ उपयोगी पाठ्यसामग्री
3.14 निबंधात्मक प्रश्न

3.1 प्रस्तावना

विशेष आवश्यकता वाले बालकों के संप्रत्यय को समझने के लिए यह भी जानना आवश्यक है कि विशिष्ट बालक कितने प्रकार के होते हैं? उनकी प्रकृति क्या है? उनकी विशेषताएं क्या हैं? प्रस्तुत इकाई में विशिष्ट बालक के प्रकार पर विस्तृत परिचर्चा प्रस्तुत है।

इस इकाई के अध्यायानोंपरांत आप विशिष्ट बालक के प्रकारों को गिना सकेंगें तथा उनके प्रकृति एवं विशेषताओं का वर्णन कर सकेंगे।

3.2 उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई के अध्ययनोपरांत आप

1. विशिष्ट बालकों के प्रकारों को गिना सकेंगें।
2. विशिष्ट बालकों के विभिन्न प्रकारों के अर्थ को स्पष्ट कर सकेंगे।
3. विशिष्ट बालकों के विभिन्न प्रकारों की प्रकृति को स्पष्ट कर सकेंगें।
4. विशिष्ट बालकों के विभिन्न प्रकारों की विशेषताओं को स्पष्ट कर सकेंगें।
5. विशिष्ट बालकों के विभिन्न प्रकारों के मध्य अंतर स्पष्ट कर सकेंगे।
6. विशिष्ट बालकों के विभिन्न वर्गीकरण के आधारों को स्पष्ट कर सकेंगे।

3.3 विशिष्ट बालकों के प्रकार

विशिष्ट बालकों से हमारा तात्पर्य उन बालकों से है जो बालक किसी गुण विशेष के सन्दर्भ में सामान्य से अधिक दूरी पर स्थित होते हैं जिससे इन बालकों का अधिगम एवं अनुकूलन प्रभावित होता है। कुछ बालक मानसिक योग्यताओं तथा शक्तियों को लेकर बुद्धि एवं विवेक के बहुत ही ऊँचे स्तर पर विराजमान होकर प्रतिभाशाली एवं होनहार के रूप में दिखाई देते हैं जबकि कुछ बालकों में इस प्रकार की मानसिक योग्यताओं की जरूरत से ज्यादा कमी पाई जाती है और वे अपने सामान्य साथियों से काफी पिछड़े हुए दिखाई देते हैं और अपने इस पिछड़ेपन के कारण मानसिक रूप से पिछड़े बालक, शैक्षणिक रूप से पिछड़े बालक या धीमी गति से पढ़ने वाले बालक के रूप में उन्हें अपनी विशेष न्यूनताओं और क्षमताओं के आधार पर कई इस तरह के विशेषण दिए जाते हैं। यही बात व्यक्ति के अन्य आयामों- संवेगात्मक, सामाजिक तथा नैतिक आदि को लेकर भी है। यहाँ भी कुछ बालकों को आप इन आयामों के सन्दर्भ में धनात्मक तथा ऋणात्मक दिशाओं में बहुत अधिक दूरी तय करते हुए पा सकते हैं।

मनोवैज्ञानिकों ने विशिष्ट बालकों या असाधारण बालकों के कई प्रकार बताये हैं । हेवार्ड तथा औरलेंसकी (Heward and Orlansky, 1980) के अनुसार विशिष्ट बालकों के निम्नवत प्रकार होते हैं-

i. प्रतिभाशाली या प्रवीण बालक
ii. मानसिक मंद बालक
iii. अधिगम असमर्थ बालक
iv. व्यवहार रोगों से ग्रसित बालक
v. संचार रोगों जैसे- भाषा दोष से ग्रसित बालक
vi. श्रव्य-दोष से ग्रसित बालक
vii. दृष्टि-दोष से ग्रसित बालक
viii. शारीरिक एवं अन्य स्वास्थ्य क्षति से ग्रसित बालक
ix. गंभीर एवं बहु-विकलांगता से ग्रसित बालक

रिली एवं लेविस (Reilly and Lewis, 1983) ने विशिष्ट बालकों को निम्नांकित छः भागों में बांटा है-

i. प्रतिभाशाली बालक
ii. मानसिक मंद बालक
iii. अधिगम असमर्थ बालक
iv. मानसिक रोग से ग्रसित बालक
v. शारीरिक रूप से विकलांग बालक
vi. बहु-विकलांगता से ग्रसित बालक

इस तरह आप देखते हैं कि विशिष्ट बालक की श्रेणी में प्रतिभासंपन्न एवं प्रतिभाहीन दोनों तरह के बालक आते हैं। इन विभिन्न श्रेणियों में पांच तरह के विशिष्ट बालको की अधिकता देखने को मिलती है-

i. प्रतिभाशाली बालक
ii. मानसिक मंद बालक
iii. दृष्टि अक्षम बालक
iv. श्रवण ह्रास से ग्रसित बालक
v. भाष-दोष से ग्रसित बालक

अभ्यास प्रश्न

1. हेवार्ड तथा औरलेंसकी (Heward and Orlansky, 1980) के अनुसार विशिष्ट बालक कितने प्रकार के होते हैं?
2. किन पांच तरह के विशिष्ट बालको की अधिकता देखने को मिलती है? लिखें।

3.4 प्रतिभाशाली बालक (Gifted Children)

आप सामान्यतः वैसे बालकों को प्रतिभाशाली या प्रवीण बालक कह सकते हैं जिनकी बुद्धि-लब्धि(Intelligence quotient) 12० या इससे ऊपर होती है। इस बात से स्पष्ट हो जाता हैं कि प्रतिभाशाली बालक की पहचान मात्र उसकी बुद्धि के आधार पर की जाती है। जबकि आधुनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिकों के विचार से मात्र बुद्धिलब्धि को आधार मानकर प्रतिभाशाली बालकों को परिभाषित किया जाना त्रुटिपूर्ण है। मेकर (Maker, 1977) एवं टोरेंस (Torrance, 1977) ने यह स्पष्ट किया है कि आजकल मात्र बुद्धि प्राप्तांकों के आधार पर प्रतिभाशाली एवं प्रवीण बालकों को परिभाषित नहीं किया जाता। इन्होंने ऐसे बालकों को निम्नांकित सात तरह के प्राप्तांकों के श्रेष्ठता के संयोग के आधार पर पहचान की जाती है-

i. बुद्धि प्राप्तांक (Intelligence Scores)
ii. सर्जनात्मकता प्राप्तांक (Creativity Scores)

iii. उपलब्धि प्राप्तांक (Achievement Scores)
iv. शिक्षक द्वारा मनोनयन (Teacher Nomination)
v. माता-पिता द्वारा मनोनयन (Parent Nomination)
vi. स्वयं द्वारा मनोनयन (Self Nomination)
vii. साथियों द्वारा मनोनयन (Peer Nomination)

इसप्रकार हमने देखा कि मेकर एवं टॉरेंस ने प्रतिभाशाली बालक को ऐसे बालक के रूप में परिभाषित किया जो उन सारे क्षेत्रों में श्रेष्ठता प्राप्त करने की क्षमता रखते हों जो समाज की नज़रों में महत्वपूर्ण होता है। इसी सन्दर्भ में टॉरेंस ने प्रतिभाशाली एवं प्रवीण बालक की व्यापक परिभाषा दी-

"वैसे बालक को प्रतिभाशाली एवं प्रवीण बालक कहा जाता है जो मानव के व्यवहार के किसी क्षेत्र में ऐसा उत्तम निष्पादन करता है जो समाज के लिए महत्वपूर्ण होता है।"

टॉरेंस के मत के समर्थन में रिली एवं लेविस (Reilly & Lewis, 1983) कहते हैं कि "एक प्रतिभाशाली एवं प्रवीण बालक वह है जो बुद्धि सहित अन्य सामाजिक क्षेत्रों में श्रेष्ठता प्राप्त करने की पर्याप्त क्षमता रखता है।"

3.4.1 प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं

गालाघर (Gallagher, 1976) ने प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताओं को निम्नवत वर्णित किया है-

1. अधिकतर प्रतिभाशाली एवं प्रवीण बालक की घरेलू जिन्दगी तथा सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि(Socio-economic background) सामान्य या औसत बालकों से श्रेष्ठ होती है।
2. शारीरिक गठन एवं स्वास्थ्य में प्रतिभाशील बालक एवं प्रवीण बालक सामान्य या औसत बालक से अधिक उन्नत होते हैं।
3. प्रतिभाशाली एवं प्रवीण बालक सामान्य या औसत बालक की तुलना में व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान करने में अधिक सक्षम होते हैं तथा औसत बालकों की तुलना में सांवेगिक रूप से स्थिर भी होते हैं।
4. प्रतिभाशाली एवं प्रवीण बालक प्रायः लोकप्रिय एवं सामाजिक रूप से ग्राह्य होते हैं।
5. ऐसे बालकों का उपलब्धि प्राप्तांक भी अधिक होता है।

सीजो (Seagoe, 1984) ने भी प्रतिभाशाली बालकों का अध्ययन किया और विशिष्ट बालकों की निम्नांकित विशेषताओं को महत्वपूर्ण बताया-

1. ऐसे बालक अपने विचारों एवं भावों की अभिव्यक्ति अच्छे ढंग से करते हैं।
2. ऐसे बालक किसी कार्य को तीव्र गति से करते हैं।
3. ऐसे बालक किसी कार्य को अन्तःकरण से करते हैं।
4. ऐसे बालक को विषय का गहन ज्ञान रहता है।
5. ऐसे बालक दूसरों के भाव एवं अधिकार के प्रति संवेदनशील होते हैं।

6. ऐसे बालक सिखने या अन्वेषण के लिए तत्पर रहते हैं।
7. किसी भी विचार विमर्श में ऐसे बालक मौलिक एवं उत्तेजनापूर्ण योगदान करते हैं।
8. ऐसे बालक आसानी से विभिन्न तथ्यों के बीच संबंधों का प्रत्यक्षण कर लेते हैं।
9. ऐसे बालको के सीखने की गति तीव्र होती है।
10. ऐसे बालक अपनी जिंदगी या दूसरों की जिंदगी की खुशिओं को बढ़ने में भरपूर योगदान करते हैं।
11. दिए गए कार्यों को ऐसे बालक काफी लगन से पूरा करते हैं।
12. ऐसे बालकों को किसी विषय को सीखने में कम अभ्यास की जरूरत होती है।
13. ऐसे बालक प्रायः किसी विचार गोष्ठी में अपना प्रभुत्व दिखाते हैं।
14. पुनरावृत्ति से ऐसे बालक जल्दी ऊब जाते हैं।
15. ऐसे बालकों में नियम, सिद्धांत आदि के खिलाफ आवाज बुलंद करने की प्रवृत्ति अधिक होती है।

अभ्यास प्रश्न

3. प्रतिभाशाली बालक से आप क्या समझते है?
4. प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं लिखें।

3.5 मानसिक मंद बालक

मानसिक मंद बालक वैसे बालकों को कहा जाता है जो मानसिक मंदता से ग्रसित होते हैं। आपके समक्ष यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि यह मानसिक मंदता क्या है? सामान्यतया मानसिक मंदता से यही अर्थ निकाला जाता है कि बालक की बुद्धि-लब्धि सामान्य या औसत बालकों से कम है। परन्तु मनोवैज्ञानिकों ने मानसिक मंदता की कसौटी सिर्फ बुद्धि को ही नहीं बल्कि बुद्धि के साथ-साथ समायोजनशील व्यवहार(Adaptive behaviour) को भी माना जाता है। अर्थात ऐसे बालक जिनकी बुद्धि-लब्धि कम होने के साथ-साथ समायोजनशील व्यवहार में भी कमी होती है, मानसिक मंद बालक कहलाते हैं।

अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल डेफिशियेंसी (AAMD, 1973) के अनुसार " मानसिक मंदता से तात्पर्य सार्थक रूप से न्यून औसत बौद्धिक क्षमता जो समयोजनशील व्यवहार में कमी के साथ-साथ पाई जाती है, से होता है तथा जिसकी अभिव्यक्ति विकासात्मक अवधि में होती है।"

इस सर्वमान्य परिभाषा से निम्नवत तथ्य स्पष्ट होते हैं-

i. मानसिक मंदता में बालकों का बौद्धिक स्तर सामान्य से सार्थक रूप से नीचे होता है।

ii. मानसिक मंदता में बालकों में अभियोजनशीलता एवं समयोजनशीलता के क्षमता अपर्याप्त होती है।

iii. मानसिक मंदता की अभिव्यक्ति विकासात्मक अवधि अर्थात जन्म से 18 वर्ष की आयु तक स्पष्ट हो जाती है।

अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल डेफिशियेंसी(AAMD) के अनुसार मानसिक मंद बालकों को उनकी गंभीरता के आधार पर निम्नवत चार भागों में बांटा जाता है-

i. साधारण मानसिक मंदता(Mild Mental Retardation)
इस श्रेणी के बालकों की बुद्धि लब्धि 52-67 के बीच होती है। इनकी शैक्षिक उपलब्धि भी कम होती है। वयस्क होने पर इनका बौद्धिक स्तर 8-11 वर्ष के सामान्य बच्चों के बराबर होता है। ऐसे बालक अपनी दैनिक दिनचर्या को संपन्न करने में कुशलता प्राप्त कर लेते हैं।

ii. अल्पबल मानसिक मंदता(Moderate Mental Retardation)
इस श्रेणी के बालकों की बुद्धि लब्धि 36-51 के बीच होती है। ऐसे बालकों का क्रियात्मक समन्वय असंतुलित होता है। ऐसे बालकों को कुछ व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर कुछ हद तक आत्मनिर्भर बना दिया जाता है।

iii. गंभीर मानसिक मंदता(Severe Mental Retardation)
बुद्धि-लब्धि 20-35 के बीच वाले बालक इस श्रेणी में आते हैं। ऐसे बालकों का क्रियात्मक समन्वय क्षमता, भाषा विकास बहुत ही कम होता है तथा ये सामान्यतया अपने दैनिक क्रिया-कलाप हेतु दूसरों पर निर्भर रहते हैं। बहुत प्रशिक्षण देने के बाद मानसिक मंद वयस्क व्यक्ति कुछ साधारण कार्य कर लेते हैं।

iv. गहन मानसिक मंदता(Profound Mental Retardation)
इस श्रेणी के बालकों की बुद्धि-लब्धि 20 से कम होती है। ये बालक पूर्णतः दूसरों पर निर्भर होते हैं तथा इन्हें जेवण पर्यंत देख-रेख की जरोरत पड़ती है। ये बालक प्रायः अल्प-आयु होते हैं।

3.5.1 मानसिक मंद बालक की विशेषताएं

मानसिक मंद बालकों की विशेषताओं को निम्नवत वर्णित किया जा सकता है-

1. शारीरिक लक्षण- ऐसे बालकों का शारीरिक कद सामान्य बालकों की तुलना में कमजोर, नाटा आदि होता है। इनके चेहरे, नाक, कान, आँख, सिर के बाल, अँगुलियों आदि में कई तरह की अनियमितताएं पाई जाती हैं।
2. बौद्धिक क्षमता- मानसिक मंद बालकों की बौद्धिक क्षमता संन्य बालकों से कम होती है। इनकी बुद्धिलब्धि प्रायः 7० से कम होती है।
3. सामाजिक समायोजन क्षमता में कमी- ऐसे बालक के समाजीकरण में भी समस्याएं होती हैं। ये बालक अपने परिवार, सहपाठी तथा समाज में अपने आपको अच्छे तरीके से समायोजित नहीं कर पाते।

4. संवेगात्मक स्थिति- ऐसे बालकों में संवेगिक विकास भी ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। ऐसे बालक सामान्य संवेगों को भी संगत परिस्थितियों में प्रदर्शित नहीं कर पाते।
5. भाषा विकास- ऐसे बालकों की बुद्धिलब्धि कम होने तथा समायोजन की क्षमता कम होने के कारण भाषा विकास भी नहीं हो पाता है।
6. इन बालकों को उचित-अनुचित के बीच भेद करने में भी कठिनाई होती है।
7. ऐसे बालक दूसरों के अनुदेशों का पालन करने वाले होते हैं।
8. इन बालकों में आत्मनिर्भरता एवं आत्मविश्वास में कमी रहती है।
9. ऐसे बालक अपने पूर्व अनुभवों का अनुप्रयोग नवीन परिस्थितियों में नहीं कर पाते।
10. ऐसे बालकों की अभिरुचियाँ सिमित रहती हैं।
11. इन बालकों की लघु-अवधि स्मृति एवं दीर्घ-अवधि स्मृति सिमित होती है।

अभ्यास प्रश्न

5. मानसिक मंदता से आप क्या समझते है?
6. मानसिक मंद बालकों की दस विशेषताए लिखिए।
7. AAMD के अनुसार मानसिक मंदता के कितने प्रकार होते हैं? वर्णन करें।

3.6 दृष्टि-अक्षम बालक

दृष्टि-बाधिता व्यक्ति विशेष की ऐसी अक्षमता है जो उस व्यक्ति की दृष्टि में बाधा उत्पन्न करती है। दृष्टि अक्षमता की दो परिभाषाएं प्रचलन में हैं-

a) विधिक (Legal)
b) शैक्षिक (Educational)

a) विधिक परिभाषा (Legal Definition):

निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 (PWD Act, 1995) के अनुसार ऐसे व्यक्ति को दृष्टि अक्षम बालक की श्रेणी में रखा गया है जो निम्नलिखित अवस्था में से किसी से ग्रसित हों-

i. दृष्टि का पूर्ण अभाव; या
ii. सुधारक लेंसों के साथ बेहतर नेत्र में दृष्टि की तीक्ष्णता (Visual Acuity) जो 6/6० या 2०/2००(स्नेलेन) से अधिक न हो; या
iii. दृष्टि क्षेत्र(Field of Vision) की सीमा जो 2० डिग्री कोण वाली या उससे बदतर हो।

[Blindness refers to a condition where a person suffers from any of the condition:

i. Total absence of sight; or
ii. Visual acuity not exceeding 6/60 or 20/200 (Snellen) in the better eye with correcting lenses; or
iii. Limitation of the field of vision subtending an angle of 20 degree or worse.(PWD Act, 1995)]

यहाँ दृष्टि तीक्ष्णता 20/200 का मतलब है कि सामान्य दृष्टि वाला व्यक्ति 2०० फीट तक की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। लेकिन जब व्यक्ति की दृष्टि उस हद तक अक्षम हो कि उसी वस्तु को देखने के लिए उसे 2० फीट की दूरी सीमा के अधीन आना पड़े।

आंशिक दृष्टि दोष(Partially Sighted)- विधिक परिभाषा के अनुसार आंशिक दृष्टि दोष ग्रस्त व्यक्ति वह है जिसमें सुधारक लेंसों के साथ बेहतर नेत्र में दृष्टि तीक्ष्णता 2०/7० और 2०/2०० के बीच हो। वहीँ निःशक्त व्यक्ति अधिनियम (1995) के अनुसार "अल्प दृष्टि व्यक्ति(Low Vision Person)" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी उपचार या मानक अपवर्तनीय संशोधन के पश्चात् भी दृष्टि क्षमता का ह्रास हो गया है किन्तु जो समुचित सहायक युक्ति से किसी कार्य की योजना या निष्पादन के लिए दृष्टि का उपयोग करता है या उपयोग में संभाव्य रूप से समर्थ है।

b) **शैक्षिक परिभाषा(Educational Definition):**

शैक्षिक परिभाषा पठन-अनुदेशन पर आधारित है। शैक्षिक परिभाषा के अनुसार "उन व्यक्तियों को दृष्टिहीन व्यक्ति कहा जाता है जिनकी दृष्टि इतना अधिक अक्षमताग्रस्त हो कि ब्रेल लिपि के वगैर वे पढ़ना सीख नहीं सकते।

3.6.1 दृष्टि अक्षम बालकों की विशेषताएं

दृष्टि अक्षम बालकों की विशेषताओं को निम्नवत वर्णित किया जा सकता है-

1. बार-बार आँखों का मलना।
2. आँखों से पानी आना।
3. आँखों में जलन रहना।
4. आँखे लाल रहना।
5. धुंधला दिखाई देना।
6. आँखों की पुतलियाँ सफ़ेद होना।
7. आँखें आवश्यकता से बहुत अधिक बड़ी या छोटी होना।
8. आँखों से कीचड निकलना।
9. श्यामपट्ट पर लिखी सामग्री को पड़ने में कठिनाई महसूस करना।

10. श्यामपट्ट कार्य को अपनी पुस्तिका में लिखने के दौरान दूसरे छात्रों की पुस्तिका देखना या पूछना।
11. एक ही वस्तु के दो-दो रूप दिखाई पड़ना।
12. एक आँख मूंद कर चलना/ देखना।
13. चलते समय अन्य वस्तुओं से टकराना या लुढ़ते चलना।
14. पुस्तक या अन्य वस्तुओं को आँख के नजदीक लाकर देखना।
15. जल्दी-जल्दी पलकें झपकाना।
16. आँख की पुतलियों को घुमाने में कठिनाई होना।
17. ऐंची दृष्टि से देखना।
18. पढ़ने के क्रम में अक्सर आँखें इधर-उधर घुमाना।
19. वर्ग में पठन-पाठन के समय सिरदर्द की शिकायत करना।
20. दूर रखी वस्तुओं को देखते समय सिर को आगे-पीछे घुमाना।
21. पढ़ते-लिखते वक्त त्योरियां चढ़ना।
22. आँख एवं हाथों के बीच उचित ताल-मेल कमजोर होना।

अभ्यास प्रश्न

8. दृष्टि तीक्ष्णता(Visual Acuity) २०/२०० (स्नेलेन) से आप क्या समझते हैं?
9. दृष्टि प्रसार (Visual field) से आप क्या समझते हैं?
10. PWD Act के अनुसार दृष्टि अक्षमता को परिभाषित कीजिये।
11. दृष्टि अक्षम बालकों की दस विशेषताएँ लिखिए।
12. PWD Act, 1995 के अनुसार अल्प दृष्टि बालक की परिभाषा लिखिए।

3.7 श्रवण ह्रास से ग्रसित बालक

व्यक्ति विशेष की वैसी अक्षमता जो उस व्यक्ति में सुनने की बाधा उत्पन्न करती है, श्रवण अक्षमता कहलाती है। जोकि बालक को समाज से अलग कर देती है। जिससे बालक का भाषा विकास बाधित हो जाता है। श्रवण अक्षमता को विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया है-

'कांग्रेस ऑफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफ़ अमेरिकन स्कूल फॉर द डेफ' ने श्रवण अक्षमता को परिभाषित करते हुए कहा कि- "एक बधिर व्यक्ति वह है जिनकी श्रवण बाधित ७० डेसिबल हो और श्रवण यंत्र की सहायता से या उसके बगैर वह ध्वनियों को समझ नहीं पाता हो।"

वहीँ यूनेस्को की विशेषज्ञ कमेटी (1985) ने श्रवण अक्षमता को परिभाषित करते हुए कहा कि "बधिर बच्चे वैसे बच्चे होते हैं जिनमें अत्यधिक श्रवण अक्षमता ह्रास के चलते स्वाभाविक वाणी और भाषा का विकास अत्यंत या पूर्णतः नहीं हुआ हो।"

निःशक्त व्यक्ति अधिनियम (1995) के अनुसार "श्रवण शक्ति का ह्रास से अभिप्रेत है संवाद सम्बन्धी रेंज की आवृति में बेहतर कर्ण में 6० डेसिबल या अधिक की हानि।"

श्रवण अक्षमता जन्मजात भी होती है तथा जन्म के बाद जिन्दगी के किसी काल में भी। दोनों समूहों के बीच वाणी और भाषा सम्प्रेषण में अंतर होता है।

श्रवण ह्रास मनुष्य के जन्म के समय से जीवन के किसी काल में हो सकता है। यह ह्रास निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं-

i. कंडक्टिव श्रवण ह्रास(Conductive Hearing Loss)- बाह्य कर्ण या मध्य कर्ण में किसी प्रकार का विकार होने से ध्वनि को अन्तः कर्ण तक संचालित होने में अवरोध उत्पन्न होता है। यह दोष बाहरी अथवा मध्य कर्ण तक ही सिमित रहता है। अन्तः कर्ण बिलकुल सामान्य स्थिति में रहता है।
ii. सेंसरी न्यूरल श्रवण ह्रास(Sensory-neural Hearing Loss) – यदि श्रवण क्षमता का ह्रास अन्तः कर्ण या नर्भ पथ में जो अन्तः कर्ण से नर्भ पथ तथा मस्तिस्क तंत्र तक के रास्ते में किसी बिमारी के कारण उत्पन्न हो, उसे सेंसरी न्यूरल श्रवण अक्षमता कहते हैं। इसमें बाह्य तथा मध्य कर्ण सामान्य अवस्था में रहते हैं। इसमें ध्वनि का सञ्चालन अन्तः कर्ण तक होता है किन्तु ध्वनि का सही ढंग से विश्लेषण तथा प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है।
iii. मिश्रित श्रवण ह्रास (Mixed Hearing Loss)- एक ही व्यक्ति में कंडक्टिव तथा सेंसरी न्यूरल दोनों प्रकार के श्रवण ह्रास होते हैं, जिसे मिश्रित श्रवण ह्रास कहते हैं। इसमें बाह्य, मध्य तथा अन्तः तीनों कर्ण विकृत होते हैं।
iv. केन्द्रीय श्रवण ह्रास (Central Hearing Loss)- सेरिब्रल कार्टेक्स से सटे ब्रेन स्टेम के बीच के श्रवण पथ संक्रमित हो जाने से केन्द्रीय श्रवण ह्रास होता है। इसमें चिकित्सकीय हस्तक्षेप एवं श्रवण यंत्रों से लाभ नहीं मिलता।
v. कार्यात्मक श्रवण ह्रास(Functional Hearing Loss)- इस प्रकार के श्रवण ह्रास में कान के सभी भाग ठीक ढंग से काम करते हैं, परन्तु व्यक्ति सुनकर भी न सुनने का अभिनय करता है।किसी भी आवाज के प्रति कोई अनुक्रिया नहीं करता।

3.7.1 श्रवण अक्षम बालक की विशेषताएं

ऐसे बालकों में निम्नांकित विशेषताएं पाई जाती हैं-

i. बार-बार कान खुजलाना।
ii. कान का बहना।

iii. कान दर्द की शिकायत करना।
iv. बराबर सर्दी-खांसी की शिकायत करना।
v. शारीरिक संतुलन का आभाव।
vi. हमेशा ‘क्या-क्या’ कहना।
vii. वाणी विकृति का होना।
viii. सिमित शब्द-भंडार।
ix. ध्यान देने में कठिनाई।
x. अच्छी तरह सुनने के लिए वक्ता की तरफ सिर घुमाना।
xi. जोर से बोलना।
xii. स्पष्ट न बोल पाना।
xiii. बोलने में बार-बार अस्वाभाविक अवरोध।
xiv. बोलते समय कुछ ध्वनियों को छोड़ देना।
xv. बार- बार हकलाना।
xvi. वर्ग में स्थिर होकर बैठना।
xvii. आलस्य आ जाना।
xviii. भाषाई विकास में अवरोध उत्पन्न होना।
xix. पीछे से बुलाने पर अनुक्रिया का न होना।
xx. बार-बार दूसरों के मुख की ओर ध्यान देना।

अभ्यास प्रश्न

13. निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 के अनुसार श्रवण ह्रास से ग्रसित बालक की परिभाषा लिखिए।
14. श्रवण ह्रास के कितने प्रकार होते हैं? लिखें।
15. मिश्रित श्रवण ह्रास से आप क्या समझते हैं?
16. श्रवण ह्रास से ग्रसित बालकों की दस विशेषताएँ लिखिए।

3.8 भाषा-दोष से ग्रसित बालक

भाषा की महत्ता से आप भली-भांति परिचित हैं। भाषा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक अपने विचारों को पहुंचता है तथा दूसरे के विचार को समझकर उसके प्रति उपयुक्त अनुक्रिया करता है। बालकों में भाषा सम्बन्धी दोष कई तरह के पाए जाते हैं।

वान राइपर (Van Riper, 1972) ने यह बताया है कि यदि किसी बालक द्वारा बोले गए शब्द या वाक्यों में निम्नवत तीन विशेषताएं हों तो उस बालक को भाषा दोष ग्रसित बालक माना जायेगा-

a. दूसरे लोंगों का ध्यान बालक द्वारा बोले गये शब्द या वाक्य की ओर अनावश्यक रूप से चला जाए।
b. यदि दोष या अनियमितता विचारों की अभिव्यक्ति में बाधक हो, तथा
c. बालक को सामाजिक रूप से कुसमायोजित होने में भाषा कारण बने।

ऐसे बालक, जिनमें भाषा सम्बन्धी दोष होता है, उनमे स्कूल में समायोजन सम्बन्धी कठिनाइयाँ अधिक होतीं हैं। वान राइपर (Van Riper, 1972) द्वारा किये गए अध्ययनों से यह भी पता चला है कि ऐसे बालकों की शैक्षिक उपलब्धि एवं सामाजिक विकास बुरी तरह प्रभावित हो जाता है।

कर्क एवं गालाघर (Kirk & Gallagher, 1979) के अनुसार भाषा-दोष से ग्रसित बालकों को निम्नवत वर्गीकृत किया जा सकता है-

1) गूंगे बालक (Dumb Children) – आप गूंगे बालक की श्रेणी में ऐसे बालकों को रख सकते हैं जो चाहकर भी अपनी इच्छा को अर्थपूर्ण भाषा के रूप में अभिव्यक्त नहीं कर पाते। ऐसे बालक प्रायः कुछ संकेतों के माध्यम से ही अपनी इच्छा की अभिव्यक्ति कर पाते हैं।
2) उच्चारण सम्बन्धी दोष वाले बालक (Children with articulation disorders) – उच्चारण सम्बन्धी दोष स्कूल के बालकों में अधिक देखा जाता है। इस तरह के दोष से ग्रसित बालक प्रायः शब्दों का गलत उच्चारण करते हैं। जैसे- 'चोटी' को 'तोती' कहना, 'दरवाजा' को 'वाजा' कहना आदि। उम्र बढ़ने के साथ-साथ प्रायः यह दोष स्वतः भी समाप्त हो जाता है।
3) आवाज सम्बन्धी दोष वाले बालक (Children with voice disorders)- जब बालक के द्वारा बोले गए शब्द की आवाज के गुण, उच्चता या तारत्व में असामान्यता होती है तो इसे भाषा-दोष वाले बालक के रूप में पहचान की जाती है। कर्कश आवाज में बोलने वाले या नाक से बोलने वाले बालकों को इस श्रेणी में रखा जाता है।
4) प्रवाहिता सम्बन्धी दोष वाले बालक (Children with fluency disorders)- इस श्रेणी में उन बालकों को रखा जाता है जिनकी वाणी की सामान्य प्रवाहिता बाधित हो जाती है। इसके सबसे अच्छे उदाहरण के रूप में हकलाने वाले बालक हैं।
5) व्याख्यान सम्बन्धी दोष वाले बालक (Children with language disorders)- इस श्रेणी में उन बालकों को रखा जाता है जिन्हें खास-खास शब्दों को बोलने में कठिनाई होती है और यदि कोशिश करते हैं, तो उनके मुँह से कोई शब्द नहीं निकल पाता यानी वे पूर्णतः अवाक रह जाते हैं।

3.8.1 भाषा-दोष से ग्रसित बालक की विशेषताएं

भाषा-दोष से ग्रसित बालक की विशेषताओं को निम्नवत वर्णित किया जा सकता है-

i. संवाद सम्प्रेषण में कठिनाई महसूस होना।
ii. आवाज में मधुरता का आभाव होना।
iii. शब्दों को तोड़-मरोड़ कर बोलना।
iv. बोलते वक्त अक्षरों अथवा शब्दों को जोड़ना, घटाना अथवा बदल देना।
v. बोलते-बोलते चुप हो जाना।
vi. बोली में लय और क्रम का अभाव होना।
vii. उच्चारण विकारग्रस्त होना।
viii. वाक्-प्रवाह विकार ग्रस्त होना।
ix. आवाज विकारग्रस्त होना।
x. हकलाहट का शिकार होना।
xi. श्रवण दोष पीड़ित होना।
xii. नाक से बोलना।
xiii. आवाज कर्कश होना।
xiv. फुसफुसाहट के साथ बोलना।
xv. बोलचाल में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ समझाने में असमर्थ होना।

अभ्यास प्रश्न

17. भाषा-दोष से ग्रसित बालक की परिभाषा लिखिए।
18. भाषा-दोष से ग्रसित बालकों का वर्गीकरण कीजिये।
19. भाषा-दोष से ग्रसित बालकों की दस विशेषताएँ लिखिए।

3.9 सारांश

विशिष्ट बालक वे बालक हैं जो अपने आयु वर्ग के समूह के बालकों के किसी भी चर के मापन के सापेक्ष औसत मानों से काफी दूर होते हैं। ये मान केन्द्रीय मानों से अधिक या कम दोनों हो सकते हैं। अर्थात यदि हम बालकों के समायोजन को मापते हैं और किसी बालक के समायोजन की माप केन्द्रीय मान से अत्यधिक कम है तो बालक विशिष्ट श्रेणी में रखा जायेगा तथा यदि केन्द्रीय मान से अत्यधिक अधिक है तब भी बालक विशिष्ट श्रेणी में ही रखा जायेगा तथा इन दोनों प्रकार के बालकों को विशिष्ट बालक कहा जायेगा।

विशिष्ट बालक की श्रेणी में प्रतिभासंपन्न एवं प्रतिभाहीन दोनों तरह के बालक आते हैं। इन विभिन्न श्रेणियों में पांच तरह के विशिष्ट बालको की अधिकता देखने को मिलती है-

१. प्रतिभाशाली बालक
२. मानसिक मंद बालक
३. दृष्टि अक्षम बालक
४. श्रवण ह्रास से ग्रसित बालक
५. भाष-दोष से ग्रसित बालक

सामान्यतः वैसे बालकों को प्रतिभाशाली या प्रवीण बालक कहा सकता हैं जिनकी बुद्धि-लब्धि(Intelligence quotient) 12० या इससे ऊपर होती है। इस बात से स्पष्ट हो जाता हैं कि प्रतिभाशाली बालक की पहचान मात्र उसकी बुद्धि के आधार पर की जाती है। जबकि आधुनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिकों के विचार से मात्र बुद्धिलब्धि को आधार मानकर प्रतिभाशाली बालकों को परिभाषित किया जाना त्रुटिपूर्ण है। मेकर (Maker, 1977) एवं टोरेंस (Torrance, 1977) ने यह स्पष्ट किया है कि आजकल मात्र बुद्धि प्राप्तांकों के आधार पर प्रतिभाशाली एवं प्रवीण बालकों को परिभाषित नहीं किया जाता। इनके अनुसार निम्नांकित सात तरह के प्राप्तांकों के श्रेष्ठता के संयोग के आधार पर ऐसे बालकों की पहचान की जाती है-

i. बुद्धि प्राप्तांक (Intelligence Scores)
ii. सर्जनात्मकता प्राप्तांक (Creativity Scores)
iii. उपलब्धि प्राप्तांक (Achievement Scores)
iv. शिक्षक द्वारा मनोनयन (Teacher Nomination)
v. माता-पिता द्वारा मनोनयन (Parent Nomination)
vi. स्वयं द्वारा मनोनयन (Self Nomination)
vii. साथियों द्वारा मनोनयन (Peer Nomination)

मानसिक मंद बालक वैसे बालकों को कहा जाता है जो मानसिक मंदता से ग्रसित होते हैं। आपके समक्ष यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि यह मानसिक मंदता क्या है? सामान्यतया मानसिक मंदता से यही अर्थ निकाला जाता है कि बालक की बुद्धि-लब्धि सामान्य या औसत बालकों से कम है। परन्तु मनोवैज्ञानिकों ने मानसिक मंदता की कसौटी सिर्फ बुद्धि को ही नहीं बल्कि बुद्धि के साथ-साथ समायोजनशील व्यवहार(Adaptive behaviour) को भी माना जाता है। अर्थात ऐसे बालक जिनकी बुद्धि-लब्धि कम होने के साथ-साथ समायोजनशील व्यवहार में भी कमी होती है, मानसिक मंद बालक कहलाते हैं।

अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल डेफिशियेंसी (AAMD, 1973) के अनुसार " मानसिक मंदता से तात्पर्य सार्थक रूप से न्यून औसत बौद्धिक क्षमता जो समयोजनशील व्यवहार में कमी के साथ-साथ पाई जाती है, से होता है तथा जिसकी अभिव्यक्ति विकासात्मक अवधि में होती है।"

इस सर्वमान्य परिभाषा से निम्नवत तथ्य स्पष्ट होते हैं-

i. मानसिक मंदता में बालकों का बौद्धिक स्तर सामान्य से सार्थक रूप से नीचे होता है।

ii. मानसिक मंदता में बालकों में अभियोजनशीलता एवं समयोजनशीलता के क्षमता अपर्याप्त होती है।

iii. मानसिक मंदता की अभिव्यक्ति विकासात्मक अवधि अर्थात जन्म से 18 वर्ष की आयु तक स्पष्ट हो जाती है।

दृष्टि-बाधिता व्यक्ति विशेष की ऐसी अक्षमता है जो उस व्यक्ति की दृष्टि में बाधा उत्पन्न करती है। दृष्टि अक्षमता की दो परिभाषाएं प्रचलन में हैं-

a) विधिक (Legal)
b) शैक्षिक (Educational)

a) विधिक परिभाषा (Legal Definition):

निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 (PWD Act, 1995) के अनुसार ऐसे व्यक्ति को दृष्टि अक्षम बालक की श्रेणी में रखा गया है जो निम्नलिखित अवस्था में से किसी से ग्रसित हों-

i. दृष्टि का पूर्ण अभाव; या
ii. सुधारक लेंसों के साथ बेहतर नेत्र में दृष्टि की तीक्ष्णता (Visual Acuity) जो 6/6० या 2०/2००(स्नेलेन) से अधिक न हो; या
iii. दृष्टि क्षेत्र(Visual field) की सीमा जो 2० डिग्री कोण वाली या उससे बदतर हो।

यहाँ दृष्टि तीक्ष्णता 2०/2०० का मतलब है कि सामान्य दृष्टि वाला व्यक्ति 2०० फीट तक की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। लेकिन जब व्यक्ति की दृष्टि उस हद तक अक्षम हो कि उसी वस्तु को देखने के लिए उसे 2० फीट की दूरी सीमा के अधीन आना पड़े।

आंशिक दृष्टि दोष(Partially Sighted)- विधिक परिभाषा के अनुसार आंशिक दृष्टि दोष ग्रस्त व्यक्ति वह है जिसमें सुधारक लेंसों के साथ बेहतर नेत्र में दृष्टि तीक्ष्णता 2०/7० और 2०/2०० के बीच हो। वहीँ निःशक्त व्यक्ति अधिनियम (1995) के अनुसार "अल्प दृष्टि व्यक्ति(Low Vision Person)" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी उपचार या मानक अपवार्तनीय संशोधन के पश्चात् भी दृष्टि क्षमता का ह्रास हो गया है किन्तु जो समुचित सहायक युक्ति से किसी कार्य की योजना या निष्पादन के लिए दृष्टि का उपयोग करता है या उपयोग में संभाव्य रूप से समर्थ है।

b) शैक्षिक परिभाषा(Educational Definition):

शैक्षिक परिभाषा पठन-अनुदेशन पर आधारित है। शैक्षिक परिभाषा के अनुसार "उन व्यक्तियों को दृष्टिहीन व्यक्ति कहा जाता है जिनकी दृष्टि इतना अधिक अक्षमताग्रस्त हो कि ब्रेल लिपि के वगैर वे पढ़ना सीख नहीं सकते।

व्यक्ति विशेष की वैसी अक्षमता जो उस व्यक्ति में सुनने की बाधा उत्पन्न करती है, श्रवण अक्षमता कहलाती है। जोकि बालक को समाज से अलग कर देती है। जिससे बालक का भाषा विकास बाधित हो जाता है। श्रवण अक्षमता को विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया है-

'कांग्रेस ऑफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफ़ अमेरिकन स्कूल फॉर द डेफ' ने श्रवण अक्षमता को परिभाषित करते हुए कहा कि- "एक बधिर व्यक्ति वह है जिनकी श्रवण बाधित 7० डेसिबल हो और श्रवण यंत्र की सहायता से या उसके बगैर वह ध्वनियों को समझ नहीं पाता हो।"

वहीँ यूनेस्को की विशेषज्ञ कमेटी (1985) ने श्रवण अक्षमता को परिभाषित करते हुए कहा कि "बधिर बच्चे वैसे बच्चे होते हैं जिनमें अत्यधिक श्रवण अक्षमता ह्रास के चलते स्वाभाविक वाणी और भाषा का विकास अत्यंत या पूर्णतः नहीं हुआ हो।"

निःशक्त व्यक्ति अधिनियम (1995) के अनुसार "श्रवण शक्ति का ह्रास से अभिप्रेत है संवाद सम्बन्धी रेंज की आवृति में बेहतर कर्ण में 6० डेसिबल या अधिक की हानि।"

भाषा की महत्ता से आप भली-भांति परिचित हैं। भाषा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक अपने विचारों को पहुंचता है तथा दूसरे के विचार को समझकर उसके प्रति उपयुक्त अनुक्रिया करता है। बालकों में भाषा सम्बन्धी दोष कई तरह के पाए जाते हैं।

वान राइपर (Van Riper, 1972) ने यह बताया है कि यदि किसी बालक द्वारा बोले गए शब्द या वाक्यों में निम्नवत तीन विशेषताएं हों तो उस बालक को भाषा दोष ग्रसित बालक माना जायेगा-

i. दूसरे लोंगों का ध्यान बालक द्वारा बोले गये शब्द या वाक्य की ओर अनावश्यक रूप से चला जाए।
ii. यदि दोष या अनियमितता विचारों की अभिव्यक्ति में बाधक हो, तथा
iii. बालक को सामाजिक रूप से कुसमायोजित होने में भाषा कारण बने।

ऐसे बालक, जिनमें भाषा सम्बन्धी दोष होता है, उनमे स्कूल में समायोजन सम्बन्धी कठिनाइयाँ अधिक होतीं हैं। वान राइपर (Van Riper, 1972) द्वारा किये गए अध्ययनों से यह भी पता चला है कि ऐसे बालकों की शैक्षिक उपलब्धि एवं सामाजिक विकास बुरी तरह प्रभावित हो जाता है।

3.10 शब्दावली

1. **UNESCO(यूनेस्को)-** United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation
2. संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन

3. **PWD Act, 1995-** Person with Disability (Equal opportunity, protection of rights and full participation) Act, 1995, निःशक्त व्यक्ति (सामान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995
4. **समायोजनशील व्यवहार(Adaptive behaviour)-** ऐसा व्यवहार जोकि दूसरे व्यवहार या परिस्थिति में समायोजन हेतु प्रयुक्त होता है, समयोजनशील व्यवहार कहलाता है।
5. **बुद्धिलब्धि-** बुद्धि मापन के मानक परीक्षणों पर प्राप्त प्राप्तांक।
6. **स्नेलेन-** दृष्टि तीक्ष्णता मापने की इकाई।
7. **दृष्टि तीक्ष्णता-** दृष्टि की स्पष्टता या पैनापन।
8. **दृष्टि क्षेत्र-** वह आकाशीय क्षेत्र जिसका प्रत्यक्षण रेटिना पर होता है।
9. **डेसिबल-** ध्वनी मापने की इकाई।

3.11 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. हेवार्ड तथा औरलेंसकी (Heward and Orlansky, 1980) के अनुसार विशिष्ट बालकों के निम्नवत प्रकार होते हैं-
   i. प्रतिभाशाली या प्रवीण बालक
   ii. मानसिक मंद बालक
   iii. अधिगम असमर्थ बालक
   iv. व्यवहार रोगों से ग्रसित बालक
   v. संचार रोगों जैसे- भाषा दोष से ग्रसित बालक
   vi. श्रव्य-दोष से ग्रसित बालक
   vii. दृष्टि-दोष से ग्रसित बालक
   viii. शारीरिक एवं अन्य स्वास्थ्य क्षति से ग्रसित बालक
   ix. गंभीर एवं बहु-विकलांगता से ग्रसित बालक
2. विभिन्न श्रेणियों में पांच तरह के विशिष्ट बालको की अधिकता देखने को मिलती है-
   i. प्रतिभाशाली बालक
   ii. मानसिक मंद बालक
   iii. दृष्टि अक्षम बालक
   iv. श्रवण ह्रास से ग्रसित बालक
   v. भाष-दोष से ग्रसित बालक

3. मेकर एवं टोरेंस ने प्रतिभाशाली बालक को ऐसे बालक के रूप में परिभाषित किया जो उन सारे क्षेत्रों में श्रेष्ठता प्राप्त करने की क्षमता रखते हों जो समाज की नज़रों में महत्वपूर्ण होता है। इसी सन्दर्भ में टोरेंस ने प्रतिभाशाली एवं प्रवीण बालक की व्यापक परिभाषा दी-

"वैसे बालक को प्रतिभाशाली एवं प्रवीण बालक कहा जाता है जो मानव के व्यवहार के किसी क्षेत्र में ऐसा उत्तम निष्पादन करता है जो समाज के लिए महत्वपूर्ण होता है।"

4. सीजो (Seagoe, 1984) ने भी प्रतिभाशाली बालकों का अध्ययन किया और विशिष्ट बालकों की निम्नांकित विशेषताओं को महत्वपूर्ण बताया-
   a. ऐसे बालक अपने विचारों एवं भावों की अभिव्यक्ति अच्छे ढंग से करते हैं।
   b. ऐसे बालक किसी कार्य को तीव्र गति से करते हैं।
   c. ऐसे बालक किसी कार्य को अन्तःकरण से करते हैं।
   d. ऐसे बालक को विषय का गहन ज्ञान रहता है।
   e. ऐसे बालक दूसरों के भाव एवं अधिकार के प्रति संवेदनशील होते हैं।
   f. ऐसे बालक सिखने या अन्वेषण के लिए तत्पर रहते हैं।
   g. किसी भी विचार विमर्श में ऐसे बालक मौलिक एवं उत्तेजनापूर्ण योगदान करते हैं।
   h. ऐसे बालक आसानी से विभिन्न तथ्यों के बीच संबंधों का प्रत्यक्षण कर लेते हैं।
   i. ऐसे बालको के सीखने की गति तीव्र होती है।
   j. ऐसे बालक अपनी जिंदगी या दूसरों की जिंदगी की खुशिओं को बढ़ने में भरपूर योगदान करते हैं।
5. अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल डेफिशियेंसी (AAMD, 1973) के अनुसार " मानसिक मंदता से तात्पर्य सार्थक रूप से न्यून औसत बौद्धिक क्षमता जो समयोजनशील व्यवहार में कमी के साथ-साथ पाई जाती है, से होता है तथा जिसकी अभिव्यक्ति विकासात्मक अवधि में होती है।"

   इस सर्वमान्य परिभाषा से निम्नवत तथ्य स्पष्ट होते हैं-
   i. मानसिक मंदता में बालकों का बौद्धिक स्तर सामान्य से सार्थक रूप से नीचे होता है।
   ii. मानसिक मंदता में बालकों में अभियोजनशीलता एवं समयोजनशीलता के क्षमता अपर्याप्त होती है।
   iii. मानसिक मंदता की अभिव्यक्ति विकासात्मक अवधि अर्थात जन्म से 18 वर्ष की आयु तक स्पष्ट हो जाती है।
6. मानसिक मंद बालकों की विशेषताओं को निम्नवत वर्णित किया जा सकता है-

i. शारीरिक लक्षण- ऐसे बालकों का शारीरिक कद सामान्य बालकों की तुलना में कमजोर, नाटा आदि होता है। इनके चेहरे, नाक, कान, आँख, सिर के बाल, अँगुलियों आदि में कई तरह की अनियमितताएं पाई जाती हैं।

ii. बौद्धिक क्षमता- मानसिक मंद बालकों की बौद्धिक क्षमता संन्य बालकों से कम होती है। इनकी बुद्धिलब्धि प्रायः 7० से कम होती है।

iii. सामाजिक समायोजन क्षमता में कमी- ऐसे बालक के समाजीकरण में भी समस्याएं होती हैं। ये बालक अपने परिवार, सहपाठी तथा समाज में अपने आपको अच्छे तरीके से समायोजित नहीं कर पाते।

iv. संवेगात्मक स्थिति- ऐसे बालकों में संवेगिक विकास भी ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। ऐसे बालक सामान्य संवेगों को भी संगत परिस्थितियों में प्रदर्शित नहीं कर पाते।

v. भाषा विकास- ऐसे बालकों की बुद्धिलब्धि कम होने तथा समायोजन की क्षमता कम होने के कारण भाषा विकास भी नहीं हो पाता है।

vi. इन बालकों को उचित-अनुचित के बीच भेद करने में भी कठिनाई होती है।

vii. ऐसे बालक दूसरों के अनुदेशों का पालन करने वाले होते हैं।

viii. इन बालकों में आत्मनिर्भरता एवं आत्मविश्वास में कमी रहती है।

ix. ऐसे बालक अपने पूर्व अनुभवों का अनुप्रयोग नवीन परिस्थितियों में नहीं कर पाते।

x. ऐसे बालकों की अभिरुचियाँ सिमित रहती हैं।

7. अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल डेफिशियेंसी(AAMD) के अनुसार मानसिक मंद बालकों को उनकी गंभीरता के आधार पर निम्नवत चार भागों में बांटा जाता है-

i. साधारण मानसिक मंदता(Mild Mental Retardation)

इस श्रेणी के बालकों की बुद्धि लब्धि 52-67 के बीच होती है। इनकी शैक्षिक उपलब्धि भी कम होती है। वयस्क होने पर इनका बौद्धिक स्तर 8-11 वर्ष के सामान्य बच्चों के बराबर होता है। ऐसे बालक अपनी दैनिक दिनचर्या को संपन्न करने में कुशलता प्राप्त कर लेते हैं।

ii. अल्पबल मानसिक मंदता(Moderate Mental Retardation)

इस श्रेणी के बालकों की बुद्धि लब्धि 36-51 के बीच होती है। ऐसे बालकों का क्रियात्मक समन्वय असंतुलित होता है। ऐसे बालकों को कुछ व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर कुछ हद तक आत्मनिर्भर बना दिया जाता है।

iii. गंभीर मानसिक मंदता(Severe Mental Retardation)

बुद्धि-लब्धि 20-35 के बीच वाले बालक इस श्रेणी में आते हैं। ऐसे बालकों का क्रियात्मक समन्वय क्षमता, भाषा विकास बहुत ही कम होता है तथा ये सामान्यतया अपने दैनिक क्रिया-कलाप हेतु दूसरों पर निर्भर रहते हैं। बहुत प्रशिक्षण देने के बाद मानसिक मंद वयस्क व्यक्ति कुछ साधारण कार्य कर लेते हैं।

iv. गहन मानसिक मंदता(Profound Mental Retardation)

इस श्रेणी के बालकों की बुद्धि-लब्धि 20 से कम होती है। ये बालक पूर्णतः दूसरों पर निर्भर होते हैं तथा इन्हें जेवण पर्यंत देख-रेख की जरोंरत पड़ती है। ये बालक प्रायः अल्प-आयु होते हैं।

8. दृष्टि तीक्ष्णता 2०/2०० का मतलब है कि सामान्य दृष्टि वाला व्यक्ति 2०० फीट तक की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। लेकिन जब व्यक्ति की दृष्टि उस हद तक अक्षम हो कि उसी वस्तु को देखने के लिए उसे 2० फीट की दूरी सीमा के अधीन आना पड़े।
9. वह आकाशीय क्षेत्र जिसका प्रत्यक्षण रेटिना पर होता है।
10. निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 (PWD Act, 1995) के अनुसार ऐसे व्यक्ति को दृष्टि अक्षम बालक की श्रेणी में रखा गया है जो निम्नलिखित अवस्था में से किसी से ग्रसित हों-
    i. दृष्टि का पूर्ण अभाव; या
    ii. सुधारक लेंसों के साथ बेहतर नेत्र में दृष्टि की तीक्ष्णता (Visual Acuity) जो 6/6० या 2०/2००(स्नेलेन) से अधिक न हो; या
    iii. दृष्टि क्षेत्र(Field of Vision) की सीमा जो 2० डिग्री कोण वाली या उससे बदतर हो।
11. दृष्टि अक्षम बालकों की विशेषताओं को निम्नवत वर्णित किया जा सकता है-
    i. बार-बार आँखों का मलना।
    ii. आँखों से पानी आना।
    iii. आँखों में जलन रहना।
    iv. आँखे लाल रहना।
    v. धुंधला दिखाई देना।
    vi. आँखों की पुतलियाँ सफ़ेद होना।
    vii. आँखें आवश्यकता से बहुत अधिक बड़ी या छोटी होना।
    viii. आँखों से कीचड निकलना।
    ix. श्यामपट्ट पर लिखी सामग्री को पड़ने में कठिनाई महसूस करना।
    x. श्यामपट्ट कार्य को अपनी पुस्तिका में लिखने के दौरान दूसरे छात्रों की पुस्तिका देखना या पूछना।
12. निःशक्त व्यक्ति अधिनियम (1995) के अनुसार "अल्प दृष्टि व्यक्ति(Low Vision Person)" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी उपचार या मानक अपवर्तनीय संशोधन के पश्चात् भी दृष्टि क्षमता का ह्रास हो गया है किन्तु जो समुचित सहायक युक्ति से किसी कार्य की योजना या निष्पादन के लिए दृष्टि का उपयोग करता है या उपयोग में संभाव्य रूप से समर्थ है।
13. निःशक्त व्यक्ति अधिनियम (1995) के अनुसार "श्रवण शक्ति का ह्रास से अभिप्रेत है संवाद सम्बन्धी रेंज की आवृति में बेहतर कर्ण में 6० डेसिबल या अधिक की हानि।"
14. श्रवण ह्रास मनुष्य के जन्म के समय से जीवन के किसी काल में हो सकता है। यह ह्रास निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं-
    i. कंडक्टिव श्रवण ह्रास(Conductive Hearing Loss)
    ii. सेंसरी न्यूरल श्रवण ह्रास(Sensory-neural Hearing Loss)
    iii. मिश्रित श्रवण ह्रास (Mixed Hearing Loss)

iv. केन्द्रीय श्रवण ह्रास (Central Hearing Loss)
v. कार्यात्मक श्रवण ह्रास(Functional Hearing Loss)

15. मिश्रित श्रवण ह्रास (Mixed Hearing Loss)- एक ही व्यक्ति में कंडक्टिव तथा सेंसरी न्यूरल दोनों प्रकार के श्रवण ह्रास होते हैं, जिसे मिश्रित श्रवण ह्रास कहते हैं। इसमें बाह्य, मध्य तथा अन्तः तीनों कर्ण विकृत होते हैं।
16. ऐसे बालकों में निम्नांकित विशेषताएं पाई जाती हैं-
    i. बार-बार कान खुजलाना।
    ii. कान का बहना।
    iii. कान दर्द की शिकायत करना।
    iv. बराबर सर्दी-खांसी की शिकायत करना।
    v. शारीरिक संतुलन का आभाव।
    vi. हमेशा 'क्या-क्या' कहना।
    vii. वाणी विकृति का होना।
    viii. सिमित शब्द-भंडार।
    ix. ध्यान देने में कठिनाई।
    x. अच्छी तरह सुनने के लिए वक्ता की तरफ सिर घुमाना।
17. वान राइपर (Van Riper, 1972) ने यह बताया है कि यदि किसी बालक द्वारा बोले गए शब्द या वाक्यों में निम्नवत तीन विशेषताएं हों तो उस बालक को भाषा दोष ग्रसित बालक माना जायेगा-
    a. दूसरे लोंगों का ध्यान बालक द्वारा बोले गये शब्द या वाक्य की ओर अनावश्यक रूप से चला जाए।
    b. यदि दोष या अनियमितता विचारों की अभिव्यक्ति में बाधक हो, तथा
    c. बालक को सामाजिक रूप से कुसमायोजित होने में भाषा कारण बने।

ऐसे बालक, जिनमें भाषा सम्बन्धी दोष होता है, उनमे स्कूल में समायोजन सम्बन्धी कठिनाइयाँ अधिक होतीं हैं। वान राइपर (Van Riper, 1972) द्वारा किये गए अध्ययनों से यह भी पता चला है कि ऐसे बालकों की शैक्षिक उपलब्धि एवं सामाजिक विकास बुरी तरह प्रभावित हो जाता है।

18. कर्क एवं गालाघर (Kirk & Gallagher, 1979) के अनुसार भाषा-दोष से ग्रसित बालकों को निम्नवत वर्गीकृत किया जा सकता है-
    i. गूंगे बालक (Dumb Children)
    ii. उच्चारण सम्बन्धी दोष वाले बालक (Children with articulation disorders)
    iii. आवाज सम्बन्धी दोष वाले बालक (Children with voice disorders)
    iv. प्रवाहिता सम्बन्धी दोष वाले बालक (Children with fluency disorders)
    v. व्याख्यान सम्बन्धी दोष वाले बालक (Children with language disorders)

19. भाषा-दोष से ग्रसित बालक की विशेषताओं को निम्नवत वर्णित किया जा सकता है-
    i. संवाद सम्प्रेषण में कठिनाई महसूस होना।
    ii. आवाज में मधुरता का आभाव होना।
    iii. शब्दों को तोड़-मरोड़ कर बोलना।
    iv. बोलते वक्त अक्षरों अथवा शब्दों को जोड़ना, घटाना अथवा बदल देना।
    v. बोलते-बोलते चुप हो जाना।
    vi. बोली में लय और क्रम का अभाव होना।
    vii. उच्चारण विकारग्रस्त होना।
    viii. वाक्-प्रवाह विकार ग्रस्त होना।
    ix. आवाज विकारग्रस्त होना।
    x. हकलाहट का शिकार होना।

3.12 संदर्भ ग्रंथ सूची

1. मंगल. एस० के०(2००8). *शिक्षा मनोविज्ञान*. पी० एच० आइ० लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली.
2. संजीव के.(2००8). *विशिष्ट शिक्षा*. जानकी प्रकाशन, पटना.
3. Das. M.(2007). *Education of Exceptional Children*. Atlantic Publishers, New Delhi.

3.13 सहायक/ उपयोगी पाठ्यसामग्री

1. मंगल. एस० के०(2००8). *शिक्षा मनोविज्ञान*. पी० एच० आइ० लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली.
2. संजीव के.(2००8). *विशिष्ट शिक्षा*. जानकी प्रकाशन, पटना.
3. Das. M.(2007). *Education of Exceptional Children*. Atlantic Publishers, New Delhi.
4. Werts. M. G. etal.(2007). *Fundamentals of Special Education*. PHI Learning Private Limited, New Delhi.

3.14 निबंधात्मक प्रश्न

1. विशिष्ट बालकों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिये।
   Elaborate various types of Exceptional Children
2. प्रतिभशाली बालकों से आप क्या समझते हैं? इनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिये।
   What do you understand by Gifted Children? Enumerate their characteristics.
3. मानसिक मंदता से आप क्या समझते हैं? इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिये।
   What do you understand by Mental Retardation? Enunciate their various types.
4. दृष्टि अक्षमता का क्या अर्थ है? इसके विधिक एवं शैक्षिक परिभाषाओं को स्पष्ट कीजिये।
   What is the meaning of Visual Impairment? Discuss the definitions of legal and educational definition of visual impairment.
5. श्रवण ह्रास से आप क्या समझते हैं? इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिये।
   What do you understand by Hearing Impairment? Elaborate their various types.
6. भाषा-दोष से ग्रसित बालक का क्या अर्थ है? इनकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिये।
   What do you understand by Children with speech defects? Mention their characteristics.

इकाई 4 विशिष्ट बालकों की आवश्यकताएँ एवं समस्याएँ

4.1 प्रस्तावना
4.2 उद्देश्य
4.3 विशिष्ट बालकों की आवश्यकताएँ एवं समस्याएँ
4.3.1 प्रतिभाशाली बालक की समस्याएँ एवं आवश्यकताएं
4.3.2 मानसिक मंद बालक की समस्याएँ एवं आवश्यकताएं
4.3.3 दृष्टि अक्षम बालक की समस्याएँ एवं आवश्यकताएं
4.3.4 श्रवण ह्रास से ग्रसित बालक की समस्याएँ एवं आवश्यकताएं
4.3.5 भाषा-दोष से ग्रसित बालक की समस्याएँ एवं आवश्यकताएं
4.4 सारांश
4.5 शब्दावली
4.6 संदर्भग्रंथ सूची
4.7 सहायक/ उपयोगी पाठ्यसामग्री
4.8 निबंधात्मक प्रश्न

4.1 प्रस्तावना

विशेष आवश्यकता वाले विशिष्ट बालकों के संप्रत्यय से सम्बंधित यह चतुर्थ इकाई है।

तृतीय इकाई में आप विशिष्ट बालकों के प्रकारों से अवगत हुए। विशिष्ट बालकों के विभिन्न प्रकारों की सामान्य विशेषताओं से परिचित हुए। जोकि विशिष्ट बालकों को समझने में महत्वपूर्ण इकाई रही। विशेष आवश्यकता वाले बालकों के संप्रत्यय को समझने के लिए यह भी जानना आवश्यक है कि विशिष्ट बालकों की समस्याएँ क्या हैं? उनकी आवश्यकताएं क्या है? प्रस्तुत इकाई में विशिष्ट बालकों की समस्याओं एवं आवश्यकताओं पर विस्तृत परिचर्चा प्रस्तुत है।

इस इकाई के अध्यायानोंपरांत आप विभिन्न विशिष्ट बालकों की समस्याओं एवं आवश्यकताओं का वर्णन कर सकेंगे।

4 .2 उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के पश्चात आप -

1. विशिष्ट बालकों की समस्याओं एवं आवश्यकताओं को स्पष्ट कर सकेंगें।
2. प्रतिभाशाली बालकों की समस्याओं एवं आवश्यकताओं को स्पष्ट कर सकेंगें।
3. मानसिक मंद बालकों की समस्याओं एवं आवश्यकताओं को स्पष्ट कर सकेंगें।
4. दृष्टि अक्षमता वाले बालकों की समस्याओं एवं आवश्यकताओं को स्पष्ट कर सकेंगें।
5. श्रवण ह्रास वाले बालकों की समस्याओं एवं आवश्यकताओं को स्पष्ट कर सकेंगें।
6. भाषा-दोष वाले बालकों की समस्याओं एवं आवश्यकताओं को स्पष्ट कर सकेंगें।

4 .3 विशिष्ट बालकों की समस्याएँ एवम् आवश्यकताएँ

विशिष्ट बालकों के सामान्य बालकों से विचलन की वजह से कई प्रकार की समस्याए आ जाती हैं जिससे इन बालकों का समायोजन एवम् शिक्षा प्रभावित होती है। विशिष्ट बालकों का सामान्य बालकों से विचलन कई समस्याओं को जन्म देता है जैसे: अवधान क्षमता, स्मृति, भाषा विकास, समायोजन क्षमता, व्यवहार कुशलता, अपने वातवरण में उन्मुक्त विचरणशीलता आदि। इन बालकों की समस्याएँ इनकी विचलन की दिशा व मात्रा पर निर्भर करती है। एक ही प्रकार की विशिष्टता में बालकों की समस्याओं में विविधता पाई जाती है। कई बालक दृष्टि बाधित होते हुए भी सामान्य आवगमन में कठिनाई महसूस नहीं करते। वहीँ कुछ बालकों को प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे बालकों के प्रति समाज का दृष्टिकोण एवम् व्यवहार भी दोयम दर्जे का रहा है। आज भी जागरूकता की कमी एवम् अनभिज्ञता के कारण लोग विशिष्ट बालकों को समझने में अक्षम हैं। ये समस्याएं निःसंदेह बालकों की विशिष्ट क्षमता या अक्षमता के कारण ही जन्म लेती हैं और इन समस्याओं के कारण ही ऐसे बालको की आवश्यकताएं भी भिन्न होती हैं। यही कारण है की आधुनिक शब्दावली व दर्शन के अनुसार इन बालकों को विशेष आवश्यकता वाले बालक कहा जा रहा है। विशिष्ट बालकों की समस्याओं एवम् आवश्यकताओं को समझने के लिए हमें उनके विचलन की दिशा व मात्रा के अनुसार ही चर्चा करनी होगी।

4.3.1 प्रतिभाशाली बालक(Gifted Children) की समस्याएँ एवम् आवश्यकतायें

प्रतिभाशाली बालकों के संबंध में बहुत ही प्रचलित एवं रूढ़िवादी मिथक रहा है कि ये बालक शारीरिक रूप से कमजोर, संकुचित रूचि वाले, सामाजिक रूप से अयोग्य, सांवेगिक रूप से अस्थाई होते हैं। परन्तु टर्मन तथा अन्य के अध्ययनों से यह मिथक चकनाचूर हो गया। वास्तव में प्रतिभाशाली एवं प्रवीण बालक हर क्षेत्र में- बुद्धि में, शारीरिक क्षमता में, शरीरिक बनावट में, सामाजिक कुशलता में, उपलब्धि में, सांवेगिक स्थायित्व में उत्कृष्ट होते हैं। नयी रुढ़िवादी मिथक कि प्रतिभाशाली बालक एक “महामानव(Superman)” होता है,

काफी खतरनाक है। यह नयी रूढ़िवादिता संभवतः दो सांख्यिकीय तथ्यों- मध्यमान के चारो तरफ प्राप्तांकों का प्रसरण तथा विशेषताओं के मध्य अंतर्सहसम्बंध, की गलतफहमी की वजह से उत्पन्न होती है । यद्यपि कि समूह के अन्य सदस्यों से प्रतिभाशाली बालक कई विशेषताओं में उत्कृष्ट होते हैं। वास्तव में कुछ ऐसे भी प्रतिभाशाली बालक होते हैं जो शारीरिक रूप से कमजोर, नाटे, कुरूप, असामाजिक होते हैं। परन्तु निसंदेह यहाँ हम एक समूह के सामान्यीकरण से प्राप्त समस्याओं की चर्चा करेंगें-

शारीरिक समस्याएँ(Physical Problems): प्रतिभाशाली बालकों का शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। ऐसे बालक खेलकूद आदि क्रियाकलापों में अधिक रुचि लेते हैं। इन्हें साधारण खेलों एवं खेल के साधारण नियम उबाऊ लगते हैं। अन्य बालकों की तुलना में खेल के मैदान में ये अधिक आक्रामक भी होते हैं। अपने आयु वर्ग के बालकों की तुलना में इनका शारीरिक विकास अधिक होने के कारण खेल के मैदान में इनकी उपलब्धि अधिक होती है तथा इनके विपक्ष में अन्य बालक खेलने में कठिनाई महसूस करते हैं।

शैक्षिक समस्याएँ(Educational Problems): प्रतिभाशाली बालक अपने आयु वर्ग के बालकों की तुलना में अधिक बुद्धिलब्धि वाले होते हैं। उनकी सीखने की गति अधिक होती है। अत्यधिक पाठ्यक्रम को बालक विद्यालय में पहुँचने से पहले ही स्वयं या अपने माता-पिता की सहायता से पूरा कर लेते हैं। सामान्य कक्षाओं में बालक उबने लगते हैं। कभी-कभी बालक को विद्यालय से रूचि ख़त्म भी हो जाती है। जबकि ज्यादातर प्रतिभाशाली बालक विद्यालय में रूचि लेते हैं तथा उन्हें पढना-लिखना अच्छा लगता है। ऐसे बालकों में रचनात्मकता, अभिप्रेरणा तथा अधिक बुद्धिमत्ता पायी जाती है। ऐसे बालक पाठ्य-सहगामी क्रियाओं में अधिक रूचि लेते हैं तथा चढ़-बढ़ कर हिस्सा लेते हैं।

सामान्य कक्षाओं से बालक कम लाभन्वित होते हैं। ऐसे बालक कक्षा में शिक्षकों को भी परेशान कर देते हैं। ऐसे बालकों को ऐसा लगता है कि पाठ्यक्रम बहुत धीमी गति से पुरा किया जा रहा है।

सामाजिक एवं सांवेगिक समस्याएँ(Social and Emotional Problems): प्रतिभाशाली बालक हमेशा खुश रहते हैं तथा अपने समूह के नेता होते हैं। ज्यादातर प्रतिभाशाली एवं प्रवीण बालक सांवेगिक रूप से स्थाई होते हैं तथा किसी भी प्रकार की मानसिक अस्वस्थता के होने की संभावनाओं से दूर होते हैं। सामान्यतया इन बालकों की रुचियाँ व्यापक होती हैं तथा ये इन्हें सकारात्मक रूप में लेते हैं।

कुछ कला प्रेमी प्रतिभाशाली बालकों में मानसिक अस्वस्थता आ जाती है। क्योंकि ये बालक समाज से अलग-थलग रहते हैं तथा वास्तविकता से दूर कल्पना की दुनिया में जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे बालकों में सांवेगिक अस्थायित्व पाया जाता हैं। इन्हें अपने आयु-वर्ग के बालकों में समायोजन की समस्या आ जाती है तथा इन बालकों का अपने वरिष्ठ एवं अध्यापकों से व्यवहार भी बिलकुल असामान्य सा होता है। ऐसे बालकों से समाज के लोग असंतुष्ट रहते हैं।

नैतिक समस्याएं(Moral Problems): इन बालकों में सामाजिक न्याय एवं सही-गलत की अच्छी समझ होती है। ये बालक नैतिक व्यवहार एवं नातिक मूल्यों को धारण करने में भी सामान्य बालकों से उत्कृष्ट होते हैं। कुछ प्रतिभाशाली बालक समाज द्वारा स्थापित मूल्यों एवं अनुमन्य व्यवहार की परवाह नहीं करते। इससे इनके सामाजिक रिश्ते को भी बिगड़ने का खतरा होता है। ये बालक प्रायः अपने को उत्कृष्ट प्रस्तुत करने में अपने ही सहपाठियों की भावनाओं आदि को आसानी से चोट भी पहुंचा देते हैं।

आवश्यकताएं(Needs): प्रतिभाशाली बालकों के शारीरिक विकास के अनुसार इन बालको को नए एवं अधिक चुनौतीपूर्ण खेलों में शामिल करने की आवश्यकता होती है। कुछ सामान्य नियमित खेलों में भी नियमों में परिवर्तन करके उन्हें आकर्षक बनाने की जरूरत होती है।

इन बालकों की शैक्षिक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इन्हें विशिष्ट कक्षाओं की व्यवस्था की जरूरत होती है। पाठ्यक्रम को अधिक समृद्ध करने की आवश्यकता होती है। नए शिक्षण व्यूह आदि की सहायता से कक्षाओं को अधिक प्रभावशाली एवं आकर्षक बनाना होता है। इन बालकों के शैक्षिक रुचियों के अनुसार शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन एवं पाठ्यचर्या का समृद्धिकरण की आवश्यकता होती है। विस एवं गालाघर (Weiss & Gallaghar, 1982) ने पाठ्यचर्या के समृद्धिकरण हेतु सात प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रमों का सुझाव दिया है-

- कक्षा का समृद्धिकरण
- सलाहकार शिक्षक कार्यक्रम
- संसाधन कक्ष
- सामुदायिक परामर्शदाता कार्यक्रम
- स्वाध्याय कार्यक्रम
- विशिष्ट कक्षा
- विशेष विद्यालय

उपर्युक्त वर्णित सभी व्यवस्थाये कोई भी समुदाय नहीं कर सकता किन्तु अपनी क्षमता एवं उपलब्ध संसाधनों की सहायता से ज्यादातर व्यवस्थाये करने की जरूरत है।

प्रतिभाशाली बालकों की क्षमताओं का सही एवं न्यायसंगत उपयोगकर बालक का सर्वांगीण विकास के लिए बालक को एक शैक्षिक सत्र में एक से अधिक कक्षा प्रोन्नति का प्रावधान किया जाना चाहिए।

प्रतिभाशाली बालकों के समाज में सही समायोजन हेतु उचित परामर्श एवं निर्देशन की जरूरत होती है। साथ ही इन बालकों के माता-पिता या संरक्षकों को भी परामर्श एवं निर्देशन दिया जाना चाहिए।

नैतिक समस्याओं को दूर करने हेतु बालकों को समाज की जरूरतों से परिचय करना चाहिए तथा समाज के प्रति उत्तरदायित्व को स्पष्ट करना चाहिए। जिससे बालक में समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का भान हो सके। समाज में कुछ नैतिक समस्याओं को हल करने वाली समितियों का सदस्य बनाना चाहिए।

अभ्यास प्रश्न

1. प्रतिभाशाली बालकों की शारीरिक समस्याओं से आप क्या समझते है?
2. प्रतिभाशाली बालकों की शैक्षिक समस्याओं का उल्लेख करें ।
3. प्रतिभाशाली बालकों की सामाजिक एवं सांवेगिक समस्याओं का वर्णन करें।
4. प्रतिभाशाली बालकों के नैतिक समस्याओं की चर्चा कीजिए।
5. प्रतिभाशाली बालकों की आवश्यकताओं का संक्षिप्त वर्णन करें।

4 .3.2 मानसिक मंद बालक की समस्याएँ एवम् आवश्यकताएँ

मानसिक मंद बालको की तुलना सामान्य बालकों से की जाती है। इसी आधार पर मानसिक मंद बालको की समस्याओं की चर्चा हम यहाँ करेंगें। हम तृतीय इकाई में मानसिक मंदता को निर्धारित करने वाले कारक बुद्धिलब्धि के साथ-साथ संयोजनशील व्यवहार के बारे में अध्ययन किये। प्रत्येक बालक अपनी क्षमता या अक्षमता की मात्रा के आधार पर अद्वितीय है। अब हम उन्हीं कारको की वजह से तथा उनके सापेक्ष विचलनों की मात्रा की वजह से मानसिक मंद बालकों में परिलक्षित संज्ञानात्मक एवम् व्यक्तित्व सम्बन्धी समस्याओं की चर्चा करेंगें।

संज्ञानात्मक समस्याएँ(Cognitive Problems)-

मानसिक मंद बालकों की सबसे बड़ी व स्पष्ट समस्या “सीखने की क्षमता” में कमी है। कई ऐसी संज्ञानात्मक समस्याएँ हैं जिसमे बालक की मानसिक मंदता प्रदर्शित होती है। शोधों से यह स्पष्ट हुआ है कि मानसिक मंद बालकों को निम्नवत चार संज्ञानात्मक क्षेत्रों में समस्याएँ होतीं हैं-

- अवधान(Attention)
- स्मृति(Memory)
- भाषा(Language)
- शिक्षा(Academics)

अवधान क्षमता(Attentional abilities):

अवधान और अधिगम या सीखना में धनात्मक सहसंबंध होता है। अधिगम के द्वारा ही बालक किसी कार्य को करने में सक्षम हो पाता है। ऐसे बालकों में अवधान की कमी होने के कारण बालक का अधिगम प्रभावित हो जाता है जिससे बालक की क्रियात्मकता में कमी आ जाती है। ऐसे बालक जटिल प्रक्रियाओं को समझने में कठिनाई महसूस करते हैं। जबकि अधिक बुद्धि लब्धि वाले लोग ऐसी प्रक्रियाओं का ऐसा अधिगम कर लेते हैं कि वे स्वतः ही होने लगतीं हैं। ऐसे बालकों में अवधान-विस्तार(Attention span) में भी कमी पाई जाती है। अधिगम की गति कम होने के कारण बालकों को तत्काल प्रतिपुष्टि नहीं मिल पाती जिससे बालक अधिक समय तक किसी कार्य में अवधान नहीं बना पाता।

स्मृति(Memory):

एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता- स्मृति के सन्दर्भ में भी मानसिक मंद बालक सामान्य बालकों की तुलना में पीछे होते हैं। सामान्य शब्दों की सूची या चित्रों आदि को उनके सामने प्रदर्शित करने के बाद जब पूछा जाता है तो वे प्रत्यास्मारित करने में सामान्य बालकों की तुलना में पिछे रह जाते हैं। स्मृति दो मानसिक प्रक्रियाओं के स्तर पर निर्भर करती है- उथली मानसिक प्रक्रियाएं एवम् गहन मानसिक प्रक्रियाए। जैसे- मात्र इतना प्रत्यास्मारित करना कि प्रस्तुत सूची में अमुक शब्द हिंदी भाषा का है या अंग्रेजी, में सम्मिलित मानसिक प्रक्रिया उथली स्तर की है जबकि यह पूछना कि अमुक शब्द का प्रयोग कहाँ उचित होगा, गहन मानसिक प्रक्रिया स्तर का प्रश्न है। मानसिक मंद बालक गहन मानसिक प्रक्रिया स्तर में भी कमजोर होते हैं।

सामन्यतया हम याद करने के लिए दो प्रकार की अधिगम नीतियाँ(Learning strategies) अपनाते हैं- 'मध्यस्थता' एवं 'संगठन'। मानसिक मंद बालकों को इन अधिगम नीतियों को अपनाने में भी कठिनाई होती है। मध्यस्थता अधिगम नीति का एक उदाहरण पूर्वाभ्यास है- जैसे किसी सूची को याद करने के लिए हम दुहराते हैं या पूर्वाभ्यास करते हैं। मानसिक मंद बालक पूर्वाभ्यास करने में कठिनाई महसूस करते हैं। तथा दूसरी अधिगम नीति- संगठन का उदहारण 'समूहन' है जैसे- अंकों की सूची ४,८,१,५,३,२,१,६,९ को याद करने के लिए हम इनका समूहन ४८१, ५३२, १६९ के रूप में कर देते हैं जिससे ये आसानी से याद हो जाती हैं। मानसिक मंद बालक इस प्रकार की अधिगम नीतियों का प्रयोग तत्काल नहीं कर पाते। ये बालक इन अधिगम नीतियों का प्रयोग करने में कठिनाई महसूस करते हैं क्योंकि मानसिक मंद बालकों में 'क्रियांवय नियंत्रण प्रक्रिया(Executive control process)' में कमी पाई जाती है(ब्राउन, १९७४)। क्रियांवय नियंत्रण प्रक्रिया का प्रयोग समस्या समाधान में किया जाता है। ऐसे बालकों की समस्या समाधान करने की क्षमता भी सामान्य बालकों की तुलना में कम होती है। लेकिन ऐसे बालकों को ये अधिगम नीतियाँ एवं क्रियांवय नियंत्रण प्रक्रियायें सीखाई जा सकती हैं (Gliden, १९८५)।

भाषा विकास(Language development):

अधिकतर मानसिक मंद बालकों का भाषा विकास भी प्रभावित होता है। ऐसे बालकों में उच्चारण संबधी समस्या जैसे वाणी दोष आदि पाया जाता है। ये दोष अथवा समस्याएँ मानसिक मंदता की मात्रा पर निर्भर

करती हैं। साधारण मानसिक मंद बालकों में भाषा विकास सामन्यतया सामान्य बालकों जैसा हो जाता है जबकि यह विकास मंद गति से होता है।

शैक्षिक उपलब्धि(Academic achievement):

शैक्षिक उपलब्धि एवम् बुद्धि में धनात्मक सह-संबंध है। अर्थात मानसिक मंद बालकों की शैक्षिक उपलब्धि बुद्धि- लब्धि कम होने कारण सामान्य बालकों की तुलना में कम होती है। मानसिक मंद बालक अपेक्षा से हमेशा कम उपलब्धि स्तर को प्राप्त होते हैं (मैक मिलन, १९८२)।

व्यक्तित्व सम्बन्धी समस्याएँ(Personality problems):

मानसिक मंद बालकों में सामजिक व सांवेगिक समस्याएँ विविधता में पायीं जाती हैं। विशेषतः ये बालक मित्र बनाने में कठिनाई महसूस करते हैं तथा आत्म-संप्रत्यय का आभाव होता है। इसका अर्थ यह बिलकुल नहीं कि इन्हें मित्रों की आवश्यकता नहीं होती या इन्हें प्रेम, बांधुत्व, आदि से कोई सरोकार नहीं होता बल्कि ये बालक समाज या परिवार से कट जाने के कारण आने वाली समस्याओं के चलते मित्र बनाने में कठिनाई महसूस करते हैं। इन्हें ये समस्याएँ निम्नवत दो कारणों से आती हैं-

- ये बालक स्वयं अवधान की कमी के चलते किसी से मिलना-जुलना पसंद नहीं करते।
- इनके सहपाठी सामान्य खेल-कूद, सामूहिक क्रियाकल्पों में स्वीकार नहीं करते।

इन दोनों ही के कारण बालक की सामाजिक अंतःक्रिया बाधित होती है। इन सामाजिक- सांवेगिक समस्याओं के अतिरिक्त इन बालकों में कुछ मात्रा में अभिप्रेरणात्मक समस्याएँ भी होती हैं। ये बालक अपने कौशलों एवं क्षमताओं पर ही विश्वास नहीं कर पाते और इन्हें ऐसा लगता है कि जो कुछ हो रहा है उस पर इनका कोई नियंत्रण नहीं है। मानसिक मंद बालक अभिप्रेरणा की कमी के कारण किसी कठिन समस्या के आगे आसानी से नतमश्तक हो जाते हैं।

आवश्यकताएं:

मानसिक मंद बालक की संज्ञानात्मक समस्याओं का कारण बुद्धि-लब्धि स्थाई समस्या है जिससे जनित आवश्यकताओं- अवधान क्षमता का विकास, स्मृति का विकास, भाषा विकास एवं शैक्षिक उपलब्धि में विकास करना मानसिक मंद बालकों की मुख्य संज्ञानात्मक आवश्यकताएं हैं।

अवधान क्षमता का विकास:

मानसिक मंद बालकों की अवधान क्षमता कम होती है जिससे वे जटिल प्रक्रियाओं को समझने में कठिनाई महसूस करते हैं। इनके अनुदेशन हेतु जटिल प्रक्रियाओं को सरल प्रक्रियाओं में तोड़ लेना चाहिए। अमूर्त चिन्तनों को मूर्त रूप में प्रदर्शित करना चाहिए। चूँकि इन बालकों का अवधान प्रसार भी कम होता है इसलिए

पाठ्यसामग्री या अनुदेशों को छोटे-छोटे टुकड़ों में प्रस्तुत करना चाहिए। साथ ही साथ मानसिक मंद बालकों की अवधान क्षमता को बढ़ाने के लिए उनकी रूचि के अनुरूप सहायक सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। खेल-खेल में, आकर्षक वातावरण का निर्माण किया जाना चाहिए जिससे बालक की अवधान क्षमता का विकास हो सके।

स्मृति विकास:

स्मृति के विकास हेतु इन बालको को अधिगम नीतियों के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। समन्वय नियंत्रण प्रक्रियाओं के विकास हेतु प्रशिक्षण देने की जरूरत होती है। साथ ही साथ इन बालकों को अपनी सामान्य बातों को याद रखने हेतु दैनंदिकी लेखन आदि का प्रशिक्षण देना चाहिए ।

भाषा विकास:

भाषा विकास के लिए ऐसे बालकों को अधिक से अधिक अन्तः क्रिया का अवसर प्रदान करना चाहिए। नियमित शब्दों का उच्चारण अभ्यास करना चाहिए तथा उनके सहपाठियों के साथ खेलने-कूदने एवं बात-चीत करने के अवसर प्रदान करना चाहिए। इन बालकों के अंतर्मन में भी विचार उत्पन्न होते हैं तथा वे अभिव्यक्त भी करना चाहते है। परन्तु भाषा विकास कम होने की वजह से उन्हें परेशानी होती है।

शैक्षिक उपलब्धि:

मानसिक मंद बालकों की शैक्षिक उपलब्धि बढाने के लिए बालकों का मूल्याङ्कन उनके सीखने के स्तर एवं मानसिक स्तर के अनुसार करना चाहिए। ऐसे बालकों की मूल्याङ्कन प्रक्रिया मौखिक एवं छोटे-छोटे क्रियाकलापों पर आधारित होनी चाहिए। बालकों के स्वामित्व स्तर के मूल्याङ्कन की बजाय उनके सीखने की मात्रा का मूल्याङ्कन किया जाना चाहिए।

व्यक्तित्व सम्बन्धी आवश्यकताएं:

मानसिक मंद बालकों में आत्म संप्रत्यय की कमी पाई जाती है। बालक ऐसे में सहयोग की अपेक्षा करता है। खेल कूद के लिए विश्वसनीय मित्र की आवश्यकता होती है। जिससे खुलकर वह अपनी बातों को साझा कर सके। अन्य बालकों से मित्रवत व्यवहार की अपेक्षा करता है। ऐसे बालकों को छोटे-छोटे कार्यों के लिए पुनर्बलन का प्रयोग करना चाहिए। अन्य जटिल कार्यों को करने के लिए अभिप्रेरण प्रदान करना चाहिए।

अभ्यास प्रश्न

6. मानसिक मंद बालकों की संज्ञानात्मक समस्याओं से आप क्या समझते है?

7. मानसिक मंद बालकों की व्यक्तित्व सम्बन्धी समस्याओं का वर्णन कीजिए।
8. मानसिक मंद बालकों की आवश्यकताओं पर प्रकाश डालें।

4 .3.3 दृष्टि-अक्षम बालक की समस्याएँ एवं आवश्यकताएँ

दृष्टि बाधिता के कारण बालक को कई प्रकार की मनोवैज्ञानिक एवम् व्यावहारिक समस्याएँ आ जाती हैं। जिसकी चर्चा हम यहाँ करेंगें।

भाषा विकास(Language Development):

ज्यादातर विद्वानों का मत है कि दृष्टि बाधा भाषा विकास में सार्थक प्रभाव नहीं डालती। भाषा विकास दृष्टि के बजाय श्रवण पर ज्यादा निर्भर करती है। दृष्टि बाधिता की वजह से ऐसे बालक श्रवण क्षमता में सामान्य बालकों की अपेक्षा सुनने के लिए अधिक प्रेरित रहते हैं क्योकि बालक के लिए श्रवण ही सम्प्रेषण का मुख्य माध्यम होता है। इस प्रकार दृष्टि अक्षम बालक भाषा विकास की दृष्टि से सामान्य बालकों से भिन्न नहीं होते। जबकि दृष्टि अक्षम बालक के भाषा अधिगम के तरीके में थोडा अंतर होता है। जैसे दृष्टि अक्षम बालक ज्यादा स्वकेंद्रित वार्ता करते है जबकि सामान्य बालक क्रियाकलाप सम्बन्धी वार्ता अधिक करते हैं।

संप्रत्ययात्मक क्षमता(Conceptual ability):

दृष्टि अक्षम बालक सामान्य बालकों की तुलना में संप्रत्ययात्मक विकास में कुछ पीछे होते हैं(स्टेफेन & ग्रूब, १९८२)। दृष्टि अक्षम बालक एवं सामान्य बालक की संप्रत्ययात्मक क्षमता में अंतर उनके स्पर्शीय अनुभव एवं दृश्य अनुभव के अंतर की वजह से होता है।

दृश्य अनुभव(दृश्येंद्री) से सामान्य बालक विभिन्न सम्प्रत्ययों को ग्रहण करता है जबकि दृष्टि अक्षम बालक स्पर्शीय अनुभव से विभिन्न सम्प्रत्ययों को ग्रहण करता है । ये स्पर्शीय प्रत्यक्षण दो प्रकार के होते हैं- विश्लेषणात्मक स्पर्श एवं संश्लेषणात्मक स्पर्श(लोवेन फील्ड, १९७१)

संश्लेषणात्मक स्पर्श से तात्पर्य एक बड़ी वस्तु को एक या दोनों हाथों से उसके अनेक हिस्सों को स्पर्श कर प्रत्यक्षण से है। विश्लेषणात्मक स्पर्श से तात्पर्य एक वस्तु के विभिन्न हिस्सों को अलग अलग मानसिक चित्रों के निर्माण हेतु स्पर्श करने से है। सामान्य बालक वस्तुओं का समग्र एवं अंशतः प्रत्यक्षण साथ ही साथ करता है जबकि दृष्टि अक्षम बालक एक के बाद एक का प्रत्यक्षण करता है। दृष्टि अक्षम बालक एक बार में समेकित संप्रत्यय बनाने में दृष्टि का प्रयोग नहीं कर पाते।

दृश्य और स्पर्श में एक और अंतर देखने को मिलता है स्पर्श में अधिक चैतन्य रहने की जरूरत होती है जबकि दृश्य में यदि आँख खुली हो तो सूचनाएं अनायास ही मिलती रहती हैं। स्पर्श पर निर्भरता एवं विश्वसनीयता बालक की दृष्टि अक्षमता की मात्रा एवं दृष्टि अक्षमता की आयु पर निर्भर करती है।

चलिष्णुता(Mobility):

चलिष्णुता अपने वातावरण से समायोजन करने की एक महत्वपूर्ण क्षमता है। दृष्टि अक्षमता से सबसे ज्यादा बालकों की चलिष्णुता प्रभावित होती है। फलस्वरूप बालक की वातावरण से अंतःक्रिया प्रभावित हो जाती है। दृष्टि अक्षम बालक एक स्थान से दुसरे स्थान तक जाने में अपनी स्मृति एवं अन्य इन्द्रियों पर निर्भर रहता है। ऐसे बालकों को भीड़ वाले स्थान एवं दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र में विचरण करने में कठिनाई होती है। कभी कभी ऐसे बालक अपनी कुशलताओं पर विश्वास नहीं कर पाते तथा चलिष्णुता हेतु दूसरों पर निर्भर रहते हैं। जबकि जन्मांध बालक चलिष्णुता के सन्दर्भ में अधिक स्वतंत्र एवं आत्म निर्भर होते हैं।

अन्य इन्द्रियों की तीक्ष्णता(Acuteness of other senses):

यह एक प्रकार का अन्धविश्वास है कि दृष्टि के बदले ऐसे बालको में अन्य इन्द्रियों में अधिक तीक्ष्णता आ जाती है या छठी इंद्री विकसित हो जाती है। जबकि वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं होता। बालक अपनी अक्षमता की वजह से सुचनाये प्राप्त करने में कमी को पुरा करने के लिए अन्य इन्द्रीओं का प्रयोग अधिक तत्परता एवं अवधान के साथ करता है।

शैक्षिक उपलब्धि(Academic achievement):

सामान्य बालकों एवं दृष्टि अक्षम बालकों के शैक्षिक उपलब्धियों में अंतर जानने के लिए बहुत कम अध्ययन हुए हैं। ज्यादातर विद्वानों का मत है कि इनके मध्य प्रत्यक्ष तुलना करना उचित नहीं हैं क्योंकि दोनों समूहों का परीक्षण अलग अलग परिस्थितियों में किया जाता है। एक समान परिस्थिति में अध्ययन भी तर्क सांगत नहीं है। इन तमाम विषमताओं एवं कठिनाइयों के बावजूद कुछ अध्ययन स्पष्ट करते हैं कि दृष्टि अक्षम बालकों की शैक्षिक उपलब्धि सामान्य बालकों की अपेक्षाकृत कम होती है(Suppes, 1974)।

सामाजिक समायोजन(Social adjustment):

दृष्टि अक्षम बालक का समायोजन सामान्य बालकों से कम होता है या सामान्य? बहुत ही विवादित है। कोई भी अध्ययन यह प्रदर्शित नहीं करता की दृष्टि अक्षम बालक कुसमायोजित होते हैं। अर्थात यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि दृष्टि अक्षम बालकों में व्यक्तित्व सम्बन्धी समस्याएँ समाज के दृष्टिकोण एवं व्यवहार की वजह से आती हैं न कि दृष्टि बाधिता में निहित होती हैं।

दृष्टि अक्षम बालकों में कुछ सामाजिक कौशलों की कमी आ जाती है जैसे- मुख के हाव-भाव, वाणी एवं शारीरिक गति आदि क्योंकि ये कौशल बालक अपने से बड़ो को देखकर अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। अर्थात सामान्य बालक ये कौशल दृष्टि की सहायता से सीखते हैं। वहीँ दृष्टि अक्षम बालक इन कौशलों को सीखने में पीछे रह जाते हैं। जबकि एक कुशल प्रशिक्षक इन सामाजिक कौशलों का प्रशिक्षण देकर उन्हें सीखा सकता है।

एकरूप व्यवहार(Stereotypic behaviour):

कुछ दृष्टि अक्षम बालकों के अच्छे समायोजन में सबसे बड़ी बाधा उनका एकरूप व्यवहार*(Stereotypic behaviour)* है। ये एकरूप व्यवहार दृष्टि अक्षम बालकों के आवृति युक्त गति/व्यवहार जैसे-हिलना, आँखें मलना, झूमना आदि हैं। पूर्व में ऐसे व्यवहार को ब्लाइंडिज्म(blindism) नाम से जाना जाता था तथा यह माना जाता था कि बालक या व्यक्ति में यह व्यवहार उसकी अन्धता के कारण आते हैं जबकि ऐसे व्यवहार अन्य मानसिक मंद एवं अशांत(Disturbed) बालकों में भी पाया जाता है। अतः अब इस व्यवहार को एकरूप व्यवहार कहना ही तर्कसंगत माना गया है क्योंकि यह व्यवहार की पुनरावृत्ति पर केन्द्रित है जोकि मुख्य विषय है।

एकरूप व्यवहार के निम्नवत तीन सिद्धांत हैं-

1. इन्द्रिय वंचन(Sensory deprivation): ऐसे बालक जिनकी दृष्टि कुछ मात्रा में प्रयोग करने योग्य बची होती है वे बालक अपनी बची हुयी दृष्टि क्षमता का प्रयोग करने हेतु आँख मलने की क्रिया की पुनरावृति करते हैं। अपने आँख के तंत्रीय संवेदना को प्रेरित करने हेतु वे आँख पर दबाव डालते हैं। जबकि यह क्रिया पूर्ण दृष्टि बाधित बालकों में नहीं पाई जाती है।
2. सामाजिक वंचन(Social deprivation): पर्याप्त इन्द्रिय सक्रियता के बावजूद सामजिक वंचन एकरूप व्यवहार को जन्म देता है। समाज से विलग बालक अतिरिक्त सक्रियता हेतु एकरूप व्यवहार करता है।
3. तनाव मुक्ति(Releasing stress): दृष्टि अक्षम बालक तनाव से मुक्ति पाने हेतु भी इस प्रकार का एकरूप व्यवहार करते हैं। कभी-कभी सामान्य बालकों में भी एकरूप व्यवहार या असामन्य व्यवहार तनाव की परिस्थितियों में परिलक्षित होता है।

आवश्यकताएं(Needs):

दृष्टि अक्षम बालकों में अपने वातावरण सम्बन्धी सूचना प्राप्त करने का मुख्य स्रोत दृष्टि की कमी के कारण बालकों का अनुभव सिमट जाता है। ऐसे में सामान्य वातावरण में बालक की कठिनाइयाँ अधिक हो जाती हैं। बालक की कठिनाइयों के कारण सामान्य बालकों की तुलना में बालक की आवश्यकताए भिन्न हो जाती हैं। बालक की मुख्यतः चार आवश्यकताएं निम्नवत इसप्रकार हैं-

- ब्रेल
- शेष दृष्टि का प्रयोग

- श्रवण कौशल
- अनुस्थिति एवं चलिष्णुता प्रशिक्षण

प्रथम तीन आवश्यकताए प्रत्यक्ष रूप से बालक के शिक्षा से सम्बंधित हैं जबकि अंतिम आवश्यकता दैनिक जीवन से जुड़ी है।

ब्रेल(Braille):

उन्नीसवीं शताब्दी में फ्रांस लुई ब्रेल ने दृष्टि अक्षम व्यक्तियों के बुनियादी लेखन व्यवस्था का प्रतिपादन किया। लुई ब्रेल ने एक फ्रांसीसी अधिकारी चार्ल्स बार्बिअर द्वारा रात्रि के समय सूचनाओं के आदान-प्रदान हेतु विकसित १२-बिंदु पद्धति का संशोधन कर ६- बिंदु पद्धति का प्रतिपादन किया जोकि दृष्टि अक्षमों की शिक्षा व्यवस्था तथा संप्रत्यय को चमत्कारिक रूप से बदल दिया।

ब्रेल लिपि 2x3 के आयताकार कोष्ठ (सारणिक रूप) में उभरी हुई आकृति होती है जिसमे विभिन्न क्रमचयों एवं संचयों के अनुसार विश्व की अधिकतम भाषाओं को उनकी ध्वनि के आधार पर कूट किया गया है। ब्रेल को मुख्यतः दो ग्रेड में विकसित किया गया है। ग्रेड-I सीखने में आसान व शुरुआत करने के लिए उपयुक्त है। जबकि ग्रेड-II पढने व लिखने में कम समय एवं कम जगह लेने के कारण अधिक लोकप्रिय है।

दृष्टि अक्षम बालकों को ब्रेल का प्रशिक्षण सामान्य बालकों को मुद्रित लिपि सीखाने की अपेक्षाकृत अधिक कठिन एवं श्रमसाध्य है। ब्रेल पढ़ने में स्मृति पर अधिक निर्भर रहना पड़ता है। ब्रेल मुद्रित सामग्री से बहुत अधिक स्थान घेरती है जिसका पठन दृष्टि अक्षम बालक दोनों हांथों की सहायता से करते हैं। एक समय में पूरे वाक्य का प्रत्यक्षण करने में भी कठिनाई होती है। अर्थात मुद्रित लिपि को पढ़ने में अधिक समय भी लगता है। सभी मुद्रित सामग्री का ब्रेल में प्रदर्शन भी नहीं किया जा सकता। ब्रेल में मुद्रित पुस्तकें भी भारी-भरकम होती है जिससे इनका रख-रखाव भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।

सभी सीमाओं के बाद भी अभी विकासशील राष्ट्रों में ब्रेल एक अहम माध्यम है जिससे दृष्टि अक्षम बालक अपने शैक्षिक आवश्यकतों की पूर्ति कर रहे हैं जबकि अब प्रौद्योगिकी के विकास से कई उपकरण व यन्त्र विकसित हो चुके हैं तथा दिन प्रतिदिन विकसित हो रहे हैं जो दृष्टि अक्षम बालकों के शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करते हुए उनके जीवन स्तर को समृद्ध कर रहे हैं। दृष्टि अक्षम बालकों की शैक्षिक आवश्यकता के अनुसार ब्रेल या अन्य आधुनिक उपकरणों का प्रशिक्षण अत्यंत आवश्यक है।

शेष दृष्टि का प्रयोग(Use of Residual Vision):

ज्यादातर दृष्टि अक्षम बालकों में उपयोग करने योग्य दृष्टि शेष होती है। ब्रेल लेखन व पठन की दुरुहता को दृष्टिगत रखते हुए दृष्टि अक्षम बालक को अपनी शेष दृष्टि का प्रयोग कर मुद्रित सामग्री पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हैनिनेन (१९७५) का विश्वास है कि अधिकतर दृष्टि अक्षम बालकों को मुद्रित

सामग्री पढ़ना चाहिए क्योंकि मुद्रित सामग्री को पढ़ने की गति अधिक होती है, मुद्रित सामग्री में चित्र और आरेख को प्रदर्शित करने की अधिक अभियोग्यता तथा अधिक सामग्रियों का समावेश होता है।

कई वर्षों से दृष्टि अक्षम बालकों को शेष दृष्टि का प्रयोगकर मुद्रित सामग्री को पढ़ने एवं अन्य कार्य करने से रोका जाता रहा है। इस मुद्दे पर बहुत सारी भ्रांतियां रहीं हैं। इनमें से मुख्य भंतियाँ अग्रलिखित हैं-

i. पुस्तकों को आँखों के नजदीक रखकर पढ़ने से आखों को क्षति पहुंचती है
ii. अधिक क्षमता के लेंस आखों को क्षति पहुंचाते हैं, तथा
iii. शेष दृष्टि का अधिक प्रयोग आँखों को क्षति पहुंचाता है।

एक समय ऐसा भी था जब अल्प-दृष्टि अक्षम बालकों की कक्षाओं को ‘दृष्टि संरक्षण’ कक्षाएं कहा जाता था जिसमें उनकी आँखों को क्षति से बचाने हेतु बची हुयी या शेष दृष्टि का प्रयोग नहीं होने दिया जाता था। अब यह चिन्हित किया जा चुका है कि कुछ स्थितियों में ही यह सत्य है। वास्तव में यह पाया गया है कि शेष दृष्टि क्षमता के प्रयोग से बालकों को और अधिक सहायता मिलती है।

इसप्रकार से दृष्टि अक्षम बालकों को शेष दृष्टि क्षमता के प्रयोग कर मुद्रित सामगी से अधिक लाभ लेने में मदद करने हेतु अग्रलिखित दो विधियाँ हैं-

बड़े अक्षरों में मुद्रण: सामान्यतः मुद्रित पुस्तकें 10 पॉइंट मापनी में मुद्रित होती हैं किन्तु दृष्टि अक्षम बालकों हेतु 18 पॉइंट या 30 पॉइंट मापनी में मुद्रण की आवश्यकता होती है। बड़े अक्षरों के चलते पुस्तकें अधिक मोटी हो जाती हैं जिससे इनका रख-रखाव अधिक महंगा एवं श्रमसाध्य हो जाता है। इसके बावजूद कुछ प्रकाशक अब बड़े अक्षरों में मुद्रित पुस्तकें मुद्रित करने लगे हैं।

आवर्धक लेंसों का प्रयोग: सामान्य पुस्तकों को भी आवर्धक लेंसों की सहायता से दृष्टि अक्षम बालक पढ़ सकता है। इसके लिए हाथ से प्रयोग में आने वाले आवर्धक लेंसों के आलावा निकट परिपथ दूरदर्शन(CCTV) का प्रयोग प्रचलन में है।

श्रवण कौशल(Listening Skill):

दृष्टि अक्षम बालकों के लिए श्रवण कौशल की महत्ता को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता है। अपने वातावरण से अधिक सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए दृष्टि पर अधिक विश्वास करने से ज्यादा महत्वपूर्ण बालक का एक अच्छा श्रोता होना आवश्यक है। कुछ विशेषज्ञों का मानना हैकि दृष्टि अक्षम बालकों में श्रवण कौशल स्वतः ही विकसित हो जाता है। परन्तु यह दुर्भाग्यपूर्ण है। दृष्टि अक्षम बालकों में ऐसी कोई दैवीय चमत्कार से दृष्टि की क्षतिपूर्ति हेतु अवधान क्षमता का विकास नहीं होता है। अधिकतर बालकों को श्रवण कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। अब पाठ्यक्रम में श्रवण कौशल के प्रशिक्षण हेतु सामग्रियों एवं कार्यक्रमों की विभिन्नता है।

अब श्रवण कौशल और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है क्योकि ध्वनी प्रौद्योगिकी के विकास से आज रिकार्डेड सामग्री आदि का उपयोग अधिक प्रचलन में है। इसकी इतनी अधिक महत्ता के साथ कुछ सीमायें भी हैं : बालक केवल रिकार्डेड सामग्री पर अधिक विश्वास करता है तथा अपनी शेष दृष्टि का प्रयोग भी नहीं कर पाता है।

अनुस्थिति एवं चलिष्णुता प्रशिक्षण (Orientation and Mobility Training):

बालक की विकलांगता की तीव्रता उसकी चलिष्णुता पर निर्भर करती है। चलिष्णुता ही सामाजिक अंतःक्रिया के लिए अधिक जिम्मेदार घटक है। बालक की चलिष्णुता को बढ़ाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। प्रशिक्षण प्राप्त बालक अपने वातावरण में स्वतंत्र रूप से विचरण करने में सक्षम हो जाता है तथा फलस्वरूप उसकी अनुभव की विभिन्नता एवं प्रसार भी बढ़ जाता है जिससे बालक का अधिगम समृद्ध होता है। सामान्यतया चलिष्णुता का प्रशिक्षण देने की चार प्रमुख विधियाँ हैं:

- मानव निर्देशक (Human Guides)
- निर्देशक श्वान (Guide Dogs)
- लम्बी छड़ी (The Long Cane)
- इलेक्ट्रोनिक यंत्र (Electronic Devices)

प्रौद्योगिकीय एवं विशिष्ट सहायक सामाग्रियाँ(Technological and Special Aids):

पिछले कुछ वर्षों में प्रौद्योगिकी क्षेत्र में तीव्र विकास के चलते दृष्टि अक्षम बालकों के प्रयोग में आने वाली नवीन इलेक्ट्रॉनिक यन्त्र प्रचलन में आ गए हैं। इन नवीन यंत्रों के प्रयोग के कौशल हेतु भी दृष्टि अक्षम बालकों को प्रशिक्षण की आवश्यकता है। किन परिस्थितियों में किस यन्त्र का प्रयोग कैसे किया जाय का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद बालक सामान्य परिस्थितियों में अधिक सक्षम हो सकेंगें। इन यंत्रों में आप्टाकान(Optacon), कुर्जवेल पठन मशीन(Kurzwell reading mashine), वर्साब्रेल(VersaBraille), क्रेन्मेर गिनतारा (Cranmer Abacus) महत्वपूर्ण हैं।

प्रशासनिक व्यवस्थाएं(Administrative Arrangements):

ऐसे बालकों के उचित समायोजन के लिए प्रशासनिक स्तर पर अधिक प्रयास की जरूरत है। उपयुक्त शिक्षण संस्थाएं, शिक्षण सहायक यन्त्र, जीवन स्तर को उत्कृष्ट बनाने हेतु यन्त्र, सामाजिक चेतना जागरण आदि आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रशासं के पूरे सहयोग एवं दृढ इच्छाशक्ति की आवश्यकता है। हालाँकि बहुत से प्रयास जारी हैं। जैसे समावेशी शिक्षा की व्यवस्था, छात्रवृत्ति, सहायक यंत्रों की खरीद हेतु आर्थिक सहायता, आरक्षण आदि प्रयास सराहनीय हैं। इसके बावजूद अभी एक लम्बी दूरी तय की जानी बाकी है।

अभ्यास प्रश्न

9. दृष्टि अक्षम बालकों की समस्याओं का उल्लेख करें।
10. दृष्टि अक्षम बालकों की आवश्यकताओं का संक्षेप में वर्णन करें।

4 .3.4 श्रवण ह्रास से ग्रसित बालक की समस्याएँ एवं आवश्यकताएँ

श्रवण ह्रास व्यक्ति के व्यवहार के कुछ पक्षों पर बहुत बुरा असर डालता है। यदि किसी व्यक्ति को यह कहा जाय कि उसे श्रवण ह्रास और दृष्टि अक्षमता में किसी एक को चुनना है तो वह निःसंदेह श्रवण ह्रास को ही चुनेगा क्योंकि चलने फिरने में दृष्टि पर अधिक विश्वास किया जा सकता है तथा प्रकृति का सौन्दर्य भी दृश्य ही है। हेलेन किलर ने कहा है कि दृष्टिबाधिता व्यक्ति को वस्तुओं से अलग करती है जबकि श्रवण ह्रास व्यक्ति को व्यक्ति से अलग कर देता है। इस भाषा-आधारित समाज में श्रवण ह्रास से ग्रसित व्यक्ति को अधिक हानि पहुंचती है। बालक या व्यक्ति कई प्रकार की समस्याओं से जूझता है।

भाषा एवं वाणी विकास(Language and Speech Development):

बालक में भाषा एवं वाणी का विकास अनुकरण के द्वारा होता है। बालक अपने से अधिक अनुभवी व्यक्तियों के संपर्क में आकर अंतःक्रिया स्थापित करता है तथा अनुकरण के द्वारा ही उसमें भाषा एवं वाणी का विकास होता है। श्रवण ह्रास से ग्रसित बालक को ध्वनि का कोई संप्रत्यय ही नहीं होता है जिससे बालक अपने समाज से अन्तः क्रिया करने में अक्षम हो जाता है। फलस्वरूप भाषा एवं वाणी का विकास बुरी तरह से प्रभावित हो जाता है।

बौद्धिक क्षमता(Intellectual Ability):

वर्षों से श्रवण ह्रास से ग्रसित बालक की बौद्धिक क्षमता एक विवादित मुद्दा रही है। कुछ विद्वानों का मत था कि श्रवण ह्रास से बालक या व्यक्ति की भाषा प्रभावित होती है तथा भाषा को बौद्धिक क्षमता का एक घटक माना जाता है, अर्थात श्रवण ह्रास से ग्रसित बालक की बौद्धिक क्षमता कम होती है। जबकि यह कदापि नहीं कहा जा सकता हैकि श्रवण ह्रास से ग्रसित बालक में किसी भाषा का विकास नहीं होता अपितु बालक सांकेतिक भाषा के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करता है। कुछ हद तक बालक और श्रोता-समाज के मध्य सम्प्रेषण कम होने से कुछ सम्प्रत्यात्मक जटिलताएं या सम्प्रत्ययीकरण की समस्याएँ बालक में रह जाती हैं। सम्प्रत्ययीकरण की समस्या के अलावा बालक में बुद्धिलब्धि भी कम पाई जाती है। जबकि कुछ विशेषज्ञों की राय हैकि यदि बुद्धि परीक्षण अभाषिक हो तथा इसका प्रशासन भी सांकेतिक भाषा की सहायता से किया जाय तो इन बालकों की बुद्धिलब्धि भी सामान्य पायी जाएगी।

शैक्षिक उपलब्धि(Academic Achievement):

श्रवण ह्रास से ग्रसित बालकों की शैक्षिक उपलब्धि कम होती है क्योंकि इन बालकों की पठन क्षमता सबसे अधिक प्रभावित होती है जोकि बालक की उपलब्धि का एक मुख्य घटक है। कुछ विद्वानों का मत हैकि इन बालकों में यह अक्षमता जन्मजात नहीं होती हैं बल्कि श्रवण ह्रास की वजह से उत्पन्न होती है। बालक की उम्र जैसे-जैसे बढती जाती है वैसे-वैसे बालक की शैक्षिक उपलब्द्धि कम होते जाती है।

सामाजिक समायोजन(Social Adjustment):

सामाजिक एवं व्यक्तित्व विकास बालक और समाज के मध्य सम्प्रेषण पर निर्भर करता है। श्रवण ह्रास से ग्रसित बालक समाज से कट सा जाता है तथा बालक एक प्रकार से समाजीकरण की प्रक्रिया से वंचित रह जाता है। इन बालकों में सामान अक्षमता वाले बालकों के साथ दोस्ती अच्छी होती है।

आवश्यकताएं(Needs)

श्रवण ह्रास वाले बालकों की सबसे बड़ी समस्या सम्प्रेषण स्थापित करने में अक्षमता है। सम्बंधित शिक्षकों के लिए सम्प्रेषण स्थापित करना एक बड़ी चुनौती होती है। सम्प्रेषण की समस्या को दूर करने हेतु इन बालकों को कुछ विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। विशेषतः दो प्रकार के प्रशिक्षण श्रवण ह्रास व्यक्तियों की समस्याओं को हल कर पाते हैं- मौखिक प्राविधि तथा शारीरिक प्रविधि। इन दोनों प्रविधियों को लेकर विशेषज्ञों में विवाद रहा है। किन्तु अब सम्पूर्ण सम्प्रेषण उपागम को ज्यादा उपयोगी माना जा रहा है। यहाँ हम सर्वप्रथम मौखिक प्राविधि पर चर्चा करेंगें-

मौखिक प्राविधि(Oral Technique): श्रवण प्रशिक्षण(Auditory Training) तथा वाणीपठन(Speech Reading*)*

श्रवण प्रशिक्षण (Auditory Training) श्रवण ह्रास से ग्रसित बालक की शेष श्रवण क्षमता को अधिकतम प्रयोग कर अर्थपूर्ण सुचनाये प्राप्त करने की विधि सिखाने का प्रशिक्षण है। इस प्रशिक्षण से बहुत ही कम बालक लाभ प्राप्त कर पाते हैं। जबकि प्रौद्योगिकी विकास के कारण अब इससे अधिक लाभ लिया जा रहा है।

श्रवण प्रशिक्षण (Auditory Training) के निम्लिखित तीन प्रमुख उद्देश्य हैं-

- ध्वनि जागरूकता का विकास
- वातावरणीय ध्वनियों के मध्य मोटा-मोटी अंतर करने की क्षमता का विकास
- भाषिक-ध्वनियों के मध्य विभेद करने की क्षमता का विकास

वाणी पठन (Speech Reading) के लिए कभी-कभी ओष्ठ पठन (Lip Reading) समानार्थी शब्द के रूप में प्रयुक्त किया जाता है किन्तु उचित नहीं है क्योंकि वाणी पठन (Speech Reading) काफी व्यापक पद है जो पूरे वातावरण को सम्मिलित करते हैं जिससे अधिकाधिक सुचनाये प्राप्त की जा सकती है जबकि ओष्ठ पठन (Lip Reading) मात्र ओष्ठ तक सिमित करता है। वाणी पठन (Speech Reading) श्रवण ह्रास व्यक्तियों को दृश्य सूचनाओं के आधार पर सम्प्रेषण स्थापित करने का प्रशिक्षण है।

वाणी पाठक (Speech Reader) मुख्यतः तीन प्रकार की दृश्य सूचनाओं से लाभ उठा सकते हैं जोकि अग्रलिखित हैं-

- वातावरणीय उद्दीपक
- सूचना से सम्बंधित उद्दीपक जोकि वाणी का हिस्सा नहीं हो
- वाणी से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े उद्दीपक

सम्पूर्ण सम्प्रेषण (Total Communication)

१९७० से मौखिक प्राविधि अनुदेशन से सम्पूर्ण सम्प्रेषण अनुदेशन निम्नलिखित कारको की वजह से प्रयोग में लाया जाने लगा है जोकि काफी तर्कसंगत है।

- कुछ अध्ययनों में श्रोता माता-पिता के श्रवण बाधित बालकों की शैक्षिक उपलब्धि, लेखन, पठन, तथा सामाजिक परिपक्वता श्रवण बाधित माता-पिता के श्रवण बाधित बालकों से उत्तम पाई गई।
- मात्र-मौखिक विधि की प्रभाविता के प्रति असंतोष

सांकेतिक प्रणाली(Sign System):

यह प्रणाली शारीरिक प्रविधि का एक प्रकार है जिसका प्रयोग सम्पूर्ण सम्प्रेषण उपागम में किया जाता है। इसके अंतर्गत ऊँगली-वर्तनी तथा शाब्दिक कूटों के माध्यम से सम्प्रेषण स्थापित किया जाता है। उँगली-वर्तनी विभिन्न भाषाओँ में विकसित कर ली गयी है तथा श्रवण ह्रास ग्रसित बालकों में सम्प्रेषण स्थापित करने का मुख्य साधन है।

प्रशासनिक व्यवस्था(Administrative Arrangements):

श्रवण ह्रास से ग्रसित बालकों को उनकी अक्षमता की तीव्रता के अनुसार नियमित विद्यालयों से लेकर विशेष विद्यालायों की आवश्यकता होती है। ज्यादातर बालकों का सही आंकलन नहीं हो पाता जिससे बालकों को उपयुक्त शैक्षिक व्यवस्था में प्रवेश नहीं हो पाता। कुछ विशेषज्ञों का दृष्टिकोण एवं समझ भी ऐसे बालकों को

उपयुक्त शैक्षिक व्यवस्था उपलब्ध करने में असफल रहा है। कुछ लोंगो का यह विचार है कि बधिर-संस्कृति में ही बालक ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकता है तथा मुख्य-धारा इनके लिए संभव नहीं है।

प्रौद्योगिकीय तरक्की (Technological Advances):

प्रौद्योगिकी तरक्की से श्रवण ह्रास के क्षेत्र में भी अद्भुत परिवर्तन हुआ तथा श्रवण ह्रास बालकों का जीवन उत्कृष्ट हुआ है। मुख्यतः निम्नलिखित चार क्षेत्रों में यह तरक्की अवलोकित होती है-

- कम्प्यूटर आधारित अनुदेशन,
- दूरदर्शन,
- दूरभाष, तथा
- श्रवण-यंत्र

कंप्यूटर आधारित अनुदेशन(Computer Assisted Instruction)-

कंप्यूटर की सहायता से शब्द तथा वाणी से युक्त सूचनाओं को अधिक से अधिक दृश्य सुचनाओं में परिवर्तित करके बालको के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। कुछ ऐसे सॉफ्टवेर विकसित हुए है जो वाणी को दृश्य रूप या सांकेतिक रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। श्रवण ह्रास से ग्रसित बालकों को इस प्रकार के तकनीकी के प्रशिक्षण की जरूरत है।

दूरदर्शन(Television)- दूरदर्शन शिक्षा तथा सूचना प्राप्त करने का का एक सशक्त माध्यम है। श्रवण ह्रास से ग्रसित बालक को भी इस माध्यम से पूर्ण लाभ मिले इसके लिए अब दूरदर्शन पर समाचार आदि को सांकेतिक भाषा में भी प्रसारित किया जा रहा है। अन्य कार्यक्रमों में भी लिखित पट्टियां ध्वनि की कमीं को पूरा करती हैं। श्रवण ह्रास बालकों को भी ऐसे कार्यक्रमों से लाभ लेने के लिए प्रशिक्षण देने की जरूरत होती है।

दूरभाष(Telephone)- दूर-टंकण-यन्त्र(Teletypewriter i.e. TTY) का विकास श्रवण ह्रास बालकों/व्यक्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जोकि एक दूरभाष यन्त्र से जुड़ता है तथा एक श्रवण ह्रास व्यक्ति को दुसरे श्रवण ह्रास व्यक्ति से, जो की TTY रखा हो टंकण के माध्यम से सम्प्रेषण स्थापित करने में सहयोग प्रदान करता है। इसकी सबसे बड़ी सीमा यह है की यह सामान्य व्यक्ति से सम्प्रेषण में उपयोगी नहीं है। आजकल स्मार्ट फ़ोन आदि का भी प्रयोग किया जा रहा है।

श्रवण यन्त्र(Hearing Aids)- कई प्रकार के श्रवण यन्त्र श्रवण ह्रास से ग्रसित बालकों की आवश्यकताओं के अनुसार उपलब्ध है। बालकों को उनकी जरूरतों के अनुसार श्रवण यन्त्र उपलब्ध करने की जरूरत होती है

ताकि वे शेष श्रवण क्षमता का प्रयोग कर सकें। व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों प्रकार के श्रवण यन्त्र आवश्यकता के अनुसार उपयोग किये जाते हैं।

अभ्यास प्रश्न

11. श्रवण ह्रास से ग्रसित बालकों की भाषा एवं वाणी सम्बन्धी समस्याओं का उल्लेख करें।
12. श्रवण ह्रास के कारण बौद्धिक क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है?
13. श्रवण ह्रास से ग्रसित बालकों की शैक्षिक उपलब्धि सम्बन्धी समस्याओं का वर्णन कीजिए।
14. श्रवण ह्रास से ग्रसित बालकों में सामाजिक समायोजन से सम्बंधित क्या-क्या समस्याएं आती हैं? लिखें।
15. श्रवण ह्रास से ग्रसित बालकों के प्रशासनिक व्यवस्था से सम्बंधित आवश्यकताओं का उल्लेख करें।

4 .3.4 भाषा-दोष से ग्रसित बालक की समस्याएँ एवं आवश्यकताएँ

भाषा-दोष से ग्रसित बालक की समस्याएं दोष की तीव्रता एवं उसके प्रकार पर निर्भर करता है। कई बार कई समस्याओं का संयोग भी मिलता है जिन्हें निम्नवत वर्णित किया जा सकता है-

उच्चारण-दोष(Articulation Disorder): इस दोष में बालक कुछ विशेष शब्दों का उच्चारण करने में कठिनाई महसूस करता है। कुछ अक्षरों को छोड़कर शब्दों को पढता है। कई बार कुछ शब्दों को जोड़कर शब्दों को पढता है तथा कई अक्षरों को बदलकर शब्दों को पढता है। इसकारण बालक सम्प्रेषण में कमजोर साबित होता है तथा अन्य लोग इसे समझ नहीं पाते।

प्रवाह(Fluency): प्रवाह से तात्पर्य वाणी के प्रवाह से है। बालक में यह प्रवाह की समस्या 'हकलाना' कहलाती है। बालक कुछ शब्दों को बोलने में अधिक समय लेता है या एक शब्द के कुछ अक्षरों को कई बार दुहराता है या कुछ शब्दों को बोलने में झिझकता है। चेहरे, गर्दन, कन्धों या मुठ्ठियों में तनाव भी देखने को मिलता है।

आवाज(Voice): वाणी-दोष से ग्रसित बालक की आवाज में तारत्व, अनुनाद, गुणवत्ता एवं उच्चता की समस्याएं पाई जातीं हैं। आवाज में कर्कशता, मोटी आवाज, या आवाज में रूखापन होना आदि से बालक समस्याग्रस्त रहता है।

भाषा(Language):भाषा-दोष के रूप में बालक को दो अलग-अलग या संयुक्त रूप से निम्नवत समस्याए हो सकती है-

१. बालक को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में या

२. दूसरों के विचारों के अर्थापन करने में

बालक शब्द को देख या सुन सकता है लेकिन उसे समझाने में अक्षम होता है। या दूसरों से सम्प्रेषण स्थापित करने में अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में समस्या आ जाती है। बालक की ये समस्याएं स्वलीनता, या अधिगम अक्षमता की समस्याओं के सामान हैं जिससे इनकी पहचान हेतु एक कुषाण भाषा-रोग शास्त्री की जरूरत होती है।

आवश्यकताएं(Needs): सम्प्रेषण कौशल किसी भी शैक्षिक कार्यक्रम का ह्रदय होता है। भाषा दोष से ग्रसित बालक को विशेष शिक्षा सेवाओं तथा सम्बंधित सेवाओं की आवश्यकता होती है। ऐसे बालको की आवश्यकता एवं अक्षमता की तीव्रता के आधार पर कई प्रकार की शैक्षिक सेवाओं की जरूरत पढ़ती है। विशेष शिक्षा सेवा एवं सम्बंधित सेवा का नियोजन एवं क्रियान्वयन वैयक्तिक शिक्षा योजना (Individualised Education Programme) एवं बालाकों की आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाता है। ज्यादातर बालकों को भाषा एवं वाणी-रोगशास्त्र सेवाओं की आवश्यकता होती है। ये सेवाएं निम्नलिखित को शामिल करती हैं-

- भाषा-दोष से ग्रसित बालको की पहचान करना।
- विशिष्ट भाषा-दोषों का निदान।
- चिकित्सकीय या अन्य व्यावसायिक सलाह।
- भाषा एवम् वाणी सेवाओं का प्रावधान।
- भाषा-दोष से ग्रसित बालकों, उनके माता-पिता, सम्बंधित शिक्षकों का परामर्श एवं निर्देशन।

सहायक प्रौद्योगिकी(Assistive Technology): जिन भाषा-दोष वाले बालकों में भौतिक परिस्थितियां सम्प्रेषण को कठिन बना देतीं हैं, उनमें सहायक प्रौद्योगिकी बहुत अधिक उपयोगी है। वैयक्तिक शैक्षिक कार्यक्रम के अनुसार बालक इलेक्ट्रॉनिक सम्प्रेषण या अन्य यंत्रों के प्रयोग से लाभ प्राप्त करता है। सहायक प्रौद्योगिकी बालक के अपने अधिगम का प्रदर्शन करने, कक्षा- कार्य को संपन्न करने, तथा अपने विचारों को साझा करने में सहयोग प्रदान करती है।

अभ्यास प्रश्न

16. भाषा-दोष से ग्रसित बालक की समस्याओं को सूचीबद्ध करें।
17. भाषा-दोष से ग्रसित बालकों की आवश्यकताओं का उल्लेख करें।

4 .4 सारांश

विशिष्ट बालकों के सामान्य बालकों से विचलन की वजह से कई प्रकार की समस्याए आ जाती हैं जिससे इन बालकों का समायोजन एवम् शिक्षा प्रभावित होती है। विशिष्ट बालकों का सामान्य बालकों से विचलन कई समस्याओं को जन्म देता है जैसे: अवधान क्षमता, स्मृति, भाषा विकास, समायोजन क्षमता, व्यवहार कुशलता, अपने वातवरण में उन्मुक्त विचरणशीलता आदि। इन बालकों की समस्याएँ इनकी विचलन की दिशा व मात्रा पर निर्भर करती है।

प्रतिभाशाली एवं प्रवीण बालक हर क्षेत्र में- बुद्धि में, शारीरिक क्षमता में, शरीरिक बनावट में, सामाजिक कुशलता में, उपलब्धि में, सांवेगिक स्थायित्व में उत्कृष्ट होते हैं। समूह के अन्य सदस्यों से प्रतिभाशाली बालक कई विशेषताओं में उत्कृष्ट होते हैं। प्रतिभाशाली बालकों का शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। ऐसे बालक खेलकूद आदि क्रियाकलापों में अधिक रुचि लेते हैं। प्रतिभाशाली बालक अपने आयु वर्ग के बालकों की तुलना में अधिक बुद्धिलब्धि वाले होते हैं। उनकी सीखने की गति अधिक होती है। प्रतिभाशाली बालक हमेशा खुश रहते हैं तथा अपने समूह के नेता होते हैं। ज्यादातर प्रतिभाशाली एवं प्रवीण बालक सांवेगिक रूप से स्थाई होते हैं तथा किसी भी प्रकार की मानसिक अस्वस्थता के होने की संभावनाओं से दूर होते हैं। इन बालकों में सामाजिक न्याय एवं सही-गलत की अच्छी समझ होती है। ये बालक नैतिक व्यवहार एवं नातिक मूल्यों को धारण करने में भी सामान्य बालकों से उत्कृष्ट होते हैं।

प्रतिभाशाली बालकों के शारीरिक विकास के अनुसार इन बालको को नए एवं अधिक चुनौतीपूर्ण खेलों में शामिल करने की आवश्यकता होती है। कुछ सामान्य नियमित खेलों में भी नियमों में परिवर्तन करके उन्हें आकर्षक बनाने की जरूरत होती है।

इन बालकों की शैक्षिक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इन्हें विशिष्ट कक्षाओं की व्यवस्था की जरूरत होती है। पाठ्यक्रम को अधिक समृद्ध करने की आवश्यकता होती है। नए शिक्षण व्यूह आदि की सहायता से कक्षाओं को अधिक प्रभावशाली एवं आकर्षक बनाना होता है। इन बालकों के शैक्षिक रुचियों के अनुसार शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन एवं पाठ्यचर्या का समृद्धिकरण की आवश्यकता होती है। विस एवं गालाघर (Weiss & Gallaghar, 1982) ने पाठ्यचर्या के समृद्धिकरण हेतु सात प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रमों का सुझाव दिया है-

- कक्षा का समृद्धिकरण
- सलाहकार शिक्षक कार्यक्रम
- संसाधन कक्ष
- सामुदायिक परामर्शदाता कार्यक्रम
- स्वाध्याय कार्यक्रम
- विशिष्ट कक्षा

- विशेष विद्यालय

मानसिक मंद बालको की तुलना सामान्य बालकों से की जाती है। मानसिक मंद बालकों में परिलक्षित संज्ञानात्मक एवम् व्यक्तित्व सम्बन्धी समस्याएँ इस प्रकार हैं-

मानसिक मंद बालकों की सबसे बड़ी व स्पष्ट समस्या "सीखने की क्षमता" में कमी है। कई ऐसी संज्ञानात्मक समस्याएँ हैं जिसमे बालक की मानसिक मंदता प्रदर्शित होती है। शोधों से यह स्पष्ट हुआ है कि मानसिक मंद बालकों को निम्नवत चार संज्ञानात्मक क्षेत्रों में समस्याएँ होतीं हैं-

- अवधान(Attention)
- स्मृति(Memory)
- भाषा(Language)
- शिक्षा(Academics)

मानसिक मंद बालकों में सामजिक व सांवेगिक समस्याएँ विविधता में पायीं जाती हैं। विशेषतः ये बालक मित्र बनाने में कठिनाई महसूस करते हैं तथा आत्म-संप्रत्यय का आभाव होता है। इसका अर्थ यह बिलकुल नहीं कि इन्हें मित्रों की आवश्यकता नहीं होती या इन्हें प्रेम, बांधुत्व, आदि से कोई सरोकार नहीं होता बल्कि ये बालक समाज या परिवार से कट जाने के कारण आने वाली समस्याओं के चलते मित्र बनाने में कठिनाई महसूस करते हैं। मानसिक मंद बालक की संज्ञानात्मक समस्याओं का कारण बुद्धि-लब्धि स्थाई समस्या है जिससे जनित आवश्यकताओं- अवधान क्षमता का विकास, स्मृति का विकास, भाषा विकास एवं शैक्षिक उपलब्धि में विकास करना मानसिक मंद बालकों की मुख्य संज्ञानात्मक आवश्यकताएं हैं।

दृष्टि बाधिता के कारण बालक को कई प्रकार की मनोवैज्ञानिक एवम् व्यावहारिक समस्याएँ आ जाती हैं। ज्यादातर विद्वानों का मत है कि दृष्टि बाधा भाषा विकास में सार्थक प्रभाव नहीं डालती। भाषा विकास दृष्टि के बजाय श्रवण पर ज्यादा निर्भर करती है। दृष्टि बाधिता की वजह से ऐसे बालक श्रवण क्षमता में सामान्य बालकों की अपेक्षा सुनने के लिए अधिक प्रेरित रहते हैं क्योकि बालक के लिए श्रवण ही सम्प्रेषण का मुख्य माध्यम होता है। इस प्रकार दृष्टि अक्षम बालक भाषा विकास की दृष्टि से सामान्य बालकों से भिन्न नहीं होते।

दृष्टि अक्षम बालक सामान्य बालकों की तुलना में संप्रत्ययात्मक विकास में कुछ पीछे होते हैं(स्टेफेन & ग्रूब, १९८२)। दृष्टि अक्षम बालक एवं सामान्य बालक की संप्रत्ययात्मक क्षमता में अंतर उनके स्पर्शीय अनुभव एवं दृश्य अनुभव के अंतर की वजह से होता है। चलिष्णुता अपने वातावरण से समायोजन करने की एक महत्वपूर्ण क्षमता है। दृष्टि अक्षमता से सबसे ज्यादा बालकों की चलिष्णुता प्रभावित होती है। फलस्वरूप बालक की वातावरण से अंतःक्रिया प्रभावित हो जाती है।

यह एक प्रकार का अन्धविश्वास है कि दृष्टि के बदले ऐसे बालको में अन्य इन्द्रियों में अधिक तीक्ष्णता आ जाती है या छठी इंद्री विकसित हो जाती है। जबकि वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं होता। बालक अपनी अक्षमता की वजह से सुचनाये प्राप्त करने में कमी को पूरा करने के लिए अन्य इन्द्रीओं का प्रयोग अधिक तत्परता एवं अवधान के साथ करता है।

कुछ अध्ययन स्पष्ट करते हैं कि दृष्टि अक्षम बालकों की शैक्षिक उपलब्धि सामान्य बालकों की अपेक्षाकृत कम होती है(Suppes, 1974)। दृष्टि अक्षम बालकों में व्यक्तित्व सम्बन्धी समस्याएँ समाज के दृष्टिकोण एवं व्यवहार की वजह से आती हैं न कि दृष्टि बाधिता में निहित होती हैं। दृष्टि अक्षम बालकों में कुछ सामाजिक कौशलों की कमी आ जाती है जैसे- मुख के हाव-भाव, वाणी एवं शारीरिक गति आदि क्योंकि ये कौशल बालक अपने से बड़ो को देखकर अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। अर्थात सामान्य बालक ये कौशल दृष्टि की सहायता से सीखते हैं। वहीँ दृष्टि अक्षम बालक इन कौशलों को सीखने में पीछे रह जाते हैं। जबकि एक कुशल प्रशिक्षक इन सामाजिक कौशलों का प्रशिक्षण देकर उन्हें सीखा सकता है। कुछ दृष्टि अक्षम बालकों के अच्छे समायोजन में सबसे बड़ी बाधा उनका एकरूप व्यवहार*(Stereotypic behaviour)* है। ये एकरूप व्यवहार दृष्टि अक्षम बालकों के आवृति युक्त गति/व्यवहार जैसे-हिलना, आँखें मलना, झूमना आदि हैं।

दृष्टि अक्षम बालकों में अपने वातावरण सम्बन्धी सूचना प्राप्त करने का मुख्य स्रोत दृष्टि की कमी के कारण बालकों का अनुभव सिमट जाता है। ऐसे में सामान्य वातावरण में बालक की कठिनाइयाँ अधिक हो जाती हैं। बालक की कठिनाइयों के कारण सामान्य बालकों की तुलना में बालक की आवश्यकताए भिन्न हो जाती हैं। बालक की मुख्यतः चार आवश्यकताएं निम्नवत इस प्रकार हैं-

- ब्रेल
- शेष दृष्टि का प्रयोग
- श्रवण कौशल
- अनुस्थिति एवं चलिष्णुता प्रशिक्षण

ऐसे बालकों के उचित समायोजन के लिए प्रशासनिक स्तर पर अधिक प्रयास की जरूरत है। उपयुक्त शिक्षण संस्थाएं, शिक्षण सहायक यन्त्र, जीवन स्तर को उत्कृष्ट बनाने हेतु यन्त्र, सामाजिक चेतना जागरण आदि आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रशासन के पूरे सहयोग एवं दृढ इच्छाशक्ति की आवश्यकता है। हालाँकि बहुत से प्रयास जारी हैं। जैसे समावेशी शिक्षा की व्यवस्था, छात्रवृत्ति, सहायक यंत्रों की खरीद हेतु आर्थिक सहायता, आरक्षण आदि प्रयास सराहनीय हैं। इसके बावजूद अभी एक लम्बी दूरी तय की जानी बाकी है।

इस भाषा-आधारित समाज में श्रवण ह्रास से ग्रसित व्यक्ति को अधिक हानि पहुंचती है। बालक या व्यक्ति कई प्रकार की समस्याओं से जूझता है। श्रवण ह्रास से ग्रसित बालक को ध्वनि का कोई संप्रत्यय ही नहीं होता है जिससे बालक अपने समाज से अन्तः क्रिया करने में अक्षम हो जाता है। फलस्वरूप भाषा एवं वाणी का विकास बुरी तरह से प्रभावित हो जाता है।

श्रवण ह्रास से ग्रसित बालक की बौद्धिक क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है बल्कि बालक और श्रोता-समाज के मध्य सम्प्रेषण कम होने से कुछ सम्प्रत्यात्मक जटिलताएं या सम्प्रत्ययीकरण की समस्याएँ बालक में रह जाती हैं। श्रवण ह्रास से ग्रसित बालकों की शैक्षिक उपलब्धि कम होती है क्योंकि इन बालकों की पठन क्षमता सबसे अधिक प्रभावित होती है जोकि बालक की उपलब्धि का एक मुख्य घटक है। सामाजिक एवं व्यक्तित्व विकास बालक और समाज के मध्य सम्प्रेषण पर निर्भर करता है। श्रवण ह्रास से ग्रसित बालक समाज से कट सा जाता है तथा बालक एक प्रकार से समाजीकरण की प्रक्रिया से वंचित रह जाता है। इन बालकों में सामान अक्षमता वाले बालकों के साथ दोस्ती अच्छी होती है।

श्रवण ह्रास वाले बालकों की सबसे बड़ी समस्या सम्प्रेषण स्थापित करने में अक्षमता है। सम्बंधित शिक्षकों के लिए सम्प्रेषण स्थापित करना एक बड़ी चुनौती होती है। सम्प्रेषण की समस्या को दूर करने हेतु इन बालकों को कुछ विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। विशेषतः दो प्रकार के प्रशिक्षण श्रवण ह्रास व्यक्तियों की समस्याओं को हल कर पाते हैं- मौखिक प्राविधि तथा शारीरिक प्रविधि। इन दोनों प्रविधियों को लेकर विशेषज्ञों में विवाद रहा है। किन्तु अब सम्पूर्ण सम्प्रेषण उपागम को ज्यादा उपयोगी माना जा रहा है।

श्रवण ह्रास से ग्रसित बालकों को उनकी अक्षमता की तीव्रता के अनुसार नियमित विद्यालयों से लेकर विशेष विद्यालायों की आवश्यकता होती है। ज्यादातर बालकों का सही आंकलन नहीं हो पाता जिससे बालकों को उपयुक्त शैक्षिक व्यवस्था में प्रवेश नहीं हो पाता। कुछ विशेषज्ञों का दृष्टिकोण एवं समझ भी ऐसे बालकों को उपयुक्त शैक्षिक व्यवस्था उपलब्ध करने में असफल रहा है। कुछ लोंगो का यह विचार है कि बधिर-संस्कृति में ही बालक ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकता है तथा मुख्य-धारा इनके लिए संभव नहीं है।

प्रौद्योगिकी तरक्की से श्रवण ह्रास के क्षेत्र में भी अद्भुत परिवर्तन हुआ तथा श्रवण ह्रास बालकों का जीवन उत्कृष्ट हुआ है। मुख्यतः निम्नलिखित चार क्षेत्रों में यह तरक्की अवलोकित होती है-

- कम्प्यूटर आधारित अनुदेशन,
- दूरदर्शन,
- दूरभाष, तथा
- श्रवण-यंत्र

भाषा-दोष से ग्रसित बालक की समस्याएं दोष की तीव्रता एवं उसके प्रकार पर निर्भर करता है। कई बार कई समस्याओं का संयोग भी मिलता है।

उच्चारण-दोष में बालक कुछ विशेष शब्दों का उच्चारण करने में कठिनाई महसूस करता है। कुछ अक्षरों को छोड़कर शब्दों को पढता है। कई बार कुछ शब्दों को जोड़कर शब्दों को पढता है तथा कई अक्षरों को बदलकर शब्दों को पढता है। इस कारण बालक सम्प्रेषण में कमजोर साबित होता है तथा अन्य लोग इसे समझ नहीं

पाते। बालक में यह प्रवाह की समस्या 'हकलाना' कहलाती है। बालक कुछ शब्दों को बोलने में अधिक समय लेता है या एक शब्द के कुछ अक्षरों को कई बार दुहराता है या कुछ शब्दों को बोलने में झिझकता है। चेहरे, गर्दन, कन्धों या मुट्ठियों में तनाव भी देखने को मिलता है।

वाणी-दोष से ग्रसित बालक की आवाज में तारत्व, अनुनाद, गुणवत्ता एवं उच्चता की समस्याएं पाई जातीं हैं। आवाज में कर्कशता, मोटी आवाज, या आवाज में रूखापन होना आदि से बालक समस्याग्रस्त रहता है।

भाषा-दोष के रूप में बालक को दो अलग-अलग या संयुक्त रूप से निम्नवत समस्याए हो सकती है-

१. बालक को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में या
२. दूसरों के विचारों के अर्थापन करने में

बालक शब्द को देख या सुन सकता है लेकिन उसे समझाने में अक्षम होता है। या दूसरों से सम्प्रेषण स्थापित करने में अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में समस्या आ जाती है। बालक की ये समस्याएं स्वलीनता, या अधिगम अक्षमता की समस्याओं के सामान हैं जिससे इनकी पहचान हेतु एक कुशल भाषा-रोग शास्त्री की जरूरत होती है।

सम्प्रेषण कौशल किसी भी शैक्षिक कार्यक्रम का ह्रदय होता है। भाषा दोष से ग्रसित बालक को विशेष शिक्षा सेवाओं तथा सम्बंधित सेवाओं की आवश्यकता होती है। ऐसे बालको की आवश्यकता एवं अक्षमता की तीव्रता के आधार पर कई प्रकार की शैक्षिक सेवाओं की जरूरत पढ़ती है। विशेष शिक्षा सेवा एवं सम्बंधित सेवा का नियोजन एवं क्रियान्वयन वैयक्तिक शिक्षा योजना (Individualised Education Programme) एवं बालाकों की आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाता है।

ज्यादातर बालकों को भाषा एवं वाणी-रोगशास्त्र सेवाओं की आवश्यकता होती है। ये सेवाएं निम्नलिखित को शामिल करती हैं-

- भाषा-दोष से ग्रसित बालको की पहचान करना।
- विशिष्ट भाषा-दोषों का निदान।
- चिकित्सकीय या अन्य व्यावसायिक सलाह।
- भाषा एवम् वाणी सेवाओं का प्रावधान।
- भाषा-दोष से ग्रसित बालकों, उनके माता-पिता, सम्बंधित शिक्षकों का परामर्श एवं निर्देशन।

जिन भाषा-दोष वाले बालकों में भौतिक परिस्थितियां सम्प्रेषण को कठिन बना देतीं हैं, उनमें सहायक प्रौद्योगिकी बहुत अधिक उपयोगी है। वैयक्तिक शैक्षिक कार्यक्रम के अनुसार बालक इलेक्ट्रॉनिक सम्प्रेषण या

अन्य यंत्रों के प्रयोग से लाभ प्राप्त करता है। सहायक प्रौद्योगिकी बालक के अपने अधिगम का प्रदर्शन करने, कक्षा- कार्य को संपन्न करने, तथा अपने विचारों को साझा करने में सहयोग प्रदान करती है।

4 .5 शब्दावली

1. **संज्ञानात्मक-** मानसिक प्रक्रियाओं- अवधान, स्मृति, तर्क आदि से सम्बंधित।
2. **अवधान-** एक उद्दीपन को चयन कर केन्द्रण करने की संज्ञानात्मक प्रक्रिया।
3. **स्मृति-** एक प्रक्रिया जिसमे सूचना का संकेतन, संचयन तथा प्रत्यास्मरण होता है।
4. **व्यक्तित्व-** व्यक्ति के अनुवांशिक एवं वातावरण के अंतक्रिया का समग्र उत्पाद।
5. **सम्प्रत्यात्मक क्षमता-** संप्रत्यय निर्माण की क्षमता।
6. **चलिष्णुता-** एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करना।
7. **ब्रेल-** दृष्टि अक्षम बालकों के पढने व लिखने की स्पर्शीय लिपि।
8. **समायोजन-** आवश्यकता तथा आवश्यकता की पूर्ति के मध्य संतुलन बनाने की प्रक्रिया।
9. **उच्चारण-** ध्वनि उत्पन करने में जिह्वा, होंठ, जबड़ों आदि की गति।

4 .6 संदर्भ ग्रंथ सूची

1. मंगल. एस० के०(२००८). *शिक्षा मनोविज्ञान*. पी० एच० आइ० लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली.
2. संजीव के.(२००८). *विशिष्ट शिक्षा*. जानकी प्रकाशन, पटना.
3. Das. M.(2007). *Education of Exceptional Children*. Atlantic Publishers, New Delhi.
4. Hallahan, Daniel P.(1991). *Exceptional Children: Introduction to Special Education*. Prentice Hall, Englewood Cliff, New Jersey.

4 .7 सहायक/ उपयोगी पाठ्यसामग्री

1. मंगल. एस० के०(२००८). *शिक्षा मनोविज्ञान*. पी० एच० आइ० लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली.
2. संजीव के.(२००८). *विशिष्ट शिक्षा*. जानकी प्रकाशन, पटना.
3. Das. M.(2007). *Education of Exceptional Children*. Atlantic Publishers, New Delhi.
4. Werts. M. G. etal.(2007). *Fundamentals of Special Education*. PHI Learning Private Limited, New Delhi.

4 .8 निबंधात्मक प्रश्न

1. प्रतिभाशाली एवं प्रवीण बालकों की समस्याओं एवं आवश्यकताओं का वर्णन कीजिये।

   Elaborate needs and problems of Gifted and Talented children.
2. मानसिक मंद बालकों की विभिन्न समस्याओं का उल्लेख करें। इनकी आवश्यकताओं पर प्रकाश डालें।

   Enumerate various problems of mentally retarded children. Elaborate their needs.
3. दृष्टि अक्षम बालकों की समस्याओं पर प्रकाश डालें तथा उनकी आवश्यकताओं का वर्णन कीजिए।

   Elaborate problems of children with vision impairment and describe needs of them.
4. श्रवण ह्रास से ग्रसित बालकों की क्या-क्या समस्याएँ होती हैं? इन्हें दूर करने के उपाय सुझाइए।

   What are the problems of children with hearing impairment? Suggest measures to overcome it.
5. भाषा-दोष से ग्रसित बालकों की समस्याओं की विवेचना करें तथा इनकी आवश्यकताओं पर प्रकाश डालें।

   Discuss problems of children with speech defects. Elaborate their needs.

इकाई 5 विशेष शिक्षा के संप्रत्यय एवं कार्य क्षेत्र
(Concept and Scope of Special Education)

5.1 प्रस्तावना
5.2 उद्देश्य
5.3 विशेष शिक्षा: संप्रत्यय
5.4 परिभाषा
5.5 विशिष्ट शिक्षा का विकास
5.6 विशिष्ट शिक्षा का कार्य क्षेत्र
5.7 विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता
5.8 विशिष्ट बालकों के प्रकार
5.9 विशिष्ट शिक्षा के लाभ
5.10 सारांश
5.11 शब्दावली
5.12 संदर्भ ग्रंथ सूची
5.13 निबंधात्मक प्रश्न

5.1 प्रस्तावना

विशिष्ट शिक्षा के तहत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विद्यालय, परिवार, समाज के अनुकूल समायोजित करने का प्रयास किया जाता है ताकि वे अपनी दिन-प्रतिदिन की समस्याओं को हल करने में सक्षम हो सके।

प्रस्तुत इकाई में आप विशिष्ट शिक्षा का अर्थ, परिभाषा, इसके उद्देश्य, आवश्यकता, विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय विकास, कार्यक्षेत्र एवं इससे होने वाले लाभों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगें।

5.2 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात आप -

1. विशिष्ट शिक्षा का अर्थ बता सकेंगे एवं परिभाषित कर सकेंगे।
2. विशिष्ट शिक्षा के कार्य क्षेत्र को बता सकेंगे।

3. विशिष्ट शिक्षा के आवश्यकता को बता सकेंगे।
4. विशिष्ट शिक्षा से होने वाले लाभों को बता सकेंगे।
5. विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय विकास के बारे में बता सकेंगे।

5.3 विशिष्ट शिक्षा

विशिष्ट शिक्षा (Special Education) शिक्षाशास्त्र की एक ऐसी शाखा है जिसके अन्तर्गत उन बच्चों को शिक्षा दी जाती है जो सामान्य बच्चों से शारीरिक मानसिक और समाजिक क्षेत्रों में कुछ अलग होते हैं। इन बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताएँ भी सामान्य बच्चों से कुछ विशिष्ट होती है यही कारण है कि इनको विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक (Children with special needs) भी कहा जाता है। ये बच्चे अपनी सहायता स्वयं नहीं कर पाते। अत: इनकी सहायता के लिए तथा इनको सक्षम बनाने के लिए, विद्यालय, परिवार, समाज और परिवार में समायोजन के लिए विशेष प्रकार की शिक्षा दी जाती है, जिससे वे अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूर्ति करने में स्वयं समर्थ हो सकें। इनकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। अत: कहा जा सकता है कि "विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट रूप से तैयार किया गया एक शैक्षिक अनुदेशन है जिससे शैक्षणिक गतिविधियों, विशेष पाठ्यक्रम और विशेष शिक्षक के द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षण अधिगम सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।" अत: विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अलग विद्यालयों में विशेष ढंग से दी जाने वाली शिक्षा की विशिष्ट शिक्षा कहते हैं।

5.4 परिभाषाएँ (Definitions)

विशिष्ट शिक्षा, शिक्षाशास्त्र की एक ऐसी शाखा है जिसका संबंध विशिष्ट बालकों के शिक्षा एवं उनके समस्याओं से है। इस तरह कहा जा सकता है कि विशिष्ट शिक्षा, विशिष्ट बालकों के शिक्षा से संबंध समस्याओं का विवेचन, विश्लेषण एवं वैज्ञानिक समाधान प्रस्तुत करता है। इस मूल तथ्य को ध्यान में रखते हुए हम कुछ शिक्षाशास्त्रियों द्वारा विशिष्ट शिक्षा की दी गई परिभाषाओं को इस प्रकार उद्धृत कर सकते हैं-

किर्क के अनुसार (1962):- " **'विशिष्ट शिक्षा'** शब्द शिक्षा के उन पहलुओं को इंगित करता है जिसे विकलांग एवं प्रतिभाशाली बच्चों के लिए किया जाता है, लेकिन औसत बालकों के मामलों में प्रयुक्त नहीं होता।"

हल्लहन और कॉफमैन के अनुसार:- "विशेष शिक्षा का अर्थ विशेष रूप से तैयार किये गये साधनों के द्वारा विशिष्ट बच्चों को प्रशिक्षण देना है। इसके लिए विशिष्ट साधन, अध्यापन तकनीक, उपकरण तथा अन्य सुविधाओं की आवश्यकता होती है।"

विकलांग शिक्षा अधिनियम के अनुसार:- "विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट रूप से डिजाइन किया गया अनुदेशन है जो विकलांग बच्चों की अतुलनीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो। इसमें वर्ग कक्ष अनुदेशन गृह अनुदेशन एवं अस्पतालीय एवं संस्थानीय अनुदेशन भी शामिल है"

उपरोक्त परिभाषाओं का विश्लेषण करने पर हमें विशेष शिक्षा (विशिष्ट शिक्षा) का अर्थ एवं स्वरूप के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्त होते हैं:-

1. विशेष शिक्षा विशिष्ट बालकों जैसे- दृष्टिबाधित, श्रवण अक्षम, मानसिक मंद, अधिगम अक्षम प्रतिभाशाली बालकों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया अनुदेशन है।
2. विशेष शिक्षा में विशेष साधनों जैसे- ब्रेल, एवेकस, Sign Language, ट्रेलर फ्रेम इत्यादि का प्रयोग किया जाता है।
3. इसमें कुछ विशिष्ट शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है।
4. यह अनुदेशन विशिष्ट बालकों के लिए ही लाभप्रद होती है न कि सामान्य बालकों के लिए।

अभ्यास प्रश्न

1. विशिष्ट शिक्षा को परिभाषित कीजिये।

5.5 विशिष्ट शिक्षा का विकास

अंतर्राष्ट्रीय परिपेक्ष्य-

i. पश्चमी देशों में प्राग एतिहासिक काल में विकलांग बच्चों को जन्म के समय अथवा शैशववस्था में मार दिया जाता था। इंग्लैंड के राजा हेनरी द्वितीय ने 12 वी शताब्दी में सबसे पहले विशिष्ट बालकों के लिए कानून का निर्माण किया था।
ii. सोलहवीं शताब्दी के प्रारंम्भ में पश्चमी देशों में बधिरों के नियमित शिक्षक प्रशिक्षण के जरिये विशिष्ट शिक्षा की शुरुआत हुई।
iii. 1555 ई० में स्पेन के महात्मा पेड्रो पाँस डी लियोन ने पहली बार श्रवण वधितों के लिए शिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ किए।
iv. पैब्लो बोनेट ने वर्ष 1620 ई० में बधिरों के शिक्षा पर एक पुस्तक लिखी जिसमें उन्होने हस्त मैनुअल अल्फबेट का विकास किया।
v. 1680 ई० में जार्ज डालगार्णो ने ' मूक और बधिर लोगों के अध्यापक' नाम की एक पुस्तक की रचना की, जिसमें उन्होने बधिरों की शिक्षा हेतु अनुदेशनात्मक विधियों के विकास पर प्रकाश डाला गया।

vi. थॉमस ब्रेड बूड ने 1767 ई० में श्रवण वाधित बालकों की शिक्षा के लिए प्रथम शिक्षण संस्थान की स्थापना ब्रिटेन में की।

vii. दृष्टि बधितों के लिए प्रथम शिक्षण संस्थान की शुरुआत वेलेंटाएन हौवे के द्वारा फ्रांस मे किया गया।

viii. फ्रांसीसी चिकित्सक जिन मार्क इटार्ड ने 1800 ई० में मानसिक विकलांग बच्चों के लिए व्यवस्थित शिक्षा की शुरुआत की।

ix. 1975 ई० में अमेरिका में 'सभी विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा अधिनियम' या लोक कानून पास हुआ। इस अधिनियम के तहत तीन से इक्कीस वर्ष के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों एवं युवाओं को नि: शुल्क समान एवं समुचित शिक्षा मुहैया करना अनिवार्य कर दिया।

x. 1990 ई० में इंडिभिजुअल्स विथ डिसएविलिटीज एडुकेशन एक्ट (IDEA) अमेरिका में बना।

भारतीय परिपेक्ष्य

संवैधानिक प्रावधान –

i. अनुच्छेद 29 (1) में कहा गया है कि कोई भी नागरिक धर्म, मूल, जाति और भाषाई आधार पर राज्य निधि से सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थानों में नामांकन से वंचित नहीं हो सकता।

ii. अनुच्छेद 45 में सभी बालकों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध किया गया है।

iii. अनुच्छेद 21 (क) में कहा गया है कि राज्य कानूनन निर्धारित पद्धति से 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को नि: शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा।

कोठारी आयोग

i. कोठारी आयोग के अनुसार एक विकलांग बच्चे के लिए शिक्षा का पहला कार्य यह है कि सामान्य बच्चों कि आवश्यकताओं कि पूर्ति के लिए उसे तैयार करे। इसलिए यह आवश्यक है कि विकलांग बच्चों कि शिक्षा सामान्य प्रणाली का ही एक अविच्छिन अंग हो। अंतर केवल बच्चे को पढ़ने कि विधि और बच्चे द्वारा ज्ञान प्राप्ति के लिए अपनाए गए साधनों में होगा।

ii. कोठारी आयोग कि अनुशंसा के आधार पर 1974 में कल्याण मंत्रालय ने एकीकृत शिक्षा योजना का शुभारंभ किया।

iii. 1975 ई० में कल्याण मंत्रालय नें "विकलांग व्यक्तियों के लिए एकीकृत शिक्षा परियोजना " कि शुरुआत कि।

iv. वर्ष 2005 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने आई०ई० डी० सी० योजना में 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग के नि: शक्त युवाओं को शामिल करके " नि:शक्त बच्चों और युबाओं के लिए समवेशी शिक्षा " योजना का शुभारंभ किया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि “शिक्षा सबके लिए तभी मायने रखती है जब विकलांग बच्चों को भी शिक्षा का अवसर दिया जाय।“ इस नीति के तहत विकलांग बच्चों कि शिक्षा के लिए निम्नलिखित सुझाव दिये गए।

1. जहां तक भी व्यावहारिक है कर्मेन्द्रिय दोषों और मामूली नि:शक्तता ग्रस्त बच्चों कि शिक्षा दूसरे बच्चों के साथ होगी।
2. गंभीर रूप से विकलांग बच्चों के लिए जहां तक संभव हो, जिला मुख्यालयों पर छात्रावासों से युक्त विशेष विद्यालयों कि व्यवस्था कि जाय।
3. गंभीर बच्चों की विशेष कठिनाइयों का सामना करने के लिए अध्यापक प्रशिक्षण कार्य क्रमों को नई दिशा दी जाएगी।

सर्व शिक्षा अभियान

इस कार्यक्रम की शुरुआत 2000 में किया गया था। सर्वशिक्षा अभियान आरंभिक शिक्षा के सर्वजनिकरण की केंद्र प्रायोजित एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य सभी बस्तियों को स्कूली सुविधा,शतप्रतिशत नामांकन, ठहराव एवं संतोषप्रद उपलब्धि स्तर प्राप्त करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2005 तक सभी बच्चों के लिए प्रारम्भिक विद्यालय, शिक्षा गारंटी केंद्र, वैकल्पिक विद्यालय, ‘बैक टू स्कूल’ शिविर आदि उपलब्ध करने का लक्ष्य रखा था।

नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 (Person with Disability Act, 1995)- नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण, और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अध्याय – 5 में विकलांग बालकों के लिए निशुल्क शिक्षा व्यवस्था किए जाने का प्रावधान है। इस अधिनियम के धारा (क) में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि समुचित सरकारें और स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक विकलांग बालकों को 18 वर्ष कि आयु प्राप्त कर लेने तक उचित वातावरण में नि: शुल्क शिक्षा प्राप्त हो सके। वे विकलांग बालकों का सामान्य विद्यालयों में एकीकरण के संवर्धन का प्रयास करेंगे। उसके लिए जिन्हें विशेष शिक्षा कि आवश्यकता है, सरकारी और प्राइवेट सैक्टर में विशेष विद्यालयों की स्थापना में ऐसी रीति से अभिवृद्धि करेंगे कि जिनसे देश के किसी भाग में रह रहे विकलांग बालकों की ऐसी विद्यालयों में पहुँच हो।

राष्ट्रीय न्यास अधिनियम (1999)- (National Trust Act- 1999)- राष्ट्रीय न्यास का उद्देश्य विकलांग व्यतियों के परिवारों को सशक्त बनाना है ताकि वे विकलांग व्यक्तियों को परिवार में रख सकें। न्यास विकलांग व्यक्तियों और उसके परिवारों को राहत एवं कई अन्य तरह के सेवाएँ प्रदान करती है। ये सेवाएँ संस्थानिक देख रेख एवं घरों के जरिये मुहैया कराई जाती है।

अभ्यास प्रश्न

2. विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में हुये विकास का वर्णन अंतर्राष्ट्रीय परिपेक्ष्य में करें।

3. भारतीय परिपेक्ष्य में विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में हुये विकासों का वर्णन करें।

5.6 विशिष्ट शिक्षा का कार्य क्षेत्र

विशिष्ट बालकों एवं उनके व्यक्तिव से संबंधित विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करना विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके विषय वस्तु के अंतर्गत विशिष्ट बालकों के पहचान उनकी शिक्षा, निर्देशन, निदान उनके व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित समस्याओं पर विचार किया जाता है।

विशिष्ट शिक्षा का कार्य क्षेत्र

1. **पहचान (Identification):-** विशिष्ट बालकों की पहचान करना विशिष्ट शिक्षा की मुख्य विषयवस्तु है। इसके अन्तर्गत दृष्टिवाधित श्रवण बाधित, मानसिक मंद, अधिगम अक्षम, बुद्धिमान बालकों की पहचान इनकी विशेषताओं के आधार पर किया जाता है। यद्यपि इन बालकों को पहचान करने के लिए अलग-अलग तरह के यंत्रों एवं विधियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे दृष्टि बाधित

बालकों को पहचान करने के लिए स्नैलेन चार्ट, श्रवण बाधितों के लिए ऑडियोमीटर, मानसिक मंद बालकों के लिए बुद्धि परीक्षण प्रयुक्त किया जाता है।

दृष्टि बाधित बालकों की शिक्षा:- दृष्टि बाधित बालक वे बालक होते हैं जो ठीक प्रकार से देख पाने में असमर्थ होते हैं। ऐसे बालक भी दो प्रकार के होते हैं- पूर्ण दृष्टिबाधित एवं अलप दृष्टि वाले बालक। विशिष्ट शिक्षा के अर्न्तगत इन बालकों की शैक्षिक आवश्यकताएॅ जैसे- ब्रेल, एवेकस, ट्रेलर फ्रेम, परिवर्धित मानचित्र के बारे में अध्ययन किया जाता है।

2. **श्रवण बाधित बालकों की शिक्षा:-** विशिष्ट शिक्षा, शिक्षाशास्त्र की एक शाखा के जिसके अर्न्तगत श्रवण बाधित बालकों की पहचान, उनके प्रकार, शिक्षा, शिक्षा की विधि श्रवण बाधिता के कारण उसके परिणाम इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। इनके शिक्षण विधि में ओष्ठ पठन फिंगर स्पेलिंग, संकेत भाषा, स्पीच रीडिंग आदि प्रमुख है। विशेष शिक्षा के अर्न्तगत इन सभी शिक्षण विधियों का अध्ययन किया जाता है।
3. **मानसिक मंद बालकों की शिक्षा:-** मानसिक रूप से मंद बालक एक विशिष्ट प्रकार के बालक होते हैं। इसके अर्न्तगत वे बालक आते हैं जिनको बुद्धि स्तर तथा सोचने समझने की क्षमता सामान्य बालकों से कम होती है तथा वे समाज के साथ समायोजन करने में असमर्थ होते हैं। ऐसे बालकों की मानसिक बाधिता के परिणाम भिन्न-भिन्न होते हैं। इन बालकों की पहचान, मानसिक मंदता के कारण, मानसिक मंद बालकों के प्रकार, उनकी शिक्षा एवं ऐसे बालकों की समस्याओं का अध्ययन विशिष्ट शिक्षा में किया जाता है।
4. **अधिगम अक्षम बालकों की शिक्षा:-** अधिगम अक्षम वैसे बालक होते हैं जिनकी बुद्धिलब्धि अन्य सामान्य बालकों के समान होती है। लेकिन ऐसे बालकों को पढ़ने-लिखने, गणितीय क्रियाओं में कठिनाई होती है। इनकी शिक्षण विधि भी सामान्य बालकों से अलग होता है। विशिष्ट शिक्षा के अर्न्तगत ऐसे बालकों की समस्या एवं शिक्षण विधियों का अध्ययन किया जाता है।
5. **बहुविकलांग बालकों की शिक्षा:-** विशिष्ट शिक्षा के द्वारा वैसे बालकों को भी शिक्षा प्रदान की जाती है जो बहुविकलांग होते हैं। बहुविकलांग वैसे बालक होते हैं, जो एक से अधिक विकलांगता से ग्रसित होते हैं। ऐसे बालकों को शिक्षण में कई परेशानियॉ होती है।
6. **व्यवहार का अध्ययन:-** विशिष्ट शिक्षा के द्वारा विशिष्ट बालकों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। इन व्यवहारों के आधार पर इनके शैक्षिक आवश्यकताओं का निर्धारण किया जाता है।
7. **व्यक्तित्व विकास का अध्ययन:-** इसके अर्न्तगत विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले विकलांग व्यक्तियों के व्यक्तिव विकास की प्रक्रिया, निर्धारक एवं प्रभावक कारकों का अध्ययन किया जाता है।
8. **मापन एवं मूल्यांकन:-** विशिष्ट शिक्षा के द्वारा विशिष्ट बालकों की शैक्षिक उपलब्धियों के मापन तथा मूल्यांकन पर भी जोड़ डालते हैं। शिक्षार्थी की समुचित शिक्षा के लिए आवश्यक है कि शिक्षार्थी की बुद्धि, अभिरूचि, मनोवृत्ति, अभिक्षमता की माप किया जाय तथा उसकी उपलब्धियों का सही-सही मूल्यांकन किया जाय। विशिष्ट शिक्षा के द्वारा इस तरह के मापन एवं मूल्यांकन के अध्ययन पर विशेष बल डाला जाता है, ताकि शिक्षा अर्थपूर्ण एवं लाभप्रद हो सके।

9. **निर्देशन एवं मानसिक स्वास्थ्य:-** विशिष्ट शिक्षा के कार्यक्षेत्र में निर्देशन तथा शिक्षार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य की प्रधानता बताई गई है। विशिष्ट बालकों को निर्देशन तीन स्तर पर दिये जाते हैं- वैयक्तिक निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन तथा व्यावसायिक निर्देशन। विशिष्ट शिक्षक इन तीनों प्रकार के निर्देशनों का उचित प्रबंध करके शिक्षार्थियों को अपने सामर्थ्य के अनुसार अनुकूलन समायोजन में मदद करता है। इतना ही नहीं विशिष्ट शिक्षा के द्वारा शिक्षक विशिष्ट बालकों के मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में सक्षम हो पाते हैं।
10. **सीखने की परिस्थिति:-** मनोविज्ञान के अनुसार सीखने की परिस्थिति बालकों के सीखने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावित करता है। इसमें शिक्षक की मनोवृत्ति (Attitude), वर्ग या कक्षा की परिस्थिति, विद्यालय की सांवेगिक आवोहवा आदि को महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि इन सब कारकों से सीखने की परिस्थिति का निर्माण होता है। जब सीखने की परिस्थिति ऐसी होती है जिसमें बालकों की मनोवृत्ति अनुकूल होती है, वर्ग में विशिष्ट बालकों को बैठने की आरामदेह जगह होती है, कमरा साफ सुथरा होता है, रोशनी की व्यवस्था अच्छी होती है, व विद्यालय में अधिक कोलाहल नहीं होता है तो शिक्षा अधिक लाभप्रद एवं अर्थपूर्ण होती है। इस प्रकार विशिष्ट शिक्षा के कार्यक्षेत्र में इस तथ्य का भी पता लगाना है कि विद्यालय का वातावरण कैसा है।
11. **उपचार:-** विशिष्ट बालकों को समय-समय पर अनेक तरह के स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती है। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न तरह के विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। इन विशेषज्ञों में ऑडियोलॉजिस्ट, चिकित्सा मनोवैज्ञानिक, डॉक्टर, हियरिंग एवं इयर मोल्ड टैक्नीशियन, स्पीच पैथोलॉजिस्ट, रिहैविलिटेशन साइकोलाजिस्ट हैं । इन सभी विशेषज्ञों का कार्य विशिष्ट शिक्षा के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आता है।
12. **पुनर्वास:-** विशिष्ट शिक्षा का एक प्रमुख कार्यक्षेत्र विकलांग व्यक्तियों को सामाजिक, व्यावसायिक, मानसिक रूप से पुनर्वासित करना है। पुनर्वास से तात्पर्य विकलांग व्यक्तियों को शारीरिक, सांवेगिक, बौद्धिक, मनोचिकित्सकीय अथवा समाजिक क्षेत्र में जिसमें भी सम्बद्ध विकलांगता के कारण, व्यक्ति विकलांगता के कारण पिछड़ा हो तो पुनर्वास प्रक्रिया के द्वारा वह व्यक्ति अपनी शक्ति के अनुसार अधिकतम स्तर को प्राप्त कर सकता है।

अभ्यास प्रश्न

4. विशिष्ट शिक्षा के कार्य क्षेत्रों का वर्णन करें।

5.7 विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता (Needs of Special Education)

i. विशिष्ट बालक अन्य बालकों के समान ही होते हैं। सामान्य बालक के ही तरह इन बालकों के शिक्षा के उद्देश्य होते हैं, उनकी आवश्यकता भी समान होती है। इन बालकों की विशेषता यह होती

है कि सामान्य बालकों की तरह उन्हें देखने, बोलने, समझने की क्षमता विकसित नहीं होती है, इसलिए इन्हें विशेष शिक्षा के द्वारा उनके उद्देश्यों को पूरा किया जाता है।

ii. यद्यपि इन बालकों की ज्ञानेन्द्रियाँ सही रूप से विकसित या कार्य नहीं कर पाती हैं, इसलिए इन्हें विशेष निर्देशन की आवश्यकता होती है, जो विशिष्ट शिक्षा के द्वारा पूर्ति की जाती है।

iii. विशिष्ट शिक्षा के द्वारा दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, मानसिक मंद, अधिगम अक्षम आदि बालकों की पहचान की जाती है।

iv. विशिष्ट बालक सामान्य कक्षाओं में दी जाने वाली अनुदेशन से लाभ नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि इन बालकों की बौद्धिक क्षमता सामान्य बालकों से या तो अधिक होती है या कम होती है। सामान्य कक्षाओं में दी जाने वाली अनुदेशन सामान्य बालकों के अनुसार होती है। इसलिए इन्हें विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है।

v. विशिष्ट बालकों के अभिभावकों, अध्यापकों और प्रबंधकों को बालकों की आवश्यकताओं को समझने में विशिष्ट शिक्षा से सहायता मिलती है। इस शिक्षा से विशिष्ट बालक समाज में अपना समायोजन करते हैं।

vi. जिन बालकों को देखने, सुनने, बोलने, समझने में समस्या होती है उन्हें सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा नहीं दी जा सकती है। अत: ऐसे बालकों के लिए विशेष पाठ्यक्रम, विधि और विशेष शिक्षकों की आवश्यकता होती है।

vii. प्रतिभाशाली बालकों का बुद्धि स्तर सामान्य बालकों की अपेक्षा ऊँचा होता है इसलिए प्रतिभाशाली बालकों को सामान्य बालकों के साथ समायोजित करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। सामान्यत: ऐसा पाया जाता है कि शिक्षक अपने गति से शिक्षा देता है जो सामान्य बालकों के लिए उपयुक्त है। लेकिन प्रतिभाशाली बालक सामान्य बालकों की अपेक्षा शीघ्र ही अपना कार्य समाप्त कर लेता है। ऐसी परिस्थिति में यह समस्या आती है कि प्रतिभाशाली बालक अपना समय कैसे व्यतीत करे, जबकि शिक्षक सामान्य बालकों के साथ उसी कार्य को पूरा करने में व्यस्त रहता है ऐसी परिस्थिति में इन बालकों के लिए विशिष्ट शिक्षा आवश्यक है जिससे प्रतिभाशाली बालकों को उचित दिशा निर्देशन दिया जाय।

viii. विशिष्ट कक्षाओं में बुद्धिमान छात्रों को अग्रसर होने का अवसर मिलता है, लेकिन शिक्षक को ऐसे बालकों को सामान्य कक्षा में कार्य के प्रति प्रेरित करने में समस्या और बाधाओं का सामना करना पड़ता है। सामान्यत: विलक्षण बालक अन्य सामान्य बालकों के अपेक्षा संवेदनशील होता है। उनकी सोचने की क्षमता अधिक तथा तीव्र होती है। वे कार्य के प्रति सावधान होते हैं, इसलिए उनके शिक्षण में विशेष विधियों व प्रविधियों की आवश्यकता होती है।

ix. विशिष्ट शिक्षा के द्वारा चयनित स्थानापन्न (Selective Placement) किया जाता है विभिन्न शाखाओं के विशेषज्ञों द्वारा बालकों का पूर्ण रूप से सामाजिक वातावरण में विभिन्न श्रेणियों में विश्लेषण, मूल्यांकन एवं निर्धारण किया जाता है। भौतिक परीक्षण तथा मूल्य निर्धारण, विभिन्न

क्षेत्रों के विशेषज्ञों जैसे मानसिक मनोविज्ञानी चिकित्सक, श्रवण, नेत्र, अस्थि चिकित्सक तथा शिक्षाविद् विशिष्ट बालकों के चयनित स्थापन के लिए अति आवश्यक है।

x. विशिष्ट शिक्षा को अन्य सेवाओं की भी आवश्यकता होती है जैसे- अस्थि विकलांग बालकों का शारीरिक परीक्षण, दृष्टिबाधित बालक, श्रवण बाधित बालक एवं मानसिक मंद बालकों के लिए चिकित्सकीय परीक्षण समय-समय पर आवश्यक होती है। कुछ विशिष्ट बालकों को व्यावसायिक, शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक आदि सेवायें अति आवश्यक है।

xi. अत: विशिष्ट बालकों को अपनी शक्ति के अनुसार विकास करने के लिए विशिष्ट शिक्षा मिलना अति आवश्यक है।

अभ्यास प्रश्न

5. विकलांग बालकों के लिए विशिष्ट शिक्षा क्यों आवश्यक है ? वर्णन करें ।

5.8 विशिष्ट बालकों के प्रकार

विशिष्ट बालक उन बालकों को कहा जाता है जो अपनी योग्यताओं, क्षमताओं , व्यवहार तथा व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं कैब दृष्टि से अपनी आयु के अन्य औसत तथा सामान्य बालकों से बहुत अधिक भिन्न होते हैं । ये बालक अपनी कक्षा या समूह विशेष के अन्य बालकों के तुलना में अपनी कुछ निजी विशेषता या गुण रखते हैं जिसके कारण इस समूह विशेष में या तो उनकी गिनती अति उच्च कोटी के बालकों में होता है और या फिर उन्हें निम्नकोटि में रखा जाता हैं । इस प्रकार से ये बच्चे अपनी आयु या समूह के अन्य सामान्य बच्चो से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास की दृष्टि से इतने पिछड़े हुये या आगे निकले हुए होते है कि उसके जीवन में पग –पग पर बाधाओं तथा समायोजन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है । इन बालकों को अपनी शक्तियों का समुचित उपयोग करने तथा ठीक ढंग से अपने आप को समायोजित करने के लिए विशेष देखभाल और शिक्षा दीक्षा कि आवश्यकता होती है ।

टैलफोर्ड एवं सारे के अनुसार- " विशिष्ट बालक शब्दावली का प्रयोग उन बालकों के लिए करते हैं जो सामान्य बालकों के लिए करते है जो सामान्य बालकों से शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, या सामाजिक विशेषताओं में इतने अधिक भिन्न होते है कि उन्हें अपनी क्षमता के अधिकतम विकास हेतु विशेष सामाजिक और शैक्षिक सेवाओं कि आवश्यकता पड़ती है ।"

क्रो एवं क्रो के अनुसार – " विशेष प्रकार या विशिष्ट शब्द किसी एक ऐसे गुण या उस गुण को धारण करने वाले व्यक्ति के लिए उस समय प्रयोग में लाया जाता है जबकि व्यक्ति उस गुण विशेष को धारण करते हुए अन्य सामान्य व्यक्तियों से इतना अधिक असामान्य प्रतीत होता हो कि उस गुण विशेष के कारण अपने साथियों से विशिष्ट ध्यान की मांग करे अथवा उसे प्राप्त करे और साथ ही इसके व्यवहार की क्रियाएँ तथा अनुक्रियाएं भी प्रभावित होता है"

उपरोक्त विशेषताओं के आधार पर विशिष्ट बालकों को निम्न भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है -

1. **दृष्टि बाधित बालक:-** दृष्टि बाधित बालक वे बालक होते हैं जिसको सही तरह से कोई वस्तु को देख पाने में कठिनाई होती है। ऐसे बालक दो प्रकार के होते हैं:-
   i. पूर्ण दृष्टि बाधित (Blind)
   ii. अल्प दृष्टि वाले बालक (Low Vision)

विकलांगता अधिनियम 1995 के अनुसार पूर्ण दृष्टि बाधित बालक वे बालक होते हैं जो निम्नलिखित अवस्था में से किसी एक से ग्रसित होते हैं:-

i. दृष्टि का पूर्ण अभाव, या
ii. सुधारक लेंसों के साथ बेहतर नेत्र में दृष्टि की तीक्ष्णता जो 6/60 या 20/200 (स्नेलन) से अधिक न हो, या
iii. दृष्टि क्षेत्र की सीमा 20 डिग्री या इससे कम हो।

कम दृष्टि वाले व्यक्ति से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसकी उपचार या मानक अपवर्तनीय संशोधन के पश्चात् भी दृष्टि क्षमता का ह्रास हो गया है किन्तु जो समुचित सहायक युक्ति से किसी कार्य की योजना या निष्पादन के लिए दृष्टि का उपयोग करता है या उपयोग करने में संभाव्य रूप से समर्थ होता है।

2. **श्रवण बाधित बालक:-** श्रवण बाधित बालक ऐसे बालक हैं जिनकी सुनने की क्षमता कम है या पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। इन बालकों को बोलने और सुनने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 के अनुसार- "श्रवण अक्षमता से तात्पर्य है संवाद-संबंधी रेंज की आवृत्ति में बेहतर कर्ण में 60 डेसीबल या अधिक की हानि।"

   आंशिक श्रवण बाधिता के अन्तर्गत श्रवण क्षमता आंशिक रूप से प्रभावित होती है। इस तरह के श्रवण बाधिता से पीडित बालक/व्यक्ति लगभग 5 फीट की दूरी पर हो रही बातचीत को सुन पाने में कठिनाई महसूस करते हैं। यदि इस प्रकार का बहरापन अधिक आयु में हो तो भाषा के विकास पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है।

   श्रवण बाधित बालक निम्नलिखित पाँच प्रकार के होते हैं:-

   i. कंडकिटव श्रवण ह्रास (Conductive Hearing Loss)
   ii. सेन्सरी न्यूरल श्रवण ह्रास (Sensory- neural Hearing Loss)
   iii. मिश्रित श्रवण ह्रास (Mixed Hearing Loss)
   iv. केन्द्रीय श्रवण ह्रास (Central Hearing Loss)
   v. कार्यात्मक श्रवण ह्रास (Functional Hearing Loss)

3. **मानसिक मंद बालक:-** मानसिक मंदता के अन्तर्गत वैसे बालक आते हैं जिनमें औसत से कम मानसिक योग्यता पायी जाती है लिहाजा वे मन्द गति से सीखते हैं। विद्यालय के औसत बच्चों की तुलना में शैक्षिक संम्प्राप्ति में पिछड़ जाते हैं। विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 1995 के अनुसार- मानसिक मंदता से किसी व्यक्ति के मस्तिष्क की अवरूद्ध या अपूर्ण विकास की दशा अभिप्रेत है जो विशेष रूप से बुद्धि की अपसमान्यता अभिलक्षित होती है।

   इस श्रेणी में वे बालक रखे जाते हैं जिनकी बुद्धि स्तर तथा सोचने समझने की क्षमता बहुत कम होती है तथा वे समाज के साथ समायोजन करने में असमर्थ होते हैं। मानसिक बाधित बालकों की विभिन्न श्रेणियॉ होती है। जैसे- शिक्षा ग्रहण करने योग्य मानसिक मंद (EMR), प्रशिक्षण पाने योग्य मानसिक मंद (TMR) तथा संरक्षण पाने योग्य मानसिक मंद।

4. **अधिगम अक्षम बालक:-** अधिगम अक्षम बालक वैसे बालकों को कहा जाता है जिनकी बौद्धिक क्षमता सामान्य बालकों के समान होती है लेकिन इन बालकों को पढ़ने, लिखने एवं गणित से संबंधित समस्या के समाधान करने में कठिनाई होती है। किर्क महोदय के अनुसार:- "अधिगम अक्षमता का तात्पर्य वाक्, भाषा, पठन, लेखन या अंकगणितीय प्रक्रियाओं में एक या अधिक

प्रक्रियाओं में मंदता, विकृति अथवा अवरूद्ध विकास है जो संभवत: मस्तिष्क कार्यविरूपता और संवेगात्मक अथवा व्यावहारिक विक्षोभ का परिणाम है न कि मानसिक मंदता, संवेदी अक्षमता अथवा संस्कृति या अनुदेशन कारक के कारण।"

अधिगम अक्षम बालक इनकी विशेषताओं के आधार पर चार प्रकार के होते हैं:-

i. डिस्लेक्सिया (Dyslexia)
ii. डिस्ग्राफिया (Dysgraphia)
iii. डिस्कैलकुलिया (Dyscalculia)
iv. डिस्प्रैक्सिया (Dyspraxia)

5. **अस्थि विकलांग बालक:-** अस्थि विकलांग बालकों से तात्पर्य ऐसे बालकों से है जिनकी अस्थियॉ (Bones), जोड़ और मांसपेशिया सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाती है, ऐसे बालकों को सामान्यत: शारीरिक विकलांग, चलन नि:शक्त बालक भी कहा जाता है। विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 के अनुसार "अस्थि विकलांगता से तात्पर्य हड्डियों, जोड़ों, मांसपेशियों की कोई ऐसी नि:शक्ता से है, जिससे अंगों के गति में पर्याप्त निबंधन या किसी प्रकार का प्रमस्तिष्क घात हो। इस प्रकार के विकलांगता में सेरेब्रल पाल्सी, पोलियो, में रूदण्डीय द्विशाखी, संधिशोध इत्यादि से प्रभावित बालक आते हैं।
6. **प्रतिभाशाली बालक:-** वह बालक जिसकी मानसिक आयु अपनी आयु वर्ग के अनुपात में औसत से बहुत अधिक हो अथवा ऐसा बालक अपने आयु के बालकों से साधारण या विशेष योग्यता में श्रेष्ठ हो, उसे प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है। संगीत, कला या अन्य क्षेत्रों में अधिक योग्यता रखने वाला बालक भी प्रतिभाशाली बालकों के श्रेणी में आता है। कालसनिक के अनुसार- "वह प्रत्येक बालक जो अपने आयु स्तर के बच्चों से किसी योग्यता में अधिक हो और हमारे समाज के लिए कुछ महत्वपूर्ण नया योगदान कर सकें।"
7. **बहु विकलांग बालक:-** बहुविकलांगता से तात्पर्य बालक में एक से अधिक विकलांगता से है। उदाहरण स्वरूप जब बालक में मानसिक मंदता के साथ-साथ श्रवण बाधिता भी रहती है तो ऐसे बालक को बहुविकलांग बालक नाम से जाना जाता है। ऐसे बालक में एक से अधिक विकलांगता हो सकती है।

   दृष्टिबाधिता + श्रवण बाधिता + मानसिक मंदता

   श्रवण बाधिता + दृष्टि बाधिता

   दृष्टि बाधिता + अस्थि विकलांगता इत्यादि।

अभ्यास प्रश्न

6. विशिष्ट बालक से आप क्या समझते है ?
7. विशिष्ट बालक कितने प्रकार के होते है ?

5.9 विशिष्ट शिक्षा के लाभ

i. विशिष्ट शिक्षा के द्वारा बालक अपनी गति के अनुसार सीखता है।
ii. विशिष्ट शिक्षा में एक कक्षा में कम विद्यार्थी रहते हैं जिससे शिक्षक सभी बालकों पर व्यक्तिगत ध्यान देते हैं।
iii. विशिष्ट शिक्षा में शिक्षक अध्यापन के लिए बालकों के अनुसार शिक्षण विधि का प्रयोग करता, जिससे विशिष्ट बालकों को अधिक लाभ होता है।
iv. इसमें बालकों के लिए विशिष्ट रूप से तैयार किया गया शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाता है।
v. विशिष्ट शिक्षा के द्वारा बालक अपने गति से आगे बढ़ता है इसलिए उनका आत्म विश्वास काफी ऊँचा रहता है।
vi. विशिष्ट विद्यालय की भौतिक वातावरण इन बच्चों के आवश्यकता अनुसार बनाई जाती है जिससे इनको कम कठिनाई का सामना करना पड़ता है।
vii. विशिष्ट विद्यालय में इन बच्चों को शिक्षण के लिए सभी सामग्री उपलब्ध होता है जिससे शिक्षक भी सुगमता से शिक्षण कार्य करते हैं।
viii. विशिष्ट शिक्षा से विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों का आत्म-सम्मान एवं स्वाभिमान बढ़ता है। जब वे शिक्षक एवं अपने साथियों से संपर्क स्थापित करना शुरू करते हैं तो वे अपने आपको योग्य महसूस करना शुरू कर देते हैं।
ix. विशेष शिक्षा के द्वारा विशिष्ट बालकों में अवांछित व्यवहार कम होते हैं, तथा सामाजिक वांछनीय व्यवहार विकसित होते हैं।

5.10 सारांश

विशिष्ट शिक्षा विशेष तौर पर डिजाइन किया गया शैक्षिक अनुदेशन है जिसमें विशिष्ट कक्षाएं अथवा विशिष्ट बालकों के शैक्षिक सामर्थ्य विकसित करने वाली सेवाएॅं, मसलन विद्यालय कमें टी द्वारा बच्चों के शैक्षिक स्थापन, लोक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक मंद एवं युवा विभाग एवं शैक्षिक बोर्ड द्वारा बनाया गया अधिनियम आदि शामिल है। इसके अर्न्तगत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों में, विशिष्ट शिक्षक के माध्यम से, विशिष्ट पाठ्यचर्चा के अनुरूप शिक्षा दी जाती है।

बालकों के सामाजिक, मानसिक, संवेगिक विशेषता एवं विशिष्ट आवश्यकता के के आधार पर अलग-अलग वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है जो इस प्रकार है –

a. **दृष्टि वाधित बालक-** ये वैसे बालक होते है जिन्हे देखने या देख कर कोई कार्य करने में समस्या का सामना करना पड़ता है ।
b. **श्रवण वाधित बालक-** इस तरह के बालकों को सुनने की क्षमता कम होती है या पूर्णत: समाप्त होती है ।
c. **मानसिक मंद बालक** – मानसिक मंद बालकों की मानसिक विकास सामान्य बालकों की अपेक्षा कम होती है ।
d. **प्रतिभाशाली बालक** – इन बालकों की मानसिक क्षमता सामान्य बालकों से अधिक होती है ।
e. **अधिगम अक्षम बालक-** इन बालकों की मानसिक क्षमता तो सामान्य बालकों की तरह ही होता है, लेकिन पढ़ने, लिखने में कई तरह के समस्याओं का सामना करना पड़ता है ।
f. **बहुविकलांग बालक** – इस तरह के बालक एक से अधिक विकलांगता से ग्रसित होते हैं ।
g. **अस्थि विकलांग बालक** – इन बालकों को अधिगम सबंधी कोई अधिक कठिनाई नहीं होती लेकिन इन्हें चलने-फिरने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है ।

5.11 शब्दावली

1. **ब्रेल:-** एक तरह की लिपि जो दृष्टि बाधित बालक लिखने और पढ़ने के लिए उपयोग करते हैं।
2. **विशिष्ट शिक्षा:-** विकलांग बालकों को दी जाने वाली शिक्षा।
3. **ट्रेलर फ्रेम:-** दृष्टि बाधित बालकों के लिए प्रयुक्त उपकरण।
4. **ऑडियोमीटर:-** श्रवण बाधित बालकों को जॉच करने के लिए प्रयुक्त उपकरण।
5. **स्नेलन चार्ट:-** ऑखों की जॉच के लिए प्रयुक्त चार्ट।
6. **विशेष विद्यालय:-** जहॉ विशेष आवश्यकता वाले बच्चे अध्ययन करते हैं।
7. **दृष्टि तीक्ष्णता:-** सामान्य ऑख के द्वारा देखी गयी दूरी।
8. **परिपेक्ष्य-** दृष्टिकोण

5.12 संदर्भ ग्रन्थ

1. पांडा, के0सी0 (1997), " एजुकेशन ऑफ एक्सेपसनल चिल्डेन" नई दिल्ली: विकास पब्लिशिंग एण्ड डिस्ट्रब्यूटर्श।
2. गोविन्द राव, एल0 (2007), पर्सपेक्टिव ऑन स्पेशल एडुकेशन: हैदराबाद: नीलकमल पब्लिकेशन।

3. मुखोपाध्याय, एस0 एण्ड मनी, एम0एन0जी0 (2002) एडुकेशन ऑफ चिन्ड्रेन विद् स्पेशल नीड्स, नई दिल्ली: आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
4. इग्नू (2009) फाउनडेशन कोर्स आन एडूकेशन ऑफ चिन्ड्रेन विद डिसएबिलिटीस। नई दिल्ली इग्नू।
5. डा0 कुमार संजीव (2008), विशिष्ट शिक्षा, अशोक राजपथ, पटना।
6. सिंह, अरूण कुमार, (2001) शिक्षा मनोविज्ञान, भारती भवन, पब्लिशर्स एड डिस्ट्रीब्यूटर्स, पटना।
7. मंगल, एस० के० (2012) शिक्षा मनोविज्ञान, पी० एच० आई० लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड, न्यू दिल्ली।

5.13 निबंधात्मक प्रश्न

1. विशिष्ट शिक्षा से आप क्या समझते हैं? अंतराष्ट्रीय परिदृश्य में विशिष्ट शिक्षा के विकास पर प्रकाश डालें।
2. विशिष्ट शिक्षा के कार्य क्षेत्रों का विस्तृत वर्णन करें।
3. विशिष्ट बालकों के लिए विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता पर संक्षेप में लेख लिखें।
4. विशिष्ट बालक से आप क्या समझते है? विभिन्न तरह के विशिष्ट बालकों का वर्णन् करें।

इकाई 6 विशिष्ट शिक्षा के उद्देश्य एवं सिद्धांत
(Objectives and Principles of Special Education)

6.1 प्रस्तावना
6.2 उद्देश्य
6.3 विशिष्ट शिक्षा के उद्देश्य
6.4 विशिष्ट शिक्षा के सिद्धान्त
6.5 विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता
6.6 सारांश
6.7 शब्दावली
6.8 सन्दर्भ ग्रंथ/पठनीय पुस्तकें
6.9 निबन्धात्मक प्रश्न

6.1 प्रस्तावना

विशिष्ट शिक्षा शास्त्र की एक ऐसी इकाई है जिसका उद्देश्य विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को इस योग्य तैयार करना है जिससे वे अपने विद्यालय, परिवार और समाज में समायोजित करे, ताकि वे अपने दिन प्रतिदिन की समस्याओं को हल कर समाज के मुख्य धारा में सम्मालित हो सके।

प्रस्तुत इकाई में विशिष्ट शिक्षा के उद्देश्य, सिद्धान्त, विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकताओं का विस्तृत अध्ययन करेंगे।

6.2 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात आप-

1. विशिष्ट शिक्षा के उद्देश्यों को बता सकेंगे।
2. विशिष्ट शिक्षा के उद्देश्यों को विभिन्य परिस्थितियों में पुनर्संगठित कर सकेंगे।
3. विशिष्ट शिक्षा के आवश्यकताओं पर प्रकाश डाल सकेंगे।
4. विशिष्ट शिक्षा के सिद्धान्तों को बता सकेंगे ।

6.3 विशिष्ट शिक्षा के उद्देश्य

विशिष्ट शिक्षा विशेष आवश्यकता वाले बालकों की आवश्यकताओं को पूर्ण करते हुए उसे समाज का एक उत्तरदायी, स्वतंत्र एवं सक्रीय सदस्य बनाने की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया स्वतः ही एक लक्ष्य का निर्धारण करती हैं तथा इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु इस प्रक्रिया के उद्देश्यों का निर्धारण आवश्यक हो जाता हैं अन्यथा तूफान में बिन पतवार की नाव की भांति अथाह समुद्र में मात्र लहरों के थपेड़े खाने जैसा ही होगा। वैसे तो विशिष्ट शिक्षा के उद्देश्य नियमित शिक्षा के उद्देश्यों- बालकों को उपयुक्त शिक्षा प्रदान कर मानव संसाधन का विकास, राष्ट्रीय विकास, सामाजिक पुनर्रचना, नागरिक विकास, व्यावसायिक क्षमता का विकास आदि, से कदापि भिन्न नहीं हैं परन्तु विशिष्ट बालकों की आवश्यकताओं के चलते थोड़े व्यापक जरूर हो जाते हैं(एम. दास, 2007)। विशिष्ट शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्यों को निम्नवत संकलित किया जा सकता है-

क. विशिष्ट बालक की पहचान, निदान एवं आंकलन (Identification, diagnosis and assessment of special child) करना

ख. विशिष्ट बालकों को मार्गदर्शन एवं परामर्श देना (Guidance and counselling of special child)

ग. शीघ्र हस्तक्षेप (Early intervention) करना

घ. शैक्षिक हस्तक्षेप (Educational Intervention)

ङ. अभिभावकों एवं समुदाय को जागरूक (Guardian and community awareness) करना

च. पुनर्वास (Rehabilitation) करना

1. विशिष्ट बालक की पहचान, निदान एवं आंकलन (Identification, diagnosis and assessment of special child) करना

विशिष्ट बालक की पहचान, निदान एवं आंकलन से तात्पर्य हैं कि यथाशीघ्र बालक की शिक्षण-अधिगम सम्बन्धी, शारीरिक व् मानसिक विशेष आवश्यकताओं की पहचान कर उसका निदान किया जाय तत्पश्चात क्षति का आंकलन किया जाय जिससे उसके सहायक उपकरणों एवं शैक्षिक कार्यक्रमों को भी तैयार किया जा सके। यही विशिष्ट शिक्षा का प्रथम उत्तरदायित्व हैं अतः उद्देश्य भी।

विशिष्ट बालक की पहचान सर्वप्रथम उसके व्यवहार के प्रेक्षणों द्वारा किया जाना चाहिए। तत्पश्चात विभिन्न चिकित्सकीय एवं मनोवैज्ञानिक उपकरणों के प्रशासन द्वारा किया जाय तथा उसके यथासंभव चिकित्सकीय एवं मनोवैज्ञानिक परामर्शों के द्वारा निदान किया जाय। फिर बालक की स्थाई क्षति का विभिन्न तकनीकों से आंकलन किया जाय। उसकी क्षति की गंभीरता का पता लगाया जाय तथा वर्गीकरण किया जाय। उसकी आवश्यकताओं एवं क्षमताओं का स्पष्ट विवरण तैयार किया जाना चाहिए।

2. विशिष्ट बालकों को मार्गदर्शन एवं परामर्श देना

मानव जीवन में अनेक तरह की समस्याएँ होती रहती है खास कर विशिष्ट बालकों को अपने वातावरण में समायोजन करने में सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने में, अपने व्यवसाय चुनाव में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मार्गदर्शन व्यक्ति को अपने प्रति तथा अपने वातावरण के प्रति समायोजन करने में मदद करता है यह उसे अपनी समस्याओं के समाधान तथा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में में सहायता प्रदान करता है। यदि हम विशिष्ट बालकों की समस्याओं का विश्लेषण करें तो हम इन्हें तीन वर्गों में बाँट सकते है।

i. शिक्षा संबंधी समस्या
ii. व्यावसाय चुनाव सबंधी समस्या
iii. व्यक्तिगत एवं मनोवैज्ञानिक समस्या

i. **शिक्षा संबंधी समस्या** –शिक्षा प्राप्त करते समय विशिष्ट बालकों को कई समस्या का सामना करना पड़ता है, जैसे – विषयों का चुनाव, पुस्तकों का चुनाव, पाठ्यसामाग्री का चुनाव, जमा-पाठ्यक्रम से सबंधित समस्या। अपने लेख, उच्चारण, लेखन, अध्ययन सबंधित समस्या, भाषाई समस्या आदि को सुधारने के लिए उन्हे मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। सीखने की प्रक्रिया में तथा विशिष्ट ज्ञान तथा कौशल की प्राप्ति में में भी उन्हें सहायता की आवश्यकता होती है। अत: शिक्षा सबंधी आवश्यकता विकासात्मक भी है और समायोजनात्मक भी। अत: उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में उचित रूप से समायोजित होने के लिए एवं प्रगति के लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है।

ii. **व्यवसाय चुनाव सबंधी समस्या-** विशिष्ट शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य विशिष्ट बालकों को भविष्य में अपने पैरों पर खरा होने योग्य बनाना है। उनके द्वारा भविष्य में कई तरह के व्यवसायों को अपनाया जा सकता है। इन व्यवसायों तथा अवसरों की जानकारी व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय संसाधनों की अधिकतम उपयोगिता के लिए अत्यंत आवश्यक है। मार्गदर्शन व्यावसायिक सूचना प्रदान करके हमारी इस दिशा में बहुत सहायता प्रदान करता है। प्रत्येक विकलांग बालक प्रत्येक हर प्रकार का कार्य नहीं कर सकता है। उसे अपनी योग्यता तथा शक्तियों के अनुसार काम चुनने के लिए उचित मार्गदर्शन मिलना आवश्यक है। उन बालकों के लिए जीवन की सफलता तथा राष्ट्रीय विकास के लिए व्यावसायिक समायोजन अत्यंत आवश्यक है।

iii. **व्यक्तिगत एवं मनोवैज्ञानिक समस्या** – विशिष्ट बालकों को कई तरह के मनोवैज्ञानिक एवं व्यक्तिगत समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे- समायोजन से संबन्धित, भावात्मक समस्या, सामाजिक समायोजन। कुसमायोजन से कई तरह के गंभीर समस्याएँ पैदा होती है, इससे विकलांग बच्चों में कई तरह के मानसिक विकार उत्पन्न हो जाते है। अत: इन बालकों को मानसिक उलझनों तनावों तथा चिंताओं से मुक्त रखने के लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता है , जिससे विशिष्ट बालकों का उचित विकास एवं जीवन में सफलता प्राप्त हो सके।

3. **शीघ्र हस्तक्षेप (Early intervention) करना**

बालक की क्षमता एवं कौशलों में भिन्नता के कारण ही उसे "विशिष्ट" नाम दिया जाता है। विशिष्ट बालक की इस भिन्नता को कम करने या समाप्त करने हेतु उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप उसे सहायक उपकरण उपलब्ध कराना, प्रशिक्षण देना जिससे की हो रही क्षति को तुरंत रोका जा सके तथा हुई क्षति के कारण पडने वाले प्रभावों को कम किया जा सके, विशिष्ट शिक्षा का द्वितीय मुख्य उद्देश्य है। यहाँ पर शीघ्र शब्द का प्रयोग आपके समक्ष इसलिए किया गया हैं कि जितना शीघ्र आप बालक की आवश्यकताओं के अनुसार सहायक उपकरण व प्रशिक्षण उपलब्ध कराएँगे उतना ही शीघ्र उसमें क्षमताओं और कौशलों का विकास शुरू हो सकेगा और विशिष्ट बालक व सामान्य बालक की क्षमताओं में सार्थक अंतर भी कम हो पायेगा।

शीघ्र हस्तक्षेप एक व्यापक पद हैं जो की बालक की समस्त आवश्यकताओं को सम्मिलित करता है। बालक यदि दृष्टिबाधित हैं तो उसकी दृष्टि हेतु सबसे उत्तम संभव संशोधन उपलब्ध कराना तथा स्थाई क्षति के कारण बालक में आई अक्षमता को दूर करने के लिये उसे उन्मुखीकरण एवं चलिष्णुता का प्रशिक्षण, ब्रेल लिपि का प्रशिक्षण, टेलर फ्रेम व गिनतारा(Abacus) का प्रशिक्षण देना। उसके लिए बाधारहित परिवेश तैयार कराना, दृष्टिबाधा के कारण उत्पन्न हीनता का भाव तथा प्रेरणा में कमी आदि मनोवैज्ञानिक प्रभावों को कम करना/ समाप्त करना तथा उसे शिक्षा के सामान्य अनुभवों को प्राप्त करने के सक्षम बनाना आदि समस्त क्रियाएं सम्मिलित हैं। अर्थात बालक में अक्षमता की स्थिति न पैदा होने देना।

4. शैक्षिक हस्तक्षेप

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की विशिष्ट आवश्यकता होती है ऐसी आवश्यकताएँ उन बालकों की होती है जिन्हें अधिगम संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । ऐसे बालकों के लिए शैक्षिक हस्तक्षेप की आवश्यकता महसूस की जाती है। उन बच्चों के लिए जहां तक व्यवहारिक हो नियमित विद्यालय में अतिरिक्त सुविधाएं एवं अतिरिक्त सेवाएँ उपलब्ध कराकर मुख्यधारा में सम्मलित किया जा सकता है।

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा में हस्तक्षेप की प्रक्रिया जटिल एवं चुनौती पूर्ण मानी जाती है। इन बच्चों को कुछ विशिष्ट प्रक्रिया के द्वारा मुख्यधारा में सम्मलित किया जा सकता है। जो इस प्रकार है –

i. विशिष्ट विद्यालय (Special School)

विशेष आवश्यकता वाले कई बच्चे ऐसे होते है जिन्हें सामान्य सामान्य विद्यालय में पढ़ने से कोई विशेष लाभ नहीं होता है। मुख्य धारा के विद्यालय के विशिष्ट कक्षाएं और अतिरिक्त कक्षाएं भी उन्हें भी उन्हें बहुत लाभ नहीं पहुंचा पाती है। ऐसी स्थिति में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षण अधिगम के उन्हें विशिष्ट विद्यालय की आवश्यकता होती है। विशिष्ट विद्यालय ऐसे विद्यालय होते है जिनमें विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। ये विद्यालय खासतौर पर विशिष्ट बालकों के लिए ही बना होता है। इसमें विशिष्ट शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के अलावा विकलांग बच्चों शिक्षण अधिगम सबंधी जरूरतों के अनुरूप शैक्षिक संसाधन भी मौजूद होते हैं। ये विद्यालय विभिन्न प्रकार के विकलांग बच्चों को

वैयक्तिक शिक्षण (individualized Education) सुविधा उपलब्ध कराते हैं। विशिष्ट बालकों की आवश्यकता के लिए चिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक आदि भी उपलब्ध होते हैं।

ii. समन्वित विद्यालय (Integrated School)

यह एक ऐसे सामान्य विद्यालय है जिसमें विशेष आवश्यकता वाले विशिष्ट बालकों को सामान्य बालकों के साथ उनकी विशिष्ट आवश्यकता को पूर्ति करते हुए शैक्षिक अवसर प्रदान किया जाता है। ऐसे विद्यालयों को आमतौर पर समन्वित विद्यालय कहा जाता है। एक सामान्य विद्यालय को समन्वित विद्यालय के रूप में विकसित करने के लिए कई तरह के सहायक सेवाओं की उपलब्धता अनिवार्य है।जो इस प्रकार है –

i. संसाधन कक्ष (Resource Room)
ii. संसाधन शिक्षक (Resource Teacher)
iii. अन्य विशेषज्ञ (Other Specialist)
iv. सामान्य शिक्षक (Regular Teacher)
v. परामर्शदाता (Counselors)
vi. समवय समूह (Peer Group)

i. **संसाधन कक्ष (Resource Room)** – संसाधन कक्ष वैसे विशिष्ट कक्ष को कहा जाता है जिसमें विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे पूरी विद्यालय अवधि के दौरान आधा से अधिक समय गुजरता है। संसाधन शिक्षक संसाधन कक्ष के प्रभारी होते है। संसाधन कक्ष शिक्षण अधिगम संबंधी विशिष्ट अनुदेशन समग्रियों से युक्त होती है। इसके अलावा वहीं प्रत्यक्षीकृत प्रशिक्षण, भाषाई विकास, गत्यात्मक प्रशिक्षण, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास और कौशल विकास के लिए वैयक्तिक अनुदेशन सामग्रियाँ भी होती है।

ii. **संसाधन शिक्षक (Resource Teacher)-** संसाधन शिक्षक को 'स्रोत शिक्षक' अथवा 'विशेष शिक्षक' के नाम से भी जाना जाता है। ये विशेष शिक्षा में विशिष्ट योग्यताधारी वैसे शिक्षक होते है जो किसी भी माहौल में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ये दृष्टि, श्रवण, चलन, एवं मानसिक विकलांगता के क्षेत्र में डिग्री (विशेष शिक्षा), डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) योग्यताधारी होने के साथ-साथ भारतीय पुनर्वास परिषद (Rehabilitation Council of India) से पंजीकृत विशेष अध्यापक होते हैं। संसाधन अध्यापक की नियुक्ति एकीकृत शिक्षा योजना के अंतर्गत किसी एक विद्यालय के लिए ही की जाती है। उसकी सेवाएँ विशिष्ट बालकों तथा सामान्य शिक्षकों को आवश्यकता अनुसार स्कूली घंटों के दौरान हर समय उपलब्ध होती है। वह बालकों को संसाधन कक्ष में व्यक्तिगत रूप से या छोटे छोटे समूहों में पढ़ता / सिखाता है।

iii. **अन्य विशेषज्ञ (Other Specialist)-** समेकित शिक्षण पद्धति के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा के विद्यालयों के अलावा अन्य विशेषज्ञों की भूमिका अहम होती है। इन विशेषज्ञों में वाक एवं भाषा विशेषज्ञ, कान विशेषज्ञ, दन्त विशेषज्ञ, तंत्रिका तंत्र विशेषज्ञ, पोषण विशेषज्ञ, व्यावसायिक चिकित्सक, नेत्र विशेषज्ञ, आँखों की जांच करने वाले व्यक्ति, अस्थि विशेषज्ञ, शारीरिक एवं भौतिक चिकित्सक, मनोचिकित्सक, सामाजिक कार्यकर्ता आदि प्रमुख है।

iv. **सामान्य शिक्षक (Regular Teacher)-** समन्वित शिक्षा प्रणाली में सामान्य शिक्षकों की भूमिका अहम होती है क्योंकि शिक्षण अधिगम के दौरान एक शिक्षक दार्शनिक, मार्गदर्शक, और मित्र की भूमिका निभाता है। वह न केवल वर्ग कक्ष प्रबन्धक होता है बल्कि बच्चों के व्यवहार सुधारने में एक व्यवहार सुधारने में एक व्यवहार प्रवंधक की भी भूमिका भी निभाता है।

v. **परामर्शदाता (Counsellor)-** प्रत्येक समन्वित विद्यालय में एक परामर्शदाता की जरूरत होती है। वे विशिष्ट बालकों के मनोवैज्ञानिक जाँच, रुचि, अभिरुचि, निदान एवं उपचारात्मक परामर्श , भविष्य के लिए योजना निर्माण आदि में बालकों को सहायता करते हैं।

vi. **समवय समूह (Peer Group)-** विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए समवय समूह की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। समवय समूह के सदस्य उसके सहायकों के रूप में कार्य करता है। इससे उनमें विशेष आवश्यकता वाले बालकों के प्रति एक सकारात्मक रवैया विकास में मदद मिलता है और उपयुक्त आचरणों को करने हेतु प्रोत्साहन प्राप्त होता है।

5. **अभिभावक को परामर्श देना (Parent Counseling)**

विशिष्ट बालक की क्षति का उपचार एवं रोकथाम, उसकी देख-भाल और उसे दैनिक जीवन के कौशलों, स्व-सहायता कौशलों, पूर्व-शैक्षिक कौशलों तथा संचारण कौशलों आदि के प्रशिक्षण हेतु बालक के माता-पिता या अभिभावकों को परामर्श उपलब्ध कराना विशिष्ट शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। जिससे की विशिष्ट बालक के माता-पिता, बालक को आवश्यक कौशलों का प्रशिक्षण देकर उसे स्कूल पहुचने से पूर्व ही स्कूल परिवेश के लिए तैयार कर पाने में सक्षम हो जाएँ। परामर्श देने का एक उद्देश्य यह भी हैं कि बालक की अक्षमता की स्थिति को गंभीर होने पर रोक लगे तथा शिघ्राती हस्तक्षेप भी हो जाय।

6. अभिभावकों एवं समुदाय को जागरूक करना (Guardian and Community Awareness)

विशिष्ट शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य अभिभावकों व समुदाय के नागरिकों को विशिष्ट बालक की आवश्यकताओं एवं क्षमताओं से परिचय कराना हैं तथा उन्हें जागरूक बनाना है। बालक की प्रथम पाठशाला उसका घर एवं समुदाय ही होता हैं तथा प्रथम शिक्षक उसके माता-पिता व समुदाय के अन्य सदस्य होते हैं। बालक सर्वप्रथम इन्हीं लोगों के संपर्क में आता हैं अतः बालक की विशेष आवश्यकताओं की पहचान, क्षति का आंकलन, शीघ्र हस्तक्षेप उसके घर व समुदाय के लोगों के द्वारा ही सर्वप्रथम संभव है। अतएव अभिभावकों व समुदाय की लोगों को विशिष्ट शिक्षा तथा अन्य सम्बंधित सेवाओं से अवगत कराया जाय।

7. **पुनर्वास करना (Rehabilitation)**

बालक को क्षति(Impairment) के कारण उत्पन्न होने वाली अक्षमता उसे समुदाय से अलग-थलग कर देती हैं जिससे उसके मनस(Psyche) पर बहुत बुरा असर पडता हैं या यह कहिये कि वह उखड सा जाता है। जिसे उसी समुदाय में अक्षमता न होने पर रहने वाली स्थिति में पुनर्स्थापित करना ही बालक का पुनर्वास करना है, विशिष्ट शिक्षा का अंतिम व सर्वोच्च उद्देश्य है। पुनर्वासित या पुनर्स्थापित करने के उद्देश्य को निम्नलिखित छः परन्तु अंतराच्छादित(Overlapping) बिंदुओं में व्ख्यायित किया जा सकता है-

i. शैक्षिक पुनर्वास करना
ii. चिकित्सकीय पुनर्वास करना
iii. वैयक्तिक पुनर्वास करना
iv. सामाजिक पुनर्वास करना
v. व्यावसायिक पुनर्वास करना
vi. आर्थिक पुनर्वास करना

i. **शैक्षिक पुनर्वास करना-** विशिष्ट बालक की आवश्यकताएं सामान्य बालक की आवश्यकताओं से भिन्न होतीं हैं जिससे कि विशिष्ट बालक सामान्य शैक्षिक परिवेश में अपने-आपको अक्षम पाता है। परिणामस्वरूप उसकी उपलब्धि एवं प्रदर्शन पर बुरा असर पडता है। अतः बालक को विशिष्ट शिक्षा उपलब्ध कराकर उसके शैक्षिक उपलब्धि को उन्नत करके शैक्षिक उपलब्धि के सन्दर्भ में सामान्य बालकों के समान्तर खड़ा कर उसका शैक्षिक पुनर्वास किया जाना चाहिए।

ii. **चिकित्सकीय पुनर्वास करना**-विशिष्ट बालक की शारीरिक क्षति को चिकित्सकीय प्रयासों/ विधियों से कम करना या समाप्त करना जिससे कि बालक अपने पुनर्वस्था को प्राप्त कर सके तथा सामान्य परिवेश में सामान्य बालकों की भांति जीवन जीने के योग्य बन जाय चिकित्सकीय पुनर्वास कहलाता है।

किसी दृष्टिबाधित बालक की कार्निया बदलने से उसकी आँख की रोशनी वापस आ जाय और वह सामान्य जीवन जीने के योग्य हो जाय। या फिर पिन्ना रहित बालक को प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा कृत्रिम पिन्ना लगाकर उसे सामान्य बालकों की श्रेणी में खड़ा कर दिया जाय।

iii. **वैयक्तिक पुनर्वास**-विशिष्ट बालक में अक्षमता के कारण विभिन्न प्रकार की विसंगतियाँ उत्पन्न हो जातीं हैं जैसे कि स्व-संप्रत्यय, स्व-सम्मान, विश्वास, हिम्मत आदि से सम्बंधित विसंगतियों का उत्पन्न होना। विशिष्ट बालक में उत्पन्न इन विसंगतियों को विभिन् मनोवैज्ञानिक विधियों के द्वारा यथासंभव कम करना या समाप्त करना विशिष्ट शिक्षा के वैयक्तिक पुनर्वास का उद्देश्य है।

iv. **सामाजिक पुनर्वास**-बालक जिस समाज या समुदाय का सदस्य होता हैं उसके कुछ रीति-रीवाज होते हैं, उसकी एक संस्कृति होती हैं तथा हर समाज या समुदाय अपने प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा रखता हैं कि वह उसकी संस्कृति को धारण करे, संरक्षित करे व आने वाली पीढ़ियों को हस्तांतरित

करे तथा उसी की रीति-रिवाजों के अनुसार व्यवहार करे। विशिष्ट बालक से भी ये अपेक्षाएं अपेक्षित हैं। इसलिए विशिष्ट शिक्षा का यह परम उद्देश्य हैं कि वह बालक को अपने समाज व समुदाय की जरूरतों एवं अपेकाक्षाओं के अनुरूप तैयार करे ताकि वह अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए सक्षम हो जाय व एक स्वतंत्र, जिम्मेदार एवं उत्पादक नागरिक के रूप में बालक को उसके समुदाय के समक्ष पेश करे।

v. **व्यावसायिक पुनर्वास**-बालक को अपने समाज व समुदाय के व्यावसायिक उन्मुखता तथा बालक की क्षमताओं के अनुरूप व्यवसाय के चयन हेतु तैयार किया जाय तथा उसके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाय। जरूरत होने पर अन्य आवश्यक सुविधाओं की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। जैसे कि व्यवसाय हेतु धन उपलब्ध करना, अधिक जन-शक्ति की व्यवस्था करना आदि।

vi. **आर्थिक पुनर्वास**-आज के भौतिकतावादी युग में व्यक्ति का जीवन अर्थ (economy) पर आधारित हो गया है। अतः बालक को बड़े-बड़े एवं कर्णप्रिय दार्शनिक विचारों के अलावा उसे इस कटु सच्चाई से परिचय कराना तथा उसे अर्थ अर्जन के लिए तैयार करना जिससे वह समाज में अपने-आप को एक सम्मानित सदस्य के रूप में स्थापित कर सके, विशिष्ट शिक्षा का एक उद्देश्य है।

राष्ट्रीय शिक्षा निति (1986) भी यह स्पष्ट रूप से अनुबंधित करती हैं कि विशिष्ट शिक्षा के उद्देश्य

i. शारीरिक एवं मानसिक विकलांगों का उसके सामान्य समुदाय में एक सामान सहभागी के रूप में समेंकित कराना,
ii. सामान्य वृद्धि के लिए तैयार कराना तथा
iii. साहस एवं विश्वास के साथ अपने जीवन की समस्याओं का सामना करने के योग्य बनाना; होना चाहिए।

अभ्यास प्रश्न

1. विशेष शिक्षा के उद्देश्यों को संकलित कीजिये।
2. शीघ्र हस्तक्षेप से आप क्या समझते हैं?
3. विशिष्ट शिक्षा के सामाजिक पुनर्वास का उद्देश्य क्या है?
4. विशिष्ट शिक्षा के आर्थिक पुनर्वास के उद्देश्य से आप क्या समझते है?
5. सामुदायिक जागरूकता से आप क्या समझते है?
6. शैक्षिक हस्तक्षेप से आप क्या समझते है?
7. समन्वित विद्यालय से आप क्या समझते है एवं इसका क्या उद्देश्य है ?
8. पुनर्वास का क्या अर्थ है?
9. विशिष्ट बालकों को मार्गदर्शन की क्यों आवश्यकता होती है ?

6.4 विशिष्ट शिक्षा के सिद्धान्त (Principles of Special Education)

विशिष्ट शिक्षा निम्नलिखित सिद्धान्तों पर आधारित है:-

i. **कोई निरस्त नहीं (No one is Rejected)** :- शारीरिक रूप से बाधित सभी बालकों को नि:शुल्क उपयुक्त शिक्षा मिलनी चाहिए। सामान्य शिक्षा संस्थाओं में किसी बालक को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का विकल्प किसी विद्यालय के व्यवस्था में नहीं है।

ii. **व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षा**:- प्रत्येक विशिष्ट बालक में कुछ न कुछ विभिन्नताएॅ होती हैं। कुछ छात्र अन्य छात्रों से अधिकांश गुणों में सर्वथा भिन्न होते हैं जो शिक्षा की ओर विशेष झुकाव रखते हैं। ऐसे छात्रों को विशेष शिक्षण आवश्यकताएॅ विशिष्ट शिक्षा के माध्यम से पूरी करनी चाहिए।

iii. **अविभेदी शिक्षा**:- ऐसे बालकों की पहचान करनी चाहिए जो विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता का अनुभव करते हैं, जिससे उन्हें दी जाने वाली शिक्षा को उपयुक्त स्वरूप सुनिश्चित किया जा सके। प्रत्येक छात्र का व्यक्तिगत रूप से मूल्यांकन होना चाहिए। इसके पश्चात् सभी छात्रों को उसके विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार शिक्षण कार्यक्रम रखा जाना चाहिए।

iv. **वैयक्तिक शिक्षा कार्यक्रम:**- जिन बालकों को विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता है उन्हें व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम या तो विशिष्ट कक्षाओं में दिया जाना चाहिए या उनसे संबंधित संसाधन युक्त कक्षों में इस प्रकार की शिक्षा उन बालकों की वर्तमान कार्यप्रणाली और विशेष आवश्यकताओं के अनुसार होनी चाहिए। इसके लिए अभिक्रमित अनुदेशन को भी प्रयुक्त किया जाता है।

v. **विशिष्ट प्रक्रिया (Special Process)**:- विशिष्ट शिक्षा एक विशिष्ट प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक विशेष शिक्षक विकलांग बालकों को संसाधन कक्ष, विशिष्ट उपकरण युक्त कक्षा-कक्ष में शिक्षा प्रदान करते हैं।

vi. **नियंत्रित वातावरण**:- जहाँ तक संभव हो शारीरिक रूप से बाधित बालक तथा सामान्य बालकों की शिक्षा एक ही कक्षा कक्ष में साथ-साथ होनी चाहिए। यह कक्षा सामान्य हो सकती है। सामान्य कक्षा विकलांग बालकों को न्यूनतम विघ्न डालने वाला वातावरण होना चाहिए।

vii. **माता-पिता का सहयोग**:- यदि शारीरिक रूप से बाधित बालकों के माता-पिता भी शिक्षण कार्यक्रमों में रूचि लेते हैं तो विशिष्ट शिक्षण कार्यक्रमों को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है।

viii. **समुदाय की भागीदारी**:- विशिष्ट शिक्षा में समुदाय के व्यक्तियों की भागादारी होने से यह अधिक प्रभावशाली हो जाता है। इसमें समुदाय के व्यक्ति जितना अधिक भागीदारी लेंगें विशिष्ट बालक को समुदाय में समायोजन करने में उतनी ही आसानी होगी।

ix. **प्रेरणा का सिद्धान्त**:- सामान्यत: बालक जब कोई भी विषय वस्तु को सीखने के लिए अभिप्रेरित होता है तो वे उस पाठ को वे जन्दी एवं आसानी से सीख लेता है। इस प्रकार एक शिक्षक को चाहिए की इन बालकों को समय-समय पर अभिप्रेरित करने रहें।

अभ्यास प्रश्न

10. विशिष्ट शिक्षा के सिद्धांतों को संकलित करें।
11. वैयक्तिक शिक्षा एवं अविभेदी शिक्षा से आप क्या समझते है ?

6.5 विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता (Needs of Special Education)

i. विशिष्ट बालक अन्य बालकों के समान ही होते हैं। सामान्य बालक के ही तरह इन बालकों के शिक्षा के उद्देश्य होते हैं, उनकी आवश्यकता भी समान होती है। इन बालकों की विशेषता यह होती है कि सामान्य बालकों की तरह उन्हें देखने, बोलने, समझने की क्षमता विकसित नहीं होती है, इसलिए इन्हें विशेष शिक्षा के द्वारा उनके उद्देश्यों को पूरा किया जाता है।

ii. यद्यपि इन बालकों की ज्ञानेन्द्रियाँ सही रूप से विकसित या कार्य नहीं कर पाती हैं, इसलिए इन्हें विशेष निर्देशन की आवश्यकता होती है, जो विशिष्ट शिक्षा के द्वारा पूर्ति की जाती है।

iii. विशिष्ट शिक्षा के द्वारा दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, मानसिक मंद, अधिगम अक्षम आदि बालकों की पहचान की जाती है।

iv. विशिष्ट बालक सामान्य कक्षाओं में दी जाने वाली अनुदेशन से लाभ नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि इन बालकों की बौद्धिक क्षमता सामान्य बालकों से या तो अधिक होती है या कम होती है। सामान्य कक्षाओं में दी जाने वाली अनुदेशन सामान्य बालकों के अनुसार होती है। इसलिए इन्हें विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है।

v. विशिष्ट बालकों के अभिभावकों, अध्यापकों और प्रबंधकों को बालकों की आवश्यकताओं को समझने में विशिष्ट शिक्षा से सहायता मिलती है। इस शिक्षा से विशिष्ट बालक समाज में अपना समायोजन करते हैं।

vi. जिन बालकों को देखने, सुनने, बोलने, समझने में समस्या होती है उन्हें सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा नहीं दी जा सकती है। अत: ऐसे बालकों के लिए विशेष पाठ्यक्रम, विधि और विशेष शिक्षकों की आवश्यकता होती है।

vii. प्रतिभाशाली बालकों का बुद्धि स्तर सामान्य बालकों की अपेक्षा ऊँचा होता है इसलिए प्रतिभाशाली बालकों को सामान्य बालकों के साथ समायोजित करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। सामान्यत: ऐसा पाया जाता है कि शिक्षक अपने गति से शिक्षा देता है जो सामान्य बालकों के लिए उपयुक्त है। लेकिन प्रतिभाशाली बालक सामान्य बालकों की अपेक्षा शीघ्र ही अपना कार्य समाप्त कर लेता है। ऐसी परिस्थिति में यह समस्या आती है कि प्रतिभाशाली बालक अपना समय कैसे व्यतीत करे, जबकि शिक्षक सामान्य बालकों के साथ उसी कार्य को पूरा करने में व्यस्त रहता है ऐसी परिस्थिति में इन बालकों के लिए विशिष्ट शिक्षा आवश्यक है जिससे प्रतिभाशाली बालकों को उचित दिशा निर्देशन दिया जाय।

viii. विशिष्ट कक्षाओं में बुद्धिमान छात्रों को अग्रसर होने का अवसर मिलता है, लेकिन शिक्षक को ऐसे बालकों को सामान्य कक्षा में कार्य के प्रति प्रेरित करने में समस्या और बाधाओं का सामना करना पड़ता है। सामान्यत: विलक्षण बालक अन्य सामान्य बालकों के अपेक्षा संवेदनशील होता है। उनकी सोचने की क्षमता अधिक तथा तीव्र होती है। वे कार्य के प्रति सावधान होते हैं, इसलिए उनके शिक्षध में विशेष विधियों व प्रविधियों की आवश्यकता होती है।

ix. विशिष्ट शिक्षा के द्वारा चयनित स्थानापन्न (Selective Placement) किया जाता है विभिन्न शाखाओं के विशेषज्ञों द्वारा बालकों का पूर्ण रूप से सामाजिक वातावरण में विभिन्न श्रेणियों में विश्लेषण, मूल्याकंन एवं निर्धारण किया जाता है। भौतिक परीक्षण तथा मूल्य निर्धारण, विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों जैसे मानसिक मनोविज्ञानी चिकित्सक, श्रवण, नेत्र, अस्थि चिकित्सक तथा शिक्षाविद् विशिष्ट बालकों के चयनित स्थापन के लिए अति आवश्यक है।

x. विशिष्ट शिक्षा को अन्य सेवाओं की भी आवश्यकता होती है जैसे- अस्थि विकलांग बालकों का शारीरिक परीक्षण, दृष्टिबाधित बालक, श्रवण बाधित बालक एवं मानसिक मंद बालकों के लिए चिकित्सकीय परीक्षण समय-समय पर आवश्यक होती है। कुछ विशिष्ट बालकों को व्यावसायिक, शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक आदि सेवायें अति आवश्यक है।

अत: विशिष्ट बालकों को अपनी शक्ति के अनुसार विकास करने के लिए विशिष्ट शिक्षा मिलना अति आवश्यक है।

अभ्यास प्रश्न

12. वर्तमान समय में विशिष्ट शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालें।

6.6 सारांश

विशिष्ट शिक्षा के उद्देश्य सामान्य शिक्षा से बिलकुल भिन्न नहीं हैं अपितु विशिष्ट बालकों की आवश्यकताओं एवं उनकी अक्षमताओं की प्रकृति के अनुसार थोड़े व्यापक हो जाते हैं तथा कुछ अतिरिक्त उद्देश्य सामान्य शिक्षा के उद्देश्यों में जुड़ जाते हैं। ये उद्देश्य कुछ इस प्रकार से हैं-

- विशिष्ट बालकों की अक्षमताओं की पहचान, निदान एवं आँकलन करना।
- विशिष्ट बालकों की आवश्यकताओं एवं अक्षमता का शीघ्र हस्तक्षेप करना।
- भौतिक एवं शैक्षिक अनुकूलन कि पहचान करना तथा विद्यालय एवं अन्य सम्बंधित स्थानों पर बाधामुक्त परिवेश उपलब्ध कराना।

- अभिभावक एवं समुदायिक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करना एवं उनमें इनकी सहभागिता सुनिश्चित करना।
- विशेष आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षण-अधिगम सामग्रियों का निर्माण करना।
- पुनर्वास विशेषज्ञों एवं स्कूल कर्मचारियों के बीच एक सहयोगात्मक सम्बन्ध स्थापित कराना।
- विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को मार्गदर्शन एवं परामर्श देना।
- बालकों को शैक्षिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत समस्याओं से संबन्धित परामर्श देना ।
- बालकों को समाज की मुख्यधारा में लाने वाली गतिविधियों का नियोजन एवं कार्यान्वयन करना।
- बालक को समाज में पूर्ण सहभागिता हेतु तैयार करना एवं उसे समाज का एक उत्तरदायी एवं स्वावलंबी सदस्य बनाना।
- बालक का पुनर्वास करना आदि।

शिक्षा ही एक ऐसी प्रक्रिया हैं जिसके द्वारा एक व्यक्ति को सही मायने में मनुष्य या मानव बनाया जाता है। इसी प्रकार विशिष्ट शिक्षा भी विशिष्ट बालकों को एक विशेष प्रकार की तकनीकियों, विधियों, विशेष शिक्षण-अधिगम सामग्रियों के द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा ही है। अतः इसकी आवश्यकता और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता को निम्नवत संकलित किया जा सकता है-

- शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक मानव का अधिकार हैं और विशिष्ट बालक भी सर्वप्रथम एक मानव हैं तब उसकी आवश्यकताएं भिन्न हैं।
- अक्षम बालक में उपस्थित क्षमताओं की सहायता से उसे दैनिक जीवन के कौशलों के प्रशिक्षण प्रदान कराने में भी विशिष्ट शिक्षा की ही भूमिका होती है।
- विशिष्ट बालक की आवश्यकताएं भिन्न होतीं हैं न कि वह अक्षम होता है। उसके अंदर बहुत सी क्षमताएं भी होतीं हैं। जिसके द्वारा उसे समाज का उत्तरदायी नागरिक बनाने में विशिष्ट शिक्षा का योगदान आवश्यक है।
- मानव का उन्नतिकरण शिक्षा द्वारा ही संभव है। सार्वभौमीकरण के दौर में राष्ट्र के विकास हेतु “मानव पूंजी(Human Capital)” का उन्नतिकरण उसके विकास का द्योतक है। अक्षम व्यक्ति भी एक मानव पूंजी है। अतः इसका उन्नतिकरण करने वाला राष्ट्र ही विकास कर सकता है।
- अक्षम व्यक्तियों को समाज तथा समुदाय में सक्रिय सहभागिता तथा न्याय के समक्ष समानता सुनिश्चित करना एवं समान अवसर उपलब्ध कराने में भी विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता है।
- अक्षम व्यक्ति भी समुदाय का एक सदस्य हैं अतः उसकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति समुदाय के मानक के अनुरूप हो इसके लिए उसे व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था करने में भी विशिष्ट शिक्षा की भूमिका अपरिहार्य है।

- अंततः विशिष्ट बालक का पुनर्वास विशिष्ट शिक्षा के द्वारा ही किया जा सकता है।

6.7 शब्दावली

1. **शीघ्र हस्तक्षेप-** बालक में किसी कारणवश हुई क्षति के कारण अक्षमता की स्थिति पैदा होने से यथाशीघ्र रोकना ही शीघ्र हस्तक्षेप है।
2. **पुनर्वास-** व्यक्ति या बालक यदि अक्षम न होता तो उसकी समुदाय में होने वाली उपयोगी स्थिति में शिक्षा या उपचार के द्वारा उसे पुनर्स्थापित करना ही पुनर्वास है।
3. **विशिष्ट विद्यालय**- एक विद्यालय जिसमें विशिष्ट बालकों को शिक्षा दी जाती है।
4. **समावेशी शिक्षा**- एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसमें विकलांग बालकों को सामान्य बालकों के साथ बिना कोई भेद भाव के शिक्षा दी जाती है।

6.8 संदर्भ ग्रंथ

1. दास एम० (२००७). *एजुकेशन आफ एक्सप्सनल चिल्ड्रेन*. अटलांटिक पब्लिशर्स, नई दिल्ली.
2. संजीव के० (२००८). *विशिष्ट शिक्षा*. जानकी प्रकाशन, पटना.
3. ए०आई०सी०बी० (२००४)- शिक्षक प्रशिक्षण लेखमाला, रोहिणी, दिल्ली।
4. पांडा, के0सी0 (1997), " एजुकेशन ऑफ एक्सेपसनल चिल्डेन" नई दिल्ली: विकास पब्लिशिंग एण्ड डिस्ट्रब्यूटर्श।
5. गोविन्द राव, एल0 (2007), पर्सपेक्टिव ऑन स्पेशल एड्डुकेशन: हैदराबाद: नीलकमल पब्लिकेशन।
6. मुखोपाध्याय, एस0 एण्ड मनी, एम0एन0जी0 (2002) एड्डुकेशन ऑफ चिन्ड्रेन विद् स्पेशल नीड्स, नई दिल्ली: आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
7. इग्नू (2009) फाउनडेशन कोर्स आन एडूकेशन ऑफ चिन्ड्रेन विद डिसएबिलिटीस। नई दिल्ली इग्नू।
8. हल्हान, डी० पी० एण्ड काफमैन, जे० एम० (१९९१). *अपवादित बच्चे: विशिष्ट शिक्षा का परिचय*. एलिन एण्ड बेकन, बोस्टन.
9. मंगल, एस०, के० (2012)- शिक्षा मनोविज्ञान, पी० एच० आई० लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड।

6.9 निबंधात्मक प्रश्न

1. विशेष शिक्षा के उद्देश्य से आप क्या समझते है ? इनके विभिन्न उद्देश्यों पर प्रकाश डालें।
2. विशिष्ट शिक्षा के सिद्धांतों का वर्णन करें।
3. वर्तमान समय में विशिष्ट शिक्षा की क्या आवश्यकता है ? वर्णन करें।

इकाई 7: विशिष्ट शिक्षा सेवाओं के प्रकार, संसाधन/ परिभ्रामी शिक्षक, संसाधन कक्ष एवं उपकरण

Types of Special Education Services, The Resource/ Itinerant Teacher, Aids and Room

7.1 प्रस्तावना

7.2 उद्देश्य

7.3 विशिष्ट शिक्षा सेवाओं के प्रकार

- 7.3.1 पूर्ण-कालिक नियमित कक्षा में स्थापन
- 7.3.2 विशिष्ट शिक्षा परामर्शों के साथ पूर्ण-कालिक नियमित कक्षा में स्थापन
- 7.3.3 परिभ्रामी विशिष्ट शिक्षक सेवा व्यवस्था के साथ पूर्ण-कालिक नियमित कक्षा में स्थापन
- 7.3.4 संसाधन कक्ष/ संसाधन शिक्षक व्यवस्था के साथ पूर्ण-कालिक नियमित कक्षा में स्थापन
- 7.3.5 सहयोगी समूह शिक्षण के साथ पूर्ण-कालिक नियमित कक्षा में स्थापन
- 7.3.6 अंश-कालिक विशिष्ट वर्ग में स्थापन के साथ अंश-कालिक नियमित कक्षा में स्थापन
- 7.3.7 पूर्ण-कालिक विशिष्ट कक्षा में स्थापन
- 7.3.8 पूर्ण-कालिक विशिष्ट विद्यालय में स्थापन
- 7.3.9 पूर्ण-कालिक आवासीय विद्यालय में स्थापन
- 7.3.10 अस्पताल तथा गृह-बाध्य अनुदेश

7.4 संसाधन शिक्षक

7.5 परिभ्रामी शिक्षक

7.6 संसाधन कक्ष

7.7 उपकरण

7.8 सारांश

7.9 शब्दावली

7.10 संदर्भ ग्रंथ सूची

7.11 निबंधात्मक प्रश्न

7.1 प्रस्तावना

इससे पहले के इकाई में आप विशिष्ट शिक्षा के अर्थ, उद्देश्यों, सिद्धांत, कार्यक्षेत्र तथा उसकी आवश्यकताओं का अध्ययन कर चुके हैं। इस इकाई के अंतर्गत आप विशिष्ट शिक्षा सेवा के प्रकार, संसाधन शिक्षक, परिभ्रामी शिक्षक, संसाधन कक्ष एवं उपकरण के बारे में अध्ययन करेंगे ।

प्रारम्भिक समय में विकलांग बालकों के लिए कोई शिक्षा व्यवस्था नहीं थी, वस्तुत: उन बालकों को शैशववस्था में ही मार दिया जाता था, लेकिन जैसे-जैसे विशिष्ट शिक्षा का विकास होता गया नए- नए शोध व अविष्कार हुए, नए सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ, समाज के दृष्टिकोण बदले तथा वैसे-वैसे विशिष्ट शिक्षा द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं का विकास हुआ। आज विशिष्ट शिक्षा के द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं को एक संतात्यक(Continuum) के रूप में संगठित किया जा सकता है, जो कि अक्षम बालकों के समेंकित शिक्षा से लेकर पृथक्कीकरण तक या नियमित कक्षा में स्थापित करने से लेकर २४-घंटे संस्थागत देख-रेख तक विस्तारित है। इस इकाई में अक्षमता की मात्रा एवं विशिष्ट आवश्यकताओं की प्रकृति के आधार पर विशिष्ट शिक्षा की कौन-कौन सी सेवाएं उपलब्ध हैं? तथा विशिष्ट शिक्षा की सीमाएँ क्या हैं? आदि प्रश्नों पर विमर्श प्रस्तुत है।

7.2 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात आप-

1. विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्ध सेवाओं का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे।
2. विशिष्ट शिक्षा सेवाओं के प्रकारों को बता सकेंगे।
3. विभिन्न विशिष्ट शिक्षा सेवाएं क्या हैं? पर प्रकाश डाल सकेंगे।
4. विभिन्न विशिष्ट शिक्षा सेवाओं के मध्य अंतर स्पष्ट कर सकेंगे।
5. संसाधन अध्यापक एवं उनके कार्य के बारे में बता सकेंगे ।
6. संसाधन कक्ष एवं उपकरण के बारे में बता सकेंगे ।

7.3 विशिष्ट शिक्षा सेवाओं के प्रकार

विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु सर्वप्रथम प्रयास इंग्लैंड के राजा हेनरी द्वितीय ने 12वीं में मानसिक मंद बालकों के लिए कानून बना कर किया था। इसके बाद अलग देशों के द्वारा इनके शिक्षा के लिए अनेक प्रयास किए गए । इसी क्रम में बहुत से प्रतिदर्शों एवं विधियों आदि का विकास हुआ। विशिष्ट शिक्षा के जन्म से ही इस बात पर विचार एवं मंथन जारी रहा कि इसे कैसे उत्कृष्ट एवं बोधगम्य बनाया जाय? विशिष्ट बालकों को अल्पतम सिमित वातावरण (Least Restrictive Environment) में अत्यधिक प्रभावी (Most Effective), सामान्य पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा प्रदान करने के क्रम में बहुत सारे सिद्धांत एवं उपागम अस्तित्व में आए। विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट बालकों के सर्वांगीण विकास हेतु दी जाने वाली सेवाएं विशिष्ट शिक्षा सेवाएं

कही जाती हैं। विशिष्ट बालकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर भूत में उपलब्ध सेवाओं को देखा जाय तो वे अधिक सिमित वातावरण में कम प्रभावी सेवाए थीं। परन्तु समय एवं विचार के साथ वर्तमान समय में उपलब्ध सेवाएं विशिष्ट बालकों की आवश्यकताओं के अनुसार कई स्तरों पर एक संतात्यक के रूप में उपलब्ध हैं जो कि एक-दूसरे से अपेक्षाकृत अल्पतम सिमित वातावरण में अधिक प्रभावशाली हैं। विशिष्ट बालकों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के क्रम में उनकी क्षमताओं एवं आवश्यकताओं के अनुसार उपलब्ध विशिष्ट शिक्षा सेवाएं एक सांतत्यक रूप में निम्नवत हैं।

i. पूर्ण-कालिक नियमित कक्षा में स्थापन (Full-time placement in a regular classroom)
ii. विशिष्ट शिक्षा परामर्शों के साथ पूर्ण-कालिक नियमित कक्षा में स्थापन(Full-time placement in a regular classroom with special education consultations)
iii. परिभ्रामी विशिष्ट शिक्षक सेवा व्यवस्था के साथ पूर्ण-कालिक नियमित कक्षा में स्थापन(Full-time placement in a regular classroom with provisions of itinerant special educator service)
iv. संसाधन कक्ष/ संसाधन शिक्षक व्यवस्था के साथ पूर्ण-कालिक नियमित कक्षा में स्थापन(Full-time placement in a regular classroom with provision of resource room/resource teacher)
v. सहयोगी समूह शिक्षण सेवाओं के साथ पूर्ण-कालिक नियमित कक्षा में स्थापन (Full-time placement in a regular classroom with provision of collaborative team teaching services)
vi. अंश-कालिक विशिष्ट वर्ग में स्थापन के साथ अंश-कालिक नियमित कक्षा में स्थापन(Part-time placement in a regular classroom with part-time placement in a special class)
vii. पूर्ण-कालिक विशिष्ट कक्षा में स्थापन(Full-time placement in a special class)
viii. पूर्ण-कालिक विशेष विद्यालय में स्थापन(Full-time placement in a special school)
ix. पूर्ण-कालिक आवासीय विद्यालय में स्थापन(Full-time placement in a residential school)
x. अस्पताल तथा गृह-बाध्य अनुदेशन(Hospital and home-bound instruction)

उपरोक्त प्रकार की सेवाएं विशिष्ट बालकों की आवश्यकताओं के अनुसार पुनर्वास कर्मियों विशेषतः विशिष्ट अध्यापकों की अनुशंसा पर उपलब्ध संसाधनों के द्वारा प्रदान की जाती हैं। पुनर्वास कर्मी सर्वप्रथम इन विशेष आवश्यकता के बालकों की पहचान करते हैं, अक्षमता का मूल्यांकन करते हैं फिर उनकी क्षमता एवं अक्षमता के अनुसार उपयुक्त सेवा के लिए अनुशंसा करते हैं। यह क्रिया एक विशिष्ट शिक्षक के लिए अति संवेदनशील एवं जिम्मेदारीपूर्ण है। शिक्षकों को इन सेवाओं का सम्पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है तथा इन सेवाओं के चयन से क्या-क्या लाभ या क्या-क्या हानियाँ हो सकती हैं? पर विश्लेषण कर लेने के बाद ही किसी सेवा के लिए

अनुशंसा करनी चाहिए। अतः इन सेवाओं का विस्तृत अध्ययन अत्यन आवश्यक है। जिसके क्रम में यह चित्रात्मक परिचर्चा आपको लाभान्वित करेगी।

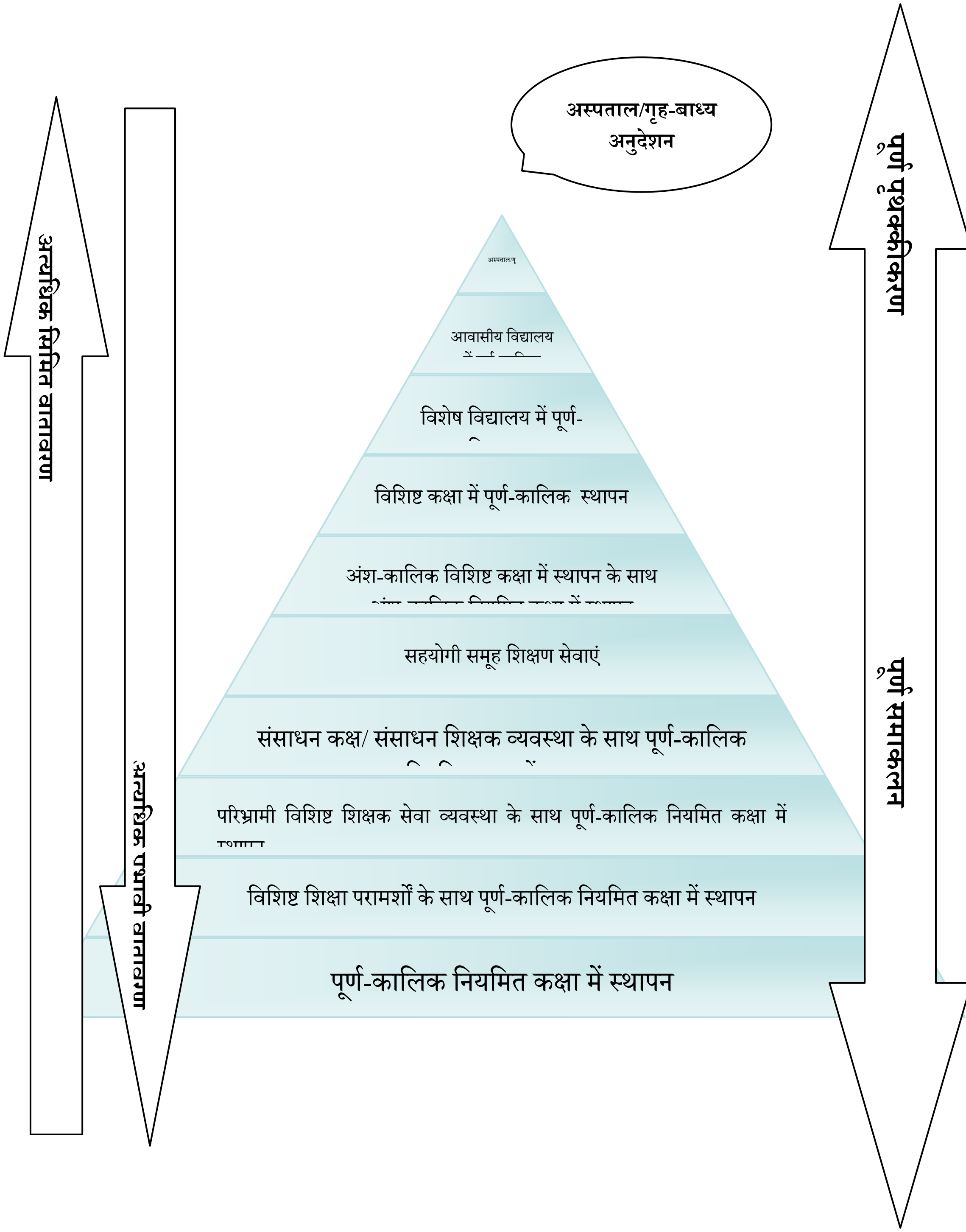

चित्र.1 विशिष्ट शिक्षा सेवाओं का सांतत्यक

7.3.1 पूर्ण-कालिक नियमित कक्षा में स्थापन

विकालान्गताग्रस्त बालक का पूर्ण-कालिक नियमित कक्षा में स्थापन निम्नतम स्तर की विशिष्ट शिक्षा सेवा है। इस व्यवस्था के अंतर्गत उन बालकों का स्थापन किया जाता है जिनके विकलांगता की गंभीरता कम होती है या फिर विकलांगता की प्रकृति नियमित कक्षा में शिक्षण-अधिगम को प्रभावित न करती हो। जैसे कि यदि बालक पोलियो से ग्रस्त है और सिर्फ चलने फिरने में असमर्थ है तो इस स्थिति में कक्षा वातावरण में नियमित शिक्षण-अधिगम प्रभावित नहीं होता है। ऐसे बालक का पूर्ण-कालिक नियमित कक्षा में स्थापन किया जा सकता है। क्योंकि इस प्रकार की उदार विकलांगता वाले बालक कम प्रशिक्षण के बाद ही स्वावलंबी हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में किसी विशेषज्ञ के प्रत्यक्ष सलाह की आवश्यकता नहीं हो सकती है। नियमित अध्यापकों को भी किसी विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उन्हें केवल बालक की विकलांगता की प्रकृति एवं उसकी आवश्यकता से अवगत करा देना ही पर्याप्त हो सकता है।
कक्षा वातावरण एवं विद्यालय वातावरण में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किये जा सकते हैं जिससे बालक को अल्पतम सिमित या बाधा-रहित वातावरण उपलब्ध किया जा सके परन्तु इस स्थापन में वैसे तो बालक को ही विद्यालय की जरूरतों के अनुरूप ढालने का प्रयास किया जाता है। इस व्यवस्था में बालक को समाज की मुख्या धारा में समाकलित कर लिया जाता है।

विशिष्ट बालकों के स्थापन की इस व्यवस्था में नियमित अध्यापक को विशिष्ट बालक की आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यसामग्री, यन्त्र व उपकरण तथा अनुदेशन विधि आदि प्रदान करा दी जाती है। इस स्तर पर सामान्यतया प्रत्यक्ष निर्देशन हेतु किसी विशेषज्ञ की जरूरत नहीं होती है। नियमित अध्यापक की विशेषज्ञता तथा कौशल विशिष्ट बालक की जरूरतों को पूर्ण करने में सक्षम हो सकती हैं।

सामान्यतया उदार मानसिक मंदता से ग्रसित बालक, अधिगम विकलांगता से ग्रसित बालक, अस्थि विकलांगता से ग्रसित बालक, वाणी विकलांगता से ग्रसित बालक, दृष्टिबाधित बालक जो ब्रेल सामग्री के साथ स्वाबलंबन पूर्वक काम कर लेते हों तथा ऊँचा सुनने वाले बालक इस प्रकार की नियमित कक्षा की व्यवस्था में पूर्ण-कालिक रूप से स्थापित किये जा सकते हैं।

इस प्रकार की स्थापन व्यवस्था कम खर्चीली है तथा बालक को अपने समुदाय में ही समाकलित करने का अवसर उपलब्ध कराती है। इस व्यवस्था की एक विशेषता यह भी है कि नियमित अध्यापक भी विशिष्ट बालक की जरूरतों को पूर्ण करने में सक्षम होते हैं। किसी विशेषज्ञ के प्रत्यक्ष निर्देशन की जरूरत नहीं पड़ती अतः विद्यालय को ऐसे बालकों को समायोजित करने में कोई परेशानी नहीं होती।

विशिष्ट शिक्षा परामर्शों के साथ पूर्ण-कालिक नियमित कक्षा में स्थापन

यह स्थापन भी नियमित कक्षा में पूर्ण-कालिक स्थापन है। इसमें बालक नियमित कक्षा का पूर्ण-कालिक विद्यार्थी होता है। नियमित अध्यापक नियमित कक्षा में विशिष्ट पाठ्य-सामग्रियों, विधियों, उपकरणों एवं यंत्रों की सहायता से विशिष्ट बालक की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अध्यापन कार्य करता है। परन्तु इस व्यवस्था में नियमित अध्यापकों को विशिष्ट शिक्षकों के परामर्श की आवश्यकता हो सकती है। विशिष्ट

शिक्षक नियमित शिक्षकों को विशिष्ट सामग्रियों के चयन एवं प्रयोग, यंत्रो एवं उपकरणों के प्रशिक्षण तथा विशिष्ट बालकों के आवश्यकतानुरूप शिक्षण विधियों के प्रयोग सम्बन्धी निर्देशन एवं परामर्श देता है। यहाँ भी विशेषज्ञ के प्रत्यक्ष निर्देशन की आवश्यकता नहीं होती है। वह केवल नियमित अध्यापकों को अनुदेशित करता है।

यह स्थापन भी विशिष्ट बालक को अपने समुदाय में यथासंभव समाकलित करने का प्रयास करता है। इस व्यवस्था में भी विद्यालय के आधारभूत ढांचें में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। परन्तु बालक को अल्पतम सिमित वातावरण प्रदान करने का प्रयास किया जाता है।

परिभ्रामी विशिष्ट शिक्षक सेवा व्यवस्था के साथ पूर्ण-कालिक नियमित कक्षा में स्थापन

यह स्थापन विशिष्ट बालक की आवश्यकता को थोडा अधिक महत्व देते हुए नियमित कक्षा में पूर्ण-कालिक स्थापन की व्यवस्था करता है। इस स्थापन में विशिष्ट बालक को नियमित कक्षा में ही परिभ्रामी शिक्षक के प्रत्यक्ष निर्देशन व अनुदेशन की व्यवस्था होती है। यह परिभ्रामी शिक्षक नियोजित समय-सारणी के अनुसार विशिष्ट बालकों को व्यक्तिगत या छोटे समूहों में सप्ताह के एक या दो दिन विद्यालय में अपनी प्रत्यक्ष सेवा प्रदान करता है। इस प्रकार की व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों या सुदूर क्षेत्रों, जहाँ विशिष्ट बालकों की संख्या कम होती है में उपलब्ध कराई जाती है। ये परिभ्रामी शिक्षक विशिष्ट बालकों से प्रत्यक्ष अंतःक्रिया करते हैं तथा नियमित अध्यापकों को भी विशिष्ट शिक्षण सामग्रियों के चयन, निर्माण एवं प्रयोग तथा विशिष्ट शिक्षण विधियों के साथ उपयुक्त सहायक उपकरणों एवं यंत्रों के प्रशिक्षण सम्बन्धी निर्देशन एवं परामर्श देते हैं।

इस व्यवस्था से उदार विकलांगों के साथ-साथ संयत विकलांग भी आसानी से लाभान्वित हो जाते हैं। यह स्थापन की व्यवस्था भी कम खर्चीली है क्योंकि एक विशिष्ट परिभ्रामी शिक्षक ८-१० विद्यालयों में अपनी सेवा देता है। जहाँ पर नियमित संसाधन शिक्षक उपलब्ध नहीं कराया जा सकता वहाँ के लिए यह सबसे उपयुक्त व्यवस्था है।

संसाधन कक्ष/ संसाधन शिक्षक व्यवस्था के साथ पूर्ण-कालिक नियमित कक्षा में स्थापन

एक कदम और आगे बढ़ते हुए संसाधन कक्ष/ संसाधन शिक्षक व्यवस्था के साथ पूर्ण-कालिक नियमित कक्षा में स्थापन व्यवस्था में विशिष्ट बालक का नामांकन नियमित कक्षा में ही किया जाता है परन्तु उसकी विशिष्ट समस्याओं का निदान संसाधन कक्ष में संसाधन शिक्षक द्वारा किया जाता है। बालक अपने विद्यालय समय का कुछ भाग संसाधन कक्ष में व्यतीत करता है तथा बचे समय में वह नियमित कक्षा का सदस्य होता है। विशिष्ट बालक की समस्याओं की गंभीरता के अनुसार विशिष्ट शिक्षक के द्वारा उसकी समस्याओं का निदान संसाधन कक्ष में किया जाता है। इस प्रकार के स्थापन व्यवस्था में विद्यालय के आधारभूत ढांचे में अंशतः परिवर्तन किया जा सकता है। इस स्थापन में भी उदार एवं संयत विकलांग लाभान्वित होते हैं। वैसे तो कुछ-कुछ विकलांगताओं की गंभीर स्थितियों को भी इस व्यवस्था से लाभ मिल सकता है। यह व्यवस्था भी बालकों को समाकलित करने का प्रयास करती है। इसमें बालक अपने समुदाय के अन्य सदस्यों के साथ भी अंतःक्रिया स्थापित करता है।

संसाधन शिक्षक संसाधन कक्ष में विशिष्ट बालकों की समस्याओं का निदान करता है। साथ ही वह नियमित शिक्षकों को भी सहायता प्रदान करता है। उन्हें विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्रियों के चयन, निर्माण तथा प्रयोग का प्रशिक्षण देता है तथा विशिष्ट शिक्षण विधियों एवं तकनीकों से भी अवगत कराता है। विशिष्ट बालकों के द्वारा प्रयोग की जाने वाली सहायक उपकरणों एवं यंत्रो का प्रशिक्षण भी प्रदान करता है।

इस प्रकार यह स्थापन व्यवस्था अपेक्षाकृत महँगी एवं अधिक जटिल है लेकिन गंभीर विकलांगताओं हेतु अधिक उपयोगी एवं प्रभावशाली है।

सहयोगी समूह शिक्षण सेवाओं के साथ पूर्ण-कालिक नियमित कक्षा में स्थापन

सहयोगी समूह शिक्षण विशेष आवश्यकता वाले बालकों को उनके सामान्य सहपाठियों के साथ नियमित कक्षा में पूर्ण-कालिक अनुभव प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत नियमित कक्ष में ही पूरे दिन विशिष्ट अध्यापक नियमित अध्यापकों के साथ विशिष्ट बालकों की समस्याओं को संशोधित एवं अनुकूलित अनुदेशन के द्वारा हल करता है। इस प्रकार की व्यवस्था में छात्रों की संख्या सामान्य कक्ष संख्या से कदापि अधिक नहीं रखी जाती। विशिष्ट बालकों की संख्या कुल बालकों की संख्या की 40%से अधिक नहीं रखी जा सकती। अर्थात कक्ष में सामान्य बालकों की संख्या 20-25 तथा विशिष्ट बालकों की संख्या अधिकतम 10 हो सकती है।

सहयोगी समूह शिक्षण में एक नियमित अध्यापक के साथ एक विशिष्ट अध्यापक सह-पाठ योजना बनाते है तथा उसके अनुसार ही कक्षा में अनुक्रिया एवं क्रिया-कलाप करते हैं। जिससे सभी बालकों के शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। विशिष्ट अध्यापक एवं नियमित अध्यापक साथ में विभिन्न विधियों के प्रयोग से एक अधिगम-अनुकूलित वातावरण तैयार करते हैं तथा सामान्य पाठ्यक्रम को लागू करते हैं।

जबकि सहयोगी समूह शिक्षण पूरे दिन उपलब्ध कराया जाता है लेकिन बालकों की समस्याओं के अनुसार यह कम भी हो सकता है या विषयगत भी हो सकता है।

यह व्यवस्था भी थोड़ी अपेक्षाकृत महंगी है लेकिन बालकों के पूर्ण समाकलन के अवसर उपलब्ध कराती है। नियमित अध्यापकों की एक व्यावहारिक समस्या भी आ जाती है कि उन्हें विशिष्ट अध्यापक के साथ मिलकर सह-पाठ-योजना का निर्माण करना पड़ता है तथा वे विषय के अध्यापन में भी कठिनाई महसूस करते हैं।

अंश-कालिक विशिष्ट वर्ग में स्थापन के साथ अंश-कालिक नियमित कक्षा में स्थापन

इस प्रकार की सेवा में विशिष्ट बालक विशिष्ट कक्षा का सदस्य होता है तथा अपने पाठ्यक्रम के शैक्षिक भाग के विषयगत समस्याओं को विद्यालय समय के प्रथम अर्ध-भाग में विशिष्ट कक्ष में ही विशिष्ट अध्यापक के विशेष अनुदेशन की सहायता से हल करता है तथा विद्यालय समय के द्वितीय अर्ध-भाग में वह नियमित कक्षा के क्रिया-कलापों में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करता है। जिसमें वह संगीत, कला, शारीरिक शिक्षा एवं अन्य सह-विद्य क्रिया-कलापों में भाग लेता है।

इस प्रकार की सेवा में संयत विकलांग ठीक ढंग से लाभान्वित हो सकते हैं। यह सेवा भी बालक को सामान्य से अलग होने का भान कराते हुए भी समाकलन के अवसर उपलब्ध कराती है।

पूर्ण-कालिक विशिष्ट कक्षा में स्थापन

इस सेवा के अंतर्गत विशिष्ट बालक को पूर्ण-रूप से नियमित विद्यालय की विशिष्ट कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। इस प्रकार की सेवा से सामान्यतया गंभीर विकलांगों- जैसे कि गंभीर मानसिक मंदता से ग्रसित बालक को लाभान्वित किया जा सकता है। यह विकलांगजनों को प्रदान की जाने वाली बहुत ही पुरानी एवं परंपरागत प्रकार की सेवा है। इस प्रकार की सेवा सामान्य सहपाठियों से पृथक्कीकरण के कारण बड़ी आलोचना में भी रही है। इस प्रकार की व्यवस्था में एक ही प्रकार की विकलांगता वाले 10-15 बालकों को विशेष कक्षा में स्थापित किया जाता है, जहाँ बालक विशिष्ट अध्यापको की सहायता से अपने अधिगम को प्राप्त कर पाते हैं। ये बालक पूरे दिन विशिष्ट कक्षा में ही विशिष्ट शिक्षकों के द्वारा लाभान्वित होते है। केवल मध्यन्हावकाश तथा सामूहिक विद्यालय क्रियाकलापों एवं समारोहों में ही ये विशिष्ट बालक अपने नियमित सामान्य सहपाठियों के साथ अन्तः क्रिया स्थापित कर पाते है। ग्रामीण या सुदूर इलाकों में जहाँ 10-15 एक ही विकलांगता के बालक नहीं मिल पाते वहाँ कई विकलांगताओं को भी शामिल कर लिया जाता है। लेकिन विशिष्ट अध्यापक की विशेषज्ञता भी विभिन्न विकलांगताओं में हो का भी ध्यान दिया जाता है। ताकि विशिष्ट बालकों की समस्याओं का निदान ठीक ढंग से किया जा सके।

इस प्रकार की सेवा पृथक्कीकरण को बढ़ावा देती है अतः वर्तमान में कम लोकप्रिय है। अपेक्षाकृत शैक्षिक निष्पादन के पदों में अधिक प्रभावशाली हो सकती है। परन्तु व्यावहारिक एवं मनोवैज्ञानिक आदर्शों को प्राप्त नहीं कर पाती।

पूर्ण-कालिक विशेष विद्यालय में स्थापन

यह सेवा विशिष्ट बालकों की किसी एक विकलांगता के विद्यालय के शैक्षिक परिवेश में अधिगम वातावरण उपलब्ध कराती है जहाँ बालक पूरे दिन एक ही विकलांगता वाले बालकों के बीच अपने अधिगम अनुभवों को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के विद्यालयों को विशेष विद्यालय कहते हैं। यह व्यवस्था भी पृथक्कीकरण को बढ़ावा देती है परन्तु एक सकारात्मक पक्ष यह है कि विद्यालय के बाद बालक अपने माता-पिता एवं परिवार के साथ अंतःक्रिया स्थापित कर पाते हैं। ये विद्यालय विशिष्ट रूप से किसी एक विकलांगता की प्रकृति के अनुसार बनाये गए होते हैं तथा विशिष्ट यंत्रों एवं उपकरणों से सुसज्जित होते हैं जिससे बालकों की सम्पूर्ण समस्याओं का निदान किया जा सके। इस प्रकार की सेवा भी विशेषतः गंभीर विकलांगजनों हेतु ही प्रभावी हो सकती है। अपने देश के अलावे अन्य देशों में भी विशेष विद्यालय काफी प्रचलन में रहें है और आज भी मौजूद हैं।

पूर्ण-कालिक आवासीय विद्यालय में स्थापन

इस प्रकार की सेवा आवासीय विद्यालयों द्वारा अति सीमित वातावरण में विशिष्ट बालकों को अधिगम अनुभवों के साथ जीवन कौशलों, स्व-सहायता कौशलों तथा सम्प्रेषण कौशलों के प्रशिक्षण की व्यवस्था

करती है। इस प्रकार की सेवा से अति गंभीर एवं गहन विकलांगजन लाभान्वित होते हैं। इस प्रकार की सेवा सामान्यतया पूर्ण दृष्टिबाधित, पूर्ण श्रवणबाधित तथा अति गंभीर मानसिक मंद बालकों को प्रदान की जाती है। ये बालक पूर्णरूपेण समुदाय, परिवार, माता-पिता से पृथक रहते हैं परन्तु लंबी छुट्टियों में उन्हें घर जाने व अपने परिवार या समुदाय से अंतःक्रिया स्थापित करने का अवसर मिलता है। इन विद्यालयों में विशेष विकलांगता के विभिन्न विशेषज्ञों के साथ अन्य विशेषज्ञ भी होते हैं जहाँ बालक की सम्पूर्ण समस्यायों का निदान एक ही छत के निचे उपलब्ध हो सके। जैसे कि चिकित्सक, मनोचिकित्सक, व्यावसायिक चिकित्सक, पुनर्वास कार्यकर्ता एवं निर्देशक आदि उपलब्ध रहते हैं। यहाँ पर बालक स्वाबलंबी तो हो जाता है लेकिन यह सेवा पृथक्कीकरण के कारण थोड़ी आलोचना की पात्र भी है। यह व्यवस्था काफी खर्चीली है तथा ग्रामीण एवं सुदूर क्षेत्रों में जहाँ एक विकलांगता के बालकों की संख्या अत्यंत कम हो, उपलब्ध नहीं कराई जा सकती।

अस्पताल तथा गृह-बाध्य अनुदेशन

इस प्रकार की सेवा उन गहन विकलांगजनों को उपलब्ध कराई जाती है जो कि किसी मनोवैज्ञानिक या शारीरिक परिस्थितियों (स्थायी या अस्थायी) के कारणवश अस्पताल या घर से विद्यालय पंहुचने में असमर्थ हों। इस सेवा के अंतर्गत विशिष्ट अध्यापक बालक को अस्पताल या उसके घर पर ही जाकर अनुदेशन देता है तथा उसकी समस्याओं का समाधान करता है। साथ ही बालक के माता-पिता एवं नियमित अध्यापकों से भी सम्बन्ध स्थापित करता है तथा उसके विकास की योजना बनाता है। इस प्रकार की सेवा से सामान्यतया अतिगंभीर मानसिकमंद या भावात्मक परेशान बालकों को अनुदेशन उपलब्ध कराया जाता है।

पूर्व में ये सेवाएं अधिक सिमित एवं अल्प प्रभावी थीं परन्तु वर्तमान में ये अल्पतम सिमित वातावरण में अत्यधिक प्रभावी हैं। वर्तमान में ये सेवाएं उदार एवं गंभीर विकलांगजनों को अल्पतम सिमित वातावरण में अत्यधिक प्रभावी अनुभव प्रदान कर रहीं हैं। वैसे तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये सेवायें कम प्रभावी मानी जा रहीं हैं तथा लोग अब समावेशी शिक्षा व्यवस्था को अत्यधिक प्रभावी एवं मानवीय मान रहे हैं। यूँ तो ये दोनों अलग-अलग सिद्धांत हैं। यहाँ पर हम केवल विशिष्ट शिक्षा के समाकलन सिद्धांत से ही संबधित हैं।

अभ्यास प्रश्न

1. विशेष शिक्षा सेवाएं क्या हैं?
2. नियमित कक्षाओं में पूर्ण-कालिक स्थापन से आप क्या समझते हैं?
3. नियमित कक्षा में पूर्ण-कालिक स्थापन वाली सेवाओं को गिनाइये?
4. विशिष्ट शिक्षा सेवाओं में कौन सी सेवा अत्यधिक प्रभावी वातावरण उपलब्ध कराती है?और कैसे?
5. विशिष्ट शिक्षा सेवाओं में कौन सी सेवा पूर्ण पृथक्कीकरण को बढ़ावा देती है?
6. अत्यधिक सिमित वातावरण से आप क्या समझते है?
7. अल्पतम सिमित एवं अत्यधिक प्रभावी वातावरण का क्या तात्पर्य है?
8. विशेष विद्यालयों में पूर्ण-कालिक स्थापन की अनुशंसा किन परिस्थितियों में की जानी चाहिए? स्पष्ट करें

7.4 संसाधन अध्यापक

संसाधन शिक्षक को 'स्रोत शिक्षक' अथवा 'विशेष शिक्षक' के नाम से भी जाना जाता है। ये विशेष शिक्षा में विशिष्ट योग्यताधारी वैसे शिक्षक होते है जो किसी भी माहौल में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ये दृष्टि, श्रवण, चलन, एवं मानसिक विकलांगता के क्षेत्र में डिग्री (विशेष शिक्षा), डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) योग्यताधारी होने के साथ-साथ भारतीय पुनर्वास परिषद (Rehabilitation council of india) से पंजीकृत विशेष अध्यापक होते हैं। संसाधन अध्यापक की नियुक्ति एकीकृत शिक्षा योजना के अंतर्गत किसी एक विद्यालय के लिए ही की जाती है। उसकी सेवाएँ विशिष्ट बालकों तथा सामान्य शिक्षकों को आवश्यकता अनुसार स्कूली घंटों के दौरान हर समय उपलब्ध होती है। वह बालकों को संसाधन कक्ष में व्यक्तिगत रूप से या छोटे छोटे समूहों में पढ़ता / सिखाता है।

एकीकृत शिक्षा योजना सबसे पुरानी योजना है, यदि आर्थिक स्थिति आड़े न आए तो विशिष्ट बालकों की विशेष शिक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति के दृष्टिकोण से यह योजना सर्वाधिक उपयोगी एवं वांछनीय है।

गुण (Qualities) – पर्याप्त सफलता के लिए संसाधन अध्यापक में निम्न गुण होना चाहिए।

1. **वाक पटुता** – छात्रों व अपने हित में उसे विद्यार्थियों के माता – पिता, सामान्य अध्यापक, विद्यालय प्रशासक तथा अन्य लोगों से बातचीत करनी पड़ती है। अत: उसके लिए आवश्यक है कि वह अपने बात को तार्किक व प्रभावी ढंग से ढंग से प्रस्तुत कर सके।
2. **सहनशीलता** – अनजान माता- पिता, सामान्य शिक्षक व छात्रों कि ओर से विशिष्ट बालकों के विषय में अनेक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन विशिष्ट बालक के कक्षा में बहुत कम होने तथा अन्य छात्रों कि संख्या बहुत अधिक होने के कारण कक्षा शिक्षक ऐसे बालकों की समस्याओं की ओर प्राय: कम ध्यान दे पाते हैं। इन चुनौतियों की सामना वह अतिरिक्त सहनशीलता के आधार पर ही कर सकता है।
3. **जमा पाठ्यक्रम (plus Curriculum) की अच्छी जानकारी** – विशिष्ट विद्यालयों में अनेक प्रशिक्षित अध्यापक होते हैं। यदि एक शिक्षक किसी जमा पाठ्यक्रम क्षेत्र में कमजोर है तो दूसरा शिक्षक उसकी अथवा छात्रों की मदद कर सकता है परंतु एकीकृत शिक्षा योजना में केवल वही अकेला विशेषज्ञ होता है। इसलिए उसके कमजोरी का दुष्परिणाम निश्चित रूप से छात्रों को भुगतना पड़ेगा। उसे ब्रेल लिपि के विभिन्न नियमों की भलीभाँति जानकारी, ब्रेल गणित संहिता की जानकारी, ब्रेल लेखन एवं गणना उपकरणों के के प्रयोग की अच्छी जानकारी, भूगोल विषय के लिए उपयोगी स्पर्शीय उपकरणों मानचित्र को बनाने और उसका प्रयोग बनाने की दक्षता, आवश्यक जीवन उपयोगी कौशल (Daily living skill) सिखाने इत्यादि की जानकारी होनी चाहिए।
4. **विशिष्ट सामाग्री स्रोतों की जानकारी** – विशिष्ट बालकों के लिए उपयोगी उपकरण व शिक्षण सामाग्री हर जगह उपलब्ध नहीं होती है। संसाधन अध्यापक को उन देशी – विदेशी संस्थाओं व स्रोतों की जानकारी होनी आवश्यक है जहाँ से उसे प्राप्त किया जा सके।

5. **विशिष्ट बालकों के प्रति स्वस्थ एवं सकारात्मक अभिवृतियाँ**- संसाधन अध्यापक निष्ठा पूर्वक अपने उत्तरदायित्वों को तभी निभा पाएगा जब उनके मन में विशिष्ट बालकों के प्रति सकारात्मक अभिवृतियाँ हों।
6. विशिष्ट बालकों तथा उनके माता पिता, अभिभावकों को आवश्यक मार्गदर्शन एवं परामर्श देने की क्षमता।
7. सामान्य बाल मनोविज्ञान तथा विशिष्ट बालकों के मनोविज्ञान को समझना।
8. पाठ्यक्रम में विशिष्ट बालकों की आवश्यकताओं के अनुसार संशोधन की क्षमता।
9. सामान्य अध्यापक व छात्रों में विशिष्ट बालकों के प्रति सकारात्मक अभिवृति उत्पन्न करने की क्षमता एवं उन्हें विशिष्ट बालकों को आवश्यक सहयोग देने के लिए प्रेरित करने की क्षमता।
10. अपने विद्यार्थियों के लिए सामुदायिक संसाधन प्रयोग करने की जानकारी।
11. विशिष्ट बालकों की हीन भावना दूर करने तथा उनमें आत्मसम्मान व आत्म छवि विकसित करने की योग्यता।
12. स्थानीय रूप से प्राप्त तथा अनुपयोगी वस्तुओं से शिक्षण सामाग्री तैयार करने की कला।

कार्य एवं उत्तरदायित्व – संसाधन अध्यापक के कार्य उत्तरदायित्वों को दो भागों में बांटा जा सकता है।

1. प्रत्यक्ष कार्य एवं उत्तरदायित्व
2. अप्रत्यक्ष कार्य एवं उत्तरदायित्व

प्रत्यक्ष कार्य एवं उत्तरदायित्व- इस श्रेणी में वे कार्य सम्मिलित होते है जिसमें अध्यापक व छात्र प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के संपर्क में हो तथा अध्यापक व छात्र प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के संपर्क में हों तथा अध्यापक प्रशिक्षण, शिक्षण अथवा परामर्श इत्यादि सेवाएँ प्रदान करें। ऐसे कार्यों की संख्या तथा उन्हें दिये जाने वाले समय की मात्रा प्रारम्भिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए अपेक्षाकृत अधिक तथा बड़ी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए कम होती जाती है। प्रमुख प्रत्यक्ष कार्य उत्तरदायित्व निम्नलिखित है:-

1. प्रवेश के समय बालकों का मनोवैज्ञानिक, दैनिक – कौशल विषयक संवेदी तथा बोधात्मक मूल्यांकन करना।
2. छात्रों को आवश्यकता अनुसार विभिन्न पाठ्यक्रम क्रियाओं में प्रशिक्षण देना।
3. विभिन्न कारणों से अपने किसी एक अथवा अधिक विषय में पिछड़े बालकों का शिक्षण।
4. आवश्यकता पड़ने पर विद्यार्थियों के लिए पाठ्य पुस्तकों का वाचन।
5. शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए उपचारात्मक शिक्षण।
6. छात्रों को शैक्षिक, व्यावसायिक, उच्च शिक्षा, पारिवारिक एवं यौन समस्याओं के सबंध में मार्ग दर्शन एवं परामर्श देना।
7. उन्हें यथासंभव अधिकाधिक आत्म अभिव्यति के साधन उपलब्ध कराने हेतु, वाचन वाद विवाद, नाटक, कहानी सुनाने व कहानी लेखन, काव्य पाठ, विभिन्न प्रकार के आंतरिक व वाह्य खेलकूद,

निबंध लेखन, संगीत और नृत्य, मिट्टी की अनुकृतियाँ बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, प्रशिक्षण देना तथा इससे संबंधित प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना।

8. न्यून दृष्टि बालकों को अवशिष्ट दृष्टि के अधिकतम प्रयोग हेतु प्रशिक्षण देना।
9. विशिष्ट बालकों के सहायक उपकरणों के सामान्य रख रखाव की जानकारी देना।
10. छात्रों को देश विदेश के सफल एवं प्रसिद्ध विकलांग व्यक्तियों के बारे में जानकारी देना।

अप्रत्यक्ष कार्य एवं उत्तरदायित्व – इस श्रेणी के अंतर्गत उन समस्त कार्यों को रखा जाता है जिन्हें संसाधन अध्यापक छात्रों की अनुपस्थिति में उनकी शिक्षा प्रक्रिया को सफल एवं सुगम बनाने के लिए करता है। इनमें कुछ प्रमुख कार्य व उत्तरदायित्व निम्न हैं –

1. बालकों की खोज तथा उसके माता-पिता को विशिष्ट बालकों की शिक्षा की संभावनाओं के विषय में जानकारी उपलब्ध कराना।
2. बालकों को प्रमाण पत्र प्राप्त करने में सहायता करना।
3. बालकों को स्कूल में प्रवेश प्राप्त करने में सहायता करना।
4. माता-पिता/अभिभावकों को विशिष्ट बालकों की विशिष्ट आवश्यकताओं के बारे में समझना।
5. अतिरिक्त समस्या बाले माता पिता को उपर्युक्त सलाह देना।
6. बालकों की शिक्षा प्रक्रिया तथा दैनिक कौशलों के प्रशिक्षण के संबंध में विशिष्ट बालकों के माता-पिता को प्रशिक्षण देना।
7. बालकों के माता पिता, अभिभावक, सहपाठी, सामान्य अध्यापक, अन्य स्कूल कर्मचारी तथा समुदाय में मौखिक, लिखित व इलेक्ट्रोनिक प्रसारण माध्यमों का यथासंभव उपयोग करते हुए विशिष्ट बालकों के प्रति सकारात्मक अभिवृति उत्पन्न करना।
8. सामान्य शिक्षकों को समय- समय पर समूहिक बैठकों तथा इश्तेहारों के माध्यम से विशिष्ट बालकों के प्रति अपनी कक्षाओं में उनके उत्तरदायित्वों से अवगत कराना तथा उनके निर्वहन के संबंध में परामर्श देना।
9. परीक्षाओं में छात्रों के लिए आवश्यकतानुसार मौखिक तथा ब्रेल के माध्यम से मूल्यांकन करने की व्यवस्था करना।
10. ब्रेल में लिखे गए उत्तरों को सामान्य अध्यापकों के लिए दृश्य लिपि में तैयार करना ताकि मूल्यांकन संभव हो सके।
11. बड़ी कक्षाओं में छात्रों के लिए श्रुतिलेखक की व्यवस्था करना।
12. आगामी सत्र के लिए शिक्षण सामाग्री व उपकरणों का पूर्वानुमान लगाना।
13. समय, संसाधन तथा अधिकतम लाभ की दृष्टि से शैक्षिक भ्रमण के लिए स्थान का चुनाव करना तथा उनकी सफलता के लिए व्यापक पूर्व योजना बनाना।

ऊपर बताई गई सूची को अंतिम तथा अनिवार्य नहीं समझना चाहिए। अंतिम इसलिए नहीं क्योंकि अलग अलग स्थानों पर परिवेश भी अलग रहता है और उसके अनुसार संसाधन अध्यापक के कार्य व उत्तरदायित्वों में कमी अथवा बढ़ोतरी हो सकती है।

7.5 परिभ्रामी अध्यापक

परिभ्रामी अध्यापक किसी एक स्कूल विशेष में सेवाएँ प्रदान करने की बजाय दो अथवा तीन विद्यालयों में पूर्व निर्धारित समय सारणी के अनुसार प्रतिदिन अथवा निश्चित दिनों में जाकर वहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे विशिष्ट बालकों को व्यक्तिगत आधार पर या छोटे-छोटे समूहों में सेवाएँ प्रदान करता है। जमा पाठ्यक्रम क्रियाओं का शिक्षण, विशेष उपकरण, शिक्षण सामग्री एवं परामर्श देता है। वह आवश्यकतानुसार सामान्य अध्यापकों एवं बालकों के माता-पिता को भी सहयोग देता है ताकि विशिष्ट बालकों की शिक्षा सुचारु रूप से चल सके।

परिभ्रामी अध्यापक योजना संसाधन अध्यापक की तुलना में कम खर्चीली है क्योंकि इसके अंतर्गत यदि अध्यापक को एक स्कूल में आठ बालक उपलब्ध न हो तो 2 -3 स्कूलों में 8-10 बालक उसे प्राप्त हो जाते हैं जो सामान्यत: एक विशिष्ट अध्यापक के लिए वांछनीय संख्या समझी जाती है। इसके फलस्वरूप बालक अपने निकटतम विद्यालय में जाते हैं तथा उन्हें वही पर विशिष्ट अध्यापक की सेवाएँ भी प्राप्त हो जाती है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अधिक उपयुक्त समझी जाती है। भारत के महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा बिहार इत्यादि राज्यों में इसका बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है। परिणाम भी संतोषजनक बताए जाते है।

संसाधन कक्ष के स्थान पर परिभ्रामी अध्यापक न्यूनतम आवश्यक विशिष्ट शिक्षण सामग्री तथा उपकरण से भरा एक बस्ता का प्रयोग करता है जिसे आमतौर पर संसाधन किट कहा जाता है। वह एक-एक किट प्रत्येक बालक को उपलब्ध कराता है तथा एक किट स्वंय अपने पास रखता है।

गुण (Qualities)

1. **समय की पाबंदी** – यह गुण सभी में वांछित है परंतु परिभ्रामी अध्यापक के संदर्भ में इसका विशेष महत्व है। विशिष्ट बालकों को दिन में एक या आधा घंटा अथवा वैकल्पिक दिनों में कुछ समय के लिए ही विशिष्ट अध्यापक की सेवाएं मिल पाती है यदि विशिष्ट अध्यापक समय पर नहीं पहुँच पाता तो उन्हें एक या दो दिन के लिए प्रतीक्षा करनी होगी और इस बीच उनके समक्ष आयी समस्याओं की संख्या बढ़ती जाएगी। छोटे बालक अपनी कठिनाइयाँ भूल सकते हैं और इस प्रकार वे अपने सहपाठियों से पिछड़ने लगेंगे।
2. **आत्म- अनुशासन** – परिभ्रामी अध्यापक संसाधन अध्यापक की तुलना में अधिक स्वतंत्र होता है, इसलिए एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय जाते समय उसे समय की बर्बादी से स्वंय बचना होगा तथा प्रत्येक स्थान पर नियत समय पर पहुँचने के लिए उसे अधिक आत्म अनुशासन की आवश्यकता है।

3. **सहनशीलता** – अनजान माता- पिता, सामान्य शिक्षक व छात्रों कि ओर से विशिष्ट बालकों के विषय में अनेक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन विशिष्ट बालक के कक्षा में बहुत कम होने तथा अन्य छात्रों कि संख्या बहुत अधिक होने के कारण कक्षा शिक्षक ऐसे बालकों की समस्याओं की ओर प्राय: कम ध्यान दे पाते हैं। इन चुनौतियों की सामना वह अतिरिक्त सहनशीलता के आधार पर ही कर सकता है।
4. **जमा पाठ्यक्रम (plus Curriculum) की अच्छी जानकारी** – विशिष्ट विद्यालयों में अनेक प्रशिक्षित अध्यापक होते हैं। यदि एक शिक्षक किसी जमा पाठ्यक्रम क्षेत्र में कमजोर है तो दूसरा शिक्षक उसकी अथवा छात्रों की मदद कर सकता है परंतु एकीकृत शिक्षा योजना में केवल वही अकेला विशेषज्ञ होता है। इसलिए उसके कमजोरी का दुष्परिणाम निश्चित रूप से छात्रों को भुगतना पड़ेगा । उसे ब्रेल लिपि के विभिन्न नियमों की भलीभाँति जानकारी, ब्रेल गणित संहिता की जानकारी, ब्रेल लेखन एवं गणना उपकरणों के के प्रयोग की अच्छी जानकारी, भूगोल विषय के लिए उपयोगी स्पर्शीय उपकरणों मानचित्र को बनाने और उसका प्रयोग बनाने की दक्षता, आवश्यक जीवन उपयोगी कौशल (Daily living skill) सिखाने इत्यादि की जानकारी होनी चाहिए।
5. **विशिष्ट सामाग्री स्रोतों की जानकारी** – विशिष्ट बालकों के लिए उपयोगी उपकरण व शिक्षण सामाग्री हर जगह उपलब्ध नहीं होती है। परिभ्रामी अध्यापक को उन देशी – विदेशी संस्थाओं व स्रोतों की जानकारी होनी आवश्यक है जहाँ से उसे प्राप्त किया जा सके।
6. **विशिष्ट बालकों के प्रति स्वस्थ एवं सकारात्मक अभिवृतियाँ**- परिभ्रामी अध्यापक निष्ठा पूर्वक अपने उत्तरदायित्वों को तभी निभा पाएगा जब उनके मन में विशिष्ट बालकों के प्रति सकारात्मक अभिवृतियाँ हों।
7. विशिष्ट बालकों तथा उनके माता पिता, अभिभावकों को आवश्यक मार्गदर्शन एवं परामर्श देने की क्षमता।

परिभ्रामी अध्यापक के कार्य :-

1. प्रवेश के समय बालकों का मनोवैज्ञानिक, दैनिक – कौशल विषयक संवेदी तथा बोधात्मक मूल्यांकन करना।
2. छात्रों को आवश्यकता अनुसार विभिन्न पाठ्यक्रम क्रियाओं में प्रशिक्षण देना।
3. विभिन्न कारणों से अपने किसी एक अथवा अधिक विषय में पिछड़े बालकों का शिक्षण।
4. आवश्यकता पड़ने पर विद्यार्थियों के लिए पाठ्य पुस्तकों का वाचन।
5. शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए उपचारात्मक शिक्षण।
6. छात्रों को शैक्षिक, व्यावसायिक, उच्च शिक्षा, पारिवारिक एवं यौन समस्याओं के सबंध में मार्ग दर्शन एवं परामर्श देना।
7. उन्हें यथासंभव अधिकाधिक आत्म अभिव्यति के साधन उपलब्ध कराने हेतु, वाचन वाद विवाद, नाटक, कहानी सुनाने व कहानी लेखन, काव्य पाठ, विभिन्न प्रकार के आंतरिक व वाह्य खेलकूद,

निबंध लेखन, संगीत और नृत्य, मिट्टी की अनुकृतियाँ बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, प्रशिक्षण देना तथा इससे संबंधित प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना।

8. न्यून दृष्टि बालकों को अवशिष्ट दृष्टि के अधिकतम प्रयोग हेतु प्रशिक्षण देना।
9. विशिष्ट बालकों के सहायक उपकरणों के सामान्य रख रखाव की जानकारी देना।
10. छात्रों को देश विदेश के सफल एवं प्रसिद्ध विकलांग व्यक्तियों के बारे में जानकारी देना।
11. बालकों की खोज तथा उसके माता - पिता को विशिष्ट बालकों की शिक्षा की संभावनाओं के विषय में जानकारी उपलब्ध कराना।
12. बालकों को प्रमाण पत्र प्राप्त करने में सहायता करना।
13. बालकों को स्कूल में प्रवेश प्राप्त करने में सहायता करना।
14. माता-पिता/अभिभावकों को विशिष्ट बालकों की विशिष्ट आवश्यकताओं के बारे में समझना।
15. अतिरिक्त समस्या बाले माता पिता को उपर्युक्त सलाह देना।
16. बालकों की शिक्षा प्रक्रिया तथा दैनिक कौशलों के प्रशिक्षण के संबंध में विशिष्ट बालकों के माता-पिता को प्रशिक्षण देना।
17. बालकों के माता पिता, अभिभावक, सहपाठी, सामान्य अध्यापक, अन्य स्कूल कर्मचारी तथा समुदाय में मौखिक, लिखित व इलेक्ट्रोनिक प्रसारण माध्यमों का यथासंभव उपयोग करते हुए विशिष्ट बालकों के प्रति सकारात्मक अभिवृति उत्पन्न करना।
18. सामान्य शिक्षकों को समय- समय पर समूहिक बैठकों तथा इश्तेहारों के माध्यम से विशिष्ट बालकों के प्रति अपनी कक्षाओं में उनके उत्तरदायित्वों से अवगत कराना तथा उनके निर्वहन के संबंध में परामर्श देना।

7.6 संसाधन कक्ष

विशिष्ट विद्यार्थियों की विशेष आवश्यकता होती है, जिनकी पूर्ति की जिम्मेदारी विशेष अध्यापक की होती है इन विशेष आवश्यकताओं को जमा-पाठयक्रम के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। निश्चित रूप से इन विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विशेष शिक्षण सामाग्री की भी आवश्यकता होती है। विशेष विद्यालय में तो इस सामग्री को कक्षा में भी रखा जा सकता है, वहीं एकीकृत शिक्षा के अंतर्गत इस सामाग्री को एक विशेष कक्ष में रखा जाता है जिसे संसाधन कक्ष कहा जाता है।

संसाधन कक्ष- अर्थ व आवश्यकता

संसाधन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है- सं+साधन। सं का अर्थ है सहित और साधन का अर्थ है सामग्री, अर्थात वह कक्ष जो सामग्री सहित हो। अर्थात वह कक्ष जहां विशेष आवश्यकताओं के आधार पर विशेष

सामग्री हो, जिनके द्वारा विशिष्ट बालकों की विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। इसे "संपूरक कक्ष" भी कहा जाता है, अर्थात वह कक्ष जो विशिष्ट बालकों के लिए पूरक के रूप में कार्य करे। सामान्य विद्यालय में एकीकृत शिक्षा योजना के अंतर्गत संसाधन कक्ष प्रारूप में संसाधन कक्ष विद्यालय का एक महत्वपूर्ण अंग होता है, जिसमें विशिष्ट बालकों के शैक्षिक प्रशिक्षण के लिए उचित सामग्री रखी जाती है। विकलांग बालकों में दृष्टि एवं श्रवण क्षमता कम होने के कारण उन्हें अन्य संवेदों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिनके प्रशिक्षण के लिए उचित सामाग्री संसाधन कक्ष में रखी जाती है। इस कक्ष में विशिष्ट बालक प्रतिदिन संसाधन शिक्षक के पास प्रशिक्षण के लिए आते हैं। यह प्रशिक्षण व्यक्तिगत रूप से विकलांग बालकों को उपलब्ध कराया जाता है।

7.7 उपकरण

i. **ब्रेल** (Braille) – ब्रेल पढ़ने लिखने की ऐसी व्यवस्था है जिसमे दो कालम में तीन तीन की संख्या में बंटे हुये छ: उभरे हुये बिन्दु होते है, जिसमें एक नुकीली पिन अर्थात स्टाइलस की सहायता से दबाकर ब्रेल के बिन्दु उभारे जाते है।

ii. **ब्रेलर (Brailler)-** ब्रेलर ब्रेल लिखने की एक ऐसी मशीन है जिसके द्वारा एक बार में ब्रेल के एक अक्षर के सभी बिन्दुओं को उभारे जा सकते हैं।

iii. **पाकेट फ्रेम (pocket frame)-** यह ब्रेल स्लेट का छोटा रूप होता है जिसको जेब में रखकर आसानी से एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाया जा सकता है।

iv. **टेलर फ्रेम (Tailor Frame)-** यह एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से अंकगणित तथा बीजगणित में प्रयुक्त होने वाले चिन्ह या संख्याओं को प्रकट करते हैं या लिखते हैं।

v. **अबेकस (abacus)-** अबेकस एक ऐसा यंत्र है जिसके सहायता से विभिन्न गणितीय संक्रियाएँ की जाती है, जिसमें गिनती, गुणा, भाग, जोड़ना, घटाना शामिल है।

vi. **ज्यामितीय किट-** यह उपकरण रेखागणित में उपयोगी होता है।

vii. **इलेक्ट्रोनिक नोट टेकर** – यह एक कम क्षमता वाला कम्प्युटर होता है। इसका आकार एक वीडियो कैसेट के जितना होता है। साधारणत: इस उपकरण में एक ब्रेलर की तरह 7 कुंजियाँ लगी होती है जिसका प्रयोग करके ब्रेल के अक्षरों को टाइप किया जाता है।

viii. **टाकिंग कैलकुलेटर-** इसकी सहायता से पूर्ण अंधे बच्चे गणित संबंधी कार्य आसानी से कर सकते हैं। इसमें जो बटन दबाये जाते है, वही अंक सुनाई देती है।

ix. **लेजर छड़ी (Laser Cane)-** यह लंबी छड़ी जैसा ही साधन है। इससे इंफ्रारेड प्रकाश की तीन किरणें निकलती है। एक ऊपर, एक नीचे और एक सीधे दिशा में निकलता है। प्रकाश की ये किरणें जब किसी बस्तु से टकराती है तो वह ध्वनि में परिवर्तित हो जाती है और इसी ध्वनि की आवाज से दृष्टि अक्षमताग्रस्त बच्चे सचेत हो जाते है।

x. **श्रवण यंत्र (Hearing aids)-** श्रवण वाधित बालकों को स्पष्ट रूप से सुनाई देने के लिए श्रवण यंत्र का उपयोग किया जाता है। यह एक ऐसी मशीन है जो वातावरण की आवाज को ग्रहण कर उसे कई गुणा बढ़ा कर सीधे कान में पहुंचाता है। इसकी सहायता से कम सुनने बाला बच्चा भी उस आवाज को स्पष्ट रूप से सुन सकता है।

xi. **बैसाखी(Crunch)-** कमजोर पैरों वाले बच्चों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। बैसाखी बच्चों को सहायता प्रदान करती है ।

xii. **कैलीपर्स (Callipers)-** यह जूतों के साथ लगा पैरों को सहारा प्रदान करने वाला साधन है, जो कमजोर पैरों को सहारा प्रदान करता है।

अभ्यास प्रश्न

11. एक संसाधन शिक्षक में कौन-कौन सी गुण होने चाहिए ?
12. संसाधन शिक्षक के कार्यों का वर्णन करें ।
13. विशिष्ट बालकों के प्रयोग में आने वाले विभिन्न उपकरणों का वर्णन करें ।

7.8 सारांश

प्रारम्भिक समय से ही विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए कई तरह से प्रयास किये गए हैं, इस प्रयास के क्रम में कई प्रकार की सेवाएं अस्तित्व में आयीं जिनमें से प्रमुख सेवाएं इस प्रकार है-

1. **पूर्ण-कालिक नियमित कक्षा में स्थापन (Full-time placement in a regular classroom)**: इस प्रकार की सेवा में विशिष्ट बालक सामान्य कक्षा का पूर्ण-कालिक सदस्य होता है तथा नियमित अध्यापकों के अनुदेशों से ही उसकी समस्याओं का निदान कर लिया जाता है।
2. **विशिष्ट शिक्षा परामर्शों के साथ पूर्ण-कालिक नियमित कक्षा में स्थापन(Full-time placement in a regular classroom with special education consultations):** इस प्रकार की सेवा विशिष्ट बालकों को नियमित कक्षा में ही स्थापित कराती है तथा उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए विशेष शिक्षण सहायक सामग्रियों, सहायक उपकरणों एवं तकनीकों के प्रयोग का प्रयोजन करती है।
3. **परिभ्रामी विशिष्ट शिक्षक सेवा व्यवस्था के साथ पूर्ण-कालिक नियमित कक्षा में स्थापन(Full-time placement in a regular classroom with provisions of itinerant special educator service):** इस सेवा के अंतर्गत विशिष्ट बालक नियमित कक्षा का ही सदस्य रहता है परन्तु एक परिभ्रामी शिक्षक की सहायता से उसके नियमित शिक्षकों को निर्देशन एवं परामर्श की व्यवस्था होती है। यहाँ पर विशिष्ट शिक्षक के द्वारा बालक को प्रत्यक्ष निर्देशन नहीं मिलता है।

4. **संसाधन कक्ष/ संसाधन शिक्षक व्यवस्था के साथ पूर्ण-कालिक नियमित कक्षा में स्थापन(Full-time placement in a regular classroom with provision of resource room/resource teacher):** यह सेवा विशिष्ट बालकों को विशिष्ट शिक्षक की प्रत्यक्ष सेवा संसाधन कक्ष में प्रदान कराती है तथा बालक अन्य क्रियाकलापों को नियमित कक्षाओं में ही करता है।
5. **सहयोगी समूह शिक्षण सेवाओं के साथ पूर्ण-कालिक नियमित कक्षा में स्थापन (Full-time placement in a regular classroom with provision of collaborative team teaching services):** इस सेवा में बालक नियमित कक्षा में ही अपने अन्य सहपाठियों के साथ शिक्षा ग्रहण करता है। यहाँ पर विशिष्ट बालकों की समस्याओं को हल करने हेतु एक ही समय में कक्षा में दो या तीन शिक्षक होते हैं। एक नियमित शिक्षक व् अन्य विशिष्ट शिक्षक।
6. **अंश-कालिक विशिष्ट वर्ग में स्थापन के साथ अंश-कालिक नियमित कक्षा में स्थापन(Part-time placement in a regular classroom with part-time placement in a special class):** इस प्रकार की सेवा में बालक विद्यालय समय का कुछ भाग विशिष्ट वर्ग में, जहाँ उसकी विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है तथा शेष नियमित कक्षा में, जहाँ वह अन्य सामान्य सहपाठियों के साथ विद्यालय की क्रियाकलापों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करता है व्यतीत करता है।
7. **पूर्ण-कालिक विशिष्ट कक्षा में स्थापन(Full-time placement in a special class):** इस प्रकार की सेवा में नियमित विद्यालाय में ही एक विशिष्ट कक्षा का प्रबंध होता है जिसमें बालक पुरे दिन उसी विशिष्ट कक्षा में शिक्षा ग्रहण करता है तथा विद्यालय के अन्य सामूहिक गैर शैक्षणिक क्रिया-कलापों में अपनी सहभागीता सुनिश्चित करता है।
8. **पूर्ण-कालिक विशेष विद्यालय में स्थापन(Full-time placement in a special school):** यह सेवा किसी एक विकलांगता में विशेषज्ञता रखती है तथा इस विद्यालय में केवल उसी विकलांगता के विद्यार्थी ही नामांकित किये जाते हैं। बालक विद्यालय में विद्यार्जनोपरांत अपने घर व समुदाय से अंतःक्रिया करने का अवसर प्राप्त करता है।
9. **पूर्ण-कालिक आवासीय विद्यालय में स्थापन(Full-time placement in a residential school):** इस सेवा के अंतर्गत बालक आवासीय विद्यालय जो की किसी एक विकलांगता में विशेषज्ञता रखते हैं में नामांकित किया जाता है तथा २४-घंटे विद्यालय में अपने शैक्षिक क्रिया-कलापों के साथ जीवन के अनेक कौशलों को सीखता है। बालक छुट्टियों एवं त्योहारों में अपने घर को जाते है।
10. **अस्पताल तथा गृह-बाध्य अनुदेशन (Hospital and home-bound instruction):** इस सेवा के अंतर्गत बालक को अस्पताल या घर पर ही अनुदेशन की व्यवस्था की जाती है। इस सेवा में विशिष्ट शिक्षक स्वयं बालक को अनुदेश देता है तथा परिवार के अन्य सदस्यों को भी निर्देशित करता है।
11. **संसाधन शिक्षक (resource Teacher)-** यह एक विशिष्ट प्रकार से प्रशिक्षित शिक्षक होते हैं जो विकलांग बालकों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूर्ति करता है ।
12. **संसाधन कक्ष-** यह विद्यालय का एक ऐसा कक्ष होता है जहाँ विशिष्ट बालकों से संबन्धित उपकरण एवं शिक्षण सहायक सामाग्री रखे जाते हैं ।

7.9 शब्दावली

1. **संतात्यक**- बिना किसी विदरूप परिवर्तन के क्रमागत विकास।
2. **अल्पतम सिमित वातावरण-** ऐसा वातावरण जहाँ बालक का सर्वांगीण विकास अधिकतम हो।
3. **समाकलन**- बालक को उसके परिवार व समुदाय से जोडना।
4. **संयत विकलांगता**- विकलांगता की गंभीरता को प्रदर्शित करता है जो कि वर्गीकरण का एक पद है।
5. **जमा पाठ्यक्रम** – पाठ्यक्रम के अतिरिक्त विकलांग बालको के लिए आवश्यक उपकरणों का ज्ञान ।
6. **उपचारात्मक शिक्षण** – पिछड़े बालकों के लिए एक विशिष्ट प्रकार का अनुदेशन ।
7. **दैनिक कौशल** – व्यक्ति द्वारा प्रतिदिन किए जाने वाले आवश्यक कार्य (ब्रश करना, स्नान करना इत्यादि)।

7.10 संदर्भ ग्रंथ

1. दास एम० (२००७). *एजुकेशन आफ एक्सप्सनल चिल्ड्रेन*. अटलांटिक पब्लिशर्स, नई दिल्ली.
2. संजीव के० (२००८). *विशिष्ट शिक्षा*. जानकी प्रकाशन, पटना.
3. ए०आई०सी०बी० (२००४)- शिक्षक प्रशिक्षण लेखमाला, रोहिणी, दिल्ली।
4. पांडा, के0सी0 (1997), " एजुकेशन ऑफ एक्सेपसनल चिल्डेन" नई दिल्ली: विकास पब्लिशिंग एण्ड डिस्ट्रब्यूटर्श।
5. गोविन्द राव, एल0 (2007), पर्सपेक्टिव ऑन स्पेशल एडुकेशन: हैदराबाद: नीलकमल पब्लिकेशन।
6. मुखोपाध्याय, एस0 एण्ड मनी, एम0एन0जी0 (2002) एडुकेशन ऑफ चिन्ड्रेन विद् स्पेशल नीड्स, नई दिल्ली: आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
7. इग्नू (2009) फाउनडेशन कोर्स आन एडूकेशन ऑफ चिन्ड्रेन विद डिसएबिलिटीस। नई दिल्ली इग्नू।
8. हल्हान, डी० पी० एण्ड काफमैन, जे० एम० (१९९१). *अपवादित बच्चे: विशिष्ट शिक्षा का परिचय*. एलिन एण्ड बेकन, बोस्टन.

7.11 निबंधात्मक प्रश्न

1. विशिष्ट शिक्षा सेवाओं के प्रकारों का उल्लेख कीजिये।
2. आप विशिष्ट शिक्षा सेवाओं में सबसे प्रभावी सेवा किसे मानते हैं? और क्यों?
3. संसाधन शिक्षक के कार्यों का विवेचना कीजिये।
4. संसाधन कक्ष से आप क्या समझते हैं ? विशेष बालकों के लिए प्रयुक्त उपकरणों का वर्णन करें ।

इकाई 8 एकीकृत शिक्षा का अर्थ, एकीकृत शिक्षा की प्रक्रिया/प्रकृति, एकीकृत शिक्षा का क्षेत्र, एकीकृत शिक्षा का महत्व

8.1 प्रस्तावना
8.2 उद्देश्य
8.3 एकीकृत शिक्षा का अर्थ
    8.3.1 एकीकृत शिक्षा का प्रारम्भ
8.4 एकीकृत शिक्षा की प्रक्रिया/प्रकृति
    8.4.1 एकीकृत शिक्षा के प्रारूप
8.5 एकीकृत शिक्षा का क्षेत्र
8.6 एकीकृत शिक्षा का महत्व
    8.6.1 विकलांग बच्चों के लिए महत्व
    8.6.2 विकलांग बच्चों के माता-पिता के लिए महत्व
8.7 एकीकृत एवं समावेशित शिक्षा में अन्तर
8.8 सारांश
8.9 शब्दावली
8.10 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
8.11 संदर्भ ग्रंथ सूची
8.12 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री
8.13 निबंधात्मक प्रश्न

8.3 एकीकृत शिक्षा का अर्थ

एकीकृत अथवा 'इनटिग्रेट' का अर्थ होता है पृथक किए हुए लोगों को पुनः मिश्रित करना अथवा जोड़ना। अर्थात विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों या विकलांग विद्यार्थियों को सामान्य विद्यालय में शैक्षिक सुविधाएं व शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना ही 'एकीकृत शिक्षा' कहलाता है।

एकीकृत शिक्षा में विकलांग बच्चे को सामान्य विद्यालय के अन्तर्गत विशेष कक्षा में पढ़ाया जाता है। विकलांग बच्चे अलग कक्षा में तो शिक्षा ग्रहण करते हैं परन्तु कक्षा के बाहर दूसरे कार्य सामान्य बच्चों के साथ करते हैं। एकीकृत शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है विकलांग बच्चों को अलग शिक्षा जोकि विशेष शिक्षा के रूप में होता था, को हटाकर उनको सामान्य विद्यालय में सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देना है। वर्तमान समय में एकीकृत शिक्षा पुरानी बात हो गयी है तथा अब समावेशित शिक्षा की शुरुआत हो चुकी है, जिसको आप आगे के इकाई में विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे।

8.3.1 एकीकृत शिक्षा का प्रारम्भ

जैसा कि आप जानते होंगे कि विकलांग बच्चों की शिक्षा की शुरुआत विशेष विद्यालय से हुई। विशेष विद्यालय विकलांग बच्चों के घर से दूर होते थे जहाँ ये बच्चे रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। समय के साथ-साथ इस बात की चर्चा होने लगी कि विकलांग बच्चे सर्वप्रथम बच्चे हैं, उसके बाद उनकी विकलांगता आती है। अतः उनको भी दूसरे सामान्य बच्चों जैसा घर के पास सामान्य विद्यालय में पढ़ने का अधिकार है। इसी सोच ने एकीकृत शिक्षा को जन्म दिया।

भारत में एकीकृत शिक्षा का प्रारम्भ स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् सन् 1974 में कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाई गयी ''विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा'' (इन्टिग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रेन) जिसको संक्षेप में आइ.ई.डी.सी. योजना भी कहते हैं, से हुई। (शर्मा, 2004)।

आई.ई.डी.सी. योजना कल्याण मंत्रालय द्वारा लागू की गयी थी जबकि सामान्य विद्यालय शिक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत होते हैं अतः इस योजना को सही ढंग से लागू करने में परेशानी होती थी। जब 1981 में (इस वर्ष को संयुकत राष्ट्र संघ ने विकलांग व्यक्तियों के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था) इस योजना का मूल्यांकन किया गया तो कुछ कमियों को देखते हुए इसे 1982-83 में शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कर दिया गया।

सन् 1992 में इस योजना में संशोधन किया गया जिसके तहत उस विद्यालय को जो विकलांग बच्चों के एकीकरण में सम्मिलित थे उनको 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता देने की बात कही गयी। इस कार्यक्रम को चलाने के लिए गैर-सरकारी संस्थाओं को भी वित्तीय सहायता दी जाने लगी। (शर्मा, 2005)

भारत सरकार के इन सब प्रयासों से ही एकीकृत शिक्षा विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए एक आर्थिक रूप से सशक्त माध्यम के रूप में स्वीकार की गयी। आई.ई.डी.सी. योजना की यह एक महत्वपूर्ण देन है कि विकलांग बच्चों को विशेष विद्यालय से निकालकर सामान्य विद्यालय में शिक्षा दी जाने लगी।

अभ्यास प्रश्न

1. एकीकृत का अर्थ होता है ______________।
2. एकीकृत शिक्षा में विकलांग बच्चे को सामान्य विद्यालय के अन्तर्गत ______________ पढ़ाया जाता है।
3. भारत में एकीकृत शिक्षा का प्रारम्भ सन् ______________में हुआ था।

8.4 एकीकृत शिक्षा की प्रक्रिया/प्रकृति

एकीकृत शिक्षा की प्रकृति मुख्यतः मानव जाति के विकास पर, विद्यार्थी में समाज के अनुकूल तथा सामाजिक जीवन में भागीदारी की योग्यताओं का विकास करने पर फोकस करती हैं। ज्ञान की शिक्षा विद्यार्थी को बुद्धिमान बनाती है, तथा जीवन की शिक्षा विद्यार्थी में अच्छे व्यक्तित्व का विकास करती है। (मंग)। एकीकृत शिक्षा चार प्रकार के सीखने के सिद्धान्त पर फोकस करती है, जो हैं

1. जानने के लिए सीखना
2. करने के लिए सीखना
3. एक साथ रहने के लिए सीखना
4. पूरे शिक्षा के एकीकरण के लिए सीखना।

उपर्युक्त चार प्रकार के सीखने का मूल है कि विद्यार्थी के व्यक्तित्व, संज्ञानात्मक सिद्धान्त एवं आवश्यकताओं का सम्मान करना चाहिए। (मंग)।

8.4.1 एकीकृत शिक्षा के प्रारूप

एकीकृत शिक्षा का अर्थ एवं प्रकृति का अध्ययन करने के बाद अब हम इस बात की चर्चा करेंगे कि एकीकृत शिक्षा की प्रक्रिया क्या है अर्थात एकीकृत शिक्षा कैसे दी जाती है। एकीकृत षिक्षा के लिए प्रक्रिया को हम इसके विभिन्न प्रारूपों के माध्यम से समझ सकते हैं।

इस खण्ड में हम एकीकृत शिक्षा के विभिन्न प्रारूपों का अध्ययन करेंगे; जो हैंः

1. संसाधन कक्ष प्रारूप (रिर्सोस रूप मॉडल)
2. परिभ्रामी अध्यापक प्रारूप (इटिनेरेन्ट टीचर मॉडल)
3. संयुक्त प्रारूप (कम्बाइंड मॉडल)
4. गुच्छित अथवा समूह प्रारूप (कल्सटर मॉडल)

5. सहयोगी प्रारूप (को-ऑपरेटिव मॉडल)
6. द्विशिक्षण प्रारूप (ड्यूल टीचिंग मॉडल)
7. बहुकौशल शिक्षण प्रारूप (मल्टी-स्किल्ड टीचिंग मॉडल)

1. **संसाधन कक्ष प्रारूप:** एकीकृत शिक्षा योजना के इस प्रारूप में समान्य विद्यालय में एक विशेष कक्ष होता है, जिसे 'संसाधन कक्ष' (रिर्सोस रूम') कहते हैं। इस कक्ष में विकलांग विद्यार्थियों के विशेष प्रशिक्षण हेतु विशेष सामग्री उपलब्ध होती है। विकलांग विद्यार्थियों की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था इस कक्ष में की जाती है। इस कक्ष का पूरा दायित्व विशेष अध्यापक पर होता है, जिसे इस कक्ष के नाम के आधार पर 'संसाधन शिक्षक' (रिर्सोस टीचर) कहा जाता है। विकलांग विद्यार्थी सामान्य विद्यालय में प्रवेश लेने के बाद अपनी आयु के समकक्ष विद्यार्थियों के साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। ये विद्यार्थी आवश्यकतानुसार सीमित समय के लिए संसाधन कक्ष में आकर संसाधन अध्यापक से विशेष प्रशिक्षण लेते हैं, जैसे - ब्रेल लेखन, पठन, संवेदन, प्रशिक्षण, (सेन्सरी ट्रेनिंग), अनुस्थितिविज्ञान एवं चलिष्णुता (ओरिएन्टेशन एवं मोबिलिटी) इत्यादि।
2. **परिभ्रामी अध्यापक प्रारूप:** यदि विकलांग विद्यार्थियों की संख्या बिखरा हुआ हो अर्थात एक सामान्य स्कूल में एक या दो बच्चे हो दूसरे व तीसरे स्कूल में भी वही स्थिति हो तो उस अवस्था में संसाधन कक्ष योजना उचित नहीं होती। दूरी के कारण माता-पिता अपने विकलांग बच्चे को संसाधन कक्ष वाले सामान्य विद्यालय में भर्ती नहीं करा पाते। आने जाने की असुविधा के कारण माता-पिता निकट के विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजना चाहते हैं। ऐसी अवस्था में परिभ्रामी अध्यापक योजना अधिक होती है।परिभ्रामी अध्यापक योजना के अन्तर्गत विकलांग बच्चे घर के पास सामान्य विद्यालय में दाखिला लेते हैं तथा परिभ्रामी अध्यापक जो कि एक विशेष अध्यापक होता अलग-अलग विद्यालयों में जाकर इन बच्चों को आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण देता है। परिभ्रामी अध्यापक के पास एक संसाधन किट होता है जिसमें इन बच्चों की विशेष आवश्यकता की पूर्ति हेतु विशेष सामग्री होती है, जैसे - ब्रेल उपकरण, टेलरफ्रेम, श्रव्य सामग्री इत्यादि।
3. **संयुक्त प्रारूप:** इस योजना के अन्तर्गत कई योजनाओं अथवा प्रारूपों का वर्णन होता है अथवा एक विशेष अध्यापक की सेवाएं कई योजनाओं के लिए भी ली जाती हैं। किसी भी शहर/कस्बे के कुछ विद्यालय संसाधन कक्ष के आधार पर विकलांग बच्चों को शिक्षा देते हैं तथा कुछ बच्चों को परिभ्रामी प्रारूप के आधार पर। यदि संसाधन कक्ष वाले विद्यालय में विकलांग विद्यार्थियों की संख्या कम होती है तो इस स्थिति में संयुक्त प्रारूप उपयुक्त होता है।

   यह योजना बहुत लचीली है, इस योजना में एक विशेष शिक्षक एक विद्यालय में एक संसाधन कक्ष योजना के आधार पर विकलांग विद्यार्थियों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है अथवा शिक्षा देता है, वहीं दूर विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने वाले विकलांग विद्यार्थियों को परिभ्रामी शिक्षा

योजना के आधार पर शिक्षा प्रदान करता है। संसाधन कक्ष योजना व परिभ्रामी अध्यापक का योग होने के कारण इसे संयुक्त प्रारूप कहा जाता है।

4. **गुच्छित अथवा समूह प्रारूप:** पहाड़ी स्थानों पर परिवहन के साधन उपलब्ध होने पर भी थोड़ी दूरी को तय करने में काफी समय लग जाता है, दुर्गम स्थान पर तो ये साधन उपलब्ध भी नहीं होते। ऐसी परिस्थितियों में विकलांग विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए गुच्छित अथवा समूह योजना/प्रारूप उपयुक्त होता है।

   इस योजना के अन्तर्गत एक मुख्य संसाधन केन्द्र होता है, जिसके अन्तर्गत अनेक क्षेत्रीय संसाधन केन्द्र होते हैं। प्रत्येक क्षेत्रीय संसाधन केन्द्र अपने समूह के विद्यार्थियों की विशेष आवश्यकताओं के आधार पर शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराता है। प्रत्येक क्षेत्रीय संसाधन केन्द्र के अन्तर्गत अधिकतम 8 विकलांग विद्यार्थी होते हैं। मुख्य संसाधन केन्द्र अपने अन्तर्गत आने वाले सभी क्षेत्रीय संसाधन केन्द्रों के अध्यापकों के विशेष प्रशिक्षण की भी व्यवस्था करता है व उनके द्वारा शैक्षिक प्रशिक्षण दिए जाने वाले विकलांग विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के आधार पर सामग्री उपलब्ध कराता है।

5. **सहयोगी प्रारूप:** इस प्रारूप के अन्तर्गत सहयोग के आधार पर विशेष विद्यालयों को एकीकृत शिक्षा के अन्तर्गत सामान्य विद्यालय की कक्षाओं में शिक्षण प्रदान किया जाता है, इसी करण इसे सहयोगी प्रारूप/योजना कहते हैं।

   इस प्रारूप के अन्तर्गत सामान्य विद्यालय के अन्दर ही एक विशेष इकाई (सेल) होती है। इस कइाई में आवश्यकतानुसार कमरे होते हैं, जिसमें विकलांग बच्चे मुख्य रूप से इसमें शिक्षा ग्रहण करते हैं। केवल कुछ विषयों के लिए इन विद्यार्थियों को इनकी आयु के समकक्ष कक्षा में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा जाता है। विशेष इकाई इन विद्यार्थियों का मुख्य कक्ष होता है, जहाँ उनकी विशेष आवश्यकताओं के आधार पर विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है।

6. **द्विशिक्षण प्रारूप:** इस प्रारूप के अन्तर्गत सामान्य अध्यापक ही विशेष अध्यापक की भी भूमिका निभाते हैं, इसी कारण इस प्रारूप अथवा योजना को द्विशिक्षण प्रारूप कहा जाता है। गाँवों में जहाँ आवागमन के साधन अच्छे नहीं होते हैं तथा विशेष शिक्षक उपलब्ध नहीं होते हैं वहाँ सामान्य अध्यापक को ही कुछ समय के लिए प्रशिक्षित करके विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए तैयार किया जाता है तथा इसके लिए उन्हें कुछ आर्थिक लाभ भी दिया जाता है। यह योजना तब तक की जाती है जब तक विद्यालय में विकलांग विद्यार्थियों की संख्या कम हो। जब भी विद्यार्थियों की संख्या 8 तक हो जाये तो एक संसाधन अध्यापक की नियुक्ति कर इन बच्चों की शिक्षा संसाधन कक्ष प्रारूप के अन्तर्गत होती है।

7. **बहुकौशल शिक्षण प्रारूप:** इस प्रारूप के अन्तर्गत एक विशेष शिक्षक एक विद्यालय में विभिन्न प्रकार के विकलांग विद्यार्थियों को पढ़ाता है।

   एक ही विद्यालय में दो से अधिक विकलांगता से प्रभावित विद्यार्थी शिक्षा के लिए दाखिला लेते हैं। ऐसी अवस्था में विशेष शिक्षक को इन विकलांग विद्यार्थियों को शिक्षा देने में कुशल होना चाहिए,

इसलिए इनको बहुकौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए ताकि इस प्रकार के विकलांग बच्चों की शिक्षा अच्छी प्रकार हो सके, यही इस प्रारूप का मुख्य उद्देश्य है।

एकीकृत शिक्षा के विभिन्न प्रारूपों का अध्ययन करने के बाद हम संक्षेप में कह सकते हैं कि विकलांग बच्चों की शिक्षा सुगम बनाने के लिए अलग-अलग प्रकार से शिक्षा की व्यवस्था की गयी है, ताकि किसी भी प्रकार के विकलांग बच्चे चाहे वो गाँव, पहाड़ी क्षेत्र या शहर में रहते हों शिक्षा से वंचित ना रह सकें तथा अपने घर के पास के ही सामान्य विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर सके।

अभ्यास प्रश्न

4. एकीकृत शिक्षा के सात प्रारूप हैं। (सत्य/असत्य)
5. परिभ्रामी अध्यापक प्रारूप में संसाधन कक्ष होता है। (सत्य/असत्य)
6. संयुक्त प्रारूप के अन्तर्गत सामान्य अध्यापक ही विशेष अध्यापक की भूमिका निभाता है। (सत्य/असत्य)

8.5 एकीकृत शिक्षा का क्षेत्र

पिछले खण्ड में हमने पढ़ा कि भारत में एकीकृत शिक्षा का प्रारम्भ सन् 1974 में ''विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा'' नामक योजना से हुआ। इस खण्ड में इसके क्षेत्र की चर्चा करेंगे।

एकीकृत शिक्षा के प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

i. बच्चों में विकलांगता के प्रकार, डिग्री एवं मात्रा का पहचान करना।
ii. जिला एवं ब्लाक स्तर पर संसाधन केन्द्र स्थापित करना।
iii. सामान्य विद्यालयों में दाखिल विकलांग बच्चों के लिए शैक्षिक सुविधाएं प्रदान कराना।
iv. सभी विकलांग बच्चों के लिए पुनर्वास सहायता एवं जाँच (असेस्मेंट) टीम उपलब्ध कराना।
v. विकलांग बच्चों को विद्यालय पूर्व प्रशिक्षण तथा माता-पिता को परामर्श प्रदान कराना।
vi. विकलांग बच्चों को विद्यालय पूर्व प्रशिक्षण जैसे श्रवण बाधित बच्चों के लिए विशेष श्रवण प्रशिक्षण, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए अनुस्थित एवं चालिष्णुता (ओरियेन्टेशन एवं मोबिलिटी), दैनिक जीवन और संप्रेषण कौशल प्रशिक्षण।
vii. विकलांग बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्तर तक करना।
viii. व्यावसायिक पाठ्यक्रम की व्यवस्था करना।
ix. विकलांग बच्चों का चिकित्सीय एवं कार्यात्मक ऑकलन कराना।

x. प्रारम्भिक बाल्यवस्था शिक्षा केन्द्र की व्यवस्था कराना।

आई.ई.डी.सी. योजना में विकलांग बच्चों के एकीकृत शिक्षा के लिए सुविधाओं की भी व्यवस्था है, यहाँ अब हम उन सुविधाओं की संक्षेप में चर्चा करेंगे।

'विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा योजना' के अन्तर्गत विकलांग बच्चों के लिए दी गयी कुछ प्रमुख सुविधाएं निम्नलिखित हैं:

1. किताबों और स्टेशनरी के लिए 400 रुपए प्रत्येक वर्ष।
2. विद्यालय के ड्रेस (यूनिफार्म) के लिए 200 रुपए प्रत्येक वर्ष।
3. परिवहन भत्ता 50 रुपऐ प्रत्येक महीने। अगर विकलांग बच्चा विद्यालय परिसर में ही रहकर शिक्षा ग्रहण करता है तो उसे यह भत्ता नहीं दिया जायेगा।
4. दृष्टिबाधित बच्चों को कक्षा 5 के बाद पढ़ने वाले के लिए भत्ता (रीडर अलॉवेन्स) 50 रुपए प्रत्येक महीने।
5. गंभीर रूप से गामक विकलांगता के लिए 75 रुपए प्रत्येक महीने एस्कार्ट भत्ता।
6. उपकरण के लिए 2000 रुपए प्रत्येक वर्ष पाँच वर्ष के लिए।

संक्षेप में हम कह सकते हैं कि एकीकृत शिक्षा का क्षेत्र मुख्यतः विकलांग बच्चों को सामान्य विद्यालय में दाखिला देने से लेकर उनके लिए विभिन्न सुविधाओं को प्रदान करना ही हैं, ताकि उनकी एकीकृत शिक्षा आसानी पूर्वक हो सके।

अभ्यास प्रश्न

7. विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा योजना किस वर्ष बना था?

   अ) सन् 1972 ब) सन् 1974

   स) सन् 1981 द) सन् 1995

8. आई.ई.डी.सी योजना के अन्तर्गत किताब एवं स्टेशनरी के लिए कितने रुपए प्रत्येक वर्ष देने की व्यवस्था है?

   अ) रु. 100 ब) रु. 200

   स) रु. 300 द) रु. 400

8.6 एकीकृत शिक्षा का महत्व

एकीकृत शिक्षा का अर्थ, प्रक्रिया एवं क्षेत्र की चर्चा करने के बाद हम इस खण्ड में इसके महत्व की चर्चा मुख्यतः विकलांग बच्चे एवं उनके माता-पिता के संदर्भ में करेंगे।

8.6.1 विकलांग बच्चों के लिए महत्व

एकीकृत शिक्षा की शुरुआत ने विकलांग बच्चों की शिक्षा में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। पहले जहाँ इन बच्चों की शिक्षा विशेष विद्यालय में होता था जो समाज से दूर होता था, तथा विकलांग बच्चे अपने माता-पिता तथा भाई-बहन से दूर रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे वहीं एकीकृत शिक्षा के प्रारम्भ होने से ये बच्चे अपने परिवार के साथ रहकर शिक्षा लेना शुरु कर दिया। विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा का महत्व हम निम्नलिखित बातों से समझ सकते हैं।

i. एकीकृत शिक्षा, परम्परागत विशेष शिक्षा के वातावरण की तुलना में ज्यादा प्रेरक वातावरण प्रदान करता है। विकलांग बच्चों के लिए यह वातावरण रोचक होता है तथा उनके सीखने एवं विकास करने में अग्रीण भूमिका निभाता है।
ii. विकलांग बच्चों को नये दोस्त बनाने एवं अपने अनुभवों को बाँटने का मौका मिलता है, जो विशेष विद्यालय में नहीं हो पाता है।
iii. विकलांग बच्चे अपने उम्र के बच्चों के साथ दोस्ती विकसित करते हैं, जो विद्यालय में और विद्यालय के बाहर समुदाय में उनके साथी समूह द्वारा स्वीकृति करने में अग्रसर भूमिका निभाता है।
iv. एकीकृत शिक्षा में आकर विकलांग बच्चों को अपने विकलांगता की चिंता कम हो जाती है तथा उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है।
v. एकीकृत शिक्षा में विकलांग विद्यार्थी जब सामान्य विद्यार्थियों से बातचीत करते हैं तो वे अपने आपको भी सामान्य बच्चों के जैसा समझने लगते हैं जो उनके स्वाभीमान को बढ़ाता है।
vi. एकीकृत शिक्षा में विकलांग बच्चे सामान्य बच्चों से संप्रेषण कौशल एवं समाज में रहन-सहन के गुण सीखते हैं।
vii. एकीकृत शिक्षा में विकलांग बच्चों के अवांछनीय व्यवहारों में कमी आती है, तथा सामान्य बच्चों का अनुकरण करके वांछनीय व्यवहार सीख जाते हैं।
viii. एकीकृत शिक्षा में रहकर विकलांग बच्चे सामान्य बच्चों से सम्पर्क करके भविष्य में करने वाले कोर्सों एवं नौकरी का भी चुनाव करते हैं।

उपर्युक्त बातों की चर्चा करने के बाद हम संक्षेप में कह सकते हैं कि एकीकृत शिक्षा विकलांग बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह शिक्षा इन्हें अलगाव (विशेष विद्यालय) से हटाकर सामान्य विद्यालय में लाती है जिससे इनको सामान्य बच्चों के साथ सम्पर्क रहता है। इस सम्पर्क की वजह से इनमें बहुत सारे अच्छे गुणों का विकास होता है।

8.6.2 विकलांग बच्चों के माता-पिता के लिए लाभ

एकीकृत शिक्षा विकलांग बच्चों के माता-पिता के लिए भी बहुत महत्व रखता है, जैसे-

i. एकीकृत शिक्षा की वजह से माता-पिता अपने विकलांग बच्चों से हमेशा सम्पर्क में रहते हैं जिससे उन्हें खुशी का अनुभव होता है।
ii. विकलांग बच्चों के भी माता-पिता की इच्छा होती है कि उनके बच्चे अपने समकक्ष सामान्य बच्चों के साथ पढ़े व खेलें, एकीकृत शिक्षा की वजह से यह संभव हो पाता है।
iii. जब विकलांग बच्चे सामान्य विद्यालय में पढ़ने लगते हैं तो उनके माता-पिता को उनकी विकलांगता का ज्यादा एहसास नहीं होता है, तथा वे अपने बच्चे की चिंता छोड़कर दूसरे कामों पर ध्यान देने लगते हैं।
iv. एकीकृत शिक्षा की वजह से विकलांग बच्चों के माता-पिता को अपने बच्चों के अधिकारों तथा उन्हें प्राप्त होने वाले सुविधाओं को जानने में आसानी होती है।
v. एकीकृत शिक्षा के संसाधन कक्ष में विकलांग बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के परम्परागत एवं आधुनिक उपकरणों को देखकर माता-पिता घर पर भी अपने बच्चों के लिए कुछ उपकरण लाते हैं, जिससे उन्हें अपने बच्चे से अच्छी तरह सम्पर्क स्थापित करने में मदद मिलती है।
vi. एकीकृत शिक्षा में अपने बच्चे के उम्र के दूसरे बच्चे की शारीरिक, बुद्धिमता इत्यादि देखकर अपने विकलांग बच्चे में कहाँ कमी है, इस बात को माता-पिता को समझने में आसानी होती है तथा वे उसको दूर या कम करने का प्रयास करते हैं।

जब विकलांग बच्चे सामान्य विद्यालय में पढ़ने लगते हैं तो धीरे-धीरे उनका आत्मविश्वास एवं स्वाभीमान बढ़ने लगता है। जब माता-पिता अपने बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ते हुए देखते हैं तो उनके मन में अपने बच्चे की प्रति चिंता कम होने लगती है। अतः हम कह सकते हैं कि एकीकृत शिक्षा विकलांग बच्चों एवं उनके माता-पिता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

अभ्यास प्रश्न

9. एकीकृत शिक्षा से विकलांग बच्चों को लाभ नहीं होता है। (सत्य/असत्य)
10. विशेष विद्यालय में भी एकीकृत शिक्षा दी जाती है।(सत्य/असत्य)
11. एकीकृत शिक्षा में दाखिला से बच्चे के माता-पिता प्रसन्न रहते हैं।(सत्य/असत्य)

8.7 एकीकृत एवं समावेशित शिक्षा में अन्तर

एकीकृत शिक्षा का अर्थ, क्षेत्र एवं महत्व की चर्चा हम इस इकाई के विभिन्न खण्डों में कर चुके हैं, अब हम संक्षेप में एकीकृत एवं समावेशित शिक्षा के अंतर की चर्चा करेंगें।

समावेशित शिक्षा के बारे में विस्तारपूर्वक आप इकाई-12 में पढेंगे। यहां पर हम समावेशित शिक्षा के अर्थ को समझते हैं, समावेशित शिक्षा से तात्पर्य है कि सामान्य विद्यालय के एक ही कक्ष में सामान्य एवं विकलांग विद्यार्थियों की शिक्षा जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि एकीकृत शिक्षा का भी अर्थ होता है सामान्य विद्यालय में विकलांग बच्चों की शिक्षा, प्रश्न उठता है कि इन दोनों में अन्तर क्या है? इन दोनों में प्रमुख अन्तर निम्नलिखित है:

i. एकीकृत एवं समावेशित शिक्षा में प्रमुख अन्तर यह है कि एकीकृत शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को सामान्य विद्यालय में शैक्षिक अवसर प्रदान किया जाता है, जबकि समावेशित शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को सामान्य विद्यालय की सभी शैक्षिक गति- विधियों में सम्मिलित करते हुए शैक्षिक अवसर प्रदान किया जाता है।
ii. एकीकृत शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाला विद्यार्थी एक समस्या के रूप में होता है, जबकि समावेशित शिक्षा में शैक्षिक संस्था एक समस्या के रूप में होती है।
iii. एकीकृत शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी से अपेक्षा की जाती है कि वह स्वयं को विद्यालय की आवश्यकतानुसार अपेक्षित सुधार कर साम्जस्य स्थापित करे, जबकि समावेशित शिक्षा में विद्यालय का उत्तरदायित्व है कि वह विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी के अनुरुप विद्यालय के भवन, पाठ्यक्रम व अन्य सुविधाओं को उसे उपलब्ध कराने हेतु अपेक्षित सुधार करे।
iv. समावेशित शिक्षा एक लम्बी अवधि की प्रक्रिया है, जबकि एकीकृत शिक्षा एक न्यूनतम अवधि का उद्देश्य है। चूँकि एकीकृत शिक्षा के अन्तर्गत विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी को सामान्य विद्यालय में शिक्षा के अवसर प्रदान किये जाते हैं, अतः इसे न्यूनतम अवधि का उद्देश्य कहा जाता है, क्योंकि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को सामान्य विद्यालय में भर्ती कराना कोई कठिन कार्य नहीं है। कठिन कार्य तथा लम्बी अवधि की प्रक्रिया यह है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को सामान्य विद्यालय के सभी कार्यों में पूर्णरूप से भागीदारी हो रही है कि नहीं, इसलिए समावेशित शिक्षा को लम्बी अवधि की प्रक्रिया कहते हैं।
v. समावेशित शिक्षा सामाजिक प्रारुप पर आधारित है, जबकि एकीकृत शिक्षा व्यक्तिगत प्रारुप पर आधारित है।

अभ्यास प्रश्न

12. एकीकृत शिक्षा एवं समावेशित षिक्षा में कोई अन्तर नहीं है।(सत्य/असत्य)
13. एकीकृत शिक्षा सामाजिक प्रारुप पर आधारित है। (सत्य/असत्य)

8.8 सारांश

इस इकाई में हमने पढ़ा कि एकीकृत शिक्षा का अर्थ ऐसी शिक्षा से होता है, जिसमें विकलांग विद्यार्थियों को सामान्य विद्यालय में ही शिक्षा दी जाती है। भारत में एकीकृत शिक्षा का प्रारम्भ सन् 1974 से 'विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा' नामक योजना से हुआ था।

इस इकाई में हमने एकीकृत शिक्षा की प्रकृति/प्रक्रिया की भी चर्चा तथा इसके प्रारूपों (संसाधन कक्ष प्रारूप, परिभ्रामी अध्यापक प्रारूप, संयुक्त प्रारूप, समूह प्रारूप, सहयोगी प्रारूप, द्विशिक्षण प्रारूप एवं बहुकौशल शिक्षण प्रारूप) का अध्ययन करते हुए इसके क्षेत्रों एवं महत्व की चर्चा की।

इस इकाई के अंतिम खण्ड में हमने संक्षेप में समावेशित शिक्षा का अर्थ की चर्चा करते हुए एकीकृत एवं समावेशित शिक्षा में मुख्य अन्तरों को जाना।

8.9 शब्दावली

1. **एकीकृत शिक्षा:** ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसमें विकलांग बच्चों की शिक्षा सामान्य विद्यालय के विशेष कक्ष में हो तो एसे एकीकृत शिक्षा कहते हैं।
2. **समावेशित शिक्षा:** ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसमें विकलांग बच्चों की शिक्षा सामान्य विद्यालय में सामान्य बच्चों के साथ एक ही कक्षा में हो तो उसे समावेशित शिक्षा कहते हैं।
3. **विकलांग बच्चे:**वे बच्चे जिनमें क्षति के कारण व्यक्तिगत स्तर पर कमी आती है, उन्हें विकलांग बच्चे कहते हैं। जैसे - दृष्टिबाधित बच्चे, श्रवण बाधित बच्चे, मानसिक मंद बच्चे इत्यादि

8.10 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. पृथक किए हुए लोगों को पुनः मिश्रित करना अथवा जोड़ना।
2. विशेष कक्षा
3. 1974

4. सत्य
5. असत्य
6. असत्य
7. ब
8. द
9. असत्य
10. असत्य
11. सत्य
12. असत्य
13. असत्य

8.11 संदर्भ ग्रंथ सूची

1. शर्मा, सुषमा (2004), एकीकृत शिक्षा की योजनाएं। शिक्षण प्रशिक्षण लेखमाला में। नहीं दिल्लीः ए.आई.सी.बी.
2. शर्मा, उमेश (2005), इन्टीग्रेटड एजुकेशन इन इंडियाः चैलेन्जेज एवं प्रोस्पेक्ट। डीसएबिलिटी स्टडीज क्वारटरली, वेबसाइट www.dsq-sds.org से जनवरी 10, 2013 को लिया।
3. मेंग, क्या.मा. (n.d.) इन्टीग्रेटेड एजुकेशन फॉर फोर लरनिंग वेबसाइट www.cgie.org से जनवरी 10, 2013 को लिया।
4. पुनानी भूषण एण्ड रॉवल, नन्दिनी (1993), इन्टीग्रेटेड एजुकेशन। अहमदाबाद: ब्लाइंड पीपुल्स एसोसिएशन।
5. एम.एच.आर.डी. (1992), स्कीम ऑफ इन्टिग्रेटेड एजुकेशन फॉर दि डिसेबल्ड चिल्ड्रेन, नई दिल्ली: एम.एच.आर.डी.
6. एन.सी.आर.टी. (1987), सोर्स बुक फॉर टीचर्स ऑफ विजअली इम्पेयर्ड, नई दिल्लीः एन.सी.आर.टी.
7. जंगीरा, एन.के. तथा मुखोपाध्याय, सुदेश (1987), प्लानिंग एण्ड मैनेजमेंट ऑफ आई.ई.डी. प्रोग्राम, नई दिल्लीः एन.सी.आर.टी।
8. पाण्डेय, आर.एस तथा आडवाणी, लाल (1995), परस्पेक्टिव इन डिसेबिलिटी एण्ड रिहैब्लिटेशन, नई दिल्लीः विकास पब्लिसिंग हाउस।
9. ऐन्सको, एम. (2005) फ्राम स्पेशल एडुकेशन टू इफेक्टिव स्कूल फॉर आल, कीनोट प्रजेनटेशन एट द इन्क्लूसिव एण्ड सर्पोटिव एडुकेशन कांग्रेस 2005, यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रेथक्लेड, ग्लासो।
10. मुखोपाध्याय, एस. एण्ड मनी, एम.एन.जी. (2002), एडुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स। नई दिल्लीः आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

8.12 सहायक/उपयोगी पाठ्यसामग्री

1. ए.आई.सी.बी (2004), शिक्षण प्रशिक्षण लेखमाला, नई दिल्लीः ऑल इण्डिया कन्फेडरेशन ऑफ दि ब्लाइंड
2. पुनानी, भूषण एण्ड रॉवल, नन्दिनी (1993) इन्टिग्रेटेड एजुकेशन। अहमदावादः ब्लाइंड पीपुल्स एसोसिएशन।
3. एम.एच.आर.डी. (1992), स्कीम ऑफ इन्टिग्रेटेड एजुकेशन फॉर दि डिसेबल्ड चिल्ड्रेन। नई दिल्लीः एम.एच.आर.डी.।

8.13 निबंधात्मक प्रश्न

1. एकीकृत शिक्षा का अर्थ बताते हुए भारत में इसके प्रारम्भ पर प्रकाश डालें।
2. एकीकृत शिक्षा के प्रारूपों का वर्णन करते हुए बताए कि आप को कौन सा प्रारूप सबसे योग्य लगा तथा क्यों?
3. एकीकृत शिक्षा के क्षेत्रों का वर्णन करें।
4. एकीकृत शिक्षा के महत्व को विस्तारपूर्वक लिखें।
5. एकीकृत एवं समावेशित शिक्षा में अन्तर लिखें।

इकाई 9 विशेष तथा समावेशित शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय नीतियाँ और कानून

9.1 प्रस्तावना
9.2 उद्देश्य
9.3 अंतरराष्ट्रीय नीतियाँ और कानून\
 9.3.1 विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्रसंघ का घोषणा पत्र
 9.3.2 बच्चों के अधिकारों पर अधिवेशन
 9.3.3 सभी के लिए शिक्षा पर घोषणा पत्र
 9.3.4 सालामांका स्टेटमेंट और विशेष शिक्षण पर कार्ययोजना
 9.3.5 बिवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क फॉर एक्शन
 9.3.6 विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संघ अधिवेशन
9.4 राष्ट्रीय नीतियाँ और कानून
 9.4.1 संवैधानिक प्रावधान
 9.4.2 मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम
 9.4.3 भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम
 9.4.4 विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिनियम
 9.4.5 राष्ट्रीय न्यास अधिनियम
 9.4.6 विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति
 9.4.7 शिक्षा का अधिकार अधिनियम
9.5 सारांश
9.6 शब्दावली
9.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
9.8 संदर्भ ग्रंथ सूची
9.9 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री
9.10 निबंधात्मक प्रश्न

9.1 प्रस्तावना

जैसा कि आप जानते हैं कि विकलांग व्यक्तियों के लिए शिक्षा की शुरुआत विशेष विद्यालय से हुई जहाँ विकलांग व्यक्ति अपने घर-परिवार से दूर रहकर अपनी शिक्षा ग्रहण करता था। परन्तु समय के साथ विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा का प्रारूप भी बदला, अब विशेष शिक्षा की जगह समावेशित शिक्षा के द्वारा इनको शिक्षा देने की शुरुआत हो चुकी है।

इस इकाई में हम पढ़ेगें कि अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर विशेष शिक्षा एवं समावेशित शिक्षा के लिए कौन-कौन सी नीतियाँ एवं कानून बनायी गई हैं।

9.2 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात आप-

1. अंतरराष्ट्रीय नीतियों एवं कानूनों को जान सकेंगे, जैसेः
   विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्रसंघ का घोषणा पत्र
   बच्चों के अधिकारों पर अधिवेशन
   सभी के लिए शिक्षा
   सालामांका स्टेटमेंट
   विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संघ अधिवेशन
2. विभिन्न राष्ट्रीय नीतियों एवं कानूनों को जान सकेंगें जैसेः
   मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम
   भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम
   विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिनियम
   राष्ट्रीय न्यास अधिनियम
   विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति

9.3 अंतरराष्ट्रीय नीतियाँ और कानून

इस खण्ड के अन्तर्गत हम विशेष एवं समावेशित शिक्षा के सन्दर्भ में कुछ प्रमुख अंतरराष्ट्रीय नीतियों एवं कानूनों की चर्चा करेंगे।

9.3.1 विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संघ का घोषणा पत्र

विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 9 दिसम्बर 1975 को एक घोषणा पत्र जारी किया। यह घोषणा पत्र विकलांग व्यक्तियों के मानव अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। इस घोषणा पत्र की कुछ प्रमुख बाते निम्नलिखित हैं

i. विकलांग व्यक्ति दूसरे सामान्य नागरिकों के समान ही सभी मूलभूत अधिकारों की पात्रता रखते हैं, चाहे उनकी विकलांगता का कारण, उसकी प्रकृति व उसकी बाधा या विकलांगता की गंभीरता कितनी भी हो।
ii. विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा के अधिकार के साथ ही सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है। उन्हें अपनी क्षमताओं के अनुरूप नौकरी पाने व करने का अधिकार है।
iii. विकलांग व्यक्तियों को अपने परिवारों के साथ रहने का और सभी सामाजिक, रचनात्मक एवं मनोरंजनात्मक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार है।

संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर इन अधिकारों को दिलाने की गारंटी के लिए दो महत्वपूर्ण कदम उठाए। पहला कदम था सन् 1983-92 के दशक को विकलांग व्यक्तियों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ दशक घोषित करना तथा दूसरा कदम था सन् 1993-2002 के दशक को विकलांग व्यक्तियों के लिए एशिया पेसिफिक दशक घोषित करना। एशिया पेसिफिक दशक को दोबारा से बढ़ाकर सन् 2003-2012 कर दिया गया था।

9.3.2 बच्चों के अधिकारों पर अधिवेशन

संयुक्त राष्ट्र संघ ने 20 नवम्बर, 1989 को बच्चों के अधिकारों पर अधिवेशन घोषित किया। इस अधिवेशन की कुछ प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं

i. इस अधिवेशन में शामिल अधिकारों को राज्य प्रत्येक बच्चे को बिना किसी भेदभाव के प्रदान करेगा।
ii. राज्य विकलांग बच्चे के अधिकारों को पहचान करते हुए उनके लिए विशेष देखभाल का इन्तेजाम करेगा।
iii. राज्य यह निश्चित करेगा कि मानसिक या शारीरिक विकलांग बच्चा संतोषजनक जीवन समाज में सक्रिय भागीदारी करते हुए जी सकेगा।

इस अधिवेषन के अनुच्छेद 43 और 44 में कहा गया कि इस अधिवेषन में कहे गये दायित्व/कर्तव्य की राज्य द्वारा किए गए प्रगति का मूल्यांकन किया जाएगा तथा यह मूल्यांकन ‘बच्चे के अधिकार पर कमेटी’ द्वारा किया जाएगा।

9.3.3 सभी के लिए शिक्षा पर घोषणा पत्र

सन् 1990 ई. में जोमेटिन (थाईलैण्ड) में ''सभी के लिए शिक्षा पर विश्व सम्मेलन'' का आयोजन हुआ जिसमें 155 राष्ट्र के प्रतिनिधि एवं 150 गैर-सरकारी संस्थाओं ने भाग लिया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने के लिए तथा निरक्षरता हटाने के लिए उपायों पर विचार करना।

इस सम्मेलन का भारत सहित विश्व के अन्य देशों पर बहुत प्रभाव पड़ा तथा सभी के लिए शिक्षा में विकलांग बच्चों के भी शिक्षा पर गंभीरता पूर्वक ध्यान दिया जाने लगा।

इस घोषणा पत्र में बुनियादी शिक्षा के छः मुख्य उद्देश्यों की पहचान की गयी, जो हैं

i. प्रारम्भिक बाल्यावास्था देख-रेख और विकासात्मक कार्यकलाप का विस्तार
ii. प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिक पहुँच और संपादन।
iii. अध्ययन उपलिब्ध में सुधार करना ताकि अध्ययन उपलिब्ध एक आवश्यक स्तर तक पहुँच सके।
iv. वयस्क निरक्षता के दर को कम करना।
v. बुनियादी शिक्षा के प्रावधानों तथा नवयुवक एवं व्यवस्क द्वारा अपेक्षित दूसरे आवश्यक कौशलों का विस्तार करना।
vi. व्यक्तिगत एवं परिवार के अच्छे जीवन जीने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशलों एवं मूल्यों के उपलब्धियों को बढ़ाना।

9.3.4 सालामांका स्टेटेमेंट और विशेष शिक्षण पर कार्ययोजना

सन् 1994 ई. में स्पेन के सालामांका शहर में ''विशेष आवश्यकता शिक्षण पर विश्व सम्मेलन'' का आयोजन यूनेस्को एवं स्पेन की सरकार ने मिलकर किया था। इस सम्मेलन में 92 देशों के सरकारी प्रतिनिधि एवं अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने भाग लिया था।

1. यह कथन (स्टेटमेंट) सभी के लिए शिक्षा की प्रतिबद्धता से शुरू होता है।
2. इस सम्मेलन में मुख्य रूप से समावेशित शिक्षा की चर्चा हुई जो निम्नलिखित कथनों से रेखांकित किया गयाः
    - स्कूल में सभी बच्चों को समावेशित किया जाए, चाहे उनकी शारीरिक, बौद्धिक, भावनात्मक, सामाजिक, वाचिक या अन्य दशाएँ कैसे भी हों।
    - समावेशित दिशा-निर्देशन युक्त सामान्य स्कूल भेदभाव पूर्ण दृष्टिकोणों से निपटने के लिए सबसे प्रभावशाली माध्यम है। वे ऐसे समावेशित समाज की रचना कर सकें जो सबको अपना एवं सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य भी पा सकें।

इस कथन में यूनेस्को, यूनीसेफ, यूएनडीपी एवं विश्व बैंक से अनुरोध किया गया है कि वे समावेशित शिक्षा को बढ़ावा देने एवं विशेष आवश्यकता शिक्षण को शैक्षिक प्रोग्राम में सम्मिलित करने के लिए कार्य करें।

9.3.5 बिवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क फॉर एक्शन

22 मई, 2002 को एशिया पेसफिक क्षेत्र ने बिवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क फॉर एक्शन को स्वीकार किया। इसका मुख्य उद्देश्य था 'अवरोध रहित एवं अधिकार आधारित एक समावेशित समाज का निर्माण करना'। यह एशिया और प्रशांत क्षेत्र के विकलांग व्यक्तियों के लिए एवं ''एशियन पैसिफिक डिकेड ऑफ द डिजेबल्ड पर्सन्स'' का ही विस्तार है। (राव, 2010)

इसके सात प्राथमिक कार्यक्षेत्र हैः

i. विकलांग व्यक्तियों, उनके परिवार व अभिभावक संघों के स्वयं-सहायता संगठन
ii. विकलांग महिलाएं
iii. शीघ्र निदान, शीघ्र हस्तक्षेप एवं शिक्षा
iv. स्व-रोजगार सहित, प्रशिक्षण एवं रोजगार
v. निर्मित वातावरण एवं सार्वजनिक वाहनों की उपलब्धि
vi. सूचना एवं संपर्क तक पहुँच जिसमें सूचना संपर्क एवं सहयोगी प्रौद्योगिकी भी सम्मिलत हो
vii. क्षमता निर्माण, सामाजिक सुरक्षा व अविरत रोजगार कार्यक्रमों के द्वारा गरीबी उन्मूलन संभव हो।

इन प्राथमिकताओं को साकार रूप देने हेतु 21 लक्ष्यों व इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए 17 तरीकों की भी इस घोषणा में पहचान की गयी है। इन सबके अतिरिक्त इसमें संयुक्त राष्ट्र आर्थिक व सामाजिक आयोग द्वारा इस घोषणा में सुझायी गयी प्राथमिकताओं व लक्ष्यों की प्राप्ति में की गयी प्रगति के अवलोकन व आवश्यकतानुसार परिवर्तन करने का भी प्रावधान है।

9.3.6 विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संघ अधिवेशन

विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर अधिवेशन जिसको संक्षेप में 'यू.एन.सी.आर.पी.डी.' भी कहते हैं, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों को संरक्षित रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है।

संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा ने इस संधिपत्र को 13 दिसम्बर, 2006 को स्वीकार किया तथा 30 मार्च, 2007 को हस्ताक्षर करने के लिए रखा। इस दिन भारत सहित 82 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किया, (मार्च, 2013 तक 155 देशों ने हस्ताक्षर किया है) यह संधिपत्र 3 मई 2008 को अंतरराष्ट्रीय कानून बना।

यूएनसीआरपीडी में कुल 50 अनुच्छेद (आर्टिकल) हैं। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद निम्नलिखित हैं:

- अनु. 6:विकलांग महिलाओं के बारे में है, जिसमें कहा गया है कि सरकार विकलांग महिलाओं के विकास एवं अधिकारिता के लिए उपयुक्त कदम उठाये।
- अनु. 7: विकलांग बच्चों के बारे में है, जिसमें कहा गया है कि इन बच्चों के अधिकारों, स्वतंत्रता तथा अच्छे जीवन के लिए कार्य करें।

- अनु. 9 :सुगम्यता के बारे में हैं, जिसमें कहा गया है कि विकलांगों को सषक्त करने हेतु अत्याधुनिक तकनीक से बने विशेष उपकरण उपलब्ध कराया जाय।
- अनु. 10 :जीने का अधिकार के बारे में है, जिसमें कहा गया है कि विकलांग व्यक्तियों को भी सामान्य व्यक्तियों के सामान सम्मान पूर्ण जीवन जीने का अधिकार है।
- अनु. 24 :शिक्षा के बारे में है, जिसमें कहा गया है कि विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था सरकार करे जिससे वे अपने व्यक्तित्व, प्रतिभाओं व रचनात्मकता का विकास कर सकें।
- अनु. 27 :कार्य और रोजगार के बारे में है, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक विकलांग व्यक्ति को हर तरह के काम, जो उसके योग्य हैं, करने का अधिकार है जिसके लिए उपयुक्त सुविधाओं व वातावरण का उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

मुख्यतः यह अधिवेशन विकलांग व्यक्तियों के अधिकार निर्दिष्ट करता है और उनके संवर्द्धन संरक्षण व सुनिश्चितता के लिए राज्य के कर्त्तव्य

निर्धारित करता है, जिसके साथ साथ उनके क्रियान्वयन व अनुश्रवण सहयोग हेतु उचित व्यवस्था विकसित करने का निर्देश देता है।

इस अधिवेशन की एक विशेष बात यह भी है कि इसमें विकलांगों को एक श्रेणी मात्र न मानकर विकलांगता विशेष और उसमें भी व्यक्ति विशेष की आवश्यक ताओं को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त सुविधाएं देने की बात कही गयी है। इसके अतिरिक्त इसमें विकलांग व्यक्तियों की व्यक्तिगत जरूरतों की तरफ भी ध्यान दिया गया है।

इस संधिपत्र में यह व्यवस्था है कि समय-समय पर हर उस देश को जिसने इस संधिपत्र पर हस्ताक्षर किया है, यह बताना होगा कि उसने इस संधिपत्र के कार्यान्वयन हेतु क्या कदम उठाए हैं।

अभ्यास प्रश्न

1. विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संघ का घोषणा पत्र सन् .... ई. में जारी हुआ है।
2. सभी के लिए शिक्षा सन् .... ई. में .... शहर में हुआ था।
3. सालामांका स्टेटमेंट सन् .... ई. में जारी हुआ था।
4. यू. एन. सी. आर. पी. डी. का पूर्ण रूप है ....।
5. भारत ने यू.एन.सी.आर.पी.डी. पर सन् .... में हस्ताक्षर किया।

9.4 राष्ट्रीय नीतियाँ और कानून

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकलांग व्यक्तियों के कार्यों का अनुसरण करते हुए भारत सरकार ने भी इनके लिए कुछ नीतियाँ एवं कानून बनाये जिसका वर्णन हम इस खण्ड में करेंगे।

9.4.1 संवैधानिक प्रावधान

भारतीय संवधिान के अनु. 14 में कहा गया है कि कानून के समक्ष सभी नागरिक एक समान हैं। तथा अनु. 15 में कहा गया है कि राज्य किसी भी नागरिक को धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।

अनु. 41 जहाँ कार्य करने की अधिकार की बात करता हैं वहीं अनु. 45 कहता है कि राज्य 6 वर्ष तक के आयु वाले बच्चों को प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा देने का प्रयास करे।

भारतीय संविधान के 86 संशोधन (2002) के द्वारा अनु. 21। में 6-14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की बात की है।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 जो कि 1 अप्रैल, 2010 से लागू हो गया है, यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षा प्रत्येक बच्चे का अधिकार है तथा राज्य को अनिवार्य रूप से उसको ये अधिकार प्रदान करने होंगे तथा उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा।

9.4.2 मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम

मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम सन् 1987 में लागू हुआ जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि मानसिक रोगी व्यक्तियों की शीघ्र पहचान करके उनका अच्छा उपचार हो सके।

इस अधिनियम की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं

i. मानसिक रोगी समाज के अंग हैं तथा राज्य उन सभी बाधाओं को दूर करके उन्हें उपचार पाने, देखभाल व सहारा पाने तथा सम्मानजनक जीवन जीने के समान अवसर प्रदान करेगी।
ii. मानसिक रोग से ग्रस्त व्यक्तियों को मनोचिकित्सा, अस्पतालों या नर्सिंग होम में उपचार हेतु समय पर प्रवेश मिले।
iii. मानसिक रोगियों को किसी का दुर्व्यवहार न सहना पड़े, न ही वे किसी से दुर्व्यवहार करें।
iv. यदि मानसिक रोगी अपने मामलों की देखभाल व प्रबंधन के लिए किसी अभिभावक की माँग करें तो उन्हें उपलब्ध कराया जाए।

9.4.3 भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम

भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम जिसे संक्षेप में हम आर.सी.आइ.एक्ट कहते हैं, सन् 1992 में पारित हुआ तथा 22 जून, 1993 से लागू हुआ। सन् 2000 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया।

भारत सरकार द्वारा इस अधिनियम की आवश्यकता इसलिए महसूस की गयी क्योंकि विकलांगता के क्षेत्र में शिक्षा की गुणवत्ता एवं प्रशिक्षण इत्यादि के लिए कोई अधिनियम एवं संस्था नहीं थी।

भारतीय पुनर्वास परिषद के कुछ प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं

i. विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास संबंधी प्रशिक्षण नीतियों व कार्यक्रमों को नियमित करना।
ii. विकलांग व्यक्तियों के साथ काम करने वाले विभिन्न श्रेणी के व्यावसायिकों की शिक्षा व प्रशिक्षण हेतु एक न्यूनतम मानक प्रस्तावित करना।
iii. पूरे देश में एकरूपता लाने हेतु सभी प्रशिक्षण संस्थानों में इन मानकों का नियमितीकरण करना।
iv. उन सभी संस्थाओं/विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करना जो विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास विषय पर डिग्री/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम चलाता है।
v. मान्यता प्राप्त पुनर्वास योग्यता रखने वाले व्यक्तियों की सूची केन्द्रीय पुनर्वास पंजीकरण में रखना।
vi. पुनर्वास एवं विशेष शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहित करना।

भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त विभिन्न विश्व विद्यालय, प्रषिक्षण संस्थान व गैर सरकारी संगठन प्रषिक्षण कार्यक्रम चलाते हैं। ये प्रषिक्षण बुनियादी पाठ्यक्रम और प्रमाणपत्र से डिप्लोमा, डिग्री, स्नातकोत्तर डिप्लोमा तक सभी प्रकार के होते हैं। पाठ्यक्रम पूर्ण करने वाले विद्यार्थी भारतीय पुनर्वास परिषद पंजी में पंजीकरण पाठ्यक्रम की अर्हता पा लेते हैं सफल विद्यार्थी अपने प्रषिक्षण के अनुरूप अधिकारी या व्यावसायिक की श्रेणी में पंजीकृत होते हैं। भारत में विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में काम करने वाले किसी पुनर्वास विशेष ज्ञ के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद् में पंजीकृत होना अनिवार्य है तथा प्रत्येक 5 वर्ष बाद पंजीकरण का नवीनीकरण कराना पड़ता है जिसके लिए उन्हें समय-समय पर परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त सेमिनार, वर्कषाप इत्यादि में भाग लेना होता है।

9.4.4 विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिनियम

विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिनियम सन् 1995 में पारित हुआ तथा इसका पूरा नाम है - ‘‘विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा एवं पूर्ण सहभागिता) अधिनियम 1995।

यह अधिनियम 7 फरवरी 1996 ई. से लागू हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत सात विकलांगताएं आती हैं, जो हैं:

i. अंधत्व (Blindness)
ii. अल्पदृष्टि (Low Vision)
iii. श्रवण बाधा (Hearing Impairment)
iv. मानसिक विकलांगता (Mental Retardation)
v. मानसिक रोग (Mental Illness)
vi. गामक बाधा(Locomotar Impairment)
vii. कोढ़ उपचरित (Leprosy Cured)

भारत में इस समय विकलांग व्यक्तियों को जो सुविधाएं दी जाती हैं, उसके लिए जरूरी है कि वह विकलांग व्यक्ति उपर्युक्त सात विकलांगता में से किसी एक श्रेणी में हो तथा उसके विकलांगता का प्रतिशत कम से कम 40 हो।

पी.डब्लू.डी. एक्ट, 1995 का सरकार द्वारा संशोधन का कार्य चल रहा है तथा इसका ड्राफ्ट बिल तैयार हो चुका है। जिसमें उपर्युक्त सात विकलांगता के अलावा ग्यारह और विकलांगता को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। इस बिल का नाम है ''विकलांग व्यक्तियों के अधिकार बिल, 2012''।

पी.डब्लूडी. एक्ट 1995 में कुल 14 अध्याय हैं जिसमें से अध्याय-4: विकलांगता का शीघ्र निदान व रोकथाम के बारे में बताता है, अध्याय-5: विकलांग बच्चों के शिक्षा के बारे में है, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक विकलांग बच्चे को उचित व समावेशित वातावरण में 18 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा मिले। अध्याय-6: विकलांग व्यक्तियों के रोजगार के बारे में है, जिसमें इन व्यक्तियों के लिए सरकारी प्रतिष्ठानों में 3 प्रतिशत नौकरियों के आरक्षण की बात कही गयी है तथा ये 3 प्रतिशत दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित एवं गामक बाधित व्यक्तियों के लिए है (प्रत्येक के लिए 1 प्रतिशत)।

इस अधिनियम के अध्याय-8 में विकलांग व्यक्तियों के लिए बाधारहित वातावरण का भी प्रावधान है जिसमें कहा गया है कि विकलांग व्यक्ति अस्पताल, रेलवे स्टेशन, प्रशिक्षण केन्द्र, मनोरंजन स्थल, निर्वाचन बूथ, कार्यक्षेत्र और सभी सार्वजनिक स्थलों की समस्त सुविधाओं का प्रभावशाली ढंग से उपयोग कर सके, इसके लिए सरकार इस बात की स्पष्ट घोषणा करती है कि इन सब सार्वजनिक स्थलों का बाधारहित होना अनिवार्य, इसके लिए इन सार्वजनिक इमारतों में रैंप, पहियेवाली कुर्सीवालों के लिए शौचालयों में अनुकूल सुविधा; लिफ्ट आदि में ब्रेक चिन्ह व श्रव्य संकेत; अस्पतलों में रैंप व ऐसे ही अनुकूली साधन होने चाहिए।

9.4.5 राष्ट्रीय न्यास अधिनियम

राष्ट्रीय न्यास अधिनियम सन् 1999 में पारित हुआ तथा इसका पूरा नाम है- ''राष्ट्रीय न्यास अधिनियम (स्वलीनता, प्रमस्तिष्क पक्षाघात, मानसिक विकलांगता और बहु-विकलांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याण हेतु) 1999''। इसको संक्षेप में एन.टी. एक्ट, 1999 भी कहते हैं।

जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि यह अधिनियम चार विकलांगताओं के लिए है जो है:

i. स्वलीनता (Autism)
ii. प्रमस्तिष्क पक्षाघात (सेरेबरल पॉलसी)
iii. मानसिक विकलांगता (Mental Retardation)
iv. बहु विकलांगता (Multiple Disabilities)

इस अधिनियम के कुछ प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं-

- विकलांग व्यक्ति जिस समुदाय के हैं, उसमें यथा संभव पास रह सकें, स्वतत्रता व पूर्णता के साथ जी सकें। इतना उन्हें समर्थ व सशक्त किया जाए।
- विकलांग व्यक्तियों को सहारा देने योग्य सुविधाओं का प्रबलीकरण हो।
- विकलांग व्यक्तियों के अभिभावक या संरक्षक की मृत्यु हो जाने पर उनकी देखभाल व संरक्षण की व्यवस्था करना।
- विकलांग व्यक्तियों को समान अवसर, उनके अधिकारों की सुरक्षा एवं उनकी पूर्ण भागीदारी को साकार करने की सुविधाएँ प्रदान करना।

राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 के कुछ प्रमुख कार्यक्रम निम्नलिखित हैं:

- संगठनों का पंजीकरण (अभिभावकों एवं गैर सरकारी संगठनों का)।
- स्थानीय स्तर की समितियों का गठन।
- अभिभावकों की नियुक्ति।
- आवासीय सुविधाओं सहित अन्य अनेक प्रकार की सेवाओं को समर्थन देना।
- होम विजिट/अभिरक्षक के कार्यक्रम
- जागरूकता एवं प्रशिक्षण सामग्री का विकास
- लोगों तक पहुँचने एवं राहत के लिए सामुदायिक कार्यक्रम।

9.4.6 विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति

विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति 10 जनवरी, 2006 को पारित हुआ। इस नीति का निर्माण विकलांग व्यक्तियों के लिए समान अवसर, उनके अधिकारों के संरक्षक और समाज में पूर्ण भागीदारी के लिए वातावरण तैयार करने के उद्देश्य से हुआ। इस राष्ट्रीय नीति की कुछ प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं:

- विकलांगता की रोकथाम: विकलांगता की रोकथाम के लिए कार्यक्रम पर विशेष बल दिया गया है।
- पुनर्वास कार्रवाई: इस नीति में कहा गया है कि पुनर्वास कार्यवाही तीन ग्रुप में होगी।
    i. शारीरिक पुनर्वास
    ii. शैक्षिक पुनर्वास
    iii. आर्थिक पुनर्वास

- विकलांग औरतों के बारे में इस नीति में कहा गया है कि इन औरतों को अपने बच्चों की देखभाल करने में परेशानी होती है अतः सरकार इनको आर्थिक मदद करे ताकि ये अपने बच्चों को देखने के लिए किसी को किराये पर रख सके। इस तरह की आर्थिक सुविधा केवल दो बच्चों के लिए तथा अधिकतम दो साल के लिए दिया जाएगा।
- विकलांग बच्चों के बारे में इस नीति में कहा गया है कि सरकार इन बच्चों की देखभाल व सुरक्षा सुनिश्चित करें तथा ये लोग समान अवसर एवं पूर्ण सहभागिता के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकें।
- विकलांग व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक स्थलों पर अवरोध मुक्त वातावरण बनाना।
- विकलांग व्यक्तियों को बिना किसी परेशानी के विकलांगता सर्टीफिकेट प्रदान करना।
- विकलांगता के क्षेत्र में काम करने के लिए गैर सरकारी संगठनों को प्रोत्साहित करने की बात भी इस नीति में कही गयी है।
- विकलांग व्यक्तियों के बारे में नियमित रूप से आँकड़े इकट्ठा करना।
- इस नीति में एक महत्वपूर्ण बात कही गयी है कि विकलांग व्यक्तियों से जुड़े हुए अधिनियमों जैसे आर.सी.आई. एक्ट, 1992, पी.डब्लू.डी. एक्ट 1995 तथा एन.टी. एक्ट 1999 में समय-समय पर संशोधन होते रहना चाहिए। इसी नीति के फलस्वरूप ही पी.डब्लू.डी. एक्ट 1995 में
- संशोधन हो रहा है, जो 'विकलांग व्यक्तियों के अधिकार बिल, 2012'' के रूप में ड्राफ्ट हो चुका है।

9.4.7 शिक्षा का अधिकार अधिनियम

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 का पूरा नाम है- ''बच्चों के लिए नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009''।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 4 अगस्त, 2009 को पारित हुआ तथा 1 अप्रैल, 2010 से लागू हुआ। इस अधिनियम में 6-14 वर्ष तक के बच्चे को नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही गयी जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में लिखित है। इस अधिनियम को लागू करने के बाद भारत विश्व के उन 135 देशों में शामिल हो गया है जहाँ शिक्षा मूल अधिकार के रूप में है।

इस अधिनियम में कुल सात अध्याय हैं, जिसमें से अध्याय-2 : नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार पर है, अध्याय-3: उपयुक्त सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, तथा माता-पिता के कर्तव्यों पर है, अध्याय-4:विद्यालयों एवं षिक्षकों के उत्तरदायित्वों पर है, अध्याय-5: प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम एवं संपादन पर है, तथा अध्याय-6: बच्चों के अधिकारों का संरक्षण पर है।

अगर हम विकलांग बच्चों के संदर्भ में बात करें तो इस अधिनियम में इनको स्पष्टतया एक अलग वर्ग के रूप् में सम्मिलित नहीं किया गया है, लेकिन अध्याय-1: प्रस्तावना के खण्ड 2 (d) में ''अलाभकारी समूह के बच्चे'' (चाइल्ड बिलाँगइंग टु डिसट्वैन्टिज ग्रुप) के बारे में चर्चा है। इसी खण्ड में कहा गया है कि उपयुक्त सरकार अधिसूचना के द्वारा स्पष्टीकरण करके किसी समूह को जो किसी दूसरे कारण से अलाभकारी है, को इस खण्ड में सम्मिलित कर सकता है। अर्थात उपयुक्त सरकार चाहे तो अधिसूचना के माध्यम से विकलांग बच्चों को अधिनियम के खण्ड 2 (d) में सम्मिलित कर सकता है।

अभ्यास प्रश्न

6. मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ?

   अ) 1975 ब) 1983

   स) 1987 द) 1992

7. भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम कब बना था?

   अ) 1987 ब) 1992

   स) 1995 द) 1999

8. विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिनियम, 1995 किस दिन से प्रभाव में आया?

   अ) 3 दिसम्बर, 1995 ब) 5 फरवारी, 1995

   स) 4 दिसम्बर, 1996 द) 7 फरवरी, 1996

9. विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिनियम, 1995 के अंतर्गत कितनी विकलांगताएँ आती हैं?

   अ) 5 ब) 6

   स) 7 द) 8

10. विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति कब बनी थी?

   अ) 1995 ब) 1999

   स) 2003 द) 2006

9.5 सारांश

इस इकाई में हमने विशेष एवं समावेशित शिक्षा के संदर्भ में विभिन्न अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय नीतियों एवं कानूनों की चर्चा की।

अंतरराष्ट्रीय नीतियों एवं कानूनों में हमने प्रमुखतः विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संघ का घोषणा पत्र (1975), बच्चों के अधिकारों पर अधिवेशन (1989), सभी के लिए शिक्षा (1990), सालामांका स्टेटमेंट (1994), बिवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क (2002) तथा यू.एन.सी.आर.पी.डी. (2008) की चर्चा की।

राष्ट्रीय नीतियों एवं कानूनों में हमने भारतीय संविधान में वर्णित कुछ संवैधानिक प्रावधानों, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम (1987), आर.सी.आई. एक्ट (1992), पी.डब्लू.डी. एक्ट (1995), एन.टी. एक्ट (1999), तथा विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति (2006) तथा आर.टी.ई. एक्ट (2009) की चर्चा की।

9.6 शब्दावली

1. **विशेष शिक्षा-** विशेष शिक्षा से तात्पर्य वैसी शिक्षा से है जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (जैसे- दृष्टिबाधित बच्चे, मानसिक मंद बच्चे, श्रवण बाधित बच्चे) को विशेष स्कूल में दी जाती है।
2. **समावेशित शिक्षा**- समावेशित शिक्षा से तात्पर्य है- ऐसी शिक्षा जो विशेष एवं सामान्य बच्चों को एक साथ एक ही सामान्य स्कूल में दी जाती है।

9.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. 1975
2. 1990, जोमेटिन
3. 1994
4. यूनाइटेड नेशन कन्वेशन ऑन राइट्स ऑफ परसन्स विद डिजबेलिटिज
5. 2007
6. स
7. ब
8. द
9. स
10. द

9.8 संदर्भ ग्रंथ सूची

1. जुलका ए. (2005). एडुकेशनल प्रोविजन्स एण्ड प्रैक्टिसेस फॉर लरनर्स विद डिसबेलटिज इन इंडिया, पेपर प्रजेन्टेड एट द इन्क्लूसिव एण्ड सुर्पोटिव एडुकेशन कांग्रेस 2005, यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रेथक्लेड, ग्लासो।
2. मुखोपाध्याय, एस (2005). रीथिंकिंग एबाउट इन्क्लूसनः इमर्जिग एरिया फॉर पॉलिसी रिसर्च, नई दिल्लीः न्यूपा
3. राव, एल.गो. (2010). निःशक्त बच्चों की शिक्षा का आधार पाठ्यक्रम, नई दिल्लीः इग्नू
4. पी.डब्लू.डी. एक्ट (1995). नई दिल्लीः भारत सरकार
5. आर.सी.आई एक्ट (1992). नई दिल्लीः भारत सरकार

6. आर.टी.ई. एक्ट (2009). नई दिल्लीः भारत सरकार
7. नेशनल पॉलिसी फॉर परसन्स विद डिजबेलिटी (2006). नई दिल्लीः भारत सरकार
8. नेशनल ट्रस्ट एक्ट (1999). नई दिल्लीः भारत सरकार
9. यू.एन.सी.आर.पी.डी. (2008). न्यूयार्कः युनाइटेड नेशन
10. सरकारी वेबसाइट
    i. संयुक्त राष्ट्र संघ (www.un.org/en)
    ii. राष्ट्रीय न्यास (www.thenational trust.co.in)
    iii. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (www.socialjustic.nic.in)
    iv. भारतीय पुनर्वास परिषद (www.rehabcoucil.nic.in)

9.9 सहायक/उपयोगी पाठ्यसामग्री

1. पांडा, के.सी (1997). एजुकेशन ऑफ एक्सेपशनल चिल्ड्रेन, नई दिल्लीः विकास पब्लिशिंग एण्ड डिस्ट्रब्यूटर्श।
2. पी.डब्लू.डी. एक्ट (1995). नई दिल्लीः भारत सरकार
3. आर.सी.आई एक्ट (1992). नई दिल्लीः भारत सरकार
4. आर.टी.ई. एक्ट (2009). नई दिल्लीः भारत सरकार
5. नेशनल पॉलिसी फॉर परसन्स विद डिजबेलिटी (2006). नई दिल्लीः भारत सरकार
6. नेशनल ट्रस्ट एक्ट (1999). नई दिल्लीः भारत सरकार
7. यू.एन.सी.आर.पी.डी. (2008). न्यूयार्कः युनाइटेड नेशन

9.10 निबंधात्मक प्रश्न

1. विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र की प्रमुख बातों का उल्लेख करें।
2. सभी के लिए शिक्षा से आप क्या समझते हैं? इस पर हुए सम्मेलन पर प्रकाश डालें।
3. यू.एन.सी.आर.पी.डी. के प्रमुख अनुच्छेदों का वर्णन करें।
4. भारतीय संविधान में बच्चों के अधिकारों से संबंधित कुछ प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख करें।
5. पी.डब्लू.डी. एक्ट एवं विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति की मुख्य बातों की व्याख्या करें।

इकाई 10 नई शिक्षा नीति तथा क्रियान्वयन कार्यक्रम (1992) राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की प्रमुख सिफारिशें, राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा

10.1 प्रस्तावना
10.2 उद्देश्य
10.3 नई शिक्षा नीति तथा क्रियान्वयन क्रार्यक्रम (1992)
10.4 राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की प्रमुख सिफारिशें
10.5 राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा
10.6 सारांश
10.7 निबंधात्मक प्रश्न
10.8 गतिविधियां
10.9 संदर्भ ग्रंथ

10.1 प्रस्तावना

शिक्षा, समानता और सशक्तिरण की प्ररक्रिया का मूल है। हालांकि शिक्षा का अधिकार एवं शैक्षिक अवसरों की समानता भारतीय संविधान के द्वारा सुनिश्चित की गई है। परन्तु भारत में व्याप्त निरक्षरता को मिटाने की आवश्यकता को महशूश करते हुए शिक्षा आयोग (1964) ने भी अपने प्रतिवेदन में इस पर बल दिया था। यह निराश करने वाली बात है कि अजादी के 66 वर्षों के बाद भी हम सिर्फ 74 प्रतिशत तक ही साक्षरता दर हासिल कर पाये हैं। भारत में 'सभी के लिए शिक्षा' अभी भी एक सपना है। इसके लिए भारत सरकार ने अजादी के पश्चात् से ही गंभीर प्रयास प्रारंभ करना शुरू किया था। शिक्षा, प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार है चाहे वह सशक्त हो अथवा निःशक्त। निःशक्त जनों के शिक्षण का इतिहास बहुत अधिक पुराना नहीं हैं। भारत में निःशक्त जनों में दृष्टिबाधितों का पहला औपचारिक विद्यालय 1887 में अमृतसर से प्रारंभ होकर आज सर्व शिक्षा अभियान योजना में शिक्षण को निःशक्तों के अध्ययापन यात्रा को विशेष शिक्षा से समावेशी शिक्षा के रूप में देखा जा सकता है। निःशक्तजनों के शैक्षिक विकास में समावेशी शिक्षण पद्वति को आज के सबसे नवीनतम पद्वति के रूप में माना जाता हैं।

यह उद्वेलित करने वाला है कि निःशक्त बच्चों एवं युवाओं की आधी से अधिक अबादी अपने अधिकारों एवं अवसरों से वंचित हैं तथा उपयुक्त वातावरण में पर्याप्त विद्यालयी शिक्षा नहीं प्राप्त करते हैं। निःशक्त बालक जो

विद्यालय से बाहर हैं उनमें अधिकांश वे हैं जिन्हें उनके गॉव के पड़ोस वाले विद्यालय ने प्रवेश लेने से मना कर दिया। प्रायः इस प्रकार के निःशक्त बालकों को सामान्य विद्यालयों में प्रवेश न दिये जाने हेतु मुख्य कारण यह बताया जाता है कि ‘हमारे पास इन बालकों हेतु पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं हैं।‘ इन्हें तो इनके लिए बने विशेष विद्यालय में प्रवेश लेना चाहिए। समाज भी यह मानती है कि अन्य बालकों से इन बालकों का भविष्य अंधकारमय है। अतः कोई भी बालक अगर शिक्षा से वंचित रह जाता है तो ‘सभी को शिक्षा‘ का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा। सभी मानव को शिक्षा पाना उसका मानवाधिकार है जिसका अनुमोदन ‘शिक्षा का अधिकार‘ बिल (2010) पास कराकर इस दिशा में एक और मील का पत्थर स्थापित किया गया है। चाहे वह बालक सामान्य है या निःशक्त सभी को शिक्षा पाने का हक उसके समीप वाले विद्यालय में है। अतः सभी बालकों के शिक्षण समस्याओं के समाधान हेतु सबसे उपयुक्त शिक्षण पद्वति समावेशी शिक्षा है। जैसा विदित है कि समावेशी शिक्षा को सकार स्वरूप में सर्व शिक्षा अभियान नाम की योजना का प्रमुख योगदान है। भारत सरकार यह चाहती है कि सर्व शिक्षा अभियान के सहारे यह लक्ष्य 2015 तक सभी के लिए शिक्षा उपलब्ध हो सके। सर्व शिक्षा अभियान एक मिशन है जो प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण के लिए कटिब्ध है। यह योजना सभी के लिए शिक्षा पर जोर देती है। अर्थात् बिना किसी भेद-भाव के बालिकाओं, पिछड़े वर्गों, निःशक्त बालकों आदि सभी को शिक्षा देने को सुनिश्चित करता है जो शून्य को निरस्त करने वाली नीति पर आधारित (zero rejection policy) है। अतः सर्व शिक्षा अभियान एक समावेशी शिक्षण पद्वति पर जोर देता है।

अतः इसे विशेष शिक्षा से शुरू होते हुए समावेशी शिक्षा के रूप में फलीभूत होने में सरकार के द्वारा अजादी के उपरांत जो विभिन्न समितियों, आयोग व नीतियों आदि का गठन किया गया उनका प्रमुख योगदान हैं। इस ईकाई में इन्हीं मुख्य समितियों, आयोगों, नीतियों आदि का उल्लेख किया जाएगा यथा नई शिक्षा नीति तथा क्रियान्वयन क्रार्यक्रम, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की प्रमुख सिफारिशें, राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा आदि।

10.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात्, आप- निम्नलिखित को बताने योग्य हो सकेंगे।

1. नई शिक्षा नीति के आलोक में शिक्षा में मुख्य पहल
2. नई शिक्षा नीति में निःशक्त जनों के शिक्षा में योगदान एवं भूमिका
3. नई शिक्षा नीति तथा क्रियान्वयन कार्यक्रम का संदर्भ विशेष शिक्षा में
4. राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के गठन, स्वरूप एवं संरचना के उद्देश्य
5. विशेष शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की प्रमुख सिफारिशें
6. राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा के गठन, स्वरूप एवं निर्माण के उद्देश्य
7. राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा के अनुशंसा विशेष बच्चों के संदर्भ में।

10.3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) एवं क्रियान्वयन कार्यक्रम (1992)

सन् 1950 में, भारत ने अपने संविधान में 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की वचनबद्धता लिया था। सन् 2002 के संवैधानिक संशोधनों द्वारा 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के लिए मूलभूत अधिकार बनाया गया। फिर भी प्रारम्भिक शिक्षा की सार्वभौमिक पहुँच भ्रामक तथा गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रयास दिशाहीन ही प्रतीत होता है। अर्थात् अजादी के पश्चात भारत सरकार के द्वारा शिक्षा के प्रसार एवं गुणवता में सुधार हेतु विभिन्न समितियाँ तथा नीतियां बनाई गई। उन्हीं में से एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भी बनाई गई जिसमें समाज के विभिन्न वर्गां के शैक्षिक समस्याओं के बारे में अनुशंसा की गई। निःशक्त जनों के लिए भी इस नीति में विस्तृत प्रयास किये गये। यह उप इकाई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं क्रियान्वयन कार्यक्रम 1992 में उल्लिखित निःशक्तों कि शिक्षा के बारे में जानकारी देने का प्रयास करता हैं।

बीते हुये दशकों में भारत में विद्यालयी शिक्षा की माँग में जबरदस्त वृद्धि हुई है, किन्तु प्रावधान असमान ही रहे। इसी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NPE 1986) और इसके क्रियान्वयन कार्यक्रम (POA 1992) लाया गया। यह नीति सभी बच्चों की स्थिति, जाति, धर्म, लिंग अथवा स्थान निर्धारण से परे प्रारम्भिक शिक्षा सभी तक पहुचनी चाहिए। जो गुणवता में बिना समझौता किए होगा। परन्तु विद्यालयी व्यवस्था वास्तव में बेहतर की अपेक्षा उपेक्षणीय समूहों (गरीब बच्चों से सम्बन्द्धित, लड़कियाँ, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के बच्चे, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) समूहों) की न्यून पहुँच और निचले स्तर की गुणवत्ताशिक्षा तक ही पहुँच हो सकी है। इनको ध्यान में स्थिर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लाया गया है। भौगोलिक स्थिति, सामाजिक संवर्ग और जाति, लिंग और धार्मिकता के आधार पर वृहद विभिन्नताएं पायी गई। नीति नियोजनकर्ता विद्यालयों के भौतिक सुधार हेतु जब तक लम्बे कदम भरते हैं, तब तक भारत में सभी बच्चों की शिक्षा की पहुँच तक सार्थक उपलब्धता की चुनौतियाँ बढ़ जाती हैं।

भारतीय नीति के सन्दर्भ में: भारत में शिक्षा की जिम्मेदारी संयुक्त रूप से केंद्र व राज्य सरकारों की है और संविधान में शिक्षा के शैक्षिक अधिकारों को प्रदान किया गया है। शिक्षा की सार्वभौमिकता की वचनबद्धता आगे भी उतनी ही वैधानिक है, जितनी कि दो मुख्य स्रोतों प्रशासनिक और वित्तीय कार्य ढाँचे के लिए राजकोषीय शिक्षा प्रणाली उपयुक्त है। पंचवर्षीय योजनाओं के समान जारी किया जाने वाले राष्ट्रीय विकास के समान राष्ट्रीय शिक्षा की नीति (रा0शि0नी0) (1986), के साथ क्रियान्वयन कार्यक्रम (1992) के अतरिक्त सर्व शिक्षा अभियान (SSA) कार्यक्रम का उद्देश्य 2010 तक प्रारम्भिक शिक्षा की सार्वभौमिकता की सन्तोषजनक गुणवत्ता को प्राप्त करना है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का स्वरूप एवं परिचय (जो 1986 में लिया गया)

संसद ने 1986 के बजट सत्र के दौरान विचार-विमर्श द्वारा ''राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986'' को ग्रहण किया। मानव संसाधन विकास मन्त्रालय द्वारा क्रियान्वयन कार्यक्रम की नीतियों को मानसून सत्र के दौरान ही लागू

करने का मंत्री ने वचन लिया। प्रतिष्ठित शिक्षाविदों , विषय-विशेषज्ञों, और केन्द्र व राज्य सरकारों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ निर्धारित कार्य बलों के साथ संलग्न थे। आवंटित विभिन्न विषयों में कुल 23 विषय सम्मिलित थे जिसमें विकलागों की शिक्षा का क्रम उपर से 6ठां है। नियत कार्यबलों के मध्य निम्नलिखित प्रकार से वितरित किये गए-

i. कार्य प्रणाली बनाना,
ii. विद्यालयी शिक्षा की विषयवस्तु व प्रक्रियाएं,
iii. नारी समानता हेतु शिक्षा,
iv. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्गों हेतु शिक्षा,
v. अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा,
vi. विकलांगों के लिए शिक्षा,
vii. व्यस्क और सतत् शिक्षा,
viii. पूर्व बाल्यकाल परिचर्या एवं शिक्षा,
ix. प्रारम्भ्रिक शिक्षा,
x. माध्यमिक शिक्षा और नवोदय विद्यालय,
xi. व्यावसायिक शिक्षा,
xii. उच्च शिक्षा,
xiii. मुक्त विश्वविद्यालय और दूरस्थ अधिगम,
xiv. तकनीकि व प्रबन्धन शिक्षा,
xv. अनुसंधान और विकास,
xvi. संचार और शैक्षिक तकनीकि (कम्प्यूटर शिक्षा के उपयोग से सम्बद्ध),
xvii. उपाधियों को रोजगार से अलग करना और मानव-शक्ति नियोजन,
xviii. सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य और भाषायी नीति को लागू करवाना,
xix. खेल, शारीरिक शिक्षा एवं युवा,
xx. शिक्षक एवं उनका प्रशिक्षण,
xxi. प्रबन्धन की शिक्षा,
xxii. मूल्यांकन प्रक्रिया और परीक्षा सुधार
xxiii. ग्रामीण विश्वविद्यालय एवं संस्थान।

उपरोक्त विषयों में से विकलांगों की लिए शिक्षा अर्थात् विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों हेतु नई शिक्षा नीति (1986) के अंतर्गत जो मुख्य बातें बताई गई वो निम्न शीर्षकों में प्रस्तुत की जा रही है।

नि:शक्त बालकों की शिक्षा: वर्तमान स्थिति

1. एक करोड. बीस लाख अक्षम लोगों में 26 लाख (1.2 एल.एच., 0.74 मिलियन एस.एच. 0.53 मिलियन एच.एच. और 0.12 मिलियन वी.एच., 10% एक से अधिक विकलांगता से ग्रस्त) 4-15 वर्ष की आयु के समूह के हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (NSSO) द्वारा 1986 में किये गये सर्वेक्षण में 1.7 मिलियन एम.एच. अक्षम् लोगों को नहीं लिया गया था। कुल 4.3 मिलियन अक्षम् बच्चे उच्च प्राथमिक शिक्षा (UPE) आयु समूह के बच्चो के अन्तर्गत पाये गये।
2. 1.4 मिलियन से ज्यादा 0-4 आयु समूह के बच्चे जिनकी पहचान उपचारात्मक, मूल्यांकन, शीघ्र प्रेरित होने वाले और शिक्षा के लिये तैयार होने वालों के रूप में की गई। निःशक्तों की शैक्षिक आवश्यकता और व्यवसायिक पुनर्वसन की प्रतिपूर्ति के लिये सम्मिलित किया गया था।
3. राष्ट्रीय शिक्षक आयोग ने प्रथम प्रतिवेदन दिया कि ”दृष्टिहीन और मूक-बधिर बालक 5% से अधिक और शायद 0.50% मानसिक मन्दित से ज्यादा नहीं“ लगभग 800-1000 विशिष्ट विद्यालयों में व्यवस्थित हो सकते हैं। इनमें से अधिकतर विद्यालय महानगरीय शहरों और शहरी केन्द्रों में स्थित थे। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां लगभग 80% ये अक्षम बच्चे निवास कर रहे थे जो व्यवहारिक तौर पर शैक्षिक सुविधाओं से अपवंचित थे, जबकि 7000 बच्चे सामान्य विद्यालयों में समावेशी शिक्षा (IED) योजना के अन्तर्गत साथ में शिक्षारत थे। प्रत्यक्ष रूप से यह पहुच सूक्ष्म अथवा नगण्य था।
4. शैक्षिक आवरण में परिमाणात्मक दरार की अपेक्षा पृथक से गुणात्मक पहलू में सुधार की आवश्यकता थी। अधिकतर संस्थान स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा चल रहे हैं। जबकि कुछ बहुत अच्छे संगठनों में कई प्रशिक्षित कर्मचारी, पर्याप्त आवासीय और आवश्यक उपकरण और साधन नहीं हैं। इनमें से कुछ संस्थान शैक्षिक संस्थानों की अपेक्षा निस्सहाय घरों में चल रहे हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति वक्तव्य के निहितार्थ:

5. राष्ट्रीय शिक्षा नीति अंग-चालित विकलांगों व और अन्य न्यून विकलांगों जो सामान्य की अपेक्षा थोड़ा सा अधिक भिन्न हैं, उनके लिये संभव शिक्षा का अनुबन्ध करती है। गम्भीर रूप से विकलांग बच्चों के लिये जिला मुख्यालयों के विशेष विद्यालयों में छात्रावासों के साथ नामांकन के लिये प्रस्तावित करती है। विकलांग बच्चों के पूर्व-विद्यालय तैयारी के लिये और अन्य के साथ सामान्य व्यवसायिक तैयारी हेतु विशिष्ट व्यवसायिक केन्द्रों का सामना करने की सार्थक व्यवस्था करती है।
6. विकलांगो के लिये विद्यालयों में स्थान निर्धारण, उपचार और मूल्यांकन के निहितार्थ प्रणाली की पहचान करनी होगी। विकलांग बच्चों को पूर्व-बाल्यकाल परिचर्या एवं शिक्षा (ECCE) के लिये तैयार करना होगा। यह परिभाषा विभिन्न विमाओं में विकलांगों की उपाधि हेतु सम्मिलित की गई है। इस उद्देश्य के लिये स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दी गई परिभाषा का प्रयोग किया जायेगा। विद्यालय पूर्व सालों में पूर्व-बाल्यकाल परिचर्या एवं शिक्षा (ECCE) और पूर्व विद्यालयी शिक्षा के लिये आगे के वर्षों में बच्चे को तैयार किया जायेगा।

7. अनुमानतः लगभग 20 लाख अपंग बच्चों को विशेष विद्यालयों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के साथ शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता होगी। पोषण मानक और मात्रृत्व देखभाल तथा प्रभावपूर्ण ढंग से अक्षमता (Disability) को रोकना होगा, जिससे अक्षमता का विस्तार कम होगा। परिणामतः अक्षम बच्चों की निरपेक्ष संख्या में सार्थक वृद्धि नहीं प्रदर्शित होगी। लगभग 20 लाख गम्भीर रूप से विकलांग बच्चों के लिए खानपान का प्रबन्ध करने के लिये 10,000 विशिष्ट विद्यालयों के साथ प्रत्येक में 150 से 200 तक बच्चों के लिये आवश्यक होगा। विशिष्ट विद्यालयों की शिक्षा बहुत खर्चीली होने के रूप में यह सुरक्षित होगा कि उन्ही बच्चों का इन विद्यालयों में नामांकित किया जाये, जिन्हें सामान्य विद्यालयों में शिक्षा नहीं मिल सकती है। ज्यों ही विशिष्ट विद्यालयों में नामांकित बच्चे सम्प्रेषण कौशल और अध्ययन कौशल अर्जित करें, वे सामान्य विद्यालयों में एकीकृत होंगे। आगे यह कल्पना की गयी कि सामान्य विद्यालय प्रणाली की दक्षताओं में 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निहितार्थ परिणाम-स्वरूप सुधार के साथ वृद्धि होगी, जिससे निःशक्त बालकों की खानपान सुविधाओं की क्षमताओं में सामान्य विद्यालयों में सदैव वृद्धि होगी।
8. प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिए विकलांगो की शिक्षा हेतु अन्य बालकों के सापेक्ष आदर्श परिदृश्य में 1990 में (6-11) और 1995 में (6-14वर्ष) थी। इस प्रकार यह युद्धस्तर से प्रयास करना होगा, क्योंकि वर्तमान पहुंच 5% से अधिक नहीं थी और शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने की प्रक्रिया व्यक्तिगत रूप से विशेष विद्यालयों में अत्यधिक संसाधनों की आवश्यकता और विशेष प्रशिक्षक एवं अन्य विशेषज्ञों की आवश्यकता महशूस करने पर अधिक समय की बचत हुई। विशेषज्ञों को तैयार करने में समय लगता है। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण ने गम्भीर रूप से अक्षम् बालकों के ई0 2,000 तक स्वास्थ्य लक्ष्यों के वर्णनात्मक एवं विकल्पात्मक परिदृश्य पर पहुंचाया और प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिये एल.एच. और अन्य दुर्बल विकलांग बच्चे 1990-1995 तक पहुँचा जा सकते हैं।

विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों हेतु नई शिक्षा नीति (1986) में उनकी दशा और दिशा में सुधार हेतु निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किये गए:

a. विकलांगों का भौगोलिक वितरण और विकलांगता की घटनाओं की अस्थिरता शैक्षिक सुविधाओं की नीतियों के लक्ष्यों को बहुत जटिल बना देती है।सामान्य विद्यालय प्रणाली के कार्यक्रमों में शिक्षकों और प्रशासकों की संगठनात्मक समर्थता,
b. प्रशिक्षण अवयवों से सम्बद्ध इस समूह वर्ग के बालकों में स्थूल रूप से सेवारत् प्रशिक्षण कार्यक्रमों के शिक्षक,
c. अभिमुखीकरण के कार्यक्रमों के लिये प्रशासकों और समान परिशिष्ट रहे दूरस्थ अधिगम चैनल,
d. एस.सी.ई.आर.टी., डाइट, उप-प्रखण्डों और ब्लाक स्तर के विशेषज्ञों के निर्माण के लिए इस समूह के बच्चों के लिए शिक्षकों का प्रबन्धन और निरीक्षण सेवायें प्रदान करना।

e. विकल्पात्मक अधिगम सामग्री का विकास, इन बच्चों के प्रबन्धन हेतु शिक्षकों के लिये निर्देशन व हस्त पुस्तिकाएं।
f. सहायक उपकरणों की प्रतिपूर्ति एवं व्यवसायीकरण् के लिये अनुकूलन और सामान्य विद्यालयों में व्यवसायिक पाठ्यक्रम,
g. विकलांगता के आँकलन/मूल्यांकन हेतु जिला स्तर पर मनोवैज्ञानिक सेवाओं का विकास करना, और
h. स्वास्थ्य और कल्याण मन्त्रालय जहां जहाँ भी आवश्यक हो वहाँ सहायक सेवाओं की लामबन्दी।

यह सुझाव प्रदान किया कि SCERT स्तर पर न्यूनतम तीन सदस्यीय दल, तीन DIET स्तर पर, और न्यूनतम एक को प्रत्येक उप-प्रखण्ड और खण्ड स्तर पर पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान करना होगा। उप-जिला स्तर पर 6,000 के लगभग प्रशिक्षित शैक्षिक अधिकारी सम्मिलित करने होंगे। कार्यक्रमों की पहुँच के बाहर के शिक्षकों को शेष तीन वर्षों के दौरान एक हिस्से के रूप में विशाल शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सम्मिलित करना होगा। मानव संसाधन विकास मन्त्रालय द्वारा इन अभिकरणों जैसे NCERT] NIEPA और क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों में प्रशिक्षण के द्वारा SCERT के लक्ष्यों का निर्धारण हो सकता है। NCERT के अधीन हस्तपुस्तिकाओं का विकास शिक्षकों और इस समूह के बच्चों का प्रबन्धन करने वाले शैक्षिक अधिकारियों के लिये समान शिक्षा प्रणाली के साथ किया जाना चाहिए। श्रम मन्त्रालय के अधीन विकलांगों के लिए ITIs को अतिरिक्त अथवा संशोधित सुविधाओं के साथ व्यवसायिक प्रशिक्षण मिलता है। जिला पुनर्वास केन्द्रों पर ऑकलन के सापेक्ष स्वास्थ्य कल्याण विभाग मन्त्रालय द्वारा उपचारात्मक सुविधायें और कृतिम अंग उपलब्ध कराये जाते हैं। प्रस्ताव में निम्नलिखित तात्क्षणिक व्यवस्थाएं सम्मिलित की गई थी-

- सहायता की व्यवस्था करना और क्षेत्र में उपकरणों की पहुंच।
- यात्रा-भत्तों के भुगतान की पर्याप्त व्यवस्थाएं। (Rs. 50/- per month)
- ग्रामीण क्षेत्र के संस्थानों में जिनमें न्यूनतम 10 विकलांग बच्चे हों, वहाँ विद्यालयी रिक्शा खरीदने हेतु मूल लागत की व्यवस्था करना।
- जहाँ पर 10 विकलांग बच्चे नामांकित हों वहाँ विद्यालयी भवन में स्थापित अवरोधों को हटाना।
- अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थियों को पाठ्य-पुस्तकें और यूनिफार्म की निःशुल्क आपूर्ति।
- अन्य विशिष्ट समूह जैसे लड़कियाँ और अनु0 जनजाति के बच्चों की तात्क्षणिक उपस्थिति दर्ज करना।
- पूर्व बाल्यकाल केन्द्रों की व्यवस्था द्वारा विद्यालयी शिक्षा के लिए तैयार करना।

- निर्धारित न्यूनतम आयु योग्यता से अधिक आयु (6 वर्ष के स्थान पर 8-9 वर्ष तक) के बच्चों के लिये प्रवेश की व्यवस्था। संक्रमण अवस्था की व्यवस्था के लिए यह आवश्यक है, कि विद्यालय से पहले इस व्यवस्था के अन्तर्गत विस्तृत तैयारी की जानी चाहिए।

9. केन्द्रीकृत प्रयोज्य योजनाएं विकलांगो की एकीकृत शिक्षा के प्रति राज्य सरकारों की अनुक्रियाएं बहुत साहसिक नहीं थी। मानव संसाधन विकास मन्त्रालय ने विशिष्ट समूहों के सापेक्ष अन्य के साथ प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्यों को अर्जित करने हेतु योजनाओं को लागू करने में राज्यों के कदमों में तेजी लाया।
10. वर्तमान प्म्क् योजना की आवश्यकता को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विचारों में दोहराया गया। मानव संसाधन विकास मन्त्रालय ने विचारों की योजनाओं को समान रूप से पुनःविचार करने हेतु अचानक समिति की नियुक्ति की।
11. व्यवसायिक शिक्षा के लिये इन बच्चों के लिये ़2 स्तर के सामान्य विद्यालयों में और प्ज्प् े में पूर्व-योजना बनाई जा सकती है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये जहाँ आवश्यक होगा, वहाँ सुरक्षित प्रणाली और परिमार्जित अतिरिक्त मशीनों (यन्त्रों) को उपलब्ध कराया जायेगा।
12. मनो-शैक्षिक ऑकलन हेतु उपकरणों और उपचारात्मक उपकरणों के द्वारा पहचान अधिगम समस्याएं के लिए स्पष्ट एवं अचूक होती हैं। प्रभावी रूप से शैक्षिक रूपरेखा की तैयारी के लिये उनकी आवश्यकताओं को क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित किया गया है। केवल उपकरणों का विकास ही मात्र नहीं करना चाहिये, बल्कि अन्य संगठनों को अनुवादन और क्षेत्रीय भाषाओं के अपनाने को उत्साहित करना चाहिये। छब्म्त्ज् में स्थित मनो-शैक्षिक संसाधन केन्द्र को योग्य ढंग से विकसित करना होगा। परीक्षणों की उपलब्धता प्राप्त करना, विकास को प्रोत्साहन देना और उन क्षेत्रों की पहचान की जानी चाहिए जहां नये परीक्षणों की आवश्यकता हो। इस कार्य में राष्ट्रीय विकलांग संस्थान निश्चित रूप से इसमे संलग्न है।
13. दस्तावेजों की नवीनता और सफल प्रयोगों से सम्बन्धित इन बच्चों के लिये शैक्षिक व्यवस्था छब्म्त्ज् के अधीन होनी चाहिए। छब्म्त्ज् द्वारा इन नवाचारी अभ्यासों को शैक्षिक संस्थानों में स्वयं बिखेरना (पहुँचाना) चाहिए।
14. सामान्य विद्यालयों में चालन से सम्बन्धित और अन्य प्रकार के न्यून / अल्प विकलांग बच्चों की शिक्षा हेतु शिक्षा को बढ़ाये जाने की आवश्यकता है।

विशिष्ट विद्यालयों में शिक्षा:

15. विशिष्ट विद्यालय जिला और उपजिला स्तर पर स्थापित किये जायेंगे। यह महशूस किया गया कि मिश्रित विशिष्ट विद्यालयों के साथ स्थापित कर शुरुआत हो सकती है। यह निर्णय अक्षम् बालकों की जनसंख्या के भौगोलिक विवरण पर आधारित है, दूरस्थ स्थानों पर स्थित विद्यालयों में बच्चों को भेजना माता-पिता अथवा पालकों की ईच्छा के विरुद्ध है, विशेषज्ञ कर्मचारियों का साझेदारी जैसे उपचारक और मनोवैज्ञानिक शैक्षिक प्रयासों का समर्थन करना, पूर्व-व्यवसायिक के लिये

व्यवसायिक केन्द्रों की उपयोगिता और विद्यालयों में बच्चों के लिए व्यवसायिक पाठ्यक्रम जैसे कि शिक्षा के पश्चात पुनर्वसन पाठ्यक्रमों के लिए, बहु-विकलांग बच्चों की जरूरतों हेतु सभा की बैठक और, आर्थिक व्यवहार्यता (जीवनक्षमता) सन्दर्भित है। जबकि यह महशूस किया गया था जहाँ कहीं भी किसी विशेष जिले में यदि बच्चों की संख्या में विशिष्ट अक्षमता अत्यधिक (60-70) प्रदर्शित होती है, तो अलग से विशिष्ट विद्यालयों को अन्तिम अवस्थाओं में काटकर बाहर किया जा सकता है। मिश्रित विशिष्ट विद्यालयों में बच्चों को उनकी विभिन्न विकलांगताओं के साथ विभिन्न विभागों/ समूहों/ कक्षाओं में शिक्षित करना होगा।

16. प्रत्येक जिले में जहां विशिष्ट विद्यालय स्थापित है, एक व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र या तो विद्यालय के हिस्से के रूप में अथवा इसको अनुबन्ध के रूप मे हमेशा विकसित करना होगा। यह संस्थान विशिष्ट विद्यालय के बच्चों को व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करेगा और अन्य गम्भीर विकलांग व्यक्तियों के लिए रोजगार देगा। प्रशिक्षित शिल्पी/ कारीगरों के लिए महत्वपूर्ण स्थानीय रोजगार उपलब्ध करवाये जायेंगे। पुनर्वसन परिषद से निवेदन होना चाहिये कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पहचान कर पूरे देश में रोजगार प्रदान कर पदस्थ किया जाना चाहिए।बालक और बालिकाओं के लिये अलग-अलग छात्रावास उपलब्ध होंगे, जिनमें लड़कों के छात्रावास की क्षमता 40 और लड़कियों के छात्रावास की क्षमता 20 के लगभग होगी। इन छात्रावासों में विद्यालय के समान ही विद्यार्थियों के लिये खाने-पीने के प्रबन्ध के साथ व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र के समान होंगे।

17. आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उप-जिला स्तर पर 5000 अन्य नये विशिष्ट विद्यालय खोलने के साथ ही इन विशिष्ट विद्यालयों की संख्या बढ़कर लगभग 7500 हो गई। नवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के अन्तर्गत इन विद्यालयों की संख्या बढ़कर 10000 तक हो गई।

18. विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत राज्य द्वारा या राजकीय संगठनों द्वारा अन्यथा स्वयंसेवी क्षेत्र के संगठन द्वारा की जानी चाहिये। सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान 400 विशिष्ट विद्यालय स्वयं स्थापित हो सकते थे। जिले में जो पहले विद्यालय स्थापित किये गये, वे किसी भी प्रकार से विशिष्ट विद्यालय का कार्य नहीं कर रहे थे। इस प्रकार के प्रत्येक विशिष्ट विद्यालयों में आरम्भिक दस्तावेज के अनुसार सभी श्रेणियों के न्यूनतम् 60 विकलांग बच्चे हो सकते थे।

19. यह माना गया कि प्रत्येक विशेष विद्यालय में 8-10 विशिष्ट शिक्षकों की आवश्यकता होगी, वर्तमान योजना अवधि के दौरान लगभग 3500-4000 विशिष्ट शिक्षकों की आवश्यकता होगी। अपंगता के अनुसार जिला मुख्यालय स्तर पर प्रस्तावित विशिष्ट विद्यालयों में विशिष्ट शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए त्वरित गति से कार्य करने की सलाह दी गयी। इस लक्ष्य को मानव संसाधन विकास मन्त्रालय और कल्याण मन्त्रालय के अधीन न्ळब्ए छब्म्त्ज्ए क्षेत्रीय शिक्षा के महाविद्यालयों, विकलांगता के राष्ट्रीय संस्थान और चुनिंदा विश्वविद्यालयों के विशिष्ट शिक्षा विभागों द्वारा लिया जाए। विशिष्ट विद्यालयों में इस लक्ष्य की पूर्ति के लिये पिछड़े अप्रशिक्षित शिक्षकों को अतिरिक्त प्रशिक्षण प्रदान कर शोधित (छने हुये) शिक्षकों को बढ़ाया गया। प्रशिक्षण

पाठ्यक्रम में सेवारत् राष्ट्रीय संस्थान द्वारा इसके क्षेत्रीय केन्द्रों और क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों द्वारा के सहयोग से व्यवस्थित हो सके।

20. यह देखा गया कि स्वयंसेवी संगठनों प्रशिक्षण के लिये अप्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति नहीं करते। नियुक्ति के समय प्रशिक्षित शिक्षकों को अनिश्चित अनुदान दिया जा सकता है, अथवा नियुक्ति के तीन साल तक उनको प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। अनुदान में देरी करने पर संगत रूप से व्युतक्रमानुपाती कमी हो सकती है। सेवा की गुणवत्ता प्रदान करने पर अनुदान में वृद्धि हो सकती है।

21. प्रशिक्षण के सापेक्ष, विशिष्ट शिक्षा में प्रशिक्षित शिक्षकों रखने के चरण में समूह हमेशा विचार करता है, लक्ष्य को पूरा करने हेतु इन बच्चों के साथ ज्यादातर सुनिश्चित होना चाहिए। समूह ने महशूस किया कि विकलांग बच्चों के लिए विशिष्ट शिक्षक और व्यवसायिक शिक्षकों को मूल भुगतान का 20% अतिरिक्त विशेष भुगतान करना चाहिए।

22. शिक्षकों के अतिरिक्त, 400 मनोवैज्ञानिकों और न्यूनतम् 2 चिकित्सक प्रत्येक जिले में विशिष्ट कार्य के ऑकलन और विकलांग बच्चों के पुनर्वसन के लिये आवश्यक है। यह सलाह दी गई कि परामर्शकों का विद्यमान संवर्ग, जो कुछ भी उपलब्ध प्रशिक्षणरत् सेवा में 4-6 सप्ताहों के अन्दर विकलांग बच्चों का ऑकलन हो सकता है। सामान्यतः, अभिमुखीकरण कार्यक्रम को चिकित्सकीय कर्मचारियों के लिए दो सप्ताह के अन्दर का समय लिया जा सकता है। अन्य कर्मचारियों के अतिरिक्त जैसे फिजियोथिरेपिस्ट, आक्यूपेशनल थिरेपिस्ट, स्पीच थिरेपिस्ट, की आवश्यकता होगी। न्यूनतम प्रति 400 पर एक की आवश्यकता होगी। स्वास्थ्य मन्त्रालय और और कल्याण मन्त्रालय इन व्यवसायिकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विकास के लिए समन्वयक नियुक्त कर सकते हैं। भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा समन्वित प्रयास हो सकते हैं।

23. अभिमुखीकरण प्रशिक्षण व्यवसायिक शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा और क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों के क्षेत्रीय आधार पर संगठित किया जा सकता है। वर्तमान योजना अवधि के दौरान 3000-4000 शिक्षकों को अनुकूल बनाया जायेगा। अभिमुखीकरण प्रशिक्षण दो सप्ताह की अवधि का होगा।

24. इन विद्यालयों की पाठ्यचर्या परिवर्तित होनी चाहिए। व्यक्तिगत विकलांगता के क्षेत्र में उत्पन्न हुई विशिष्ट अधिगम समस्याओं की जिम्मेवारी लेनी होगी। उदाहरण के लिये, दृष्टिहीन बच्चों की सीमाएं विज्ञान के प्रयोगों और मूक-बधिर बालकों के अध्ययन में एक से अधिक भाषाओं की आवश्यकताओं का समायोजन पाठ्यचर्या की सीमा है। जब तक इन बच्चों को पाठ्यचर्या के अवयव याद नहीं हो जाते जो कि वे कर सकते हैं, तब तक उन्हें सावधानी से अभ्यस्त कराना चाहिये। विकलांगों के राष्ट्रीय संस्थानों और छब्म्त्ज् को पाठ्यचर्या को विकसित करनी चाहिए और पाठ्यचर्या मार्गदर्शिका बनवाकर और विशिष्ट विद्यालयों के शिक्षकों को हस्तपुस्तिका उपलब्ध करवानी चाहिए।

25. गम्भीर रूप से अपंग बच्चों के लिये परीक्षा में लचीलापन होना आवश्यक है। मूल्यांकन मार्गदर्शिका और शैक्षिक ऑकलन के लिए उपकरणों को बनाया जाना चाहिए और इन विद्यालयों को उपलब्ध करवाना चाहिये। छब्म्त्ज् जो कि तकनीकि में माहिर है को ऐसे उपकरणों का विकास करना चाहिए और राष्ट्रीय संस्थान जो कि विकलांगता में महारत हासिल किये हुए हैं, इस सामग्री को उत्पन्न करने में सहयोग देना चाहिये।
26. विशिष्ट शिक्षा में तकनीकि का उपयोग सावधानी के साथ ग्रहण करना चाहिये। यह परिवर्तनों को सम्मिलित करता है, समायोजन और अनुकूलन अधिगम संसाधन केन्द्र के उपकरण और सामग्री हैं। इलेक्ट्रानिक्स विभाग, डब्म्त्क् और कल्याण मन्त्रालय विकलांगो के लिए अधिगम अवसरों में सुधार के लिए सामग्री उत्पादक के रूप में सहयोग दे सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मूक-बधिरों के अनुकूलन के लिए कम्प्यूटरों की सहायता से तथा स्क्रिप्ट्ड दूरदर्शन और वीडियो इत्यादि आवश्यकताओं को लेकर विकलांग व्यक्ति सदैव अन्य बच्चों के अवसरों का उपयोग करते हैं।
27. विद्यमान विशिष्ट विद्यालयों को (जैसे भी संभव हो सके) नामांकन वृद्धि की क्षमता और प्रभावात्मकता को बढ़ाने के लिए (800-1000 विद्यालय) होंगे। शिक्षकों के राष्ट्रीय आयोग द्वारा बनाये गये सुझावों से समूह सहमत था कि ”विशिष्ट विद्यालयों को अनुदान नियमित विद्यालयों के समान आधार पर अक्षम् बालकों को विशेष आवश्यकताओं की पर्याप्त व्यवस्था के साथ दिया जाना चाहिए।“
28. विशिष्ट विद्यालयों में विकलांगों की शिक्षा के लिए कमजोर कड़ी वर्तमान में विशिष्ट शिक्षा के संस्थानों में निरीक्षण की कमी के कारण इन्फ्रास्ट्रक्चर की अनुपस्थिति के लिए मानक में सुधार का हवाला है। कल्याण मन्त्रालय और मानव संसाधन विकास मन्त्रालय के सहयोगात्मक ढंग से इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए विशिष्ट विद्यालयों की निरीक्षण सेवाएं विकसित की गई हैं। एक निरीक्षण दस्ता भी प्रस्तावित हो सका है। जिला स्तर पर तीन कर्मचारी सदस्य जो कि विकलांगों की शिक्षा के लिये अभिमुखीकरण हो सकते हैं उन्हें निरीक्षण के द्वारा सुयोग्यता और ज्ञान उपलब्ध करवा सकते हैं। जिला पुनर्वसन केन्द्रों पर इन कर्मचारी सदस्यों को कार्य पर जोड़ सकते हैं।
29. भारतीय सामाजिक-सांस्कृतिक वातावरण में तात्क्षणिक रूप से विकलांगो की अनुसंधान शिक्षा को ले सकते हैं। NCERT, ICSSR, UGC और विकलांगों के लिए राष्ट्रीय संस्थान द्वारा अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इस क्षेत्र में अनुसंधान की कमी का एक कारण विश्वविद्यालयों का अत्यल्प ही शामिल होना और व्यक्तियों की दुलर्भता जो कि इस क्षेत्र में अनुसंधान के निरीक्षण के लिए लायी जा सकती है। अनुसंधान कार्यों का प्रशिक्षण, कोष के लिए विकास प्रारूप और राष्ट्रीय संस्थानों के प्रोत्साहन से इस कार्य की गति को बढ़ाया जायेगा।

संचालन और मूल्यांकन:

30. विकलांगों की शिक्षा से सम्बन्धित प्रदत्त आधार बहुत कमजोर है। सूचना प्रणाली के पदों की क्षमताओं को बढ़ाना होगा। सामान्य विद्यालयों के सापेक्ष विकलांगों के विशिष्ट विद्यालयों में

शिक्षा की रफ्तार के संचालन को मानव कल्याण और मानव संसाधन विकास मन्त्रालय द्वारा बढ़ाना होगा। मानव संसाधन विकास मन्त्रालय द्वारा एकीकृत सूचना प्रणाली स्थापित करनी होगी। प्रदत्तों से सम्बन्धित शिक्षण के लिए संस्थानों में विकलांगों को MHRD के सांख्यिकीय दस्तावेजों में निश्चित रूप से शामिल करना होगा। MHRD और कल्याण मन्त्रालय द्वारा विभिन्न राष्ट्रीय संस्थानों MHRD, NUEPA विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालय के विशिष्ट शिक्षा विभाग द्वारा संचालित समालोचनात्मक अध्ययन और गुणात्मक अध्ययन भी कराये गये। NCERT और राष्ट्रीय विकलांग संस्थानों द्वारा परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनो पक्षों का मूल्यांकन करने के प्रारूप का निर्माण करेंगे।

उपरोक्त प्रावधान नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NPE 1986) एवं क्रियान्वयन (POA 1992) कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तावित एव अनुशंसित किए गए थे।

10.4 राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की प्रमुख सिफारिशें

परिचय- राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (एनकेसी) 2006 से 2009 तक में आयोग के विभिन्न सदस्यों के द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्टों का संकलन है। यह आयोग डा0 सैम पित्रोदा के नेतृत्व में भारत में मौजूद ज्ञानाधार के विशाल भंडार का लाभ उठाने हेतु एक कार्ययोजना तैयार करने के प्रयोजन से प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा स्थापित किया गया था जिससे भारत के लोग 21वीं शताब्दी की चुनौतियों का सामना आत्मविश्वास के साथ कर सकें। एनकेसी के अधिदेश के केन्द्र में 5 प्रमुख क्षेत्र हैं जिनका संबन्ध सुलभता, अवधारणाओं, सृजन, प्रयोग और सेवाओं के साथ है।

इस प्रश्न की ओर ध्यान दिया गया है कि इन प्राचलों से विशेष रूप से ज्ञान की सुलभता पर ध्यान केन्द्रित करते हुए एक सुविज्ञ समाज का निर्माण कैसे किया जाए? इन 5 ध्यातव्य क्षेत्रों में विभिन्न विषयों को शामिल किया गया जो इनके साथ संबंधित हैं: शिक्षा का अधिकार, भाषाएं, अनुवाद, पुस्तकालय, राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क, पोर्टल, स्वास्थ्य सूचना नेटवर्क, स्कूली शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण, उच्चतर शिक्षा, गणित और विज्ञान में और अधिक छात्र, व्यावसायिक शिक्षा, और अधिक स्तरीय पीएच.डी., मुक्त और दूरस्थ शिक्षा, मुक्त शिक्षा संसाधन, बौद्धिक संपदा अधिकार, सरकारी वित्तपोषित अनुसंधान के लिए कानूनी रूपरेखा, राष्ट्रीय विज्ञान और सामाजिक विज्ञान प्रतिष्ठान, नवाचार, उद्यमशीलता, परंपरागत स्वास्थ्य प्रणालियां, कृषि, जीवन स्तर और ई-अभिशासन में सुधार। इनमें से अधिकांश क्षेत्रों में कार्यकारी समूहों का आयोजन किया गया जिनमें सरकार, शैक्षिक समाज, उद्योग, सिविल समाज, मीडिया तथा अन्य के क्षेत्र विशेषज्ञ शामिल थे जिससे कि इस सारी प्रक्रिया को लोकतांत्रिक, पारदर्शी और सहभागितापूर्ण बनाया जा सके। कार्यकारी समूहों से विभिन्न परामर्श करने और आयोग में चर्चा तथा वाद-विवाद के लिए एक श्वेत पत्र तैयार करने का अनुरोध किया गया था। इस प्रविधि के आधार पर आयोग के सदस्यों द्वारा बहुमत से सिफारिशों के एक अंतिम सेट को

लेकर सहमति हुई। उन तीन वर्षों के दौरान एनकेसी ने प्रधानमंत्री को भेजे गए पत्रों के रूप में 27 विषयों पर लगभग 300 सिफारिशें प्रस्तुत की।

इन सिफारिशों को राष्ट्र को प्रस्तुत की गई रिपोर्टों में, विचारगोष्ठियों, सम्मेलनों, चर्चाओं में व्यापक रूप से परिचालित किया गया है और इन्हें राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय मीडिया द्वारा कवर किया गया है। ये सिफारिशें एनकेसी वेबसाइट के माध्यम से 10 भाषाओं में उपलब्ध भी हैं। स्वयं लाभार्थियों तक पहुंचने के कार्यक्रम के अंग के रूप में इसे विश्वविद्यालयों, कालेजों, स्कूलों, सीआईआई, एफआईसीसीआई, एआईएमए तथा अन्य के सहयोग से विभिन्न सम्मेलनों और कार्यशालाओं का आयोजन किया था। सिफारिशों पर चर्चा करने और राज्य स्तर पर उनके कार्यान्वयन के बारे में एनेकेसी सदस्य विभिन्न राज्य सरकारों के साथ भी संपर्क रखते रहे हैं। अधिकांश राज्यों की प्रतिक्रिया उत्साहवर्द्धक रही है।

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने 12 जनवरी, 2007 को राष्ट्र के प्रति पहली एनकेसी रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय प्रधानमंत्री ने आग्रहपूर्वक यह कहा था कि आयोग को ‘‘अपने नवाचारी विचारों के कार्यान्वयन में सुनिश्चित करने में अवश्य सहयोजित किया जाना चाहिए’’। व्यापक और वैविध्यपूर्ण हितधारकों से सतत संवाद बनाए रखना, सिफारिशें तैयार करने तथा बाद में उनका प्रसार करने- दोनों ही अर्थों में हमारी कार्यविधि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना रहा है। हमारे समाज में विषमताओं को कम करने का अवसर देने की दृष्टि से निर्धनों और सुविधावंचितों के लिए ज्ञान, शिक्षा और नवाचार अत्यंत महत्वपूर्ण है।

विकास की प्रक्रिया में तेजी लाने तथा उत्पादकता, प्रभाविता में सुधार लाने और लागत में कमी लाने की दृष्टि से भी यह उतना ही महत्वपूर्ण है। वास्तविक जनसांख्यिकीय लाभ प्राप्त करने के प्रयोजन से हमें समुचित शिक्षा के जरिए 25 वर्ष से कम आयु के 550 मिलियन युवकों को सामर्थ्यवान बनाना है और शिक्षित करना है ताकि भावी उन्नति और समृद्धि का निर्माण किया जा सके । भारत का भाग्य उन्हीं के हाथों में है सिफारिशें तैयार करते समय एनकेसी सदस्य इस तथ्य से मार्गदर्शित हुए हैं कि भारत के आम लोगों की जिंदगी को ज्ञान कैसे प्रभावित करेगा। छात्रों के लिए उत्तम शिक्षा और नौकरियां सुलभ हों; वैज्ञानिकों के लिए प्रयोगशालाएं तथा उद्योग के लिए कुशल जनशक्ति सुलभ हो और लोग एक गुंजायमान लोकतंत्र में उत्तम अभिशासन के बीच अपने को सामर्थ्यवान महसूस करें। ये उद्गार एवं उद्देश्य राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के थे जो उन्होनें इसे प्रधानमंत्री को सौपतें समय महशूश किये थे। विशेष शिक्षा के क्षेत्र हेतु उनके द्वारा सुझाए गए एवं किये गए अनुशंसा को हम यहॉं निम्न रूपों में प्रस्तुत कर रहे हैं।य स्तरीय

शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए सुलभता सुनिश्चित करने के वास्ते हस्तक्षेपणीय उपाय

शैक्षिक दृष्टि से वंचित वर्गों को शिक्षा की और अधिक सुलभता सुनिश्चित करने के वास्ते विशेष हस्तक्षेपणीय उपाय जरूरी हैं और इस संबंध में कुछ प्रस्ताव संलग्न टिप्पणी में अधिक विस्तार से दिए गए हैं। निस्संदेह लड़कियों का अधिक नामांकन और उन्हें शिक्षा में बनाए रखना सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट उपाय जरूरी

हैं। अनुसूचित जातियों के बच्चों की शिक्षा अनिवार्यतः एक प्राथमिकता होनी चाहिए जिसके लिए दृष्टिकोण की नमनशीलता तथा भेदभाव का निवारण-दोनांे की जरूरत होगी। अनुसूचित जनजातियों के बच्चों के लिए शैक्षिक सुविधाओं की सुलभता की दृष्टि से और अधिक नमनशील तथा संवेदी स्कूली कार्यनीतियॉ आवश्यक हैं। स्कूली पाठ्चर्या तथा शिक्षाशास्त्र की विधियॉ तैयार करते समय भाषागत मुद्दों पर स्पष्टतः विचार किया जाना जरूरी है। पिछड़े क्षेत्रों, दूरस्थ स्थानों और दुष्कर मैदानों में बच्चों के लिए स्कूलों की और अधिक सुलभता सुनिश्चित करने की दृष्टि से विशेष कार्यनीतियां जरूरी हैं। मुस्लिम बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा की बेहतर सुलभता सुनिश्चित करने के निमित्त मदरसों में, जोकि इस तरह के बच्चों की एक बहुत छोटी सी संख्या की जरूरतें पूरी करते हैं सरकारी कार्यनीतियाँ अत्यधिक केन्द्रित हैंः सामान्य स्कूली प्रणाली में मुस्लिम बच्चों के लिए समर्थनकारी स्थितियाँ पैदा करने पर अधिक बल दिए जाने की जरूरत है। मौसमी प्रवासियों के बच्चों के वास्ते स्कूली शिक्षा की सतत सुलभता सुनिश्चित करने के निमित्त विशेष स्थितियां और प्रयास किए जाने जरूरी हैं। इसी प्रकार श्रमिक बच्चों को प्रोत्साहन और सेतु पाठ्यक्रमों की जरूरत है। शारीरिक दृष्टि से सुविधावंचित बच्चों और साथ ही अध्यापकों की जरूरतों को स्कूली शिक्षा के लिए प्रावधानों में और अधिक गहन रूप से विन्यस्त किया जाना चाहिए। हम यह महसूस करते हैं कि सर्वसुलभ प्रारंभिक शिक्षा के लक्ष्य की पूर्ति के अर्थों में राज्यों के बीच व्यापक विषमताएं हैं और साथ ही स्कूली शिक्षा के स्तर को लेकर भी राज्यों के बीच भिन्नता है। लेकिन हमारा यह मानना है कि ये सुझाव जिनमें केन्द्रीय और साथ ही राज्य सरकारों का सक्रिय सहयोजन जरूरी है प्रारंभिक शिक्षा की सर्वसुलभता, माध्यमिक शिक्षा की और अधिक व्यापक सुलभता और साथ ही समूची स्कूली शिक्षा की बेहतर गुणवत्ता तथा और अधिक प्रासंगिकता सुनिश्चित करने के अर्थों में किंचित उपयोगी पाए जाएंगे। इस क्षेत्र तथा पुस्तकालयों, अनुवाद, ज्ञान नेटवर्क आदि जैसे अन्य क्षेत्रों के बीच मजबूत सहक्रियाओं की स्थिति को ध्यान में रखते हुए इन सुझावों को ऐसी अन्य सिफारिशों के साथ रखकर देखा जाना चाहिए जोकि युवकों के लिए ज्ञानपरक पहलों के व्यवस्थागत के सेट एक अंग के रूप में ऐसे अन्य क्षेत्रों के मामले में पहले ही की जा चुकी हैं।

समावेशनः सभी योग्य विद्यार्थियों को शिक्षा सुलभ कराना

अधिक अवसरों की रचना के माध्यम से शिक्षा समाजिक समावेषन के लिए एक बुनियादी तंत्र है। अतः यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि किसी भी विद्यार्थी को वित्तीय कठिनाई के कारण उच्च शिक्षा पाने के अवसरों से वंचित न रहना पड़े। इसके लिए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग निम्नलिखित उपायों का प्रस्ताव करता हैः उच्च शिक्षा संस्थानों को आवश्यकता से बँधी प्रवेश नीति अपनाने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। ऐसी नीति के अंतर्गत किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश देने या न देने का निर्णय लेते समय उसकी वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखना शिक्षा संस्थान के लिए गैर-कानूनी होगा। ऋ आर्थिक रूप से कम साधन संपन्न विद्यार्थियों और ऐतिहासिक तथा सामाजिक दृष्टि से वंचित समूहों के विद्यार्थियों के लिए विस्तारित राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना होनी चाहिए और उसके लिए धन की कमी नहीं रहनी चाहिए।

सिफारिश: सभी स्तरों पर उत्तम विज्ञान शैक्षिक सामग्री की सुलभता को बढ़ावा दें

जनजातीय बच्चों की विशेष जरूरतें: प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि छः वर्ष तक की आयु तक मस्तिष्क सबसे तेज गति से विकसित होता है। इस संबंध में जनजातीय बच्चों के लिए विशेष शिक्षण सहायक सामग्री तैयार किए जाने की जरूरत है क्योंकि वे अन्य बाकी बच्चों की तरह आधुनिक प्रौद्योगिकी से परिचित नहीं हैं। वैज्ञानिक उन्नतियों से अवगत कराने के लिए अधिगम के निमित्त प्रेरण उत्पन्न किया जाना होगा। जनजातीय स्कूलों में ऐसे अध्यापक तैनात किए जाने चाहिए जोकि जनजातीय बच्चों की विशेष जरूरतों के अनुरूप शिक्षाशास्त्रीय विधियों में प्रशिक्षित हों। अध्यापकों को स्थानीय जनजातीय बोली से अच्छी तरह परिचित होना चाहिए। विज्ञान के विषयों को मिडिल स्कूल स्तर तक स्थानीय भाषा के माध्यम से पढ़ाया जाना चाहिए। तथापि अध्यापक को मूल अवधारणाएं जनजातीय बोली में समझानी चाहिए जिससे कि ठोस अवधारणात्मक समझ सुनिश्चित की जा सके। निम्न स्तरों पर मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए भी जनजातीय बोली का प्रयोग किया जा सकता है। जनजातीय बच्चों की पोषाणीय जरूरतों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। प्रवास एक ऐसी बड़ी समस्या है जोकि जनजातीय बच्चों की शिक्षा को बाधित करती है। बड़ी आयु के बच्चों के लिए छात्रावास सुविधाएं सुलभ कराई जानी चाहिए जिससे कि शिक्षा में सांतत्य सुनिश्चित किया जा सके।

10.5 राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रुपरेखा-2005

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की कार्यकारिणी ने 14 एवं 19 जुलाई, 2004 की बैठकों में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या को संशोधित करने का निर्णय लिया। यह निर्णय माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा लोकसभा में दिए गए इस वक्तव्य के अनुसरण में लिया गया कि परिषद् को इसमें संशोधन करने का अब समय आ गया है। इसी क्रम में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा सचिव ने परिषद् के निदेशक को एक पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने 1993 की **'शिक्षा बिना बोझ के'** रपट की रोशनी में विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एन.सी.एफ.एस.ई) - 2000 की समीक्षा करने की आवश्यकता व्यक्त की। इन्हीं निर्णयों के संदर्भ में प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय संचालन समिति और इक्कीस राष्ट्रीय फोकस समूहों का गठन किया गया।

इन समितियों में उच्च शिक्षा संस्थानों के प्रतिनिधि, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के अकादमिक सदस्य, स्कूलों के शिक्षक और गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि सदस्यों के रूप में शामिल हुए। देश के हर हिस्से में इस मुद्दे पर विचार-विमर्श एवं चिंतन किया गया। इसके साथ ही मैसूर, अजमेर, भुवनेश्वर, भोपाल और शिलांग में स्थित परिषद् के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों में भी क्षेत्रीय संगोष्ठियों का आयोजन किया गया।

राज्यों के सचिवों, राज्यों की शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों और परीक्षा बोर्ड के सदस्यों से विचार-विमर्श किया गया। ग्रामीण शिक्षकों से सुझाव लेने के लिए एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया

गया। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचारपत्रों में विज्ञापन दिए गए जिससे लोग नयी पाठ्यचर्या के बारे में अपनी राय दे सकें और बड़ी तादाद में लोगों की प्रतिक्रियाएँ आईं।

संशोधित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या: दस्तावेज़ का आरंभ रवीन्द्रनाथ टैगोर के निबंध ''सभ्यता और प्रगति'' के एक उद्धरण से होता है जिसमें कविगुरु हमें याद दिलाते हैं कि सृजनात्मकता और उदार आनंद बचपन की कुंजी हैं और नासमझ वयस्क संसार द्वारा उनकी विकृति का खतरा है।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एन.सी.एफ.एस.ई) - 2005 में कुल 5 अध्याय है जो निम्न प्रकार से हैः

i. परिचय
ii. सीखना और ज्ञान
iii. पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएँ और आकलन (भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला शिक्षा, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, काम और शिक्षा, शांति के लिए शिक्षा, आवास और सीखना, अध्ययन और आकलन की योजनाएँ, आकलन और मूल्यांकन)
iv. विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण
v. व्यवस्थागत सुधार

उपरोक्त मुख्य राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अलावा इक्कीस (21) राष्ट्रीय फोकस समूहों का भी गठन किया गया था। जो तीन वोल्यूम में प्रकाशित किया गया यथा- पाठ्यर्चया क्षेत्र, क्रमिक सुधार तथा राष्ट्रीय आवश्यकताएँ इसमें से एक विशेष आवश्यकता वाले बालको की शिक्षा शीर्षक से राष्ट्रीय आवश्यकताऐं वाले स्थिति पत्र में दिया गया है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों को ध्यान में रखते हुए बहुत बातें बताई गई है उनमें से प्रमुख अंशों को यहाँ उद्धत किया जा रहा हैं-

यह महत्त्वपूर्ण है कि कक्षा में सभी बच्चों के लिए समावेशी माहौल तैयार किया जा सके। विशेषकर उनके लिए जिनके हाशिए पर धकेले जाने का खतरा हो। उदाहरण के लिए, वे विद्यार्थी जिनमें कुछ असमर्थताएँ हैं। विद्यार्थियों या विद्यार्थी-समूहों को अपंग/असमर्थ/निर्योग्य शब्दों से संबोधित करने से उनमें एक प्रकार की कुंठा और असहायता की भावना घर कर जाती है। इससे उन कठिनाइयों पर परदा पड़ जाता है, जिसका सामना विद्यार्थियों को विविध सामाजिक, सांस्कृतिक वातावरण से आने के कारण या कक्षा में अपर्याप्त शिक्षण-विधि अपनाने के कारण करना पड़ता है। इन बच्चों के अधिकार भी अन्य बच्चों के ही समान होते हैं। विद्यार्थियों के बीच मतभेदों को समस्या के रूप में न देखकर शिक्षण के सहयोगी संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। शिक्षा में समावेश समाज में समावेश का ही एक घटक है।

इसीलिए स्कूलों का यह दायित्व बनता है कि वे एक ऐसी उदार पाठ्यचर्या को अपनाएँ जो सभी विद्यार्थियों के लिए सुलभ हो। यह दस्तावेज़ ऐसी पाठ्यचर्या की योजना बनाने की दिशा में आरंभ-बिंदु हो सकता है जो विद्यार्थियों या विद्यार्थी-समूहों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुकूल हो। पाठ्यचर्या में उचित चुनौती और विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त अवसर हों, ताकि वे अध्ययन में सफलता पा सकें और अपनी संभावनाओं का पूर्ण विकास कर सकें। कक्षा में शिक्षण और अध्यापन की प्रक्रिया इस प्रकार नियोजित हो कि वह विद्यार्थियों की

विविध आवश्यकताओं को पूरा कर सके। शिक्षकों को ऐसी सकारात्मक कार्यनीति अपनाने की आवश्यकता है ताकि असमर्थ समझे जाने वाले विद्यार्थियों सहित सबको शिक्षा का माहौल मिले। ऐसा सहयोगी शिक्षकों तथा स्कूल के बाहर की संस्थाओं की मदद से किया जा सकता है।

समावेशी कक्षा के शिक्षक की पाठ योजना और इकाई योजना को इस ओर इंगित करना चाहिए कि शिक्षक बच्चों की विभिन्न ज़रूरतों के अनुसार कक्षा में जारी गतिविधि को कैसे बदलता है। सीखने की असफलता को आजकल यांत्रिक तौर पर 'निदान' के माध्यम से संबोधित किया जाता है जिसका सामान्य अर्थ है पाठों को बच्चों के लिए सिर्फ दोहरा देना। अनेक शिक्षक उन समस्याओं का 'इलाज' भी ढूँढ़ रहे हैं जो कुछ बच्चे संभवतः अनुभव करते हैं। शिक्षक अभी भी बच्चों की सामर्थ्य पर आधरित अधिगम को व्यक्तिमूलक बनाने में कठिनाई महसूस करते हैं।

सभी बच्चों की भागीदारी:

i. समावेशी शिक्षा का मतलब सबको समाविष्ट करने से है।
ii. विकलांगता एक सामाजिक ज़िम्मेदारी है . इसे स्वीकार करना है।
iii. सभी विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को विद्यालय में प्रवेष को रोकने की कोई प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए।
iv. बच्चे फेल नहीं होते हैं, वे केवल स्कूल की असफलता दर्षाते हैं।
v. अन्तरों की स्वीकृति .... विविधता का उत्सव।
vi. समावेशन केवल विकलांग लोगों तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसका अर्थ किसी भी बच्चे का बहिष्कार ना होना भी है।
vii. मानवीय अधिकार सीखें और मानवीय त्रुटियों पर विजय पाएं।
viii. विकलांगता समाज द्वारा निर्मित है कृप्या इसे तोड़ें।
ix. प्रावधान करें बाधाएं न गढ़ें, बच्चों की ज़रूरतों के साथ सामंजस्य बिठाएँ
x. भौतिक, सामाजिक तथा व्यवहार संबंधी बाधाएँ दूर करें।
xi. सहभागिता हमारी शक्ति है- जैसे स्कूल-समुदाय की, स्कूल-शिक्षक की, शिक्षक-शिक्षक की, शिक्षक-बच्चों की, बच्चों-बच्चों की, शिक्षक-अभिभावक की, स्कूली तंत्र एवं अन्य तंत्रों की सहभागिता।
xii. शिक्षण के सभी अच्छे व्यवहार समावेशन के व्यवहार हैं।
xiii. साथ मिल कर पढ़ना प्रत्येक बच्चे के लिए लाभदायक है।
xiv. सहारा देने वाली सेवाएं - आवश्यक सेवाएं हैं।
xv. यदि पढ़ाना चाहते हैं तो बच्चों से सीखें। उनकी कमियों को नहीं बल्कि षक्तियों को पहचाने।
xvi. आपस में आदर भाव, परस्पर-निर्भरता बढ़ाएँ।

बच्चों के अधिकार:

बच्चों के अधिकार भारत बाल अधिकारों के समझौते का हस्ताक्षरकर्ता है। इस समझौते के तीन प्रमुख सिद्धांत हैं -भागीदारी का अधिकार, सम्मेलन या संगठन का अधिकार और सूचना का अधिकार। अगर बच्चों और युवाओं के अन्य अधिकार देने हैं, तो उस लिहाज से ये आवश्यक अधिकार है। बच्चों से सरोकार रखने वाले हर क्षेत्र में भागीदारी के आदर्श को समेकित करना चाहिए। असल में जब सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संरचनाएँ ऊँच-नीच पर आधारित हों तो वहाँ तो बच्चे और युवा किनारे कर दिए जाते हैं, उनका प्रभावशाली सहयोग इस पर निर्भर करता है कि वे स्वयं को किस स्तर तक संगठित कर पाते हैं। एक साथ आने से उनकी पहचान उभरती है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 ताकत बढ़ती है और सम्मिलित आवाज़ बनती है।

कुछ 'चुने हुए' बच्चों के माध्यम से भागीदारी को लागू करने में भेदभाव का भाव भी होता है, और अक्सर अप्रभावी होता है क्योंकि वे 'प्रतिनिधि' अपने सिवा किसी और का प्रतिनिधित्व नहीं करते; कम दिखने और बोलने वाले बच्चे इससे बाहर ही रह जाते हैं; और इसमें हेरफेर की भी गुंजाइश रहती है। दूसरी ओर, बच्चों विशेषकर वंचित बच्चों तथा युवाओं की संगठित भागीदारी बच्चों को षक्ति देती है। इससे उनकी सूचनाओं तक पहुंच बढ़ती है, उनमें आत्मविष्वास बढ़ता है, उनकी अस्मिता विकसित होती है और उनमें स्वामित्व का बोध जगता है। उन समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले बच्चे समूह के विचारों और सपनों को एक जीवंत आवाज़ देते हैं। एकजुट होने से वे अपनी समस्याओं को सुलझाने के सामूहिक तरीके भी ढूँढ़ पाते हैं। तथापि, जो सुनिष्चित किए जाने की ज़रूरत है- वह यह है कि युवाओं और बच्चों की इस सामूहिक आवाज़ के विकास में भागीदारी का सबको बराबर का अधिकार हो।

समावेशन की नीति:

समावेशन की नीति को हर स्कूल और सारी शिक्षा व्यवस्था में व्यापक रूप से लागू किए जाने की ज़रूरत है। बच्चे के जीवन के हर क्षेत्र में वह चाहे स्कूल में हो या बाहर, सभी बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित किए जाने की ज़रूरत है। स्कूलों को ऐसे केंद्र बनाए जाने की आवश्यकता है जहाँ बच्चों को जीवन की तैयारी कराई जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी बच्चों, खासकर शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ बच्चों, समाज के हाशिए पर जीने वाले बच्चों और कठिन परिस्थितियों में जीने वाले बच्चों को शिक्षा के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के सबसे ज्यादा फायदे मिलें। अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के मौके और सहपाठियों के साथ बाँटने के मौके देना बच्चों में प्रोत्साहन और जुड़ाव को पोषण देने के शक्तिशाली तरीके हैं। स्कूलों में अक्सर हम कुछ गिने-चुने बच्चों को ही बार-बार चुनते रहते हैं। इस छोटे समूह को तो ऐसे अवसरों से फायदा होता है, उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वे स्कूल में लोकप्रिय हो जाते हैं। लेकिन दूसरे बच्चे बार-बार उपेक्षित महशूस करते हैं और स्कूल में पहचाने जाने और स्वीकृति की इच्छा उनके मन में लगातार बनी रहती है।

तारीफ करने के लिए हम श्रेष्ठता और योग्यता को आधार बना सकते हैं लेकिन अवसर तो सभी बच्चों को मिलने चाहिए और सभी बच्चों की विशिष्ट क्षमताओं को भी पहचाना जाना चाहिए और उनकी तारीफ होनी

चाहिए। इसमें विशेष ज़रूरतों वाले बच्चे भी शामिल हैं, जिन्हें दिए गए काम को पूरा करने में ज्यादा समय या मदद की ज़रूरत होती है। ज्यादा अच्छा होगा अगर शिक्षक ऐसी गतिविधियों की योजना बनाते समय कक्षा में बच्चों से चर्चा करें और यह सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक बच्चा अपना योगदान दे पाए।

इसीलिए योजना बनाते समय, शिक्षकों को सभी की भागीदारी पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। यह उनके प्रभावी शिक्षक होने का सूचक बनेगा। प्रतियोगिता पर अत्यधिक बल और व्यक्तिगत सफलताएँ कई स्कूलों की पहचान बनती जा रही हैं, विशेषकर उन निजी विद्यालयों की जो मध्यम वर्ग को आकर्शित करने के लिए खुलते हैं। यहाँ जैसे ही विद्यार्थी दाखिला लेते हैं, उन्हें अलग-अलग खण्डों (हाउस) में बाँट दिया जाता है और इसके बाद स्कूल की हर गतिविधि खण्ड के अंक पर आधारित होती है और उसमें भाग लेने के आधार पर साल के अंत में पुरस्कार दिए जाते हैं। इस तरह अपने 'हाउस' के प्रति निष्ठावान बनकर विद्यार्थी उसके लिए अंक जुटाने में शामिल हो जाते हैं। लेकिन इससे उनके शैक्षिक लक्ष्य भी गडबड़ाते विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण 97 हैं क्योंकि स्पर्धा की अत्यधिक भावना किसी दूसरे से बेहतर करने के लक्ष्य को बढ़ावा देती है न कि अपने आप में श्रेष्ठ बनने और अपने संतोष के लिए कुछ करने के लक्ष्य को।

अक्सर बच्चों द्वारा अन्य बच्चों का प्रबोधन स्कूल के अंदर के सामाजिक रिश्तों को विकृत कर देता है जिससे सहपाठियों के संबंध पर प्रतिकूल असर पड़ता है और सहयोग और संवेदनशीलता के मूल्यों को क्षति पहुँचती है। शिक्षकों को इस बात पर चिंतन करने की ज़रूरत है कि वे स्कूली जीवन के हर पहलू में किस हद तक स्पर्धा की भावना को शामिल करना चाहते हैं और किस हद तक उसे फैलाना चाहते हैं - क्योंकि इससे तो वे अनुशासित और नियंत्रित करने का काम ज्यादा कर रहे हैं और अधिगम एवं रुचि को बढ़ावा देने का कम। बच्चों को शुरू में ही संकीर्ण संज्ञानात्मक आधार पर वर्गीकृत करके स्कूल उस विविधता को भी क्षति पहुँचाते हैं जो बच्चों की क्षमताओं और प्रतिभाओं में होती है।

प्रत्येक बच्चे के साथ व्यक्तिगत स्तर पर जुड़ने की बजाए बच्चों को अपने शुरुआती जीवन में ही संज्ञानात्मक पदों पर रख दिया जाता है। श्रेष्ठतम विद्यार्थी, सामान्य, सामान्य से कम स्तर के और असफल; अधिकतर मामलों में बच्चों के पास अपने पद से खुद हटने के मौके नहीं होते। ठप्पा लगाने की इस भयावह प्रक्रिया का बच्चों पर बहुत ही विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। स्कूल बेतुकी हद तक जा कर बच्चों से इन ठप्पों को आत्मसात करवाते हैं। स्कूल कुछ बच्चों को मंदबुद्धि कहते हैं, यहाँ तक कि उन्हें बिठाते भी अलग हैं और ऐसे सूचक कक्षा में लगा देते हैं जिससे बच्चों का विभाजन बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखने लगता है। सही उत्तर पता न होने का भय कई बच्चों को कक्षा में बिलकुल मौन रखता है जिससे वह भागीदारी और सीखने के समान अवसरों से वंचित रह जाते हैं।

अच्छे अंक पाने वाले सफल विद्यार्थी भी असफलता के डर से उतने ही भयभीत रहते हैं। वे असफलता के डर से नयी चीजें आजमाने की क्षमता भी खो देते हैं, उन्हें डर लगता है कि वे परीक्षा में अच्छा नहीं कर पाएंगे, उनकी अच्छी श्रेणी नहीं आ पाएगी। गलतियों को शिक्षा के आवश्यक भाग के रूप में स्वीकार किए जाने की ज़रूरत है और बच्चों के दिमाग से पूरे अंक न ला पाने के भय को निकालना चाहिए। स्कूल को अभिभावकों

के समुदाय में बहुत ही सख्त संदेश भेजने की ज़रूरत है क्योंकि वे बच्चों पर छोटी उम्र से ही निपुणता के लिए ज़ोर डालते हैं। ट्यूशन में समय बर्बाद करने एवं घर में 'आदर्श उत्तर' याद करने की जगह माता-पिता को बच्चों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि वे कहानी की किताबें पढ़ें, खेलें, एक ठीक-ठीक मात्रा में दिया गया गृहकार्य करें और चीजों को दोहराएँ।

बच्चों के लिए तनाव-प्रबंधन के कोर्स चलाने की जगह, प्रधानाध्यापकों और प्रबंधकों को पाठ्यचर्या को तनाव-मुक्त करने की और अभिभावकों को यह सुझाव देने की ज़रूरत है कि बच्चों का स्कूल के बाहर जो जीवन है उसे तनाव मुक्त करें। जो स्कूल कड़ी प्रतियोगिता की भावना पर ज़ोर देते हैं, उन्हें अच्छे उदाहरण नहीं मानना चाहिए, इसमें राजकीय स्कूल भी शामिल हैं। 'समान-विद्यालय' का आदर्श, जिसकी वकालत चार दशक पहले कोठारी आयोग ने की थी, आज भी वैध है चूँकि यह अपने संविधान में निहित भावना के अनुरूप है। स्कूल इन मूल्यों को आत्मसात करवाने में तभी सफलता प्राप्त कर सकते हैं जब वे ऐसा माहौल बना सकें जहाँ प्रत्येक बच्चा खुशी महसूस कर पाए और सुकून से जी पाए।

यह आदर्श अब और भी प्रासंगिक हो गया है क्योंकि शिक्षा का अधिकार अब एक मौलिक अधिकार बन गया है जिसका आशय है कि ऐसे लाखों बच्चों का नामांकन होगा जो प्रथम पीढ़ी के विद्यार्थी हैं। ऐसे बच्चों को स्कूलों में बनाए रखने के लिए व्यवस्था को, जिसमें निजी क्षेत्र भी शामिल हैं, यह मानना होगा कि बचपन कई तरह के हैं और उभरते हुए परिदृश्य में क्षमता, व्यक्तित्व और आकाँक्षाओं का कोई एक मानक काम नहीं कर सकता। स्कूल प्रशासकों और शिक्षकों को यह समझना चाहिए कि जब भिन्न सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और भिन्न क्षमता स्तर वाले लड़के-लड़कियाँ एक साथ पढ़ते हैं तो कक्षा का वातावरण और भी समृद्ध तथा प्रेरक हो जाता है।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के विभिन्न अध्यायों का सरांशः

अध्याय 1

i. शिक्षा की राष्ट्रीय व्यवस्था को बहुलतावादी समाज में मजबूती प्रदान करना।
ii. 'शिक्षा बिना बोझ के' की सूझ के आधार पर पाठ्यचर्या के बोझ को कम करना।
iii. पाठ्यचर्या सुधार से सुसंगत व्यवस्थागत परिवर्तन करना।
iv. संविधान में उल्लिखित मूल्यों; जैसे - सामाजिक न्याय, समता एवं धर्मनिरपेक्षता पर आधारित पाठ्यचर्या अभ्यास।
v. सभी बच्चों के लिए गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना।
vi. ऐसे नागरिक वर्ग का निर्माण जो लोकतांत्रिक व्यवहारों, मूल्यों के प्रति कटिबद्ध हो, लैंगिक न्याय के प्रति, अनुसूचित जातियों-जनजातियों और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समस्याओं एवं आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हो तथा उसमें राजनीतिक एवं आर्थिक प्रक्रियाओं में भाग लेने की क्षमता हो।

अध्याय 2

i. अध्यापन और अध्ययन संबंधी हमारी समझ का पुनःअभिमुखीकरण।
ii. विद्यार्थियों के विकास एवं अधिगम के संबंध में सर्वांगीण दृश्टिकोण।
iii. कक्षा में सभी विद्यार्थियों के लिए समावेशी वातावरण तैयार करना।
iv. स्थानीय ज्ञान एवं बच्चों के अनुभव पाठ्यपुस्तकों और अध्यापन प्रक्रियाओं के महत्त्वपूर्ण अंग हैं।
v. स्कूल बच्चों की तीव्र वृद्धि का दौर होता है, उनकी क्षमताओं, अभिरुचियों व दृश्टिकोण में काफी बदलाव आते हैं। इसलिए विषयवस्तु के चुनाव एवं व्यवस्था को तथा ज्ञान निर्माण की प्रक्रियाओं को उनके हिसाब से अनुकूलित करना चाहिए।

अध्याय 3

भाषा

i. लिखने-बोलने, सुनने एवं पढ़ने की भाषिक क्षमताएँ स्कूल के सभी विषयों और अनुसाशनों के शिक्षण से विकसित होती हैं। प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक बच्चों के ज्ञान निर्माण में उनके बुनियादी महत्त्व को समझना आवश्यक है।
ii. त्रिभाषा फॉर्मूले को पुनः लागू किए जाने की दिशा में काम किया जाना चाहिए, जिसमें बच्चों की घरेलू भाषाओं और मातृभाषाओं को शिक्षण के माध्यम के रूप में मान्यता देने की ज़रूरत है। इनमें आदिवासी भाषाएँ भी शामिल हैं।
iii. अंग्रेज़ी को अन्य भारतीय भाषाओं के बीच स्थान दिए जाने की आवश्यकता है।
iv. भारतीय समाज के बहुभाषात्मक प्रकृति को स्कूली जीवन की समृद्धि के लिए संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए।

गणित

i. गणित-शिक्षण का मुख्य लक्ष्य गणितीकरण (तार्किक ढंग से सोचने, अमूर्तनों का निर्माण करने तथा संचालित करने की योग्यताओं का विकास) होना चाहिए न कि गणित का ज्ञान (औपचारिक एवं यांत्रिक प्रक्रियाओं का ज्ञान)।
ii. तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता।

विज्ञान

i. विज्ञान की भाषा, प्रक्रिया एवं विषयवस्तु विद्यार्थी की उम्र और उसकी ज्ञान की सीमा के अनुकूल होनी चाहिए।
ii. विज्ञान शिक्षा को विद्यार्थियों को उन तरीकों एवं प्रक्रियाओं का बोध कराने में सक्षम होना चाहिए जो उनकी रचनात्मकता और जिज्ञासा को संपोषित करने वाली हों, विशेषकर पर्यावरण के संदर्भ में।
iii. पर्यावरण की चिंताओं के प्रति जागरूकता को संपूर्ण स्कूली पाठ्यचर्या में व्याप्त होना चाहिए।

सामाजिक विज्ञान

i. सामाजिक विज्ञान की विषयवस्तु में अवधारणात्मक समझ पर ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है बजाए इसके कि बच्चों के सामने परीक्षा के लिए रटने वाली सामग्री का अंबार खड़ा कर दिया जाए। इससे उनमें सामाजिक मुद्दों पर स्वतंत्र तथा आलोचनात्मक रूप से सोचने का अवसर मिलेगा।

कला-

i. कलाओं (संगीत, नृत्य, दृष्यकलाएँ, कठपुतली कला, मिट्टी की कला, नाटक आदि के लोक तथा शास्त्रीय रूपों) और धरोहर शिल्पों को पाठ्यचर्या में समेकित घटकों के रूप् में मान्यता।
ii. वैयक्तिक, सामाजिक, आर्थिक और सौंदर्यात्मक आवश्यकताओं के संदर्भ में उनकी प्रासंगिकता के बारे में माता-पिता, स्कूली अधिकारियों और प्रशासकों में जागरूकता पैदा करना।
iii. कला को स्कूली शिक्षा के हर स्तर पर शामिल किए जाने पर बल।

काम-

i. पूर्व-प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक स्कूली पाठ्यचर्या को पुनर्गठित किए जाने की आवश्यकता है जिसमें ज्ञान अर्जन, मूल्यों का विकास और बहुविध कौशलों के निर्माण के संदर्भ में काम की शिक्षाशास्त्रीय संभावनाओं को देखा जा सके।

शांति-

i. स्कूली शिक्षा के दौरान उपयुक्त गतिविधियों के माध्यम से सभी विषयों में शांति के मूल्यों का संवर्द्धन।
ii. शांति के लिए शिक्षा को शिक्षक-प्रशिक्षण का भी एक अवयव बनाया जाना चाहिए।

स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा

i. स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के माध्यम से स्कूल में नामांकन, उपस्थिति एवं ठहराव आदि की समस्या से निपटा जा सकता है।

अध्याय 4

i. शिक्षकों के प्रदर्शन को सुधारने के लिए ढाँचागत और भौतिक सामग्री की न्यूनतम उपलब्धता और दैनिक योजना को लचीला बनाना आवश्यक है।

ii. बच्चों को सीखने वालों के रूप में पहचानने वाली स्कूली संस्कृति हर बच्चे की रुचियों और उसकी संभावनाओं को और अधिक समृद्ध करती है।
iii. ऐसी विशिष्ट गतिविधियों का आयोजन जिसमें सक्षम और विभिन्न अक्षमताओं को झेल रहे बच्चे भी भाग ले सकें। यह सबके सीखने के लिए एक अनिवार्य शर्त है।
iv. लोकतांत्रिक तरीके द्वारा बच्चों में स्व-अनुशासन का विकास हमेशा ही प्रासंगिक रहा है।
v. ज्ञान की प्रक्रिया में समुदाय के लोगों को शामिल किए जाने से स्कूल और समुदाय में साझेदारी होने लगती है।स्कूल का पुस्तकालय विद्यार्थियों, शिक्षकों और समुदाय के लोगों के लिए ज्ञान को गहरा करने और विस्तृत संसार के साथ जोड़ने का कार्य करे।
vi. शिक्षा का माहौल को बनाने के लिए स्कूल सारणी की विकेंद्रीकृत योजना तथा दैनिक सारणी और शिक्षक को पेशेवर कार्यों के लिए स्वायत्तता अनिवार्य हैं।

अध्याय 5

i. व्यवस्थागत सुधार का एक प्रमुख लक्षण है, गुणवत्ता की चिंता जिसका मतलब हुआ कि संस्था में अपनी कमज़ोरियों की पहचान कर नयी क्षमताओं का विकास करते हुए खुद को सुधारने की क्षमता हो।
ii. यह वांछनीय है कि समान स्कूल व्यवस्था विकसित की जाए ताकि देश के अलग-अलग क्षेत्रों की तुलनीय गुणवत्ता भी सुनिश्चित हो सके क्योंकि जब अलग-अलग पृष्ठभूमियों के बच्चे साथ-साथ पढ़ते हैं तो इससे शिक्षण की गुणवत्ता में विकास होता है और स्कूल का माहौल समृद्ध होता है।
iii. आगामी योजना के लिए महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान की शुरुआत स्कूलों से करते हुए, संकुल तथा खण्ड स्तर पर हो। बाद में इनका समेकन करते हुए विस्तृत रूपरेखा बनाई जा सकती है। यह आगे ज़िला स्तर पर विकेन्द्रीकरण योजना नीति बनाने में मदद कर सकती है।
iv. प्रधानाध्यापक और शिक्षकों के सहयोग से सार्थक अकादमिक योजना का विकास।
v. पठन-पाठन के संदर्भ में प्रत्येक स्कूल के साथ सतत अन्तःक्रिया की जानी चाहिए ताकि गुणवत्ता का निरीक्षण किया जा सके।शिक्षक-शिक्षा का इस प्रकार पुनर्सूत्रीकरण हो कि इसमें ज्ञान निर्माण में विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी, अधिगम के साझे संदर्भ, ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया में शिक्षक उत्प्रेरक का काम करे, आदि पर बल दिया जाए। शिक्षक-शिक्षा का दृष्टिकोण बहु-अनुशासनात्मक हो, उसमें सिद्धांत और व्यवहार अंतर्भूत हों तथा इसमें आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य विकसित करने की दृष्टि से समकालीन भारतीय सामाजिक मुद्दों पर बातचीत हो।
vi. शिक्षक-शिक्षा में भाषिक दक्षता को केंद्र में रखा जाए और शिक्षक-शिक्षा का समेकित मॉडल विकसित किया जाए ताकि शिक्षकों के पेशेवरपन को मज़बूत किया जा सके।
vii. सेवाकालीन शिक्षण स्कूल में बदलाव का उत्प्रेरक हो। विषयवस्तु के परीक्षण के बदले शिक्षार्थियों की समस्या समाधान तथा समझ को जांचने की दिशा में बदलाव। इसके लिए प्रश्न -पत्र के वर्तमान स्वरूप में परिवर्तन आवश्यक है।

viii. लघु परीक्षाओं की ओर बदलाव।
ix. लचीली समय सीमा के साथ परीक्षा।
x. एक ऐसी नोडल एजेंसी की स्थापना जो प्रवेष परीक्षाओं के डिज़ाइन बनाए तथा उन्हंे संचालित कर सके।
xi. स्कूली पाठ्यचर्या में पूर्व प्राथमिक से 12वीं कक्षा तक काम-केंद्रित शिक्षा को, शिक्षा का अभिन्न अंग मान संस्थागत दर्जा दिया जाए। इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था की चुनौतियों का सामना करने के लिए व्यावसायिक शिक्षा की पुनर्रचना हो सकेगी।
xii. शिक्षकों के चुनाव और बच्चों की आवश्यकताओं तथा रुचियों की विविधता का विस्तार करने के लिए विविध पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता।
xiii. शिक्षण अनुभवों तथा विविध कक्षा अभ्यासों में साझेदारी को बढ़ावा देना ताकि नए विचार उत्पन्न हो सकें और नवाचार तथा प्रयोग को बढ़ावा मिले।

10.6 सारांश

शिक्षा, समानता और सशक्तिरण की प्रक्रिया का मूल है। भारत में ‘सभी के लिए शिक्षा‘ अभी भी एक सपना है। शिक्षा, प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार है चाहे वह सशक्त हो अथवा निःशक्त। निःशक्तजनों के शैक्षिक विकास में समावेशी शिक्षण पद्वति को आज के सबसे नवीनतम पद्वति के रूप में माना जा रहा हैं। यह उद्वेलित करने वाला है कि निःशक्त बच्चों एवं युवाओं की आधी से अधिक अबादी अपने अधिकारों एवं अवसरों से वंचित हैं तथा उपयुक्त वातावरण में पर्याप्त विद्यालयी शिक्षा नहीं प्राप्त करते हैं। भारत सरकार यह चाहती है कि सर्व शिक्षा अभियान के सहारे यह लक्ष्य 2015 तक सभी के लिए शिक्षा उपलब्ध हो सके। सर्व शिक्षा अभियान एक मिशन है जो प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण के लिए कटिब्ध है। यह योजना सभी के लिए शिक्षा पर जोर देती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) एवं क्रियान्वयन कार्यक्रम (1992): राष्ट्रीय शिक्षा नीति (छच्म् 1986) और इसके क्रियान्वयन कार्यक्रम (1992) लाया गया। यह नीति सभी बच्चों की स्थिति, जाति, धर्म, लिंग अथवा स्थान निर्धारण से परे प्रारम्भिक शिक्षा सभी तक पहुचनी चाहिए। जो गुणवता में बिना समझौता किए होगा। संसद ने 1986 के बजट सत्र के दौरान विचार-विमर्श द्वारा “राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986” को ग्रहण किया। मानव संसाधन विकास मन्त्रालय द्वारा क्रियान्वयन कार्यक्रम की नीतियों को मानसून सत्र के दौरान ही लागू करने का मंत्री ने वचन लिया। प्रतिष्ठित शिक्षाविदों, विषय-विशेषज्ञों, और केन्द्र व राज्य सरकारों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ निर्धारित कार्य बलों के साथ संलग्न थे। आवंटित विभिन्न विषयों में कुल 23 विषय सम्मिलित थे जिसमें विकलागों की शिक्षा का क्रम उपर से 6ठां है। इसमें विभिन्न प्रावधान एवं अनुशंसा किए गए जो मुख्य भाग में दिये गए है।

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (एनकेसी) 2006 से 2009 तक में आयोग के विभिन्न सदस्यों के द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्टों का संकलन है। यह आयोग डा0 सैम पित्रोदा के नेतृत्व में भारत में मौजूद ज्ञानाधार के विशाल भंडार का लाभ उठाने हेतु एक कार्ययोजना तैयार करने के प्रयोजन से प्रधानमंत्री डॉ0 मनमोहन सिंह द्वारा स्थापित किया गया था जिससे भारत के लोग 21वीं शताब्दी की चुनौतियों का सामना आत्मविश्वास के साथ कर सकें। एनकेसी के अधिदेश के केन्द्र में 5 प्रमुख क्षेत्र हैं जिनका संबन्ध सुलभता, अवधारणाओं, सृजन, प्रयोग और सेवाओं के साथ है। इसमें शिक्षा के क्षेत्र में 21वीं शताब्दी की चुनौतियों का सामना करने हेतु विद्यालयी शिक्षा में आमूल चूल सुधार हेतु अनुशंसा की गई है।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा-2005

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की कार्यकारिणी ने 14 एवं 19 जुलाई, 2004 की बैठकों में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या को संशोधित करने का निर्णय लिया। यह निर्णय माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा लोकसभा में दिए गए इस वक्तव्य के अनुसरण में लिया गया कि परिषद् को इसमें संशोधन करने का अब समय आ गया है। इन्हीं निर्णयों के संदर्भ में प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय संचालन समिति और इक्कीस राष्ट्रीय फोकस समूहों का गठन किया गया। इसमें से एक विशेष आवश्यकता वाले बालको की शिक्षा शीर्षक से राष्ट्रीय आवश्यकताऐं वाले स्थिति पत्र में दिया गया है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों को ध्यान में रखते हुए बहुत बातें बताई गई है उनमें से प्रमुख अंशों को यहाँ उद्धृत किया जा रहा है। यह महत्त्वपूर्ण है कि कक्षा में सभी बच्चों के लिए समावेशी माहौल तैयार किया जा सके। विशेषकर तब जब उनके लिए हाशिए पर धकेले जाने का खतरा हो। उदाहरण के लिए, वे विद्यार्थी जिनमें कुछ असमर्थताएँ हैं। विद्यार्थियों या विद्यार्थी-समूहों को अपंग/असमर्थ/निर्योग्य शब्दों से संबोधित करने से उनमें एक प्रकार की कुंठा और असहायता की भावना घर कर जाती है। इससे उन कठिनाइयों पर पर्दा पड़ जाता है, जिसका सामना विद्यार्थियों को विविध सामाजिक, सांस्कृतिक वातावरण से आने के कारण या कक्षा में अपर्याप्त शिक्षण-विधि अपनाने के कारण करना पड़ता है। इन बच्चों के अधिकार भी अन्य बच्चों के ही समान होते हैं। विद्यार्थियों के बीच मतभेदों को समस्या के रूप में न देखकर शिक्षण के सहयोगी संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। शिक्षा में समावेश समाज में समावेश का ही एक घटक है। इसमें मुख्य रूप से समावेशी मॉडल को अपनाने पर जोर दिया गया है।

10.7 निबंधात्मक प्रश्न

1. समावेशी शिक्षा प्रणाली क्या है, इसके बारे में लिखें ?
2. शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों के बारे में बताएँ कि वह कैसे जीवनोपयोगी हैं ?
3. समावेशन क्या है, तथा समावेशन की नीति को स्पष्ट करें ?
4. शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए सुलभता सुनिश्चित करने वाले कौन-कौन से कारक हैं, उन कारकों का उल्लेख करें ?

5. नि:शक्त बालकों की शैक्षिक आवश्यकता हेतु क्या किए जाने की आवश्यकता है और वर्तमान ऑकड़ों सहित उनकी शिक्षा की स्थिति का करें ?
6. राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की प्रमुख सिफारिशों के बारे में विस्तार से चर्चा कीजिए?
7. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के स्वरूप के बारे में विस्तार से बताइए तथा कार्यप्रणाली के बारे में लिखिये?

10.8 गतिविधियाँ

1. विशेष बालकों पर अधारित केस स्टडी तैयार करे तथा उस पर समालोचनात्मक ढंग से आई0 ई0 पी0 तैयार करे।

10.9 संदर्भ ग्रंथ

1. Reynolds, R. Seckil & Zenzen Flentcher Allain (2000), Encyclopaedia of Special Education: A Reference for the Education of the handicapped other Exceptional children's & adults, Canada-USA.
2. www.knowledgecommission.gov.in retrieve on 23.02.2013
3. www. mhrd.gov.in › Documents & Reports retrieve on 10.02.2013
4. www.ncert.nic.in/rightside/links/pdf/framework/english/nf 2005.pdf retrieve on 14.02.2013

इकाई 11 मुख्यधारा, मुख्यधारा के संघटक, मुख्यधारा का प्रभाव, एकीकरण में मुद्दे

11.1 प्रस्तावना
11.2 उद्देश्य
11.3 मुख्यधारा का अर्थ
 11.3.1 मुख्यधारा का प्रारम्भ
11.4 मुख्यधारा के संघटक
11.5 मुख्यधारा का प्रभाव
11.6 एकीकरण में मुद्दे
11.7 मुख्यधारा एवं समावेशित शिक्षा में अन्तर
11.8 सारांश
11.9 शब्दावली
11.10 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
11.11 संदर्भ ग्रंथ सूची
11.12 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री
11.13 निबंधात्मक प्रश्न

11.1 प्रस्तावना

इकाई 8 में आपने एकीकृत शिक्षा के बारे में पढ़ा तथा यह जाना कि एकीकृत शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विकलांग बच्चों को विशेष विद्यालय से निकालकर सामान्य विद्यालय में प्रवेश दिलाना है। परन्तु सामान्य विद्यालय में प्रवेश दिलाने के बावजूद भी उनका विद्यालय में पूर्ण समावेशन नहीं हो पाता था इसलिए बाद में समावेशित शिक्षा की अवधारणा आई, जिसके बारे में आप विस्तारपूर्वक इकाई 12 में पढ़ेंगे।

इस इकाई में हम मुख्यधारा (मेन्स्ट्रीमिंग) के बारे में अध्ययन करेंगे। मुख्यधारा का अर्थ एवं उद्देश्य लगभग वही है जो एकीकृत शिक्षा का है। मुख्यधारा का प्रयोग अमेरिका में होता है, जबकि एकीकृत शिक्षा का भारत एवं इंग्लैण्ड में। जंगीरा (1986) ने कहा है कि ‘‘अमेरिका में मुख्यधारा, भारत एवं इंग्लैण्ड में एकीकरण, स्कैंडिनावियन देशों (नार्वे, स्वीडेन, डेनमार्क, फिनलैण्ड तथा आइस्लैण्ड) में सामान्यीकरण, यद्यपि प्रत्यात्मक

एवं परिचालन में सूक्ष्म अंतर है परन्तु सबका सामान्य उद्देश्य है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा जहाँ तक संभव हो सामान्य विद्यालय में हो।''

11.2 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात आप:

1. मुख्यधारा का अर्थ एवं प्रारम्भ बता सकेंगे।
2. मुख्यधारा के संघटकों का वर्णन कर पायेंगे।
3. मुख्यधारा के प्रभावों की चर्चा कर पायेंगे।
4. एकीकरण में मुद्दों को जान सकेंगे।

11.3 मुख्यधारा का अर्थ

शिक्षा में मुख्यधारा से तात्पर्य है कि विकलांग बच्चों को सामान्य विद्यालय में ही शिक्षा दी जाय न कि अलग विशेष विद्यालय में।

स्टेफेन्स, ब्लैकहर्ट एण्ड मैंगिलओसिआ (1983) के अनुसार, ''मुख्यधारा का अर्थ है कि कम मात्रा में विकलांग बच्चों की शिक्षा सामान्य कक्षा में होना। यह अवधारण कम बाधित वातावरण (लीस्ट रिस्ट्रिक्ट एन्वाइरमन्ट) के समान है।''

कासेर एण्ड लाइटल (Kasser & Lytle, 2004) के अनुसार ''विकलांग व्यक्ति को सामान्य विद्यालय या सामुदायिक वातावरण में रखने की प्रक्रिया ही मुख्यधारा है। यह पद अब स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि इसका संबंध समझ में आता है कि विकलांग बच्चों को सामान्य विद्यालय में बिना उनकी आवश्यकतानुसार सहायता दिए डाल देना (डमपिंग)''।

मुख्यधारा का उपर्युक्त परिभाषा देखने के बाद हम संक्षेप में कह सकते हैं कि मुख्यधारा से तात्पर्य है विकलांग बच्चों की सामान्य विद्यालय में शिक्षा। पांडा (2003) के अनुसार यह शिक्षा कभी-कभी सामान्य विद्यालय के विशेष कक्षा में होता है। भारत में एकीकृत शिक्षा एवं अमेरिका में मुख्यधारा दोनों ही देशों में अब प्रचलित नहीं हैं, क्योंकि अब विकलांग बच्चों के लिए समावेशित शिक्षा ही ज्यादा प्रचलित है।

मुख्यधारा का अर्थ जानने के बाद अब हम चर्चा करेंगे कि इसका प्रारम्भ कैसे तथा कहाँ हुआ।

11.3.1 मुख्यधारा का प्रारम्भ

मुख्यधारा का विचार अमेरिका में सन् 1975 में बना अधिनियम 'सभी विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा' से आया था। परन्तु इसका बीज सन् 1950-60 के नागरिक अधिकार आन्दोलन के दौरान ही पड़ गया था जब अलगाव (सेग्रगैशन) को अवैध माना जाने लगा था (पांडा, 2003)।

इस अधिनियम में कहा गया है कि सभी बच्चों की शिक्षा कम बाधित वातावरण में हो अतः इस अवधारणा की शुरुआत हुई ताकि विकलांग बच्चों को विशेष विद्यालय से निकालकर सामान्य विद्यालय में डाला जाय। अर्थात उनको मुख्यधारा में लाया जाय (सामान्य विद्यालय को मुख्यधारा के रूप में माना गया)।

पांडा (2003) का कहना है कि मुख्यधारा में सभी विकलांग (विशेष) बच्चों को नहीं रखा जाता है, बल्कि कम मात्रा के विकलांग बच्चों को ही सामान्य कक्षा में शिक्षा दी जाती है। तथा यह शिक्षा सामान्य कक्षा में ना देकर सामान्य विद्यालय के अन्तर्गत विशेष कक्षा में दी जाती है।

अर्थात हम कह सकते हैं कि मुख्यधारा की शुरुआत अमेरिका में उसी समय हुई जिस समय भारत में एकीकृत शिक्षा की हुई थी। मुख्यधारा का मुख्य उद्देश्य था विकलांग बच्चों को विशेष विद्यालय से निकालकर सामान्य विद्यालय में शिक्षा देना। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि सामान्य विद्यालय में सभी विकलांग बच्चों को ना रखकर कम मात्रा में विकलांग बच्चों को ही शिक्षा दी जाती थी।

अभ्यास प्रश्न

1. 'मुख्यधारा' का प्रयोग कहाँ होता है?
   अ) भारत ब) पाकिस्तान
   स) अमेरिका द) इंग्लैण्ड
2. मुख्यधारा का प्रारम्भ सन् .... में हुआ था।
   अ) 1974 ब) 1975
   स) 1982 द) 1983
3. मुख्यधारा किससे मिलता-जुलता है?
   अ) विशेष शिक्षा से ब) सामान्य शिक्षा से
   ब) सामावेशित शिक्षा से द) एकीकृत शिक्षा से

11.4 मुख्यधारा के संघटक

मुख्यधारा का अर्थ एवं इसकी शुरुआत की चर्चा करने के बाद अब हम इसके संघटकों का अध्ययन रकेंगे। जैसा कि आप जानते होंगे कि संघटक से तात्पर्य होता है 'मुख्य तत्व'/अंग/अवयव/मुख्य घटक इत्यादि।

अर्थात मुख्यधारा के संघटक से तात्पर्य है मुख्यधारा के मुख्य तत्व कौन-कौन से हैं? इन तत्वों का ही अध्ययन इस खण्ड में विस्तारपूर्वक करेंगे।

हालहॅान एण्ड कॉफमैन (1978) ने मुख्यधारा के मुख्यतः तीन संघटक बताये हैं, जो हैं:

1. एकीकरण
2. शैक्षिक नियोजन एवं प्रोग्रामिंग
3. उत्तरदायित्यों का स्पष्टीकरण

1. **एकीकरण**: हालहॅान एवं कॉफमैन (1978) कहते हैं कि यह बहुत से लोगों का मत है कि विकलांग बच्चे को कुछ समय के लिए सामान्य कक्षा में रखना अर्थात कालिक एकीकरण, पर्याप्त नहीं है। सामान्य साथियों के साथ इनका सामाजिक एवं अनुदेशात्मक एकीकरण होना चाहिए। कॉफमैन एवं उनके सहयोगियों (1975) का मानना है कि अनुदेशात्मक एकीकरण ही मुख्यधारा का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है।
   एकीकरण के लिए विकलांग बच्चों के अनुदेशन (शिक्षण) इस प्रकार डिजाइन करनी चाहिए कि वे सामान्य साथियों के साथ क्रियाओं में भाग ले सकें। गॉटलिब एवं बार्कर (1975) ने अपने अध्ययन में पाया कि अमेरिका में जब विकलांग बच्चों को सामान्य विद्यालय में कुछ समय के लिए रखा जाता है (दिन के 30 प्रतिशत) या अधिक समय के लिए रखा जाता है (दिन के 90 प्रतिशत) है तो उसको सामान्य सहपाठियों द्वारा ज़्यादा अच्छी प्रकार से स्वीकार तभी किया जाता है जब इस प्रकार के बच्चे को दिन के आधे समय तक एकीकरण किया जाय।
2. **शैक्षिक नियोजन एवं प्रोग्रामिंग-** हालहॅान एवं कॉफमैन (1978) का कहना है कि मुख्यधारा में सम्मिलित बच्चे के शैक्षिक कार्यक्रम को सावधानवूर्पक तैयार करने की आवश्यकता है, उनको सामान्य कक्षा में सामान्य बच्चों के पाठ्यक्रम उद्देश्यों के साथ रखना पर्याप्त नहीं है।
   विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विशेष प्रयत्न द्वारा उनके लिए कार्यक्रमों की योजना बनानी चाहिए ताकि वे सामान्य कक्षा में भागीदारी का अधिकतम लाभ उठा सके। इसके लिए बच्चे तथा कक्षाध्यापक दोनों को सहयोगी कर्मचारी एवं सेवाएं प्रदान करनी चाहिए।
3. **उत्तरदायित्वों का स्पष्टीकरण**- मुख्यधारा में यह माना जाता है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा का पूरा उत्तरदायित्व सामान्य अध्यापक पर होता है, आदर्शतः; अतिरिक्त विशेष शिक्षा कर्मचारी भी सम्मिलित होते हैं। प्रायः यह कर्मचारी संसाधन अध्यापक होते हैं।

जब एक ही बच्चे के लिए सामान्य एवं विशेष अध्यापक कार्य करते हैं तो किसको कौन सा कार्य करना है इसके बारे में अस्तव्यवस्तता बनी रहती है। कॉफमैन और उनके सहयोगियों (1975) इनके भूमिका के स्पष्ट वर्णन के महत्व पर जोर देते हैं ताकि बच्चे के सम्पूर्ण आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

उपर्युक्त तीनों संघटकों का अध्ययन करने के बाद हम कह सकते हैं कि ये तीनों संघटक मुख्यधारा को प्रभावशाली रूप से सफल बनाने के लिए आवश्यक है, अर्थात एकीकरण, शैक्षिक नियोजन एवं प्रोग्रामिंग तथा उत्तरदायित्वों का स्पष्टीकरण होने पर ही एक विकलांग बच्चे का मुख्यधारा में अच्छी प्रकार से समायोजन हो पायेगा।

कुछ विद्वानों ने उपर्युक्त तीन संघटकों के अलावा मुख्यधारा के कुछ और संघटकों को बताया है, जिसमें से प्रमुख हैं:

i. पाठ्यक्रम अनुकूलन,
ii. सहयोगी अध्ययन,
iii. विद्यालय कक्ष की सुगम्यता,
iv. तकनीकियाँ,
v. प्रशासकीय सहायता, इत्यादि।

संक्षेप में हम कह सकते हैं मुख्यधारा के उपर्युक्त संघटकों से ही इसका सही प्रकार से संचालन हो सकता है, परन्तु जैसा कि कासेर एण्ड लाइटल (2004) का कहना है कि अब यह पद स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अब समावेशित शिक्षा का प्रचलन चल पड़ा है। फिर भी मुख्यधारा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसने विकलांग बच्चों को समाज से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य किया।

अभ्यास प्रश्न

4. हालहॉन एण्ड कॉफमैन ने मुख्यधारा के तीन संघटक बताये हैं।(सत्य/असत्य)
5. अनुदेशात्मक एकीकरण मुख्यधारा का संघटक नहीं है।(सत्य/असत्य)

11.5 मुख्यधारा का प्रभाव

अभी तक हमने मुख्यधारा का प्रारम्भ, अर्थ एवं इसके संघटकों के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे कि मुख्यधारा का प्रभाव क्या पड़ता है? इसके कुछ प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित हैं:

i. ओबरटी (Oberti, 1993) का कहना है कि मुख्यधारा का विकलांग बच्चों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, इससे ये बच्चे सामाजिक उत्तरदायित्व, देखभाल एवं टीम के साथ काम करना सीख जाते हैं। इनका यह भी कहना है कि इससे विकलांग बच्चों का आत्मसम्मान भी बढ़ता है।
ii. मुख्यधारा के प्रभाव से विकलांग बच्चे सामान्य बच्चों का अनुकरण करके उपयुक्त व्यवहार विकसित करते हैं, तथा इससे उनमें यह भावना विकसित होती है कि उनमें भी वे क्षमताएं हैं जिससे वे भी सामान्य बच्चों जैसे अपना कार्य कर सकते हैं।

iii. ओबरटी (Oberti, 1993) का मानना है कि एक बच्चे को सामान्य विद्यालय में दाखिला देने पर वह उन चुनौतियों का सामना करना सीख जाता है, जिसका उसे बड़ा होकर समाज में रहकर के करना पड़ता है, अतः मुख्यधारा की प्रक्रिया विकलांग बच्चों में सामाजिक तौर-तरीके विकसित करने में मदद करता है।

iv. रेन्स (Raynes, 1991) का कहना है कि मुख्यधारा में विशेष शिक्षक, सामान्य शिक्षक तथा प्रबंधक मिलकर विकलांग बच्चे के लिए एक टीम के रूप में कार्य करते हैं, जिससे इन बच्चों में शैक्षिक एवं सामाजिक दोनों कौशल विकसित होता है।

v. हलवोरेन्सन एण्ड सेलर (Halvorensen & Sailor, 1990) ने 261 वैसे साहित्यों का समीक्षा किया जिसमें विकलांग बच्चे जो मुख्यधारा में हैं तथा विकलांग बच्चे जो विशेष विद्यालय में हैं कि तुलना की गयी थी। इन्होंने यह पाया कि मुख्यधारा में रहने वाले बच्चों में अयोग्य व्यवहारों में कमी, संप्रेषण कौशल में वृद्धि, स्वतंत्र रूप से रहने का प्रमाण तथा माता-पिता के उम्मीदों के पैदा होने के प्रमाण मिले।

vi. कोर्बिन (Corbin, 1991)ने अपने अध्ययन में पाँच बच्चों को जो विशेष विद्यालय में पड़ते थे को मुख्यधारा में शिक्षा दी, इसके परिणामस्वरूप उन्होंने पाया कि मुख्यधारा में सम्मिलित किये गये बच्चों में शैक्षिक एवं सामाजिक कौशलों को सीखने में वृद्धि हुई। यह अध्ययन यह भी स्पष्ट करता है कि अध्यापक यह महसूस करते हैं कि सामान्य बच्चे अपने शैक्षिक उपलब्धियों को बनाये रखते हैं, तथा विकलांग बच्चों की आवश्यकताओं को समझते हुए उनको स्वीकार करते हैं।

vii. पियुमा (Piuma, 1989)ने अपने अध्ययन में पाया कि वैसे विकलांग बच्चे जिन्होंने विशेष विद्यालय में शिक्षा ग्रहण की है का रोजगार पाने का दर 53 प्रतिशत है जबकि जो विकलांग बच्चे मुख्यधारा में शिक्षा ग्रहण किये हैं उनके रोजगार पाने का दर 73 प्रतिशत है।

viii. वाइडेरो (Viadero, 1982)ने भी मुख्यधारा को विकलांग बच्चों के लिए प्रभावशाली मानते हुए कहा कि मुख्यधारा में शिक्षा ग्रहण करने पर इन बच्चों के परीक्षा के अंकों में वृद्धि, व्यवहारिक समस्याओं में कमी तथा सम्पूर्ण व्यक्तिगत रूप-रंग में वृद्धि होती है।

ix. फेल्टीयर (Pheltier, 1993) का मानना है कि सभी प्रकार के विद्यार्थियों के लिए सबसे उपर्युक्त स्थान ‘‘सामान्य कक्ष’’ होता है। वह दावा करते हैं कि मुख्यधारा में आने पर विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों में शैक्षिक एवं सामाजिक उपलब्धियों में वृद्धि होती है।

उपर्युक्त अध्ययनों से यह बात सिद्ध हो चुकी है कि मुख्यधारा का प्रभाव विकलांग बच्चों पर बहुत अधिक पड़ता है तथा समाज में रहने एवं खाने के लिए मुख्यधारा में दी गयी शिक्षा ही उपयोगी होती है। समाज से अलग रखकर विशेष विद्यालय में विकलांग बच्चों को शिक्षा देने पर बाद में उन्हें समाज में सामान्य लोगों के साथ रहने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जबकि मुख्यधारा में इन बच्चों का सामना प्रारम्भ से सामान्य बच्चों से होता है अतः आगे जाकर इन्हें समाज में रहने में परेशानी नहीं होती है। अतः संक्षेप में हम कह सकते हैं कि मुख्यधारा का इन बच्चों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

अभ्यास प्रश्न

6. मुख्यधारा में विशेष शिक्षक, सामान्य शिक्षक तथा प्रबंधक मिलकर एक साथ काम करते हैं।(सत्य/असत्य)
7. मुख्यधारा में शिक्षा ग्रहण करने पर विकलांग बच्चों को कोई लाभ नहीं होता है।(सत्य/असत्य)

11.6 एकीकरण में मुद्दे

अभी तक हमने मुख्यधारा का अर्थ, संघटक एवं प्रभाव की चर्चा की, अब हम इस खण्ड में देखेंगे कि एकीकरण में अर्थात विकलांग बच्चों को सामान्य विद्यालय में शामिल करने में कौन-कौन से मुद्दे आते हैं।

एकीकरण में कुछ प्रमुख मुद्दे निम्नलिखित हैं:

1. **विकलांगता का गरीबी के साथ संबंध होना**- जैसा कि हम जानते हैं कि भारत एक विकासशील देश है तथा गरीब लोगों की संख्या ज्यादा है। यहाँ पर ज्यादा विकलांग बच्चे ऐसे परिवार में होते हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। रॉव (1990) का कहना है कि ''भारत जैसे देशों में यह संभव है कि गरीबी की वजह से भी विकलांगता होती है।'' अतः गरीबी की वजह से माता-पिता अपने विकलांग बच्चे को विद्यालय भेजने में सक्षम नहीं होते हैं, जिससे ऐसे बच्चों के एकीकरण में समस्या आती है।
2. **रूढ़िवादी मनोवृत्ति**- विकलांग व्यक्तियों के प्रति सामान्य लोगों की रूढ़िवादी मनोवृत्ति (जैसे- ये लोग पापी हैं, जिसकी वजह से भगवान ने इन्हें यह दण्ड दिया है; इनके साथ रहने से हमें भी विकलांगता हो सकती है, इत्यादि) की वजह से भी इनके एकीकरण में समस्या आती है। अतः विकलांग व्यक्तियों के एकीकरण के लिए यह जरूरी है कि इस प्रकार की मनोवृत्ति को दूर करने के लिए उपाय किए जाएं।
3. **जन शिक्षा एवं प्रसार**- विकलांग व्यक्तियों के एकीकरण में लोगों का अशिक्षित होना भी एक प्रमुख मुद्दा है। विकलांग बच्चों के माता-पिता तथा विद्यालय के कर्मचारियों को ज्यादातर यह नहीं पता होता है कि इन बच्चों को सामान्य विद्यालय में दाखिला देने पर धन की भी व्यवस्था है, तथा ऐसे बच्चों के लिए सरकार ने कई योजनाए एवं अधिनियम भी बनाए हैं।
   शर्मा (2001) का कहना है कि ऐसे साक्ष्य हैं कि जो शिक्षक इन बच्चों के लिए नीतियों, अधिनियमों तथा उपलब्ध धन के बारे में जानते हैं, वे इनके एकीकरण के लिए धनात्मक सोच रखते हैं। इनका ये भी कहना है कि जिन माता-पिता को भी इसका ज्ञान होता है तो विद्यालय के कर्मचारियों पर इसका धनात्मक प्रभाव पड़ता है। अतः इन बच्चों के एकीकरण के लिए जरूरी है कि माता-पिता, विद्यालय के कर्मचारियों तथा समाज के विभिन्न लोगों की इनके अधिकारों, नीतियों, अधिनियमों इत्यादि के बारे में शिक्षा दे एवं इसका प्रसार करें।
4. **विद्यालय के कर्मचारियों के प्रशिक्षण मे कमी-** सामान्य विद्यालय के ज्यादातर कर्मचारियों को विकलांग बच्चों के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों को डिजाइन एवं इसको सामान्य विद्यालय में कैसे लागू

किया जाए, इसका प्रशिक्षण उनको नहीं होता है। मेरेड्डी एण्ड नारायण (Myreddi & Narayan, 2000) का कहना है कि भारत में ज्यादातर शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विकलांगता अध्ययन पर एक इकाई भी नहीं होती है, तथा जिस विश्वविद्यालय में विशेष शिक्षा के कुछ भाग को सम्मिलित किया गया है वहाँ शिक्षक को एकीकृत वातावरण में प्रयाप्त रूप से काम करने में प्रशिक्षित कराने में असफल होते हैं। अर्थात इन शिक्षकों को सैद्धान्तिक ज्ञान देकर छोड़ दिया जाता है, व्यवहारिक ज्ञान नहीं दिया जाता है। अतः विकलांग बच्चों के सामान्य विद्यालय में एकीकरण के लिए जरूरी है कि विद्यालय के कर्मचारियों को व्यवहारिक रूप से प्रशिक्षित किया जाए।

5. **अपर्याप्त संसाधन**- विकलांग बच्चों के सामान्य विद्यालय में एकीकरण में संसाधन भी प्रमुख भूमिका निभाते हैं, तथा इनकी कमी एकीकरण में बहुत बड़ी बाधा बनती है। जैसे- ज्यादातर विद्यालय में इस प्रकार के बच्चों की आवश्यकतानुसार वस्तुएं नहीं पायी जाती हैं, इनके लिए भवनों की सुगम्यता नहीं होती है, विशेष अध्यापक नहीं होते हैं, इत्यादि संसाधनों की कमी एकीकरण में बहुत बड़े मुद्दे हैं। अतः इनके एकीकरण के लिए इन संसाधनों का होना आवश्यक है तथा इसके लिए राज्य एवं केन्द्र सरकार मिलकर काम कर रही है।

उपर्युक्त मुद्दों के अतिरिक्त पांडा (2003) ने एकीकरण में कुछ और मुद्दों का उल्लेख किया है, जो निम्नलिखित है:

i. मनोवैज्ञानिक, मनोरंजनात्मक तथा व्यवसायिक कौशल विकसित करने के लिए सहायक व्यवस्था तथा सेवाओं को भी सामान्य विद्यालय में विकलांग बच्चों के लिए होना चाहिए।
ii. इन बच्चों के लिए अनुदेशात्मक प्रक्रिया अभी भी पुरानी/परम्परागत है, इसमें सुधार के लिए अध्यापकों को प्रशिक्षण देना चाहिए।
iii. इन बच्चों के प्रति अध्यापक एवं सामान्य बच्चों की नाकारात्मक मनोवृत्ति में परिवर्तन करने की जरूरत है।
iv. विकलांग बच्चों के एकीकरण में माता-पिता तथा समुदाय का पूर्ण रूप से भागीदारी जरूरी है, जो ज्यादातर नहीं होता है।
v. एकीकृत विद्यालयों में ज्ञानेन्द्रीय प्रोत्साहन एवं जीवन कौशल प्रशिक्षण होना चाहिए।
vi. संसाधन कक्षों की स्थापना तथा व्यवहार प्रबंधन के लिए विशेषज्ञों को भी एकीकृत विद्यालयों में होना चाहिए।
vii. बुनियादी ढ़ाचा तथा अनुदेशात्मक सामग्री भी एकीकृत विद्यालयों में होनी चाहिए।

उपर्युक्त मुद्दों का अध्ययन करने के बाद हम संक्षेप में कह सकते हैं कि विकलांग बच्चों के एकीकरण में बहुत सारी बाधाएं हैं, सरकार भी बहुत सी योजनाएं एवं अधिनियम इन बच्चों के एकीकरण के लिए बना चुकी है, परन्तु इसको लागू करना तथा इन बच्चों का एकीकरण व समावेशन करना हम अध्यापकों का काम है। एक अध्यापक की इच्छाशक्ति हो तो इन बच्चों का सही ढंग से एकीकरण हो सकता है।

अभ्यास प्रश्न

8. विकलांगता एवं गरीबी एक दूसरे से .... होते हैं।
9. विकलांग बच्चों के लिए नीतियों तथा अधिनियमों के बारे में ज्यादातर अध्यापकों को .... होता है।
10. ज्यादातर सामान्य विद्यालयों में विकलांग बच्चों के लिए पर्याप्त मात्रा में संसाधन .... नहीं होते हैं।

11.7 मुख्यधारा एवं समावेशित शिक्षा में अन्तर

पिछले खण्डों में आपने मुख्यधारा के अर्थ, संघटक, प्रभाव इत्यादि को विस्तारपूर्वक पढ़ा, अब हम इस खण्ड में पढ़ेंगे कि मुख्यधारा एवं समावेशित शिक्षा में क्या अन्तर है।

समावेशित शिक्षा के बारे में आप अगले इकाई में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे, यहाँ पर हम इसके अर्थ को संक्षेप में समझते हैं। समावेशित शिक्षा से तात्पर्य है कि एक विद्यालय के एक ही कक्ष में सभी प्रकार के बच्चों की शिक्षा, अर्थात विकलांग बच्चों एवं सामान्य बच्चों की एक साथ शिक्षा।

मुख्यधारा एवं समावेशित शिक्षा में प्रमुख अन्तर निम्नलिखित हैं:

i. मुख्यधारा में विकलांग बच्चे सामान्य विद्यालय में कुछ समय के लिए आते हैं, तथा एक अलग कक्षा में विशेष अध्यापक द्वारा शिक्षा ग्रहण करते हैं, जबकि समावेशित शिक्षा में विकलांग बच्चे पूरे समय रहते हैं तथा सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं।
ii. मुख्यधारा में विकलांग बच्चों को बिना उपयुक्त सुविधाओं के रखा जाता है, जबकि समावेशित शिक्षा में इन बच्चों के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
iii. मुख्यधारा में मुख्यतः कम मात्रा में विकलांग वाले बच्चों को शिक्षा दी जाती है, जबकि समावेशित शिक्षा सभी प्रकार के विकलांग बच्चों को शिक्षा दी जाती है।
iv. मुख्यधारा में विकलांग विद्यार्थी अपने आप को सामान्य विद्यालय के परिस्थितियों में ढ़ालता है, जबकि समावेशित शिक्षा में विद्यालय विद्यार्थी के आवश्यकतानुरूप ढ़लता है।
v. मुख्यधारा व्यक्तिगत प्रारूप पर आधारित है, जबकि समावेशित शिक्षा सामाजिक प्रारूप पर आधारित है।

अभ्यास प्रश्न

11. मुख्यधारा तथा एकीकृत शिक्षा में समानता है। (सत्य /असत्य)
12. समावेशित शिक्षा को ही मुख्यधारा कहते हैं।(सत्य /असत्य)
13. समावेशित शिक्षा में विकलांग बच्चों के लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं।(सत्य /असत्य)

11.8 सारांश

इस इकाई में आपने मुख्यधारा का अर्थ तथा उसके प्रारम्भ होने के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि मुख्यधारा का अर्थ लगभग वहीं है जो एकीकृत शिक्षा का है; एकीकृत शिक्षा भारत में कहा जाता है, जबकि मुख्यधारा पद का प्रयोग अमेरिका में होता है।

इसके बाद हमने मुख्यधारा के कुछ प्रमुख संघटकों जैसे - एकीकरण, शैक्षिक नियोजन एवं प्रोग्रामिंग, उत्तरदायित्वों का स्पष्टीकरण इत्यादि के बारे में चर्चा करते हुए मुख्यधारा के प्रभावों का भी अध्ययन किया।

इस इकाई के अंतिम खण्डों में हमने एकीकरण के कुछ प्रमुख मुद्दों की चर्चा करते हुए मुख्यधारा एवं समावेशित शिक्षा में अन्तर जाना है।

11.9 शब्दावली

1. **मुख्यधारा:** विकलांग बच्चों को सामान्य विद्यालय में शिक्षा देने की प्रक्रिया को मुख्यधारा कहते हैं।
2. **विकलांग बच्चे:** वे बच्चे जिनको किसी प्रकार की विकलांगता हो जैसे - दृष्टिबाधित बच्चे, श्रवण बाधित बच्चे, मानसिक विकलांग बच्चे इत्यादि।
3. **सामान्य विद्यालय:** वह विद्यालय जहाँ बिना विकलांगता वाले बच्चे पढ़ते हैं।
4. **विशेष विद्यालय:** वह विद्यालय जहाँ केवल विकलांग बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं।

11.10 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. अमेरिका
2. 1975
3. एकीकृत शिक्षा से
4. सत्य
5. असत्य
6. सत्य
7. असत्य
8. संबंधित
9. ज्ञान नहीं
10. उपलब्ध
11. सत्य
12. असत्य
13. असत्य

11.11 संदर्भ ग्रंथ सूची

1. पांडा, के.सी. (2003), एजुकेशन ऑफ एक्सेपशनल चिल्ड्रेन. नई दिल्ली: विकास पब्लिशिंग हाउस।
2. हालहॅान, डी.पी. एण्ड कॉफमैन, जे.एम. (1978). एक्सेपशनल चिल्ड्रेन. न्यूयार्क: प्रिंटिस हाल
3. कासेर, एस.एल. एण्ड लाइटल, आर.के. (2005). इन्क्लूसिव फिजकल एक्टीविटीः ए लाइफटाइम ऑफ ओपोरचुनिटी. कैम्पेनः ह्युमन काइनेटिक्स।
4. कॉफमैन, जे.एम. एण्ड प्याने, जे.एस. (1975). मेंटल रिटार्डेशन: इन्ट्रोडक्शन एण्ड परसनल पर्सपेक्टिव. ओहियो: चार्ल्स, ई. मेरिक
5. जंगीरा, एन.के. (1986). स्पेशल एजुकेशन सिनारिओ इन ब्रिटेन एण्ड इंडिया. गुड़गॉवः द एकाडमी प्रेस
6. स्टेफन, टी.एम. ब्लैक्हर्ट, ए.ई. एण्ड मैंग्लिओसिया (1983). टीचिंग मेन्स्ट्रम्ड स्टूडेन्ट्स. न्यूर्याकः जॉन विले एण्ड सन्स
7. गॉटलिब, जे. एवं गार्बर जे.एल. (1975). हॉलहॉन एण्ड कॉफमैन की किताब एक्सेपशनल चिल्ड्रेन में वर्णन किया गया है।
8. रॉव (1990) को शर्मा, उमेश (2005) ने अपने पेपर इन्टिग्रेटेड एजुकेशन इन इंडियाः चैलेन्जेज एण्ड प्रोस्पेक्ट्स. डिसबिलटीज स्टडीज क्वारटली जनरल में वर्णन किया है।
9. शर्मा, बी.एल. (2001). युनाइटेड नेशन्स एक्सपर्ट ग्रुप मीटिंग ऑन डिसबिलटी - सेन्सेटीव पॉलसी एण्ड प्रोग्राम मॉनिटरिंग एण्ड इवालुएशनः कन्ट्री पेपर - इंडिया. न्यूर्याकः युएनएचक्यू
10. मेरेड्डी, बी, एण्ड नारायण, जे. (2000). प्रीपेरेशन ऑफ स्पेशल एजुकेशन टीर्चस: प्रजेन्ट स्टेटस एण्ड फ्यूचर ट्रेन्ड्स. एसिया पेसफिक डिसएबिलटी रिहैबिलिटेशन जनरल.
11. पुनानी भु. एण्ड रॉवल न. (2000). विजुअल इम्पेयरमेंट हैन्डबुक. अहमदाबादः ब्लाइंड पीपुल्स एसोसिएशन.
12. ओबरटी (1993); रेन्स (1991); हलवोरेन्स एण्ड सेलर (1990); कोर्बिन (1991); पियुमा (1989); वाइडेरो (1982); फेल्टीयर (1993) को केरी, रो. सी. (1996) ने अपने प्रोजेक्ट द इफेक्ट ऑफ मेन्स्ट्रीमिंग ऑन स्पेशल एजुकेशन स्टुडेन्ट्स एट लेक रोड एलीमेन्टरी. में वर्णन किया है।

11.12 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. पुनानी, भु. एण्ड रॉवल, एन. (2000). विजुअल इम्पेयरमेंट हैंडबुक. अहमदाबादः ब्लाइंड पीपुल एसोसिएशन
2. पांडा, के.सी. (2003). एजुकेशन ऑफ एक्सेपशनल चिल्ड्रेन. नई दिल्लीः विकास पब्लिशिंग हाउस
3. हालहॅान, डी.पी. एण्ड कॉफमैन, जे.एम. (1978). एक्सेपशनल चिल्ड्रेन. न्युर्याक: प्रिंटिस हाल

11.13 निबन्धात्मक प्रश्न

1. मुख्यधारा का अर्थ बताते हुए उसके संघटकों का वर्णन करें।
2. मुख्यधारा के प्रभावों का उल्लेख करें।
3. एकीकरण में प्रमुख मुद्दों की चर्चा करें।
4. मुख्यधारा एवं समावेशित शिक्षा में अन्तर लिखें।
5. एकीकृत शिक्षा एवं मुख्यधारा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।

इकाई 12 शिक्षा में समावेशन की अवधारणा, शिक्षा में समावेशन के संघटक समावेशित शिक्षा के लाभ, समावेशित शिक्षा में मुद्दे

12.1 प्रस्तावना
12.2 उद्देश्य
12.3 शिक्षा में समावेशन की अवधारणा
12.4 समावेशित शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्त्व
12.5 समावेशित शिक्षा का दर्शन एवं सिद्धान्त
12.6 शिक्षा में समावेशन के संघटक
12.7 समावेशित शिक्षा के लाभ
12.8 समावेशित शिक्षा में मुद्दे
12.9 सारांश
12.10 शब्दावली
12.11 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
12.12 संदर्भ ग्रंथ सूची
12.13 सहायक/उपयोगी पाठ्यसामग्री
12.14 निबंधात्मक प्रश्न

12.1 प्रस्तावना

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षा का इतिहास विशेष विद्यालय से एकीकृत शिक्षा होते हुए अब समावेशित शिक्षा तक आ पहुँचा है।

शिक्षा में समावेशन से तात्पर्य है कि सभी बच्चों की शिक्षा एक साथ एक ही विद्यालय में हो, इसे दूसरे शब्दों में हम समावेशित शिक्षा भी कहते हैं।समावेशित शिक्षा के बारे में आप पहले भी पढ़ व सुन चुके होंगे। इस इकाई में हम शिक्षा में समावेशन या समावेशित शिक्षा के प्रारम्भ, अर्थ, आवश्यकता, महत्त्व एवं इसके संघटक की चर्चा करते हुए, इससे होने वाले लाभों एवं मुद्दों की भी विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे।

12.2 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात आप-

1. शिक्षा में समावेशन की अवधारणा बता सकेंगे।
2. समावेशित शिक्षा का प्रारम्भ व अर्थ बता सकेंगे।
3. समावेशित शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्त्व जान सकेंगे।
4. समावेशित शिक्षा के दर्शन एवं सिद्धान्तों को समझ सकेंगे।
5. शिक्षा में समावेशन के संघटक को बता सकेंगे।
6. समावेशित शिक्षा के लाभों की व्याख्या कर सकेंगे।
7. समावेशित शिक्षा के मुद्दों की पहचान कर सकेंगे।

12.3 शिक्षा में समावेषन की अवधारणा

शिक्षा में समावेशन की अवधारणा की शुरुवात इस आधार पर हुआ कि शिक्षा प्रत्येक बच्चे का मूल अधिकार है और प्रत्येक बच्चे की अलग विशेषताएं, रुचि, योग्यता और आवश्यकता होती है जिसका हमें सम्मान करना चाहिए। शिक्षा में समावेशन को हम सामान्य भाषा में समावेशित शिक्षा कहते हैं। चलिए हम देखते हैं कि समावेशित शिक्षा का प्रारम्भ कैसे हुआ था तथा इसका अर्थ क्या है?

समावेशित शिक्षा का प्रारम्भ

समावेशी शब्द का प्रचलन 1990 के दशक के मध्य से बढ़ा, जब जून, 1994 में सलमानका (स्पेन) में यूनेस्को द्वारा ''विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं पर विशेष विश्व सम्मेलनः सुलभता और समता'' का आयोजन हुआ।

इस सम्मेलन में 92 देशों और 25 अंतराष्ट्रीय संगठनों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन का समापन इस उद्घोषणा के साथ हुआ कि ''प्रत्येक बच्चे की चरित्रगत विशिष्टताएँ, रूचियाँ, योग्यता एवं सीखने की आवश्यकताएँ अनोखी होती हैं, अतः शिक्षा प्रणाली में इन विशिष्टताओं और आवश्यकताओं की व्यापक विविधता का ध्यान रखना चाहिए''।

इस सम्मेलन के बाद ही विभिन्न देशों ने बच्चों की आवश्यकताओं, रूचियों एवं योग्यताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन लाया, शिक्षा मे यही परिवर्तन समावेशित शिक्षा के रूप में प्रचलित हुआ।

समावेशित शिक्षा का अर्थ

सलमानका सम्मेलन (1994) के अनुसार समावेशित शिक्षा से तात्पर्य है:-

''.................... बच्चों के उनके शारीरिक, बुद्धिमता, सामाजिक, भावनात्मकता, भाषायी या कोई अन्य परिस्थितियों पर ध्यान दिये बिना विद्यालय को सभी बच्चों को दाखिला देना चाहिए। यह सम्मिलित करता है

विकलांग और प्रतिभावान बच्चे, गली के और कार्य करने वाले बच्चे, गाँव या बंजारे से बच्चे, भाषीय प्रजातीय या सांस्कृतिक अल्पसंख्यक से बच्चे तथा दूसरे अलाभांवित या अधिकारहीन क्षेत्र या समूह से बच्चे।'' **(सलमानका कथन, 1994, पैराग्राफ 3)**

मानव विकास संसाधन मंत्रालय के समावेशित शिक्षा स्कीम (2003) के अनुसार, ''समावेशित शिक्षा से तात्पर्य सभी सीखने वाले, बिना विकलांग एवं विकलांग नवयुवक पूर्व-विद्यालय प्रावधानों, विद्यालय और सामुदायिक शैक्षिक स्थानों पर उपयुक्त तंत्र एवं सहायक सुविधाओं के साथ एक साथ सीख (पढ़) सकें।''

एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि समावेशित शिक्षा से तात्पर्य केवल विकलांग बच्चों को ही कक्षा में सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देना ही नहीं है, बल्कि सभी बच्चे जो विभिन्न वर्ग एवं योग्यता के हैं को एक साथ एक ही कक्षा में शिक्षा देना समावेशित शिक्षा कहलाता है।

अभ्यास प्रश्न

1. सलमानका सम्मेलन सन् .... में हुआ था।
2. सलमानका सम्मेलन...................................द्वारा आयोजित किया गया था।

12.4 समावेशित शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्त्व

आजकल प्रत्येक जगह समावेशित शिक्षा की ही चर्चा होती है, अतः यह जानने कि जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि आखिर क्यों समावेशित शिक्षा जरूरी है? तथा इसका महत्व क्या है? इस खण्ड के अंतर्गत हम समावेशित शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्त्व की चर्चा करेंगे।

समावेशित शिक्षा क्यों?

अगर हम इस प्रश्न का उत्तर सोचें तो यही कहेंगे कि आज के बदलते परिवेश में कुछ लोगों को ज्यादा महत्त्व देना तथा कुछ लोगों को बिल्कुल अलग रखना अनैतिक कार्य है। अर्थात् कुछ बच्चों को घर के पास ही अच्छे स्कूल में पढ़ाना तथा कुछ बच्चे जिनकी आवश्यकतायें थोड़ी भिन्न हैं उनको दूर किसी विशेष स्कूल में पढ़ाना एक अनैतिक कार्य है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि समावेशित शिक्षा इसलिए आवश्यक है:-

i. क्योंकि सभी बच्चे चाहे वो कैसी भी आवश्यकता वाले हों, एक ही समाज में रहना है। अतः शुरु से ही एक साथ रखने में उनको समाज में रहने में आसानी होगी।
ii. क्योंकि सामान्य विद्यालय सभी जगह हैं, जबकि विशेष विद्यालय दूर शहरों में होते हैं, अतः एक विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को विद्यालय जाने के लिए दूर तक सफर करना पड़ता है, जो कि उस बच्चे के मूल अधिकार का हनन है।

समावेशित शिक्षा का महत्त्व

प्रत्येक राष्ट्र अपने यहाँ के सभी लोगों को साक्षर बनाने का प्रयास करता है, ताकि राष्ट्र की उन्नति हो सके। यह बात तो सिद्ध है कि जिस राष्ट्र के ज्यादातर लोग पढ़े-लिखें है, वह राष्ट्र ज्यादा उन्नति कर रहा है, तथा जिस राष्ट्र के कम लोग शिक्षित हैं, वह राष्ट्र गरीब है।

अतः समावेशित शिक्षा होने से सभी प्रकार के बच्चे अपने पास के स्कूल में जाकर पढ़ सकते हैं। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे पहले विशेष स्कूल दूर होने के कारण शिक्षा पाने से वंचित रह जाते थे वे अब समावेशित शिक्षा के आने से पास के स्कूल में ही दूसरे बच्चों के साथ अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। सभी प्रकार के बच्चों के शिक्षा ग्रहण करने पर उस राष्ट्र की साक्षरता दर बढ़ेगी तथा भविष्य में वह राष्ट्र अवश्य ही विकसित राष्ट्र बनेगा।

समावेशित शिक्षा का दूसरा महत्त्व यह कि जब एक ही स्कूल में विकलांग बच्चे एवं सामान्य बच्चे पढ़ेंगें तो उन्हें बचपन से ही एक दूसरे की कमियाँ एवं क्षमताएँ जानने का मौका मिलेगा तथा सामान्य बच्चों में विकलांग बच्चों के प्रति रुढ़िवादी विचारधारा दूर होगी वहीं विकलांग बच्चे सामान्य बच्चों के अच्छे व्यवहारों को सीख सकते हैं।

अभ्यास प्रश्न

3. विशेष शिक्षा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को हमेशा देनी चाहिए।(सत्य/असत्य)
4. समावेशित शिक्षा राष्ट्र की उन्नति के लिए आवश्यक है।(सत्य/असत्य)

12.5 समावेशित शिक्षा का दर्शन एवं सिद्धान्त

समावेशित शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्त्व जानने के बाद हम संक्षेप में चर्चा करेंगे कि समावेशित शिक्षा किस दर्शन पर आधारित है एवं इसके सिद्धान्त क्या हैं?

समावेशित शिक्षा का दर्शन

समावेशित शिक्षा का मूल दर्शन है कि 'बच्चे जो एक साथ रहकर सीखते हैं, एक साथ रहकर जीना सीखते हैं।'

समावेशित शिक्षा का दर्शन इस विश्वास पर आधारित है कि सभी व्यक्ति समान हैं तथा प्रत्येक मानव के मूल अधिकारों को सम्मान एवं महत्त्व देनी चाहिए। समावेशित शिक्षा मानवाधिकार शिक्षा को दर्शाता है।

समावेशित शिक्षा के दर्शन के अन्तर्गत स्कूल को एक समुदाय के रूप में संगठित किया जाता है जहाँ सभी बच्चे एक साथ रहना सीख जायेंगे तो भविष्य में एक साथ रहकर जीवन निर्वाह करने में कोई परेशानी नहीं होगी।

समावेशित शिक्षा का सिद्धान्त

समावेशित शिक्षा का मूल सिद्धान्त यह है कि प्रत्येक बच्चे को समान अवसर, अधिकार एवं भागीदारी मिलनी चाहिए।

इसके अतिरिक्त समावेशित शिक्षा का महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त है:-

i. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अतिरिक्त सहायता प्रदान करना।
ii. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति उत्तरदायित्व व सहयोग में सभी कार्यकर्ताओं की साझेदारी।
iii. समुदाय की भागीदारी एवं सहायता सुनिश्चित करना।
iv. विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के परिवार एवं सामाजिक वातावरण के बारे में जानकारी रखना।
v. प्रत्येक बच्चे को यह अवसर मिलना चाहिए कि वह अर्थपूर्ण चुनौतियों का सामना करे, चयन करे व जिम्मेदारी ले। दूसरों के साथ सहभागिता के साथ अर्न्तक्रिया करे व शैक्षिक प्रक्रिया की सभी विकासशील शैक्षिक व अशैक्षिक, आंतरिक व अंतैयक्त्वि गतिविधियों में भाग ले।

अभ्यास प्रश्न

5. बच्चे जो साथ रहकर सीखते हैं, एक साथ रहकर......... सीखते हैं।
6. समावेशित शिक्षा का एक सिद्धान्त यह है कि .... भागीदारी एवं सहायता सुनिश्चित करना।

12.6 शिक्षा में समावेशन के संघटक

जैसाकि आप जानते हैं संघटक से तात्पर्य होता है किसी वस्तु का मूल भाग; जैसे किसी स्कूल के संघटक की बात करें तो वे संघटक हो सकते हैं - कमरा, श्यामपट, कुर्सी, मेज, छात्र, शिक्षक इत्यादि। इस खण्ड में हम पढ़ेंगें कि शिक्षा में समावेशन या समावेशित शिक्षा के संघटक क्या हैं?

शिक्षा में समावेशन के प्रमुख संघटक निम्नलिखित हैं:

1. **उपयुक्त सहायता एवं सेवाएँ-** समावेशित शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के आवश्यकतानुसार सहायता एवं सेवाएँ होती हैं, ये सहायता बच्चों को स्वयं मिलती हैं ना कि बच्चे को सहायता के लिए कहीं जाना पड़ता है।
2. **सक्रिय भागीदारी-** समावेशित शिक्षा में सभी कार्य इस प्रकार बनाये गए होते हैं जिसमें सामान्य बच्चे एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चे सक्रिय भागीदारी निभा सकें।

3. **उद्देश्य-** समावेशित शिक्षा के उद्देश्य प्रत्येक बच्चे को सामान्य पाठ्यक्रम से ही पढ़ाना होता है, अर्थात विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कोई अलग पाठ्यक्रम नहीं होता है।
4. **बच्चों के लिए कक्षाएँ तैयार रहती हैं**- समावेशित शिक्षा में कक्षाएँ बच्चों की आवश्यकतानुसार रूपान्तरित होती हैं, जिससे बच्चे के समावेशन में आसानी हो। समावेशन के लिए बच्चों में कोई पूर्वापेक्षा की जरूरत नहीं होती है।
5. **सहयोग एवं टीम योजना-** समावेशित शिक्षा में सहयोग एवं टीम योजना एक महत्वपूर्ण संघटक है। इससे तात्पर्य है कि सामान्य अध्यापक, विशेष अध्यापक, मनोवैज्ञानिक, डॉक्टर, प्रधानाध्यापक, स्टाफ के लोग इत्यादि को मिलकर एक साथ एक टीम के रूप में कार्य करने पर ही शिक्षा में समावेशन सही रूप से होता है।

शिक्षा में समावेशन के उपर्युक्त कुछ संघटक जानने के बाद हम कह सकते हैं कि समावेशन एक प्रक्रिया है ना कि घटना, अर्थात समावेशन के लिए लगातार कार्य चलता रहता है ऐसा नहीं कि स्कूल में कोई एक कार्य हो गया तो वह स्कूल समावेशित शिक्षा के लिए हमेशा के लिए योग्य हो गया। जब दूसरा विशेष आवश्यकता वाला बच्चा उस स्कूल में दाखिला लेने आयेगा तब उस बच्चे की आवश्यकतानुसार स्कूल में दुबारा परिवर्तन करने पड़ेंगे।

अभ्यास प्रश्न

7. शिक्षा में समावेशन के संघटक नहीं हैः

   अ) उपयुक्त सहायता एवं सेवाएँ ब) सक्रिय भागीदारी

   स) सहयोग एवं टीम योजना द) विशेष शिक्षा

12.7 समावेशित शिक्षा के लाभ

समावेशित शिक्षा का अर्थ, महत्त्व, आवश्यकता, सिद्धान्त एवं संघटक जानने के बाद अब हम इसके लाभों के बारे में अध्ययन करेंगे। समावेशित शिक्षा जो आज इतना प्रचलित शब्द है, इसके क्या लाभ हैं, तथा इससे लाभांवित होने वाले कौन लोग हैं?

समावेशित शिक्षा से मुख्यतः चार लोग प्रभावित होते हैं, वे हैं:-

i. विशेष आवश्यकता वाले बच्चे
ii. सामान्य बच्चे
iii. सामान्य शिक्षक
iv. माता-पिता

अतः हम इन्हीं चारों को समावेशित शिक्षा से होने वाले लाभों के बारे में चर्चा करेंगे।

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए लाभ

- जब एक विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी को सामान्य विद्यालय के कक्षा में रखा जाता है तो, उस विद्यार्थी को अपने प्रति बहुत सारे साकारात्मक बातें आती हैं। विशिष्ट रूप से यह परम्परागत विशेष शिक्षा के कक्षा के वातावरण की तुलना में ज्यादा प्रेरक वातावरण प्रदान करता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए यह वातावरण प्रायः सीखने एवं विकास करने में अग्रीण भूमिका निभाता है।
(रेशलन फॉर एण्ड बेनफिट्स आफ इन्क्लूशन, 2004)
- शोध बताते हैं कि विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी जिनको समावेशित शिक्षा में रखा गया है। वे अनुदेशात्मक समय में ज्यादा व्यस्त रहते हैं, और शैक्षिक क्रियाओं में ज्यादा प्रदर्शन कर पाते हैं। (सेलेन्ड, 2001)
- विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थीयों को नये दोस्त बनाने एवं अपने अनुभवों को बाँटने का मौका मिलता है, जो कि विशेष विद्यालय में नहीं हो पाता है।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चे अपने उम्र के बच्चों के साथ दोस्ती विकसित करते हैं, जो विद्यालय में और विद्यालय के बाहर समुदाय में उनके साथी समूह द्वारा स्वीकृति करने में अग्रसर भूमिका निभाता है।
- समावेशित शिक्षा में आकर विशेष आवश्यकता वाले बच्चे अपने आप को व्यक्ति के रूप में ज्यादा अभिज्ञ रखते हैं, तथा लेबलिंग (वर्गीकरण) की चिंता कम हो जाती है।
- समावेशित शिक्षा से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान बढ़ता है। जब वे सामान्य विद्यार्थी एवं शिक्षक से संपर्क स्थापित करना शुरु करते हैं तो वे अपने आप को योग्य महसूस करना शुरु कर देते हैं।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चे अपने आप को ऐसे व्यक्ति के रूप में देखने लगते हैं, जो अपने अनुभवों को अपने दोस्तों के साथ बाँट कर आनन्द प्राप्त करता है। जबकि यही अनुभव उसे विशेष विद्यालय में अच्छे नहीं लगते थे।
- शोध यह भी दर्शाते हैं कि समावेशित शिक्षा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के मानक टेस्ट स्कोर, पढ़ने की क्षमता और ग्रेड को बढ़ाता है।(सेलेन्ड, 2001)
- समावेशित शिक्षा में रहकर विशेष आवश्यकता वाले बच्चे संप्रेषण कौशल एवं सामाजिक योग्यता सीखते हैं।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में अवांछित व्यवहार कम होते हैं, तथा सामाजिक वांछनिय व्यवहार विकसित होते हैं।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चे नये अविष्कारों, तकनीकियों और सामान्य ज्ञान से अवगत होते हैं।

- जीवन में आगे क्या करना है, कौन सी नौकरी करनी है, इत्यादि बातें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे सामान्य बच्चों से चर्चा करके निश्चित कर सकते हैं।

सामान्य बच्चों के लिए लाभ:

- समावेशित शिक्षा के कारण सामान्य बच्चों को विभिन्न प्रकार के बच्चों से मिलने व उनको स्वीकार करने की आदत बचपन से पड़ जाता है। सामान्य बच्चे व्यक्तिगत विभिन्नता, तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की आवश्यकतायें एवं उनसे किस प्रकार व्यवहार किया जाय समझने लगते हैं।
(सेलेन्ड, 2001)
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के सम्पर्क में आने से सामान्य बच्चे यह सीख जाते हैं कि बौधिक, शारीरिक एवं भावानात्मक अंतर सभी के जीवन का एक भाग है। जिससे उन्हें भविष्य में ऐसे लोगों से सम्पर्क बनाने में आसानी होगी।(वूड, 1993)
- समावेशित शिक्षा में सामान्य विद्यार्थी समाज की विविधताओं को कक्षा में एक छोटे पैमाने पर देखने लगते हैं, जिससे भविष्य में समाज में ऐसे लोगों की सहन एवं सम्मान करने का अनुभव हो जाता है। (बेनफिट्स ऑफ इन्क्लूसिव क्लासरूम फॉर ऑल, 1999)
- सामान्य बच्चे अपने विशेष आवश्यकता वाले सहपाठी को अच्छी तरह जान-पहचान जाते हैं, जिससे उनके मन में ऐसे बच्चों के प्रति बना डर व भ्रम टूट जाता है तथा वे ऐसे बच्चों का धीरे-धीरे सम्मान करने लगते हैं।
- सामान्य बच्चे अपने विशेष आवश्यकता वाले सहपाठी के कमियों की तरफ संवेदना विकसित करना शुरु कर देते हैं, और इनकी तरफ सहानुभूति रखने वाले कौशल विकसित करते हैं। ये दोनो कौशल सामान्य बच्चे के भावी जीवन में हर पग पर काम आते हैं।
- समावेशित शिक्षा में सामान्य विद्यार्थी कुछ महत्वपूर्ण कौशलों को सीखते हैं जो कि उनके व्यवस्क जीवन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, ये कौशल हैं:-
  नेतृत्व, एक दूसरे की सहायता करना एवं पढ़ाने की योग्यता, परामर्शदाता, सिखाना, अधिकारिता तथा स्वाभीमान को बढ़ाना। (बेनेफिट्स ऑफ इन्क्लूसिव क्लासरुम फॉर आल, 1999)
- समावेशित शिक्षा में सामान्य बच्चों को अक्सर शिक्षक की भूमिका अदा करने का अवसर मिलता है, ताकि अपने विशेष आवश्यकता वाले सहपाठी को पढ़ा सके तथा सहायता कर सके। इससे सामान्य बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ता है जो उसके खुद के लिए बहुत लाभदायक है।
- सामान्य बच्चे अपने विशेष आवश्यकता वाले सहपाठी के साथ रहने के अनुभव के आधार पर समाज एवं स्कूल के बीच संपर्क स्थापित करने में मदद कर सकते हैं।

- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के उत्तरदायित्व को संभालते हुए सामान्य बच्चे व्यवस्क होकर समाज के उत्तरदायित्वों को संभालने में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं।
- समावेशित शिक्षा के सामान्य बच्चों में सकारात्मक सोच, अनुकरणीय व्यवहार, स्वीकृति, धैर्य, सहन एवं मित्रता आदि कौशलों का विकास होता है। (रेशनल फॉर एण्ड बेनिफिट्स ऑफ इन्क्लूसन, 2004)

सामान्य शिक्षक के लिए लाभ:

समावेशित शिक्षा से सामान्य शिक्षक यह स्वीकार करने लगते हैं कि सभी विद्यार्थीयों में कुछ ना कुछ गुण होता है और यह गुण मिलकर एक अच्छे कक्षा के निर्माण में सहायक होता है, तथा शिक्षक को कक्षा प्रबन्ध में आसानी होती है। (बेनिफिट्स ऑफ इन्क्लूसिव क्लासरूम फॉर आल, 1999)

i. समावेशित शिक्षा से सामान्य शिक्षकों में यह जानकारी उत्पन्न होती है कि व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है, तथा कैसे अलग-अलग लोगों से अलग-अलग व्यवहार, करके एक अच्छा कक्षीय वातावरण बनाये।

ii. समावेशित शिक्षा के कारण सामान्य शिक्षक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए नये शैक्षिक तकनीक सीखता है, जो उसके कक्षा के सभी विद्यार्थियों के लिए लाभदायक होता है।

iii. समावेशित शिक्षा में विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए परम्परागत शैक्षिक प्रणालियों (जैसे व्याख्यान विधि, नोट लिखना) का प्रयोग उपयुक्त नहीं होता है, अतः सामान्य शिक्षक अपने पराम्परागत शैक्षिक प्रणाली को छोड़कर रचनात्मक तथा नये शैक्षिक प्रणाली से अपने कक्षा में पढ़ाता है, जिससे उसके कक्षा के सभी विद्यार्थी रुचिपूर्वक शिक्षा ग्रहण करते हैं।

iv. समावेशित शिक्षा सामान्य शिक्षक को सामूहिक कार्य कौशल विकसित करने का मौका देती है। (बेनेफिट्स ऑफ इन्क्लूसिव क्लासरूम फॉर आल, 1999)

v. सामान्य शिक्षक समावेशित शिक्षा के कारण विभिन्न प्रकार के प्रफेशनल (व्यवसायी) जैसे - मनोवैज्ञानिक, विशेष शिक्षक आदि से मिलता है, जिससे उसके ज्ञान में भी वृद्धि होती है।

vi. सामान्य शिक्षक जो समावेशित शिक्षा अथवा समावेशित स्कूल में कार्य करते हैं उनमें समस्या समाधान कौशल, समस्या को अलग तरह से सोचने की तथा मनोबल बढ़ाने की कौशल का होना पाया जाता है। (बेनेफिट्स ऑफ इन्क्लूसिव क्लासरूम फॉर आल, 1999)

vii. सामान्य शिक्षक को प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुदेशन का महत्त्व समावेशित शिक्षा में रहकर पता चलता है।

viii. समोवशित शिक्षा में कार्य करने वाला शिक्षक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की आवश्यकता को समझकर उसे अपने दूसरे साथियों के साथ बाँटता है जिससे ऐसे बच्चों के प्रति फैली गलत धारणाएं कम हो जाती हैं।

ix. सामान्य शिक्षक विभिन्न प्रकार के विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के सम्पर्क में रहता है, जिसका प्रभाव समाज पर भी पढ़ता है। समाज में भी वह किसी के साथ आसानी पूर्वक रह सकता है।

माता-पिता के लिए लाभ

i. माता-पिता अपने विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को घर के पास के स्कूल में दाखिला मिलने से उनसे हमेशा सम्पर्क में रहते हैं जिससे उन्हें खुशी का अनुभव होता है, जो विशेष शिक्षा के अन्तर्गत नहीं होता था।
(फोरेस्ट, एम. एण्ड पेयरप्वांट, जे., 2004)

ii. सभी माता-पिता की इच्छा होती है कि उसके बच्चे को उसके मित्र समूह द्वारा स्वीकार किया जाय। समावेशित कक्षा में अपने बच्चे को इस प्रकार देखकर उन्हें सपने पूरे होने जैसा लगता है।

iii. जब विशेष आवश्यकता वाले बच्चे सामान्य जीवन व्यतित करने लगते हैं तो उनके माता-पिता अपना ध्यान दूसरे कामों में भी लगा लेते हैं, तथा समावेशित शिक्षा के कारण उन्हें यह अहसास होने लगता है कि उनका बच्चा भी सामान्य बच्चों जैसा ही है।

iv. समावेशित शिक्षा की वजह से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के माता-पिता में अपने बच्चों के अधिकारों को समझने में आसानी होती है।

v. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए दिये जा रहे सुविधाओं का भी ज्ञान माता-पिता को समावेशित शिक्षा के द्वारा होता है।

vi. समावेशित कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए विभिन्न उपकरणों को देखकर माता-पिता कुछ उपकरण खरीद कर घर पर भी लाते हैं, जिससे उन्हें अपने बच्चे से अच्छी तरह सम्पर्क स्थापित करने में सहायता मिलती है।

vii. समावेशित शिक्षा में अपने बच्चे के उम्र के दूसरे सामान्य बच्चे की शारीरिक, बुद्धिमता इत्यादि देखकर अपने बच्चे में कहाँ कमी है, ये बात माता-पिता आसानी से समझ जाते हैं, तथा उसको दूर करने का प्रयास करते हैं।

viii. विद्यालय में जब शिक्षक और माता-पिता के बीच मीटिंग होती है तब उस समय विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के माता-पिता उसी कक्षा के सामान्य बच्चे के माता-पिता से मिलकर उसके द्वारा बच्चे के विकास के लिए किये गये कार्यों को समझकर अपने विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के साथ भी वैसा करने का प्रयास कर सकते हैं ताकि उसमें भी वैसे ही विकास हो जैसे सामान्य बच्चे में है।

अभ्यास प्रश्न

8. समावेशित शिक्षा से लाभांवित नही होते हैं:
   - अ. सामान्य बच्चे ब. विशेष आवश्यकता वाले बच्चे
   - स. शिक्षक द. इनमें से कोई नहीं
9. समावेशित शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे सामान्य बच्चों के साथ
   - अ. लड़ते हैं ब. मिलते नहीं है
   - स. मित्र बनाते हैं द. बात नहीं करते हैं
10. समावेशित शिक्षा में सामान्य शिक्षक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को
   - अ. हमेशा डाँटता है ब. अलग रखता है
   - ब. ध्यान नहीं देता है द. सामान्य बच्चों के साथ मिलाकर रखता है।

12.8 समावेशित शिक्षा में मुद्दे

'मुद्दे' एक ऐसा शब्द है, जिससे आप सभी लोग परिचित होंगे। रोजमर्रा के जीवन में भी यह शब्द आता रहता है, जैसे देश के मुद्दे, राज्य के मुद्दे, स्कूल में मुद्दे इत्यादि। अर्थात् अगर हर जगह मुद्दे व्याप्त है तो फिर समावेशित शिक्षा इससे कैसे अछूता रह सकता है।

अतः इस खण्ड में हम समावेशित शिक्षा में कुछ प्रमुख मुद्दों की चर्चा करेंगे, जो है:-

- समाज से संबंधित मुद्दे
- वित्तिय संबंधी मुद्दे
- शिक्षा नीति संबंधी मुद्दे
- उपलब्धता एवं सुगम्यता संबंधी मुद्दे
- अध्यापक शिक्षा से संबंधित मुद्दे
- शोध से संबंधित मुद्दे

i. समाज से संबंधित मुद्दे

समावेशित शिक्षा में सबसे प्रमुख मुद्दा है समाज के लोगों की नकारात्मक मनोवृत्ति। नकारात्मक मनोवृत्ति जो कि समाज के सांस्कृतिक धारणा में गहराई तक समाहित है, उसको परिवर्तित करना एक मुश्किल कार्य है।

अभी भी समाज के लोगों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों या विकलांग बच्चों के प्रति गलत धारणा बनी हुई जो समावेशित शिक्षा के लिए बहुत बड़ा अवरोध है। इसको परिवर्तित किये बिना समावेशित शिक्षा सफलतापूर्वक नहीं चल सकता है। मनोवृत्ति विश्वास पर आधारित होता है, इनको बदला तभी जा सकता है जब कोई नयी सूचना समाज के लोगों को बताया जाय; जैसे- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों एवं सामान्य बच्चों के समावेशित शिक्षा में सफलता की कहानी। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के कुछ माता-पिता अपने बच्चों को समावेशित शिक्षा में दाखिला करने से डरते हैं कि वहाँ पर उनके बच्चे का सही ढंग से देखभाल नहीं होगा। उनका मानना है कि विशेष स्कूल ही उनके बच्चों के लिए ठीक है।

समाज में व्याप्त यही सब मुद्दे समावेशित शिक्षा के सफल संचालन में बाधा हैं, अतः इनको दूर करना अति आवश्यक है।

ii. वित्तिय संबंधी मुद्दे

उपलब्ध संसाधनों के अलावा सभी देश विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तिय मुद्दों को लेकर ज्यादा चिंतित हैं। परन्तु फिर भी इस क्षेत्र में वित्तिय संबंधी समस्या है।

सामान्य स्कूलों को समावेशित स्कूल बनाने में ज्यादा पैसे की जरूरत है, मगर विकासशील देशों में या गरीब देशों में पैसे की कमीं होने के कारण समावेशित शिक्षा लाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

थॉमस (2005) का कहना है कि भारत में समावेशित शिक्षा को कार्यान्वित करने के लिए वास्तव में पर्याप्त संसाधन एवं धन है। उनका कहना है कि यह इस प्रकार हो सकता है कि जो आवश्यक सुविधाएं कुछ विशेष विद्यालय प्रदान कर रहे हैं तथा जो धन इन पर खर्च हो रहे हैं, उनको फैलाया जाय।

समावेशित शिक्षा के सफल संचालन के लिए पर्याप्त मात्रा में धन एवं उसका सही ढंग से उपयोग होना जरूरी है। भारत में प्रत्येक बजट में शिक्षा के लिए धन का प्रावधान होता है, मगर इसका सही ढंग से उपयोग करना अभी भी सरकार के लिए समस्या बनी हुई है, जिससे समावेशित शिक्षा प्रभावित होती है।

iii. शिक्षा नीति संबंधी मुद्दे

भारत में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए नीतियाँ है मगर इन नीतियों को कार्यान्वित करने में कई समस्यायें आती हैं, जैसे - प्रशासनिक संरचना, समावेशित शिक्षा नीति आदि। इनका हम संक्षेप में चर्चा करेंगे।

- प्रशासनिक संरचना- भारत में सन् 1976 से शिक्षा संयुक्त रूप से केन्द्र और राज्य की जिम्मेदारी है। केन्द्र नीतियों की रूपरेखा एवं वित्तिय सहायता देता है, जबकि राज्य अपने नीतियों को संगठित, संरचित एवं कार्यान्वित करता है। विभिन्न सांस्कृतिक विभिन्नताओं के कारण केन्द्र सरकार के नितियों के लिए यह असम्भव हो जाता है कि वे प्रत्येक राज्य तक पहुँचे क्योंकि प्रत्येक राज्य ऐसी नीतियों को अपने तरह से प्रस्तुत करता है। केन्द्र सरकार यह मानता है कि, ''राष्ट्रीय योजनाओं में एक प्रमुख चुनौती है कि राज्य के वरीयता के साथ राष्ट्रीय योजना फ्रेम का सामन्जस्य स्थापित करना।'' (जी. ओ. आइ. 200)

  एक अतिरिक्त नौकरशाही तनाव, जो सामानांतर व्यवस्था उत्पन्न करता है वह है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेष स्कूल खराब प्रदर्शन करने वाले (जी.ओ.आई 2005: 146-7) सामाजिक न्याय एवं

  अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जबकि बाकी सामान्य स्कूल मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के अन्तर्गत आते हैं।

  प्रत्येक विभाग समावेशित शिक्षा घटक के साथ अपने शैक्षिक कार्यक्रमों की देखभाल करता है, अतः बच्चे कई सारे विभागों में फैले होते हैं, तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय मिलकर काम नहीं करते हैं। इसके परिणामस्वरूप कार्यों में समानता की कमीं, खराब गुण एवं प्रतिलिपिकरण होता है। (सिंगल, 2005)

- समावेशित शिक्षा नीति- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अथवा विकलांग बच्चों को समावेशित शिक्षा में भेजने का सुझाव सर्वप्रथम् सन् 1944 में सार्जेन्ट रिर्पोट ने दिया, फिर दुबारा सन् 1964 कोठारी कमीशन द्वारा दिया गया, बावजूद इसके अभी तक इस क्षेत्र में ज्यादा उन्नति नहीं हुई है।(जुलका, 2005)

  भारत सरकार द्वारा बीस साल पहले ही विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए एक्ट पारित किया जा चुका है, परन्तु अभी भी समावेशन में अवरोध बने समाज के लोगों की मनोवृत्ति को परिवर्तित नहीं कर पाये हैं। उदाहरण के तौर पर सन 1993 में सभी के लिए शिक्षा पर दिल्ली घोषणा में वादा किया गया था कि प्रत्येक बच्चे की क्षमता के अनुसार उनको स्कूल में या उपयुक्त शैक्षिक प्रोग्राम में शिक्षा दी जायेगी। (मुखोपाध्याय एण्ड मनी, 2002: 96)

  समावेशित शिक्षा को प्रोत्साहित करने के स्थान पर सरकारी दस्तावेज का मुख्य ध्यान विकलांग बच्चों को शिक्षा व्यवस्था में दाखिला दिलाना है....... भले ही पूर्ण रूप से समावेशन हो अथवा नहीं। (सिंगल, 2005)

iv. उपलब्धता एवं सुगमता संबंधी मुद्दे

उपलब्धता एवं सुगमता से तात्पर्य है स्कूल के भवन एवं पाठ्यक्रम। इन्हीं की चर्चा हम इस खण्ड में करेंगे।

a. स्कूल के भवन- समावेशित शिक्षा के लिए सर्वप्रथम आवश्यक तत्व है स्कूल के भवनों को अवरोध मुक्त करना। परन्तु आज भी स्कूलों के भवनों में ना तो रेलिंग है या ना तो रैम्प। अतः एक अस्थि विकलांग बच्चे को स्कूल में दाखिला देना सम्भव नहीं है। अर्थात जब तक स्कूलों के भवनों का पुनःसंरचना या परिवर्तन केवल दस्तावेजों पर ही रहेगा, व्यवहारिक नहीं हो पायेगा, तब तक समावेशित शिक्षा का पूर्ण होना कठिन कार्य है।

b. पाठ्यक्रम-समावेशित शिक्षा में पाठ्यक्रम भी एक प्रमुख मुद्दा है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए पाठ्यक्रम में परिवर्तन लाए बिना समावेशित शिक्षा सफलतापूर्वक संचालित नहीं हो पाएगा। कुछ विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थीयों को सामान्य पाठ्यक्रम में परिवर्तन की जरूरत नही पड़ती है। ये बच्चे सामान्य बच्चों की तरह पाठ्यक्रम को समझ सकते हैं, बस प्रस्तुत करने के तरीकों में परिवर्तन करना होता है। जैसे- दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ब्रेल में लिखे हुए विषय वस्तु, जो श्यामपट पर लिखे उसको बोलें भी।

   परन्तु कुछ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के (जैसे - मानसिक मंद) लिए पाठ्यक्रम अनुकूलन करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना ऐसे बच्चों का समावेशन मुश्किल कार्य है।

v. अध्यापक शिक्षा से संबंधित मुद्दे

समावेशित शिक्षा के क्षेत्र में कई शिक्षाशास्त्री इस बात पर बल देते हैं कि कक्षा में समावेशित शिक्षा के कार्यान्वयन में अध्यापक शिक्षा एक महत्वूर्ण घटक है। (एन्सको, 2005, बूथ एट.एफ. 2003)

भारत में सामान्य अध्यापक शिक्षा के लिए डिप्लोमा और डिग्री प्रोग्राम देश भर में फैले हैं, उसमें एक ऐच्छिक पेपर ‘विशेष आवश्यकता’ होता है जिसका उद्देश्य होता है कि विकलांगता को पहचानने एवं निदान करने के लिए अध्यापकों को तैयार करना। फिर भी यह प्रशिक्षण का अनिवार्य भाग नहीं होता, तथा यह अध्यापक को यह प्रशिक्षण नहीं देता है कि विभिन्नताओं के साथ कैसे व्यवहार किया जाय तथा विकलांग के प्रति नाकारात्मक मनोवृत्ति को कैसे समाज से हटाया जाए। (सिंगल, 2005)

अध्यापक शिक्षा के ऐसे तरीके ही विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को सामान्य बच्चे से भिन्न कर देते हैं, तथा यह धारणा बन जाती है कि ऐसे बच्चों को वही अध्यापक पढ़ा सकते हैं जो विशेषतः ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षण लिये हैं।

इस बात के प्रमाण हैं कि बहुत सारे शिक्षक यह महसूस करते हैं कि वे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने में सक्षम नहीं है, तथा उन्हें इन बच्चो को पढ़ाने के लिए कुछ और समय चाहिए। (मुखोपाध्याय, 2005)

अतः अगर समावेशित शिक्षा का सफलतापूर्वक संचालन करना है, तो सामान्य अध्यापक के प्रशिक्षण के कोर्स में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के बारे में विस्तृत जानकारी देनी होगी, तथा उन्हें ऐसे प्रशिक्षित करना होगा कि उन्हें ही ऐसे बच्चों को पढ़ाना है कोई अलग अध्यापक विशेष प्रशिक्षण लेकर नहीं आयेगा।

vi. शोध से सम्बन्धित मुद्दे

किसी भी क्षेत्र में शोध से ही पता चलता है कि उस क्षेत्र में कितना काम हो चुका है, और कितना बाकी है। परन्तु भारत में समावेशित शिक्षा में प्रयोगाश्रित एवं शैक्षिक शोध की बहुत कमी है। यह अभी प्राथमिक स्टेज पर है (सिंगल, 2005), अतः समावेशित शिक्षा में क्या कार्य करना है, इसकी सही जानकारी नहीं मिल पाता है।

समावेशित शिक्षा के बारे में सूचनाओं का ना होना यह सुझावित करता है कि भारत में समावेशित शिक्षा के प्रभाव एवं कार्यान्वन के क्षेत्र में शोध की भीषण जरूरत है। (डायर, 2000)

विकलांग, बच्चों की जनसंख्या कितनी है, इसका पता सिर्फ सर्वे एवं जनगणना के आधार पर होता है। इसमें घर के मुखिया से ही पूछा जाता है कि उसके घर में कोई विकलांग बच्चा है अथवा नहीं, हो सकता है कि मुखिया अपने बच्चे की विकलांगता छिपाने के लिए झूठ बोले। अतः विकलांग बच्चों की सही संख्या ही पता नहीं चल पायेगी, तो फिर उनके लिए उपाय या नीतियाँ बनाने का तो सवाल ही नही उठता है।

उपर्युक्त बातों से यह निश्चित हो गया है कि अगर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समावेशित शिक्षा में अच्छी शिक्षा देनी है तो शोध के माध्यम से समस्याओ एवं उनके समाधान खोजने की अत्यन्त आवश्यकता है।

अभ्यास प्रश्न

11. समाज से संबंधित मुद्दे समावेशित शिक्षा में कोई मायने नहीं रखते हैं।(सत्य/असत्य)
12. भारत में समावेशित शिक्षा नहीं आया है।(सत्य/असत्य)
13. भारत सरकार ने समावेशित शिक्षा के लिए कोई नीति नहीं बनाई है।(सत्य/असत्य)
14. भारत में शिक्षा संयुक्त रूप से केन्द्र एवं राज्य की जिम्मेदारी है।(सत्य/असत्य)
15. समावेशित शिक्षा में कुछ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए पाठ्यक्रम में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं पड़ती है।(सत्य/असत्य)

12.9 सारांश

इस इकाई में हमने पढ़ा कि समावेशित शिक्षा का प्रारम्भ सन् 1994 में सलमानका सम्मेलन के बाद हुआ। समावेशित शिक्षा का अर्थ होता है कि विभिन्न प्रकार के बच्चों की एक साथ शिक्षा अर्थात सामान्य बच्चे एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। फिर हमने समावेशित शिक्षा के आवश्यकता एवं महत्त्व पर चर्चा करते हुए इसके दर्शन एवं सिद्धान्त को समझा। फिर हमने देखा कि समावेशित शिक्षा किस प्रकार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों, सामान्य बच्चों, सामान्य शिक्षक एवं माता-पिता के लिए लाभदायक है। अंत हमने समावेशित शिक्षा में आने वाले विभिन्न मुद्दों की चर्चा की।

12.10 शब्दावली

1. समावेशित शिक्षा: सामान्य बच्चों एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की एक साथ शिक्षा।
2. विशेष आवश्यकता वाले बच्चे: वे बच्चे जिनकी आवश्यकतायें सामान्य बच्चों से अलग हों जैसे- दृष्टिबाधित बच्चे, श्रवणबाधित बच्चे, मानसिक मंद बच्चे, अस्थि विकलांग बच्चे इत्यादि।
3. अवांछित व्यवहार: जो व्यवहार सामाजिक रूप से ठीक नहीं अर्थात जो अच्छा व्यवहार ना हो।
4. अनुकरणीय व्यवहार: जो व्यवहार इतना अच्छा हो कि उसे दूसरे लोग अनुकरण कर सकें।
5. मनोवृत्ति: मन में किसी के प्रति विचार रखना यह विचार नकारात्मक भी हो सकता तथा सकारात्मक भी हो सकता है।
6. विशेष विद्यालय: जहाँ एक प्रकार के विशेष आवश्यकता वाले बच्चे पढ़ते हैं, जैसे - दृष्टिबाधितों के लिए विशेष विद्यालय, मानसिक मंद बच्चों के लिए विशेष विद्यालय इत्यादि।

12.11 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. सन् 1994
2. यूनेस्को
3. असत्य
4. सत्य
5. जीना
6. समुदाय की
7. द
8. द
9. स
10. द

11. असत्य
12. असत्य
13. असत्य
14. सत्य
15. सत्य

12.12 संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. ऐन्सको, एम. (2005) फ्राम स्पेशल एडुकेशन टू इफेक्टीव स्कूल फॉर आल, कीनोट प्रजेनटेशन एट द इन्क्लूसिव एण्ड सर्पोटिव एडुकेशन कांग्रेस 2005, यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रेथक्लेड, ग्लासो।
2. बूथ, टी. के एण्ड स्ट्रामस्टैड, एम. (2003). डेवलपिंग इन्क्लूसिव टीचर एडुकेशन: ड्राइंग द बुक टुगेदर। लंदन: रोटलेज फलेमर।
3. फोरेस्ट, एम. एण्ड पीयरप्वांट, जे. (2004). ‘‘इन्कूजन! द बिर पिक्चर’’ वेबसाइट http://www.inclusion.com/artbiggerpicture.html से लिया।
4. ‘‘बेनेफिट्स ऑफ इन्क्लूसिव क्लासरूम फॉर आल’’ (1999). वेबसाइट http://www.uni.edu/coe/inclusion/philosophy/benefite.html से लिया।
5. डायर, सी (2002), आपरेशन ब्लैक बोर्ड . पॉलिसी इम्फ्लीमेंटशन इन इंडियन एलिमेंट्री एडुकेशन। आक्सफोर्ड: सीमपोजियम बुक्स।
6. जी. ओ. आई. (2000). इंडिया: एडुकेशन फॉर आल इयर 2000 असेसमेंट, एम. एच. आर. डी. नई दिल्ली: गर्वनमेंट ऑफ इंडिया एण्ड एन. आइ. ई. पी. ए.।
7. जुलका ए (2005). एडुकेशनल प्रोविजनस एण्ड प्रेक्टिसेस फॉर लरनरस विद डीसेबेलटीसज इन इंडिया, पेपर प्रजेन्टेड एट द इन्क्लूसिव एण्ड सुर्पोटिव एडुकेशन कांग्रेस 2005, यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रेथक्लेड, ग्लासो।
8. मुखोपाध्याय, एस. एण्ड मनी, एम. एन. जी. (2002). एडुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स। नई दिल्लीः आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
9. मुखोपाध्याय, एस. (2005). रीथिंकिंग एबाउट इन्क्लूसन: इमर्जिंग एरिया फॉर पॉलिसी रिसर्च, नई दिल्ली: न्यूपा
10. ‘‘रेशलन फॉर एण्ड बेनेफिट्स ऑफ इन्क्लूसन’’(2004).वेबसाइट www.inclusion.com/artbiggerpicture.html से लिया।
11. सेलेन्ड, एस. (2001), क्रीएटिंग इन्क्लूसिव क्लासरूम: इफेक्टिव एण्ड रिफ्लेक्टिव प्रेक्टिसेस। न्यू जर्सी: पिंटिस हाल।

12. सिंगल, एन. (2005). रेसपांडिंग टू डिफरेन्स: पॉलिसिज टू सर्पोट इन्क्लूसिव एडुकेशन इन इंडिया, पेपर प्रजेन्टेड एट द इन्क्लूसिव एण्ड सर्वोटिव एडुकेशन कांग्रेस 2005, यूनिवर्सिटी ऑफ स्टेथक्लेड, ग्लासो।
13. थॉमस पी. (2005). मेनस्ट्रीमिंग डीसएबिलिटी इन डेवलपमेंट: इंडिया कंट्री रिर्पोट। लंदन: डिसएबिलिटी नालेज एण्ड रीसर्च। वेबसाइट http://disasilitykar.net/research/pol_india/html से लिया।
14. वूड, जे. (1993). मेनस्ट्रीमिंग: ए प्रेक्टिकल अप्रोच फॉर टीचर्स। न्यू जर्सी: मेरील पब्लिशिंग कम्पनी।

12.13 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. पांडा, के. सी. (1997). ‘‘एजुकेशन ऑफ एक्सेपसनल चिल्ड्रेन’’ नई दिल्ली: विकास पब्लिशिंग एण्ड डिस्ट्रब्यूटर्श।
2. इग्नू (2009). फांउनडेशन कोर्स आन एडुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन विद डिसएबिलिटीस। नई दिल्ली: इग्नू।
3. राव, एल. गो. (2007), पर्सपेक्टिव ऑन स्पेशल एडुकेशन: हैदराबाद: नीलकलम पब्लिकेशन।

12.14 निबंधात्मक प्रश्न

1. शिक्षा में समावेशन से आप क्या समझते हैं? इसके आवश्यकता एवं महत्त्व की व्याख्या अपने अनुभवों के आधार पर करें।
2. शिक्षा में समावेशन के संघटकों का विस्तारपूर्वक वर्णन करें।
3. समावेशित शिक्षा किस दर्शन पर आधारित है? व्याख्या करें।
4. समावेशित शिक्षा से कौन-कौन लोग लाभांवित होते हैं? विस्तारपूर्वक चर्चा करें।
5. समावेशित शिक्षा के कुछ प्रमुख मुद्दों का वर्णन करें।

इकाई- 13 श्रवण बाधिता का अर्थए वर्गीकरण तथा विशेषतांए

13.1 प्रस्तावना
13.2 उद्देश्य
13.3 श्रवण बाधिता का अर्थ
13.3.1 कान की संरचना
13.3.2 श्रवण प्रक्रिया
13.3.3 बाधिता का अर्थ एवं परिभाषांए
13.4 श्रवण बाधिता का वर्गीकरण
13.4.1 समय के आधार पर
13.4.2 कान के हिस्सों के प्रभावित होने के आधार पर
13.4.3 प्रकृति के आधार पर
13.4.4 ड़िग्री के आधार पर
13.5 श्रवण बाधिता बच्चों की विशेषतांए
13.6 सारांश
13.7 पारिभाषिक शब्दावली
13.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
13.9 संदर्भ ग्रन्थ सूची
13.10 सहायकधउपयोगी पाठ्य सामग्री
13.11 निबंधात्मक प्रश्न

13.1 प्रस्तावना

श्रवणबाधिता से सम्बन्धित यह पहली इकाई है। हम जानते हैं की मनुष्य अपनी इन्द्रियों के माध्यम से ही अपने वातावरण से जुड़ता है। पॉच प्रमुख इन्द्रियों में श्रवण एक महत्वपूर्ण इन्द्रिय है क्योंकि न की यह सिर्फ वातावरण मे मौजूद ध्वनियों को सुनने में सहायता करती है बल्कि वाणी एवं भाषा के विकास के लिए पूर्वपेक्षित भी है। श्रवण एक दूरस्थ इन्द्रिय के रूप में हमें खतरों से बचाती है बोलने की क्षमता प्रदान करने के साथ ही मनोरंजन हेतु स्वाभाविक इन्द्रिय की तरह भी कार्य करती है। श्रवण प्रक्रिया के बाधित होने से मनुष्य

का सामान्य जीवन तथा उसका अन्य क्रियाकलाप के समस्त पहलु प्रभावित होते है। प्रस्तुत इकाई में विस्तार से श्रवण बाधिता का अर्थ, वर्गीकरण तथा विशेषताओं सम्बन्धित जानकारियॉ प्रस्तुत हैं।

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप श्रवण बाधिता से परिचय के साथ उसके प्रकार तथा विशेषताओं से भी परिचय प्राप्त कर सकेंगे।

13.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप-

1. श्रवण बाधिता का अर्थ अपने शब्दों में व्यक्त कर सकेंगे।
2. श्रवण बाधिता को परिभाषित कर सकेंगे।
3. श्रवण बाधिता के विविध प्रकारों की चर्चा कर सकेंगे।
4. श्रवण प्रक्रिया सम्बन्धित जानकारियों से अवगत हो सकेंगे।
5. श्रवण बाधित बच्चों के विशेषताओंध् लक्षणों का विश्लेषण कर सकेंगे।

13.3 श्रवण बाधिता का अर्थ

श्रवण बाधित का अर्थ जानने से पूर्व कण की सँरचना एवं श्रवण प्रक्रिया जानना आवश्यक हैं

13.3.1 कान की संरचना

कान वातावरण में उत्पन्न होने वाली विभिन्न ध्वनि तरंगों को अपने तंत्र द्वारा ग्रहण कर मस्तिष्क तक भेजता है जिससे हमें वातावरण में ध्वनि का ज्ञान प्राप्त होता है। इसे ही 'सुनना' कहते है। संरचना की दृष्टि से कान को तीन भागों में बॉटा गया है-

1. बाह्य कर्ण
2. मध्य कर्ण
3. अन्तः कर्ण

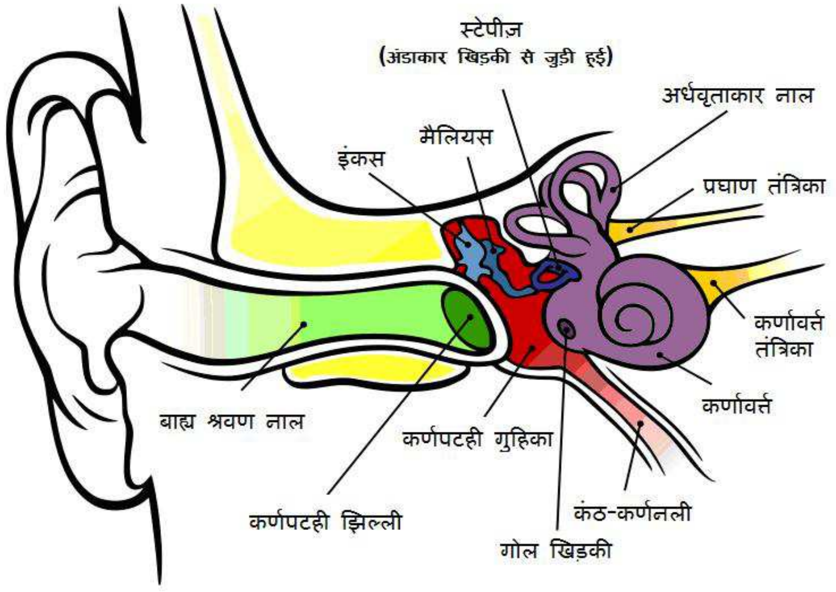

1. **बाह्य कर्ण-** बाह्यकर्ण की अकृत कप जैसी होती हैंद्य यह ध्वनि तरंगों को ग्रहण करती हैं तथा बाह्य ध्वनि कैनाल इन तरंगों को कर्ण पटल तक ले जाती है। बाह्य कर्ण दो भागों में विभाजित हैः-
   क. कर्ण शष्कुलीः- यह कान का बाहर दिखाई देने वाला भाग है। इसका कार्य वायुमण्ड़ल में ध्वनि तरंगों को ग्रहण कर उसे कर्णपथ की ओर भेजना है।
   ख. कर्णपथः- यह कर्ण शष्कुली के मध्य के गहरे भाग से कर्णपटल तक चलने वाली एक नलिका है। यह 'एस' के आकार की होती है। इस भाग में कर्णगूथ ग्रंथियॉ होती है जो इसे शुष्क होने से बचाती हैं
2. **मध्यकर्ण -** मध्य कर्ण कान की हड्डी- शंखास्थि में स्थित चपटा भाग है। मध्य कर्ण के बाहर की ओर की भित्ति कर्ण पटल से बनती है। यह एक तश्तरी नुमा तनी हुई झिल्ली होती है और इस पर ध्वनि तरंग टकराने पर कंपन करती है। ये शरीर की तीन अत्यन्त सूक्ष्म हड्डियों से जुड़ी होती है। इन्हें ओसिकल चैन कहते हैं ये ओसाइकल सूक्ष्म अस्थियॉ हैं मेलियस इन्कस तथा स्टेपिज। ये तीनों अस्थियॉं लीवर के समान एक दूसरे से जुड़ी होती है और परदे की हलचल के साथ ही तीनों समकालिक स्पंदन करती है और आन्तरिक कान को ध्वनि तरंग भेजती हैं। इन तोनों में से अन्तिम अस्थि स्तैपिज अंतरू कर्ण से जुडी होती हैं ।
3. **अंतःकर्ण-** यह भाग शंखास्थि में अनियमित रूप से बने हुए रास्ते या कोटर हैं। अंतःकर्ण में तीन दोहरी नली की नलकाकार संरचना होती हैं जिनमें विशेष प्रकार का द्रव भरा होता है। स्टैपिज की

हलचल से यह द्रव आगे पीछे हिलता है और तरंगे उत्पन्न होती है। ये नलियॉ दोहरी इसलिए होती है तथा झिल्लियों द्वारा अलग होती हैं इसे लिब्रियान्थ कहते है। यह श्रवण का मुख्य भाग होती है। दोहरी नली के बीच की रचना में विशिष्ट प्रकार के द्रव होते हैं । बाहरी भाग को पेरिलिम्प और आन्तरिक भाग को एण्डोलिम्प कहते हैं। ये दोनों द्रव ध्वनि तरंगे टकराने पर विपरीत दिशा में कंपन करते हैं। आन्तरिक लिबारियान्थ में विशेष केश कोशिकाएँ होती है जो एण्डोलिम्फ की हलचल होने पर ध्वनि तरंगों को इलेक्ट्रिक संवेदना में बदलती है। ये इलेक्ट्रिक संवेदना ऑडिटरी नर्व द्वारा मस्तिष्क को भेज दी जाती है।

13.3.2 श्रवण प्रक्रिया

सर्वप्रथम बाह्य कर्ण वातावरण में व्याप्त ध्वनि तरंगों को ग्रहण करके कर्णपटल तक पहुँचाता है जिससें कर्णपटल में कंपन उत्पन्न होता है। ये कंपन मध्यकर्ण में उपस्थित तीन छोटी हड्डियों मैलियस, इनकस तथा स्टेपीज के द्वारा अंतःकर्ण तक पहुँचती है। मध्यकर्ण की अस्थियों का कंपन अंतःकर्ण के तरल में तरंगें पैदा करता है। इसका परिणाम कॉकलिया के द्रवों मे गतिमय होता है। कॉकलिया के अंदर संवेदनशील कोशिकाएं होती है जो कि इन गति को नोट कर लेती हैं और न्यूरल क्रियाओं की शुरूआत करती हैं जो कि आडिटरी नर्व के द्वारा दिमाग तक पहुँचायी जाती है। इस प्रकार हम सुनते हैं।

कुछ महत्वपूर्ण तथ्यः-

i. बोलना एक विस्तृत प्रक्रिया है।
ii. वह संरचनाएं जिनका उपयोग चूसने, काटने, चबाने एवं निगलने के लिए किया जाता है वही बोली के उत्पादन में उपयोग में लायी जाती हैं।
iii. गले में स्थित स्वर यंत्र जो कि फेफड़ों में किसी बाहरी वस्तु के जाने को रोकने के लिए बनायी गयी है उसका उपयोग आवाज निकालने में किया जाता है।
iv. फेफड़ों के बाहर निकाली गई हवा का उपयोग कंठ ध्वनि में कंपन पैदा करने के लिए जिससें कि आवाज पैदा हो, किया जाता है।
v. इस प्रकार संरचनाएं जो कि सॉस लेने एवं खाने के लिए किया जाता है। उसका प्रयोग आवाज उत्पन्न करने के लिए किया जाता है।
vi. हालॉंकि दिमाग इन सबका मुख्य नियंत्रक है। बोलना एक सॉस लेने की अभिव्यक्ति करने की एवं ध्वनि निकालने की नियंत्रित प्रक्रिया है।

13.3.3 श्रवण बधिरता का अर्थ एवं परिभाषाएं

श्रवण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ध्वनि की जागरूकता,भिन्नता, पहचान तथा समझने का बोध होता है। श्रवणबाधिता का सरल एवं सामान्य शब्दों मे अर्थ है कि सुनने की क्षमता मे कमी। यह क्षति व्यक्ति को दूसरों

की बात और वातावरण की अन्य ध्वनियों को सुननें में समस्या उत्पन्न करती है। अतरू हम कह सकते हैं की किसी व्यक्ति द्वारा पूरी तरह से आवाज सुननें में अक्षम होना श्रवण विकलाँगता कहलाता है। भाषा के विकास के लिए ‘सुनना’ एक जरूरी प्रक्रिया है। एक छोटा बच्चा आस पास के लोगों के संवाद को सुनकर ही अपनी भाषा का विकास करता है। श्रवण विकलॉगता एक छिपी हुई विकलाँगता है। क्योकिं कोई भी व्यक्ति जो श्रवण विकलाँगता से ग्रसित है वह किसी भी प्रकार के शारीरिक लक्षण प्रकट नहीं करता है जिससे यह प्रतीत हो कि वह इस विकलाँगता से ग्रसित है। इस विकलाँगता को पहचाननें के लिए सूक्ष्म निरीक्षण की आवश्यकता होती है। श्रवण विकलाँगता व्यक्ति के स्वतंत्र रूप से सोचने तथा सीखने पर गहरा प्रभाव डालती है। श्रवण हमें खतरों से भी सावधान करता है। जन्म से लेकर जीवन पर्यन्त श्रवण प्रक्रिया हमे वातावरण पर नियंत्रण करने में सहायता करती है। ध्वनि तथा कान सुननें की प्रक्रिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ध्वनि की सूक्ष्मता को मापने की इकाई को डेसिबल (डी0बी0) (db) कहते है। श्रवण बाधिता की कुछ परिभाषाएं निम्नवत हैं -

निःशक्त जन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के अनुसार:-

“अगर किसी व्यक्ति को सामान्य वार्तालाप के दौरान व्यवहार की गयी आवृत्तियों में अपने बेहतर कान से 60 डी0बी0 या उससे तेज आवाज को सुनने में कठिनाई होना श्रवणबाधिता कहलाता है”

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन 1991 के अनुसारः-

“श्रवणबाधित उसे कहा जाता है जो सामान्य रूप से सामान्य ध्वनि को सुनने में अक्षम है”

श्रवण बाधिता के अर्न्तगत सामान्य से कम सुनने तथा बिल्कुल भी सुन न सकने वाले दोनों आते है। ;स्च्वार्तज़ तथा एलनए 1996 Schwartz and Allen (1996) इसे इस प्रकार परिभाषित किया है-

बधिरता से तात्पर्य है कि श्रवण क्षमता की इतनी गम्भीरता से क्षति कि श्रवण यंत्रो या दूसरे संवर्धक उपकरणों के साथ भी व्यक्ति बोली जाने वाली भाषा की श्रवण प्रक्रिया नहीं कर सकता।

(Deafness refers to a hearing loss so severe that the individual cannot process spoken language even with hearing aids or other amplification devices.)

ऊँचा सुनने वाले या आंशिक बहरेपन से तात्पर्य है कि श्रवण क्षति पूरी तरह बधिरता से कम है फिर भी इसका उनके सामाजिक, संज्ञानात्मक तथा भाषा विकास पर निश्चित ही नकारात्मक प्रभाव है।

Hard of hearing refers to a lesser loss but one that nevertheless has a definite negative effect on social, cognitive and language development.

IDEA ने श्रवणबाधिता के अंतर्गत बहरापन तथा ऊचा सुनना दो स्म्प्रत्य को परिभाषित किया हैद्य इसके अनुसार ऊचा सुनना का अर्थ हैं सुनने की क्षमता में कमी चाहे स्थायी हो या अस्थिरए एक बच्चे के शैक्षिक प्रदर्शन को प्रतिकूलता से प्रभावित करती हैश्द्य तथा बहरेपन से तात्पर्य हैं की बच्चे में श्रवण क्षति इतनी गंभीर

है कि ए भाषाई सूचनाओ की प्रक्रिया श्रवण के माध्यम से प्रवर्धन के बिना या उसके साथ भी करने में सक्षम नहीं हैं

IDEA as Hearing impairment is "an impairment in hearing, whether permanent or fluctuating, that adversely affects a child's educational performance." तथा Deafness is "a hearing impairment that is so severe that the child is impaired in processing linguistic information through hearing, with or without amplification."

WHO के अनुसार सुनने में कठिनाई का तात्पर्य हैं श्रवण हानि अति अल्प से गंभीर की वे आम तौर पर बोली जाने वाली भाषा के माध्यम से संवाद करते हैं और इन्हे श्रवण उपकरणोंए कर्णावत प्रत्यारोपण और सुनने के लिए सहायक उपकरणों से लाभ हो सकता है।

'Hard of hearing' refers to people with hearing loss ranging from mild to severe. They usually communicate through spoken language and can benefit from hearing aids, captioning and assistive listening devices. People with more significant hearing losses may benefit from cochlear implants

'बहरे' लोगों में अधिकतर श्रवण क्षति गंभीर होती हैं जिसके कारण सुनने की क्षमता बहुत कम या नहीं होती हैं, वे प्राय संवाद के लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं

'Deaf' people mostly have profound hearing loss, which implies very little or no hearing. They often use sign language for communication.

हैलाहन और काफमैन के अनुसार श्वह बालक जिसमे जीवन के प्रारम्भिक दो या तीन वर्षो में श्रवण हानि होए और जिसके फलस्वरूप वह स्वाभाविक रूप से भाषा अर्जित न की हो ए वह बहरा की श्रेणी में आता हैं

The child who suffers a hearing loss in the first two or three years in life and as a consequence does not acquire language naturally is considered as deaf.

"वह बालक जिसमे भाषा सिखने के पश्चात ध्वनि में अंतर कर पाने की समस्त योग्यता खो दी होए और उसकी भाषा समझने योग्य शेष होए वह ऊचा सुनने वाला बालक कहलाता हैंश् द्य ।

A child who loses all ability to detect sound after having learned language is called hard of hearing, if his speech remains understandable.

अभ्यास प्रश्न

1. श्रवण एक _________________ इन्द्रिय है।
2. _________________ तथा _________________ में कान की संरचना को विभाजित किया जा सकता है।
3. बाह्य कर्ण के _________________ तथा _________________ दो भाग है।
4. ध्वनि की सूक्ष्मता को मापने की इकाई _________________ है।
5. निःशक्त जन अधिनियम 1995 के अनुसार श्रवण बाधिता की स्थिति में _________________ डी0बी0 या उससे तेज आवाज को सुनने में कठिनाई होती है।
6. पूर्ण बधिरता से कम श्रवण क्षति को _________________ कहते है।

13.4 श्रवण बाधिता का वर्गीकरण

बधिरता का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है-

13.4.1 समय के आधार पर

i. जन्मजात श्रवण दोष- जन्म के समय किसी भी कारण से होने वाला श्रवण दोष जन्मजात श्रवण दोष कहलाता है। यह प्रसव के दौरान भी हो सकता है।
ii. वंशानुगत श्रवण दोष- जब श्रवण दोष गुणसूत्रों की अनियमितता के कारण होता है तो वह एक वंश से दसरे वंश तक प्रभावित करता है। इसे वंशानुगत श्रवण दोष कहते है।
iii. उपार्जित श्रवण दोष- जन्म के बाद किसी प्रकार की चोट, संक्रमण अथवा गंभीर बीमारी के कारण होने वाला दोष उपार्जित श्रवण दोष कहलाता है।
iv. भाषा विकास पूर्व श्रवण दोष- जब किसी बच्चे में वाणी एवं भाषा विकास की आयु से पूर्व श्रवण समस्या उत्पन्न होती है तो उसे भाषा विकास पूर्व श्रवण दोष कहते है।
v. पश्च भाषा विकास श्रवण दोष- वाणी एवं भाषा विकास के समयय के उपरान्त होने वाला श्रवण दोष पश्च भाषा विकास श्रवण दोष कहलाता है।

13.4.2 कान के प्रभावित होने के आधार पर

i. चालकीय श्रवण दोष या प्रवाहमान श्रवण दोष- चालकीय श्रवण दोष का प्रभाव बाह्य कर्ण तथा मध्य कर्ण में होता है। ठीक तरह से आवाज आंतरिक कर्ण में नहीं पहुँच पाती। सभी सुनी हुई आवाजें दबकर रह जाती हैं। इस प्रकार के व्यक्ति वातावरण की आवाज का ध्यान रखे बिना बहुत धीरे बोलते है।

ii. संवेदनिक श्रवण दोष- संवेदनिक श्रवण दोष, आंतरिक कर्ण में कोई बीमारी होने या खराब होने के कारण होता है। यह दोष कुछ बीमारियाँ जैसे- खसरा, गलगन्ड, दिमागी बुखार तथा क्षय रोग के कारण भी होता है।
iii. मिश्रित श्रवण दोष- मिश्रित श्रवण दोष चालकीय श्रवण दोष तथा संवेदनिक श्रवण दोष का मिश्रण है। इस दोष का प्रमुख कारण है लंबे समय तक कान में बीमारी का होना जिसे क्रोनिक सपरेटिव ओटाइटिस मीडिया के नाम से जाना जाता है। इसके कारण कान से लगातार पानी का गिरना, खून आना तथा पस का बहाव होता है।
iv. केन्द्रीय श्रवण दोष - यह केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र में क्षति के कारण होता है।

13.4.3 प्रकृति के आधार पर

i. सम्बर्धित श्रवण दोष- इस प्रकार का दोष किसी संक्रमण, वंशानुगत कमी या उम्र के आधार पर होता है। चालकीय, संवेदनिक तथा मिश्रित श्रवण दोष प्रकृति में सम्बद्धित हो सकता है।
ii. आकस्मिक श्रवण दोष- जब किसी व्यक्ति की श्रवण तंत्रिका चोट के कारण क्षतिग्रस्त हो जाती है तो इसे आकस्मिक श्रवण दोष कहते है। आकस्मिक श्रवण दोष, संवेदनिक श्रवण दोष का ही एक रूप है।

13.4.4 डिग्री गम्भीरता के आधार पर

1. क्लार्क के अनुसार-

10	-	25 डी0बी0	- सामान्य
26	-	40डी0बी0	-अति अल्प
41	-	55डी0बी0	-अल्प
56	-	70डी0बी0	- अल्पतम
71	-	90डीबी0	-गंभीर
91 डी0बी0 या अधिक			- अति गंभीर

2. विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार-

0	-	25 डी0बी0	- सामान्य
26	-	40डी0बी0	-अति अल्प

41	-	55डी0बी0	-अल्प
56	-	70डी0बी0	- अल्पतम
71	-	90डीबी0	-गंभीर
91	डी0बी0 या अधिक		- अति गंभीर

3. गुडमैन्स के वर्गीकरण के अनुसारः-

10 DBHL -	15 DBHL	- सामान्य
16 DBHL -	25 DBHL	- निम्नतम
26 DBHL-	40 DBHL	-अति अल्प
41 DBHL-	55 DBHL	-अल्प
56 DBHL-	70 DBHL	- अल्पतम
71 DBHL	-90 DBHL	-गंभीर
91 DBHL या अधिक		- अति गंभीर

4. बी0एस0ए0 एवं बैटार्ड (1988) जोसेफ में उद्धृत के अनुसार-

0	.	19 डी0बी0	- सामान्य
20	-	40डी0बी0	- अति अल्प
41	-	70 डी0बी0	- अल्प
71	-	95डीबी0	- गंभीर
95डी0बी0 या अधिक			- अति गंभीर

अभ्यास प्रश्न

7. भाषा के विकास के उपरान्त होने वाले श्रवण क्षति को ________कहते है।
8. गुणसूत्रों की अनियमितता के कारण होने वाला श्रवण दोष ________कहलाता है।
9. ________ श्रवण दोष बाह्य तथा मध्य कर्ण में होता है।
10. आंतरिक कर्ण में किसी प्रकार की क्षति से ________दोष होता है।
11. विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार________91 डी0बी0 से उपर वाला व्यक्ति ________की श्रेणी में आता है।
12. चालकीय तथा संवेदनिक दोनो श्रवण दोष की स्थिति ________ श्रवण दोष कहलाती है।

13.5 श्रवणबाधित बच्चों की विशेषताएं

i. **स्मृतिः-** भाषा विकास में समस्या उत्पन्न होती है साथ ही चीजों को याद रखने में दिक्कत होती है। ऐसे बच्चों को प्लान बनाकर निर्देश दिया जाता है साथ ही चित्रों के माध्यम से याद कराया जाता है। ऐसे बच्चों को सांकेतिक भाषा के माध्यम से या लिखकर मार्गदर्शित करना चाहिए।

ii. **वार्तालाप में समस्याः-** शिक्षकों की बात समझने या उनसे वार्तालाप में तथा सहपाठियों से वार्तालाप में समस्या उत्पन्न होती है। इसके लिए ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा वार्तालाप हो। इन बच्चो को अधिक से अधिक सूचनाये तथा जानकारियाँ दृष्टि के माध्यम से देनी चाहिए तथा लिखित जानकारी देनी चाहिए। सहपाठियों को ज्यादा से ज्यादा सहयोग देने के लिए प्रेरित करना चाहिए। शिक्षकों केा ज्यादा से ज्यादा ऐसे माध्यमों का प्रयोग करना चाहिए जिससे श्रवण बाधित बोलने के लिए प्रेरित हो सके।

iii. **भाषा विकासः-** भाषा एवं वाणी विकास की योग्यता श्रवणबाधित बच्चों में सबसे अधिक प्रभावित होती है। सघन एवं विस्तृत प्रशिक्षण की अनउपलब्धता की स्थिति में इनका भाषा विकास नहीं किया जा सकता। भाषा का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि किस उम्र में श्रवण बाधिता आयी। वो बच्चें जो जन्म से ही पूरी तरह से श्रवण क्षति ग्रस्त होते है उनमें भाषा का विकास न के बराबर होता है। प्रभावशाली और विचारों को व्यक्त करने वाली भाषा में समस्या उत्पन्न होती है। शब्दकोष और भाषा संबंधी नियमों से देर से परिचित होते है। अपने विचारों और भावों को व्यक्त करने में समस्या उत्पन्न होती है। ऐसे में इस प्रकार के माहौल को बनाना चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा भाषा को सीखने का मौका मिले, शब्दकोष में बढोतरी हो तथा विचारों को व्यक्त कर सके।

v. **शैक्षिक कमीः-** श्रवणबाधिता से ग्रसित बच्चें का विकास देर से होता है। वे पढ़ने, लिखने तथा गणितीय कौशल से देर से परिचित होते है। गणितीय जोड़, घटाव में परेशानी होती है। समस्या प्रधान सवालों को हल करने में दिक्कत होती है। स्वयं से अपने विचार व्यक्त करने में या लिखने मे परेशानी होती है। याद करने के विभिन्न तरीकों को अपनाना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा दृश्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। बच्चों को ज्यादा से ज्यादा समस्या प्रधान सवालों को हल करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, इसके लिए बढिया रणनीति बनानी चाहिए। लिखने के लिए ज्यादा प्रेरित करना चाहिए। बच्चों को स्वतंत्र रूप से पढने के लिए जोर देना चाहिए।बच्चों को समूह में लिखने और पढने के लिए प्रेरित करें। अध्यापक को भी ज्यादा से ज्यादा वार्तालाप करना चाहिए।

vi. **सामाजिक व्यवहारों का आदान प्रदानः-** कक्षा में बच्चों के साथ जुड़ने में मेल मिलाप में समस्या आती है। सहपाठी भी उन्हें अपने जैसा न पाकर उनसे जुड़ नहीं पाते। श्रवणबाधित व्यक्ति अपने मनोभावों को भी सही प्रकार से दर्शा नहीं पाता। इस प्रकार के बच्चों को सामाजिक व्यवहार के लिए

प्रेरित करना चाहिए। समूह में कार्य करने के लिए जोर देना चाहिए। साथ ही सहपाठियों को भी इन बच्चों को सहयोग देने तथा ज्यादा से ज्यादा वार्तालाप करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। स्वयं पर नियंत्रण रखने तथा स्वयं को व्यवस्थित रखने के तरीकों से परिचित कराना चाहिए।

vii. **बौद्धिक योग्यता**:- सामान्यतः यह माना जाता है कि इनकी बौद्धिक क्षमता सामान्य से कम होती है परन्तु ऐसा नहीं है। इनकी बौद्धिक क्षमता भी सामान्य बच्चों जैसे ही बौद्धिक परीक्षणों में प्राप्ताकों में लगभग समान वितरण का प्रर्दशन करते है। यह जरूर है कि श्रवणबाधित बच्चों की उपलब्धि मौखिक बौद्धिक परीक्षणों की अपेक्षा अमौखिक बौद्धिक परीक्षणों में बेहतर प्रदर्शन करते है क्योंकि इसमें उनकी उपलब्धि भाषा से प्रभावित नहीं होती है।

अभ्यास प्रश्न

13. श्रवणबाधित बच्चों की सबसे प्रमुख समस्या________________ की है।
14. सामान्यतः श्रवणबाधित बच्चों की शैक्षिक________________ सामान्य से कम होती है।
15. श्रवण बाधित बच्चें ________________ बुद्धि परीक्षण की अपेक्षा ________________ बुद्धि परीक्षण में बेहतर प्रदर्शन करते है।

13.6 सारांश

- कान एक महत्वपूर्ण ज्ञानेन्द्रिय है। कान वातावरण में उत्पन्न होने वाली ध्वनि तंरगों को अपने श्रवण तंत्र द्वारा ग्रहण करता है तथा इसकी सूचना मस्तिष्क को भेजता है इसे सुनना कहते हैं। कान के तीन प्रमुख भाग होते है-बाहय कर्णए मध्य कर्ण और अन्तः कर्ण बाहय कर्ण वातावरण से ध्वनि को ग्रहण करता है और मध्य कर्ण में भेजता है। मध्य कर्ण ध्वनि उर्जा को यांत्रिक उर्जा में बदल कर प्रभावशाली तरीके से अन्तः कर्ण में भेजता है। अन्तः कर्ण में यांत्रिक उर्जा को इलेक्ट्रिक उर्जा में बदल कर ऑडिटरी नर्व द्वारा मस्तिष्क को भेजता है। ध्वनि की सूक्ष्मता नापने की इकाई को डेसिबल कहते है।
- कान की सामान्य सुनने की क्षमता से विचलन श्रवण बाधिता कहलाती हैं द्य इसके अंतर्गत बधिरता तथा ऊचा सुनने वाले दोनों आते हैं निःशक्त जन (समान अवसर, अधिकारोंका संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के अनुसार ‘‘ अगर किसी व्यक्ति को सामान्य वार्तालाप के दौरान व्यवहार की गयी आवृत्तियों में अपने बेहतर कान से 60 डी0बी0 या उससे तेज आवाज को सुनने में कठिनाई होना श्रवणबाधिता कहलाता है।’’

- श्रवण बाधिता का वर्गीकरण कई आधार पर किया जा सकता हैं जैसे समय के आधार परए कान के हिस्सों के प्रभावित होने के आधार परए प्रकृति के आधार पर तथा ड़िग्री गंभीरता के आधार पर वातावरण के प्रभावित होने वाले भाग के आधार पर श्रवण दोष मुख्यतः चार प्रकार का होता हैः चालकीय श्रवण दोष, संवेदनिक श्रवण दोष, मिश्रित श्रवण दोष तथा केन्द्रीय श्रवण दोष।
- श्रवण दोष का सबसे पहले बच्चे की भाषा तथा सम्प्रेषण को प्रभावित करता है। इसके कारण बच्चें मे भाषा की बहुत कमी रहती है। भाषा में कमी के कारण बच्चें के वार्तालाप में समस्या, शैक्षिक कमी और सामाजिक व्यवहार में समस्या आदि समस्याएं आती है।

13.7 शब्दावली

1. **पूर्वपेक्षित** - पहली आवश्यकता
2. **शष्कुली** - कान का दिखाई पड़ने वाला भाग, पिन्ना
3. **बौद्धिक योग्यता**- बुद्धि का विभिन्न परिस्थियों में विविध समस्यां को हल करने की योग्यता
4. **भाषा** - बोली जाने वाली बोली को भाषा कहते हैं

13.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. दूरस्थ
2. बाह्य, मध्य तथा अन्तःकर्ण
3. कर्ण शष्कुली एवं कर्ण पथ
4. डेसीबेल
5. 60 डी0बी0
6. ऊँचा सुनने वाला या आंशिक श्रवण बाधिता
7. पश्च भाषा विकास दोष
8. वंशानुगत
9. चालकीय
10. संवेदनिक श्रवण
11. अतिगंभीर
12. मिश्रित
13. भाषा

14. उपलब्धि
15. मौखिक, अमौखिक

13.9 संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. Schwartz, I.S., and Allen, K.E. (1996) The Exceptional Child Inclusion in Early Childhood Education (3rd Edition), Demar Publishers
2. National Sample Survey Organisation, Survey of Disabled Person in India, 1991
3. Hallahan, D.P. and Kauffman, J.M.(2007), Exceptional Learners: Introduction to Special Education (10th Edition) Allyn and Bacon, MA
4. The Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995, Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India
5. WHO (2013) Deafness and Hearing loss available at http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs300/en/ [accessed on 30/12/2013]

13.10 सहायक या उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. Julka, A. (2007), Meeting Special Needs in School: a Manual, New Delhi, NCERT
2. Panda, K.C. (2004), Education of exceptional Children. A base text on the rights of the handicapped and the gifted, Vikas Publishing House.
3. Cecil, R.Reynolds (2007), Encyclopedia of special Education, (3rd Ed.). A reference guide for the education of the handicapped and other exceptional children and adults, N.Y. John Wiley & sons.
4. Heward, V.L. & Orlansky, M.D. (1996), Exceptional children, (6th Ed.), Charles E. Meril Publishing Company, Columbus.
5. Hallahan, D.P. and I.M. Kauffman (1991), Exceptional Children: Introduction to Special Education (5th edn.), Boston: Allyn & Bacon.
6. Ysseldyke, J.E., B. Algozzine and M.L. Thuslow (1992), Critical Issues in Special Education (2nd edn), Boston: Houghton Mifflin.

7. Evans, P and Verma, V. (Eds.) (1990) Special Education. Past Present and Future. The Faimer Press.
8. Bench, John, R. (1992). Communication Skills in Hearing Impaired Children, Whurr Publishers Ltd.
9. Goetzinger, C.P. (1978). The psychology of hearing impairment. In Katz, J. (ed). Handbook of Clinical Audiology London: Williams and Wilkins.
10. Kadar, Fatima, Gorawar Pooja and Huddar Asmita (2002). Communication Options Available for the Deaf: The Indian Scenario in the Journal of the Indian Speech and Hearing Association. Vol –16 - 5.
11. Quigley, Stephen P and Kretschmer Robert E. (1982). The Education of the Deaf Children: University Park Press.
12. Vashishta, Madan; Woodward, James and Santis, Susan (1980). In Introduction to Indian Sign Language, All India Federation of the Deaf publication.
13. Ingram, David, (1989). Child Language Acquisition. Cambridge University Press: New York.
14. Owens, Robert, (2001). Language Development: An Introduction. Allen and Baum: MA
15. Parlmer, John M, and Yantis, Philip A. (1990). Survey of Communication Disorders.
16. Williams and Wilkins: London.
17. Sanders, Derek A. (1993). Management of Hearing. New Jersy: Prentice Hall Inc.
18. Davis, H., Silverman, S.R., Hearing and deafness, New York Holt, Rinehart & Winston, 1970.

13.11 निबंधात्मक प्रश्न

1. श्रवण बाधिता का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा परिभाषित कीजिए।
2. श्रवण बाधित बच्चों के प्रकार की विस्तार से विवेचना कीजिए।
3. श्रवण बाधित बच्चों में पाये जाने वाले लक्षणों की विवेचना कीजिए।
4. कान की संरचना का सचित्र वर्णन करते हुए श्रवण प्रक्रिया को बताइये।

इकाई 14 श्रवणबाधित बच्चों की पहचान, स्थापन, देख-रेख एवं प्रशिक्षण

14.1 प्रस्तावना
14.2 उद्देश्य
14.3 श्रवणबाधित बच्चों की पहचान तथा स्थापन
    14.3.1 श्रवणबाधित बच्चों की पहचान
    14.3.2 श्रवणबाधित बच्चों का शैक्षणिक स्थापन
14.4 श्रवणबाधित बच्चों की देख-रेख एवं प्रशिक्षण
    14.4.1 श्रवणेन्द्रि की देख-रेख के उपाय तथा श्रवणबाधिता की रोकथाम
    14.4.2 श्रवण प्रशिक्षण
    14.4.3 श्रवण प्रशिक्षण के चरण
    14.4.4 श्रवण प्रशिक्षण को प्रभावित करने वाले घटक
    14.4.5 श्रवणबाधित बच्चों के शिक्षण-प्रशिक्षण के दौरान अध्यापक को ध्यान में रखने योग्य कुछ तथ्य
14.5 सारांश
14.6 परिभाषिक शब्दावली
14.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
14.8 संदर्भ ग्रन्थ सूची
14.9 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री
14.10 निबंधात्मक प्रश्न

14.1 प्रस्तावना

इससे पहले की इकाई में आपने जाना कि श्रवण बाधिता क्या है। श्रवणबाधिता की स्थिति को कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है तथा इसकी विशेषताएं/लक्षण क्या-क्या हैं

श्रवणबाधिता से ग्रसित बच्चों के जीवन को पर्याप्त प्रशिक्षण एवं अवसर प्रदान कर उन्हें समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित किया जा सकता है। सही समय पर शीघ्र हस्तक्षेप एवं पहचान इनके देख-रेख एवं प्रशिक्षण हेतु

पहली आवश्यकता है। प्रस्तुत इकाई में श्रवणबाधित बच्चों की पहचान, स्थापन, उनके देख-रेख तथा प्रशिक्षण से सम्बन्धित जानकारियां प्रस्तुत हैं।

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप श्रवणबाधित बच्चों की पहचान, शैक्षिक स्थापन हेतु विकल्पों तथा उनके देख-रेख एवं प्रशिक्षण के सम्बन्ध में विस्तार से जान सकेंगे।

14.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप-

1. श्रवणबाधित बच्चों की पहचान की योग्यता विकसित कर सकेंगे।
2. श्रवणबाधित बच्चों के शैक्षिक स्थापन हेतु विकल्पों का विश्लेषण कर सकेंगे।
3. कानों की देख-रेख एवं श्रवणबाधिता की रोकथाम के उपायों से अवगत हो सकेंगे।
4. श्रवणप्रशिक्षण के लक्ष्य तथा उसके विविध चरणों का विश्लेषण कर सकेंगे।
5. श्रवणबाधित बच्चों के शिक्षण-प्रशिक्षण के दौरान अध्यापक द्वारा ध्यान देने योग्य सामान्य तथ्यों से परिचित हो सकेंगे।

14.3.1 श्रवणबाधिता की पहचान

श्रवणबाधिता की पहचान का महत्व:-

1. श्रवणबाधिता की शीघ्र पहचान होने से सही व्यवस्था की शुरूआत करने में आसानी होती है जिससे विकलांगता किस स्तर की है उसकी जानकारी होती है साथ ही उस विकलांगता को दूर करने या कम करने के उपाय खोजने में आसानी होती है।
2. शीघ्र पहचान तथा शीघ्र हस्तक्षेप से भाषा के विकास के क्रान्तिक काल 0-3 वर्ष का सही उपयोग किया जा सकता है।
3. श्रवणबाधिता की शीघ्र पहचान होने से भाषा विकास में होने वाली कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है। भाषा विकास में आने वाली बाधाओं को ज्ञात कर उन बाधाओं को दूर करना, साथ ही विभिनन तरीकों को अपनाना जिससे भाषा विकास तेज हो सके तथा बोलने की, वर्तालाप करने की दक्षता विकसित हो सके।
4. यदि श्रवणबाधिता की शीघ्र पहचान हो जाती है जो ये वर्तालाप विकास या भाषा विकास में सहयोगी होती है जिससे व्यक्ति का सामाजिक, भावात्मक, शैक्षिक तथा व्यक्तिगत विकास तेजी से होता है।

5. हमारे देश में हर साल 21 हजार बच्चे श्रवणबाधित पैदा होते हैं। श्रवणबाधिता की शीघ्र पहचान होने से श्रवणबाधिता के प्रभाव को कम करने में सहायता मिलेगी साथ ही इस विकलांगता पर हर साल खर्च होने वाले वित्तीय बोझ में भी कमी आयेगी।

श्रवणबाधिता की पहचान सामान्यतः माता-पिता एवं परिवार के सदस्यों के द्वारा ही हो जाती है। श्रवणबाधिता की पहचान निम्न प्रकार से कर सकते हैं-

1. कान की बाह्य आकृति के आधार पर - बाह्य कान का जन्म से बना न होना। इसको 'एट्रीशिया' भी कहते हैं। बच्चे की कान की बनावट दोषपूर्ण होना। बच्चे के कान का बहने के आधार पर श्रवण बाधिता की पहचान किया जा सकता हैं।
2. व्यक्ति के व्यवहार के आधार पर -
    i. कान के पीछे हाथ लगाकर सुनने का प्रयास करना।
    ii. बहुत जोर से बोलना।
    iii. बात सुनते हुए आंखों पर समय से अधिक निर्भर होना।
    iv. बात करते समय वक्ता के चेहरे पर अधिक ध्यान देना।
    v. बात करते समय समझने में दिक्कत महसूस होना।
    vi. इशारों का अधिक प्रयोग करनाद्य
    vii. बोली अस्पष्ट होना।
    viii. बच्चे कम या बिल्कुल ही न बोल पाना ।
    ix. नाम पुकारने जाने पर उस ओर न मुड़ना।
    x. वर्तालाप करने में शर्म महसूस करना।
    xi. पीछे से आवाज देने पर मुड़कर न देखना।
    xii. टेलीवीजन या रेडियो की आवाज तेज करके सुनना।
    xiii. वर्तालाप के दौरान कही गई बात को दोहराने का अनुरोध करना।

14.3.2 श्रवणबाधित बच्चों का शैक्षणिक स्थापन

श्रवणबाधित बच्चों की शिक्षा हेतु अनेक विकल्प वर्तमान में मौजूद हैं सभी प्रकार के विकल्पों की अपनी विशेषताएं व कमजोरियां भी हैं। मौजूदा विकल्पों में सर्वोत्तम चयन विकलांगता की प्रकृति एवं गंभीरता पर निर्भर करती है। अतिअल्प एवं अल्पतम् रूप से बाधित बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ सामान्य विद्यालयों में सरलता से शिक्षा प्रदान किया जा सकता है तथा गम्भीर बच्चों को प्रारम्भिक प्रशिक्षण विशेष विद्यालयों में आसानी से दिया जा सकता है। मंगल (2009) के अनुसार सामान्यताः मौजूद शैक्षिक स्थापन के निम्नलिखित विकल्प हैं-

1. **सामान्य विद्यालयों की नियमित कक्षाएं (पूणतः समावेषन):-** इस व्यवस्था के अन्तर्गत श्रवणबाधित विद्यार्थी का स्थापन नियमित विद्यालय के नियमित कक्षाओं में सामान्य क्षमता वाले विद्यार्थियों के साथ होता है। श्रवणबाधित बच्चों की समस्याओं का निदान तथा विशेष अवश्यकताओं की पूर्ति, नियमित सामान्य शिक्षकों के द्वारा एवं कभी-कभी श्रवणबाधिता क्षेत्र के विशेषज्ञ एवं व्यावसायिकों के संपर्क द्वारा किया जाता है।
2. **नियमित कक्षाओं के साथ संसाधन कक्ष की सुविधाएं (आंशिक समावेषन):-** इस व्यवस्था के अन्तर्गत यद्यपि बच्चों का स्थापन सामान्य कक्षा के सामान्य विद्यार्थियों के साथ होता है परन्तु बच्चे श्रवणबाधिता के कारण उत्पन्न विशेष आवश्यकताओं एवं समस्याओं की पूर्ति हेतु अपने विद्यालयी समय का कुछ हिस्सा वो संसाधित कक्ष में व्यतीत करता है।
3. **नियमित विद्यालयों के अन्दर विशेष कक्षाएं (विद्यालय के अन्दर अलगाव):-** इसके अन्तर्गत श्रवणबाधित विद्यार्थियों को उनके सामान्य सहपाठियों से अलग, नियमित विद्यालय के परिसर के भीतर उनके उम्र, योग्यता तथा रूचि के हिसाब से सामूहित करके विशेष कक्षाओं के आयोजन के माध्यम से शिक्षा दी जाती है।
4. **विशेषतः श्रवणबाधित विद्यार्थियों हेतु दिवसीय विद्यालय:-** ये वो विद्यालय हैं जो दिन के समय श्रवणबाधित विद्यार्थियों के देख-रेख एवं शिक्षा का प्रबन्ध करतीं हैं। इस व्यवस्था का लाभ यह है कि श्रवणबाधित विद्यार्थी अपने परिवार के साथ रहकर दिन के समय विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करता हैं।
5. **आवासीय विद्यालय:-** यहां श्रवणबाधित बच्चे (खासकर बाधिरता के साथ अन्य विकलांगता वाले बच्चे) विद्यालय परिसर में ही अन्य श्रवणबाधित बच्चों के साथ शैक्षिक प्रगति एवं सामंजस्य हेतु आवश्यक शिक्षा एवं प्रशिक्षण इन बच्चों को प्रदान की जाती है। वे इन विद्यालयों में बाधिर या श्रवणबाधित समुदाय के रूप में प्रगति करते हैं। इन विद्यालयों में श्रवणबाधित विद्यार्थियों के लिए विशेष प्रावधान एवं संसाधन उपलब्ध होते हैं।

अभ्यास प्रश्न

1. वाहय कान का जन्म से न बने होने की स्थिति__________________ कहलाती है।
2. व्यक्ति के व्यवहार के आधार पर भी श्रवण बाधिता की __________________की जा सकती है।
3. श्रवणबाधिता के कारण सबसे अधिक__________________विकास प्रभावित होती है।
4. श्रवणबाधिता बच्चों के स्थापन के विकल्पों का चयन विकलांगता की __________________ एवं __________________ पर निर्भर करती है।

5. सामान्य विद्यालयों की नियमित कक्षाओं में श्रवणबाधित बच्चों की शिक्षा का अर्थ है __________________ समावेशन है।
6. श्रवणबाधित बच्चे आवासीय विद्यालय में __________________समुदाय के रूप में प्रगति करते हैं।
7. बाधिरता के साथ अन्य विकलांगता वाले बच्चों के लिए __________________विद्यालय उपयुक्त विकल्प है।

14.4 श्रवण बाधित बच्चो की देख दृरेख एवं प्रशिक्षण

14.4.1 कानों की देख-रेख के उपाय तथा श्रवण बाधिता की रोक थाम

i. कानों को धूल, पानी, मैल से बचाना चाहिये तथा साफ रखना चाहिए।
ii. कानों को नुकीली वस्तुओं जैसे- माचिस की तीली, बालों की पिन, पेंसिल आदि से खोदना नहीं चाहिये। कानों के क्षतिग्रस्त होने की सम्भावना बढ़ जाती है।
iii. कान पर मारना नहीं चाहिये। इससे कान सम्बंधित दिक्कत बढ़ सकती है
iv. बच्चों के ऊपर निगरानी रखनी चाहिये जिससे कि वो छोटी वस्तुएं जैसे:- मिट्टी, बीज इत्यादि को कान में न डाल दें। इससे कान के पर्दे खराब होने की सम्भावना बढ़ जाती है।
v. कान को हमेशा सूखा रखना चाहिये इसमें तेल इत्यादि को नहीं डालना चाहिये। इससे कानों में दर्द होने या सूजन आने की सम्भावना रहती है।
vi. गंदे पानी में कभी तैराकी नहीं करनी चाहिये। इससे गंदा पानी कानों में चला जाता है। जिससे संक्रमण होने की संभावना रहती है। तैरते वक्त हमेशा कानों में रूई लगा लेनी चाहिये।
vii. सड़क पर बैठने वाले व्यक्तियों से कभी कान साफ नहीं करवाना चाहिये। वे हमेशा गंदे औजारों का प्रयोग करते हैं जिससे संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही कानों को भी क्षति पहुंचती है। हमेशा रूई से कानों की सफाई करनी चाहिये।

श्रवणबाधिता की रोकथाम

i. निकट रिस्तेदारी में शादी नहीं करनी चाहिये।
ii. टीकारकरण समय-समय पर करवाना चाहिये। यदि कोई महिला रूबैला जैसी बीमारियों से ग्रसित है तो पूरा चेकअप भी करवाना चाहिये। कुपोषण से ग्रहिसत महिलाओं व बच्चों में इसकी संभावना अधिक बढ़ जाती है।
iii. गर्भवती महिला को अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल रखना चाहिये।
iv. गर्भवती महिलाओं को ऐसे व्यक्तियों के संपक्र से दूर रहना चाहिये जिन्हें संक्रमित बीमारी हो।

v. इस बात का खास ख्याल रखना चाहिये कि बच्चा पैदा होते वक्त डॉक्टर पूरी तरह प्रशिक्षित हो।
vi. बच्चे का टीकाकरण समय-समय पर हो।
vii. बिना धुले तकिये के कवर, तौलिया, या दूसरे व्यक्ति के द्वारा प्रयुक्त तकिया, जिसका कान पहले से संक्रमित हो, को प्रयोग नहीं करना चाहिये।
viii. बहुत ज्यादा शोर-गुल वाले माहौल में नहीं रहना चाहिये।

WHO ने 1980 में तीन तरह की रोकथाम के उपाय बतायें हैं:-

1. **प्राथमिक रोकथाम:-** इस प्रकार की विकलांगता को जड़ से पूरी तरह से खत्म करने के लिए टीकाकरण समय पर करवाना चाहिये। इसके लिए काउंसलिंग बेहद जरूरी है।
2. **द्वितीयक रोकथाम:-** यदि प्राथमिक स्तर पर रोकथाम नहीं हो पाती है तो इस विकलांगता को आगे बढ़ने से रोकने के लिए-
   - श्रवण सहायक यंत्रों का प्रयोग करना चाहिये।
   - कानों के बहने की बीमारी (ओटाइटिस मीडिया) का सही तरीके से इलाज करवाना चाहिये।
3. **तृतीयक रोकथाम:-** यदि प्राथमिक और द्वितीयक स्तर पर रोकथाम नहीं हो पाती है तो व्यक्तियों की विकलांगता किस स्तर की है इसकी जांच करने के पश्चात-
   - पुनर्वास के माध्यम से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना
   - व्यावसाहियक प्रशिक्षण के माध्यम से व्यक्ति की विकलांगता को दूर करने का प्रयास करना।

प्रारंभिक रोकथाम की रणनीति:- यदि सही तरीके से रणनीति बनाई जाये तो इसकी रोकथाम शुरूआत में ही की जा सकती है-

i. **पैरेन्ट इन्फैक्ट प्रोग्राम:-** इस प्रोगाम का मुख्य उद्देश्य अभिभावकों को उन कौशलों के बारे में अवगत कराना है जिससे वे अपने बच्चों की, जो इस विकलांगता से ग्रसित हैं, पूरी तरह देखभाल करने में सक्षम हो सकें।
ii. **होम ट्रेनिंग प्रोग्राम/ करेस्पॉन्डेन्स प्रोग्राम:-** इस प्रकार के प्रोग्राम अभिभावकों को प्रिन्ट मीडिया के माध्यम से प्रोफेशनल व्यक्तियों की सलाह उपलब्ध कराते हैं। चूंकि वे अभिभावक जो रोजाना इन व्यवसयिक केन्द्रों पर नहीं जा सकते उनके लिए ये कार्यक्रम सहायक सिद्ध हो सकते हैं।

iii. **ग्रुप पैरेन्ट मीटिंग:-** ये कार्यक्रम अभिभावकों को एक प्लेटफार्म प्रदान करते हैं जिससे वे अपने भावों को, अनुभवों को और समस्याओं को साझा कर सकें, साथ ही उन अभिभावकों से अपनी भावनाएं बांट सकें जिनके बच्चे भी इसी विकलांगता से ग्रसित हैं।

iv. **काउसलिंग एवं गाइडेंस:-** काउंसलिंग की प्रक्रिया उसी समय से प्रारम्भ होनी चाहिये जिस समय श्रवणबाधित बच्चे की पहचान हो जाये। ये प्रक्रिया तब तक क्रियान्वित रहे जब तक बच्चे का पूर्ण पुनर्वास न हो जाये। अभिभावकों को इस तरह के सुझाव देने चाहिये जिससे बच्चों के कौशल को पहचान कर उसका पूर्ण विकास किया जा सके।

14.4.2 श्रवण प्रशिक्षण

श्रवण प्रशिक्षण की विभिन्न लोगों ने कई परिभाषाऐं दी हैं। सभी परिभाषाऐं इस तरफ इशारा करती हैं बालक को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाये वह अपनी बची हुई श्रवण क्षमता का ज्यादा से ज्यादा उपभोग कर सके। कुछ परिभाषाऐं निम्नवत हैं-

i. ''श्रवण प्रशिक्षण उन प्रक्रियाओं का समूह है जिसका मुख्य लक्ष्य श्रवणबाधित बच्चों में कौशल का विकास करना है जिससे वे आवाज को सुन सकें, समझ सकें, एक आवाज से दूसरी आवाज में विभेद कर सकें, अधिक से अधिक आवाज को प्राप्त कर सकें।'' (Kelly, 1953)

ii. ''श्रवण प्रशिक्षण उन प्रक्रियाओं का समूह है जिनके माध्यम से श्रवणबाधित बच्चे तथा श्रवणबाधित व्यक्ति को इस प्रकार शिक्षित किया जाये जिससे वह श्रवण से संबंधित चिन्हों का पूरा लाभ उठा सके।'' (Carhast, 1960)

iii. श्रवण प्रशिक्षण तीन मुख्य बातों पर आधारित है (1) व्यक्ति का ध्वनि में विभेद (2) श्रवण से संबंधित यंत्र का अनुस्थिति ज्ञान (3) सहन क्षमता का विकास'' (Alpiner, 1978)

इन सभी परिभाषाओं से ये साबित होता है कि श्रवणबाधित बच्चे को इस प्रकार प्रशिक्षित या शिक्षित किया जाये जिससे वे अपनी बची हुई श्रवण क्षमता का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर सकें।

श्रवण प्रशिक्षण का लक्ष्य:-

i. दूसरों के द्वारा बोली गई भाषा की बेहतर समझ:-सुनकर वाणी को बेहतर समझने की कला विकसित करना।

ii. भाषा का प्रयोग करने में तेजी से विकास:-भाषा का विकास बहुत तेजी से होता है यह सामान्य दिशा की ओर प्रगति करता है।

iii. वाणी में शुद्धता आती है:- साधारण बच्चे, बड़ों के बोलने के तरीकों की नकल करते हैं, तथा स्वयं की वाणी को सही करते हैं, अपनी और बड़ों की वाणी की तुलना करके। इसी प्रकार श्रवणबाधित बच्चों को इस प्रकार का प्रशिक्षण देने का लक्ष्य है कि बच्चे अपने बड़ों के बोलने के तरीकों को सुनें और अपने बोलने की कला को विकसित करें।

iv. उच्च शैक्षिक उपलब्धि:- पहले तीन लक्ष्य बच्चे को शैक्षिक उपलब्धि दिलाने में मदद करेंगे।

v. श्रवणयुक्त संसार के माध्यम से बेहतर सामाजिक व भावनात्मक ताल-मेल:- एक बच्चे का सर्वांगीण विकास, वह भी सभी स्तरों पर इस बात पर निर्भर करता है कि उसका सामंजस्य उस संसार से कितना बेहतर है जिस संसार में ज्यादातर सुनने वाले लोग रहते हैं।

14.4.3 श्रवण प्रशिक्षण के चरण

नीचे दिये गये चरण ‘परम्परागत उपगम’ में अपनाये गये जिसे Hirsch (1966), Ling (1976) तथा Erber (1982) ने प्रोत्साहित किया Jalvi, NardurKar, Bantwal (2006) में उद्धृत) पर अधारित है:-

i. आवाज को पहचानने की जागरूकता:-सबसे प्रमुख प्रक्रिया है, यह जानना कि ध्वनि उपस्थित है अथवा नहीं। इसके लिये ध्वनि का अनुपस्थिति ज्ञान होना जरूरी है। इससे बच्चे को मदद मिलती है कि कौन सी वस्त ध्वनि उत्पन्न करती है कौन सी नहीं।

ii. विभेद:- इससे पता चलता है कि ध्वनि में भी विभिन्नता होती है समझ विकसित होती है कि भिन्न-भिन्न वस्तुएं भिन्न-भिन्न आवाज उत्पन्न करती हैं। एक ही स्रोत भिन्न-भिन्न आवाज उत्पन्न कर सकते हैं। समान और भिन्न में विभेद करना।

iii. पहचान:-जो सुना गया है उसे एक नाम देना। बच्चे में इतनी क्षमता विकसित करना जिसे वह सुनी गयी ध्वनि की तरफ इशारा कर सके, चित्र की तरफ इशारा कर सके जो उस ध्वनि से सम्बन्धित है। लिखे हुए शब्द या वाक्य की तरफ इशारा कर सके जो सुना गया है। ये वर्तालाप का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है।

iv. समझ:- जो कुछ सुना गया है उसका एक अर्थ निकालना। ये भाषा के कौशल पर निर्भर करात है। इससे पता चलता है कि बच्चा जो कुछ भी सुनता है उससे नई जानकारी हासिल करता है। और उसी के अनुसार व्यवहार करता है।

14.4.4 श्रवण प्रशिक्षण को प्रभावित करने वाले घटक

1. **श्रवणीय हानि तथा श्रवणीय यंत्र से संबंधित तथ्य:-**बच्चे की उम्र जिसमें शीघ्रता से पता चल जाये कि बच्चा श्रवणबाधित है वह उसके लिए उतना ही लाभकारी है। यदि शुरूआती अवस्ता में बच्चे की श्रवणबाधिता का पता चल जाता है तो इससे उससे सम्बन्धित विकलांगता को दूर करने से

संबंधित निर्णय लेने में आसानी रहती है। शोध यह प्रदर्शित करते हे। कि जो बच्चे 6 माह की उम्र से पहले पचान लिये जाते हैं कि वो श्रवणबाधित हैं वे श्रवण उपकरण के लिये सबसे ज्यादा उपयुक्त होते हैं। बजाय इसके जिन बच्चों की पहचान 6 महीने बाद होती है। बच्चों में बची हुई श्रवण क्षमता भी, श्रवणीय उपकरण तथा श्रवण प्रशिक्षण के लिए लाभकारी होती है।

2. **प्रेरणा:-** एक श्रवणबाधित बच्चे में प्रेरणा विकसित करने के लिये सबसे ज्यादा उत्तर दायी अभिभावक, अध्यापक तथा स्वयं उस बच्चे के सहपाठी तथा भाई-बहन हैं। सर्वप्रथम अध्यापक को इतना दृढ़ विश्वास होना चाहिये कि बच्चा अपनी बची हुई श्रवणशक्ति का अधिकाधिक प्रयोग करे। अध्यापक, अभिभावक को प्रेरणा दे सकता है कि बच्चे के श्रवण प्रशिक्षण में वे एक सक्रिय भूमिका अदा करें। बच्चा जब श्रवण प्रशिक्षण में भाग ले तो अभिभावक इस बात का खास ख्याल रखें कि सीखने की प्रक्रिया बच्चे के लिए रूचिकर हो और बच्चे के लिये चुनौतीपूर्ण हो ताकि बच्चा उस कार्य में अपनी रूचि बनाये रखे नाकि अपनी रूचि खो दे। बच्चा तनाव में ना आने पाये इसका भी ध्यान रखा जाये।
3. **अध्यापक तथा अभिभावक में सामंजस्य:-**अध्यापक को अभिभावकों की काउंसलिंग करनी चाहिये जिससे वे प्रशिक्षण में सक्रिय भूमिका अदा कर सकें। जब भी क्लॉस में कोई नया कार्य सिखाया जाये, अभिभावक बच्चे के साथ उसका अभ्यास घर पर जरूर करें। इससे बच्चा जल्दी सीखेगा।
4. **कौशलों का अभ्यास तथा उपयोग के अवसर:-** अध्यापक को अभिभावक को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि जो भी नया कौशल बच्चों को सिखाया है उसका अभ्यास पहले से कर लिया जाय। इसके लिये अध्यापक और अभिभावक को इस प्रकार का महौल तैयार करना चाहिये चाहिये जिससे नयी सीखी गई विधा का विधिवत् अभ्यास कर लिया जाये। मान लिजिये अध्यापक को क्लास में सिखाना है कि ‘‘ध्वनि उपस्थित है’’ तथा ‘‘ध्वनि उपस्थित नहीं है’’ तो उसे इस प्रक्रिया का रोज अभ्यास कराना पड़ेगा जब तक कि बच्चा सीख न जाये। साथ ही साथ अभिभावकों को घर पर इसका अभ्यास कराना पड़ेगा। जैसे- माता एक डिब्बे में सिक्के भरकर हिला सकती है और कहें ‘‘इसमें ध्वनि है’’। इसके बाद सिक्के निकालकर, हिलाकर कहें कि ‘‘इसमें ध्वनि नहीं है’’।
5. **सही गलत का सामंजस्य:-** बच्चे में इस आदत का विकास किया जाये कि ध्वनि के प्रति अपना पूरा ध्यान दे साथ ही सजग रहे। बच्चे को इतना तत्पर होना चाहिये जिससे वह वातावरण में उपस्थित ध्वनि के प्रति तुरंत सतर्क हो। यह तभी संभव है जब उसे सही तरीके से प्रशिक्षण दिया गया हो। बच्चों को यह भी ध्यान देने की आदत डालनी चाहिये कि जो कुछ भी उसने सुना वह सही है अथवा गलत।

6. **बच्चे में कार्य को समझने तथा प्रतिक्रिया करने की योग्यता:-** अध्यापक को इस बात की समझ होनी चाहिये कि प्रशिक्षण बच्चे के स्तर का है अथवा नहीं। बच्चे को भी इस बात को समझना चाहिये कि वह प्रशिक्षण में सही तरीके से भाग ले पा रहा है अथवा नहीं। साथ ही अध्यापक उससे क्या आशा कर रहा है।
7. **अध्यापक द्वारा प्रयोग किये गये तरीके:-** सही परिणाम प्राप्त हों इसके लिए यह जरूरी है कि अध्यापक प्रशिक्षण के दौरान सही तरीकों का इस्तेमाल करें। यदि अध्यापक ऐसे तरीकों का इस्तेमाल करता है जो बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है, या तो उसका स्तर बहुत ऊंचा है अथवा नीचे है, तो बच्चे का विकास संतोषजनक नहीं होगा। इस प्रकार के खेल क्रियायें की जायें जिसमें बच्चे की रूचि हो। अध्यापक को प्रत्येक क्रिया तथा प्राप्त परिणाम को नोट करना चाहिये। यदि विकास नहीं हो पा रहा हो तो अपने प्लान में फेरबदल कर देना चाहिये।

14.4.5 श्रवणबाधित बच्चों के षिक्षण- प्रशिक्षण के दौरान अध्यापक को ध्यान में रखने योग्य कुछ तथ्य

इन बच्चों को सही समय पर उचित शिक्षण-प्रशिक्षण प्रदान कर बाधिरता के प्रभाव को न्यून किया जा सकता है जिससे ये आत्मनिर्भर होकर समाज की मुख्यधारा में आसानी से जुड़ सकें। इन्हें शिक्षित-प्रशिक्षित करके समाज में समावेशित करने में वर्तमान के समावेशी तथा समेकित शिक्षा के अध्यापकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। नीचे कुछ तथ्य दिये गये हैं जो इनके शिक्षण-प्रशिक्षण के दौरान महत्वपूर्ण हैं:-

i. इन बच्चों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखें।
ii. इन बच्चों की भाषा व सम्प्रेषण क्षमता अत्यधिक प्रभावित होती है। इन दोनों कौशलों का विकास इनके शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों में एक है। अतः अध्यापक को इनके शिक्षा के प्रारम्भिक वर्षों में भाषा के विकास करने एवं सम्प्रेषण कौशल को बढ़ाने हेतु उचित अवसर का सृजन करना चाहिए।
iii. भाषा एवं सम्प्रेषण के साथ ही वाचन एवं लेखन के विकास का भी प्रयास किया जाना चाहिए जिससे कि वे शिक्षा का समुचित लाभ उठा सकें।
iv. वाक् प्रशिक्षण एवं अवशिष्ट श्रवण क्षमता के उपयोग के सम्यक् प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिये।
v. श्रवणबाधित बच्चों में प्राकृतिक भाषा का विकास किया जाना चाहिए।
vi. कक्षा में इन बच्चों को आगे की सीट पर बैठने की व्यवस्था की जानी चाहिए जहां से शिक्षक का चेहरा ठीक से दिखाई दे।
vii. शिक्षण-प्रशिक्षण के दौरान शिक्षक द्वारा बच्चे की श्रवण यन्त्र की जांच कर लेनी चाहिए।

viii. वातावरण को शान्त एवं शोरगुल से मुक्त रखने का प्रयास करना चाहिए।

ix. बच्चे को दरवाजा या खिड़की के पास नहीं बैठाना चाहिए।

x. श्रवणबाधित बच्चों को पढ़ाते समय अतिरिक्त हाव-भाव का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।

xi. इन बच्चों को सामान्य बच्चों जैसे ही स्वीकार करें तथा अक्षमता वाला न मानकर भिन्न रूपेण योग्य मानकर शिक्षित-प्रशिक्षित करना चाहिए।

अभ्यास प्रश्न

8. श्रवण सहायक यंत्रों का प्रयोग __________________ रोकथाम के अन्तर्गत आता है।
9. टीकाकरण __________________रोकथाम है।
10. __________________तृतीयक रोकथाम में आता है।
11. बची हुई __________________क्षमता के उपयोग का प्रशिक्षण श्रवण-प्रशिक्षण कहलाता है।
12. ध्वनि में विभेदक्षमता __________________का हिस्सा है।
13. __________________प्रदान कर बाधिरता के प्रभाव को न्यून किया जा सकता है।
14. श्रवणबाधित बच्चों में __________________भाषा का विकास किया जाना चाहिए।

14.5 सारांश

- श्रवणबाधिता बच्चो के लिए सही समय पर प्रशिक्षण प्रारम्भ हो सके इसके लिए उनका शीघ्र पहचान होना आवश्यक हैं जिससे विकलांगता के स्तर की जानकारी हो सके शीघ्र पहचान तथा शीघ्र हस्तक्षेप से भाषा के विकास के क्रान्तिक काल का सही उपयोग किया जा सकता है। तथा भाषा विकास में होने वाली कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है। जिससे व्यक्ति का सामाजिक, भावात्मक, शैक्षिक तथा व्यक्तिगत विकास तेजी से होता है। श्रवणबाधिता की पहचान सामान्यतः माता-पिता एवं परिवार के सदस्यों के द्वारा ही हो जाती है। श्रवणबाधिता की पहचान कान की बाह्य आकृति के आधार पर तथा व्यक्ति के व्यवहार के आधार पर की जा सकती हैं।
- श्रवण बाधित बच्चो का स्थापन विकलांगता की प्रकृति एवं गंभीरता पर निर्भर करती है। अतिअल्प एवं अल्पतम् रूप से बाधित बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ सामान्य विद्यालयों में सरलता से शिक्षा प्रदान किया जा सकता है तथा गम्भीर बच्चों को प्रारम्भिक प्रशिक्षण विशेष विद्यालयों में आसानी से दिया जा सकता है। मौजूद शैक्षिक स्थापन के सामान्य विद्यालयों की नियमित कक्षाएं

(पूणतः समावेषन) नियमित कक्षाओं के साथ संसाधन कक्ष की सुविधाएं (आंषिक समावेषन)ए नियमित विद्यालयों के अन्दर विशेष कक्षाएं (विद्यालय के अन्दर अलगाव)ए विशेषतः श्रवणबाधित विद्यार्थियों हेतु दिवसीय विद्यालयए आवासीय विद्यालय विकल्प हैं।

- सही जानकारी तथा थोड़ी सावधानी से अधिकतर बच्चों में श्रवण अक्षमता की रोकथाम की जा सकती है श्रवण बाधिता के लिए प्राथमिक , द्वितीयक ,तृतीयक रोकथाम को अपनाया जा सकता हैं। पैरेन्ट इन्फैक्ट प्रोग्रामए होम ट्रेनिंग प्रोग्राम/ करेस्पॉन्डेन्स प्रोग्रामए ग्रुप पैरेन्ट मीटिंग ,परामर्श एव निर्देशन प्राथमिक रोक थाम के उपाय हैं।
- श्रवणबाधित बच्चे को अपनी बची हुई श्रवण क्षमता का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने का प्रशिक्षण देना उनके शिक्षण. प्रशिक्षण का महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए।

14. 6 शब्दावली

1. संसाधन कक्ष - जहाँ श्रवणबाधिता के कारण उत्पन्न विशेष आवश्यकताओं तथा समस्याओं की पूर्ति हेतु संशाधन उपलब्ध हो
2. सामंजस्य- ताल मेल, अनुकूलन

14.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. एट्रीशिया
2. पहचान
3. भाषा
4. प्रकृति, गम्भीरता
5. पूर्णताः
6. श्रवणबाधित
7. आवासीय
8. द्वितीयक
9. प्राथमिक
10. पुनर्वास एवं शिक्षण-प्रशिक्षण
11. श्रवण
12. श्रवण-प्रशिक्षण
13. शिक्षण-प्रशिक्षण

14. प्राकृतिक

14.8 संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. Jalvi, R Nandurkar, A., Bantwal, A., (2006), Auditory Learning- Auditory Training, in R. Ranga Sayee (Eds), Introduction to Hearing Impairment, New Delhi, RCI in Association with Kanishka Publishers.
2. Mangal, S.K. (2009), Educating Exceptional Children An Introduction to Special Education, New Delhi, PHI Learnigh Private Limited.

14.9 सहायक उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. Ysseldyke, J.E., B. Algozzine and M.L. Thuslow (1992),Critical Issues in Special Education (2nd edn), Boston: Houghton Mifflin.
2. Julka, A. (2007), Meeting Special Needs in School: a Manual, New Delhi, NCERT
3. Panda, K.C. (2004), Education of exceptional Children. A base text on the rights of the handicapped and the gifted, Vikas Publishing House.
4. Cecil, R.Reynolds (2007), Encyclopedia of special Education, (3rd Ed.). A reference guide for the education of the handicapped and other exceptional children and adults, N.Y. John Wiley & sons.
5. Heward, V.L. & Orlansky, M.D. (1996), Exceptional children, (6th Ed.), Charles E. Meril Publishing Company, Columbus.
6. Hallahan, D.P. and I.M. Kauffman (1991), Exceptional Children: Introduction to Special Education (5th edn.), Boston: Allyn & Bacon.
7. Evans, P and Verma, V. (Eds.) (1990) Special Education. Past Present and Future. The Faimer Press.
8. Bench, John, R. (1992). Communication Skills in Hearing Impaired Children, Whurr Publishers Ltd.
9. Goetzinger, C.P. (1978). The psychology of hearing impairment. In Katz, J. (ed). Handbook of Clinical Audiology London: Williams and Wilkins.

10. Kadar, Fatima, Gorawar Pooja and Huddar Asmita (2002). Communication Options Available for the Deaf: The Indian Scenarioin The Journal of the Indian Speech and Hearing Association. Vol –16 - 5.
11. Quigley, Stephen P and Kretschmer Robert E. (1982). The Education of the Deaf Children: University Park Press.
12. Vashishta, Madan; Woodward, James and Santis, Susan (1980). In Introduction to Indian Sign Language, All India Federation of the Deaf publication.
13. Ingram, David, (1989). Child Language Acquisition. Cambridge University Press: New York.
14. Owens, Robert, (2001). Language Development: An Introduction. Allen and Baum: MA
15. Parlmer, John M, and Yantis, Philip A. (1990). Survey of Communication Disorders. Williams and Wilkins: London.
16. Sanders, Derek A. (1993). Management of Hearing. New Jersy: Prentice Hall Inc.
17. Davis, H., Silverman, S.R., Hearing and deafness, New York Holt, Rinehart & Winston, 1970.

14.10 निबंधात्मक प्रश्न

1. श्रवण बाधिता की पहचान के महत्व के साथ उसके पहचान के तरीकों को बताईये।
2. श्रवणबाधित बच्चों के शैक्षिक स्थापन हेतु विकल्पों का विश्लेषण कीजिये।
3. कानों की देख-रेख एवं श्रवणबाधिता की रोकथाम के उपायों की चर्चा कीजिये।
4. श्रवण प्रशिक्षण के लक्ष्य तथा उसके विविध चरणों का विश्लेषण कीजिये।
5. श्रवणबाधित बच्चों के शिक्षण. प्रशिक्षण के दौरान अध्यापक द्वारा ध्यान देने योग्य तथ्यों की चर्चा कीजिये।

इकाई- 15 श्रवणबाधित बच्चों के लिए शैक्षिक समावेशन, शिक्षक की भूमिका

15.1 प्रस्तावना
15.2 उद्देश्य
15.3 विशेष शिक्षा के विविध चरण क्रमिक विकास
15.3.1 विशेष शिक्षा एकीकृत शिक्षा और समावेशित शिक्षा में अन्तर
15.3.2 समावेशन की प्रक्रिया
15.3.3 समावेशन के प्रतिमान
15.3.4 समावेशित शिक्षा में बाधा
15.3.5 श्रवण बाधित विद्यार्थियों का समावेशन
15.3.6 श्रवणबाधित विद्यार्थियों के समावेशन के लाभ
15.4 श्रवण बाधित विद्यार्थियों का समावेशन में अध्यापक की भूमिका
15.5 सारांश
15.6 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
15.7 संदर्भ ग्रन्थ सूची
15.8 सहायक/उपयोगी पाठ्यसामग्री
15.9 निबन्धात्मक प्रश्न

15.1 प्रस्तावना

श्रवण बधिता से सम्बंधित इससे पूर्व की इकाइयों में आपने जाना कि श्रवण बाधिता क्या है। इसे कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है तथा इसकी पहचान, स्थापन, देख-रेख एवं प्रषिक्षण की विधियां क्या हैं।

वर्तमान में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षित करने तथा उनको समाज की मुख्य धारा में स्मिलित करने के लिए समावेशित शिक्षा को एक मात्र विकल्प के रूप में देखा जा रहा हैं। विशेष शिक्षा के क्रमिक

विकास में यह एक सबसे महत्वपूर्ण सोपान हैं जो बिना भेद भाव के सभी बच्चो को सामान अवसर प्रदान करती हैं। प्रस्तुत इकाई में समावेशन से सम्बंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्रस्तुत हैं।

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप विशेष शिक्षा एकीकृत शिक्षा और समावेशित शिक्षा में अन्तरए समावेशन के प्रतिमान उसकी प्रक्रियाए समावेशित शिक्षा में बाधाएश्रवणबाधित विद्यार्थियों के समावेशन के लाभ तथा श्रवण बाधित विद्यार्थियों का समावेशन में अध्यापक की भूमिका के सम्बन्ध में विस्तार से जान सकेंगे।

15.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के बाद-

1. समावेशन की प्रक्रिया को समझा सकेगें।
2. समावेशित शिक्षा को परिभाषित कर सकेगें।
3. विशेष शिक्षा,एकीकृत शिक्षा और समावेशित शिक्षा में अन्तर स्पट कर सकेगें।
4. समावेशन के प्रतिमान को परिभाषित कर सकेगें।
5. श्रवण बाधित विद्यार्थियों के लिए समावेशन के लाभ को स्पष्ट कर सकेगें।
6. समावेशित शिक्षा में आने वाली बाधाओं केा बता सकेगे।
7. श्रवण बाधित विद्यार्थियों के समावेशन के बाद अध्यापक की भूमिका को स्पष्ट कर सकेगें।

15.3 विशेष शिक्षा के विविध चरण क्रमिक विकास

विशेष शिक्षा का प्रारम्भ 18 वी0 शताब्दी के प्रारम्भ में हो गया था। समय के साथ साथ इसमें धीरे धीरे बहुत से परिवर्तन आयें। प्रारम्भ से हमारे पास दो प्रकार की शिक्षा व्यवस्था थी। पहले में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षित किया जाता था तथा दूसरें मे इन बच्चों के अलावा अन्य बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। लगभग 70 मे दशक से विशेष शिक्षा में एक नये प्रचलन का प्रारम्भ शुरू हुआ। शिक्षा व्यवस्था के इस नये चलन में इस बात पर जोर दिया गया कि विद्यालय में सभी बच्चों का स्वागत बिना किसी भेद भाव के आधार जैसे विकलागंता समुदाय धर्म लिंग किया जाए।

15.3.1 विशेष शिक्षा एकीकृत शिक्षा और समावेशित शिक्षा में अन्तर

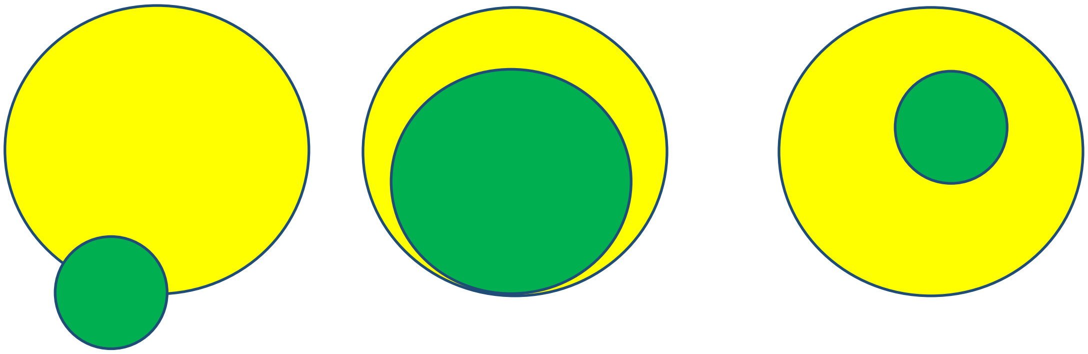

विशेष शिक्षा की	एकीकृत दृष्टिकोण	समावेशी शिक्षा प्रणाली
अवधारणा के	में यह सामान्य	में विशेष शिक्षा सामान्य
पृथक सामान्य है।	शिक्षा का एक	शिक्षा प्रणाली का एक शिक्षा प्रणाली से हिस्सा है।
	अभिन्न हिस्सा है।	

15.3.2 समावेशन की प्रक्रिया

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा मे शामिल करने के लिए राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सी नीतियों एवं सन्धियों का योगदान रहा है। इनमें मुख्यतः

Platform for Inclusive Education

i. 1948: universal declaration of human rights;
ii. 1982: World Programme of Action;
iii. 1989: United Nations Convention on the rights of children;
iv. 1990: Declaration of the world of education for all, Jomtien;
v. 1993: Standard Rules on the Equalization of Opportunities for persons with disabilities;
vi. 1994: Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education;
vii. 1999: Review of 5 years of Salamanca; 2000: A Framework for Action Forum World Pendikan, Dackar;

viii. 2000: Millennium Development Goals that focus on decreasing the number Kemisnikan and Development;

ix. 2001: Flagship Education for All (EFA) on Education and Disability.

जून 1994 में स्पेन के सलामांका नामक स्थान पर विशेष आवश्यकता पर आधारित शिक्षा पर एक विश्व सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन में विश्व के 92 देशों एवं 25 अन्तर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों ने प्रतिभाग किया। सभी लोग विकलांग बच्चों की शिक्षा के नये गतिशील व्रतान्त "समावेशन एक कसौटी" पर सहमत हुए थे।

सलामांका कथन के अनुसार.

i. शिक्षा सभी बच्चों का अधिकार होना चाहिए।
ii. सभी बच्चों में अपनी विशिष्ट विशेषता सामर्थ्य एवं सीखने की आवश्यकता होती है।
iii. विशेष आवश्यकता के लोग सामान्य स्कूलों तक पहुंच स्थापित कर सकें।
iv. सामान्य स्कूल समावेशित सदाचार के साथ भेदभावपूर्ण नजरियें से आगे आकर समावेशित समाज का निर्माण करें जिससे सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।
v. स्कूलों केा बहुतय बच्चों को उनकी क्षमता के अनुसार प्रभावशाली शिक्षा देनी चाहिए।

सलामांका कथन में सभी सरकारों से निम्नलिखित के लिए बुलाया है

i. शिक्षण व्यवस्था को समावेशित बनाने को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाये।
ii. समावेशित शिक्षा के सिद्धान्तों को अधिनियम अथवा नीति के रूप में स्वीकार किया जाए।
iii. निरूपण परियोजनाओं का विकास किया जाये तथा विभिन्न देशों के समावेशित स्कूलों में आदान प्रदान को बढावा दिया जाये।
iv. विकलांगजनो के लिए बनाये जा रहे कार्यक्रमों एवं नीतियों में उनके लिए कार्य कर रहें संगठनों विकलांगजनो एवं उनके माता पिता को सम्मिलित किया जाये।
v. शीघ्र पहचान एवं शीघ्र हस्तक्षेप की युक्तियों पर अधिक ध्यान दिया जाये।
vi. समावेशित शिक्षा के व्यवसायिक आयाम पर अधिक निवेश किया जाये।
vii. पर्याप्त शिक्षक शिक्षण कार्यक्रम को सुनिश्चित किया जाये।

15.3.3 समावेशन के प्रतिमान

पूर्ण समावेशन- पूर्ण समावेशन में विकलांग छात्रों से सामान्य विद्यालय की कक्षा मे नियमित रूप से अनुदेशन ग्रहण करते है तथा सहायक सेवायें वही पर छात्रों को उपलब्ध करायी जाती है।

सहायक अधिगम- सहायक अधिगम मे छात्रों के छोटे छोटे समूह बनाये जाते हैं। जिसके माध्यम से छात्र अपनी अधिकतम क्षमता के साथ कार्य करते है और अन्य सहपाठियों को भी उनके अधिगम में सहायता देते है।

सहायक अधिगम मे पांच मुख्य मौलिक घटक शामिल होते है-

- सकारात्मक परस्पर निर्भरता
- व्यक्तिगत एवं समूह जवाबदेही
- पारस्परिक और छोटा समूह कौशल
- आपने सामने धनात्मक अन्तःक्रिया
- समूह प्रसंस्करण

अनुदेशात्मक रूपान्तरण और सामंजस्य- वास्तविक समावेशन के लिए अनुदेशात्मक रूपान्तरण और सामंजस्य होना बहुत ही आवश्यक होता है। सामान्य शिक्षा की कक्षा में विकलांग विद्यार्थियों के प्रदर्शन का स्तर सामान्य विद्यार्थियों के स्तर के बराबर नहीं होता है। इसलिए समावेशित शिक्षा में सामान्य अध्यापकों को कक्षा में पढ़ाते समय पाठ योजना निर्देशों को इस तरह रूपान्तरित और सामंजस्य स्थापित करना चाहिए जिससे प्रत्येक छात्र को शिक्षण सामग्री जानने का अवसर प्राप्त हो सके। इसके लिए शिक्षक उपलब्ध सामग्री को फिर से लिख सकते है या पुनर्निर्माण कर सकते है जिससे विद्यार्थी की पाठ्यचर्चा पर स्वतंत्र पहुॅच स्थापित हो सके अथवा विकलांग छात्रों के स्वाभाविक सीखने की समस्या की क्षतिपूर्ति करने कि लिए किसी अन्य वैकल्पिक सामग्री का चयन कर सकता है।

सामान्य शिक्षा के शिक्षकों को प्रशिक्षण- सामान्य शिक्षा के अध्यापक अपने विषय विशेषज्ञ होते है लेकिन ये अध्यापक विकलांग विद्यार्थियों की विशेष आवश्यकता को अच्छे से वहीं समझते है। विशेष शिक्षक विभिन्न विषयों के विषय वस्तु में निपुण नहीं होते है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सामान्य शिक्षा के अध्यापकों को विभिन्न विकलांगताओ तथा विशेष अनुदेशन की आवश्यकता के बारे में अतिरिक्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाये।

आंशिक समावेशन- आंशिक समावेशन में विकलांग विद्यार्थी नियमित रूप से सामान्य कक्षा में अपने सहपाठियों के साथ शिक्षा प्राप्त करता है लेकिन अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओ के हिसाब से उसे कुछ समय के लिए उसे वहॉ से निकाला जाता है।

सहयोग परामर्श मंत्रणा- सहयोगपूर्ण परामर्श में इस बात पर बल दिया जाता है कि विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी को सामान्य शिक्षा की कक्षा में उचित रूप से शामिल है। इसमें विशेष शिक्षक सामान्य शिक्षा के शिक्षकों में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की जरूरत और उपयुक्त सीखने के माहौल बनाने में सहयोग करता है।

टोली शिक्षण- टोली शिक्षण प्रतिमान में सामान्य शिक्षा एवं विशेष शिक्षा के अध्यापक सभी विद्यार्थियों को एक कक्षा में संयुक्त रूप से शिक्षण करते हैं। इलिओट और किने 1998 के अनुसार सामान्य शिक्षण व्यवस्था में विद्यार्थियों में पूरी तरह से समावेशी प्रणाली द्वारा लाये गये तनाव के उच्च स्तर को कम करने के क्रम मे विशेष शिक्षा सेवायें उनसे वापस निकालने का कार्य करती है। विद्यार्थियों को नियमित कक्षा में शामिल किया जाना चाहिए तथा टोली शिक्षण के सम्प्रत्यय को ध्यान से चिन्तन कर सहयोग से पूर्व की योजना बनाई जानी चाहिए।

प्रभावशाली सह शिक्षण तभी सम्भव है जब शिक्षक बराबर के सहयोगी की तरह कार्य करे। दोनों शिक्षकों द्वारा कक्षा के कार्य शिक्षण योजना और मूंल्याकन इत्यादि की प्रावस्था मे बराबर का अंशदान देना चाहिए। टोली शिक्षण को सफल बनाने के लिए एक प्रभावशाली योजना और अवलंब के साथ आवश्यक संसाधन सामग्री बहुत ही आवश्यक है।

क्रॉस और वाकर नाइट1997 के अनुसार सफल टोली के शिक्षक ईमानदारी से सहयोग करने के लिए अपनी व्यक्तिगत इच्छा पर ध्यान देना चाहिए।

समावेशित शिक्षा के टोली शिक्षण प्रतिमान में सामान्य शिक्षक विशेष शिक्षक एवं विद्यार्थियों के बहुत से लाभ प्रतिवेदित किये गये जैसेः-

- विकलांग छात्रों के सैद्धान्तिक प्रदर्शन के साथ साथ उनके आत्म सम्मान और अभिप्रेरणा में सुधार हुआ।
- सामान्य विद्यार्थियों के सैद्धान्तिक प्रदर्शन एवं सामाजिक कौशल में वृद्धि प्रतिवेदत की गयी।
- सामान्य एवं विशेष शिक्षकों नौकरी संतुष्टि एवं व्यवसायिक विकास मे वृद्धि देखी गयी।

सहायक शिक्षण- सामान्य कक्षा में विकलांग विद्यार्थी तथा सामान्य विद्यार्थियों के विविधता वाले समूह को सामान्य शिक्षक साथ-साथ पढाते है। दोनो अध्यापक विद्यार्थियों की आवश्यकता के आधार पर अनुदेशन की योजना बनाते है तथा उसे प्रदान करते है। ये अध्यापक विद्यार्थियों की उपलब्धि,आकलन तथा अनुशासन के लिए उत्तरदायी होते है।

15.3.4 समावेशित शिक्षा में बाधा

समावेशित शिक्षा में निम्न बाधांए देखने को मिलती है-

i. **सामाजिक दृष्टिकोण-** विशेष विद्यार्थियों के समायोजन में सामाजिक दृष्टिकोण सबसे बडी बाधा के रूप में दिखाई देता है। समाज के नकारात्मक दृष्टिकोण के कारण ये विद्यार्थी अपने आप को अपेक्षित महसूस करते है। अतः सफल समावेशन के लिए समाज का धनात्मक दृष्टिकोण बहुत ही जरूरी है।

ii. **भौतिक बाधा-** भौतिक बाधा के कारण बहुत से अधिगम संस्थानों में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की पहुँच नहीं हो पाती है। ये वातावरणीय बाधा जैसे- दरवाजा, सीडियां, रैम्प, सांकेतिक चिह्न, सांकेतिक भाषा अनुवादक इत्यादि।

iii. **पाठ्यचर्या-** विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के समावेशन में सामान्य विद्यार्थियों के लिए बनायी गयी पाठ्यचर्या भी एक प्रमुख बाधा की तरह कार्य कती है। यह पाट्यचर्या विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाती है। सामान्यतः पाठ्यचर्या का निर्माण बहुत ही दृढ़ होता है जिससे अध्यापकों को अनुकूलन एवं नये उपागमों के प्रयोग के अवसर नहीं मिल पाते है। पाठ्यचर्या के संदर्भ श्रवणबाधित की भाषा एवं जीवन शैली से अलग होने के कारण इन विद्यार्थियों के पहुँच से दूर रहते है।

iv. **भाषा और सम्प्रेषण-** सामान्य शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया पूर्णतः मौखिक भाषा पर आधारित होती है। मौखिक भाषा श्रवण बाधित विद्यार्थियों की प्राथमिक भाषा नहीं होती है। अतः सामान्य शिक्षण अधिगत में श्रवण विद्यार्थी लाभान्वित नहीं होते है और यह श्रवणबाधित विद्यार्थियों के समायोजन में बाधा की तरह कार्य करती है।

v. **अध्यापक प्रशिक्षण-** समावेशित शिक्षा में श्रवण बाधित विद्यार्थियों को सामान्य अध्यापकों द्वारा भी शिक्षण कार्य किया जाता है। सामान्य अध्यापकों केा श्रवणबाधित विद्यार्थियों के शिक्षण हेतु प्रशिक्षण नहीं प्राप्त होता है। अतः अप्रशिक्षित अध्यापक भी श्रवण बाधित विद्यार्थियों के समावेशन में बाधा की तरह कार्य करते है।

vi. **नीतियाँ -** सामान्यतः समावेशित शिक्षा की नीतियॉ उन लोगों द्वारा बनायी जाती है जो लोग न तो विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की आवश्यकता को और न ही समावेशन शिक्षा के सम्प्रत्य को समझते है।

vii. **नामकरण-** सामान्यतः सामान्य विद्यालय के अध्यापक द्वारा विशेष आवश्यकता के विद्यार्थी का नामकरण कर दिया जाता है जैसे- लंगड़ा, अन्धा, बहरा, पागल इत्यादि। समावेशित शिक्षा में इस

प्रचलन का कोई स्थान नहीं होता है क्योंकि यह बालक के नकारात्मक आधार को दर्शाता है। अध्यापक और माता- पिता की अपेक्षाएं विद्यार्थियों से कम हो जाती है जिसका प्रभाव उनके प्रदर्शन में दिखाई देता है। विद्यार्थी के कमजोर शैक्षिक निष्पादन को अध्यापक उसकी कमी से साथ जोड़कर बताता है। वह इसे अपने अनुदेशन निर्देश की असफलता नहीं मानता है। इस तरह नामांकित विद्यार्थी में कमजोर सम्प्रत्य का विकास होता है।

viii. **सहपाठी तिरस्कार-** जब कोई श्रवण बाधित विद्यार्थी सामान्य विद्यालय में दाखिला लेता है तो यह हो सकता है कि वह अन्य सहपाठी विद्यार्थियों द्वारा स्वीकार न किया जाये। भाषा एवं सम्प्रेषण कौशल की कमी के कारण श्रवण बाधित विद्यार्थी सामान्य विद्यार्थियों के साथ वार्तालाप स्थापित नहीं कर पाते है।

अभ्यास प्रश्न

1. ____________में विशेष आवश्यकता पर आधारित विश्व सम्मेलन का आयोजन किया गया।
2. समावेशित शिक्षा में विकलांग विद्यार्थियों को सामान्य शिक्षा व्यवस्था में____________ के साथ शिक्षा देना है।
3. ____________प्रतिमान में छात्रों के छोटे-छोटे समूह बनाते है।
4. विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के स्तर के अनुसार निर्देशों में ____________और ____________होना चाहिए।
5. ____________विद्यार्थी को उसकी आवश्यकता के हिसाब से अलग से सहायता प्रदान की जाती है।

15.3.5 श्रवण बाधित विद्यार्थियों का समावेशन

बधिर विश्व संघ श्रवण बाधित विद्यार्थियों के गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा अधिकार और सुरक्षा के उपायों को बढ़ावा देता है। अन्य विद्यार्थियों की गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा की तरह ही श्रवण बाधित केा भी गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा पूर्ण करने का अधिकार होना चाहिए।

शिक्षा सभी लोगों की एक बुनियादी जरूरत होती है। शिक्षा स्वतंत्रता नागरिकता के अधिकार उचित रोजगार आर्थिक शक्ति और आत्म सशक्तिकरण पाने का एक प्राथमिक साधन है। श्रवण बाधित विद्यार्थियों में अन्य बच्चों की तरह ही सीखने भाषा ग्रहण करने की मूल क्षमता के साथ पैदा होते है। वे उचित दृश्य गुणवत्तापूर्ण

शैक्षिक कार्यक्रम और सहायता से अपनी पूर्ण क्षमता का विकास कर सकते है। जब हम उनके लिए शैक्षणिक कार्यक्रम का चयन करते है तो उपलब्ध विकल्पों पर विचार विमर्श करते है।

श्रवण बाधित विद्यार्थियों का समावेशन बहुत ही जटिल और विवादित मुद्रदा है। श्रवण बाधित समुदाय के वयस्क हमेशा इस बात पर जोर देते है कि श्रवण बाधित विद्यार्थियों को विशेष विद्यालय में सांकेतिक भाषा के द्वारा पढ़ाया जाये जिससे वे प्राकृतिक ढंग से सूचना प्राप्त कर सके।

कोपिनीन 1994 ने बताया कि श्रवण बाधित छात्रों के समावेशन का मूल लक्ष्य उन्हें सामान्य बनाना नहीं है बल्कि उन सभी सम्भावनाओं को उपलब्ध कराना है जिससे वे एक उपयोगी वयस्क के रूप में समुदाय में भागीदार बन सके।

15.3.6श्रवणबाधित विद्यार्थियों के समावेशन के लाभ

i. **श्रवण बाधित छात्रों का बातचीत की दुनिया से सम्बन्ध-** समावेशन मे बधिर छात्र दैनिक बातचीत के माध्यम से सामान्य वाणी के लोगों की दुनिया से सम्बन्ध स्थापित करते है। समावेशन मे बधिर छात्र दैनिक बातचीत के माध्यम से सामान्य वाणी के लोग के साथ वार्तालाप स्थापित करने में कौशल विकसित करते है। अतः समावेशन बधिर छात्रों में वार्तामें कौशल विकसित करते है। अतः समावेशन बधिर छात्रों में वार्तालाप विकसित करने का एक अच्छा प्रशिक्षण होता है।

ii. **श्रवण बाधित छात्र बातचीत की दुनियाँ के लोगों से घुलना मिलना-** बधिर समुदाय का अपना एक मजबूत संस्कृति विकसित है लेकिन बातचीत की दुनियॉ के लोगों से वार्तालाप करना सीखना भी बहुत जरूरी है। समावेशन में अन्य सहपाठियों के साथ दैनिक बातचीत होने से उसका सामाजिक कौशल विकसित होता है जो उनके भविष्य के लिए उपयोगी होता है।

iii. **श्रवण बाधित छात्रों का शैक्षणिक और व्यवसायिक कार्यक्रमों में पहुँच** - समावेशन के द्वारा बधिर छात्र बातचीत की दुनियॉ के लोगों के बीच सहभागिता होने से इनको शैक्षणिक सामाजिक शारीरिक और भावनात्मक क्षेत्रों में वृद्धि होती है। बधिर छात्रों का एक विस्तृत श्रृखंला के संसाधनों तक पहुँच प्राप्त होती है।

iv. **श्रवण बाधित छात्रों की पारिवारिक निकटता-** सामान्यतः 95 प्रतिशत बधिर छात्रों के परिवारों के बीच सम्प्रेषण का माध्यम मौखिक होता है। विशेष स्कूल में पढ़ने वाले श्रवण बाधित छात्र मौखिक समप्रेषण के मध्य सामंजस्य स्थापित करने में कठिनाई महसूस करते है।समावेशित विद्यालय में सम्प्रेषण कौशल विकसित होने से ये छात्र आसानी से अपने पारिवारिक माहौल में सामंजस्य स्थापित कर लेते है।

15.4 अध्यापक की भूमिका

समावेशन के क्षेत्र में अध्यापक निम्नलिखित भूमिका निभाते है

i. **श्रवण बाधितार्थ के बारे में सामान्य ज्ञान का विकास और कार्यान्वयन-** श्रवण बाधित विद्यार्थियों के समावेशन में अध्यापक को श्रवण बाधितार्थ की शैक्षिक परिभाषा,पहचान,विशेषताएं,श्रवण अंग की बुनियादी शारीरिक रचना एवं शरीर विज्ञान तथा श्रव्यतामापी परीक्षण के उपायों एवं परिणामों की व्याख्या का ज्ञान होना चाहिए। श्रवण बाधितार्थ की पहचान इसके शुरूआत की उम्र तथा इनके लिए उपलब्ध सेवायें भी महत्वपूर्ण होती है। श्रवण बाधितार्थ विद्यार्थियों की शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न सिद्धातों, दर्शनों एवं शिक्षण सूत्रों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए।

ii. **सक्रिय समावेशनशास्त्री-** श्रवण बाधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए अध्यापक को मानवाधिकारो, राष्ट्रीय नीतियों, कानूनी नियमों और समावेशी शिक्षा प्रणाली के विकास के बारे में जानकारी होनी चाहिए।

iii. **प्रत्यक्ष अनुदेश-** समावेशित शिक्षा में श्रवण बाधित विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष अनुदेश प्रदान करने के लिए अध्यापक केा उनके द्वारा प्रयोग किये जाने वाले भाषाई एवं गैर भाषाई सम्प्रेषण घटकों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ऐसे विद्यार्थियों के लिए विशेष सामग्री के स्त्रोत, प्रत्यक्ष अनुदेशन देने के लिए प्रौद्योगिकी, उपलब्ध सम्प्रेक्षण की प्रणाली तथा अवशिष्ट श्रवण शक्ति के उपयोग का ज्ञान और इनके उचित प्रयोग का कौशल भी अध्यापक में होना चाहिए।

iv. **सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रम में संशोधन-** अध्यापक द्वारा सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रम में श्रवण बाधित विद्यार्थियों के आवश्यकता अनुसार उसमें संशोधन एवं अनुकूलन किया जाना चाहिए।श्रवण बाधित विद्यार्थियों एवं अध्यापक के मध्य सम्प्रेषण कौशल स्थापित होना बहुत आवश्यक है क्योंकि इसके द्वारा ही विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक विकास सम्भव है।

v. **विद्यार्थियों की निगरानी-** समावेशी शिक्षा में सम्मिलित श्रवण बाधित विद्यार्थियों के निष्पक्ष आकलन के सम्बन्ध में नीति नियमों और निर्देशों का ज्ञान होना चाहिए तथा विद्यार्थियों की शक्तियों और सीमाओं की पहचान के लिए उपयुक्त आकलन उपकरण का प्रबन्ध करना चाहिए।

vi. **परामर्श एवं सहयोग-** श्रवण बाधित विद्यार्थियों के समावेशन में उनके माता-पिता तथा अन्य पेशेवर लोगो की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः अध्यापक को उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों का ज्ञान होना चाहिए तथा सहायता कर्मियों और माता-पिता का सहयोग प्राप्त करने का कौशल भी होना चाहिए।

vii. **शिक्षण अधिगम वातावरण का प्रबन्धन-** शिक्षण अधिगम वातावरण का सीधा प्रभाव श्रवण बाधित विद्यार्थी के शैक्षिक प्रर्दशन पर पड़ता है। श्रवण बाधिता के प्रभाव के कारण विद्यार्थी शैक्षिक

भाषा को आसानी से समझ नहीं पाते है। श्रवण बाधित विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए बहु इन्द्रीय उपागमों का प्रयोग करना चाहिए जिससे इन विद्यार्थियों की भाषा और संज्ञानात्मक विकास हो सके।

viii. **श्रवण उपकरणों की निगरानी-** श्रवण बाधित विद्यार्थियों की शिक्षा में ध्वनि प्रवर्धक उपकरण बहुत महत्वपूर्ण होते है। इन ध्वनि प्रर्वधक यत्रों की सहायकता से ही श्रवण बाधित विद्यार्थियों की अवशिष्ट श्रवण शक्ति को उपयोग मे लाया जाता है और ये विद्यार्थी आवाज को सुनने में सक्षम होते है। अतः शिक्षक को ध्वनि प्रवर्धक यंत्रो, कार्य, कार्य- विधि और उनके रखरखाव का ज्ञान होना चाहिए तथा उनकी निगरानी तथा उचित प्रयोग का कौशल भी होना चाहिए।

ix. **वाणी और भाषा प्रशिक्षण का मूंल्याकन**- सामान्य बच्चों की भाषा और विकास की प्रक्रिया का ज्ञान श्रवण बाधित बच्चों को भाषा सिखाने के लिए आधार का कार्य करती है। श्रवण संवेदी निवेश के नुकसान का भाषा विकास और उसके अनुभूति पर पड़ने वाले प्रभाव का ज्ञान शिक्षक को होना ही जरूरी है।

श्रवण बाधित विद्यार्थियों के सम्प्रेषण, भाषा एवं वाणी का मूल्यांकन और उससे प्राप्त जानकारी की व्याख्या करना तथा उस व्याख्या के आधार पर इन विद्यार्थियों के लिए शिक्षण की स्थिति में संशोधन तथा उद्देश्यों की रूपरेखा तैयार करना एक सफल समावेशन के लिए बहुत ही जरूरी है।

अभ्यास प्रश्न

1. समावेशन से श्रवण बाधित छात्रों में_____________कौशल विकसित करने में सहायता मिलती है।
2. समावेशन श्रवण बाधित बच्चों के _____________ मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में वृद्धि होती है।
3. श्रवण बाधित बच्चों के समावेशन में _____________ सबसे बडी बाधा है।
4. _____________का ज्ञान श्रवण बाधित बच्चों के लिए उदे्दश्य को निर्धारित करने में सहायक होता है।

15.5 सारांश

विशेष शिक्षा का आर्विभाव लगभग शताब्दी पहले हो चुका था लेकिन समय के साथ-साथ इसमें बहुत से परिवर्तन आये। सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा केा अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने हेतु समावेशित शिक्षा का प्रारम्भ हुआ क्योकिं विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को छोडकर इस लक्ष्य की प्राप्ति सम्भव नहीं थी।

जून 1994 में स्पेन में सलामांका नामक स्थान पर विशेष आवश्यकता पर आधारित शिक्षा पर एक विश्व सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कथन के अनुसार शिक्षा सभी बच्चों का अधिकार होना चाहिए। इसके लिए सभी देशों से यह आग्रह किया गया कि शिक्षण व्यवस्था को समावेशित बनानें में अधिक प्राथमिकता की जाये तथा इसके सिद्धान्तों को अधिनियम अथवा नीति के रूप में स्वीकार किया जाये। समावेशन को सफल बनाने के लिए इसकी आवश्यकता हेतु विभिन्न प्रतिमान बनाये गये जिससें बालक की आवश्यकता तथा विद्यालय की उपलब्ध संसाधनो के आधार पर विद्यार्थियों केा शिक्षित किया जा सकें।

समावेशित शिक्षा से श्रवण बाधित विद्याथी दैनिक बातचीत के माध्यम से सामान्य वाणी के लोगो से सम्बंध स्थापित करने में सफल होते है। ये छात्र बातचीत की दुनिया के लोगों से घुलमिल पाते है तथा शैक्षिक एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों तक अपनी पहुँच बना पाते हैं। लगभग 95 प्रतिशत श्रवण बाधित बच्चें ऐसे परिवारों में होते है जहां सामान्यतः मौखिक भाषा में वार्तालाप किया जाता है। ऐसे में समावेशन इन विद्यार्थियों को इनके परिवार के नजदीक भी लाने का कार्य करता है। शिक्षा पर श्रवण बाधित बच्चों का भी समान अधिकार है फिर भी श्रवण बाधित बच्चों का समावेशन एक जटिल मुद्दा है। सफल समावेशन के मार्ग में अनेक बाधाएं जैसे- सामाजिक दृष्टिकोण, भौतिक बाधा, पाठ्यचर्या, भाषा एवं सम्प्रेषण, अध्यापक प्रशिक्षण नीतियां तथा सहपाठी तिरस्कार आती है।

समावेशन में अध्यापक की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अध्यापक एक सक्रिरय समावेशनशास्त्री के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाहन करता है। अध्यापक श्रवण बाधित विद्यार्थियों द्वारा प्रयोग किये जाने वाले भाषाई एवं सांकेतिक सम्प्रेषण घटकों को समझ कर उनकी सम्प्रेषण की आवश्यकता की पूर्ति करता है। विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम को अनुकूलित कर विषय वस्तु को छात्रों हेतु सुगम बनाता है तथा विद्यार्थियों के लिए आवश्यक श्रवण उपकरणों की निगरानी करता है।

15.6 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. सलामांका
2. सहपाठी
3. सहायक अधिगम
4. रूपान्तरण और सामंजस्य
5. आंशिक समावेशन
6. सम्प्रेषण
7. संज्ञानात्मक
8. सामाजिक दृष्टिकोण

9. शैक्षिक आकलन

15.7 संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. Schwartz, I.S., and Allen, K.E. (1996) The Exceptional Child Inclusion in Early Childhood Education (3rd Edition), Demar Publishers
2. National Sample Survey Organisation, Survey of Disabled Person in India, 1991
3. Hallahan, D.P. and Kauffman, J.M.(2007), Exceptional Learners: Introduction to Special Education (10th Edition) Allyn and Bacon, MA
4. The Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995, Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India.
5. https://sites.google.com/site/inclusionsecondaryclassroom/collaborative-consultation
6. http://corescholar.libraries.wright.edu/ejie
7. www.ndcs.org.uk
8. http://www.education.gouv.fr/cid207/la-scolarisation-des-eleves-handicapes.html#loi-relative-aux-personnes-handicapees
9. http://medsped.soe.umd.umich.edu/belinda/modelsof.htm
10. Kumar S. and Kumar,K. (2007), Inclusive Education In India: Electronic Journal for Inclusive Education, Vol. 2, No. 2 [2007], Art. 7

15.8 सहायक या उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. Julka, A. (2007), Meeting Special Needs in School: a Manual, New Delhi, NCERT
2. Panda, K.C. (2004), Education of exceptional Children. A base text on the rights of the handicapped and the gifted, Vikas Publishing House.
3. Cecil, R.Reynolds (2007), Encyclopedia of special Education, (3rd Ed.). A reference guide for the education of the handicapped and other exceptional children and adults, N.Y. John Wiley & sons.
4. Heward, V.L. & Orlansky, M.D. (1996), Exceptional children, (6th Ed.), Charles E. Meril Publishing Company, Columbus.

5. Hallahan, D.P. and I.M. Kauffman (1991), Exceptional Children: Introduction to Special Education (5th edn.), Boston: Allyn & Bacon.
6. Ysseldyke, J.E., B. Algozzine and M.L. Thuslow (1992),Critical Issues in Special Education (2nd edn), Boston: Houghton Mifflin.
7. Evans, P and Verma, V. (Eds.) (1990) Special Education. Past Present and Future. The Faimer Press.
8. Bench, John, R. (1992). Communication Skills in Hearing Impaired Children, Whurr Publishers Ltd.
9. Kadar, Fatima, Gorawar Pooja and Huddar Asmita (2002). Communication Options Available for the Deaf: The Indian Scenarioin The Journal of the Indian Speech and Hearing Association. Vol –16 - 5.
10. Quigley, Stephen P and Kretschmer Robert E. (1982). The Education of the Deaf Children: University Park Press.
11. Vashishta, Madan; Woodward, James and Santis, Susan (1980). In Introduction to Indian Sign Language, All India Federation of the Deaf publication.
12. Ingram, David, (1989). Child Language Acquisition. Cambridge University Press: New York.
13. Parlmer, John M, and Yantis, Philip A. (1990). Survey of Communication Disorders.
14. Williams and Wilkins: London.
15. Sanders, Derek A. (1993). Management of Hearing. New Jersy: Prentice Hall Inc.

15.9 निबन्धात्मक प्रश्न

1. समावेशित शिक्षा के उदय में शामिल राष्ट्रीय , अन्तराष्ट्रीय नीतियों एवं सन्धियों के योगदान की चर्चा कीजिए।
2. विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा और समावेशित शिक्षा में अन्तर स्पष्ट कीजिए।
3. समावेशन के प्रतिमान की चर्चा कीजिए।
4. समावेशित शिक्षा में आने वाली बाधाओं की संक्षेप मे चर्चा कीजिए।
5. श्रवण बाधित बच्चों के समावेशन में अध्यापक की भूमिका की चर्चा कीजिए।
6. भारत जैसे विकसित देश में समावेशन के महत्व को बताइये।

इकाई 16 दृष्टिबाधिताः अर्थ, वर्गीकरण, कारण तथा लक्षण

16.1 प्रस्तावना
16.2 उद्देश्य
16.3 दृष्टिबाधिता का अर्थ
16.4 दृष्टिबाधित का वर्गीकरण तथा परिभाषा
16.4.1 आंशिक या अल्पदृष्टि दोष
16.4.2 दृष्टिहीनता/पूर्णतः दृष्टि अभाव/अन्धता
16.5 दृष्टिबाधिता के कारण व रोकथाम एवं देखाभाल
16.6 दृष्टिबाधिता बच्चों के लक्षण/विशेषताएं
16.7 सारांश
16.8 शब्दावली
16.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
16.10 संदर्भ ग्रन्थ सूची
16.11 सहायक/उपयोगी पाठ्यसामग्री
16.12 निबन्धात्मक प्रश्न

16.1 प्रस्तावना

हम जानते हैं कि हम अपने आस-पास के परिवेश के बारे में जानकारी अपनी ज्ञानेन्दियों के माध्यम से उनके साथ सम्पर्क स्थापित कर करते हैं इसलिये ज्ञानेन्द्रियों को 'ज्ञान का द्वार' भी कहा जाता है मुख्यतः ज्ञानेन्द्रियां पांच प्रकार की होती है। ये पांच ज्ञानेन्द्रियां क्रमशः (i) आँख (ii) कान (iii) नाक (iv) जिह्वा तथा (v) त्वचा है। इन पाँचो इन्द्रियों का अपना महत्व है। परन्तु आंखों का महत्व जीवन में अतिविशेष है क्योंकि सबसे अधिक अनुभव हम आंखों से ही प्राप्त करते हैं । यह एक प्रमाणित तथ्य है कि मनुष्य वातावरण से प्राप्त सभी सूचनाओं का लगभग 80 प्रतिशत आंखों के माध्यम से प्राप्त करता है इसी कारण आंख को मस्तिष्क का बाह्य विस्तार भी कहा जाता है। ऐसे में यदि आंखों की कार्यक्षमता में रूकावट उत्पन्न हो जाए या इसका शरीर में अभाव हो तो मानव दृष्टि जैसे प्राकृतिक उपहार से वंचित हो जाता है। प्रस्तुत इकाई में विस्तार से दृष्टिबाधिता का अर्थ, प्रकार, कारण एवं रोकथाम के साथ है दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लक्षणों सम्बन्धित जानकारियाँ प्रस्तुत हैं।

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप दृष्टि की सामान्य क्रियात्मक में रूकावट अर्थात दृष्टि विकारता/ दृष्टि विकलांगता सम्प्रत्यय से परिचय प्राप्त कर सकेंगे।

16.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन करने के पश्चात आप-

1. दृष्टिबाधिता को परिभाषित कर सकेंगे।
2. पूर्ण अन्धत्व एवं अल्पदृष्टि दोष में अन्तर कर सकेंगे।
3. दृष्टिबाधिता के कारणों की चर्चा कर सकेंगे।
4. दृष्टिबाधिता के रोकथाम सम्बन्धित जानकारी का व्यवहारिक प्रयोग कर सकेंगे।
5. दृष्टिबाधिता के लक्षणों के अपने शब्दों में व्यक्त कर सकेंगे।

16.3 दृष्टिबाधिता (Visual Impairment) का अर्थ

सामान्य शब्दों में ठीक प्रकार से देख पाने में असमर्थता/दृष्टिबाधिता कहलाती है। दृष्टि की अपनी सामान्य क्रियात्मकता से विचलन की स्थिति दृष्टिबाधिता की श्रेणी में आता है दृष्टिबाधिता का अर्थ है कि दृष्टि में सभी उपचारात्मक प्रयासों एवं सुधारात्मक लेसों के प्रयोग के बावजूद दृष्टिक्षति का मौजूद होना। इस क्षति के कारण व्यक्ति को देखने में परेशानी होती है।

सभी दृष्टिहीन व्यक्तियों में दृष्टि का पूर्ण अभाव नहीं होता। अधिकतर दृष्टिबाधिता की श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों में दृष्टि की कुछ न कुछ अवशिष्ट या शेष दृष्टि होती है। जब व्यक्ति में अवशिष्ट दृष्टि एक स्तर से अधिक या ऊपर होती है तब ऐसी स्थिति कमदृष्टि या अल्पदृष्टि कहलाती है परन्तु अवशिष्ट दृष्टि का एक स्तर से कम होना या दृष्टि का पूर्णतः अभाव होना नेत्रहीनता या दृष्टिहीनता की श्रेणी में आता है। अधिकतर व्यक्ति पूर्ण रूप से नेत्रहीन/दृष्टिहीन न होकर अल्पदृष्टि से ग्रसित होते हैं। दृष्टिबाधिता की परिभाषा जानने से पूर्व निम्न सम्प्रत्ययों को जानना आवश्यक है।

1. **दृष्टितीक्ष्णता (Visual Impairment):-**दृष्टि तीक्ष्णता का अर्थ है आँख की देखने की क्षमता। यह व्यक्ति की निर्धारित दूरी से स्पष्ट देख पाने की योग्यता है। यह दूर व पास दोनों दूरियों के लिए मापी जाती है दृष्टि तीक्ष्णता को मापने के लिए सामान्यतः स्नेलेन आई चार्ट **(Snellen Eye Chart)**का प्रयोग किया जाता है।

   इस भिन्न के रूप में लिखा जाता है। जैसे 20/60 (फीट) दृष्टितीक्ष्णता का अर्थ है कि सामान्य दृष्टि से जिस वस्तु को 60 फीट की दूरी से देखा जा सकता है एक प्रभावित या क्षतिग्रस्त दृष्टि उस वस्तु को 20 फीट की दूरी से देख सकती है अर्थात यदि कोई वस्तु को 60 फीट की दूरी पर रखी है तो 20/60 दृष्टि तीक्ष्णता वाले व्यक्ति को भली प्रकार से देखने के लिए उस वस्तु को 20 फीट की दूरी पर लाना होगा।

2. **दृष्टि क्षेत्र (Field of Vision)**:-दृष्टि क्षेत्र से तात्पर्य है कि व्यक्ति द्वारा सीधे देखने पर उसके द्वारा प्रत्यक्षित कुल क्षेत्र। व्यक्ति ठीक सामने की वस्तु को देख सकने के साथ ही एक निश्चित परिधि में आने वाले सभी वस्तुओं को देख सकता है। दृष्टि को बिल्कुल सीध में रखने पर एक सामान्य दृष्टिवाला व्यक्ति लगभग 1800 डिग्री तक की परिधि में आने वाली सभी वस्तुओं के देख पाने में सक्षम होता है।

16.4 दृष्टि बाधित का वर्गीकरण एवं परिभाषा

दृष्टिबाधिता दो प्रकार की होती है-

1. आंशिक/अल्पदृष्टि दोष अर्थात कम दिखायी पड़ना
2. पूर्णतः दृष्टि अभाव/दृष्टिहीन

व्यक्ति दृष्टिहीन है या अल्पदृष्टिहीन वाला यह व्यक्ति की अवशिष्ट या शेष दृष्टि पर निर्भर करता है। जब व्यक्ति में अवशिष्ट दृष्टि एक स्तर से अधिक होती है तो वह अल्पदृष्टि की श्रेणी में आता है। एक निर्धारित स्तर से कम अवशिष्ट होने पर या दृष्टि का पूर्णतः अभाव होने पर व्यक्ति दृष्टिहीनता की श्रेणी में आता है।

16.4.1 आंशिक या अल्प दृष्टि दोष

कानूनी परिभाषा के अनुसार सुधारात्मक उपायों के बावजूद अल्प दृष्टि व्यक्ति की दृष्टितीक्ष्णता 20/70 (फीट) से कम या दृष्टि क्षे 20 डिग्री से कम होता है अर्थात सामान्य दृष्टि वाला जिस वस्तु को 70 फीट की दूरी से देख सकता है उसे अल्पदृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 फीट की दूरी से देख पायेगा तथा दृष्टि के बिल्कुल सीध में रखने पर व्यक्ति मात्र 20 डिग्री या कम की परिधि में आने वाली वस्तुओं को देख सकने में सक्षम होगा।

निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के अनुसार अल्पदृष्टि वाले व्यक्ति से अभिप्राय उन व्यक्तियों से है जिनकी दृष्टि क्रियाशीलता (Visual Functioning) में, उपचार या सर्वोत्तम सुधार के बाद भी दोष होता है किन्तु वे उपयुक्त सहायक उपकरणों के साथ कार्यों को करने या उसकी योजना बनाने के लिए दृष्टि का प्रयोग करते हों या इसकी सम्भावना हो कि वे दृष्टि का प्रयोग कर सकेंगे।

इस अधिनियम में दी गयी परिभाषा में दृष्टि तीक्ष्णता पर जोर ना देकर सहायक उपकरणों की सहायता से दृष्टि के उपयोग की क्षमता को आधार बनाया गया है।

शैक्षणिक परिभाषा के अनुसार अल्पदृष्टि वाले वे व्यक्ति हैं, जो कि छपे हुए अक्षर पढ़ तो सकते हैं परन्तु उनके लिए मोटी छपाई वाली पुस्तकों या लिखे हुए अक्षरों केा बड़ा करके दिखाने वाले उपकरणों की आवश्यकता होती है। शैक्षणिक परिभाषा शिक्षकों को बच्चे से सम्बन्धित शैक्षणिक निर्णय लेने में सहायता करती है।

इस प्रकार हमने देखा कि अल्प दृष्टि की श्रेणी में वे बच्चे या व्यक्ति आते हैं जिनमें अवशिष्ट की मात्रा सामान्य दृष्टि वाले तथा पूर्ण अन्धत्व के बीच की होती है। इनको पढ़ने-लिखने, चलने-फिरने अथवा सामान्य काम-काज करने में समस्या का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्तियों के दृष्टिमूलक कार्य प्रभावित हो सकते हैं तथा दृष्टिमूलक कार्य का सम्पादन करने के लिए इन्हे सहायक उपकरणों की सहायता लेनी पड़ती है।

16.4.2 दृष्टिहीनता/पूर्णतः दृष्टिअभाव/अन्धता

वैधानिक रूप से दृष्टिहीनता वह स्थिति है जब किसी व्यक्ति की दृष्टितीक्ष्णता, स्वस्थ/अच्छे नेत्र में, चश्मे या कॉन्टेक्ट लेंस के साथ सर्वोत्तम सम्भव सुधार करने के बाद 20/200 या उससे कम हो अथवा वे व्यक्ति जिनका दृष्टिक्षेत्र 20 डिग्री से कम होता है।

निःशक्त व्यक्ति (सामान्य अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के अनुसार दृष्टिहीनता अथवा पूर्णतः दृष्टि अभाव उस स्थिति को कहते हैं जब व्यक्ति निम्नलिखित में से किसी भी एक स्थिति से ग्रस्त होता है।

- दृष्टि का पूर्ण अभाव या
- अच्छी आँख में, चश्में या कॉन्टेक्ट लेंस से सर्वोत्तम सुधार के बाद भी दृष्टि तीक्ष्णता 6/60 (मीटर) या 20/200 (फीट) (स्नेलेन) से अधिक न होना या
- 20 डिग्री से अधिक का दृष्टिक्षेत्र न होना।

शैक्षणिक परिभाषा के अनुसार दृष्टिहीन व्यक्ति वे व्यक्ति हैं जिनकी आँखे इतनी गम्भीर रूप से प्रभावित है कि उनको शैक्षिक उद्देश्यों के लिए ब्रेल लिपि या श्रवण प्रणाली (श्रव्यटेप और रिकार्ड) का प्रयोग करना पड़ता है।

दृष्टिहीनता के शैक्षणिक परिभाषा जो कि शिक्षकों को यह निर्णय लेने में सहायता करती है कि बच्चे को किस प्रकार से शिक्षित किया जाए।

अभ्यास प्रश्न

1. आँखों को ....का वाह्य विस्तार कहते हैं।
2. स्पष्ट देख पाने की योग्यता......................कहलाती है।
3. व्यक्ति द्वारा सीधे देखने पर उसके द्वारा देखे जाने वाला पूरा क्षेत्र.......कहलाता है।
4. सामान्य आँख वाले व्यक्ति का दृष्टि क्षेत्र..................डिग्री होती है।
5. ....तथा....................दृष्टिबाधिता की श्रेणी में आते हैं।
6. मोटी छपाई वाली पुस्तके.....................वाले बच्चों के लिए आवश्यक है।
7. पूर्णतः दृष्टि अभाव वाले व्यक्तियों की दृष्टितीक्ष्णता सर्वोत्म सुधार के पश्चात्.............. या उससे कम होती है।

16.5 दृष्टिबाधिता के कारण व रोकथाम एवं देखाभाल

दृष्टिबाधिता के कारणः-दृष्टिबाधिता के कारणों को अनेक प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे जन्म के आधार पर, आनुवंशिक या अर्जित, नेत्र में प्रभावित स्थान इत्यादि अनेकों ऐसे आधार है जिस पर कारणों का वर्गीकरण किया जाता है। कुछ आधार का विवरण निम्नवत् है।-

जन्म के आधार पर

- जन्म से पूर्व के कारण (Prenatal Causes)
- जन्म के दौरान के कारण (Perinatal causes)
- जन्म के बाद के कारण (Postnatal causes)

1. जन्म से पूर्व के कारण (Prenatal Causes)
   i. परिवार में दृष्टिदोष के इतिहास का होना
   ii. नजदीकी/खून के रिश्तें में शादी
   iii. गर्भवती माता का कुपोषित या स्वास्थ्य खराब होना
   iv. रक्त समूह की जटिलताएं या आर0एच0 असंगति
   v. डॉक्टर की सलाह के बिना गर्भवती महिला का एंटीबायटिक या कोई अन्य दवा लेना
   vi. गर्भावस्था के दौरान, विशेष रूप से प्रथम महीनों में किसी संक्रामक रोग या बीमारियों (जैसे सिफलिस) या जर्मन खसरा (रूबैला) का होना
   vii. गर्भावस्था के दौरान एक्स-रे करवाना

2. जन्म के दौरान के कारण (Perinatal causes)
   i. जन्म के समय शिशु के वजन का कम होना
   ii. समयपूर्व प्रसव
   iii. प्रसव के दौरान शिशु को मिलने वाले ऑक्सीजन में कमी।
   iv. प्रसव में प्रयुक्त उपकरणों के गलत प्रयोग के कारण।
3. जन्म के बाद के कारण (Postnatal causes)
   i. बाल्यावस्था में संक्रामक रोग का होना

ii. आँख में हुए संक्रमण के प्रति लापरवाही

iii. नेत्र या मस्तिष्क पर चोट लगना

iv. विटामिन ए की कमी

v. नेत्र में ट्यूमर का होना

दृष्टिवाधिता के कारणों की निम्न प्रकार से भी वर्गीकृत कर सकते हैं-

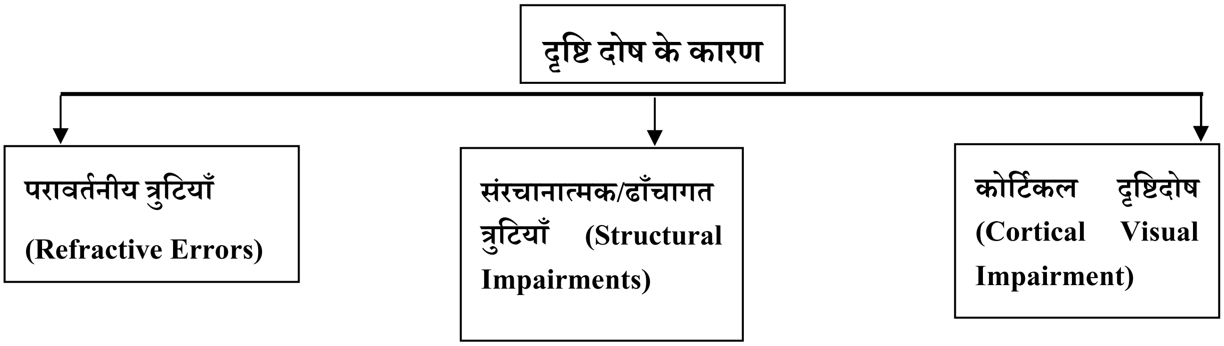

1. **परावर्तित त्रुटियाँ (Repractive Errors)**- सामान्य आँख में प्रकाश किरणें सीधे रेटिना पर पड़कर स्पष्ट प्रतिविम्ब का निर्माण करती है आँख की इस सामान्य अवस्था को इम्मिट्रोपिया (Emmetropia) कहते है। इस स्थिति से विचलन की स्थिति एमेट्रोपिया कहलाती है। इसमें प्रकाश की समानान्तर किरणें रेटिना पर केन्द्रित नहीं होती परिणामतः रेटिना पर बनने वाली प्रतिबिम्ब धुंधली प्रतीत होती है। इसमें दूरदृष्टिदोष, निकटदृष्टिदोष एवं अबिन्दुकता तथा जरा दूर दर्शिता की अवस्थाएं सम्मिलित है।

चित्र-1

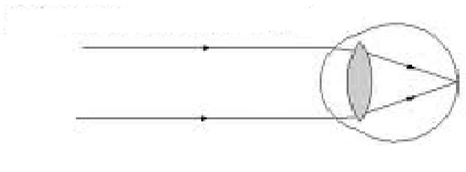

इम्मिट्रोपिया

i. दूरदृष्टि दोष **(Hyperopia or Hypermetropia /Farsigthtedness)**-इस दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, परन्तु पास की वस्तुएं देखने में कठिनाई होती है ऐसा

प्रतिबिम्ब का सीधे रेटिना पर ना बनकर उसके पीछे बनने के कारण होता है नेत्र की इस त्रुटि को उत्तल लेन्स की सहायता से सुधारा जा सकता है।

चित्र-2

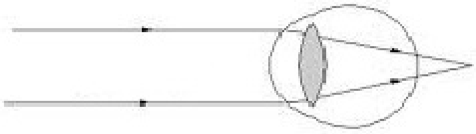

दूरदृष्टि दोष

ii. **निकट दृष्टि दोष**- इस दोष में पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परन्तु दूर की वस्तुएं देखने में कठिनाई होती है ऐसा प्रतिबिम्ब का सीधे रेटिना पर ना बनकर उसके आगे बनने के कारण होता है। इस त्रुटि को अवतल लेन्स की सहायता से सुधारा जा सकता है।

चित्र-3

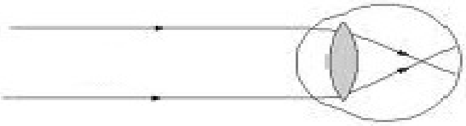

निकट दृष्टि दोष

iii. **अबिन्दुता (Astigmatism)** -इस स्थिति में लेंस अथवा कार्निया के अनियमित होने के कारण स्पष्ट प्रतिबिम्ब का निर्माण नहीं हो पाता। इसे बेलनाकार (Cylinderical) लेंस की सहायता से सुधारा जा सकता है।

चित्र-4

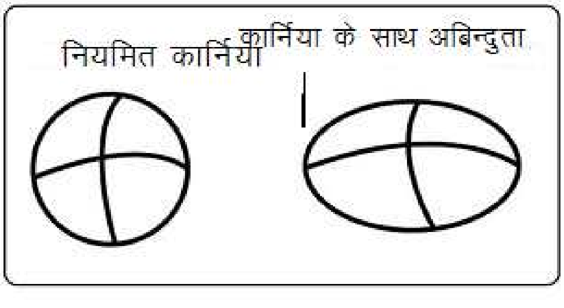

iv. **जरा दूरदर्शिता (च्तमेइलवचपं)**-यह उम्र के साथ आँखों के स्वरूप तथा स्वास्थ में प्राकृतिक रूप से गिरावट से सम्बन्धित है। उम्र बढ़ने के साथ लेंस का लचीलापन कम हो जाता है जिससे स्पष्टता के साथ देखने में कठिनाई होती है। इस स्थिति में व्यक्ति को निकट दृष्टिदोष व दूरदृष्टिदोष दोनों एक साथ होता है। इस समस्या से ग्रस्त व्यक्ति द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं जिसका ऊपरी भाग अवतल लेंस व नीचे का भाग उत्तल लेंस की तरह कार्य करता हैं।

2. **रचनात्मक या ढाँचाग्रस्त त्रुटियाँ/क्षति (Structural Impairment)** -इस श्रेणी के अन्तर्गत नेत्र की ऑप्टिकल या माँसपेशीय संरचना के एक या एक से अधिक हिस्सों में क्षति आती है। ये क्षतियाँ/गड़बडियाँ विकासात्मक एवं क्रियात्मक दोनों स्तरों पर हो सकती है। नेत्रों की निम्न स्थितियों को रचानत्मक क्षति के अन्तर्गत रखा जा सकता है।

i. **मोतिया बिन्द (Cataract)** -नेत्र के लेंस में अपारदर्शिता आने की स्थिति मोतियाबिन्दु कहलाती है। यह एक नेत्र में या दोनों नेत्रों में हो सकती है। इसमें लेंस की अपारदर्शिता प्रकाश को लेंस से गुजरने से रोकती है जिससे वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नही पड़ती। मोतियाबिन्द जन्म जात (जन्म के समय) भी हो सकती है इसे जन्मजात मोतियाबिन्द कहते हैं। इसे ऑपरेशन द्वारा सुधारा जाना ही एक मात्र विकल्प है।

ii. **कालामोतिया/ग्लूकोमा (Glaucoma)** -यह नेत्रों में आंतरिक दबाव बढ़ने के कारण होता है। नेत्रों में आंतरिक दबाव के कारण आप्टिक नर्व (वह तंत्रिका जो नेत्र को मस्तिष्क से जोड़ती है) को क्षति पहुंचती है। इसमें बिना दर्द के धीरे-धीरे परिधीय दृष्टि के नष्ट होने का साथ लगातार बढ़ता जाता है तथा अंत में व्यक्ति मात्र वस्तुओं का केन्द्रीय भाग ही स्पष्ट रूप से देख पाने में समर्थ होता है।

iii. **वर्ण हीनता (Albinism)** -वर्ण हीनता एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर के सभी या कुछ भागों में मैलानिन (शरीर व बालों को उनका रंग प्रदान करने वाले पिगमेंट/पदार्थ) नही होता। इसमें कार्निया में प्रकाश असहनीयता या दूसरे शब्दों में प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता आ जाती है और व्यक्ति की दृष्टि क्षमता कम हो जाती है।

iv. **डायबेटिक रेटिनोपैथी (Diabetic Retinopathy)** -यदि कोई व्यक्ति लम्बे समय तक मधुमेह से पीड़ित रह जाता है तब उसका दुष्प्रभाव उसकी रेटिना पर पड़ सकता है जिससे उसके आँखों की स्पष्ट देख पाने की क्षमता प्रभावित होती है। आँखों की ऐसी स्थिति डायबेटिक रेटिनोपैथी कहलाती है।

v. **एनीरिडिया (Aniridia)** -इस स्थिति में आइरिस (आँख की पुतली) पूर्णतः विकसित नहीं होती है।

vi. **रोहे (Trachoma)** -इस स्थिति में नेत्र बैक्टीरिया द्वारा गम्भीर रूप से संक्रमित हो जाती है। यह संसार में दृष्टिहीनता का प्रमुख कारण है जिसकी रोकथाम की जा सकती है।

vii. **रेटिनोब्लास्टोमा (Retinoblastoma)** -रेटिना में ट्यूमर के विकसित होने की स्थिति रेटिनाब्लास्टोमा कहलाती है।

viii. **रेटिनाइटिस पिग्मेन्टोसा (Retinitis-Pigmentosa)** -यह एक आनुवांशिक बीमारी है जो कि प्रारंभिक बाल्यावस्था या प्रारम्भिक वयस्क जीवन में प्रकट होना प्रारम्भ हो जाती है तथा धीरे-धीरे बढ़ती जाती है। यह रेटिना की कोशिकाओं का धीरे-धीरे ह्रास होने से होता है तथा जैसे-जैस बीमारी बढ़ती जाती है व्यक्ति का दृष्टिक्षेत्र संकुचित होता जाता है तथा धीरे-धीरे केवल केन्द्रीय दृष्टिक्षेत्र शेष रह जाता है तथा व्यक्ति को सुरंग से देखने जैसा प्रतीत होता है। जिससे कि व्यक्ति मात्र उन्हीं वस्तुओं को देख पाता है जो उसकी दृष्टि के ठीक सामने होती है। अंततः व्यक्ति दृष्टिहीन हो जाता है।

ix. **रेटिनल डिटैचमैंट (Retinal-Detachment)** -यह आँख की एक ऐसी विकृति है जिसमें रेटिना जिस परत के ऊपर लगा हुआ होता है वहाँ से उतर जाता है। अर्थात रेटिना अपने नीचे के सहायक परत से अलग हो जाता है।

x. **जीरोप्थेलमिया (Xerophthalmia)**-यह विटामिन ए की कमी से बाल्यावस्था में होने वाली दृष्टिहीनता का सबसे सामान्य कारण है। इस स्थिति में कंजक्टिवा और कॉर्निया में शुष्कता आने लगती है।

xi. **सट्राविसमस (Strabismus)**(भंगापन/विर्यक दृष्टि) -यह माँसपेशीय असंतुलन से सम्बन्धित ऐसा विकार है जिसमें आँखे एक सीधी रेखा में नहीं होती है। एक आँख सीधे देखती है तो दूसरी ऊपर, नीचे, आगे या पीछे की ओर घुमी हुई होती है।

xii. **एमब्लियोपिया या सुस्त आँखें (Amblyopia or lazy eye)** -इसमें आँखें सुस्त हो जाती हैं। इसका तात्पर्य है कि आँख की दृष्टितीक्ष्णता उतनी अच्छी नही रह जाती जितनी दूसरे आँख की जो कि हमेशा प्रयोग में रहती है। यह भी आँखों की मांसपेशीय असंतुलन के कारण होता है।

xiii. **निस्टागमस (Nystagmus)** -यह आँखों की अनइच्छित गति की स्थिति है जिसके परिणामस्वरूप दृष्टि क्षमता कम हो जाती है।

3. **कोर्टिकल दृष्टिदोष**-यह एक ऐसा दृष्टिदोष है जिसमें नेत्रों में कोई समस्या नहीं होती है। आँखे पूर्णतः सामान्य होती हैं परन्तु **(Optic Nerve)** ऑप्टिक तन्त्रिका जो आँखों से सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाती है क्षतिग्रस्त हो जाती है या मस्तिष्क का वह भाग प्रभावित हो जाता है जो देखी गयी सूचनाओं को प्रत्यक्षीकरण **(Perception)** तथा व्याख्या **(Interpret)** करने का कार्य करता है।

दृष्टि अक्षमता की रोकथाम एवं आँखों की देखाभाल सहीं

जानकारी तथा थोड़ी सावधानी से अधिकतर बच्चों में दृष्टि अक्षमता की रोकथाम की जा सकती है दृष्टिअक्षमता रोकने तथा नेत्रों के उचित देखभाल के लिए निम्नलिखित उपाय किये जा सकते है-

i. बच्चों को सुरक्षित, स्वच्छ, स्वस्थ रखना और पौष्टिक आहार देना दृष्टिदोष की रोकथाम का सर्वोत्तम उपाय है गर्भवती माताओं एवं बच्चों का आहार विटामिन ए से परिपूरित होना चाहिए।

ii. गर्भावसथा के दौरान जर्मन मीज़ल्स (खसरा) या किसी अन्य संक्रामक रोग से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में नहीं आना चाहिए।

iii. शिशुओं को संक्रामक बीमारियों से बचने के लिए टीकाकृत किया जाना चाहिए।

iv. जब तक संभव हो बच्चे को माँ का दूध मिलना चाहिए।

v. गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को डॉक्टर के परामर्श के बिना कोई दवा नहीं लेनी चाहिए।

vi. खसरे से पीड़ित बच्चे को बिटामिन 'ए' से परिपूरित खाद्य पदार्थ देना चाहिए क्योंकि खसरे के साथ 'शुष्क नेत्र' होने का खतरा बढ़ जाता है।

vii. नजदीकी रिश्तेदारों में विवाह संबंध न करना बच्चे में दृष्टिबाधिता के रोकथाम का पूर्वोपाय है।

viii. आँखों की समस्याओं या देखने में कठिनाइयों के प्रारंभिक लक्षणों के लिए जाँच कराया जाना चाहिए।

ix. गंदे पानी में तैरने या स्नान करने से बच कर नेत्रों के संक्रमण को रोका जा सकता है।

x. सिर की चोट से बचाव नेत्र की क्षति के खतरे को कम करता है।

xi. घर व बच्चे को साफ-सुथरा रखा जाना चाहिए।

xii. रोहे (ट्रायकोमा) वाले व्यक्ति के लक्षण पता चलते ही तुरन्त उपचार किया जाना चाहिए।

xiii. नोकदार तीर, गोलियों, ज्वलनशील पदार्थ, पटाखों, अम्ल आदि को बच्चों की पहुँच से दूर रखा जाना चाहिए।

xiv. आँख की चोटें प्रायः बच्चों में दृष्टिहीनता का करण बन जाती है इसलिए बच्चों को चोटों से बचाकर रखना चाहिए।

अभ्यास प्रश्न

8. प्रकाश की किरणों की रेटिना पर पड़कर स्पष्ट प्रतिविम्ब बनने की अवस्था............कहलाती है।
9. दूर दृष्टिदोष में ....की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती हैं।
10. निकट दृष्टिदोष को ....लेंस की सहायता से सुधारा जा सकता है।
11. लेंस या कार्निया की अनियमित होने की स्थिति....................कहलाती है।
12. उम्र के साथ आँखों की क्षमता का क्षरण................की स्थिति में होता है।

13. मोतियाबिन्द में लेंस............हो जाते हैं।

14. ग्लूकोमा में नेत्रों का..........................दबाव बढ़ जाता है।

गतिविधिः अपने निवास स्थान के किसी स्थानीय नेत्र चिकित्सक से मिलकर नेत्रों के दोष एवं उनके देखभाल के बारे में चर्चा करें तथा आस-पास के क्षेत्र के लोगों को इसके प्रति जागरूक करें।

16.6 दृष्टिबाधित बच्चों के लक्षण/विशेषताएं

अभी तक आपने यह जाना कि दृष्टिबाधिता किसे कहते है तथा इसका कारण एवं रोकथाम क्या है। दृष्टिबाधित बच्चों की विशेषताएं जानने से पहले यह जानना आवश्यक है कि दृष्टिबाधित बच्चों की सामान्य बच्चों से समानता उनके साथ विस्मान्यता से अधिक होती है। यह बच्चे/ व्यक्ति सामान्य बच्चे जैसे ही होते है वस इनकी दृष्टि क्षमता सामान्य से भिन्न होती है। वह एक बच्चा या व्यक्ति पहले है। दृष्टिबाधिता उसके साथ की एक स्थिति है।

जैसे सामान्य बच्चों में वैयक्तिक विभिन्नता पायी जाती है वैसे ही दृष्टिबाधित बच्चों में भी होती है। दृष्टिबाधिता समूह में भी काफी विसामान्यताएं पायी जाती हैं दृष्टिबाधित बच्चों अथवा व्यक्तियों के लक्षण अथवा विशेषताएं बहुत सारे कारकों से प्रभावित होती है जैसे दृष्टिबाधिता का प्रकार एवं उसकी गंभीरता, किस उम्र में दृष्टिबाधिता आयी जन्म से या जन्म के बाद किस अवस्था में, अवशिष्ट दृष्टि की मात्रा कितनी है तथा कितनी कुशलता से उसका प्रयोग किया जा रहा है, संसाधनों तथा उपकरणों की उपलब्धता, उनकी परिवार के सदस्यों द्वारा स्वीकृति सामंजस्य, दृष्टिबाधिता के साथ किसी अन्य विकलांगता की मौजूदगी, दृष्टिबाधिता के प्रति सांस्कृतिक तथा सामाजिक अभिवृत्ति/दृष्टिकोण इत्यादि तथा सबसे महत्वपूर्ण उनके लिए उपलब्ध हस्तक्षेपण तकनीकियों की प्रकृति तथा उनका प्रयोग इन सभी कारकों के बावजूद दृष्टिबाधिता समूह के अन्तर्गत आने वाले बच्चों एवं व्यक्तियों में कुछ सामान्य विशेषताएं/लक्षण पाये जाते हैं जो कि निम्नवत् हैं।

i. **संज्ञानात्मक विकास तथा सम्प्रत्यय सम्बन्धित विशेषताएं-** सामान्यतः दृष्टिहीन एवं अल्पदृष्टिदोष वाले बच्चे संज्ञानात्मक विकास एवं प्रत्यय निर्माण में दृष्टिवान बच्चों से पीछे रहते हैं परन्तु पर्याप्त प्रशिक्षण, शीघ्र हस्तक्षेप एवं पर्याप्त वास्तविक अनुभव देकर उनको प्रत्यय निर्माण एवं संज्ञानात्मक विकास में सहायता की जा सकती है। दृष्टिबाधित बच्चे बौद्धिक परीक्षणों में प्रप्तांकों में लगभग दृष्टिवान बच्चों जैसे ही समान वितरण का प्रदर्शन करते हैं। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि सभी दृष्टिबाधित बच्चों में सम्प्रत्यय विकास विलम्ब से नहीं होता है खास कर उन बच्चों में जिसमें दृष्टिक्षय अल्पमात्रा (Mild) में हो या फिर वे बच्चें जिनमें दृष्टिबाधिता से जीवनकाल में बाद में ग्रसित हुए हों दृष्टिबाधिता बच्चों में सम्प्रत्यय विकास में अवशिष्ट दृष्टि बहुत ही सहायक होती है।

ii. **भाषा विकास सम्बन्धित विशेषताएं-** बच्चे का भाषा विकास जन्म के कुछ माह के पश्चात् ही बच्चे द्वारा बस्तुओं व क्रियाओं के पहचानने तथा खोज की योग्यता तथा अवसर पर निर्भर करती है। यह दृष्टिबाधित बच्चों के लिए कठिन हो जाती है। ये बच्चे स्पर्श या श्रवण पर निर्भर करते हैं जो कि

उनके सीखने के अनुभवों को कम करता है। वस्तुओं तथा क्रियाओं के वास्तविक अनुभवों की अनुपलब्धता की वजह से दृष्टिबाधित व्यक्ति बहुत सारे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिनका वे सही-सही, सार्थक एवं सटीक अर्थ नहीं जानते हैं। शब्दों का सार्थक एवं सटीक अर्थ जाने बिना प्रयोग करना मौखिकता कहलाती है। मौखिकता को कम करने के लिए दृष्टिबाधित बच्चों को प्रारम्भ से ही अनुभवों को मूर्त रूप में प्रदान किया जाना चाहिए। इन बच्चों में भाषा के साथ-साथ संवेगों के उतार-चढ़ाव, मुख मुद्राओं के प्रदर्शन इत्यादि का अभाव होता है।

iii. **सामाजिक विकास सम्बन्धित विशेषताएं** -दृष्टिबाधिता के कारण इन बच्चों को मिलने वाले सामाजिक अनुभव तथा प्रायः अन्तः क्रिया में सहभागिता में कमी की वजह से उचित सामाजिक कौशलों को सीखने में कठिनाई महसूस करते हैं जिससे इन्हें अन्तः व्यक्तिगत रिश्तों को बनाने में कठिनाई होती है। सामाजिक व्यवहारों का अनुभव दृष्य अनुकरण पर अधिक निर्भर करती है। बच्चे बहुत सारे सामाजिक व्यवहार व कौशलों के बारे में दूसरों को देखकर सीख जाते है दृष्टिबाधित बच्चों को सांकेतिक भाषाओं शारीरिक भाषाओं, एवं भावभंगिमाओं को समझने में समस्या आती है जिसे दृष्टिवान बच्चे सामान्य आसानी से दूसरों का अनुकरण करके सीख जाते है। अतः बहुत सारे दृष्टिबाधित बच्चे अपने हम उम्र बच्चों से सामाजिक अपरिपक्वता, तथा अकेलापन का प्रदर्शन करते हैं। टटल तथा टटल (Tuttle & Tuttle 1996) ने अपने शोध में पाया कि दृष्टिहीन बच्चों के लिए स्व-सम्मान को प्राप्त करना कठिन होता है क्योंकि विद्यालय के सामाजिक पृष्ठभूमि के अन्तर्गत स्व जानकारी (self awareness)प्रायः सामाजिक अकेलापन, कम अपेक्षाएं तथा अति सुरक्षा से प्रभावित होती है।

दृष्टिबाधित बच्चों का सामाजिक विकास उनके हम उम्र बच्चों से धीमे होता है। इनका सामाजिक विकास इनके माता-पिता तथा अन्य लोगों की इनसे अपेक्षाओं से भी गम्भीरता से प्रभावित होती है इनसे की गयी अपेक्षाएं उचित तथा प्राप्त होने योग्य होनी चाहिए। यह बच्चे के स्व छवि (Self image) तथा आत्म सम्मान (Self esteem) के साथ ही उसकी स्वयं की सामजिक योग्यता की ओर सकारात्मक दृष्टि को बढ़ायेगा जोकि बच्चे के सामाजिक कौशलों के कुशलता को समृद्ध करेगा। ऐसे बच्चों की सामाजिक उत्सवों में दृष्टिवान बच्चों जैसी ही सहभागिता सुनिश्चित की जानी चाहिए।

iv. **शैक्षणिक उपलब्धि सम्बन्धित विशेषताएं**-बहुत से शोधों द्वारा यह पाया गया है कि दृष्टिबाधित बच्चे की बौद्धिक क्षमता दृष्टिवान बच्चों जैसे ही होती है परन्तु दृष्टिदोष वाले बच्चों की शैक्षणिक अथवा विद्यालयी उपलब्धि कम होती है। (Pierangelo & Giuliani 2007) के अनुसार ''दृष्टि में क्षतिग्रस्तता, सुधार के साथ भी बच्चे को शैक्षणिक प्रदर्शन को विपरीत तरीके (Adversely) से प्रभावित करती है।'' इनकी शैक्षणिक उपलब्धि विशेष कर पढना लिखना तथा भाषा प्रमुख क्षेत्र है जिनमें इन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ता है Swensen (1996) ने अपने शोध में पाया कि 'ये बहुत सी सूचनाएं जैसे पाठ्यभाग (Text)] लिखित/लेखा चित्रीय (Graphics)] चेहरे की भावभंगिमा तथा सांकेतिक सूचनाओं (Gestural cues) को प्राप्त करने, कुशलातापूर्वक प्रयोग करने (Manipulating) तथा प्रदर्शित करने में (Produring) चुनौती का सामना करते हैं। वैकल्पिक

माध्यम (ब्रेल, प्रिन्ट की आकार इनके दृष्टिक्षमता के अनुसार, श्रव्य सामाग्रियों का प्रयोग) तथा सहायक तकनीकियों को अपलब्ध करने इनकी शैक्षणिक उपलब्धि सामान्य दृष्टिवाले बच्चों जैसी की जा सकती है।

v. **गामक तथा चलन (Movement) सम्बन्धित विशेषताएं-** दृष्टिबाधित बच्चे चलिष्णुता, कौशल तथा शामक कौशलों में सामान्य मानक से पीछे रहते हैं इसका कारण दृष्टि उद्दीपनों में कमी दृष्य अनुकरणों के माध्यम से न सीख पाना तथा वातावरणीय कारकों (जैसे माता-पिता द्वारा अतिसुरक्षा प्राप्त होना, गामक गतिविधियों में अवसरों की कमी समाज का नकारात्मक दृष्टिकोण इत्यादि) का होना है। इससे इन्हें गामक समन्वय में समस्या आती है।

इनमें दिशाबोध, स्थान विभेद की क्षमता तथा सूक्ष्म शामक कौशलों का विकास विलम्ब से होता है। इनको यह पता लगाना कठिन होता है कि ये कहाँ है तथा वातावरण के सन्दर्भ में इनकी शारीरिक स्थिति सम्बन्धी जानकारी भी कम होती है।

vi. **दृष्टिक्रियात्मकता सम्बन्धित विशेषताएं** (अल्पदृष्टि वाले बच्चों के लिए)

a. वस्तुओं को आँख के बहुत नजदीक लाकर देखते हैं।
b. इन्हें अपने शरीर के सापेक्ष वस्तओं की दूरियों के सम्बन्ध में निर्णय लेने में कठिनाई महसूस होती है।
c. अपने आप को प्रकाश स्त्रोत के पास रखने का प्रयास करते है जैसे लैम्प, खिड़की, इत्यादि या कुछ बच्चे प्रकाश से घबराते हैं तथा प्रकाश के प्रति अति संवेदनशील होते हैं।
d. श्यामपट्ट से लिखते समय साथियों की कापी देखकर लिखवाते हैं।
e. दूर की वस्तु को देखने के लिए असामान्य रूप से सिर के आगे-पीछे करते हैं।

vii. **अन्य इन्द्रियों के प्रयोग सम्बन्धित विशेषताएं-** दृष्टिहीन बच्चे दृष्टि के अतिरिक्त अन्य ज्ञानेन्द्रियों का अधिक उपयोग करते हैं दृष्टिहीन बालक अन्य ज्ञानेन्द्रियों यथा आंख के अतिरिक्त कान, नाक, त्वचा तथा जिह्वा का प्रयोग सामान्य दृष्टिवाले से अधिक सजग होकर करते हेक्योंकि वे सूचनाओं तथा वातावरण से सम्पर्क के लिए वे आँख के अतिरिक्त अन्य इन्द्रियों पर निर्भर रहते हैं।

अभ्यास प्रश्न

15. दृष्टिबाधिता समूह में भी..............विभिन्नता पायी जाती है।
16. दृष्टिबाधित बच्चों को अनुभवों को................................रूप में प्रदान किया जाना चाहिए।
17. शब्दों का प्रयोग बिना उसका सटीक अर्थ जाने करना...........................कहलाता है।
18. बौद्धिक क्षमता में दृष्टिोण बच्चे दृष्टिवान बच्चे के ....होते है।
19. दृष्टिहीन बच्चे...........................लिपि का प्रयोग करते है।

16.7 सारांश

दृष्टि की सामान्य क्रियात्मकता से विचलन दृष्टिबाधिता कहलाती है।

दृष्टिबाधिता दो प्रकार की होती है

i. अल्प दृष्टिदोष/आंशिक दृष्टिदोष
ii. दृष्टिहीन या पूर्णतः दृष्टि अभाव

दृष्टि बाधिता के कारणों को कई प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है एक वर्गीकरण 1.जन्म से पूर्व 2. जन्म के दौरान 3. जन्म के बाद है तथा इसे 1. परावर्तित त्रुटियों

2. संरचनात्मक क्षतियां 3. कार्टिकल दृष्टिबाधिता के अन्तर्गत भी वर्गीकृत किया जा सकता है।

सही जानकारी तथा थोड़ी सावधानी से आँखो के देखभाल की जा सकती है तथा दृष्टि अक्षमता को कम किया जा सकता है।

दृष्टिबाधित व्यक्तियों के समूह में भी काफी विसमान्यताएं होती है तथा दृष्टिबाधित बच्चों में भी सामान्य दृष्टिवाले बच्चों जैसे ही वैयक्तिक विभिन्नताएं होती हैं। दृष्टिबाधित बच्चों अथवा व्यक्तियों के लक्षण अथवा विशेषताएं बहुत सारे कारकों से प्रभावित होती है जैसे दृष्टिबाधिता का प्रकार एवं उसकी गंभीरता, किस उम्र में दृष्टिबाधिता आयी जन्म से या जन्म के बाद किस अवस्था में, अवशिष्ट दृष्टि की मात्रा कितनी है तथा कितनी कुशलता से उसका प्रयोग किया जा रहा है, संसाधनों तथा उपकरणों की उपलब्धता, उनकी परिवार के सदस्यों द्वारा स्वीकृति सामंजस्य, दृष्टिबाधिता के साथ किसी अन्य विकलांगता की मौजूदगी, दृष्टिबाधिता के प्रति सांस्कृतिक तथा सामाजिक अभिवृत्ति/दृष्टिकोण इत्यादि तथा सबसे महत्वपूर्ण उनके लिए उपलब्ध हस्तक्षेपण तकनीकियों की प्रकृति तथा उनका प्रयोग

16.8 शब्दावली

1. **क्रियात्मकता**-कार्य करने की क्षमता।
2. **अवशिष्ट**-शेष बची हुई
3. **प्रत्यक्षित**- देखा जाने वाला/दिखाई पड़ने वाला
4. **इम्मिट्रोपिया**-रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिम्ब बनाना/आँखों की सामान्य स्थिति
5. **संप्रत्यय**-वस्तु या घटनाओं का मानसिक प्रतिबिम्ब जो हमारे वातावरण को अर्थ प्रदान करते है।
6. **संज्ञानात्मक**- ज्ञानार्जन की मानसिक क्रिया या प्रक्रिया तथा ज्ञानेद्रियों, अनुभवों तथा विचारों के माध्यम से समझ।

16.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. मस्तिष्क
2. दृष्टितीक्ष्णता
3. दृष्टिक्षेत्र
4. 180.
5. पूर्णतः दृष्टि अभाव/दृष्टिहीनता तथा अल्पदृष्टि दोष
6. अल्पदृष्टिदोष
7. 6/60 मी0 या 20/200 (फीट)
8. इम्मिट्रोपिया
9. दूर
10. अवतल
11. अबिन्दुकता
12. जरा दूरदर्शिता
13. अपारदर्शी
14. आंतरिक
15. वैयक्तिक
16. मूर्त
17. मौखिकता
18. समान

16.10 संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. Tuttle & Tuttle, N (1996) Self Eastern and Adjusting with Blindness (2nd Ed.) Springfield, IL: Charles-C. Thomas.
2. Pierangelo, R. & Giuliani, G. (2007). The Educators Manual of Disabilities and Disorders. San Francisco: John Wiley & Sons.
3. Swenson, A.M. (1999). Beginning with Braille: First hand experiences with a balanced approach to literacy. New York, NY: AFB Press

16.11 सहायक/उपयोगी पाठ्यसामग्री

1. Julka, A. (2007), Meeting Special Needs in School: a Manual, New Delhi, NCERT

2. ऑल इण्डिया कन्फेडरेशन ऑफ दि ब्लाइंट (2004), शिक्षक-प्रशिक्षण लेखामाला (दृष्टिबाधितार्थ शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए उपयोगी पुस्तक), नई दिल्ली।
3. ए.के. मित्तल (2012), दृष्टिबाधा-शिक्षण, दिल्ली, ऑल इण्डिया कन्फेडरेशन ऑफ दि ब्लाइंड
4. Punani, B. & Rawal, N. (2000), Visual Impairment Handbook, Blind People's Association, Vastrapur, Ahmedabad.
5. आहुजा, स्वर्ण (2001), दृष्टिहीन और समाज आधारित पुनर्वास। ऑल इण्डिया कन्फेडरेशन ऑफ दि ब्लाइंड, दिल्ली।
6. N.I.V.H. (1992), Handhook for the Teachers of the Visually Handicapped, Dehradun.
7. Panda, K.C. (2004), Education of exceptional Children. A base text on the rights of the handicapped and the gifted, Vikas Publishing House.
8. Cecil, R.Reynolds (2007), Encyclopedia of special Education, (3rd Ed.). A reference guide for the education of the handicapped and other exceptional children and adults, N.Y. John Wiley & sons.
9. Heward, V.L. & Orlansky, M.D. (1996), Exceptional children, (6th Ed.), Charles E. Meril Publishing Company, Columbus.

16.12 निबंधात्मक प्रश्न

1. दृष्टिबाधिता से क्या तात्पर्य है? यह कितने प्रकार की होती है?सविस्तार वर्णन कीजिए।
2. दृष्टिबाधित के क्या कारण है? इसकी रोकथाम एवं देखभाल पर प्रकाश डालिए।
3. दृष्टिबाधित बच्चों के लक्षणों का उल्लेख कीजिए।

ईकाई 17 दृष्टिबाधित बच्चों की पहचान, स्थापन, देखरेख एवं प्रशिक्षण

17.1 प्रस्तावना
17.2 उद्देश्य
17.3 दृष्टिबाधित बच्चों की पहचान तथा स्थापन
17.3.1 दृष्टिबाधित बच्चों की पहचान
17.3.2 दृष्टिबाधित बच्चों का शैक्षणिक स्थापन
17.4 दृष्टिबाधित बच्चों की देखरेख एवं प्रशिक्षण
17.4.1 दृष्टिबाधित बच्चों हेतु प्रशिक्षण के विविध घटक
17.4.2 दृष्टिबाधित बच्चों की देखरेख एवं प्रशिक्षण में माता-पिता की भूमिका
17.4.3 दृष्टिबाधित बच्चों की देखरेख एवं प्रशिक्षण में समावेशी विद्यालय की भूमिका
17.5 सारांश
17.6 पारिभाषिक शब्दावली
17.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
17.8 संदर्भ ग्रन्थ सूची
17.9 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री
17.10 निबंधात्मक प्रश्न

17.1 प्रस्तावना

दृष्टिबाधित बच्चों से सम्बंधित यह दूसरी इकाई है इससे पहले की इकाई में आपने जाना कि दृष्टिबाधिता क्या है। इसके कारण एवं रोकथाम के उपाय क्या हैं तथा दृष्टिबाधित बच्चों की विशेषताएं/लक्षण क्या हैं।

दृष्टिबाधिता बच्चों की समाज में मौजूदगी एक स्वाभाविक घटना है दृष्टिबाधित व्यक्ति भी समान्य व्यक्ति जैसे होते हैं बस उनके नेत्रों की देखने की क्षमता सामान्य से भिन्न होती है। ये बच्चे भी सामान्य बच्चों जैसे हैं अपनी क्षमता का प्रदर्शन करते हैं आवश्यकता है मात्र इन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण एवं अवसर की । उचित देखरेख तथा प्रशिक्षण हेतु इनका सही समय पर पहचान एवं शैक्षिक स्थापन आवश्यक है। प्रस्तुत इकाई में विस्तार से दृष्टिबाधित बच्चों की पहचान, स्थापन उनके देखरेख तथा प्रशिक्षण सम्बन्धित जानकारियाँ प्रस्तुत हैं।

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप दृष्टिबाधिता के पहचान हेतु संकेतों को तथा इनके शैक्षिक स्थापन को समझा सकेंगे तथा इनके देखरेख तथा प्रशिक्षण के विविध घटकों का सम्यक् विश्लेषण कर सकेंगे।

17.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप-

1. दृष्टिबाधित बच्चों की पहचान कर सकेंगे।
2. दृष्टिबाधित बच्चों के शैक्षिक स्थापन हेतु सम्यक् व्यवस्था के चयन की योग्यता विकसित कर सकेंगे।
3. दृष्टिबाधित बच्चों के देखरेख एवं प्रशिक्षण में माता-पिता की भूमिका को बता सकेंगे।
4. दृष्टिबाधित बच्चों के प्रशिक्षण के विविध घटकों का विश्लेषण कर सकेंगे।
5. दृष्टिबाधित बच्चों के प्रशिक्षण में विद्यालय की भूमिका से अवगत हो सकेंगे।

17.3 दृष्टिबाधित बच्चों की पहचान तथा स्थापन

17.3.1 दृष्टिबाधित बच्चों की पहचान

जन्म से दृष्टिहीनता की स्थिति सामान्यतः एक वर्ष की आयु के अन्दर ही पहचाना जा सकता है। यह माता-पिता तथा अन्य परिवार के सदस्यों के लिए स्वाभाविक होता है क्योंकि इस स्थिति में नवजात शिशु उनकी तरफ देखता नही है या हिलती हुई वस्तुओं या अन्य वस्तुएं जो बच्चों को आकर्षित करती है उनके लिए वो किसी प्रकार की किसी प्रतिक्रिया का प्रदर्शन नही करता। बच्चे में अल्पदृष्टि या आंशिक दृष्टि की पहचान से पूर्णतः दृष्टि अभाव से कठिन होता है। प्रायः इन बच्चों की पहचान तब तक नहीं हो पाती जब तक कि ये विद्यालय जाना प्रारम्भ नहीं करते। कई बार इन बच्चों की दृष्टि सम्बन्धी समस्या की पहचान जब तक ये कक्षा 3 या कक्षा 4 में नहीं जाते, जब छापा के अक्षर तथा चित्र छोटे हो जाते हैं तब तक नहीं हो पाता।

दृष्टिबाधिता के औपचारिक पहचान के लिए नेत्र विशेषज्ञ (Ophthalmologist)की आवश्यकता होती है जो कि विविध परिक्षणों के माध्यम से पहचान करता है। जैसे स्नेलेन चार्ट डेनेवर आई परिक्षण इत्यादि प्रयोग में लाये जाते हैं। जोकि दृष्टितीक्ष्णता का मापन करते हैं। छोटे बच्चों तथा अनपढ़ लोगों के लिए (Snellen Illiterate) का प्रयोग होता है यह लगभग 2 वर्ष की अवस्था से प्रयोग होना प्रारम्भ होता है। (Denver Eye Screen Test) उपकरण और अधिक छोटे बच्चों (6 माह तक की उम्र वाले) के नेत्र परीक्षण के लिए उपयोग में लाया जाता है। छोटे बच्चों की नेत्र क्षमता के आंकलन में प्रमुख समस्या यह आती है कि दृष्टिबाधित बच्चों को यह पता नहीं होता कि देखने का तात्पर्य क्या है? दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि वास्तव में वे नही जानते कि जो वह देख रहे है वे ठीक हैं या नही है तथा जो दूसरे सामान्य आँख वाले देख

रहे हैं उससे भिन्न है या वैसा ही है। माता-पिता तथा प्रारम्भिक विद्यालयी जीवन के अध्यापक की भूमिका इनके शीघ्र पहचान में अति महत्वपूर्ण होती है।

माता-पिता तथा अध्यापक द्वारा अल्पदृष्टि वाले बच्चों या अवशिष्ट दृष्टि वाले बच्चों की पहचान इनके आँखों की वाह्य आकृति, आँखों के प्रयोग के साथ संलग्न शिकायते तथा उनके देखने सम्बन्धी व्यवहारों के अवलोकन के माध्यम से किया जा सकता है। मात्र व्यवहार के आधार पर इनके पहचान सम्बन्धी निर्णय नहीं लिया जा सकता। व्यवहार के साथ आँखों की वाह्य आकृति तथा उनकी दृष्टि सम्बन्धी शिकायतों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। अवशिष्ट अथवा शेष दृष्टि के साथ विद्यालय जाने वाले बच्चों के पहचान के लिए Jangira, N.K., Ahuja,A., Sharma, I. (1992) ने एक चेकलिस्ट (Chicklist) तैयार किया है जो कि निम्नवत् है-

अवशिष्ट दृष्टि के साथ विद्यालय जाने वाले बच्चों के पहचान के लिए जाँच आख्या

(Check List for Identifying School going children with remaining sight)

आँखो की वाह्य आकृति (Appearance of the eyes)

1. आँखों का सीधा नही दिखना विशेषकर जब बच्चा थका हुआ हो — हाँ/नहीं
2. आँखों या आँखों की पुतलियों का लाल होना — हाँ/नही
3. आँखों में पानी आना — हाँ/नही
4. बार-बार बिलनी/गुहेरियों (Sties) का होना — हाँ/नही
5. आँखो का स्थिर गति में होना (Eyes in constant motion) — हाँ/नही
6. बार-बार आँखों को रगड़ना — हाँ/नही

आँखों के प्रयोग के साथ जुडी शिकायतें (Complaints associated with the use of eyes) सिरदर्द

1. उल्टी महसूस होना या आने की शिकायत — हाँ/नही
2. आँखों में जलन या खुजली — हाँ/नही
3. किसी भी सकय धुंधला दिखाई देना — हाँ/नही
4. शब्दों या पक्तियों का एक साथ चलना या एक साथ जुडना प्रतीत होना। — हाँ/नही
5. नजदीक के कार्य के बाद आँखों में दर्द होना — हाँ/नही

दिखाई पडने वाला आचरण (Seeing Behaviour)

1. क्या पढ़ते समय बच्चे का शरीर..................... है। — हाँ/नही
2. क्या बच्चा किताब या मेज के नजदीक सिर रखता है।

i. (अ) लिखते समय हाँ/नही
ii. (ब) पढ़ते समय हाँ/नही

3. क्या बच्चा भौंहें चढ़ाता (Frown) है
   i. (अ) लिखते समय हाँ/नही
   ii. (ब) पढ़ते समय हाँ/नही
4. क्या बच्चा अत्यधिक पलकें झपकाता है।
   i. (अ) लिखते समय हाँ/नही
   ii. (ब) पढ़ते समय हाँ/नही
5. क्या बच्चे का बार-बार मन नही लगता (Inatttentive) /ध्यान हट जाता है।
   i. (अ) लिखते समय हाँ/नही
   ii. (ब) पढ़ते समय हाँ/नही
6. क्या बच्चा अपने स्थान से भटक जाता है या लाइन खो जाती है।
   i. (अ) लिखते समय हाँ/नही
   ii. (ब) पढ़ते समय हाँ/नही
7. क्या बच्चा पढने के दौरान आँखों के बजाय सिर या किताब को घुमाता है।
8. क्या बच्चा थक जाता है।
   i. (अ) लिखने के दौरान हाँ/नही
   ii. (ब) पढ़ने के दौरान हाँ/नही
9. क्या बच्चा पढ़ते समय अपनी ऊँगली का प्रयोग लाइन के ऊपर आँखों के निर्देश्न के लिए करता है। हाँ/नही
10. क्या बच्चा पढ़ते समय एक आँख बंद करता है या ढककर देखता है। हाँ/नही

11. 'क्या बच्चे को पुस्तक में समान वस्तुओं या आकृतियों को पहचानने में समस्या होती है। हाँ/नही
12. 'क्या बच्चे को पुस्तक में पाठ का शीर्षक या मोटी छपाई वाली पंक्तियों को पहचानने में कठिनाई होती है। हाँ/नही
13. क्या बच्चा श्यामपट् से सुचनाएं लेने में असमर्थ है यदि अध्यापक लिखते समय बिना बोले लिखते हैं। हाँ/नही
14. क्या बच्चा श्यामपट् को स्पष्टता से देखने के लिए अध्यापक से अपने स्थान परिवर्तन के लिए निवेदन करता है। हाँ/नही
15. बच्चे का नाम अध्यापक या सहपाठियों द्वारा बुलाये जाने पर, उस दिशा की ओर देखता है। हाँ/नही
16. 'क्या बच्चा क़क्षा में खिड़की के पास बैठने से बचना चाहता है। हाँ/नही

17. 'क्या बच्चें को खेलने के दौरान अपने दोस्तों के स्थान पहचानने में समस्या का सामना करना पड़ता है। हाँ/नही

18. क्या बच्चा चमकीले प्रकाश में घुमने में संकोच करता है। हाँ/नही

निर्देश-यदि आप वाह्य आकृति तथा आँखों के प्रयोग के साथ जुडी हुई शिकायतों तथा ' चिन्ह लगे हुई ग्यारह व्यवहारों में किसी पाँच को एक साथ 'हाँ' में पाते हैं तो बच्चे को नेत्र विशेषज्ञ द्वारा उसके/उसकी दृष्टि के क्रियात्मक की औपचारिक आँकलन की आवश्यकता है।

(राष्ट्रीय दृष्टिहीनता निवारण समाज द्वारा शंकर (2009) में उद्धृत) (National Society of the Prevention of Blindness) न चक्षुदोष से पीड़ित लोगों की व्यवहारिक पहचान के लिए एक सूची तैयार की है जो निम्नलिखित है-

i. ये बच्चे धुंधलेपन को दूर करने की कोशिश करते हैं और आंखों को बहुत अधिक रगड़ते हैं। इनकी भौंहें चढ़ी रहती हैं।
ii. ऐसे बच्चों को पढ़ाते समय कठिनाई होती है तथा ऐसे कार्य करते समय इन्हें भी कठिनाई की अनुभूति होती है। इन्हें अच्छी तरह देखने की अवश्यकता होती है।
iii. ऐसे बच्चे एक आँख को ढक लेते हैं या बन्द कर लेते हैं, तथा नजदीक व दूर की वस्तुओं या पदार्थों को देखते समय या तो वे अपने सिर को झुका लेते हैं या आगे की ओर बढ़ा लेते हैं।
iv. ये बच्चे आँखों को मुलमुलाते (Blinks) रहते हैं। ये प्रायः चिल्लाते हैं और चिड़चिडापन भी रखते हैं, जब भी इन्हें कोई ऐसा कार्य भी करना पड़ता है, जिसमें अच्दी तरह देखने की आवश्यकता पड़ती है।
v. ये बच्चे अक्सर छोटी वस्तुओं या पदार्थों से ठोकर खाकर लड़खड़ा जाते हैं।
vi. दृष्टिदोष से पीड़ित बच्चे किताब या छोटे पदार्थों को आँख के बहुत नजदीक लाकर पकड़ते हैं तथा देखने का प्रयास करते हैं।
vii. ऐसे बच्चे खेल-खेलने या उसमें भाग लेने में असमर्थ रहते हैं, जिन्हें कुछ दूर तक देखने की आवश्यकता होती है।
viii. दृष्टिदोष से पीड़ित बच्चे तीव्र प्रकाश से घबराते हैं तथा प्रकाश के प्रति तीव्र संवेदशील रहते हैं।
ix. ऐसे बच्चे की पलके (Eye-Lids) लाल, उभरी हुई मोटी या फूली हुई होती है। इनकी आँखों से अक्सर पानी गिरता रहता है।
x. ऐसे बच्चे प्रायः यह शिकायत करते रहते हैं कि उन्हें ठीक से देखने में कठिनाई होती है। ये सिर दर्द या चक्कर का भी अनुभव करते हैं। ऐसे बच्चों के नजदीक, जब कोई कार्य करना पड़ता है, तो उन्हें किसी वस्तु के दो चित्र (Bouble Vision) दिखायी देता है।

17.3.2 दृष्टिबाधित बच्चों का शैक्षणिक स्थापन

दृष्टिबाधिता की पहचान के पश्चात् उन्हें उनकी क्षमता, स्तर, अभिरूचि तथा सामंजस्य क्षमता के अनुसार उनके लिए उपलग्ध शैक्षणिक ब्यवस्था में स्थापन किया जाना चाहिए। वर्तमान में उनके लिए निम्न प्रकार शैक्षिक व्यवस्था उपलब्ध है।

1. **विशेष विद्यालय**- इन विद्यालयों में सभी विद्यार्थी दृष्टिबाधिता की श्रेणी वाले होते हैं। साधारणतया ये विद्यालय आवासीय होते हैं। सामान्य शिक्षा ब्यवस्था से अलग यह एक ऐसी शिक्षा ब्यवस्था है, जो विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की आवश्यकता की पूर्ति कर सके। विशेष विद्यालयों में किसी एक विशेष वर्ग की आवश्यकतानुरूप संसाधन उपलब्ध होते हैं जिसका उद्देश्य बच्चे की समस्त विशिष्ट शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति सुनिश्चित करना है। इन विद्यालयों में दृष्टिबाधिता के क्षेत्र में प्रशिक्षित अध्यापक तथा इनके अनुरूप सामग्रियाँ उपलब्ध होती है। ये विद्यालय दृष्टिबाधित बच्चों को उनके परिवार, समुदाय तथा समाज से दूर रखकर पूरी तरह से देखभाल, शिक्षित तथा प्रशिक्षित तो करती है परन्तु इनक सामाजीकरण समाज के मुख्य धारा से अलग रहकर मात्र दृष्टिबाधित बच्चों के साथ होता है तथा इनका अपने उम्र के सामान्य बच्चों से मेल-जोल न होने के कारण इनका उचित विकास बाधित होता है। जबकि शिक्षा सामाजीकरण की प्रक्रिया है तथा इसका उद्देश्य बच्चे को समाज का अभिन्न अंग बनाना है अतः वर्तमान में विशेष विद्यालयों के प्राचीन शिक्षा के व्यवस्था साथ ही विशेष शिक्षा का अंतिम स्तर माना जाता है। परन्तु भारत के संदर्भ में आज भी ये विद्यालय प्रासंगिक है क्योंकि तमाम प्रयासों के बावजूद अभी विशेष शिक्षा के क्षेत्र में अपेक्षित विकास नही हो पाया। विशेष कर दृष्टिबाधिता से गंभीर रूप से प्रभावित बच्चों को प्रारम्भिक प्रशिक्षण इन विद्यालयों में दिया जा सकता है तथा ये संसाधित विद्यालय के रूप में भी अपना कार्य कर विशेष शिक्षा को अपने देश और अधिक सुदृढ़ कर सकते हैं।
2. **एकीकृत विद्यालय (Integrated School)** -इस ब्यवस्थ में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को सामान्य विद्यालय में, समान्य विद्यार्थियों के साथ शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाता है एकीकृत का अर्थ है पृथक लोगों को पुनः इकट्ठा करना। विशेष विद्यालय की सबसे बडी कमी है कि ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समाज से अलग करती है एकीकृत विद्यालय ने दूर करने का प्रयास किया जिसमें अलग किये गये विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों उनके हम उम्र के सामान्य लोगों के निकट लाकर पूर्ण किया गया। एकीकृत शिक्षा ब्यवस्था के अनेक प्रारूप विकसित किये गये जिसके माध्यम से दृष्टिबाधित बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इस व्यवस्था के अन्तर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चे सामान्य शिक्षा कार्यक्रमों में सम्मिलित तो किया गया परन्तु उन्हें विशेष शिक्षा के विद्यार्थी के रूप में माना गया और इनका प्रतिदिन कुछ समय या बहुत सारे प्रशिक्षण विशेष शिक्षक की देख-रेख में संसाधन कक्ष में बीतता है व शेष समय सामान्य कक्षाओं में। इस व्यवस्था में छात्र की शैक्षिक उपलब्धता में कमी के कारण विद्यार्थी में कमी को माना जाता है। यह व्यवस्था विशेष विद्यार्थियों को अपने यहा स्वीकार तो करती है पर विद्यार्थियों में पायी जाने वाली विविधताओं के अनुरूप विद्यालय के वातावरणीय विशेषताओं का अनुकूलन नहीं करती तथा

विद्यालय तथा विद्यालय की गुणवत्ता पर ध्यान दिये बिना विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विद्यालय में प्रवेश देती है। यदि विशेष विद्यार्थी अपने आप को सामानय शिक्षक तथा विशेष शिक्षक दोनों की सहायता से सामान्य कक्षा में सीखने योग्य हो जाता है तो सीख सकता है। यह व्यवस्था विद्यार्थी स्वयं को विद्यालय तथा समाज के अनुरूप बनाये तथा ढाले इस बात पर अधिक जोर देती है तथा इस बात पर कम की विद्यालय तथा समाज भी अपने में इन विद्यार्थियों के अनुरूप अनुकूलन लाये। यह विशेष विद्यार्थियों को स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं और उनके उपचार के परिप्रेक्ष्य में देखती है। विशेष बल विद्यार्थियों की उपस्थिति पर होता है। विद्यालय का वातावरण लचीला नही होता जिसके कारण बहुत कम विशेष आवश्यकता वाले बच्चे ऐसी गैर-लचीली व्यवस्था की माँगों की पूर्ति कर पाते हैं।

- **समावेशी विद्यालय (Inclusive School)** -यह एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जो शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिाक, सांवेगिक, भाषायी, लिगात्मक या अन्य किसी प्रकार के भेदभाव के बिना सभी बच्चों का स्वागत करती है तथा उन्हें समाज की मुख्यधारा में समाहित करने का प्रयास करती है समवेशी शिक्षा में, सभी प्रकार के बच्चे एक सामान्य विद्यालय की सामान्य कक्षा में सम्मिलित होते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे किसी भी स्थानीय विद्यालय में प्रवेश ले सकते हैं यह उस विद्यालय की जिम्मेदारी है कि उन्हें प्रभावी तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराये तथा विद्यालय के सभी, घटकों, शैक्षिक ढाँचों, प्रणालियों, पाठ्यचर्या तथा पद्धतियों को सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु तैयार करती है इस स्वीकृति के साथ की सभी बच्चे सीख सकते हैं। यदि कोई बच्चा नही सीख पा रहा हे तो कमी उस बच्चे में नही, शिक्षा व्यवस्था के किसी न किसी घटक में है। यह व्यवस्था सभी बच्चों को एक साथ सीखने का अवसर तैयार करती है बच्चों की उनके सीखने की विधियों तथा गतियों में आपसी भिन्नता के बावजूद । रायनडक एवं अल्पर (Ryndak and Alper) (1996) -के अनुसार समावेशी शिक्षा में हिस्सा लेने से विकलांग छात्र जीवनपर्यन्त विविध एकीकृत कार्यक्रमों का हिस्सा बने रहेगें इस बात की सम्भावना बहुत बढ़ जाती है यह वैयक्तिक भिन्नताओं तथा विविध बौद्धिक क्षमताओं के सम्प्रत्यय पर आधारित है। समावेशी शिक्षा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रभावी अधिगम पर जोर देती है।तथा आज के शिक्षकों के सामने समावेशी शिक्षा व्यवस्था में सफलतापूर्वक कार्य करने (अर्थात सभी विद्यार्थियों की आवश्यकता की पूर्ति चाहे वो सकलांग हो या विकलांग) के लिए तैयार करने की चुनौति खड़ी करती है। झा (Jha) (2002) के अनुसार ‘‘समावेशी शिक्षा विद्यालय को इस बात के लिए सही प्रकार से तैयार करती है ताकि वह निकट के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर समुचित ध्यान दे सके। यह स्कूल को समाज के अधिक निकट जाती है।

3. **मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था**-दृष्टिबाधित या किसी भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को औपचारिक विद्यालय में शिक्षा न ग्रहण कर पाने के कारणों में 1) विलम्ब से विकलांगता चिन्हित होने कारण देर से विद्यालयी शिक्षा ग्रहण करना। 2) औपचारिक विद्यालय की पाठ्यक्रम तथा व्यवस्था का लचीला न होना। 3) चिकित्सकीय उपचार या शल्य चिकित्सा के फलस्वरूप प्रायः

विद्यालय में नियमित रूप से उपस्थित नहीं हो पान 4) उपयुक्त वातावरण के अभाव के कारण विद्यालयी परिवेश में सामंजस्य न कर पाना इत्यादि प्रमुख है। ऐसी स्थिति में मुक्त एवं दुरस्थ शिक्षा व्यवस्था विशेष विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभकर है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत विद्यार्थी अपने घर रह कर पत्राचार या अन्य सम्प्रेषण साधनों जैसे रेडियों, टी0वी0 कम्प्यूटर आदि की सहायता से अध्ययन करते हैं। यह एक ऐसी लचीली व्यवस्था है जिसका उद्देश्य आवश्यकतानुसार पाठ्यक्रमों का विकास कर उन्हें उन लोगों तक पहुँचाना है जो किन्ही कारणों से सामान्य विद्यालय की नियमित कक्षाओं में अध्ययन नही कर सकते। मुक्त विश्वविद्यालयों ने विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर इन विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पाठ्यक्रमों के आयोजन के साथ विकलांग बच्चों के अभिभावकों अथवा देखभाल करने वाले व्यक्तियों के लिए प्रमाणपत्र कार्यक्रमों का भी आयोजन करता है। विद्यालयी स्तर पर राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान (National Institute of Open Schooling) की भूमिका प्रमुख है यह दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को ब्रेल में अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराता है तथा इन विद्य़ार्थियों को ऐसे अध्ययन केन्द्रों से जोड़ती है जहाँ इनके लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध हों।

अभ्यास प्रश्न

1. स्नेलेन चार्ट..................................का मापन करता है।
2. दृष्टि की औपचारिक जाँच जो विशेषज्ञ करता है उसे ....कहते हैं।
3. अधिक छोटे बच्चे के नेत्र परीक्षण हेतु ....उपयोग में लाया जाता है।
4. वाह्य आकृति, ...तथा ....के आधार पर दृष्टिबाधित बच्चों की पहचान की जाती है।
5. विशेष विद्यालय....................... शिक्षा से अलग शिक्षा व्यवस्था है।
6. एकीकृत व़िद्यालय में दृष्टिबाधित विद्यार्थी नहीं सीख पाता तो यह ....की समस्या है।
7. ....विद्यालय सभी बच्चों का स्वागत करती है तथा उन्हें समाज की मुख्यधारा में समाहित करती है।
8.

17.4 दृष्टिबाधित बच्चों की देखरेख एवं प्रशिक्षण

17.4.1 दृष्टिबाधित बच्चों के प्रशिक्षण के विविध घटक

दृष्टिबाधित बच्चों को सामान्य बच्चों को दिये जाने वाले प्रशिक्षण के साथ कुछ अन्य प्रशिक्षण भी दिया जाता है ये प्रशिक्षण उन्हें समाज में समायोजित करने तथा विद्यालय की सामान्य पाठ्यचर्या तक पहुँच सुनिश्चित करने में सहायक होते हैं। प्रशिक्षण के इन घटकों को 'जमा पाठ्यचर्या' भी कहते हैं। जमा पाठ्यचर्या अतिरिक्त

नहीं बल्कि क्षतिपूर्ति करने वाले होते हैं। दृष्टि अभाव के कारण उत्पन्न विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति जमा पाठ्यचर्या के माध्यम से होता है इसके निम्नलिखित घटक हैं-

- ब्रेल
- अनुस्थितिविज्ञान एवं चलिष्णुता
- दैनिक क्रिया-कौशल
- ज्ञानेन्द्रिय/संवेदन प्रशिक्षण
- सामाजिक कौशल
- विशेष उपकरणों का प्रयोग जैसे बेलर अबेकस इत्यादि

i. **ब्रेल**- दृष्टिबाधित व्यक्ति जिस लिपि का प्रयोग करते हैं उसे ब्रेल लिपि कहते हैं ब्रेल एक स्पर्श से पढ़ी जाने वाली लिपि है जिसे छः बिन्दुओं को अलग-अलग प्रकार से व्यवस्थित कर विश्व की किसी भी भाषा की लिपि का रूपान्तरण किया जा सकता है। इस लिपि के अविष्कारक लुई ब्रेल थे। इस लिपि पर दक्षता हासिल करने के पश्चात दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के सामान्य कक्षाओं में आसानी से शिक्षा दी जा सकती है। अतः इन्हें इस लिपि में प्रशिक्षण आवश्यक है।

ii. **अनुस्थितिविज्ञान एवं चलिष्णुता-** वातावरण में स्वयं की स्थिति की जानकारी तथा वातावरण के साथ अर्थपूर्ण सम्पर्क स्थापित करने एवं नियंत्रण की योग्यता अनुस्थिति ज्ञान कहलाती हैं एवं वातावरण में एक स्थान से दूसरे स्थान स्वतंत्रतापूर्वक तथा सफलतापूर्वक आवागमन करने की योग्यता चलिष्णुता कहलाती है। दृष्टिअभाव के कारण वातावरण को समझने, नियंत्रण करने तथा आने-जाने का क्षेत्र कम हो जाता है तथा उसकी यह अक्षमता अन्य कौशलों पर दक्षता को प्रभावित करती है। चलिष्णुता तथा अनुपस्थिति ज्ञान प्रशिक्षण में इसी से सम्बन्धित प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है इसमें दृष्टिवान मार्गदर्शक कौशल, सुरक्षात्मक कौशल, लम्बी छडी प्रयोग कौशल, डॉगगाइड कौशल एवं अनुस्थित एवं चलिष्णुता सम्बन्धित आधुनिक इलेक्ट्रानिक उपकरणों के प्रयोग का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रकार के प्रशिक्षण दृष्टिबाधित बच्चों एवं व्यक्तियों के आत्म विश्वास एवं मनोबल को बढ़ाते है एवं उनको आस-पास के वातावरण को समझने एवं नियत्रंण के लिए तैयार करता है। अनुपस्थिति ज्ञान एवं चलिष्णुता प्रशिक्षण इस क्षेत्र में प्रशिक्षित व्यावसायिक द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए।

iii. **ज्ञानेन्द्रिय /संवेदीय प्रशिक्षण**-दृष्टि क्षति होने से नेत्र जैसी महत्वपूर्ण इन्द्रिय प्रभावित हो जाती है इस स्थिति में शेष इन्द्रियों तथा अवशिष्ट दृष्टि के प्रयोग द्वारा ही वातावरण से सम्पर्क सम्भव है। ज्ञानेन्द्रियों का सही एवं अधिकाधिक प्रयोग सम्बन्धित प्रशिक्षण ज्ञानेन्द्रिय या संवेदीय प्रशिक्षण कहलाता है इस प्रशिक्षण में उसकी शेष इन्द्रियों तथा अवशिष्ट दृष्टि का सर्वाधिक तथा सर्वोतम प्रयोग करना सिखाया जाता है जिससे की वह आस-पास के वातावरण की उचित जानकारी तथा अनुभव प्राप्त कर सके। दृष्टिहीन बच्चे को ज्ञानेन्द्रिय प्रशिक्षण में -1. श्रवण 2. स्पर्स, 3.घ्राण, 4.

स्वाद, 5. बची हुई या अवशिष्ट दृष्टि का अधिकतम, उचित एवं सम्यक् उपयोग के कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है।

iv. **दैनिक क्रिया**-कौशल सम्बन्धित प्रशिक्षण- दैनिक क्रिया कौशल के अन्तर्गत वे कौशल आते हैं जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को रोजमर्रा की जिन्दगी की क्रियाओं को बिना की सहायता या न्यूनतम सहायता से करने की योग्यता प्रदान करती है यह बच्चे के समाज में स्वतंत्र एवं बेहतर सामाजिक जीवन व्यतीत करने में सहायता करती है। दृष्टि क्षय दैनिक क्रिया कौशलों को प्राभावित करती है दृष्टिवान बच्चे बहुत सारी इन क्रियाओं को अनुकरण के माध्यम से सीख लेते हैं। परन्तु दृष्टिबाधित बच्चों को इन कौशलों को सुव्यवस्थित ढंग से प्रशिक्षित करने की आवश्यकता होती है इस प्रशिक्षण के खाना खाने कपड़े पहनने, शारीरिक स्वच्छता, खरीदारी करना, व्यक्तिगत वस्तुओं एवं दस्तावेजों को व्यवस्थित रखना, दैनिक क्रिया, जैसे की पहचान व प्रबन्धन इत्यादि कौशलों का प्रशिक्षण दिया जाता है।

v. **सामाजिक कौशल**-एक दृष्टिवान बच्चा बहुत सारे सामाजिक कौशलों के आसानी से दूसरों का अनुकरण करके सीख जाते हैं जबकि वे दृष्टिबाधित बच्चे इन अवसरों से वचित रह जाते हैं। अतः इन बच्चों को सामाजिक कौशलों में दक्षता हेतु प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। उचित सामाजिक कौशलों से इनकी अपने उम्र के सामाजिक समूहों में स्वीकृति बढ़ेगी एवं समाज की मुख्य धारा में ये सरलातापूर्वक सम्मिलित हो सकेगे। इनकी विद्यालय के सभी प्रकार की गतिविधियों तथा सामाजिक उत्सवों में सहभागिता सुनिश्चित की जानी चाहिए जिससे इनके में सामाजिक कौशलों का स्वाभाविक विकास हो सके।

vi. **विशेष उपकरणों के तथा तकनीकियों प्रयोग में प्रशिक्षण** -उपकरणों तथा तकनीकियों का प्रयोग दृष्टिबाधित बच्चों की कार्य कुशलता को बढ़ाती है। विज्ञान ने विविध प्रकार की तकनीकियों एवं उपकरणों का विकास किया है जो इन बच्चों की विविध प्रकार से सहायता करती है दृष्य माध्यम की सूचना को दृष्टिबाधिता व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए उसे श्रव्य या स्पर्श माध्यम में परिवर्तित करना पडता है। दृष्टिबाधित व्यक्तियों का दूसरे दृष्टिवान व्यक्तियों पर निर्भरता को कम करने के लिए तमाम उपकरण तथा तकनीकियों विकसित है इन उपकरणों को मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं। 1. परम्परागत उपकरण 2. आधुनिक उपकरण। इन उपकरणों का उपयोग कर अपने जीवन को यथा सम्भव सामान्य बना सकें इसके लिए ये इन्हें इनके लिए उपलब्ध विशेष उपकरणों तथा तकनीकियों में प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए।

दृष्टिबाधित बच्चों को प्रशिक्षण देते समय ध्यान रखने योग्य बातें-

i. दृष्टिबाधित बच्चों की क्षमता प्रति सोच सकारात्मक होनी चाहिए।
ii. प्रशिक्षण बच्चे की शारीरिक क्षमता तथा उसकी आवश्यकता, पृष्ठभूमि इत्यादि के अनुरूप होनी चाहिए अर्थात बच्चे की वैयक्तिक विभिन्नता को ध्यान में रखकर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
iii. प्रशिक्षण में आवश्यक सभी विशेषज्ञों को शामिल किया जाना चाहिए।

iv. प्रशिक्षण के पूर्व सभी आवश्यक सामग्रियों तथा उपकरणों को एकत्रित कर लेना चाहिए।
v. प्रशिक्षण के दौरान कौशल को छोट-छोटे भागों में विभक्त करके सीखाना चाहिए।
vi. कार्य को सरल प्रक्रिया से सिखाया जाना चाहिए।
vii. कौशल का बार-बार अभ्यास कराया जाना चाहिए।
viii. प्रशिक्षण देते समय विद्यार्थियों की सुरक्षा को भी ध्यान में रखना चाहिए।
ix. प्रशिक्षण के दौरान तथा उपरान्त सतत मूल्यांकन का प्रावधान होना चाहिए।
x. विद्यार्थियों के सही प्रयास पर पुनर्बलन की भी व्यवस्था होनी चाहिए।
xi. बच्चे के लिए प्रशिक्षण सुखद, सहज व स्वाभाविक होनी चाहिए जो कि निरन्तरता एवं पूर्णता पर आधारित हो इससे अधिगम सरल व स्वाभाविक होगा।

17.4.2 दृष्टिबाधित बच्चों के देखरेख एवं प्रशिक्षण में माता-पिता की भूमिका

किसी भी बच्चे के जीवन में सामान्य बच्चे जैसे ही होती है। दृष्टिबाधित बच्चे के देखरेख एवं प्रशिक्षण में उसका परिवार विशेषकर माता-पिता सबसे स्थायी तथा प्रभावी निकाय है दृष्टिबाधित बच्चे के देखरेख व प्रशिक्षण में उनकी भूमिका निम्नलिखित है-

1. माता-पिता द्वारा सबसे अपेक्षित एवं महत्वपूर्ण व्यवहार उनके द्वारा बच्चे की स्वीकार करना है। उनके द्वारा दृष्टिबाधित बच्चे का स्वीकार किया जाना संसार में समानता के अवसर प्राप्त करने का पहला कदम है। कोई भी अधिनियम प्रावधान तथा योजना इनका पुनर्वास नहीं कर सकती यदि विशेष आवश्यकता वाला व्यक्ति को अपने घर में समान अवसर नहीं प्राप्त है। अतः माता-पिता द्वारा बच्चे का स्वीकार किया जाना तथा बच्चे एवं स्वयं के मनः स्थिति को सकारात्मकता प्रदान करना उनका प्रथम तथा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है।
2. घर के वातावरण को दृष्टिबाधित बच्चे के अनुकूल अर्थात बाधारहित बनाना जिससे कि चलिष्णुता का अवसर उन्हें अपने घर से ही मिलना प्रारम्भ हो जाए।
3. इन बच्चों के अनुरूप खिलौनों तथा उपकरणों को इनके लिए उपलब्ध कराना। परिवार के सदस्य दैनिक क्रिया कौशल में प्रशिक्षण देने के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है।
4. माता-पिता की बच्चे के शिक्षण-प्रशिक्षण में विद्यालय तथा अध्यापकों का सहयोग करना चाहिए।
5. माता-पिता को दृष्टिबाधित तथा दृष्टवान दोनों बच्चों के साथ एक समान व्यवहार करना चाहिए। दृष्टिबाधित बच्चों को अतिसंरक्षण न दें यह बच्चों को आत्मनिर्भर बनने में कठिनाई उत्पन्न करेगा तथा उसके दृष्टवान भाई-बहन भ्ज्ञी उसे असहाय व अनुपयोगी मानने लगेंगे।
6. दृष्टिबाधित बच्चे को प्रारम्भ से ही वास्तविक अनुभव देने का प्रायास करें तथा उन्हें सार्वजनिक स्थानों जैसे संग्रहालय, डाकघर, उद्यान, दुकान इत्यादि ले जाना चाहिए इससे उनमें सही प्रत्यय के साथ भाषा के विकास में भी सहायता मिलेगी।

7. दृष्टिबाधित बच्चों को सरकार द्वारा प्रदत्त सभी रिआयतों, प्रावधानों, तथा अधिकारों की जानकारी रखें, उनके प्रति सजग रहें परन्तु सारी जिम्मेदारी सरकार की है तथा सब कुछ निःशुल्क हो इसकी अपेक्षा न करें।
8. बच्चे के अन्दर सकारात्मक आत्मप्रत्यय और सामाजिक प्रत्यय कर-कर उसे स्वयं वो जैसे है वैसा स्वीकार करने के लिए उत्साहित करें।
9. बच्चे से माता-पिता की अपेक्षाएं एवं उम्मीदें वास्तविक होनी चाहिए। ना ही उनकी क्षमता से अधिक की अपेक्षा रखें ना तो कम की।
10. वर्तमान में दृष्टिबाधित बच्चों की देखरेख एवं प्रशिक्षण हेतु बहुत सारे केन्द्रों तथा विश्वविद्यालयों द्वारा अभिभावकों तथा देख रेख करने वालों (Caregivers) के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम कार्यक्रम का आयोजन होता है। इस प्रकार के पूरा पाठ्यक्रमों को करने के पश्चात् अधिक दक्षता तथा व्यवस्थित ढंग से उनकी देखरेख की जा सकती है।
11. अभिभावक-शिक्षक संघ में सक्रिय सहयोग प्रदान करना चाहिए।
12. दृष्टिबाधित बचचों के देखरेख एवं प्रशिक्षण में समावेशी विद्यालय की भूमिका-

वर्तमान में समावेशी विद्यालय को सभी को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करने में सक्षम व्यवस्था के रूप में देखा जा रहा है शिक्षा से वंचित वर्ग को भी शिक्षा व्यवस्था में शमिल करने का एक मात्र उपाय समावेशी शिक्षा है। इस व्यवस्था को विद्यालय सतर पर सफल बनाने में विद्यालय की प्रमुख भूमिका है। दृष्टिबाधिता के प्रति व्याप्त नकारात्मक अभिवृत्तियों के कारण प्रधानाचार्य को इन विद्यार्थियों को विद्यालयों में प्रवेश देने से मना नही करना चाहिए। इनकी क्षमताओं से परिचित होकर या ऑकलन कर इन बच्चों की विशेष आवश्यकताओं के आधार पर विद्यालय में अनुकूलन कर परिवर्तन लाते हुए शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। विद्यालय प्रशासन का सहयोग इनके अधिगम को सुचारू बनाएगा। समावेशित शिक्षा को विद्यालय में लागू करने हेतु निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखना चाहिए।

i. विद्यालयी परिवेश में अनुकूलन-परिवेश में इन विद्यार्थियों के अनुरूप अनुकूलन में भौतिक मनोसामाजिक के साथ सांगवेगिक परिवेश के अनुकूलन को भी उचित स्थान मिलना चाहिए जिसका विवरण निम्नवत् है।

भौतिक परिवेश का अनुकूलन-

- वातावरण में एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ने के लिए रस्सी या रेलिंग का प्रयोग करें जिससे की इनके आवागमन को आसान किया जा सके, तथा शारीरिक शिक्षा या सृजनात्मक गतिविधियों हेतु अन्य वातावरणीय अनुकूलन जैसे खेल के मैदान की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। अल्पदृष्टि वाले बच्चों की सुविधा के लिए सीढ़ियों तथा रेलिंग के आरम्भ व अन्त में रंग विभेद किया जा सकता है।

- कक्षा-कक्ष तथा विद्यालय के अन्य स्थानों पर सूचनाओं को ब्रेल में या बोलते हुए उपकरणों द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए।
- विद्यालय परिसर में स्थान भेद के लिए विविध प्रकार के फर्श/टाइल्स का प्रयोग किया जाना चाहिए।
- विद्यालय का वातावरण बाधा रहित तथा सम्भावित दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए निरन्तर सचेत रहना चाहिए।

मनो सामाजिक एवं सांवेगिक परिवेश का अनुकूलन -

- सभी योजनाओं में दृष्टिबाधित बच्चों को शामिल किया जाना चाहिए।
- जहाँ तक सम्भव हो दृष्टिबाधित बच्चों को स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य करने के लिए उत्साहित किया जाना चाहिए।
- बच्चों को उनकी क्षमता को पहचानने में सहायता की जानी चाहिए तथा सकारात्मक पक्ष के साथ ही सीमाओं को भी स्वीकार करना सीखाया जाना चाहिए।
- बच्चे तनाव मुक्त रहें इसके लिए विविध क्रियाओं जैसे व्यायाम, योग, ध्यान, संगीत इत्यादि की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए।
- सर्वप्रथम दृष्टिबाधित बच्चे को एक सामान्य विद्यार्थी के रूप में स्वीकार करें जिसमें क्षमताएं तथा अक्षमताएं दोनों है। सामान्य विद्यार्थियों के लिए उन बच्चों को सवीकार करने में प्रतिमान होगा।
- विद्यार्थी मे उनकी अभिरूचियों को पहचाने तथा उसे विकसित करने में सहायता की जानी चाहिए।
- विद्यार्थी के प्रयासों के लिए उनकी सराहना की जानी चाहिए।
- स्वस्थ स्व-प्रत्यय विकास में विद्यार्थी की सहायताकी जानी चाहिए।
- सामाजिक कौशलों के विकास की उचित व्यवस्था किया जाना चाहिए।
- विद्यार्थियों को स्वतन्त्र शिक्षार्थी बनने के लिए उत्साहित किया जाना चाहिए।
- दृष्टिबाधित विद्यार्थियों का परिचय किसी अन्य विद्यार्थी जैसे ही कराएं?
- सभी विद्यार्थियों के लिए एक जैसी अनुशासन व्यवस्था होनी चाहिए।
- दृष्टिक्षम से सम्बन्धित विषयों पर दृष्टिबाधित विद्यार्थियों एवं सामान्य विद्यार्थियों के बीच चर्चा करने तथा सीखने की आज्ञा दी जानी चाहिए।

ii. दृष्टिबाधित बच्चों हेतु कक्षा व्यवस्थापन अनुकूलन-कुछ कक्षा Accommodations दृष्टिबाधित विद्ृयार्थियों के लिए कार्यक्रमों की गुणवत्ता को बढ़ाया जाना चाहिए। जैसे-

- कक्षा की भौतिक (Layout) तथा दूसरी distinguishing features इन विद्यार्थियों को समावेशित शैक्षिक अवसर प्रदान करने हेतु आवश्यक है।
- कक्षा में उनके बैठने का स्थान ऐसी जगह हों जहाँ से वह अपनी अवशिष्ट दृष्टि तथा श्रचण क्षमता का पूरा प्रयोग कर सके प्रायः इन्हें कक्षा केन्द्र में आगे की सीट के बैठाना इनके लिए लाभकारी होता है।
- पर्याप्त प्रकाश की उपलग्धता को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- भली-भांति सुनने में विक्षोभों को कम करने का प्रयास किया जाना चाहिए।
- कुर्सी मेजों (Furniture) उपकरणों तथा अनुदेशनात्मक सामग्रियों के निर्धारित रखने का स्थान सुनिश्चित करने सभी खतरनाक तथा चोट पहुँचाने वाली वस्तुओं को बच्चों के सम्पर्क से दूर रखना चाहिये।
- अपरिचित मेजों, कुर्सियों तथा दूसरे फर्नीचर के इस्तेमाल करते समय सहायता की जानी चाहिए।
- कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त स्थान की व्यवस्था करें जिससे उनके द्वारा प्रयोगित उपकरणों जैसे-ब्रेलर, कम्प्यूटर, टेप रिकार्डर, बड़े छापे के अक्षर की पुस्तकें इत्यादि रखी जानी चाहिए।
- विद्यार्थियों को इन्हें ऐसे स्थान पर बैठाये जिससे प्रकाश का स्रोत सीधे इनकी आँखों पर ना पडे या परावर्तित प्रकाश की चमक से उन्हें कोई असुविधा ना हो।
- कक्षा-कक्ष का रंग सफेद अथवा बहुत हल्के रंग का होना चाहिए। अलमारी दरवाजे या खिडकियों इत्यादि से प्रकाश टकराकर चमक उत्पन्न न करे इसके लिए इन पर रंगीन कागज लगाया जाना चाहिए।

iii. अनुदेशनात्मक तथा पाठ्यचर्यात्मक अनुकूलन-

- विद्यार्थियों के प्रति सकारात्मक रवैया रखना चाहिए।
- विद्यार्थियों को उनके नाम से बुलाया जाना चाहिए।
- श्यामपट्ट पर जो भी लिखते हैं शिक्षक को उसे पढ़कर बताना चाहिए।
- पाठ्यचर्या तथा शिक्षण विधियों में अपेक्षित अनुकूलन करना चाहिए।
- नियमित अन्तराल पर विश्राम (Breaks) लें दृष्टिबाधित बच्चे चूंकि नोट लेने में या अवशिष्ट दृष्टि के प्रयोग में अधिक थकते हैं।
- वर्णात्मक मौखिक अनुदेशनों का प्रयोग किया जाना चाहिए।

- मूल्यांकन प्रक्रिया का उचित अनुकूलन होना चाहिए। प्रश्नों के उत्त्र देने हेतु बहु-विधि व्यवस्था, जैसे टेपरिकार्डर, टाइपराइटर, ब्रेलर/बेलस्लेट, श्रुतिलेखक इत्यादि विकल्पों की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे दृष्टिबाधित विद्यार्थी अपने लिए उपयुक्त तरीके का चुनावकर सकें। नियमानुसार अतिरिक्त समय प्रदान किया जाना चाहिए। अल्पदृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए मोटे/बडे छापे के अक्षरों वाले प्रश्नपत्र की व्यवस्था होनी चाहिए।
- व्याख्यात्मक शब्द जैसे आगे, पीछे, सीधे इत्यादि का प्रयोग इन बच्चों के शरीर के परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए।
- अधिगम कराते समय विभिन्न अनुदेशों को मौखिक तथा स्पर्शीय माध्यम में परिवर्तित करना चाहिए एवं दृष्टि की अवशेष मात्रा को भी दृष्टिगत रखना चाहिए।
- दृष्टिवान बच्चों को उत्साहित किया जाना चाहिए कि वे बच्चों की विभिन्न क्रियाकलापों में सहायता करें।
- अधिगम कराते समय शुरूआत सरल से करें और धीरे-धीरे जटिलता की ओर जाना चाहिए।
- दृष्टिबाधित बच्चे के लिए अनुकूलित शारीरिक शिक्षा व खेल प्रशिक्षण की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए।
- स्पर्शीय अधिगम के लिए विविध अवसरों का सृजन किया जाना चाहिए।
- देखों (See, Look and Watch) जैसे शब्दों का प्रयोग स्वाभाविक रूप से किया जा सकता है।
- कक्षा में प्रवेश करते तथा छोड़ते समय या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के पास जाते समय हमेशा सूचित करना/बताना चाहिए।
- कक्षा में होने वाली सभी गतिविधियों में बच्चों को शामिल करना चाहिए।
- शिक्षण में वैयक्तिकरण, स्थूलता एवं अनुभवों की एकरूपता के सिद्धान्तों का प्रयोग किया जाना चाहिए।

अभ्यास प्रश्न

9. विशेष विद्यालय सामान्यतः________________प्रकृति के होते हैं।
10. ________________विश्वविद्यालय उन विद्यार्थियों के लिए लाभकारी हो जो किन्ही कारणों से नियमित कक्षाओं में नहीं आ सकते।
11. ________________विद्यालय में व्यवस्था को समस्या के रूप में देखा जाता है न की बालक को
12. दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए ________________शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए।
13. एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की योग्यता________________कहलाती है।

14. वातावरण में स्व्यं की स्थिति की जानकारी तथा नियंत्रण की योग्यता ________________ज्ञान कहलाती हैद्य
15. ब्रेल लिपि में ________________ बिन्दुओं को अलग.अलग प्रकार से व्यवस्थित किया जाता हैद्य
16. ________________ प्रशिक्षण में अवशिस्ट दृष्टि तथा शेष इंद्रियों का सर्वाधिक प्रयोग करना सिखाया जाता हैद्य
17. दृष्टिबाधित बच्चों के साथ ________________अनुदेशनों का प्रयोग किया जाना चाहिएद्य
18. दृष्टिबाधित बच्चों के लिए अनुभवों को ________________ माध्यम से प्रदान किया जाना चाहिएद्य

17.5 सारांश

औपचारिक आंकलन के अतिरिक्त दृष्टिबाधित बच्चों की प्रारम्भिक पहचान उनके माता-पिता तथा अध्यापकों द्वारा भी की जा सकती है।

- दृष्टिबाधित विद्यार्थियों का स्थापन विशेष विद्यालयों, एकीकृत विद्यालयों, समावेशी विद्यालयों तथा मुक्त विद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में की जा सकती है।
- ब्रेल, अनुस्थिज्ञान एवं चलिष्णुता, संवेदन/ज्ञानेन्द्रिय प्रशिक्षण दैनिक क्रिया-कौशल, सामाािजक कौशल एवं विशेष उपकरणों के प्रयोग इत्यादि अनकों प्रशिक्षण के घटक हैं जिसमें प्रशिक्षण की व्यवस्थ कर इनका जीवन सामान्य के निकट किया जा सकता है।
- प्रशिक्षण में माता-पिता तथा विद्यालय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

17.6 शब्दावली

1. **शैक्षिक स्थापन** - उपलब्ध विकल्पों का सही चुनाव कर उन्हें उस शिक्षा व्यवस्था से लाभान्वित करना
2. **अधिगम** - सीखनाध्व्यव्हार में स्थायी परिवर्तन
3. **पाठचर्या** - कक्षा के अंदर तथा बाहर सभी प्रकार के प्राप्त होने वाली अनुभव
4. **स्व.प्रत्यय** - प्रतिविम्ब जो हम स्व्यं के बारे में रखते हैं अर्थात अपनी योग्यताओं तथा अद्वितीयता से सम्बन्धित स्व्यं का मानसिक प्रतिविम्ब
5. **सतत** - लगातार

17.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. दृष्टि तीक्ष्णता
2. नेत्र विशेषज्ञ
3. डेनवर आई स्क्रीन टेस्ट
4. शिकायतें ए आचरण
5. सामान्य
6. विद्‌यार्थी
7. समावेशी
8. आवासीय
9. मुक्त
10. समावेशी
11. अनुकूलित
12. चलिष्णुता
13. अनुस्थिति
14. छः
15. संवेदीए
16. वर्णात्माक मौखिक
17. स्पर्शीय

17.8 संदर्भ ग्रंथ सूची

1. Jangira, N.K., Ahuja,A., Sharma, I. (1992), Education of Children With Seeing Problems Focus on Remaining Sight, Central Resourse Centre (PIED), New Delhi, NCERT
2. Jha, M.M. (2002), School without Walls: Inclusive Education for all. Oxford. Heirimann.
3. Ryndak, O.L. & Alpes, S.K. (1996) Curriculum content for students with moderal and severe. Disabilities in inclusive settings. Boston Allyar & Bacon.
4. शंकर, प्रेम (2009) विशिष्ट बालक, लखनऊ आलोक प्रकाशन।

17.9 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. Julka, A. (2007), Meeting Special Needs in School: a Manual, New Delhi, NCERT
2. Punani, B. & Rawal, N. (2000), Visual Impairment Handbook, Blind People's Association, Vastrapur, Ahmedabad.
3. N.I.V.H. (1992), Handhook for the Teachers of the Visually Handicapped, Dehradun.
4. Panda, K.C. (2004), Education of exceptional Children. A base text on the rights of the handicapped and the gifted, Vikas Publishing House.
5. Cecil, R.Reynolds (2007), Encyclopedia of special Education, (3rd Ed.). A reference guide for the education of the handicapped and other exceptional children and adults, N.Y. John Wiley & sons.
6. Heward, V.L. & Orlansky, M.D. (1996), Exceptional Children, (6th Ed.), Charles E. Meril Publishing Company, Columbus.
7. Yesseldyke, J. E., Algozzine, & Thurlow, M. L. (1998). Critical Issues in Special Education New Delhi: Kanishka Publishers
8. ऑल इण्डिया कन्फेडरेशन ऑफ दि ब्लाइंट (2004), शिक्षक-प्रशिक्षण लेखामाला (दृष्टिबाधितार्थ शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए उपयोगी पुस्तक), नई दिल्ली।
9. ए.के. मित्तल (2012), दृष्टिबाधा-शिक्षण, दिल्ली, ऑल इण्डिया कन्फेडरेशन ऑफ दि ब्लाइंड
10. आहुजा, स्वर्ण (2001), दृष्टिहीन और समाज आधारित पुनर्वास। ऑल इण्डिया कन्फेडरेशन ऑफ दि ब्लाइंड, दिल्ली।

17.10 निबंधात्मक प्रश्न

1. दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की पहचान कैसे करेंगे। सविस्तार चर्चा करें।
2. दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के स्थापन हेतु शैक्षिक विकल्पों का विवरण दें।
3. ''विविध विशेष घटकों में प्रशिक्षण देकर दृष्टिबाधित व्यक्तियों का जीवन सामान्य बनाया जा सकता है'' सिद्ध करें।
4. दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की शिक्षा एवं प्रशिक्षण में माता-पिता तथा विद्यालय की भूमिका का वर्णन करें।

ईकाई 18 : दृष्टिबाधित बालकों हेतु समावेशी शिक्षा एवं शिक्षकों की भूमिका

18.1 प्रस्तावना
18.2 उद्देश्य
18.3 समावेशी शिक्षा: अर्थ एवं परिभाषा
18.4 दृष्टिबाधित बालकों का समावेशन
18.4.1 समावेशन को निर्धारित करने वाले कारक
18.4.2 भारत में किया गया प्रयास
18.5 समावेशित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका
18.5.1 कक्षाध्यापक की भूमिका
18.5.2 विशेष शिक्षक की भूमिका
18.6 सारांश
18.7 शब्दावली
18.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
18.9 संदर्भ ग्रन्थ सूची
18.10 सहायक उपयोगी पाठ्य सामग्री
18.11 निबन्धात्मक प्रश्न

18.1 प्रस्तावना

दृष्टिबाधित बालकों के शिक्षा एवं पूनर्वास की शुरुवात विशेष विद्यालयों से की गयी। ऐसा माना जाता है कि शिक्षा की यह पृथक व्यवस्था दृष्टिबाधित बालकों एवं समाज के बीच एक दूरी का निर्माण करती रही है। समावेशन प्रत्यय का विकास इसी दूरी को कम करने वाले विचारधारा के रुप में विकसित हुआ। समावेशन की विचारधारा अलग-अलग नामों से जानी जाती रही है। लेकिन सबमें 'समावेशी शिक्षा' एवं 'समावेशन' नवीन एवं समकालीन है। दृष्टिबाधित बालकों से सम्बन्धित यह तीसरी ईकाई है। इसके पहले की ईकाईयों के अध्ययन के बाद आप दृष्टिबाधा के कारणों एवं विशेषताओं से अवगत हो चुके हैं। नि:शक्त जन अधिनियम, 1995 के प्रावधानों के अनुसार दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा यथासम्भव सामान्य विद्यालयों में ही कराये

जाने का प्रावधान है। विभिन्न सरकारी निकायों द्वारा भी समावेशित शिक्षा के प्रोत्साहन पर बल दिया जाता रहा है।

प्रस्तुत ईकाई दृष्टिबाधित बालको के समावेशित शिक्षा से सम्बन्धित है। इस ईकाई में आप समावेशी शिक्षा के अर्थ को समझते हुए भारत में इससे सम्बन्धित प्रयासों को जानेगें। समावेशन की विचारधारा को प्रभावकारी बनाने में शिक्षक का योगदान सर्वोपरि होता है। कक्षाध्यपक एवं विशेष शिक्षक समावेशी शिक्षा में दृष्टिबाधित बालको के उचित अनुदेशन एवं प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित करते हैं। इस ईकाई के अध्ययन के बाद आप समावेशी शिक्षा के प्रत्यय को समझ सकेगें तथा समावेशी शिक्षा में कक्षाध्यापक तथा विशेष शिक्षक के महत्व को जान पाएगें।

18.2 उद्देश्य

प्रस्तुत ईकाई के अध्ययन के पश्चात आप:

1. जान सकेंगें कि समावेशी शिक्षा व्यवस्था क्या है?
2. बता सकेगें कि किस प्रकार भारत में समावेशी शिक्षा का विकास एवं प्रसार हुआ है।
3. समावेशी शिक्षा के अन्तर्गत कक्षाध्यापक एवं विशेष शिक्षक की भूमिका को सूचीबद्ध कर सकेगें।

18.3 समावेशी शिक्षा: अर्थ एवं परिभषा

दृष्टिबाधित एवं अन्य विकलांग बालकों के शिक्षण प्रशिक्षण की शुरूआत विशिष्ट विद्यालयों के पृथक वातावरण में हुई। समावेशी शिक्षा, शिक्षण की ऐसी प्रणाली के रूप में आई, जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ मुख्य धारा के स्कूलों में पठन-पाठन और आत्मनिर्भर बनने का मौका मिले, ताकि वे समाज की मुख्यधारा में शामिल हो सकें। भारतीय संविधान सशक्त लोकत्रांतिक समाज की स्थापना कर इस प्रकार विधालय हेतु दिशानिर्देशन प्रदान करता है जो बालकों को सामाजिक, जातिगत, आर्थिक, वर्गीय, लैंगिक, शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से भिन्न देखे जाने के बजाय एक स्वत्रंत अधिगमकर्त्ता के रूप में देखे। समावेशित शिक्षा एक ऐसी ही शिक्षा प्रणाली की ओर संकेत करती है, जो शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, सांवेगिक, भाषायी या अन्य स्थितियों के भेद-भाव के बिना सभी बच्चों को समाहित करे। अन्तराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में समावेशी शब्द का प्रचलन 1990 के दशक के मध्य से बढ़ा। 1994 में सलामांका में यूनेस्को द्वारा विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं पर विशेष विश्व सम्मेलन सुलभता और समता का आयोजन हुआ। इसमें शिक्षा को सभी बालकों का मौलिक अधिकार बताया गया।

सभी बच्चों को सीखने की विधियों और गति में आपसी भिन्नता के बाद भी समावेशित शिक्षा सीखने के एक समान अवसर प्रदान करने पर बल देती है। यह विविधताओ और सभी बच्चों की

आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु परम्परागत स्कूल व्यवस्था में परिवर्तन लाने का स्वागत करती है। इस प्रकार समावेशन को मुख्य धारा की शिक्षा व्यवस्था में सभी शिक्षार्थियों की स्विकृति के रूप में भी स्पष्ट किया जाता है, जहाँ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ, सामान्य बच्चों को एक ही परिवेश में शिक्षा प्रदान किया जाए और उनकी शिक्षा के लिए सभी शिक्षकों की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाए।

एन.सी.एफ., 2005 के अनुसार *समावेशन की प्रक्रिया में बच्चे को न केवल लोकतंत्र की भागीदारी के लिए सक्षम बनाया जा सकता है, बल्कि यह सीखने एवं विश्वास करने के लिए भी सक्षम बनाया जा सकता है कि लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए दूसरों के साथ रिश्ते बनाना, अन्तःक्रिया करना भी समान रूप से महत्वपूर्ण है।* (एन.सी.ई.र.टी., 2005)

मित्तल (2006) के अनुसार समावेशित शिक्षा ‘‘बालकों में विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं एवं योग्यताओं (सीखने की गति एवं विधि में अन्तर को ध्यान में रखते हुए) की पहचान करती है तथा उनकी ओर जबावदेही सुनिश्चित करती है’’।

स्मिथ, पॉवेल, पैटॉन तथा डॉवडी, 2011 के अनुसार ‘‘समावेशी शिक्षा एक ऐसी शैक्षिक व्यवस्था एवं अभ्यास से सम्बन्धित है, जो सभी बालकों (उनकी क्षमता स्तर से हटकर) को समान शैक्षिक एवं सामाजिक अवसर प्रदान करने के लिए स्वत: प्रयास करती है’’।

समावेशन एक शैक्षिक अभ्यास के साथ-साथ एक दर्शन भी है। *समावेशन ‘ शब्द का अपने आप में कुछ खास अर्थ नहीं होता है। समावेशन के चारों तरफ जो वैचारिक, दार्शनिक, शैक्षिक ढाँचा होता है वही समावेशन को परिभाषित करता है।* (एन.सी.ई.र.टी., 2005)। समावेशन के दर्शन का आधार प्रत्येक बच्चों का गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, जो उसके क्षमताओं पर आधारित न हो। अनेक शोध के द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि सभी व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होते हैं और कोई दो व्यक्ति एक सा समान नहीं हो सकता है, भले ही उनका पालन-पोषण समान परिवेश में हो। अत: बच्चों के शिक्षा के लिए क्षमतागत विभेदीकरण तर्कसंगत नहीं है। समावेशी शिक्षा विविध बौद्धिक क्षमताओं और वैयक्तिक भिन्नताओं के प्रत्यय पर आधारित है।

पीटर (2007) (स्मिथ, पॉवेल, पैटॉन तथा डॉवडी, 2011 में उल्लेखित) ने समावेशित शिक्षा के पक्ष को निर्धारित करने वाली चार मान्यताओं का प्रतिपादन किया है-

- विद्यालय में आने वाले प्रत्येक बच्चों की आवश्यकताएँ भिन्न-भिन्न होती हैं।
- यह सामान्य विद्यालय प्रणाली कि जबाबदेही होती है कि वह प्रत्येक बच्चे के प्रति उत्तरदायी बने।
- एक उत्तरदायी विद्यालयी प्रणाली में सभी प्रकार के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले शिक्षक, सुलभ वातावरण, लचीला व गुणवत्तापूर्ण पाठ्यक्रम तथा प्रासंगिक अनुदेशन से परिपूर्ण होता है।
- सामान्य विद्यालयी प्रणाली की प्रगति इस बात पर निर्भर करती है कि विद्यालय तथा समुदाय किस प्रकार एक समायोजित समाज के लिए नागरिक तैयार करने में मिलकर प्रयासरत है।

समावेशी शिक्षा समाज को उपयुक्त दिशा में बढ़ने के लिए एक व्यापक रणनीति का हिस्सा बनती है। यह एक ऐसी सशक्त अवधारणा है, जो निरन्तर गत्यात्मक विकास को प्रोत्साहित करती है। समावेशी शिक्षा व्यवस्था निम्न मान्यताओं को स्वीकार करती है:

- सभी बच्चे सीख सकतें है, अत: सभी को सीखने का समान अवसर प्रदान करती है
- शैक्षिक ढ़ाचों, प्रणालिओं और पद्धतिओं में बदलाव लाकर सभी बच्चों की आवश्यकताओं के अनुरुप बनाती है
- भौतिक तत्वों, पाठ्यक्रम सम्बन्धी पक्षों व शिक्षण अपेक्षाओं को बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप बनाती है
- वर्तमान परिवेश में परिवर्तन हेतु प्रोत्साहित करती है
- शिक्षण सम्बन्धी समस्याओं का कारण अनुपयुक्त छात्र परिवेश तथा अन्त: क्रिया में कमी को निर्धारित करती है (न कि छात्र की अपनी कमियों को)
- बालकों में निरन्तर होने वाली आवश्यकताओं और क्षमताओं को पहचानतें हुए सकारात्मक परिवेश तैयार करती है
- वैयक्तिक शिक्षण पद्धतिओं तथा सहायक विषय-वस्तु से युक्त लचीले पाठ्क्रम को सम्मिलित करती है
- प्रत्येक छात्र की आवश्यकता को समझने और उनकी पूर्ति हेतु विद्यालय की क्षमताओं के विकास करने पर बल देती है
- सामान्य और विशेष शिक्षकों से सभी छात्रों के प्रति उपयुक्त आचरण की अपेक्षा करती है
- विशेष बालकों को सही प्रतिमान प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है
- सामाजिक अन्त:क्रिया के अनेक ऐसे अनेक अवसर प्रदान करती है, जो पृथक शिक्षा में नहीं मिल सकतें हैं
- सामाजिक स्वीकारोक्ति की भावना को बल देती है
- अन्य बालकों को दृष्टिबाधित बालकों की आवश्यकताओं से परिचित कराती है

अभ्यास प्रश्न

1. दृष्टिबाधित बालको की शिक्षा की शुरूआत .... विद्यालयों से हुई।
2. समावेशन एक शैक्षिक अभ्यास के साथ-साथ एक **.....................** भी है।
3. समावेशी शिक्षा**..............** छात्रों की आवश्यकता को समझने और उनकी पूर्ति हेतु विद्यालय की क्षमताओं के विकास करने पर बल देती है।

18.4 दृष्टिबाधित बालकों का समावेशन

आप इस बात से परिचित हैं कि समावेशन शब्द से संबंध भेद-भाव के बिना सभी बच्चों को समाहित कर एक साथ शिक्षा प्रदान करने से है। दृष्टिबाधित एवं अन्य विकलांग बालको के शिक्षण प्रशिक्षण की शुरूआत पृथक व्यवस्था में विशिष्ट विद्यालयों में शुरू हुई। भारत में समावेशन प्रत्यय का आरम्भ एकीकृत शिक्षा के रूप में हुआ। 70 के दशक से इस बात पर ध्यान दिया जाने लगा कि जहॉ तक हो सके सभी विकलांग बालकों की शिक्षा सामान्य कक्षा व्यवस्था में ही सम्पन्न कराई जाए। एकीकृत शिक्षा के माध्यम से दृष्टिबाधित बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ, पास के सामान्य विद्यालय में ही शिक्षा देने की य़ोजना के साथ हुई। एकीकृत शिक्षा के कई प्रारूप देखने को मिले हैं**:**

- **संसाधन कक्ष प्रारूप**- एक विद्यालय मे संसाधन अध्यापक, संसाधन कक्ष में अलग-अलग समय में, अलग-अलग कक्षा के दृष्टिबाधित बालकों की आवश्यकता के अनुरूप उन्हें समुचित प्रशिक्षण देने का कार्य करता है।
- **परिभ्रामी अध्यापक प्रारूप**- एक विशिष्ट अध्यापक (परिभ्रामी शिक्षक) एक से अधिक विद्यालयों अलग-अलग समय में जाकर के दृष्टिबाधित बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है।
- **संयुक्त प्रारूप**- इसमे एक विशेष अध्यापक संसाधन अध्यापक के साथ-साथ के साथ-साथ परिभ्रामी अध्यापक की भूमिका निभाता है।
- **गुच्छित अथवा समूह प्रारूप**- यह पहाड़ी एवं दुर्गम स्थानों के लिए उपयुक्त प्रारूप है, जिसमें संसाधन सेवाओं का विकेन्द्रीकरण किया जाता है।
- **सहयोगी प्रारूप**- विशेष विद्यालयों के छात्रों को एकीकृत शिक्षा के लिए सामान्य विद्यालयों में अनुदेशन की व्यवस्था की जाती है।
- **द्विशिक्षणद प्रारूप**. सामान्य विद्यालय के सामान्य शिक्षक को अल्पकालिक विशेष प्रशिक्षण देकर सामान्य बालकों के साथ-साथ दृष्टिबाधित बालकों की भी अत्यधिक जिम्मेदारी सौपी जाती है। इस प्रकार वह शिक्षक दोहरी भूमिका का निर्वहन करता है।
- **बहुकौशल शिक्षण योजना प्रारूप**- इस प्रारूप में विशेष शिक्षक को दुष्टि बाधित बच्चों के साथ-साथ अन्य प्रकार के विकलांग बच्चों को सेवा प्रदान हेंतु दक्ष बनाया जाता है।

समकलीन विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में समावेशन एक मुख्य मुद्दा के रूप में उभर कर आया है। पूर्व में एकीकृत शिक्षा के अन्तर्गत दृष्टिबाधित बालकों के पठन-पाठन के प्रति विशेष अध्यापक को ही जिम्मेवार माना जाता था, इसीलिए समावेशित शिक्षा शब्द का प्रार्दुभाव इन्हीं प्रारूपों के विकसित रूप में हुआ। समावशी शिक्षा विशेष शिक्षक को नहीं वरन विद्यालय की जबावदेही दृष्टिबाधित बालकों के प्रति सुनिश्चित करता है। चूँकि दृष्टिबाधित बालक तथा अन्य़ बालक एक ही समाज के सदस्य है, अतः समावेशी शिक्षा द्वारा दृष्टिबाधित बालकों का सामान्य बालकों के साथ समायोजन एक अच्छे भविष्य का संकेत भी देता है।

18.4.1 समावेशन को निर्धारित करने वाले कारक

समावेशन एक वृहद् प्रकिया है तथा इसे निम्नलिखित कारक प्रभावित करतें है:

- **सामाजिक स्वीकृति की भावना** - एक स्वस्थ्य समावेशन की परिकल्पना तब तक नहीं की जा सकती है, जब तक कि समावेशी विचारधारा को सामाजिक स्वीकृति की प्राप्ति न हो।
- **बालक भिन्नता का सम्मान** - दृष्टिबाधित बालकों सहित सभी बालकों के आवश्यकता एवं भिन्नता का सम्मान करना ही समावेशी शिक्षा का आधार है। अत: प्रभावकारी समावेशन के लिए य़ह आवश्यक है कि विद्यालय तथा सम्बन्धित कर्मी इन भिन्नताओं का सम्मान करें।
- **पाठ्यक्रम अनुकूलन** - दृष्टिबाधित बालकों के आवश्यकतानुसार पाठ्क्रम का अनुकूलन आवश्यक है। पाठ्यक्रम अनुकूलन के अन्तर्गत विषयवस्तु का प्रतिस्थापन, रूपान्तरण तथा द्विगुणन किया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर विषयवस्तु को हटाया भी जाता है।
- **प्रभावकारी अनुदेशन** - समावेशित कक्षा में दृष्टिबाधित बालकों हेतु अनुदेशन को प्रभावकारी बनाने के लिए आवश्यक है कि दृश्य सम्बन्धित शिक्षण सामग्री को रूपान्तरित कर स्पर्शी तथा अन्य़ अनुकूलित सामग्री के रूप में प्रस्तुत किया जाए।
- **विशेषकर्मिकों की सहभागिता** - विद्यालय में सभी कर्मियों की व्यापक सहभागिता समावेशी शिक्षा को सबसे अधिक प्रभावित करती है। रिप्ले(1997) ने नियोजन से निस्पादन तक प्रत्येक स्तर पर सभी शिक्षकों एवं विशेष शिक्षक की पारस्परिक सहभागिता को समावेशन के सफलता हेतु अत्यन्त महत्वपूर्ण माना है।
- **कानून, योजनाएँ एवं नीतियाँ** - यह नितान्त आवश्यक है कि समावेशन के समुचित विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कानून तथा योजनाएँ बने। साथ ही साथ प्रत्येक स्तर पर क्रियान्वयन हेतु समुचित नीति तथा कार्ययोजना भी होनी चाहिए।
- **बाधामुक्त वातावरण** - समावेशी शिक्षा में दृष्टिबाधित बालकों द्वारा सभी सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए बाधाओं की पहचान तथा बाधामुक्त वातावरण का होना बहुत आवश्यक है।

18.4.2 भारत में किया गया प्रयास

दृष्टिबाधित बालकों के समावेशन का प्रथम प्रयास दादर स्कूल द्वारा 1940 में माना जाता है। इसके द्वारा तीव्र बुद्धि वाले दृष्टिबाधित बालकों को एक सामान्य विद्यालय में प्रवेश दिलाया गया। सरकार के सहयोग वर्ष 1960 में रॉयल कॉमन वेल्थ सोसाइटी फॉर द व्लाइन्ड (अब साइटसेवर्स इन्टरनेशनल) नें बम्बई में भी समावेशन के प्रयास किए (मित्तल, 2006)। पुन: 1963 में पालनपुर में भी दृष्टिबाधित बालकों को सामान्य कक्षा में शिक्षा देने का प्रयास किया गया। परिभ्रामी शिक्षकों के द्वारा दृष्टिबाधित बालकों को सामान्य विद्यालय में शिक्षित करने का प्रथम प्रयास भी 1981 में विश नगर (गुजरात) में माना जाता है। भारत सरकार द्वारा विशेष बालकों के लिए समेकित शिक्षा व्यवस्था योजना (आइ.ई.डी.सी.) 1974 में आरम्भ की गयी।

इसके अन्तर्गत चयनित स्कूलों में विशेष छात्र-छात्राओं को सामान्य बच्चों के शिक्षा प्रदान करने की बात कही गयी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) तथा कार्ययोजना 1992 में विशेष आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा पर मुख्य रूप से ध्यान दिया गया। विशेष बच्चों को सामान्य समुदाय के साथ समन्वित करने की बात कही गयी ताकि वे भी गरिमा एवं आत्मविश्वास के साथ जीवन जी सके। केन्द्र सरकार ने प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के उद्देश्य से 1994 में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के रूप में एक योजना लागू की। इस योजना का उद्देश्य सभी बालकों को स्कूल में बनाये रखना, शिक्षा के स्तर में सुधार करना तथा समाज के विभिन्न वर्गो में असमानता को कम करके सभी के लिए शिक्षा सुनिश्चित करना था। 1998 में इस योजना को 18 राज्यों में लागू कर दिया गया। बाद में यह कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान के साथ मिला दिया गया।

विकलांगता के क्षेत्र में एक व्यापक कानून के रूप में वर्ष 1996 में नि:शक्त जन (समान अवसर, अधिकार संरक्षण, और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (पी.डव्लू.डी. एक्ट, 1995) सरकार द्वारा अस्तित्व में लाया गया। इस अधिनियम का अध्याय पाँच नि:शक्त बालकों की शिक्षा के लिए समुचित व्यवस्था का प्रावधान करता है। प्रत्येक नि:शक्त बालक को 18 वर्ष तक की आयु तक उचित वातावरण में नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था उनमे से एक है। इस अधिनियम में इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि विशेष आवश्यकता वाले सभी बालकों को सामान्य स्कूलों में एकीकृत एवं समावेशी शिक्षा प्रदान की जाए। साथ ही साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा हेतु बहुविधि दृष्टिकोणों, विकल्पों और कार्यनीतियों का समर्थन किया जाए। इसमें मुक्त शिक्षण पद्धति, गैर औपचारिक वैकल्पिक स्कूली शिक्षा, गृह आधारित शिक्षा, मॉडल उपचारात्मक शिक्षण, अंशकालीन कक्षाएँ तथा व्यावसायिक शिक्षा शामिल हैं। जिन्हें विशेष शिक्षा की ही आवश्यकता है, उनके लिए देश के प्रत्येक भाग में विशेष विद्यालयों की व्यवस्था के लिए सरकार को निर्देशित किया गया है (भारत सरकार, 1996)। साथ ही नि:शक्त बालकों के लिए विशेष विद्यालयों में व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधा मुहैया कराने के प्रयास का उपबन्ध है। सहायक शिक्षण सामग्रियों के निर्माण तथा विकास हेतु अनुसंधान और साथ ही पर्याप्त संख्या में शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाए स्थापित करने की बात भी कही गयी है। जिससे नेत्रहीन या अल्पदृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए समुचित संख्या में शिक्षकों की व्यवस्था की जा सके।

सबके लिए शिक्षा के लक्ष्य प्राप्ति हेतु वर्ष 2002 में सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) लाया गया। क्रेन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित यह योजना राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में पूरे देश में चलाया जा रहा है। स्त्री-पुरूष असमानता तथा सामाजिक विभेद को समाप्त कर के शिक्षा को लोक आधारित बनाना ही इस कार्यक्रम का मिशन है। इसके अन्तर्गत 6-14 आयुवर्ग के सभी बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा मुफ्त उपलब्ध कराने की व्यवस्था, सभी बस्तिओं को स्कूली सुविधा, शत-प्रतिशत नामांकन, ठहराव एवं संतोषप्रद उपलब्धि स्तर को सुनिश्चित करना है। इस कार्यक्रम में विशेष बच्चों को सामान्य स्कूली शिक्षा में शामिल करने के लिए प्रति बालक की दर से सलाना 1200 रू तक की राशि खर्च किए जाने का प्रावधान है। साथ ही संसाधनों की भागीदारी तथा शिक्षक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करने का भी प्रावधान है।

माध्यमिक स्तर पर समावेशी शिक्षा योजना वर्ष 2009 में लाई गई, जिसका विशेष उद्देश्य दृष्टिबाधित बालकों सहित सभी विकलांग बालकों की पहचान कर माध्यमिक स्तर की शिक्षा सुनिश्चित करना तथा उन्हें सहायता

प्रदान करना है। यह योजना क्रेन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित है, जिसमें राज्यों को शत-प्रतिशत सहायता देने का प्रावधान है। इस योजना के तहत माध्यमिक स्तर दृष्टिबाधित बालकों की पहचान, उपयुक्त अनुदेशन, सहायक उपकरण आदि का प्रावधान है। वर्ष 2009 में ही राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान भी लागू किया गया। यह राष्ट्रीय अभियान सर्व शिक्षा अभियान के तर्ज पर माध्यमिक शिक्षा के लिए तैयार किया गया। इस अभियान का उद्देश्य समाज में अर्थिक, शैक्षिक रूप से पिछड़े एवं विकलांग बालकों तक माध्यमिक स्तर की शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित करना है।

अभ्यास प्रश्न

4. दृष्टिबाधित बालकों के लिए समावेशी शिक्षा का प्रथम प्रयास .... (स्थान) में किया गया।
5. आई.ई.डी.सी. योजना .... वर्ष में आरम्भ की गयी।
6. राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ सस्थांन **..................** (स्थान) में स्थित है ।
7. भारतवर्ष में विकलांगता के क्षेत्र में **..................** एक व्यापक कानून है।
8. परिभ्रामी अध्यापक **..................** शिक्षा का एक प्रारूप है।

समावेशित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका

किसी शिक्षण अधिगम व्यवस्था को प्रभावकारी बनाने के लिए शिक्षक की भूमिका सर्वोपरि होती है। समावेशी शिक्षा में भी शिक्षकों तथा अन्य विशेषज्ञों की भूमिका अहम मानी जाती है। चूकि समावेशन की प्रक्रिया में सामान्य कक्षाध्यापक तथा विशेष आवश्यकताओं की पूति हेतु विशेष अध्यापक की व्यवस्था होती है। अतः हमलोग दोनों की भूमिका को बारी.बारी से जानेंगेः

18.5.1 कक्षाध्यापक की भूमिका

समावेशी शिक्षा को प्रभावकारी बनाने के लिए कक्षाध्यापक की दृष्टिबाधित बालकों के प्रति अभिवृत्ति गहरा प्रभाव डालती है। स्मिथ पॉवेल, पैटॉन तथा डॉवडी (2011) ने कक्षाध्यापक की समावेशी शिक्षा में निम्नलिखित क्षेत्रों में भूमिका बतायी है**:**

हॉव्स तथा वेशलिग (1998) (स्मिथ पॉवेल, पैटॉन तथा डॉवडी, 2011 द्वारा उल्लेखित) समावेशित शिक्षा को प्रभावकारी तथा सफल बनाने में कक्षाध्यापक की भूमिका को सर्वोपरि बताया है, चँकि वे ही सामान्य कक्षा अनुदेशन के लिए उत्तरदायी होतें हैं। समावेशित शिक्षा में कक्षाध्यापक की कुछ महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निम्नलिखित है :

- कक्षा में दृष्टिबाधित बालकों को अन्य बालकों के समतुल्य स्वीकार करना
- दृष्टिबाधित बालकों हेतु मूल्यांकन तथा वैयक्तिक शैक्षिक योजना निर्माण सम्बन्धी विशेष दल का हिस्सा बनना
- दृष्टिबाधित बाधित बालकों के अधिकारों की रक्षा के लिए तत्पर रहना
- बालक के माता-पिता से समय-समय पर सम्पर्क स्थापित करना उनका मार्गदर्शन करना
- वैयक्तिक बाधाओं को ध्यान में रखते हुए अनुदेशन में आवश्यक बदलाव करना
- विकलांगता सम्बन्धी सरकारी योजनाओं, अधिनियमों की समझ रखना, तथा उनके लाभ को दृष्टिबाधित तक पहुचाने में मदद करना
- कक्षा में सभी छात्रों को समान अवसर प्रदान करना
- विशेष आवश्यकता होने पर विशेष शिक्षक की सेवा प्राप्त करना
- अनुदेशन के प्रभावकारी बनाने के लिए विशेष उपकरणों का उपयोग करना

- अन्य बालकों को सहयोग देने तथा सहयोग प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना

6.5.2 **विशेष शिक्षक की भूमिका** :

दृष्टिबाधित बालकों की विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं के समुचित निष्पादन के लिए विशेष शिक्षक की व्यवस्था होती है। विशेष शिक्षक दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा तथा पुनर्वास के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित होतें हैं। इनकी भूमिका विशिष्ट होने के साथ-साथ विस्तृत भी होती है। विशेष शिक्षकों की भूमिका को आप निम्न चित्र द्वारा समझ सकतें है**:**

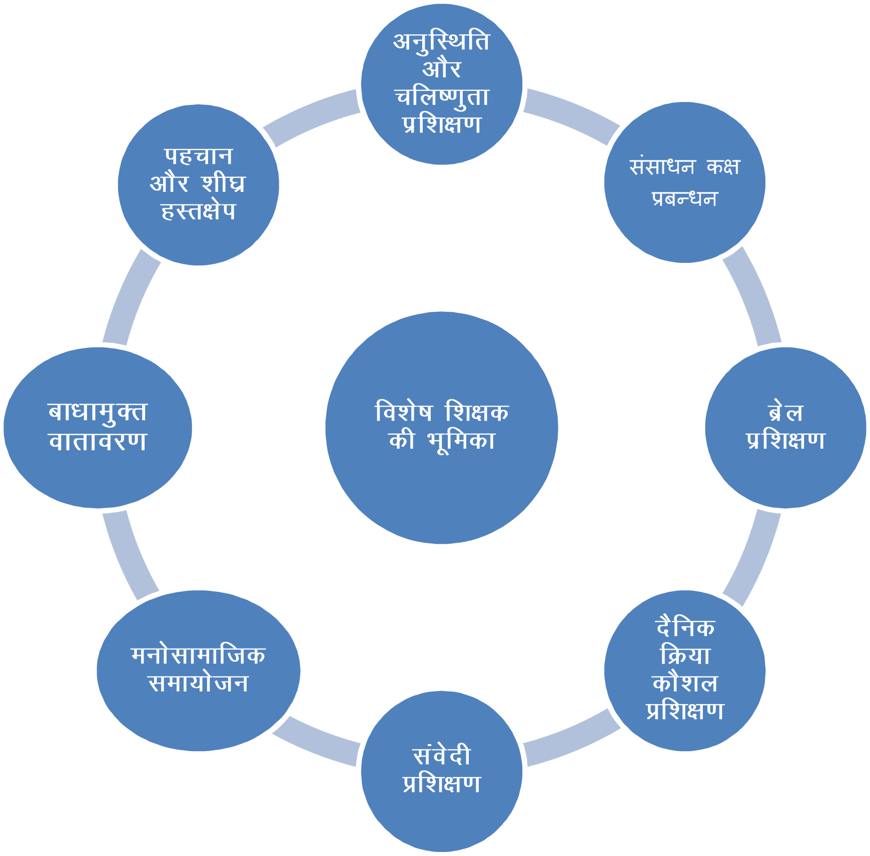

उपरोक्त चित्र में प्रदर्शित विशेष शिक्षक की भूमिका को समझनें के लिए हम क्रमवार रूप से चर्चा करेंगे **:**

18.5.2.1 **ब्रेल प्रशिक्षण**

बालकों के लिए ब्रेल शिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। दृष्टिबाधित बालक पठन व लेखन का कार्य स्पर्श रूप में करता है। ब्रेल छ**:** उभरी बिन्दुओं पर आधारित एक स्पर्शीय लिपि है। ब्रेल लेखन कार्य़ दाएँ से बाएँ

ओर होता है जबकि पठन बाएँ से दाएँ ओर होता है। ब्रेल प्रशिक्षण के द्वारा दृष्टिबाधित बालकों को पढ़ने-लिखने में सहायता मिलती है।

समावेशित परिवेश में विशेष शिक्षक की अपेक्षित भूमिकाएँ -

- दृष्टिबाधित बालकों के ब्रेल पठन और लेखन सीखाना
- ब्रेल प्रशिक्षण, ब्रेल-पूर्व तत्परता कार्यक्रम तय करना
- ब्रेल लेखन हेतु विभिन्न उपकरणों से अवगत कराना
- संकोच ब्रेल तथा नेमेथ कोड (गणित के लिए कोड) से अवगत कराना

18.5.2.2 पहचान और शीघ्र हस्तक्षेप

दृष्टिबाधित बालक की यथाशीघ्र पहचान अत्यन्त आवश्यक है। किसी भी दृष्टिबाधित बालक हेतु समुचित कार्यक्रम का निर्धारण तब-तक नहीं किया जा सकता है जब तक दृष्टिबाधिता की पहचान एवं मूल्यांकन न कर ली जाय। पहचानोपरान्त नैदानिक मूल्यांकन एवं चिकित्सकीय परामर्श हेतु नेत्र विशेषज्ञ के पास भेजना चाहिए। यदि दृष्टि क्षति में चिकित्सकीय सुधार सम्भव नही है तो उनके लिए उपयुक्त हस्तक्षेप तैयार करना चाहिए। यदि कार्यकारी दृष्टि शेष है तो विशिष्ट शिक्षक की भूमिका कार्यकारी दृष्टि का मूल्यांकन तथा दृष्टि क्षमता विकास करना भी है।

यदि माता-पिता बच्चे से अरूचि रखतें हैं अथवा निराश हैं, तो हस्तक्षेप कर उनमें उत्साह भरना चाहिए। उनको संतुष्ट करना चाहिए कि इस प्रकार की अक्षमता तथा इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। परिवार के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन लाने का प्रयास करना चाहिए।

समावेशित परिवेश में विशेष शिक्षक की अपेक्षित भूमिकाएँ-

- कक्षा तथा अन्य स्थान पर दृष्टिबाधित बालको को विशिष्ट लक्षणों के आधार पर पहचान करना
- लेखन-पठन हेतु उचित माध्यम (ब्रेल एवं प्रिंट) के उचित चुनाव में मदद करना
- चिन्हित छात्रों के लिए शीघ्र आवश्यक शैक्षिक पुर्नवास कार्यक्रम की व्यवस्था करना
- चिन्हित छात्रों के लिए विशेष विशेषज्ञों (चिकित्सक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कार्यकर्ता) की सलाह लेना
- माता-पिता को उचित परामर्श देना एवं उनकी उपयुक्त सहायता प्राप्त करना

18.5.2.3 संवेदी प्रशिक्षण

मनुष्य की ज्ञानेन्द्रियाँ उसे अपने वातावरण को स्पष्ट रूप से जानने, समझने और अन्त: क्रिया में सहायक होती हैं। इन्हीं ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा मनुष्य सम्पूर्ण सूचनाओं और अनुभवों को प्राप्त करता है, इसलिए इसे सूचना का द्वार भी कहतें हैं। ज्ञानेन्द्रियों में नेत्र का और सम्वेदनाओं में दृष्टि का सबसे महतवपूर्ण स्थन है। विभिन्न शोधों द्वारा इस तथ्य की पुष्टि हुई है कि मनुष्य की सुचनाओं और अनुभव का दो-तिहाई से ज्यादा भाग दृष्टि द्वारा अर्जित होती हैं। अत: शिक्षक की यह स्वत: भूमिका है कि वह दृष्टिबाधित बालकों में अनुभवों के इस अन्तर को कम करने के लिए सभी बची हुई संवेदनाओं (अवशिष्ट दृष्टि सहित) का महत्तम एवं एकीकृत उपयोग हेतु बालकों को उत्प्रेरित तथा मार्गदर्शित करें।

समावेशित परिवेश में विशेष शिक्षक की अपेक्षित भूमिकाएँ -

- स्पर्शी क्षमता को अधिकाधिक विकसित करना
- किसी भी प्रकार की आवाज को स्पष्टता और तत्परता के साथ सुनने का प्रशिक्षण देना
- गंध और स्वाद के माध्यम से वस्तुओं के ज्ञान का प्रशिक्षण देना
- बची हुई दृष्टि के उपयोग का प्रशिक्षण देना
- स्पर्श के माध्यम से छोटा-बड़ा, सख्त मुलायम, ठंडा या गरम, लम्बा-चौड़ा आदि की संकल्पना का निर्माण करना
- पेड़-पौधों, फूल, पत्ते, घास, सब्जी, फल आदि में अन्तर करने और समझने का प्रशिक्षण देना

18.5.2.4 अनुस्थिति और चलिष्णुता

अनुस्थिति ज्ञान और चलिष्णुता से तात्पर्य उस कौशल से है जिससे दृष्टिबाधित व्यक्ति को अपने वातावरण को पहचानते हुए, स्वतंत्र रूप से तथा स्वेच्छापूर्वक, एक स्थान से दूसरे इच्छित स्थान तक तक निर्बाध रूप से आने-जाने में सक्षम हो सके। दृष्टि के अभाव में गामकता की क्षतिपूर्ति के लिए दृष्टिबाधित बालकों को अनुस्थिति और चलिष्णुता कौशल का सुव्यवस्थित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। फलस्वरुप वे चलने-फिरने में स्वतंत्रता का पर्याप्त अनुभव करते हुए निर्भयतापूर्वक एवं स्वयं को सुरक्षित रखते हुए इच्छित स्थान तक जा सकेगें। यदि उपयुक्त प्रशिक्षण प्राप्त हो जाए तो दृष्टिबाधित बालक के उत्साह तथा आत्मविश्वास में भी अत्यन्त वृद्धि होती है। इसलिए शिक्षक के लिए यह आवश्यक है कि वह दृष्टिबाधित बालकों हेतु उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था करें।

समावेशित परिवेश में विशेष शिक्षक की अपेक्षित भूमिकाएँ-

- मानसिक मानचित्र के लिए दृष्टिबाधित बालकों को प्रोत्साहित करना
- पहचान चिह्न एवं संकेत का उपयोग करतें हुए चलिष्णुता को प्रभावी बनाना
- दृष्टिवान साथी की सहायता से चलने-फिरने का प्रशिक्षण
- अन्य बालकों को दृष्टिवान साथी की भूमिका के लिए जागरूक तथा प्रशिक्षित करना

- छड़ी के प्रयोग से स्वतंत्रतापूर्वक चलने का प्रशिक्षण देना
- सुरक्षा सम्बन्धी कौशलों में निपुण बनाना
- वस्तुओं की खोज करने की विधि से अवगत कराना

18.5.2.5 दैनिक क्रिया कौशल प्रशिक्षण

दैनिक क्रियाओं में दृष्टि की अहम भूमिका होती है। दैनिक क्रिया कौशल प्रशिक्षण से दृष्टिबाधित बालक दूसरों की सहायता के बिना या कम से सहायता के साथ दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों को करने में सक्षम होते हैं। जैसे- स्नान, शौच, भोजन करने, बाजार से वस्तओं को खरीदने तथा रख-रखाव का प्रशिक्षण।

समावेशित परिवेश में विशेष शिक्षक अपेक्षित की भूमिकाएँ -

- दैनिक क्रिया प्रशिक्षण के क्षेत्र का निर्धारण करना
- न्यूनतम बाहरी सहायता देते हुए और सुरक्षापूर्वक अपनी दैनिक गतिविधियों को निष्पादित करने योग्य बनाने का प्रशिक्षण देना

18.5.2.6 मनोसामाजिक समायोजन

अपने आस-पास के समाज में अपने को पूर्णत: व्यवस्थित कर लेना ही समायोजन है। दृष्टिबाधित बालक को लगता है कि उसे अन्य लोगो से अलग समझा जाता है, क्योंकि वह सभी क्रियाओं में समान रूप से भाग नही ले पाता है। कई बार अपने आप को वह अधूरा समझता है। शिक्षक की स्पष्ट भूमिका है कि वह समाज माता-पिता, बालकों एवं बच्चों के अन्दर एक सकारात्मक नजरिए का का विकास करे ताकि एक पारस्परिक सहयोगी समाज का निर्माण हो सके।

समावेशित परिवेश में विशेष शिक्षक की अपेक्षित भूमिकाएँ-

- छात्रों एवं विद्यालय के कर्मचारियों में दृष्टिबाधा और अन्य विकलांगता के प्रति नकारात्मकता को कम करने पर बल देना
- आस-पास के लोगों को दृष्टिबाधा एवं इनके अनुप्रयोगों से परिचित करना।
- विद्यालय प्रबन्धन, छात्राविभावक एवं अन्य छात्रों को दृष्टिबाधा एवं इसके के प्रति जागरूक करना तथा सयहयोगी भावना का विकास करना
- दृष्टिबाधित बालकों तथा अविभावकों में आस-पास की क्रियाओं में भाग लेने की प्रवृत्ति का विकास करना
- दृष्टिबाधित बालकों हेतु अनुकुलित खेलों से बालकों से अवगत कराना तथा उन्हें एक साथ समय बीताने के लिए प्रोत्साहित करना

18.5.2.7 बाधामुक्त वातावरण के निर्माण में सहायता

घर तथा विद्यालयी वातावरण का बाधामुक्त होना अत्यंत आवश्यक है ताकि दृष्टिबाधित बालक आस-पास के वातावरण का सुगमता से उपयोग कर सकें। बाधामुक्त वातावरण द्वारा ही दृष्टिबाधित बालक कक्षा तथा अन्य सेवाओं तक अपनी पहुँच सुनिश्चित कर उनका उपयोग कर सकेंगे।

समावेशित परिवेश में विशेष शिक्षक की अपेक्षित भूमिकाएँ -

- कक्षा, कार्यालय, शौचालय तथा अन्य विद्यालयी संरचनाओं में बाधा की पहचान करना
- चिन्हित बाधाओं को दूर करने के उपायों से विद्यालय प्रबन्धन को अवगत कराना
- कक्षा वतावरण को दृष्टिबाधित एवं अन्य बालकों के अनुरूप तैयार करने का प्रयास करना

18.5.2.8 संसाधन कक्ष प्रबन्धन

समावेशी शिक्षा में संसाधन कक्ष बहुत महत्वपूर्ण होता है। संसाधन कक्ष में शैक्षिक प्रशिक्षण के लिए उचित तथा आवश्यकता अनुसार शिक्षण-अधिगम सामग्री रखी होती हैं, जिसकी जिम्मेदारी विशेष शिक्षक पर ही होती है।

समावेशित परिवेश में विशेष शिक्षक की अपेक्षित भूमिकाएँ-

- शिक्षण-अधिगम सामग्री तथा उपकरणों का अभिलेख तैयार करना,
- दृष्टिबाधित बालकों को संसाधन कक्ष में सुगमतापूर्वक प्रशिक्षण उपलब्ध कराना,
- उन्हें आवश्यकतानुसार उपकरणों का प्रशिक्षण देना,
- अल्प दृष्टि बालकों के लिए भी उचित प्रकाशीय तथा अप्रकाशीय उपकरण की वयवस्था एवं प्रशिक्षण प्रदान करना।

अभ्यास प्रश्न

9. ब्रेल .... उभरी हुई बिन्दुओं पर आधारित एक स्पर्शीय लिपि है।
10. ....प्रशिक्षण में गन्ध से सम्बन्धी अन्तर को समझाया जाता है।
11. संकेत एवं पहचान चिन्ह् की सहायता से .... को प्रभावी बनाया जाता है।
12. .... कक्षा में पाठ्यक्रम अनुदेशन के लिए उत्तरदायी होतें हैं।
13. दृष्टिबाधित बालक को .... की सहायता से स्वतंत्र रूप में चलना सीखाया जा सकता है।

18.6 सारांश

प्रस्तुत ईकाई के अध्ययन के बाद आप समझ चुके हैं कि समावेशी शिक्षा का सम्बन्ध एक ऐसी शिक्षण व्यवस्था से है, जो विशेष आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य बालकों के साथ विद्यालय में पठन-पाठन तथा आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्रदान करती है। समावेशी शिक्षा के माध्यम से विशेष आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य परिवेश में समायोजित किया जा सकता है। समावेशन का प्रयास भारत में आजादी के पूर्व ही किया जा चुका था, परन्तु व्यवस्थित रूप से समायोजन का प्रयास सरकार द्वारा 1974 में आई.ई.डी.सी. योजना से हुआ।

समावेशी शिक्षा की सफलता एवं प्रभाविकता कक्षाध्यापक, विशेष शिक्षक, अन्य विशेषज्ञों तथा इनके पारस्पिरिक सहयोग पर निर्भर करती है। एक तरफ कक्षाध्यापक दृष्टिबाधित बालकों के पाठ्यक्रम अनुदेशन के लिए उत्तरदायी होता है, तो वहीं दूसरी तरफ विशेष शिक्षक की भूमिका दृष्टिबाधित बालकों की विशेष आवश्यकताओं पर आधारित प्रशिक्षण से सम्बन्धित होता है। दृष्टिबाधित बालकों की विशेष आवश्यकताओं पर आधारित प्रशिक्षण में ब्रेल शिक्षण, अनुस्थिति तथा चलिष्णुता ज्ञान तथा संवेदी प्रशिक्षण, दैनिक क्रिया प्रशिक्षण आदि आते हैं।

18.7 शब्दावली

1. **समावेशी शिक्षा -** शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक या अन्य स्थितियों के भेद-भाव के बिना सभी बच्चों को साथ-साथ शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था।
2. **आइ.ई.डी.सी**.- विकलांग बालकों हेतु सामेकित शिक्षा योजना
3. **आई.ई.डी.एस.एस.-**केन्द्र (भारत सरकार) द्वारा प्रायोजित माध्यमिक स्तर पर सामावेशी शिक्षा योजना
4. **पी.डब्लू.डी. अधिनियम -** नि:शक्त जन अधिनियम (समान अवसर, अधिकार संरक्षण, और पूर्ण भागीदारी), 1995 - भारत वर्ष में विकलांगता से सम्बन्धित विस्तृत अधिनियम।

18.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. विशिष्ट
2. दर्शन
3. प्रत्येक (सभी)
4. दादर
5. 1974
6. देहरादून

7. नि:शक्त जन अधिनियम
8. एकीकृत शिक्षा
9. 6
10. संवेदी
11. चलिष्णुता
12. कक्षाध्यापक
13. छड़ी

18.9 संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. Govt. of India (1996). Persons with disabilities (equal opportunities, protection of rights and full participation) Act, 1995. New Delhi: Ministry of Law, Justice and Company Affairs.
2. Mittal, S. R. (2006). Integrated and inclusive education. New Delhi: Rehabilitation Council of India
3. NCERT (2005). National Curriculum Framework,. New Delhi: National Council of Educational Research and Training.
4. Ripley, S.(1997). Collaboration between General and Special Education Teachers, ERIC EC Digest #ED409317.
5. Smith, T. E. C., Pollway, E.A., Patton, J.R. & Dowdy, C.A. (2011). Teaching students with disabilities special needs in inclusive needs in inclusive settings. New Delhi: PHI Learning Private Limited.

18.10 सहायक उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. AICB (2004). शिक्षक प्रशिक्षण लेखमाला. Delhi: All India Confederation of Blind
2. Mani, M.N.G. (1992). Techniques of teaching blind children. New Delhi: SterlingPublishers Pvt Limited.
3. NIVH (1992). Handbook for the teachers of the visually handicapped. Dehradun: National Institute for the Visually Handicapped.

4. Punani, B. & Rawal, N. (2002). Visual Impairment: Handbook. Ahmedabad: Blind People's Association.

18.11 निबन्धात्मक प्रश्न

1. समावेशी शिक्षा को परिभाषित करते हुए, इसके महत्व पर प्रकाश डालिए।
2. समावेशी शिक्षा के अन्तर्गत एक विशेष शिक्षक की क्या भूमिका होती है? वर्णन करें।
3. भारत वर्ष में समावेशी श़िक्षा के लिए किए गये प्रयासों का विश्लेषण करें।
4. ''कक्षाध्यापक के व्यापक सहयोग के बिना समावेशी शिक्षा पूर्णत: सफल नहीं हो सकती है।'' विवेचन किजिए।

इकाई: 19 मानसिक मंदता की अवधारणा, परिभाषा, वर्गीकरण एवं विशेषताऐं

19.1 प्रस्तावना

19.2 पाठ के उद्देश्य

19.3 मानसिक मंदता: अवधारणा

19.3.1 संक्षिप्त ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

19.3.2 मानसिक मंदता को परिभाषित करने वाली अग्रणी संस्थाये AAMR, DSM, ICD-WHO

19.3.3 मानसिक मंदता की परिभाषा AAMR 1983, 1992, 2002 और उनका तुलनात्मक विश्लेषण

19.3.4 मानसिक मंदता की परिभाषा भारतीय परिप्रेक्ष्य

19.4 मानसिक मंदता और मानसिक रूग्णता

19.4.1 मानसिक मंदता और मानसिक रूग्णता में अंतर

19.4.2 सामान्य अंधविश्वास और सच्चाई

19.5 मानसिक मंद बालकों का वर्गीकरण और विशेषताऐं

19.5.1 मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण

19.5.2 शैक्षिक-वर्गीकरण

19.5.3 आवश्यक विशिष्ट सहायता के आधार पर वर्गीकरण

19.5.4 विशेषताऐं

19.6 सारांश

19.7 शब्दावली

19.8 संदर्भ ग्रंथ/ अन्य अध्ययन

19.9 अभ्यास प्रश्न

19.1 प्रस्तावना

इस इकाई में आप मानसिक मंदता की आधारभूत संकल्पनाओं से परिचित होंगे। पाठ का मुख्य केंद्र है मानसिक मंदता, का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य (पाश्चात्य एवं भारतीय) मानसिक मंदता की परिभाषा में आ रहे क्रमिक परितर्वन, परिभाषा के पीछे की जटिलता, एवं मान्यताएं आदि। इस इकाई में आप यह भी पढ़ेंगे कि हमारे समाज में किस प्रकार की भ्रांतियाँ मानसिक मंदता के प्रति व्याप्त है और मानसिक मंदता किस प्रकार मानसिक रोगों से भिन्न है। इकाई के अंत में हम मानसिक मंदता के विभिन्न वर्गीकरण प्रणालियों एवं उनकी समतुल्यता पर चर्चा करेंगे। पाठ में आंतरालिक रूप से कुछ वस्तुविष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, जिससे आपको अपनी प्रगति की जाँच करने में मदद मिलेगी, साथ ही, किसी भी प्रकार की अस्पष्टता को दूर करने के लिए तकनीकी शब्दों के अंग्रेजी समानार्थी शब्द भी दिए गए हैं। पाठ के अंत में त्वरित पुनरीक्षण के लिए इकाई सारांष एवं महत्वपूर्ण पद/षब्दों संक्षेपों की व्याख्या दी गई है जो आपको इस इकाई को समझने में मददगार होगी साथ ही आखिरी पृष्ठों पर आपको संदर्भ ग्रंथों की सूची प्राप्त होगी जिसका प्रयोग करके मानसिक मंदता से संबंधित और अधिक जानकारियाँ एकत्र कर सकते हैं। लेखक की आषा है कि प्रस्तुत पाठ आपके लिए ज्ञानवर्द्धक एवं रुचिकर साबित होगा।

19.2 उद्देश्य

इकाई का अध्ययन करने के पश्चात आप-

1. मानसिक मंदता का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य (पाश्चात्य /भारतीय) बता पाने में सक्षम होंगे।
2. प्रचलित आधार पर मानसिक मंदता को परिभाषित कर सकेंगे।
3. मानसिक मंदता को परिभाषित करने में अग्रणी संस्थाओं के बारे में बता सकेंगे।
4. मानसिक मंदता की परिभाषा और उसके नैदानिक मानदण्डों की व्याख्या कर सकेंगे।
5. विभिन्न संस्थाओं द्वारा दी गयी मानसिक मंदता की परिभाषा का तुलनात्मक/ विश्लेषण कर सकेंगे।
6. भारतीय परिप्रेक्ष्य में मानसिक मंदता की परिभाषा और नैदानिक मानदण्ड की व्याख्या कर सकेंगे।
7. मानसिक मंदता और मानसिक रूग्णता के अंतर को स्पष्ट कर सकेंगे।
8. मानसिक मंदता के बारे में प्रचलित सामान्य अंधविश्वास और उनके सच की व्याख्या कर सकेंगे।
9. मानसिक मंदता युक्त बालको के विभिन्न वर्गीकरण की व्याख्या कर सकेंगे।
10. मानसिक मंद बालकों के विभिन्न वर्गीकरण की तुलनात्मक रूपरेखा प्रस्तुत कर सकेंगे।
11. मानसिक मंद बालकों की विशिष्ट शैक्षिक आवश्यक ताओं को समझ सकेंगे।

19.3 संक्षिप्त ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

19.3.1 पाश्चात्य ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

विकलांगता का पुराना इतिहास अस्पष्ट है। सामाकि जागरुकता न होने की वजह से इतिहासकारों ने विकलांगता/अक्षमता के इतिहास को तरजीह नहीं दी है। तत्कालीन साहित्य का अध्ययन करने पर हमें, विकलांगता ग्रस्त, व्यक्तियों के जीवन की थोड़ी जानकारी अवश्य मिलती है। प्राचीन ग्रीस में राज्य परिषद के अधिकारी नवजात शिशुओं की जांच करते थे और यदि वे 'दोषपूर्ण' पाये जाते तो उन्हें समाप्त कर दिया जाता था। अक्षमताग्रस्त शिशुओं के संदर्भ में शिशु हत्या प्रचलित थीं। दूसरी शताब्दी में रोम-साम्राज्य में मनोरंजन के उद्देश्य से, अक्षमताग्रस्त बालकों एवं व्यक्तियों को बेचे जाने के प्रमाण मिलते हैं। पांचवी से पंद्रहवी शताब्दी के मध्य शिशु हत्या और विक्रय में थोड़ी कमी आयी और अक्षमता युक्त व्यक्तियों/बालकों के साथ मानवीय व्यवहार का आरंभ हुआ। 12वीं शताब्दी में इंग्लैंड के राजा हेनरी द्वितीय ने कानून बनाकर मानसिक मंदता युक्त व्यक्तियों के साथ अमानवीय व्यवहारों पर रोक लगाने की कोषिष की।

1690 में जॉन लॉक द्वारा प्रतिपादित धारणा कि नवजात का मस्तिष्क 'टेबुला रसा' (खाली स्लेट) के समान होता है, ने मानसिक मंदता युक्त बालकों के प्रशिक्षण एवं जीवन शैली को बहुत प्रभावित किया। जॉन लॉक ने सर्वप्रथम मानसिक मंदता को मानसिक रोग से अलग बताया।

अठारहवीं शताब्दी के आरंभ में विषेष शिक्षा को शिक्षा की एक शाखा के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। हालांकि यह विकलांग बालकों के अधिकार पर आधारित शिक्षा की बजाय उनके प्रति दयाभाव (Charity) अधिक था।

यह वह समय था जब कई समाज सेवा करने वाली संस्थाएं और राज्य समर्थित विषेष विद्यालय खोले गए। विषेष शिक्षा की औपचारिक शुरुआत में फ्रांस के मनो चिकित्सक जीन मार्क गैस्पर्ड इटार्ड का नाम अग्रणी है, जिन्हें प्रायः विषेष शिक्षा के जनक के रूप में संबोधित किया जाता है। 1799 ई. में इटार्ड को फ्रांस के जंगलों में एक बच्चा मिला जिसे 'एवरॉन का जंगली' बालक के नाम से संबोधित किया जाता है। बाद में उसका नाम 'विक्टर' रखा गया। 12 वर्ष के विक्टर को जिसके सभी व्यवहार 'आदि मानव' के समान थे, को षिक्षित करने की जिम्मेदारी इटार्ड को दी गई। पांच वर्ष के लगातार प्रयासों के बाद इटार्ड, विक्टर को सामान्य संप्रेषण कौशल एवं सामान्य सामाजिक व्यवहार सिखा पाने सक्षम् हो सके परंतु श्रम के अनुपात में सफलता नहीं मिल पायी। इटार्ड के इन प्रयासों ने पूरे यूरोप को मानसिक मंद बालकों के शिक्षण के प्रति उद्वेलित कर दिया। इटार्ड के शिष्य सेंगुइन ने मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता युक्त बालकों को शिक्षा के प्रति स्वयं को समर्पित कर दिया और विषेष शिक्षा की जड़ों को मजबूत बनाने में अपना योगदान दिया। सेंगुइन द्वारा विकसित 'सेंगुइन फार्म बोर्ड' (SFB) आज भी छोटे बच्चों की बौद्धिक क्षमता के आकलन में प्रयुक्त होता है।

सेंगुइन ने मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता युक्त बालकों की शिक्षा के लिए एक विस्तृत विधि का विकास किया जिसे उन्होंने शरीर क्रियात्मक विधि (Physiological Method) का नाम दिया। सेंगुइन के द्वारा

विकसित विषेष शिक्षा की इस विधि में संवेदी प्रशिक्षण (दृष्टि/श्रवण/आंखों और हाथों का समन्वय) आदि शामिल थे। सन् 1850 में सेंगुइन यू.एस.ए. चले गए और वहां मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता युक्त बालकों की शिक्षा में अपना योगदान दिया। सन् 1876 में सेंगुइन ने असोसिएषन ऑफ मेडिकल ऑफिसर्स ऑफ अमेरिकन इंस्टीच्यूसंस फॉर इडिओटिक एण्ड फीबल माइंडेड पर्सनल (Association of Medical Officers of American Institution for Idiotic & Feeble Minded Pessons-AMOAIIFMP) की स्थापना की। बाद में यह संस्था मानसिक मंदता में काम करने वाली विश्व की अग्रणी संस्था बन गई और अमेरिकन एसोसिएषन ऑफ मेंटल डेफिसिएंसी (American Association of Mental Deficiency-AAMD) अमेरिकन एसोसिएषन ऑफ मेंटल रिटार्डेषन (American Association of Mental Retardatin-AAMR) जैसे परिवर्तित नामों का सफर तय करते हुए अब अमेरिकन एसोसिएषन ऑफ इंटेलेक्चुअल एण्ड डेवलपमेंटल डिसैबिलिटिज के नाम से जानी जाती है।

19वीं सदी का प्रारंभिक भाग मानसिक मंदता के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण है। सन् 1905 में विश्व का पहला बौद्धिक परीक्षण बिने एवं साइमन ने विकसित कर के, मानसिक मंदता की पहचान में क्रांति की शुरुआत कर दी। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पूरा विश्व अस्थिर हो गया फलतः राज्यों की ओर से विकलांगता में काम कर रहे संस्थाओं के अनुदान में एक तरफ कटौती की गई और दूसरी तरफ युद्ध के परिणाम स्वरूप लाखों व्यक्ति विकलांग होकर घर लौटे। इन कारणों की वजह से, 19वी सदी के पूर्वार्द्ध में बड़े-बड़े संस्थानों की स्थापना की गई और विकलांग व्यक्तियों को बड़ी-बड़ी (5000-6000 व्यक्ति) संस्थाओं में एक साथ रखे जाने लगे जहां बुनियादी सुविधाओं की भी पर्याप्त कमी थी। सन् 1962 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ. केनेडी ने प्रेसीडेंट कमिटी ऑफ मेंटल रिटार्डेषन गठित किया जिसका उद्देश्य था मानसिक मंदता युक्त व्यक्तियों के जीवन स्तर की समीक्षा करना। इस दौरान, कुछ लोग डेनमार्क, स्वीडन आदि देषों में बड़ी-बड़ी संस्थाओं में हो रहे मानवाधिकारों के हनन के विरुद्ध सामने आए और इन सभी के संयुक्त प्रयासों ने विसंस्थानीकरण (Denstitutionalization) की नींव रखी। विसंस्थानीकरण एवं समुदाय आधारित आंदोलन के प्रमुख अग्रणी नेताओं में नील्स एरिक बैंक माइकेल्सन, वुल्फ वुल्फेन्सवर्गर, बेन्जट नीरजी आदि प्रमुख हैं। बैंक मिकेल्सन को सामान्यीकरण की अवधारणा का जनक माना जाता है। इसके पष्चात् सन् 1975 में विकलांग व्यक्तियों के वैष्विक अधिकारों की घोषणा की गई और अमेरिका में सभी विकलांग बालकों के लिए शिक्षा (Education for all Handicapped Children Act 1975) पारित किया गया और तद्रुसार, सामान्य विद्यालयों के दरवाजे विकलांग बालकों के लिए भी खोल दिए गए। तत्पष्चात् आए कानूनों (जिनका अध्ययन हम अगली इकाइयों में करेंगे) यथा: विकलांग बालकों के अधिकार से संबंधित सलमांका केन्फ्रेंस और अद्यतनल यूनाइटेड नेषंस कन्वेंषन ऑन राइट्स ऑफ पर्सनस विथ डिसेबिल्टिज (UNCRPD) ने सभी अक्षमता युक्त बालकों की शिक्षा में वैष्विक क्रांति ला दी है।

19.3.1 भारतीय ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

बौद्धिक अक्षमता/मानसिक मंदता का भारतीय इतिहास उतना ही पुराना है जितनी मानव सभ्यता। भारतीय धार्मिक ग्रंथों में विकलांगता/मानसिक मंदता के साक्ष्य उपलब्ध है। लगभग 5000 ई. पू. रामायण काल में रानी कैकेयी की दासी मंथरा 'मानसिक मंदता' की उदाहरण है, जो अपनी अल्प बौद्धिक क्षमता के कारण इधर-उधर की बातों से जल्दी प्रभावित हो जाती थी।

रामायण काल के बाद महाभारत काल में भी मानसिक मंदता/विकलांगता का विवरण उपलब्ध है। महाभारत कालीन युग में कृष्ण की दासी 'कुब्जा' और विद्वान 'अष्टावक्र' दोनों ही अस्थि विकलांगता के उदाहरण माने जा सकते हैं। चौथी शताब्दी ई.पू. महान भारतीय अर्थशास्त्री चाणक्य ने अक्षमताग्रस्त व्यक्तियों के लिए अपमान जनक शब्दों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था और इसके लिए सजा का प्रावधान भी किया था। लगभग पहली शताब्दी ई.पू. भारतीय राजा अमरषक्ति के तीनों बच्चें वासुषक्ति, उग्रषक्ति और अनेकशक्ति मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता युक्त माने जा सकते हैं, जो सामान्य शिक्षण विधियों से सीख नहीं पाये, फलतः राजा के दरबारी पंडित विष्णु शर्मा उन्हें राजनीति का ज्ञान कराने के लिए 'पंचतंत्र' की रचना की जो विश्व की प्रथम विषेष शिक्षा की किताब मानी जाती है।

बौद्धिक धार्मिक ग्रंथों में विकलांगता/मानसिक मंदता को पिछले जन्म के पापों का परिणाम बताया गया है। प्राचीन ग्रंथ मनुस्मृति में मनु ने भी उद्धृत किया है कि पूर्व जन्म में किए गए अपराधों के फलस्वरूप आदमी 'विकलांगताओं' को भोगता है और उसका प्रायष्चित करता है।

प्राचीन काल में विकलांग बालकों को जीने का अधिकार प्राप्त नहीं था इसके प्रमाण मिलते हैं कि प्रायः विकलांगता ग्रस्त शिशुओं की हत्या (Infanticide) कर दी जाती थी। यदि विकलांग व्यक्ति जीवित रह जाते थे तो भी उनकी शिक्षा एवं अन्य जरूरतों का ध्यान नहीं रखा जाता था और ऐसे सभी विकलांग व्यक्तियों को 'पागल' की श्रेणी में माना जाता था। यदि मानसिक मंदता/विकलांगता के अद्यतन वैज्ञानिक भारतीय इतिहास की बात की जाय तो यह अत्यंत संक्षिप्त है। विकलांगता/अक्षमता से संबंद्ध पहला भारतीय कानून इंडियन लूनासी ऐक्ट (1912) पारित किया गया और अक्षमता ग्रस्त व्यक्तियों के लिए पहला कानून अस्तित्व में आया। इंडियन लूनासी ऐक्ट (1912) ने मानसिक मंदता और मनोरोगों को समान मानते हुए, उनके लिए समान मानक एवं समान मानदण्ड तय किये। इसके बाद, एक लंबे अंतराल के बाद मानसिक स्वास्थ्य कानून (1987) मेंटल हेल्थ ऐक्ट 1987 आया जिसमें मानसिक रोग और मानसिक मंदता को अलग तो मान लिया गया परंतु मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता के लिए कोई प्रावधान नहीं दिया गया। इससे पूर्व कोठारी आयोग की अनुषंसा पर 1974 में समेकित शिक्षा कार्यक्रम (Intergrated Education for Disabled Children-IEDC)आरंभ हो चुका था, 1984 में राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान (NIMH) की स्थापना सिकंदराबाद में की चुकी थी।

इसके बाद NPE -1986, भारतीय पुनर्वास परिषद कानून 1992, विकलांग जन (समान अवसर, पूर्ण भागीदारी और अधिकारो की रक्षा) कानून 1995, राष्ट्रीय न्याय अधिनियम 1999, शिक्षा का अधिकार (RTE, 2009) कानून आदि बनाए गए और अक्षमता युक्त बालकों की शिक्षा पर ध्यान दिया जाने लगा है।

अभ्यास प्रश्न

1. इटांर्ड को विषेष शिक्षा का जनक माना है। (सत्य/ असत्य)
2. भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1980 में लागू की गई। (सत्य/ असत्य)
3. विकलांग जन कानून 1995 में पारित हुआ। (सत्य/ असत्य)
4. छप्डभ् की स्थापना दिल्ली में की गई। (सत्य/ असत्य)
5. रामायण काल में मानसिक मंदता के प्रमाण मिलते हैं। (सत्य/ असत्य)
6. सुमेलित करें:

1. विशेष शिक्षा की पहली पुस्तक	A. 1975
2. भारतीय पुनर्वास	B. पंचतंत्र
3. AAMR के संस्थापक	C. 1992
4. शिक्षा का अधिकार कानून	D. सेंगुइन
5. EAHCA	E. 2009

19.3.2 मानसिक मंदता को परिभाषित करने वाली अग्रणी संस्थाये AAMR, DSM, ICD-WHO

अमेरिकन असोसिएषन ऑफ इंटेलेक्चुअल एवं डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, विश्व का सबसे पुराना और सबसे बड़ा व्यावसायिक संगठन है जो मानसिक मंद बालकों के लिये कार्य करने में अग्रणी माना जाता है। इसकी स्थापना 1876 ई में मानसिक मंदता के कल्याणार्थ की गयी थी। इसकी स्थापना 1876 में सेंगुइन ने की थी। सेंगुइन ने असोसिएषन ऑफ मेडिकल ऑफिसर्स ऑफ अमेरिकन इंस्टीच्यूसंस फॉर इडिओटिक एण्ड फीबल माइंडेड पर्सनल (Association of Medical Officers of American Institution for Idiotic & Feeble Minded Pessons-AMOAIIFMP) की स्थापना की। बाद में यह संस्था मानसिक मंदता में काम करने वाली विश्व की अग्रणी संस्था बन गई और अमेरिकन एसोसिएषन ऑफ मेंटल डेफिसिएंसी (American Association of Mental Deficiency-AAMD) अमेरिकन एसोसिएषन ऑफ मेंटल रिटार्डेषन (American Association of Mental Retardatin-AAMR) जैसे परिवर्तित नामों का सफर तय करते हुए सन् 2007 में जब एक मत से मानसिक मंदता का नाम बदलकर 'बौद्धिक अक्षमता' कर दिया गया और तद्नुसार अमेरिकन असोसिएषन ऑफ रिटार्डेषन का नाम बदल कर अमेरिकन असोसिएषन ऑफ इंटेलेक्चुअल एण्ड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज (American Association of Intellectual & Developmental Disabilities-AAIDD) कर दिया गया है। ए.ए.आई.डी.डी. ने मानसिक मंदता की परिभाषा और उसे नैदानिक मानदण्ड आदि के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया है और मानसिक मंदता की संकल्पना को समयानुकूल, सकारात्मक करने का प्रयास करती रही है।

ए.ए.आई.डी.डी. मूलतः निम्नांकित सिद्धांतों पर आधारित कार्य करती है:

1. बौद्धिक एवं विकासात्मक अक्षमता युक्त बालकों का पूर्ण सामाजिक समावेष एवं भागीदारी।

2. समानता, व्यक्तिगत सम्मान एवं मानवधिकारों की वकालत।
3. व्यक्तिगत इच्छाओं को व्यक्त करने एवं आत्म निर्णय की क्षमता का प्रोत्साहन।
4. बौद्धिक अक्षमता युक्त व्यक्तियों के योगदान को प्रात्साहित कर उनके प्रति जागरुकता एवं सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना।
5. जीवन के सभी पक्षों में बौद्धिक विकलांग व्यक्तियों की भागीदारी को प्रात्साहित करना।

डी.एस.एम. (DSM) डायनोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल

डी.एस.एम. **(DSM)** का पूरा नाम डायनोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसांर्डर है। यह अमेरिकन साइकियाट्रिक असोसिएषन (American Psychiatric Association) के द्वारा प्रकाशित किया जाता है एवं मनोविकारों के वर्गीकरण एवं निदान के वैष्विक मानक प्रस्तुत करता है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका में सैनिकों के चयन, परीक्षण और उपचार में बड़ी संख्या में मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सकों ने भाग लिया। 1949 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ICD (International Clarification of Disease) का छठा भाग प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने पहली बार उसके एक भाग के रूप में मानसिक विकृतियों मो शामिल किया। ICD के समानांतर अमेरिकन मनोचिकित्सक संगठन (APA) को विषेष रूप से अमेरिका में प्रयोग किए जाने हेतु, मानसिक विकारों के लक्षण एवं निदान के मानक निर्धारित करने का कार्य सौंपा गया और उसके फलस्वरूप डायग्नोस्टिक एवं स्टैटिस्टिकल मैनुअल का प्रथम अंक (DSM-1) 1952 में प्रकाशित किया गया जिसमें 130 पृष्ठों में 106 मानसिक विकृतियों के लक्षण एवं निदान प्रस्तुत किया गया।

इस दौरान मनोचिकित्सक विलियम सी. मैंनिनजर की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने 1943 में अमेरिकी सेना द्वारा प्रयोग किए जाने हेतु मानसिक विकारों का वर्गीकरण मेडिकल 203 के नाम से प्रस्तुत किया।

DSM-I इसी मेडिकल 203 का संशोधित रूप था बाद में समयानुसार आवधिक रूप में डी.एस.एम. को संशोधित किया जाता है। वर्तमान में डी.एस.एम. 5, डी.एस.एम. का अद्यतन संशोधित रूप है जो 18 मई 2013 को प्रकाशित किया गया है। डी.एस.एम. की शुरुआत से लेकर अब तक के उसके महत्वपूर्ण संषोधन निम्नांकित है।

क्र.सं.	DSN संषोधन वर्ष	संशोधित अंक/भाग
1	1952	DSM-I
2	1968	DSM-II
3	1980	DSM-III
4	1987	DSM-III R
5	1994	DSM-IV
6	2000	DSM-IV TR
7	2013	DSM V

डी.एस.एम. मनोविकारों के वर्गीकरण की समसामयिक एवं वृहत मानक प्रस्तुत करता है और वैष्विक स्तर पर स्वीकाग्र है।

व्याधियों का अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण (**International Clarification of Disease**) आई.सी.डी. (**ICD**)

आई.सी.डी. (ICD) का पूरा नाम है व्याधियों का अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण (**International Clarification of Disease**) जो कि विभिन्न बिमारियों के निदान का एक मानक टूल है जिसका प्रमुख उद्देश्य है विभिन्न बीमारियों के अभिलक्षण, निदान एवं स्वास्थ्य प्रबंधन के मानक तय करना। 1994 से अब तक **ICD** -10 प्रयोग किया जा रहा है और इसका अगला संषोधन **ICD-11** 2015 में प्रस्तावित है।

सन् 1893 में फ्रांसीसी चिकित्सक जैकस बर्टिलीन ने बटिलोन क्लासिफिकेषन ऑफ कॉलेज ऑफ डेथ (Bartillon Clarification of Causes of Death) अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान, शिकागो में प्रस्तुत किया जिसे कई राष्ट्रों द्वारा स्वीकार किया गया बाद में अमेरिकन जन स्वास्थ्य संगठन ने प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर इसके संषोधन की अनुसंषा और तद्नुसार एक कमिटी के द्वारा इसका संषोधन किया जाता रहा। इसके छठे संषोधन से पहले तक इसमें कुछ बड़ा परिवर्तन नहीं आया। 1948 से, इसके 10 वर्षो के अंतराल पर संषोधन का कार्य WHO को सौंप दिया गया और इस प्रकार WHO के द्वारा पहली बार ICD-6 1949 में प्रकाशित किया गया। समय के साथ यह महसूस किया गया कि संषोधन हेतु 10 वर्ष का अंतराल कम है फलतः इस निर्धारित समयावधि को 'आवश्यक तानुसार' कर दिया गया।

ICIDH (International Clarification of Impairment Disability & Handicap)- विश्व स्वास्थ्य संगठन के विभिन्न वर्गीकरणों में से एक है जो ICD का एक भाग है। यह सर्वप्रथम डब्ल्यू.एच.ओ. द्वारा 1980 में प्रकाशित किया गया जिसका उद्देश्य था विभिन्न बीमारियों के परिणामों की व्याख्या एवं अक्षमता से संबंधित विभिन्न लक्षणों की मानकीकृत व्याख्या करना। इसे ICD का पूरक माना जा सकता है। बाद में 2001 में इसे संशोधित किया गया है और इसका नाम (ICF (International Clarification of Functioning, Disability and Health)रखा गया है जिसका मुख्य उद्देश्य है स्वास्थ्य के विभिन्न घटक और अक्षमता का एक मानकीकृत वर्गीकरण करना। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण परिवार का एक भाग है जो विभिन्न प्रकार की अक्षमताओं और स्वास्थ्य संबंधी वर्गीकरण का कार्य करता है।

उपरोक्त तीनों संस्थाएं समानांतर स्वतंत्र रूप से, मानसिक विकारों, और मानसिक अक्षमताओं के मानक और कोड़ निर्धारित करती हैं हालांकि उपरोक्त तीनों संस्थाओं द्वारा दिए गए बौद्धिक अक्षमता की परिभाषा का तुलनात्मक अध्ययन दिलचस्प होगा परंतु यह हमारे अध्ययन क्षेत्र में नहीं है। वर्तमान संदर्भ में हम, मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता की ए.ए.आई.डी.डी. नवीन परिभाषाओं तक हम अपने अध्ययन को सीमित रखेंगे।

अभ्यास प्रश्न

निम्नांकित पदों पर विस्तार कीजिए:

1. AAIDD
2. ACIDH
3. DSM
4. ICFDH
5. AAMR
6. AAIDD की स्थापना इटार्ड ने की थी। (सत्य/असत्य)
7. WHO पहली बार ICD-6, 1960 में प्रकाशित किया गया। (सत्य/असत्य)
8. ICD -11, 2020 में प्रस्तावित है। (सत्य/असत्य)
9. DSM का प्रकाश न APA करती है। (सत्य/असत्य)
10. DSM-5, 2010 में प्रकाशित किया गया। (सत्य/असत्य)

19.3.3 मानसिक मंदता की परिभाषा AAMR 1983, 1992, 2002 और उनका तुलनात्मक विश्लेषण

मानसिक मंदता के क्षेत्र में काम करने वाली अग्रणी संस्था अमेरिकन असोसिएषन ऑफ इंटेलेक्चुअल एवं डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी ए.ए.आई.डी.डी. ने 1908 से लेकर अब तक 11 बार मानसिक मंदता की परिभाषा, उसके नैदानिक मानदण्ड आदि को संशोधित किया पर हम यहाँ पर 1980 के बाद की मानसिक मंदता की परिभाषा का अध्ययन करेंगे।

अमेरिकन असोसिएषन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन (ए.ए.एम.आर.) की ओर से ग्रासमैन (1983) ने मानसिक मंदता की परिभाषा दी है जिसके अनुसार मानसिक मन्दता का तात्पर्य तात्विक रूप से औसत से कम ऐसी बौद्धिक प्रक्रिया है जिसके परिणामस्वरूप अनुकूली व्रवहार में संगामी असामान्यता आ जाती है या जो संगामी अपसामान्यता से जुड़ी होती है और जो विकासात्मक अवधि के दौरान अभिव्यक्त होती है।

‘‘सामान्य बौद्धिक प्रक्रिया’’ इस प्रयोजन के लिए विकसित और क्षेत्र/देष विषेष की परिस्थितियों के अनुकूल बनाए गए मानकी कृत सामान्य बौद्धिक परीक्षण किये जाने पर प्राप्त होने वाले परिणामों को सामान्य बौद्धिक प्रक्रिया कहा जाता है।

‘‘स्पष्ट रूप से औसत से कम’’ से अभिप्राय है बुद्धि के व्यक्तिगत रूप से प्रषासित (दो मानक विचलन कम) मानकीकृत माप पर 70 या उससे कम बुद्धिलब्धि।

‘‘अनुकूली (अडेटिटव) व्यवहार’’ वह स्तर है जिस पर कोई व्यक्ति विषेष आत्म-निर्भरता और सामाजिक उत्तरदायित्व के उन मानकों को पूरा करता है जिसकी उस आयु और सांस्कृतिक समूह के व्यक्तियों से अपेक्षा की जाती है।

ग्रॉसमैन की इस परिभाषा के अनुसार मानसिक मंदता के नैदानिक मानदण्ड निम्नांकित था:

- IQ 70 या उससे कम।
- अनुकूलनीय व्यवहार में महत्वपूर्ण कमी।
- 18 वर्ष की आय तक इसका आरंभ।

मनसिक मंदता का नैदानिक मानदण्ड

कम → **ज्यादा**

	मानसिक मंदता नहीं 1	मानसिक मंदता नहीं 2
बौद्धिक क्षमता	मानसिक मंदता हाँ 3	मानसिक मंदता नहीं 4

ज्यादा ↑ **कम**

अनुकूलनीय व्यवहार

अगर हम उरोक्त टेबल का विश्लेषण करें तो निम्नांकित चार परिस्थितियाँ सामने आती हैं:

परिस्थितियाँ		मानसिक मंदता
1	उच्च बौद्धिक क्षमता + सीमित अनुकूलनीय व्यवहार	नहीं
2	उच्च बौद्धिक क्षमता + उच्च अनुकूलनीय व्यवहार	नहीं
3	सीमित बौद्धिक क्षमता +उच्च अनुकूलनीय व्यवहार	नहीं
4	सीमित बौद्धिक क्षमता + सीमित अनुकूलनीय व्यवहार	हाँ

मनसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता की परिभाषा पर अगर गौर करें तो उपरोक्त में परिस्थिति (4) है, जो मानसिक मंदता को इंगित करती है बषर्ते कि इसका आरंभ 18 वर्ष से पूर्व हुआ हो। इस परिस्थिति (4) में भी अगर, इसका आरंभ 18 वर्ष की आयु के बाद हुआ हो तो वह मानसिक रोग की श्रेणी में आयेगा।

ग्रॉसमैन द्वारा दी गयी यह परिभाषा काफी महत्वपूर्ण और समसामयिक है। हालांकि इस परिभाषा के बाद भी कई संषोधन हुए हैं परन्तु उन सभी में उपरोक्त वर्णित परिभाषा में वस्तुनिष्ठता, और सकारात्मकता लाने का प्रयास किया गया है पर नैदानिक मानदण्ड मूलतः समान रखे गये हैं।

1992 में ल्यूकेसॉन ने उरोक्त परिभाषा को संशोधित किया और उसमें स्पष्टता और वस्तुनिष्ठता लाने का प्रयास किया। AAMR की ओर से ल्यूकेसॉन 1992 के द्वारा मानसिक मंदता की संशोधित परिभाषा 1992 में दी गई जिसके अनुसार-

मनसिक मंदता का अर्थ व्यक्ति की वर्तमान क्रियाषीलता में महत्वपूर्ण कमी से है। जिसमें महत्वपूर्ण रूप से कम अधोऔसत बौद्धिक क्रियाषीलता के साथ निम्नलिखित क्षेत्रों में से दो या अधिक क्षेत्रों में संबद्ध कमी पाई जाती है

स्व-सहायता, दैनिक कार्य, सामाजिक कौशल , सामुदायिक कौशल , स्व-निर्देश   स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, कार्यात्मक शिक्षा /ज्ञान, मनोसंरचात्मक एवं कार्य।

मानसिक मंदता 18 वर्ष से पूर्व प्रकट होती है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि ल्यूकेसॉन ने 1992 में, ग्रॉसमैन (1983) द्वारा दी गई मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता की परिभाषा को वस्तुनिष्ठ (objective)   बनाने का प्रयास किया है। ल्यूकेसॉन के इस प्रयास को आगे बढ़ाते हुए श्लेलॉक (shlalock) ने 2002 में, और वस्तुनिष्ठता लाने का प्रयास किया है।

AAMR (अमेरिकन असोसियेषन ऑफ मेंटल रिटार्डेषन) 2002, श्लेलॉक एवं अन्य के अनुसार

मनसिक मंदता एक अक्षमता है जिसमें व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता और अनुकूलनीय व्यवहार में महत्वपूर्ण कमी पायी जाती है और यह कमी उसके सांकल्पनिक, सामाजिक और प्रायोगिक कौशलों में परिलक्षित होती है। इस अक्षमता का आरंभ 18 वर्ष से पूर्व होता है।

अमेरिकन असोसिएशन ऑफ इंटेलेक्चुअल एण्ड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज American Association of Intellectual & Developmental Disabilities-AAIDD)   2012 श्लेलॉक एवं अन्य के अनुसार

‘बौद्धिक अक्षमता’ एक अक्षमता है जिसमें व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता और अनुकूलनीय व्यवहार में महत्वपूर्ण कमी पायी जाती है और यह कमी उसके सांकल्पनिक, सामाजिक और प्रायोगिक कौशलों में परिलक्षित होती है। इस अक्षमता का आरंभ 18 वर्ष से पूर्व होता है।

उपरोक्त परिभाषा का विश्लेषण करने पर आपको निम्नलिखित विशेषताऐं प्राप्त होंगी।

i. कमानसिक मंदता एक अक्षमता है।
ii. इस अक्षमता में व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता और अनुकूलनीय व्यवहार में 'महत्वपूर्ण कमी' पायी जाती है।
iii. व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता और अनुकूलनीय व्यवहार में कमी उसके सांकल्पनिक, सामाजिक और प्रायोगिक कौशलों में दिखायी देती हैं।
iv. इस अक्षमता की शुरुआत 18 वर्ष से पूव्र होती है।

अब जरा परिभाषा के चारों उपभागों का थोड़ी गहराई से विश्लेषण करें।

क. मानसिक मंदता एक अक्षमता है। **(Disability)**
सामान्य भाषा में 'अक्षमता' का तात्पर्य है किसी व्यक्ति के शारीरिक भाग/भागों में ऐसी विचलन जिससे उसकी दैनिक कार्य क्षमता सामान्य व्यक्ति के सापेक्ष कम हो जाती है। उदाहरण के लिये यदि किसी व्यक्ति का दुर्घटना में एक पैर कट जाये तो उसके पैर की कार्यक्षमता एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में कम हो जाती है। ठीक इसी प्रकार मानसिक मंदता एक अक्षमता है क्योंकि इससे प्रभावित व्यक्ति का मस्तिष्क सामान्य की तुलना में कम काम करने की वजह से उसकी दैनिक कार्यक्षमता सीमित हो जाती है।

ख. इस अक्षमता में व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता और अनुकूलनीय व्यवहार में 'महत्वपूर्ण कमी' पायी जाती है।
मनसिक मंदता में व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता और अनुकूलनीय व्यवहार दोनों में सामान्य अर्थो से महत्वपूर्ण कमी पायी जाती है।
अनुकूलनीय व्यवहार से हमारा तात्पर्य उन दैनिक क्रियाओं से है जिसके द्वारा हम वातावरण को अपने अनुकूल बनाने के लिये करते हैं। उदाहरण के लिये हमें ठंड लगती है तो हम चादर आढ़ते हैं या गर्म कपड़े पहनते हैं।

ग. व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता और अनुकूलनीय व्यवहार में कमी उसके सांकल्पनिक, सामाजिक और प्रायोगिक कौशलों में दिखायी देती हैं।

अवधारणात्मक **(Conceptual)** कौशल

- भाषा (अभिव्यक्ति/ग्राहय)
- पढ़ना, लिखना
- धन संबंधी संकल्पना
- स्व-निर्देश आदि

समाजिक (Social) कौशल के उदाहरणः

- जिम्मेदारी
- अंतवैयक्तिक संबंध
- आत्म सम्मान
- सरलता
- नियमों का पालन
- उत्पीड़न में बचाव आदि

प्रायोगिक कौशल के उदाहरणः

- दैनिक क्रियाएं/स्व सहायता कौशल यथा: नहाना, कपड़े पहनना, सजना आदि
- दैनिक नियमित कार्य: घरेलू काम, दवाई, दवाई लेना, फोन का प्रयोग, रूपए पैसे का हिसाब, आवागमन आदि
- स्वास्थ्य संबंधी क्रियाएं
- व्यावसायिक कौशल
- सुरक्षित वातावरण संबंधी कौशल
- सुरक्षित वातावरण संबंधी कौशल

घ. इस अक्षमता की शुरुआत 18 वर्ष से पूर्व होती है।

मानसिक मंदता की परिभाषा का एक महत्वपूर्ण पहलू है परिभाषा के पीछे ली गयी मान्यतायें या पूर्वानुमान। ए.ए.एम.आर. द्वारा दी गयी मानसिक मंदता की परिभाषा पाँच मान्यताओं पर आधारित हैं:

i. व्यक्ति की वर्तमान क्रियाशील में कमी पर विचार करते समय व्यक्ति के हम उम्र व्यक्तियों एवं उसकी

संस्कृति का ध्यान अवश्य रखा जाना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है जब भी हम मानसिक मंदता का मूल्यांकन कर रहे हों, तब हमें संदर्भित व्यक्ति के हम उम्र और उसके सांस्कृतिक पहलुओं को सदैव ध्यान में रखना होगा। उदाहरण के लिये: एक गाँव का बच्चा प्रायः बड़ी उम्र

तक भी हाथ से खाना खाता है चम्मच से नहीं। अब यदि हमने उसके वातावरण को ध्यान में रखे बिना, चूँकि वह चम्मच का प्रयोग करके खाना नही खाता, अतः हम उसे 'मानसिक मंदता ग्रस्त' घोषित करें, यह गलत है।

ii. वैध आकलन में सांस्कृतिक, भाषिक, संप्रेषण, संवेदी, गामक एवं व्यवहारिक वैयक्तिक भिन्नताओं पर अवश्य विचार किया जाना चाहिए।

iii. एक व्यक्ति के अंदर कमियों के साथ-साथ अच्छाइयाँ भी मौजूद होती हैं।

iv. कमियों की व्याख्या का उद्देश्य व्यक्ति के लिये आवश्यक सहायता की पहचान करना होना चाहिए।

v. अर्थात् यदि हम किसी व्यक्ति की 'मानसिक मंदता' का आकलन कर रहे हैं तो हमारा उद्देश्य उसके नमारात्मक पहलुओं को उजागर करना नहीं, बल्कि उन विषेष आवश्यक ताओं और उपयुक्त सहायता की तलाश होना चाहिए जो उस व्यक्ति की सामान्य जीवन जीने में मदद कर सकें।

vi. एक निश्चित समय तक उपयुक्त व्यक्तिगत सहायता उपलब्ध कराये जाने पर मानसिक मंदता युक्त बालकों/व्यक्तियों कों जीवन स्तर में सुधार होगा।

vii. इस प्रकार हम देखते हैं कि 2002 की मानसिक मंदता की परिभाषा मानसिक मंदता का एक बहुआयामी मॉडल है जिसमें किसी व्यक्ति में मानसिक मंदता की उपस्थिति पर विचार करते हुए हमें पाँच पक्षों को ध्यान में रखना चाहिए।

    i. बौद्धिक क्षमता
    ii. अनुकूलनीय व्यवहार जिसमें अवधारिक, सामाजिक एवं प्रायोगिक कौशल शामिल हैं।
    iii. व्यक्ति की समाज में भागीदारी, सामाजिक अंतक्रिया, और उसकी सामाजिक भूमिकायें।
    iv. व्यक्ति का स्वास्थ्य (शारीरिक और मानसिक दोनों)।
    v. परिस्थितियाँ (संदर्भ एवं संस्कृति)।

इसे निम्नांकित आरेख के द्वारा आसानी से समझा जा सकता है।

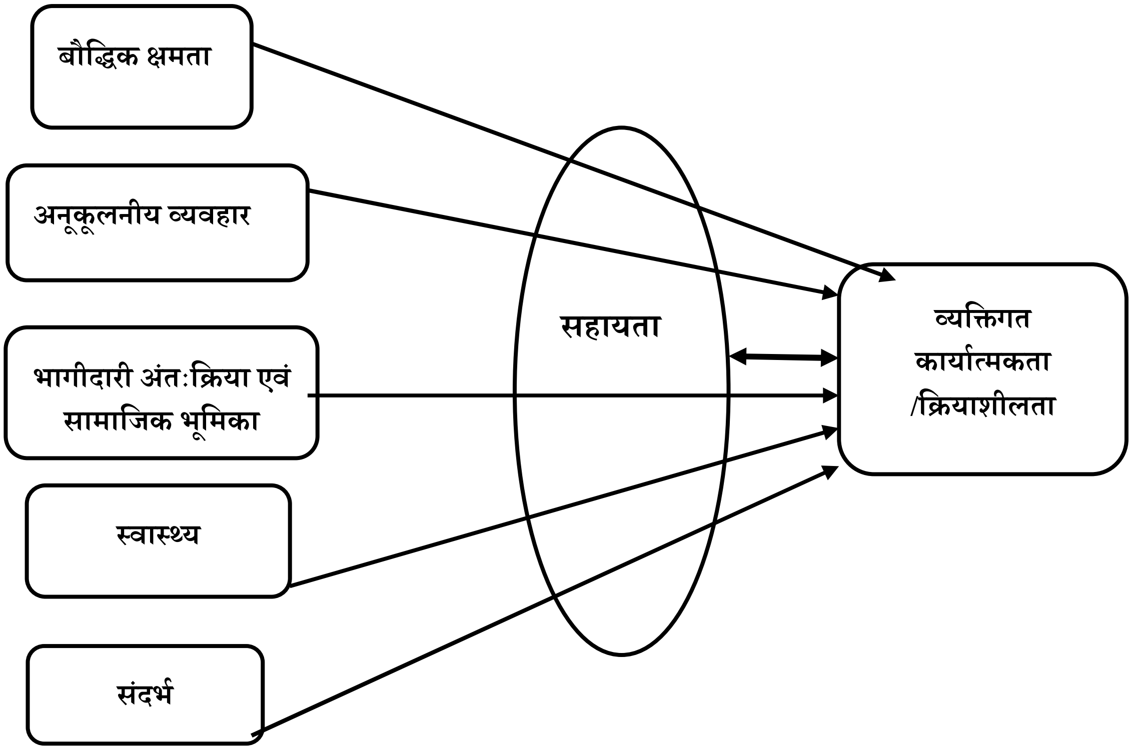

AAMR द्वारा प्रकाशित 10वें मैनुअल, 2002 से साभार

अभी आपने महसूस किया होगा कि 'मानसिक मंदता' की परिभाषा जितनी सामान्य दिखती है, उससे कही ज्यादा जटिल है। शुरुआती दौर में मानसिक मंदता को परिभाषित करने का प्रयास अपनी नकारात्मकता के कारण मानसिक मंद व्यक्तियों को, उनकी कमियाँ बताकर समाज से काटता है, परन्तु धीरे-धीरे मानसिक मंदता की परिभाषा सकारात्मकता की ओर बढ़ा है।

19.3.4 मानसिक मंदता की परिभाषा का भारतीय परिप्रेक्ष्य

भारत में मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता को परिभाषित करने का प्रयास ज्यादा पुराना नहीं हे। पहली बार विकलांग जन अधिनियम (PWD Act) 1995 में मानसिक मंदता को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार ''मानसिक मंदता का तात्पर्य मानव मस्तिष्क के अवरुद्ध अथवा अपूर्ण विकास से है जो सामान्यतः अधोसामान्य **(Subnormal)** बौद्धिक क्षमता के रूप में परिलक्षित होता है।'' भारतीय संदर्भ में दी गई मानसिक मंदता की यह परिभाष अत्यंत पुरानी प्रतीत होती है और अंतरराष्ट्रीय परिभाषाओं से इसकी तुलना

करें तो अधूरी प्रतीत होती है क्योंकि इसमें मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता के निदान के लिए 'अनुकूलनीय व्यवहार का सीमित होना' समाहित नहीं है। इसमें 'बौद्धिक क्षमता' को मानसिक मंदता का नैदानिक मानदंड माना गया है जो अपर्याप्त है। सिर्फ सीमित वर्तमान में इस कानून में संषोधन की बात चल रही है।

अभ्यास प्रश्न

11. 'स्पष्ट औसत से कम' बौद्धिक क्षमता प्रयोग सर्व प्रथम लयूकेसॉन ने किया (सत्य/असत्य)
12. ग्रॉसमैन के अनुसार बच्चे का विकास काल 16 वर्ष तक माना जाना चाहिए, (सत्य/असत्य)
13. मानसिक मंदता में बौद्धिक क्रियाषीलता के साथ अनुकूलनीय व्यवहार भी सीमित होना चाहिए (सत्य/असत्य)
14. मानसिक मंदता को पाश्चात्य देषों में बौद्धिक अक्षमता कहा जाने लगा है। (सत्य/असत्य)
15. विकलांग जन कानून 1995 के अनुसार मानसिक मंदता का अर्थ अधोसामान्य बुद्धि लब्धि से है। (सत्य/असत्य)

19.4 मानसिक मंदता और मानसिक रुग्णता

19.4.1 सामान्य अंधविश्वास और सच्चाई

यद्यपि कि विगत दषकों में मानसिक मंदता के प्रति लोगों में जारुकता आयी है, परन्तु अभी भी प्रायः मानसिक मंदता को 'मानसिक रोग' समझा जाता है। मानसिक मंदता और मानसिक रोग दो भिन्न संकल्पनायें/अवस्था है। इस सन्दर्भ में, भारत में कानूनी विकास का अध्ययन बड़ा दिलचस्प होगा। भारत में आजादी से पूर्व इंडियन लूनासी ऐक्ट, 1912 (Indian Lunacy Act 1912) में आया। इस कानून के तहत मानसिक मंदता और मानसिक रोग दोनों को समान माना गया और समान प्रावधान किये गये। यह कानून स्वतंत्रता प्राप्ति के लगभग चार दषकों बाद भी लागू रहा। इस दौरान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे परिवर्त्तन हुए, मानसिक मंदता को मानसिक रोग से इतर मानकर दोनों के लिये अलग-अलग प्रावधान किये गये परन्तु भारत में 1986 तक दोनों में कोई कानूनी अंतर नहीं किया गया।

1987 में पहली बार मानसिक रोग को मानसिक मंदता से अलग माना गया और मंेटल हेल्थ ऐक्ट 1987 के तहत मानसिक रूग्णता के लिये अलग प्रावधान बनाये गये। यहाँ पर भी, मानसिक मंदता और मानसिक रूग्णता को अलग-अलग मान तो लिये गये पर, प्रावधान बनाया गया सिर्फ मानसिक रोग के लिये। उपरोक्त कानून से मानसिक मंदता को पूरी तरह से अलग रखा गया। मानसिक मंद बालकों को सम्मिलित करते हुए, भारत में पहला कानून बना वह है विकलांग जन कानून, 1995 जिसमें मानसिक मंदता की कानूनी परिभाषा के साथ ही उनके लिए विशिष्ट प्रावधान किये गये।

आज भी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में मानसिक मंद बच्चों को 'पागल' कहा जाना एवं माना जाना आम है। इसके अलावा भी, मानसिक मंदता के प्रति विभिन्न भ्रांतियाँ मंदता बुरी आत्माओं के प्रभाव की वजह से होता है। मानसिक मंदता झाड़-फूँक से ठीक हो सकती है। शादी कर दिये जाने पर मानसिक मंदता ठीक हो सकती है। मानसिक मंदता एक छुआछूत का रोग है जो साथ, बैठने, साथ खेलने आदि से किसी को भी हो सकता है। मानसिक मंदता माँ-बाप के पिछले जन्म के कर्मों का फल है आदि। आप सहमत होंगे कि इस वैज्ञानिक युग में उपरोक्त मान्यताओं का कोई आधार नहीं। मानसिक मंदता न तो बुरी आत्माओं के प्रभाव से होती है और न ही झाड़-फूँक से उसे खत्म किया जा सकता है। मानसिक मंदता एक मानसिक अवस्था है, कोई छुआछूत का रोग नहीं कि मानसिक मंद व्यक्ति को छूने, साथ खेलने या बैठने से किसी को हो जाये। मानसिक मंदता के बहुत सारे संभावित कारणों का पता लगाया जा चुका है और बच्चों में मानसिक मंदता का माँ-बाप के पिछले जन्म के कर्मों से कोई लेना-देना नहीं है।

इन भ्रांतियों में सबसे सामान्य भ्रांति है मानसिक मंदता को मानसिक रूग्णता मान लेना जो कि न केवल कम पढ़े लिखे लोगों में, बल्कि उन पढ़े लिखे लोगों में भी मौजूद है जिनमें विकलांगता के प्रति जागरुकता नहीं है।

मानसिक मंदता मानसिक रूग्णता से पूर्णतया भिन्न है। जैसे मानसिक मंदता एक अवस्था (State of Mind) है, अतः इसे ठीक नहीं किया जा सकता है, हाँ नियमित प्रशिक्षण के द्वारा उनका सामान्य जीवन अनुकूलतम स्तर तक लाया जा सकता है। 'मानसिक रोग' बीमारी हे, जिसे पूर्णतया ठीक किया जा सकता है और व्यक्ति एक सामान्य जीवन यापन कर सकता हें मानसिक मंदता में व्यक्ति की बुद्धि-लब्धि (IQ) 70 से कम होनी आवश्यक है, परन्तु मानसिक रोग के लिये ऐसा कोई मापदण्ड नहीं है। मानसिक रोग एक कम बुद्धि-लब्धि वाले को भी हो सकता हे और एक उच्च बुद्धि-लब्धि वाले व्यक्ति को भी। जैसा कि आपने पिछली इकाई में पढ़ा, मानसिक मंद व्यक्तियों में अनुकूलनीय व्यवहार में भी कमी पायी जाती है, परन्तु मानसिक रूग्णता में व्यक्ति का अनुकूलनीय व्यवहार पूर्णतया सामान्य हो सकता है। इसके अतिरिक्त सबसे विशिष्ट बात यह है कि मानसिक मंदता विकासात्मक अवस्था अर्थात् 18 वर्ष से पूर्व ही हो सकती है, जबकि मानसिक रूग्णता किसी भी उम्र में हो सकती है। आगे दिये गये टेबल में मानसिक मंदता और मानसिक रूग्णता में, विभिन्न मानदंडो के आधार पर, अन्तर दर्षाया गया है जो इनके बीच का अन्तर समझने में आपकी मदद करेगा।

19.4.2 मानसिक मंदता और मानसिक रूग्णता में अन्तर

अवधारणा	मानसिक मंदता एक अवस्था है बीमारी नहीं	मनसिक रूग्णता एक रोग है
दवाइयों की प्रभाविकता	मानसिक मंदता पर दवाइयाँ प्रभावी नहीं है।	मनसिक रूग्णता दवाइयों से ठीक हो सकती है।
चिकित्सा	मानसिक मंदता में इलाज के बजाय प्रशिक्षण प्रभावकारी है।	मानसिक रूग्णता इलाज से ठीक हो सकती है

आरंभ होने की आयु	मानसिक मंदता का आरम्भ 18 वर्ष की आयु तक ही होता है।	मानसिक रूग्णता किसी भी उम्र में हो सकती है।
सामाजिक अनुकूलन	मानसिक मंद बालकों का सामाजिक अनुकूल सीमित होता है।	मानसिक रूग्ण व्यक्ति का सामाजिक अनुकूल सामान्य हो सकता है। कभी-कभी संम्भव है कि वह असामान्य व्यवहार प्रदर्षित करे।
बुद्धि लब्धि	मानसिक मंद बालकों की बौद्धिक कौशल (प्फ) 70 से नीचे माना जाता है।	एक मानसिक रूग्ण व्यक्ति का आई.क्यू. उच्च भी हो सकता है और निम्न भी
समानता की संभावना	सामान्य नहीं बनाये जा सकते	सामान्य हो सकते हैं।
वर्गीकरण का आधार	1.बुद्धि लब्धि 2.शैक्षिक 3.आवश्यक सहायता	विभिन्न लक्षणों के आधार पर वृहत् रूप से साइकोसिस, न्यूरोसिस, न्यूरो साइकोसिस

अभ्यास प्रश्न

16. मानसिक मंदता और मानसिक रुग्णता दोनों समान हैं। (सत्य/असत्य)
17. मानसिक रुग्णता 18 वर्ष से पूर्व ही होती है। (सत्य/असत्य)
18. मानसिक मंद बालकों की बुद्धि-लब्धि उच्च् हो सकती है। (सत्य/असत्य)
19. मानसिक मंदता माता-पिता के पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम है। (सत्य/असत्य)
20. मानसिक मंदता एक छुआछूत की बीमारी है। (सत्य/असत्य)
21. एक मानसिक मंदत बालक को मानसिक रोग हो सकता है। (सत्य/असत्य)
22. मानसिक मंदता का इलाज संभव है। (सत्य/असत्य)
23. मानसिक मंदता में अनुकूलनीय व्यवहार सीमित हो यह आवश्यक नहीं। (सत्य/असत्य)
24. मानसिक रुग्ण व्यक्ति की बुद्धिलब्धि 70 से कम होती है। (सत्य/असत्य)
25. मानसिक मंदता किसी भी उम्र में हो सकती है। (सत्य/असत्य)

19.5 मानसिक मंद बालकों का वर्गीकरण और विशेषताऐं

मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता एवं ‘सापेक्ष’ एक जटिल संकल्पना है जो ‘बौद्धिक क्षमता’ ‘अनुकूलनीय व्यवहार’ और ‘विकासात्मक अवधि’ (Developmental Period) की अवधारणा पर आधारित है। चूंकि समय के साथ उपरोक्त तीनों की परिभाषा और मान्यताएँ बदलती रही हैं, अतः तदनुसार मानसिक मंदता बौद्धिक अक्षमता की संकल्पना में भी परिवर्तन होते रहे हें जैसा कि आपने पिछली इकाई 19 में देखा है।

मानसिक मंदता, बौद्धिक अक्षमता की परिभाषा में शामिल संकल्पनाओं के परिवर्तनषील प्रवृत्तियों की वजह से, इसका वर्गीकरण अत्यंत दुष्कर कार्य है। इसके अलावा किसी बालक पर मानसिक मंदता, विकलांगता की किसी श्रेणी का 'लेवल' लगाने से उसके संपूर्ण जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, इन वजहों से, मानसिक मंदता, बौद्धिक अक्षमता का वर्गीकरण भी उसकी परिभाषा के साथ-साथ परिवर्तित होता रहा है।

जैसा कि ल्यूकेसॉन एवं टीव ने चिन्हित किया है:

वर्गीकरण एक जटिल विषयवस्तु है जिसमें वैज्ञानिक, वित्तीय एवं शौक्षणिक हितो के अलाव, भावनात्मक, राजनैतिक एवं नैतिक सरोकारों भी सम्मिलित हैं। (ल्यूकेसॉन एवं रीव, 2001)

किसी भी संकल्पना का विभिन्न मानदण्डों के आधार पर वर्गीकरण करने का उद्देय होता है उसका विश्लेषण। मानसिक मंदता का वर्गीकरण भी अलग-अलग मानदण्डों एवं उद्देष्यों के आधार पर किया गया है परन्तु यहाँ हम तीन वर्गीकरर्णों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे:

1. विशिष्ट सहायता पर आधारित वर्गीकरण
2. मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण
3. शैक्षिक वर्गीकरण

19.5.1 विशिष्ट आवश्यक सहायता के आधार पर मानसिक मंदता का वर्गीकरण (Classification of Mental Retardation/ Intellectual Disability based on needed support)

यह मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता का नवतीनतम वर्गीकरण है। जैसा कि आपने अभी तक पढ़ा, मानसिक मंदता/बौद्धिक असमता एक सापेक्ष संकल्पना है, जो मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई 'बुद्धि लब्धि' की मान्यता पर आधारित है। 'बुद्धिलब्धि' एक असपष्ट पद है, जिसकी अभी तक कोई सर्वमान्य परिभाषा उपलब्ध नहीं है। इन सबके अतिरिक्त 'बौद्धिक क्षमता' और 'अनुकूलनीय व्यवहारों' को पूर्णतया अलग करना कठिन है, कई परिस्थितियों में दोनों समान प्रतीत होते हैं।

इस संदर्भ में, अधिकांष मनोवैज्ञानिकों द्वारा स्वीकृत वेशलर (Weschler) की बौद्धिक क्षमता की परिभाषा के अनुसार 'बौद्धिक क्षमता किसी व्यक्ति की उद्देश्य पूर्ण कार्य करने की, तर्कपूर्ण चिंतन की, एवं अपने वातावरण से प्रभावी समायोजन की संपूर्ण/सार्वभौम क्षमता है। 'यदि बौद्धिक क्षमता की इस परिभाषा से तुलना करें तो, व्यक्ति का अपने वातावरण के साथ समायोजन अर्थात् उसका अनुकूलनीय व्यवहार उसकी बौद्धिक क्षमता का अभिन्न अंग है। उपरोक्त कारणों एवं मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता युक्त व्यक्तियों के प्रति परिवर्तित सकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोण के कारण, मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक वर्गीकरण से इतर, वर्गीकरण इस क्षेत्र की अग्रणी संस्था ए.ए.आई.डी.डी. द्वारा सुझाया गया है जिसके अनुसार, मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता युक्त बालक निम्नांकित श्रेणियों में रखे जा सकते हैं-

क्रम सं.	शब्दावली	आवश्यक सहायता
1.	सविराम (असतत) सहायता (Intermittent)	अल्प अवधि की सहायता, जब आवश्यक हो अर्थात् हमेषा नहीं, धीरे धीरे सहायता में कमी, केवल कुछ क्षेत्रों में कभी कभी सहायता आवश्यक , तत्पश्चात , स्वतंत्र जीवन के योग्य।
2.	सीमित सहायता (Limited)	स्विराम श्रेणी से कुछ अधिक समय तक कुछ अधिक क्षेत्रों में, अधिक गहन, सहायता, परन्तु सतत् सहायता नहीं, अल्प सहायता के साथ जीवनयापन करने में सक्षम।
3.	विस्तृत सहायता (Extensive)	अधिक गहन सहायता, जो कुछ क्षेत्रों में सतत् (Continuous) भी हो सकती है; आवश्यक सहायता की समय सीमा, तीव्रता और क्षेत्र जयादा गहन, सभी में नहीं परंतु कुछ क्षेत्रों मं आजीवन सहायता आवश्यक।
4.	अति विस्तृत/व्यापक सहायता (Pervasive)	अधिकांष क्षेत्रों में जीवनपर्यन्त सत्त सहायता आवश्यक सहायता की गहनता (Intensity) अत्यधिक।

*मानसिक मंदता: परिभाषा, वर्गीकरण और सहयोग प्रणाली, 2002 10 वाँ मैनुअल, AAMR से साभार

19.5.2 मानसिक मंदता का मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण: (Psychological Classification of MR/ID)

यह मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता का सबसे प्राचीन वर्गीकरण है जिसका मुख्य आधार है बौद्धिक परीखण पर प्रापत अंक 'बुद्धि-लब्धि'। वर्तमान समय में, दो प्रमुख कारणों से इस वर्गीकरण का प्रचलन काफी कम होता जा रहा है। पहला कारण है: मानसिक मंदता स्पष्ट करने में बौद्धिक क्षमता के साथ साथ अनुकूलनीय व्यवहार पर बढ़ता जोर, और दूसरा कारण है वर्गीकरण के पीछे की नकारात्मकता जो यह बताता है कि बच्चे की बुद्धि बस इतनी ही है, जिसका प्रयोग कर के वह कुछ सीमित कार्यो में सक्षम है।

मनोवैज्ञानिक प्रणाली के अनुसार, बुद्धिलब्धि के अनुसार, मानसिक मंदता के निम्नांकित चार वर्ग हैं:

1. सौम्य मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता
2. मध्यम मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता
3. गंभीर मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता
4. अतिगंभीर मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता

क्र. सं.	शब्दावली	बुद्धिलब्धि
1.	सौम्य मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता	50-70
2.	मध्यम मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता	35.49
3.	गंभीर मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता	20-35
4.	अतिगंभीर मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता	20 से नीचे

यहाँ ध्यातव्य है कि:

i. चौथी श्रेणी में 20 से नीचे आई. क्यू. लिया गया है, 0-20 नहीं। इसका कारण है कि प्रायः यह माना जाता है कि बच्चे जन्मजात बुद्धि होती है अतः बुद्धि कम हो सकती है, शून्य नहीं।

ii. मानसिक मंदता सुनिश्चित करने में सिर्फ बुद्धिलब्धि ही नहीं बल्कि बालक के अनुकूलनीय व्यवहार को भी बराबर महत्व दिया जाना चाहिए।

19.5.3 मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता का शैक्षणिक वर्गीकरण (Educational Classification of ID)

सर्वप्रथम आपने मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता का मनोवैज्ञानिक, वर्गीकरण देखा जिसमें मानसिक मंदता बौद्धिक अक्षमता को चार वर्गों सौम्य, मध्यम, गम्भीर और अतिगम्भीर में बांटा गया है। आगे के पृष्ठों में हम प्रचलित शैक्षिक वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे जिसका मानदंड शैक्षिक उपलिब्धयों की पूर्वापेक्षा है। हालांकि मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता के प्रति समाज के बदलते दृष्टिकोण के कारण शैक्षणिक वर्गीकरण का प्रचलन भी धीरे-धीरे समाप्त होता जा रहा है।

शैक्षिक पूर्वापेक्षा के आधार पर- विद्वानों ने मानसिक मंदता को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जिनका विवरण निम्नांकित है:

क्र. सं.	प्रयुक्त शब्दावली	अनुमानित IQ	शैक्षणिक अपेक्षाएँ
1.	शिक्षणीय मानसिकता मंदता (Educable Mental Retardation)	50 से 75-80 तक	1. विद्यालय में छठी कक्षा तक पढ़ाई करने में सक्षम 2. सामाजिक समायोजन में सक्षम 3. स्वतंत्र व्यवसाय में सक्षम कुछ क्षेत्रों में आंशिक सहायता की आवश्यक ता हो सकती है। 4. अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में

			कठिनाई
2.	प्रशिक्षण मानसिक मंदता (Trainable Mental Retardation).	20 से 50-55 तक	स्वसहायता कौशल में प्रषिक्षणोपरांत सक्षम अल्प शैक्षणिक उपलब्धि प्रायः तीसरी चौथी कक्षा तक, सामाजिक समायोजन घर एवं पड़ोसियों तक सीमित, व्यावसायिक दृष्टिकोण से आश्रय कार्यशाला (Sheltered Workshop) तक उपयुक्त
3.	संरक्षणीय मानसिक मंदता (Custodial Mental Retardation)	आई.क्यू 20 से कम	अत्यधिक देखरेख की आवश्यक ता सामान्यतः अपनी दैनिक क्रियाकलापों को पूरा करने में सक्षम नहीं होते।

कुछ लेखकों ने, मनौवैज्ञानिक वर्गीकरण की तरह ही धीमी गति से सीखने वाले बालक (Slow learners) IQ 70-75-90 तक को भी शैक्षणिक वर्गीकरण में शामिल किया है परंतु वर्तमान लेखक के दृष्टिकोण से यह उपयुक्त प्रतीत नहीं होता क्योंकि मानसिक मंदता की प्रथम शर्त है: आई. क्यू 70 से कम। फिर इससे अधिक आई. क्यू वाले बालकों को मानसिक मंदता की श्रेणी में कैसे रखा जा सकता है ?

मानसिक मंदता के विभिन्न वर्गीकरणों की समतुल्यता

आपने तीन प्रमुख मानदण्डों: आई. क्यू., शैक्षणिक पूर्वापेक्षा और आवश्यक सहयोग के आधार पर मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता का वर्गीकरण देखा। आपके मन में ये प्रश्न उठ रहे होंग क्या ये सभी अलग-अलग हैं? उत्तर है- नहीं। तीनों वर्गीकरण समतुल्य है सिर्फ अंतर है लिए गए मानदण्डों का, जो मानसिक मंदता की पहचान के उद्देश्य पर निर्भर करता है। वर्तमान समय में मनोवैज्ञानिक और शैक्षणिक वर्गीकरण (अपने नकारात्मक दृष्टिकोण के कारण) प्रचलन से बाहर हो रहे हैं और 'आवश्यक सहायता' पर आधारित वर्गीकरण पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। आइये हम मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता के तीनो महत्वपूर्ण वर्गीकरणों की समतुल्यता पर विचार करें।

क्र. सं.	आई. क्यू.	आवश्यक सहायता के आधार पर वर्गीकरण	मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण	शैक्षणिक वर्गीकरण
1.	50-70	सविराम (असतत) (Intermittent)	सौमय मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता (Mild)	शिक्षणीय मानसिक मंदता (EMR)
2.	35-49	सीमित सहायता (Limited)	मध्यम मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता (Moderate)	प्रशिक्षणीय मानसिक मंदता

3.	20-34	विस्तृत सहायता (Extensive)	गंभीर मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता (Severe)	(TMR)
4.	20 से कम	अति विस्तृत/व्यापक सहायता (Pervasive)	अतिगंभीर मानसिक मंदता/अक्षमता (Profound)	संरक्षणीय मानसिक मंदता

19.5.4 मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता युक्त बालकों की विशेषताऐं

मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता का तात्पर्य आयु के सापेक्ष बौद्धिक क्षमता एवं अनुकूलनीय व्यवहार में महत्वपूर्ण कमी से है जो बालक में जीवन पर्यंत पाया जाता हे। हालांकि उपयुक्त प्रशिक्षण के द्वारा मानसिक मंदता युक्त बालकों के अनुकूलनीय व्यवहार को उन्नत किया जा सकता है परंतु अधिकांष बालक आजीवन इससे प्रभावित रहते हैं। सौम्य (Mild) मानसिक मंदता वाले अधिकांष बालकों की प्रायः तब तक वह पहचान नहीं हो पाती जब तक के स्कूल जाने नहीं लगते। सर्वाधिक मानसिक मंदता युक्त बालक (लगभग 85%) सौम्य मानसिक मंदता से ग्रसित पाए जाते हैं। इन्हें प्रायः संप्रेषण कौशल , स्व-सहायता कौशल अथवा छठी-सातवी कक्षा तक के शैक्षणिक व्यवहार में ज्यादा समस्या नहीं आती। मध्य श्रेणी (Moderate) की मानसिक मंदता वाले बालक प्रायः विकासात्मक मील के पत्थर (Developments Mile Stores) को देर से प्राप्त कर पाते हैं साथ ही उनमें प्री-स्कूल के समय में भी उम्र के उपयुक्त व्यवहारों का देर से विकास होता है। ये जैसे-जैसे बड़े होते जाते हैं इनकी आयु और उपयुक्त व्यवहारों के मध्य अंतर बढ़ता जाता है और कई बार स्वास्थ्य एवं व्यवहार संबंधी समस्याएं भी दृष्टिगोचर होती हैं। गंभीर और अति गंभीर मानसिक मंदता युक्त बालकों की पहचान प्रायः जन्म से ही या उसके कुछ दिनों बाद हो जाया करती है। इनमें से अधिकांष बालकों में केंद्रिय तंत्रिका तंत्र (Central Nervous System) की गंभीर विकृति पाई जाती है। हालांकि बुद्धि लब्धि के आधार पर गंभीर एवं अति गंभीर बालकों की पहचान की जा सकती है परंतु विभिन्न कार्यात्मक (Functional) कौशलों की कमी भी स्पष्ट होती है।

सामान्यतः मानसिक मंदता युक्त बालक निम्नलिखित विषेषताएं प्रदर्षित करते हैं:

1. **शारीरिक विषेषताएं**
   i. अधो-सामान्य शारीरिक विकास।
   ii. शारीरिक विकृतियां।
   iii. स्थूल गामक (Gross Motor) और सूक्ष्म गामक कौशल (Fine Motor) आयु के अनुपयुक्त।
   iv. आँखों और हाथों में समन्वय का अभाव।

2. **मानसिक विषेषताएं**
   i. अधो औसत बुद्धि लब्धि (70 से कम)।
   ii. किसी कार्य में रुचि का अभाव।
   iii. कभी-कभी आक्रामकता एवं अकेले रहना।

iv. अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में कठिनाई।
v. सोचने की सीमित क्षमता।
vi. कमजोर स्मृति
vii. कमजोर ध्यान केंद्रित क्षमता
viii. कमजोर आत्मविष्वास एवं आत्म सम्मान।
ix. सीमित सामाजिक समायोजन क्षमता।
x. सीखे गए कौशलों के सामान्यीकरण में कठिनाई।
xi. रूपए पैसे के लेन-देन में समस्या।
xii. भाषा (अभिव्यक्ति एवं ग्राह्य) संबंधी समस्या।

3. मनसिक मंदता ग्रस्त बालकों की सामाजिक विषेषताएं:

i. समाजिक समायोजन क्षमता अनुपयुक्त
ii. सहपाठियों एवं षिक्षकों से अंतर्संबंध बनाने में कठिनाई
iii. कभी-कभी दूसरों एवं स्वयं को नुकसान पहुँचाने वाले व्यवहार
iv. सामाजिक अवसरों पर उपयुक्त व्यवहार का अभाव
v. शोषण से बचाव संबंधी कौशलों का अभाव
vi. अपनी इच्छाएं अभिव्यक्त अभिव्यक्त करने में उपयुक्त कौशलों का अभाव

4. भावात्मक विषेषताएं

i. भावात्मक असंतुलन एवं अस्थिरता।
ii. पूर्व या देर से प्रतिक्रिया की अभिव्यक्ति।
iii. भावनात्मक संबंधों को समझने में कठिनाई।
iv. कई बार मानसिक मंदता से जुड़ी अन्य मानसिक एवं शारीरिक बीमारियां यथा फिट्स, अवसाद आदि।

अभ्यास प्रश्न

26. शिक्षणीय मानसिकता मंदता (Educable Mental Retardation) की बुद्धि लब्धि 50 से 70 के बीच होती है (सत्य/असत्य)
27. मानसिक मंदता का नवीनतम वर्गीकरण आवश्यक सहायता पर आधारित है (सत्य/असत्य)
28. अति गंभीर मानसिक मंदता की बुद्धि लब्धि 20 से कम होती है (सत्य/असत्य)
29. प्रशिक्षणीय मानसिक मंदता की बुद्धि लब्धि 35 से 49 के बीच होती है (सत्य/असत्य)
30. मानसिक मंदता का शैक्षणिक वर्गीकरण शैक्षणिक पूर्वापेक्षा पर आधारित है (सत्य/असत्य)

31. गंभीर मानसिक मंदता की बुद्धि लब्धि 20 से 35 होती है (सत्य/असत्य)
32. देर से प्रतिक्रिया मानसिक मंदता का एक प्रमुख लक्षण है (सत्य/असत्य)
33. मानसिक मंदता युक्त बालकों में कमजोर स्मृति की कोई समस्या नहीं होती शिक्षणीय
34. मानसिक मंदता युक्त बालकों की तार्किक क्षमता कम होती है (सत्य/असत्य)
35. मानसिक मंदता वाले बालकों का सामाजिक समायोजन अच्छा होता है (सत्य/असत्य)

19.6 सारांश

अभी तक आपने वर्तमान इकाई मानसिक मंदता की अवधारणा, परिभाषा, वर्गीकरण एवं विषेषताओं में मानसिक मंदता का संक्षिप्त वैष्विक एवं भारतीय इतिहास पढ़ा। प्राचीन समय में प्रायः विकलांगता युक्त बालकों का जन्म से पूर्व ही मार दिया जाता था। फ्रांसीसि चिकित्सक इटार्ड (1799) एवं उनके शिष्य सेंगुइन के प्रयासों ने मानसिक मंदता युक्त बालकों की शिक्षा की नींव रखी। बाद में मानवाधिकारों की वैष्विक घोषणा, विकलांग बालकों के अधिकारों की घोषणा, सलमांका, कान्फ्रेंस (1994), यू.एन.सी.आर.वी.डी. (2008), ने विकलांग बालकों के शिक्षा की ओर पूरे विश्व को प्रेरित कर दिया। भारत में भी, 1995 का विकलांग जन कानून, राष्ट्रीय न्याय कानून 1999, भारतीय पुनर्वास परिषद कानून 1992, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, शिक्षा का अधिकार कानून 1992 आदि के तहत, विकलांग युक्त बालकों की शिक्षा से संबंधित प्रावधान बनाए गए।

तत्पष्चात् हमने देखा कि मानसिक विकारों/अक्षमता को वैष्विक स्तर तीन मुख्य संस्थाओं ICD, AAIDD और DSM के द्वारा लगातार परिभाषित एवं परिष्कृत किया जाता रहा है। जिनमें मानसिक मंदता (अब बौद्धिक अक्षमता) में AAIDD अग्रणी है।

मानसिक मंदता एवं बौद्धिक अक्षमता का तात्पर्य प्रायः सीमित (70 से कम) बुद्धि लब्धि, एवं सीमित अनुकूलनीय व्यवहार से है जो दैनिक क्रिया-कलापों में प्रदर्षित होती है। इसका प्रादुर्भाव प्रायः 18 वर्ष की आयु से पूर्व होता है। आपने यह भी पढ़ा कि किसी व्यक्ति को मानसिक मंदता है या नहीं इसे सुनिश्चित करने के पीछे हमारा उद्देश्य उनकी कमियाँ बताने की बजाय सहयोग तंत्र विकसित करना होना चाहिए और इस प्रक्रिया में व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता एवं अनुकूलनीय व्यवहार के साथ ही उसकी संस्कृति, उसका वातारण और उसकी सामाजिक भागीदारी पर भी वृह ध्यान देने की आवश्यक ता हैं आपने यह भी देखा कि मानसिक मंदता, मानसिक, रूग्णता से कई मानदंडों यथा बुद्धि लब्धि, दवाइयों की प्रभाविता, सामान्य होने की संभावना, वर्गीकरण आदि में पूर्णतया भिन्न है। मुख्यतः मानसिक मंदता एम 'अवस्था' है जिस पर न तो दवाइयाँ प्रभावी है, और न ठीक किया जा सकता है और यह अक्सर 18 वर्ष से पूर्व प्रकट होता हैं जबकि मनोयोग बीमारी का प्रकार है जिसका रोगी दवाइयों एवं चिकित्सा से पूरी तरह ठीक हो सकता है साथ ही

मनोरोग किसी को भी किसी आयु में हो सकता है। आपने मानसिक मंदता के शैक्षिक, आवश्यक सहायता एवं बुद्धि लब्धि पर आधारित वर्गीकरण भी देखे और उनकी समतुल्यता देखी।

आपने पढ़ा कि मनोवैज्ञानिक मानसिक मंदता को IQ के आधार पर चार वर्गों में: सौम्य, मध्यम, गंभीर एवं अतिगंभीर में बाँटते हैं वही शिक्षा विद् शैक्षिक पूर्वापेक्षा के आधार तीन भागों-षिक्षणीय, प्रषिक्षणीय एवं संरक्षणीय भागों में बाँटते हैं। आधुनिक समय में इसे, आवश्यक सहायता के आधार पर, असतत्, सीमित, विस्तृत एवं अतिविस्तृत सहायता के वर्गों में विभाजित किया है। आगे की इकाई में इसकी पहचान, परीक्षण एवं शिक्षण विधियों पर चर्चा करेंगे।

19.7 शब्दावली

1. **मानसिक मंदता** का तात्पर्य महत्वपूर्ण रूप से कम अधो औसत सामान्य बुद्धिमत्ता से है जिसके परिणामस्वरूप/जिसके साथ-साथ अनुकूलनीय व्यवहार में कमी पायी जाती है और इसका प्रारंभ विकासात्मक अवस्था में होता है।
2. **सामान्य बौद्धिक प्रक्रिया** इस प्रयोजन के लिए विकसित और क्षेत्र/देश विशेष की परिस्थितियों के अनुकूल बनाए गए मानकी कृत सामान्य बौद्धिक परीक्षण किये जाने पर प्राप्त होने वाले परिणामों को सामान्य बौद्धिक प्रक्रिया कहा जाता है।
3. **''स्पष्ट रूप से औसत से कम''** से अभिप्राय है बुद्धि के मानकीकृत माप पर 70 या उससे कम बुद्धिलब्धि। बुद्धिलब्धि की अधिकतम सीमा का अभ्यास दिषानिर्देश न देना है, इसे 75 या उससे अधिक भीस बढ़ाया जा सकता हे। यह वृद्धि प्रयुक्त बुद्धि परीक्षण की विश्व सनीयता के अनुसार की जा सकतीस है।
4. **''अनुकूली (अडेटिटव) व्यवहार''** वह स्तर है जिस पर कोई व्यक्ति विषेष आत्म-निर्भरता और सामाजिक उत्तरदायित्व के उन मानकों को पूरा करता है जिसकी उस आयु और सांस्कृतिक समूह के व्यक्तियों से अपेक्षा की जाती है। अनुकूली व्यवहार की अपेक्षाएँ कालानुक्रमिक आयु से भिन्न होती है। अनुकूली व्यवहार में होने वाली कमी निम्नलिखित क्षेत्रों में देखने को मिलती है।
5. बौद्धिक क्षमता किसी व्यक्ति की उद्देश्य पूर्ण कार्य करने की, तर्कपूर्ण चिंतन की, एवं अपने वातावरण से प्रभावी समायोजन की संपूर्ण/सार्वभौम क्षमता है।
6. **'अक्षमता'** का तात्पर्य है किसी व्यक्ति के शारीरिक भाग/भागों में ऐसी विचलन जिससे उसकी दैनिक कार्य क्षमता सामान्य व्यक्ति के सापेक्ष कम हो जाती है।
7. AAIDD: American Association of Intellectual and Developmental Disabilities
8. AAMD: American Association of Mental Deficiency
9. AAMR: American Association of Mental Retardation
10. APA: American Psychiatric Association
11. CMR: Custodial Mental Retardation

12. DSM: Diagnostic and Statistical Manual (of Mental Disorders)
13. EAHCA: Education of All Handicapped Children Act 1975
14. EMR: Educable Mental Retardation
15. ICD: International Classification of Disease
16. ICFDH: International Classification of Functioning, Disability and Health
17. ICIDH: International Classification of Impairment Disability and Handicapped
18. IEDC: Integrated Education for Disabled Children
19. ILA: Indian Lunacy Act
20. MHA: Mental Health Act
21. NIMH: National Institute for the Mentally Handicapped
22. NPE: National Policy on Education 1986
23. PWD Act: Persons With Disabilities (Equal Opportunities, Pull participation & Protection of Rights Act 1995)
24. RTE: Right to Education Act, 2009
25. SFB: Senguin Form Board
26. TMR: Trainable Mental Retardation
27. UNCRPD: United Nations Convention on Rights of Persons with Disabilities
28. WHO: World Health Organization

19.8 संदर्भ ग्रंथ/ अन्य अध्ययन

1. हेवार्ड डब्ल्यू.जे., (2006), विशिष्ट काउंसिल ऑफ एक्सेप्सनल चिल्ड्रेन (CEC) से प्रकाशित।
2. ल्यूकेसान एवं अन्य, (1992), मेंटल रिटार्डेषन, क्लासिफिकेषन एंड सिस्टम ऑफ स्पोर्ट्स (9वीं मैनुअल) AAMR से प्रकाशित।
3. श्लेलॉक एवं अन्य, (2002), मेंटल रिटार्डेशन, क्लासिफिकेशन एंड सिस्टम ऑफ स्पोर्ट्स (9वीं मैनुअल) AAMR से प्रकाशित।
4. रीता पेषवारिया एवं अन्य, बेसिक एम.आर. शिक्षक मैनुअल, NIMH, सिकंदराबाद से प्रकाशित।
5. डिसेविलिटी स्टेटस ऑफ इंडिया ; 2007, भारतीय पुनर्वास परिषद् से प्रकाशित।
6. यूनेस्को, (2001), अंडरस्टैडिंग एंड रेस्पॉडिंग टू चाइल्ड नीड्स इन इनक्लूसिव क्लासरूम, यूनेस्को से प्रकाशित।
7. मंगल एस.के., (2007), विशिष्ट बालक, प्रेंटिल हॉल ऑफ इंडिया से प्रकाशित।
8. हालाहन डी.पी. एंड कॉफ मैन जे.एम., (2006), एक्सेप्सनल चिल्ड्रेन इंट्रोडक्शन टू स्पेशल एजुकेशन, पार्सन एजुकेशन से प्रकाशित।
9. भारत सरकार, (1995), पर्सन्स विथ डिसैविलिटिज ऐक्ट, भारत सरकार से प्रकाशित।
10. यूनेस्को, (2004), इमब्रासिंग डायवर्सिटि टूलकिट फॉर क्रिएटिंग इनक्लूसिव लर्निंग फ्रेंडली इनवायरमेंट यूनेस्को की वेबसाइट से लिया गया।

11. एनिसवर्थ पी. एंड बेकर सी.बी. (2004), अंडरस्टैडिंग मेंटल रिटार्डेषन, यूनिवर्सिटी प्रेस ऑफ मिसीसीपी से प्रकाशित।
12. रेनाल्डस सी.आर. एंड जानजेन इ.एफ. (Ed), (2007), इनसालक्लोपीडिया ऑफ स्पेशल एजुकेशन, जॉन वाइली एंड संस से प्रकाशित।

19.9 निबंधात्मक प्रश्न

1. मानसिक मंदता के संक्षिप्त पाश्चात्य इतिहास का विवरण दें।
2. मानसिक मंदता के भारतीय इतिहास पर प्रकाश डालें।
3. मानसिक मंदता परिभाषित करने वाली अग्रली संस्थाओं AAIDD, DSM और WHO-ICD का परिचय प्रस्तुत करें।
4. मानसिक मंदता की 1983 और 1992 की AAMR की परिभाषा का तुलनात्मक विवरण दें।
5. मानसिक मंदता की 2012 और 2002 की AAMR की परिभाषा की व्याख्या प्रस्तुत करें, साथ ही इसके पीछे ली गई मान्यताओं का विवरण दें।
6. मानसिक मंदता और मानसिक रोग में अंतर स्पष्ट करें साथ ही मानसिक मंदता के प्रति भारतीय समाज में व्याप्त भ्रांतियों की चर्चा करें।
7. मानसिक मंदता का 'आवश्यक सहायता पर आधारित' वर्गीकरण प्रस्तुत करें। आवश्यक सहायता पर आधारित वर्गीकरण की मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण से तुलना करें।
8. मानसिक मंदता को परिभाषित करें एवे मानसिक मंदता युक्त बालकों की विशेषताओं को लिखें।
9. मानसिक मंदता के मनोवैज्ञानिक और शैक्षणिक वर्गीकरण का विवरण दें एवं दोनों की तुलना करें।
10. मानसिक मंदता के विभिन्न वर्गीकरणों की चर्चा करें और उनकी समतुल्यता पर प्रकाश डालें।

इकाई 20 मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता की स्क्रीनिंग, पहचान, उनका शिक्षण एवं प्राशिक्षण

20.1 प्रस्तावना
20.2 उद्देश्य
20.3 मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता की स्क्रीनिंग एवं पहचान
20.4 परीक्षण - उद्देश्य , प्रकार एवं परीक्षण टूल्स
20.4.1 परीक्षण उसके उद्देश्य उसके प्रकार
20.4.2 परीक्षण टूल्स
20.4.3 भारतीय परिप्रेक्ष्य में परीक्षण टूल्स
20.5 मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता युक्त बालकों का शिक्षण एवं प्राशिक्षण
20.5.1 शिक्षण के सिद्धांत
20.6 शिक्षण के प्रकार; समूह शिक्षण एवं व्यक्तिगत शिक्षण योजनाद्ध
20.6.1 शिक्षण की विशिष्ट तकनीकें
20.7 सारांश
20.8 शब्दावली एवं शब्द विस्तार
20.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
20.10 संदर्भ ग्रंथ सूची
20.11 निबंधात्मक प्रश्न

20.1 प्रस्तावना

पिछली इकाई में आपने मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता की परिभाषा , उसका वर्गीकरण, एवं उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा । इस इकाई में हम मानसिक मंदता की स्क्रीनिंग एवं पहचान के बारे में पढ़ेगे। स्क्रीनिंग और पहचान के अर्थो के सथ ही प्रथम उप इकाई में हम राष्ट्रीय विकास के विभिन्न मील के पत्थर के अतिरिक्त सिकंदराबाद मानसिक विकलांग संस्थान ,द्वारा मानसिक मंदता की स्क्रीनिंग एवं पहचान के लिए विकसित अनुसूचियों का अध्ययन करेंगे।

दूसरी उप इकाई में हम मानसिक मंदता के आकलन/परीक्षण (Assessment) के बारे में जानेंगे जिसमें सर्वप्रथम , आकलन/परीक्षण की परिभाषा , उनके लिये प्रयुक्त टूल एवं उसके उद्देश्यों का अध्ययन करेंगे , तत्पश्चात् हम मानसिक मंदता के आकलन/परीक्षण हेतु विभिन्न टूलो के बारे में जानेंगे साथ ही भारत में बहुतापत से प्रयोग दिये जा रहे तीन टूल्स: मदास विकासात्मक कार्यक्रम प्रणाली (MDPS),फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट फॉर प्रोग्रामिंग (FACP) ,और विहैवियर असेसमेंट स्केल फॉर इंडियन चिल्ड्रेल विथ मंटल रिटार्डेशन (BASIC MR) विस्तृत अध्ययन करेंगे ।

पाठ की तीसरी उपइकाई में हम मानसिक मंदता युक्त बालकों के शिक्षण के विभिन्न सिद्धांत , उनके शिक्षण के प्रकार और विशिष्ट तकनीकों का संक्षिप्त अध्ययन करेंगे तत्पश्चात् इकाई (21) में मानसिक मंदता युक्त बालकों के शैक्षिक नियोजन के विकल्प, उनके शिक्षण की वर्तमान प्रवृतियाँ और मानसिक मंदता युक्त बालकों के समावेशी शिक्षण का अध्ययन करेंगे ।

इकाई के अंत में पुनरावृति हेतू इकाई सारांश दिया गया है तथा आपकी सुविधा के लिये पारिभाषिक शब्दों की सूची एवं शब्द संक्षेप एवं उनके विस्तृत रूप भी दिये गये हैं। साथ ही पाठ की समाप्ति पर आगे के भी अपलब्ध है। इस इकाई के अंत में आपकी समझ के विस्तार हेतु तीन परिशिष्ट दिये गये है। जिसमें पहले परिशिष्ट में MDPS के एक क्षेत्र का उदाहरणए दूसरा परिशिष्ट FACP के एक क्षेत्र का उदाहरण है एवं तीसरा परिशिष्ट मानसिक मंदता युक्त बालकों के शिक्षण योजना का प्रारूप है जिसे आप प्रयोगात्मक ज्ञान हेतु अमल में ला सकते हैं। यथा संभव इकाई की भाषा सामान्य रखी गयी है और लेखक को आशा है कि इकाई आपको सरल, रूचिकर एवं ज्ञान वर्द्धक लगेगा।

20.2 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात आप

1. स्क्रीनिंग एवं पहचान की परिभाषा और उनकी आवश्यकता के बारे में बता सकेंगे।
2. स्क्रीनिंग एवं पहचान (मानसिक मंदता के विशेष संदर्भ में) के विभिन्न टूलों के बारे में बता सकेंगे।
3. विकास के मील के पत्थरों को बता पाने में सक्षम होंगे।
4. मानसिक मंदता के संदर्भ में परीक्षण के उद्देश्य , प्रकार एवं उसकी परिभाषा बता सकेंगे ।
5. मानसिक मंदता के परीक्षण हेतु विभिन्न टूलों के बारे में बता सकेंगे।
6. भारत में प्रयोग किये जा रहे तीन टूलों MDPS,FACP और BASIC (MR) की मुख्य विशेषतायें और कमियाँ बता पाने में सक्षम होंगे।
7. उपरोक्त तीनों टूलों का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत कर सकेंगे ।
8. विशेष शिक्षा के सिद्धांतो का वर्णन कर सकेंगे। मानसिक मंदता युक्त बालकों के शिक्षण की प्रमुख विधियों यथा विश्लेषण, चेनिंग, शेपिंग, प्राम्पिृग, फेडिंग ,रीइनफोर्स अदि की व्याख्या कर सकेंगे।

20.3 मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता की स्क्रीनिंग एवं पहचान

मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता अनेकों कारणों से हो सकती है। गर्भाधान से लेकर विकासात्मक अवस्था (18 वर्ष) तक असंख्य ऐसे कारक हैं जो मानसिक मंदता के लिए उत्तरदायी है। स्क्रीनिंग का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति/बालक में मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता की संभावना दिखती है और तब उसके निदान हेतु आगे के परीक्षण किए जाते हैं यूँ तो मानसिक मंदता की पहचान हेतु बहुत सारे चिकित्सकीय उपकरण यथा अल्ट्रासोनोग्राफी, अमीनोसिनटेसिस, फीटोस्कोपी, इलेक्ट्रो कार्डियोंग्राम (ECG), इको-काडियोग्राम, मैग्नेटिक रेनोनेंस इमेजिंग (MRI) आदि उपलब्ध है, परंतु वर्तमान इकाई में हम सिर्फ उन स्क्रीनिंग टूल का अध्ययन करेंगे जो बच्चे के व्यवहारों का अध्ययन करके मानसिक मंदता की संभावनाओं और उनके निदान में अत्यंत सहयोगी है। पहचान (Identification) स्क्रीनिंग का परिणाम है। भारत में मानसिक मंदता की पहचान के लिए राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान (NIMH) सिकंदराबाद ने कई जाँच सूचियाँ बनाई है जिसके आधार पर मानसिक मंदता का आगे का परीक्षण, उसकी गंभीरता निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है। जन्म के बाद से, पूरी विकासात्मक अवधि के दौरान, एक बालक एक निश्चित समय पर कुछ क्रियाएं आरंभ कर देता है, जिन्हें विकास के मील के पत्थर कहते हैं। मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता निर्धारण के लिए आइए सर्वप्रथम हम देखते हैं कि एक बच्चा विभिन्न मील वे पत्थर किस उम्र विषेष में सीख जाता है।

विकास के मील के पत्थर (**Developmental Milestones**)

विकास के सामान्य मील पत्थर

क्र.सं.	अवस्था	आयु
1.	किसी को देखकर मुस्कुराता है।	4 माह
2.	सिर सीधा रखता है।	4 माह
3.	मुँह में वस्तुएँ डालता है।	4 माह
4.	पेट के बल करवट लेकर आ जाता है	6 माह
5.	चीजें पकड़ने के लिए पूरी हथेली का इस्तेमाल करता है	7 माह
6.	अन्ना, अम्मा, दादा बोलता है।	7 माह
7.	सहारे के बिना बैठता है।	8 माह
8.	नाम बोलने पर समझता है	10 माह
9.	घुटनों के बल खिसकता है।	10 माह
10.	किसी वस्तु को पकड़कर खड़ा होता है।	10 माह
11.	अँगूठे और तर्जनी से वस्तु पकड़ता है।	10 माह
12.	सहारे के बिना खड़ा होता है।	10 माह
13.	अम्मा, अक्का, अत्ता को पहचान कर उन्हें बुलाता है।	15 माह
14.	सहारे के बिना चलता है।	15 माह
15.	अपना नाम बोलता है।	18 माह

16.	ग्लास से स्वयं पीता है।	21 माह
17.	नाम लेने पर शरीर के अंगों के बारे में बताता है	24 माह
18.	शौचादि की आवश्यकताओं को बताता है।	24 माह
19	छोट-छोटे वाक्य बोलता है।	30 माह
20.	कपड़ों के बटन खोल लेता है।	36 माह
21.	सीधे सादे प्रश्नों के अर्थपूर्ण मौखिक उत्तर देता है।	36 माह
22.	छोटे और बड़े में अन्तर करता है।	36 माह
23.	लड़के या लड़की को पहचानता है।	36 माह
24.	कपड़ों के बटन लगा लेता है।	40 माह
25.	बालों में कंघी कर लेता है।	48 माह

स्क्रीनिंग एवं पहचान टूल्स

मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता निर्धारित करने के लिए व्यापक रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला उपकरण विकासात्मक अनुसूची है। अधोलिखित जांच सूची राष्टीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद द्वारा विकसित किया गया है जिसका उपयोग मानसिक मंदता के वर्तमान कार्यात्मक स्तर का निर्धारण किया जा सकता है। यह 0 से 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों के निर्धारण के लिए उपयोगी है।

निर्धारण जांच सूची

आयु वर्ग 0-6 माह

1. क्या बच्चा दूसरों को देखकर मुस्काराता है? (हाँ /नहीं)
2. क्या बच्चा अपना सिर सीधे खड़ा रहता है जब पेट के बल लिटाया जा है। (हाँ /नहीं)
3. क्या बच्चा ता-ता-ता, न, न, न जैसी ध्वनियां निकालता है? (हाँ /नहीं)
4. क्या बच्चा पेट के बल लुढ़क सकता है? (हाँ /नहीं)

आयु वर्ग 7-12 माह

5. क्या नाम पुकारने पर बच्चा अनुक्रिया व्यक्त करता है? (हाँ /नहीं)
6. क्या बच्चा बिना सहायता के बैठ सकता है? (हाँ /नहीं)
7. क्या बच्चा पेट के बल रेंगता है? (हाँ /नहीं)
8. क्या बच्चा किसी वस्तु को पकड़ कर खड़ा हो सकता है? (हाँ /नहीं)
9. क्या बच्चा अपने अंगूठे और तर्जनी से किसी वस्तु को उठा सकता है? (हाँ /नहीं)

आयु वर्ग 1-2 वर्ष

10. क्या बच्चा बिना सहायता के खड़ा हो सकता है? (हाँ /नहीं)

11. क्या बच्चा अम्मा, अत्ता, टा-टा बोलता है? (हाँ /नहीं)
12. क्या बच्चा बिना किसी सहायता के चल सकता है? (हाँ /नहीं)
13. क्या बच्चा स्वयं ही किसी गिलास या कप में से पेय पदार्थ पी सकता है? (हा/नहीं)
14. क्या बच्चा, जब कहा जाए तब, अपने शरीर के अंग दिखाता है? (हाँ /नहीं)
15. क्या वह याद दिलाए जाने पर अन्य व्यक्तियों का अभिवादन करता है? (हाँ /नहीं)

आयु वर्ग 2-3 वर्ष

16. क्या बच्चा अपने दोनों पैरों से एक साथ कूद सकता है? (हाँ /नहीं)
17. क्या बच्चा सरल प्रष्नों का मौखिक उत्तर दे सकता है? (हाँ /नहीं)
18. क्या बच्चा पेंसिल सही ढंग से पकड़ सकता है? (हाँ /नहीं)
19. क्या बच्चा अपनी शौचादि संबंधी आवश्यक ताओं को बता सकता है? (हाँ /नहीं)
20. क्या बच्चा अपना नाम बोल सकता है? (हाँ /नहीं)
21. क्या बच्चा 2-3 शब्दों के सरल वाक्य बोल सकता है? (हाँ /नहीं)
22. क्या बच्चा रंगों की पहचान कर सकता है? (हाँ /नहीं)

आयु वर्ग 3-4 वर्ष

23. क्या बच्चा अपने दांतों पर ब्रष कर सकता है? (हाँ /नहीं)
24. क्या बच्चा अपने पहने हुए कपड़े उतार सकता है? (हाँ /नहीं)
25. क्या बच्चा वस्तुओं के उपयोग के आधार पर वस्तु को इंगित कर सकता है? (हाँ /नहीं)
26. क्या बच्चा स्वयं खाना खा सकता है? (हाँ /नहीं)
27. क्या बच्चा छोटी आकार की वस्तुओं में से बड़ी वस्तुओं की पहचान कर सकता है? (हाँ /नहीं)

आयु वर्ग 4-5 वर्ष

28. क्या बच्चा गोल, सीधी या तिरछी लकीरें नकल करके खींच सकता है? (हाँ /नहीं)
29. क्या बच्चा अपने कपड़ों के बटन बंद कर सकता है? (हाँ /नहीं)
30. क्या बच्चा बिना किसी सहायता के अपने बालों में कंघी कर सकता है? (हाँ /नहीं)
31. क्या बच्चा बिना किसी सहायता के अपने चेहरा धो सकता है? (हाँ /नहीं)
32. क्या बच्चा नियतकालिक कार्य कर सकता है? (हाँ /नहीं)
33. क्या बच्चा 10 तक गिनती बोल सकता है? (हाँ /नहीं)
34. क्या बच्चा वस्तु को दिखाने पर उसका रंग बता सकता है? (हाँ /नहीं)

आयु वर्ग 5-6 वर्ष

35. क्या बच्चा दो असंबंधित अनुदेषों को समझ सकता है? (हाँ /नहीं)

36. क्या बच्चा सप्ताह के दिन के नाम अनुक्रम से बता सकता है? (हाँ /नहीं)
37. क्या बच्चा सरल शब्दों को समझ सकता है? (हाँ /नहीं)
38. क्या बच्चा 10 तक सही गिनती गिन सकता है? (हाँ /नहीं)
39. क्या बच्चा एक-एक पैर रखकर सीढ़ी चढ़ सकता है? (हाँ /नहीं)

यदि किसी बच्चो में 1-11 तक में दी गई मदों में से किसी एक मद का विलम्ब से होना पाया जाता है और यदि बच्चे को दौरे पड़ते हैं या शारीरिक असमर्थता है तो मानसिक रूप से मंद होने का संदेह हो सकता है।

जांच अनुसूची सं. 1 (3 वर्ष से कम)

क्रम सं.	मद	सामान्य आयु वर्ग	अवस्था में विलम्ब यदि निम्न माह तक अपेक्षित कार्य न कर सके
1	नाम/आवाज लेकर बुलाए जाने पर प्रतिक्रिया दिखाता है।	1-3 माह	चौथे माह
2	किसी को देखकर मुस्कराता है।	1-4 माह	छठे माह
3	धीरे-धीरे सिर को संभालता है।	2-6 माह	छठे माह
4	सहारे के बिना बैठता है।	5-10 माह	बारहवें माह
5	सहारे के बिना खड़ा होता है।	9-18 माह	अठारहवें
6	ठीक से चलता है।	10-20 माह	बीसवें माह
7	2-3 शब्दों के वाक्य बोलता है।	16-30 माह	तीसरे वर्ष
8	स्वयं खाता पीता है।	2-3 वर्ष	चौथे वर्ष
9	अपना नाम बोलता है।	2-3 वर्ष	चौथे वर्ष
10	शौचादि पर नियंत्रण रख सकता है।	3-4 वर्ष	चौथे वर्ष
11	साधारण खतरों से बचता है।	3-4 वर्ष	चौथे वर्ष
12	अन्य कारण दौरे पड़ते हैं।	हाँ	नहीं
13	शारीरिक असमर्थकता होती है।	हाँ	नहीं

जांच सूची सं. 2 (3 से 6 वर्ष)

निम्नलिखित बातों पर ध्यान दें।

1. दूसरे बच्चों की तुलना में क्या बच्चे ने बैठना, खड़ा होना या चलना अपेक्षाकृत अत्यधिक देर से शुरू किया? (हाँ /नहीं)
2. क्या बच्चे को सुनने में कोई कठिनाई होती हुई दिखाई पड़ती है? (हाँ /नहीं)
3. क्या बच्चे को देखने में कठिनाई होती है? (हाँ /नहीं)
4. जब आप बच्चे को कुछ करने के लिए कहते तो क्या उसे आपकी बात समझने में परेषानी होती है? (हाँ /नहीं)
5. क्या बच्चे के अंगों में कमजोरी और/या एंेठन है और/या अपनी बाजू को घुमाने फिराने में कठिनाई होती है? (हाँ /नहीं)
6. क्या बच्चे को कभी कभार दौरा पड़ता है? उग्र हो जाता है या अचेत हो जाता है? (हाँ /नहीं)
7. क्या बच्चे को अपनी आयु के अन्य बच्चों की तरह कुछ सीखने में कठिनाई आती है? (हाँ /नहीं)
8. क्या बच्चा कुछ भी बोलने में असमर्थ होता है? (शब्दों में स्वयं समझ नहीं सकता/कोई स्पष्ट (सार्थक) शब्दों को बोल नहीं सकता) (हाँ /नहीं)
9. क्या बच्चे के बोलने का ढंग सामान्य बच्चों से किसी रूप में भिन्न है (अपने परिवार के सिवाय लोगों द्वारा कही गई बात को स्पष्ट समझ नहीं पाता है?) (हाँ /नहीं)
10. अपनी आयु के अन्य बच्चों की तुलना में, क्या बच्चा किसी भी तरह से पिछड़ा, उदासीन या मंदबुद्धि पड़ता है? (हाँ /नहीं)

यदि उपर्युक्त मदों में से किसी मद का उत्तर हाँ है तो मानसिक रूप में मंद का अनुमान लगाया जा सकता है।

जांच सूची 3 (7 वर्ष और उससे अधिक)

1. क्या बच्चे ने दूसरे बच्चों की तुलना में बैठना, खड़े होना या चलना अत्यधिक देर से शुरू किया है? (हाँ /नहीं)
2. क्या बच्चा खाने, कपड़े पहनने, नहाने और तैयार होने जैसे अपने काम नहीं कर सकता है? (हाँ /नहीं)
3. क्या बच्चे को समझने में कठिनाई होती है जब आप कहते हैं कि यह करो या वह करो? (हाँ /नहीं)
4. क्या बच्चे की बोली स्पष्ट नहीं है? (हाँ /नहीं)
5. क्या बच्चे को पूछे बिना स्पष्ट करने में कठिनाई होती है जो कुछ भी उसने सुना या देखा हो? (हाँ /नहीं)
6. क्या बच्चे के अंग कमजोर हैं और/या ऐंठन है और/या अपने बाजू को घुमान फिराने में कठिनाई होती है? (हाँ /नहीं)

7. क्या बच्चे में कभी कभार दौरे पड़ते हैं, उग्र हो जाता है या अचेत हो जाता है? (हाँ /नहीं)
8. अपनी आयु के अन्य बच्चों की तुलना में, क्या बच्चा किसी भी तरह से पिछड़ा हुआ, उदासीन या मंदबुद्धि दिखाई पड़ता है? (हाँ /नहीं)

यदि उपर्युक्त मदों में से किसी भी एक मद का उत्तर हाँ हो तो मानसिक रूप से मंदन का संदेह करें।

टिप्पणी

जांच अनुसूची सं. 2 और 3 में ऐसे अधिकांश प्रश्न हैं जिनमें अधिक जानकारी शामिल है अर्थात् ऐसे बच्चों की पहचान की जा सकती है जिनमें शारीरिक मंदन न हों केवल श्रवण दोष या शारीरिक विकलांगता या मिरगी हो। इन दो जांच अनुसूचियों से प्रत्येक मानसिक रूप से मंद बच्चे की शीघ्र पहचान सुनिश्चित रूप से की जा सकती है।

अभ्यास प्रश्न

1. बच्चा नाम पुकारे जाने पर 1-3 महीने में प्रतिक्रिया देना आरंभ करता है। (सत्य/असत्य)
2. बच्चा 2-3 वर्ष में अपना नाम बोलना आरंभ कर देता है। (सत्य/असत्य)
3. बच्चा 1-2 वर्ष की आयु में शौचादि पर नियंत्रण करने लगता है। (सत्य/असत्य)
4. बच्चा 1 माह की आयु से सिर को संभालना शुरू कर देता है। (सत्य/असत्य)
5. 4 वर्ष वें एक बच्चे को कही गई बात समझने में कठिनाई होती है। बच्चे में मानसिक मंदता की संभावना है। (सत्य/असत्य)
6. बच्चा अन्य बच्चों की तुलना में पिछड़ा दिखाई देता है। बच्चे में मानसिक मंदता की कोई संभावना नहीं है। (सत्य/असत्य)
7. बच्चा चौथे माह तक भी अपनी आवाज सुनकर प्रतिक्रिया नहीं देना। उसमें मानसिक मंदता हो सकती है। (सत्य/असत्य)
8. बच्चा 18 माह तक बिना सहारे के नहीं बैठ पा रहा है। उसमें मानसिक मंदता की संभावना हो सकती है।(सत्य/असत्य)
9. पांच वर्ष के बच्चे की आवाज स्पष्ट नहीं है और कभी-कभी उग्र हो उठता है। बच्चे में मानसिक मंदता हो सकती है।(सत्य/असत्य)
10. बच्चे ने विकास के मील के पत्थर देर से प्राप्त किए है। बच्चे में मानसिक मंदता हो सकती है। (सत्य/असत्य)

20.4 परीक्षण उसके उद्देश्य उसके प्रकार एवं परीक्षण टूल्स

20.4.1 परीक्षण (Assessment) उसके उद्देश्य उसके प्रकार

परीक्षण (Assessment)

साधारण शब्दों में परीक्षण का तात्पर्य है किसी व्यक्ति के बारे में विभिन्न माध्यमों से सूचनायें एकत्रित करके अनका विश्लेषण करना।

वैलेस एवं लारेसन (1982) के अनुसार, 'परीक्षण एक प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति से संबंधित सूचनायें एकत्र करना, उन्हें संग्रहित करना एवं उनका विश्लेषण करना शामिल है ताकि उसके लिए शैक्षिक, निर्देश नात्मक, अथवा प्रषासनिक निर्णय लिये जा सकें।

उपरोक्त परिभाषा का विश्लेषण करने पर परीक्षण से संबंधित निम्नांकित तथ्य सामने आते है।

i. परीक्षण एक प्रक्रिया है।
ii. परीक्षण की प्रक्रिया में किसी व्यक्ति के बारे सूचनायें एकत्र करके, उसे संग्रहित करना और उनका विश्लेषण करना शामिल है।
iii. सूचनाओं का विश्लेषण करके उन पर आधारित जानकारी का प्रयोग संदर्भित व्यक्ति से संबंधित शैक्षिणिक, प्रशासनिक अथवा निर्देशात्मक निर्णय लिया जा सके।

वस्तुतः 'परीक्षण' एक विस्तृत पद है जिसमें विभिन्न प्रकार एवं माध्यमों से किसी व्यक्ति के बारे में सूचनायें एकत्र की जाती हैं। सूचनाऐं संग्रहित एकत्र करने की तकनीकों में निम्नांकित सम्मिलित है।

i. बच्चे का परोक्ष एवं प्रत्यक्ष जाँच
ii. बच्चे के शिक्षक /अभिभावकों से साक्षात्कार
iii. विभिन्न प्रकार की 'प्रक्षेप्य' (Projective) एवं और अप्रक्षेप्य परीक्षण

मानसिक मंदता के परीक्षण का उद्देश्य **(Purpose of Assessment)**

सामान्यता मानसिक मंदता ध् बौद्धिक अक्षमता के संदर्भ में परीक्षण के निम्नांकित उद्देश्य हो सकते हैरू

i. मानसिक मंदता की प्रारंभिक जाँच एवं पहचान
ii. शैक्षणिक कार्यक्रम एवं रणनीतियों के पूर्वनिर्धारण हेतु
iii. मानसिक मंदतायुक्त बालक के वर्तमान निष्पादन स्तर एवं शैक्षणिक आवश्यक ता का पूर्व निर्धारण
iv. वर्गीकरण एवं शैक्षिक नियोजन के निर्धारण के लिए
v. व्यक्तिगत शैक्षिक कार्यक्रम के विकास के लिए।
vi. व्यक्तिगत शैक्षिक कार्यक्रम (IEP) की प्रभाविता का सर्वाधिक मुल्यांकन करने के लिए।

परीक्षण के प्रकार (Types of Assessment)

परीक्षण विभिन्न मानदंडों के आधार पर विभिन्न प्रकार हो सकते है यथा मानकीकरण (Standardization) के आधार पर मानकीकृत परीक्षण प्रकार हो सकते है। इसी प्रकार, यदि हम परीक्षण के उद्देश्यों की बात करें तो उसके अनुवार परीक्षण के निम्नांकित प्रकार हो सकते है।

i. शैक्षिक परीक्षण
ii. मनावैज्ञानिक परीक्षण
iii. चिकित्सकीय परीक्षण
iv. पाठ्यक्रम आधारित परीक्षण
v. कार्यात्मक परीक्षण

लेखक आपसे आशा करता है कि आप परीक्षण एवं परीक्षणों के प्रकार के बारे में अन्य इकाइयों में यथास्थान पढ़ चुके होंगे।

भारतीय परिप्रेक्ष्य में बुद्धि परीक्षणः

i. बिने कीमत परीक्षण इंटलिजेंस डॉ.वी के भाटिया, 1955 इससें पाँच उप टेस्टः
ii. ब्लॉक डिजाइन टेस्ट
iii. एलेक्जेन्डर पास एलाग टेस्ट
iv. इमिडियेट मेमरी टेस्ट
v. पिक्चर कंस्ट्रकशन टेस्ट

भारतीय परिप्रेक्ष्य में

i. VSMS: विनलैंड सोशल मैचुरिटि स्केल
ii. ABS: एडेप्टिव विहैविर स्केल

20.2.2.5 भारतीय परिप्रेक्ष्य में परीक्षण टूल्स

बौद्धिक अक्षमता/मानसिक मंदता युक्त बालकों के परीक्षण एवं उनके लिए कार्यक्रम बनाने के लिए यूं बहुत सारे टूल्स उपलब्ध हैं परंतु भारतीय परिप्रेक्ष्य में प्रायः निम्नांकित टूल प्रयोग में लाए जा रहे हैं:

i. MDPS: मद्रास डेवलपमेंटल प्रोग्रामिंग सिस्टम
ii. FACP: फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट फॉर प्रोग्रामिंग
iii. BASIC MR: विहैविरल असेसमेंट स्वेल फॉर इंडियन चिल्ड्रेन विद मेंटल रिटार्डेशन

1. **मद्रास डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग सिस्टम (MDPS)** - मद्रास डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग सिस्टम, प्रो. पी. जयचंद्रन एवं वी. बिमला द्वारा 1968 में विकसित किया गया एक बहुतायत से प्रयोग किया जाने वाला परीक्षण एवं कार्यक्रम विकास का टूल है। मद्रास डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग सिस्टम में कुल 360 आइटम हैं जो बच्चें के विकास के आरोही क्रम में रखे गए हैं। यह परीक्षण 18 क्षेत्रों (क्वउंपदे) में बांटा है और प्रत्येक क्षेत्र में 20 आइटम रखे गए हैं प्रत्येक क्षेत्रों में सभी आइटमों को सरल से कठिन क्रियाओं की ओर सजाया गया है। मद्रास डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग सिस्टम के अट्ठारह क्षेत्र निम्नलिखित है:

   i. स्थूल गामक कौशल
   ii. सूक्ष्म गामक कौशल — गामक कौशल
   iii. भोजन संबंधित क्रियायें
   iv. कपड़े पहनना
   v. सजना संवरना — स्व सहायता/व्यक्तिगत कौशल
   vi. शौच क्रिया
   vii. ग्रहणशील भाषा
   viii. अभिव्यक्ति की भाषा — भाषा/संप्रेषण कौशल
   ix. सामाजिक कौशल
   x. कार्यात्मक पठन
   xi. कार्यात्मक लेखन
   xii. संख्या संबंधित कौशल — कार्यात्मक शैक्षणिक क्रियायें
   xiii. पैसा संबद्ध कौशल
   xiv. समय संबद्ध कौशल
   xv. घरेलू व्यवहार
   xvi. समुदायिक संपर्क
   xvii. मनोरंजनात्मक कौशल — मनोरंजनात्मक क्रियायें
   xviii. व्यावसायिक कौशल

मद्रास डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग सिस्टम की विशेषतायें

1. निरीक्षणीय एवं मापनीय शब्दों में लिखित।
2. अलग निर्मित 18 क्षेत्र जो बच्चे का वर्त्तमान स्तर निर्धारित करने में वस्तुनिष्ठता प्रदान करते हैं।
3. सभी आइटम सकारात्मक आकलन करने के लिए सकारात्मक भाषा में लिखे गये हैं अर्थात् सभी आइटम में यह विषेष ध्यान रखा गया है कि बच्चा कया और किस कठिनाई स्तर तक करता है। बच्चा क्या नहीं कर सकता इसकी चर्चा नहीं की गयी है।

4. प्रत्येक क्षेत्र में समान संख्या में आइटम रखे गये हैं।
5. सभी आइटम सरलता से कठिन के क्रम में सजाये गये हैं।
6. वैज्ञानिक पद्धति से निर्मित अंकन प्रणाली जो बच्चे के क्रमिक विकास का सरल वर्णन करता है।

मद्रास डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग सिस्टम की सीमायें

1. यह टूल काफी पुराना हो चुका है, परंतु इसमें समानुकूल परिवर्तन नहीं आये हैं।
2. टूल की अंकन पद्धति सिमित है जो हाँ या ना पर आधारित है।
3. टूल का प्रयोग करने में।

अंकन प्रारूप (Progress Record)- मद्रास डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग सिस्टम में अंकन का एक प्रारूप होता है जिसमें बच्चे के निष्पादन का अन्तरालिक अंकन होता (1 तिमाही, 2 मिमाही या तिमाही) तथा इसे परिवार को तथा अन्य को बताया जा सकता है जो विद्यार्थी के षिक्षा से जुड़े हुए हैं। परीक्षण पर अगर विद्यार्थी क्रिया का निष्पादन नहीं करता है इसको 'A' अंकित करते हैं। स्केल में रंगीन कोड भरने की व्यवस्था भी है। जिसमें 'A' को नीला तथा 'B' को लाल से भरते हैं। प्रत्येक तिमाही में प्रगति के आधार पर लाल को नीले रंग से ढंका जा सकता हैं टूल में एक मेनुअल है समूहीकरण तथा कार्यक्रम बनाने में सहायक होता है। यह विषेष शिक्षक के लिए अन्तरालिक परीक्षण तथा IEP कार्य योजना के लिए लाभप्रद है।

2. **फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट फॉर प्रोग्रामिंग ¼FACP½-** फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट फॉर फॉर प्रोग्रामिंग, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिंकदराबाद द्वारा विकसित एक कार्यक्रम निर्माण एवं असेसमेंट उपकरण है, जो मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता युक्त बालकों के परीक्षण एवं कार्यक्रम निर्माण हेतु प्रयुक्त किया जाता है। यह चेकलिस्ट सामान्यीकरण के सिद्धांत (Principle of Normalization) पर आधारित है। यह चेकलिस्ट मानसिक मंद बालकों (3-18 वर्ष) के लिए विषेष रूप से, निर्मित है जो उनकी योग्यता और उनकी आयु दोनों को ध्यान में रखते हुए, उनके विभिन्न कक्षाओं में पढ़ाए जाने का विकल्प प्रस्तुत करता है।

एफ.ए.सी.पी. के अनुसार मानसिक मंदता युक्त बालकों वीक्षमता और उनकी उम्र के अनुरूप उनकी कक्षा का चयन: एफ.ए.सी.पी. कुल सात खण्डों में बंटा है प्रत्येक खण्ड बच्चे की आयु और योग्यता के अनुरूप उसे किसी एक कक्षा में नियोजित करने का सुझाव देते हैं। ये सात खण्ड और उनका संक्षिप्त विवरण निम्नांकित है:

प्रत्येक खण्डों को जांच क्षेत्रों में बांटा गया है। संदर्भित क्षेत्र हैं:

1. व्यक्तिगत क्रियाएं
2. समाजिक क्रियाएं

3. शैक्षणिक क्रियाएं
4. व्यावसायिक क्रियाएं
5. मनोरंजनात्मक क्रियाएं

जैसा कि आपने ऊपर देखा कि फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट फॉर प्रोग्रामिंग के सात खण्ड, निम्नांकित सात कक्षाओं में मानसिक मंद बालकों को उनकी योग्यता एवं आयु के अनुसार उन्हें नियोजित करता है।

i. पूर्व प्राथमिक: यह बच्चे का प्रवेष स्तर है, जिसमें 3-6 वर्ष के बच्चे रखते जाते हैं। इस चेकलिस्ट पर परीक्षण करके उपरोक्त आयुवर्ग के बच्चों का समूहीकरण किया जाता है।
ii. प्राथमिक स्तर: प्राथमिक स्तर दो भागों में बंटा है-प्राथमिक 1 एवं प्राथमिक 2

प्राथमिक-1: वे विद्यार्थी जो 80% पूर्व प्राथमिक जांच तालिका में प्राप्त कर लेते हैं उनको प्राथमिक-1 स्तर में उन्नति दी जाती है तथा विद्यार्थी जो इस स्तर में आते हैं उनकी आयु लगभग 7 वर्ष होती है। कुछ विद्यार्थी पास होने का मापदण्ड प्राप्त करने के लिए एक वर्ष और इस स्तर में रह सकते हैं। (जैसे एक विद्यार्थी 7 वर्ष का है प्राथमिक जांच तालिक में मूल्यांकन करने पर 60% उपलब्धि की है वह उसी कक्षा में अधिक समय के लिए रह सकता है उसके बाद यह देखा जाएगा कि वह होने वाला मानदण्ड प्राप्त करता है या नहीं/सफलता)

प्राथमिक-2: विद्यार्थी जो 8 वर्ष की आयु के बाद भी प्राथमिक स्तर की जांच तालिका में 80% प्राप्त नहीं करते हैं उनको प्राथमिक-2 में विस्थापित कर दिया जाता है। संभवत ये बच्चे अल्प कार्यात्मक योग्यता वाले होते हैं। इस समूह में 8-14 आयु वर्ष के बच्चे आते हैं तथा इनको माध्यमिक स्तर में कक्षोन्नति दी जा सकती है यदि वे 14 वर्ष से पहले 80% अंक प्राप्त कर पाते हैं। अगर 15 वर्ष की आयु में भी 80% से कम हासिल करते हैं तब उन्हें पूर्व व्यवसायिक-2 में स्थानांतरित किया जाता है।

माध्यमिक समूह: इस समूह में 11-14 आयु वर्ष के बच्चे आते हैं। यह मिश्रित समूह है (जिसमें प्राथमिक-1 तथा 2 दोनों से बच्चे आते हैं) कक्षा में 80% उपलब्धि प्राप्त करने पर विद्यार्थी को पूर्व व्यवसायिक-1 में कक्षोन्नति दी जाती है तथा जो बच्चे 80% कम हासिल करते हैं उन्हें पूर्व व्यवसायिक-2 में विस्थापित कर दिए जाते हैं।

पूर्व व्यवसायिक-1 तथा 2: दोनों ही समूहों में विद्यार्थी आयु 15-18 वर्ष के बीच होती हैं। प्रषिक्षण केंद्र बिंदु विद्यार्थियों को मूलभूत कार्य कौषलों तथा धरेलू कार्यों में प्रषिक्षित करना हैं। इस प्रकार जांच तालिका में आने वाले मुख्य विषय व्यवसायिक, सामाजिक तथा शैक्षणिक क्षेत्र है।

FACP **के अनुसार मानसिक मंद बालकों की पदोन्नति/कक्षोन्नति की विधि**

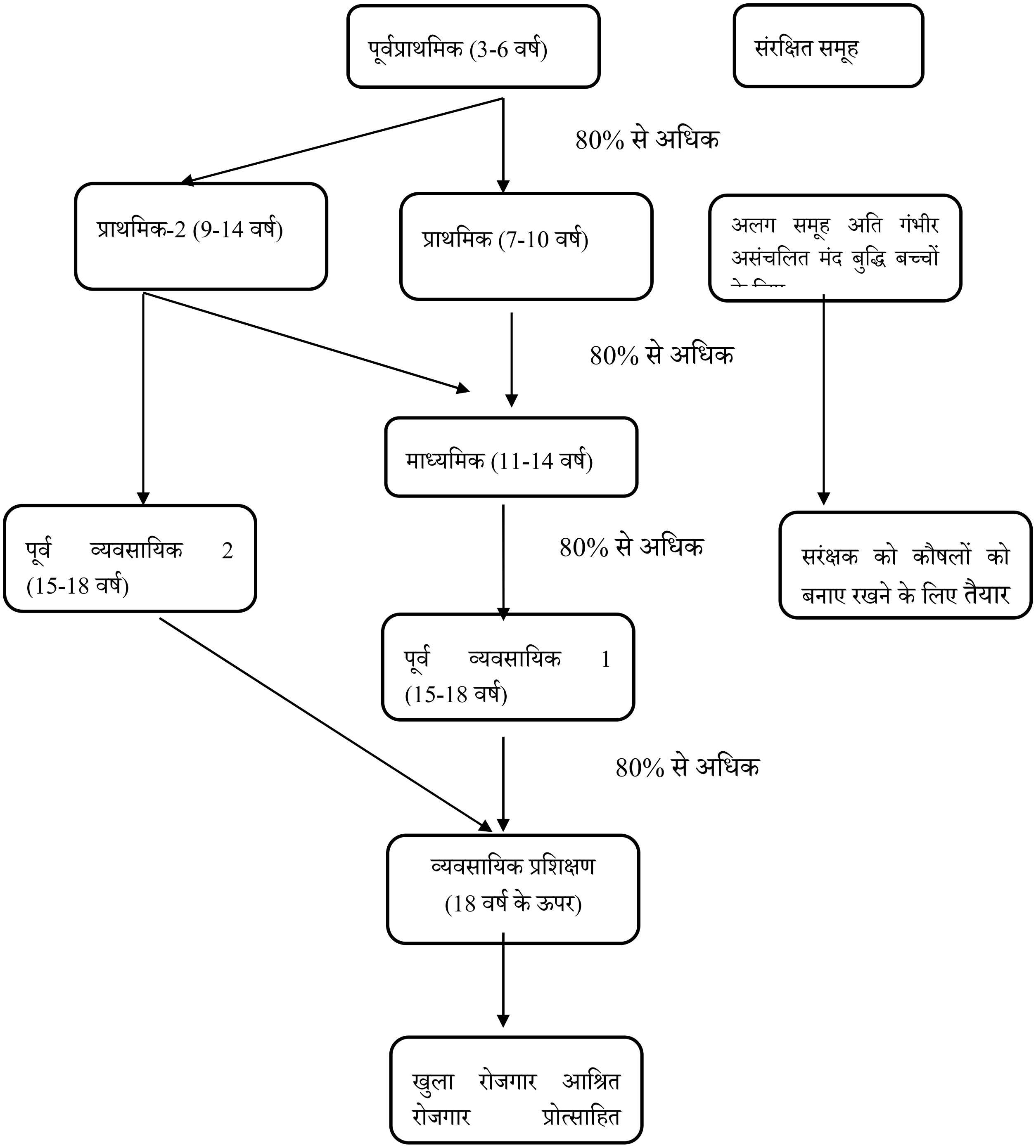

18 वर्ष आयु के ऊपर के मानसिक मंदता युक्त व्यक्तियों को व्यवसायिक प्रषिक्षण इकाइयों में उनकी संकलित मूल्यांकन रिपोर्टों के साथ आगे की कार्यक्रम योजना के लिए भेज दिया। इस पाठ्यक्रम में जांच तालिका में व्यवसायिक क्षेत्र सम्मिलित नहीं है।

संरक्षित समूह

इस समूह में बहुत ही अल्प बौद्धिक क्षमता वाले वे बच्चे आते हैं (बिस्तर पर पड़े रहने वाले अति गंभीर विकलांग) तथा जांच तालिका के विषय, मूलभूत कौशल जैसे पानी पीना खाना खाना, शौच तथा मूलभूत गामक गतियां और संप्रेषण में प्रषिक्षण आंषिक रूप से निष्पादन में ध्यान केंद्रित करते हैं अगर वे असंचरित बने रहते हैं तो आयु बढ़ने के साथ-साथ अभिभावक/संरक्षक को बच्चे को स्कूल में लाना कठिन हो सकता है। ऐसे में साथ-साथ सीखे गए कौषलों को बनाए रखने के लिए संरक्षक को तैयार करना आवश्यक हो जाता है। यह अच्छा है कि इस समूह के बच्चों को पूर्व व्यवसायिक कक्षा में प्रारंभ करके प्रत्येक कक्षा में बांट देना चाहिए इससे उनको उद्दीपित वातावरण मिलेगा। फिर भी इन्हें संरक्षित समूह की जांच तालिका द्वारा परीक्षण किया जाना चाहिए वह चाहे जिस भी समूह में विस्थापित हो।

विषय सूची

प्रत्येक जांच तालिका में विषय मुख्य क्षेत्रों से, जैसे व्यक्तिगत, सामाजिक शैक्षणिक, व्यवसायिक तथा मनोरंजन क्षेत्र से हैं जैसाकि विभिन्न तथा पर्यावरणीय माहौल से आते हैं प्रत्येक क्षेत्र में विद्यार्थी की व्यक्तिगत आवश्यक ताओं के आधार पर विषयों को जोड़ने तथा हटाने का प्रावधान होता है।

अंकन प्रारूप **(Progress Record)**

फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट फॉर प्रोग्रामिंग (**FACP**) में अंकन का प्रारूप इस प्रकार से तैयार किया गया है कि कार्यक्रम तैयार करने वाला परीक्षण सूचनाएं (प्रवेष स्तर) दर्ज कर सकता है तथा प्रगति को अंतरालिक (प्रत्येक त्रैमासिक) लगभग 3 वर्ष के लिए दर्जकर सकता है जैसा कि माना जाता है कि एक दिए गए स्तर पर बच्चा अधिक से अधिक 3 वर्ष तक ठहर सकता है। अंत में मूल्यांकन के बाद सभी क्षेत्रों में दी गई तालिका में बच्चे की प्रगति अंतरालिक रूप से दर्ज कर सकते हैं।

जांच तालिका में विद्यार्थी के निष्पादन को रिकार्ड करने का प्रावधान 3 वर्ष तक होता है। अगर एक विद्यार्थी एक क्रिया का निष्पादन करता है तो उसे '+' अंकित किया जाता है अगर नहीं करता तो '-' अंकित किया जाता है। फिर भी विद्यार्थी के वर्तमान स्तर के परीक्षण में सहायता प्रात्साहन के रूप में दी जाती है। प्रात्साहन जैसे कि दृष्य प्रात्साहन, संकेतिक प्रात्साहन, मॉडलिंग, शारीरिक प्रात्साहन, परीक्षण के दौरान यह देखा जा सकता है कि बच्चा किस प्रोत्साहन से निष्पादन करता है। जैसे अगर वह सांकेतिक प्रोत्साहन से एक क्रिया का निष्पादन करता है तो उसे GP उस क्रिया के सामने अंकित किया जाता है।

आइटम जो 'यस' या '+' अंकित होते हैं उन्हें एक अंक के रूप में गिना जाता है जबकि अन्य को जैसे PP VP NE को अंकित तो किया जाता है पर अंक नहीं जोड़े जाते हैं। अन्तोगत्वा इसका उद्देश्य दिए गए क्रिया क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना होता है जिन क्रियाओं में बच्चा स्वतंत्र रूप से बच्च निष्पादन करता है या कभी-कभी इशारे करने पर करता है। ऐसे आइटम्स को परिमाणित करने के लिए विचार किया जा सकता है। ऐसे विषय जिनमें AN अंकित होता है प्रतिशत का गणन करते समय सीख जाने वाले कुल विषयों से हटा दिए जाते हैं। उसी प्रकार अतिरिक्त विशिष्ट विषयों को प्रतिशत का गणना करने के लिए सम्मिलित होने चाहिए। जांच तालिका में 80% उपलब्धि एक स्तर से दूसरे स्तर में पदोन्नति के लिए विचारणीय होगी। जैसे बच्चे जो 80% पूर्व प्राथमिक जांच तालिका में प्राप्त करेंगे उन्हें प्राथमिक स्तर में पदोन्नति कर देंगे। यहाँ पर फिर भी सावधान किया जाता है कि खराब षिक्षण के कारण बच्चे में कमी या सीखने की अयोग्यता नहीं होनी चाहिए।

मनोरंजन के अन्तर्गत दिए गए विषयों को परिमाण के लिए नहीं गिना जाना चाहिए क्योंकि यह विषय रुचिपरक है। दी जाने वाली श्रेणियों में A रुचि लेता है तथा प्रभावषाली ढंग से भाग लेता है B भाग लेता है जब दूसरे प्रारंभ करते हैं C स्वतः को सम्मिलित करता है, लेकिन नियम मालूम नहीं होते हैं D रुचि से अवलोकन करता है E उदासीन रहता है NE कोई अवसर पहले नहीं मिला। जैसा नीचे बताया गया मनोरंजन क्रियाओं के बच्चे के साथ संलग्न होने का वर्णन करती है। ऐसे प्राप्तांक सामान्य स्कूलों के तंत्रों के समानांतर होते हैं। आखिरी पेज पर संकलित प्राप्तांक वह श्रेणी हो सकती है जिसे मनोरंजन विषयों के जांच सबसे अधिक श्रेणी मिलती हैं। अगर एक से अधिक श्रेणियों को बराबर प्राप्तांक मिलते हैं तो शिक्षक को अपने विवके का प्रयोग करके निर्णय लेना पड़ता है।

प्रगति रिपोर्ट लेखन

अंतरालिक मूल्यांकन आंकड़े तथा अंकित करने की सुविधा के प्राविधान के अतिरिक्त विद्यार्थी द्वारा की गयी प्रगति के अंकन का प्रावधान भी है। यह टूल व्यापक है तथा षिक्षकों के प्रयोग के लिए आसान है जैसे इसमें अंतरालिक जांच सुविधा तथा संक्षिप्त कार्यक्रम तैयार करने के लिए लेखन हेतु आसान प्रारूप भी है।

FACP की विशेषताऐं

i. कार्यात्मक उपागम पर आधारित
ii. नये व्यवहारों के अंकन का प्रावधान
iii. सामान्यीकरण सिद्धांत पर आधारित
iv. कक्षा नियोजन के स्पष्ट विकल्प का प्रावधान
v. मानकीकृत (Standardized)
vi. अकन प्रारूप् उपलब्ध

बच्चे का परीक्षण आसानी से किया जा सकता है।

FACP की सीमायें

i. नये आइटम जोड़ने की सुविधा फलत: परीक्षण विश्वसनीयता और वैधता प्रभावित हो सकती है।
ii. छात्र की प्रगति का रिकार्ड रखने हेतु विशेषज्ञ की आंवश्यकता अनावश्यक पेपर कार्य
iii. विशेष शिसा का विकल्प , समावेशी शिक्षा का नहीं। लंबे समय से पुनरावृत्ति नहीं।
iv. समस्यात्मक व्यवहार के लिये कोई क्षेत्र नहीं।

बेसिक एम.आर.

बेसिक एम.आर. दो भागों में बाँटा गया है: प्रथम भाग में कौशल व्यवहार और द्वितीय भाग में समस्यात्मक व्यवहारों के परीक्षण को प्रावधान है। प्रथम भाग में कुल 280 आइटम है जो सात विभिन्न क्षेत्रों में बँटे हैं। के सात क्षेत्र निम्नांकित है। प्रत्येक क्षेत्र में 40 आइटम संकलित हैं। बेसिक एम.आर.

i. गामक एवं सहन-सहन से संबंधित क्रियाएं
ii. भाषा से संबंद्ध व्यवहार
iii. शैक्षणिक/पठन-पाठन से संबद्ध क्रियाएं
iv. टंक एवं समय का ज्ञान
v. घरेलू सामाजिक व्यवहार
vi. पूर्व-व्यवसायिक ज्ञान

बेसिक एम.आर. के दूसरे भाग को 10 अलग-अलग खंडों में बाँटा गया है। जिनमें कुल 75 आइटम हैं। समस्यात्मक व्यवहारों के आकलन हेतु निर्मित इस भाग के 10 क्षेत्र निम्नलिखित है:

i. उग्र एवं विनाषक व्यवहार
ii. चिड़चिड़ापन एवं झल्लाहट
iii. दूसरों के लिए घातक व्यवहार
iv. स्वयं के लिए घातक व्यवहार
v. पुनरावृत्ति की आदत
vi. विचित्र व्यवहार
vii. अति चंचलता
viii. विद्रोही व्यवहार
ix. असामाजिक व्यवहार
x. भय

प्रत्येक भाग में आइटम की संख्या भिन्न-भिन्न है।

बेसिक एम.आर. की विषेषताएं

i. समस्यात्मक व्यवहारों के आकलन की सुविधा
ii. आवधिक आकलन की सुविधा
iii. मापनीय प्रत्यक्ष व्यवहारों पर आधारित
iv. विषेष रूप से भारतीय बालकों के लिए निर्मित

अभ्यास प्रश्न

11. MDPS में 20 क्षेत्र हैं। (सत्य/असत्य)
12. MDPS के प्रत्येक क्षेत्र में 20 आइटम रखे गए हैं। (सत्य/असत्य)
13. FACP में नए व्यवहारों को रिकार्ड करने की कोई जगह नहीं है। (सत्य/असत्य)
14. FACP के अनुसार, प्री-वोकेषनल कक्षा के दो भाग हैं।(सत्य/असत्य)
15. FACP में समस्यात्मक व्यवहारेां के लिए अलग भाग है। (सत्य/असत्य)
16. BASIC (MR) दो भागों कौशल व्यवहार और समस्यात्मक व्यवहारों में बँटा है। (सत्य/असत्य)
17. FACP, MDPS, BASIC MR तीनों ही का बच्चे की प्रगति रिपोर्ट का प्रावधान है। (सत्य/असत्य)
18. MDPS के आइटम कठिनता के विकासात्मक क्रम में रखे गए हैं।(सत्य/असत्य)
19. MDPS का विकास रीता पेषवरिया ने किया था। (सत्य/असत्य)
20. FACP NIMH द्वारा विकसित टूल है।(सत्य/असत्य)

20.5 मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता युक्त बालकों का शिक्षण एवं प्राशिक्षण

मानसिक मंदता /बौद्धिक अक्षमता युक्त बालकों के शिक्षण के सिद्धांत

व्यवहार लक्ष्य कितना भी विशिष्ट हो, प्रषिक्षण पद्धति कोई भी प्रयोग में लाई जाय, मानसिक मंदता ध् बौद्धिक अक्षमता युक्त बालकों के शिक्षण के लिए हमें लक्ष्यों का चयन करते समय निम्नलिखित सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिएरू

1. **सरल से जटिल की ओर (Simple to Complex)-** मनसिक मंद बच्चों को पढ़ाने की योजना में सदा सरल से जटिल की ओर बढना चाहिए। जब सरल चरणों से प्रारम्भ करेंगे तो बच्चे को सफलता अवष्य मिलेगी। सफलता से बच्चा और कठिन कार्य करने के लिए प्रेरित होगा। उदाहरण के लिए- रंगों के नाम बताने से रंगों को जोड़ना आसान होगा। उसी प्रकार पहले सार्थक रूप से गिनना आसान है और बाद में जोड़ना और घटाना आदि जटिल है।

2. **परिचित से अपरिचित की ओर (Known to unknown)**- मनसिक मंद बच्चों को उनके परिचित कार्य सिखाना हमेषा सार्थक होगा। बाद में और धीरे-धीरे अपरिचित कार्यो को सिखाना उचित होगा। उदाहरण के लिए-ये दो क्रियायें-कमीज पहनने और बटन लगाने में यदि बच्चा कमीज पहनना जानता है तो उसे वही क्रिया करवाएँ और बाद में बटन लगाना सिखाएँ।
3. **मूर्त से अमूर्त की ओर (Concrete to abstract)-** अधिकतर मानसिक मंद बच्चे अमूर्त प्रत्ययों को सीखने में कठिनाई का सामना करते है। उनको मूर्त वस्तुयें आसानी से समझ में आ जाती है। उदाहरण के लिए गणित में योग सिखाने के लिए प्रारम्भ में मानसिक मंद बच्चो को मूर्त पदार्थों के सहारे ही सिखाना होगा और बाद में 'मानसिक स्तर' पर गणित में योग सिखाया जा सकता है।
4. **सम्पूर्ण से अंश (सामान्य से विशेष) की ओर (Whole to Part)** - मनसिक मंद बच्चो के सामने कोई भी कार्य उसके सम्पूर्ण रूप में बताये जाने चाहिए और बाद में धीरे-धीरे उनके भागों की अलग-अलग जानकारी देनी चाहिए। जैसे-बच्चों को शरीर के भागों या अवयवों के बारे में बताने के लिए प्रारम्भ से शरीर के भागों जैसे आंख, कान, नाक, आदि का ज्ञान कराये फिर उनको सूक्ष्म भागों की जानकारी दे सकते है। जैसे भौह पलक आदि।
5. मनोवैज्ञानिकता से तार्किकता की ओर **(Psychological to logical)**- मानसिक मंदता युक्ता बालकों को पहले कोई भी काम मनोवैज्ञानिक विकास के क्रम से सिखाया जाना चाहिए बाद में उसे विभिन्न तार्किक चीजें सिखाई जा सकती है. कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चे की सिखाते समय उसके मनोवैज्ञानिक विकास के क्रमका ध्यान रखना चाहिए उदहारण के लिए बच्चा पहले नकल कर के बोलना सीखता है और बाद में अक्षर ज्ञान और लिखना सीखता है अतः कोई भी शब्द पहले बोलना और तब लिखना सिखाया जाना चाहिए

दीर्घावधि लक्ष्य/ लम्बी अवधि लक्ष्य (Long Term Goals)

पूरे शैक्षिक वर्ष में कार्यान्वित किए जाने वाले पूर्वनियोजित निदेर्षों को दीर्घावधि लक्ष्य कहा जाता है। दूसरे शब्दों में लम्बी अवधि लक्ष्य बालक विषेष से अपेक्षित उपलब्धियाँ या सफल प्रयत्न को दर्षाते हैं। लम्बी अवधि लक्ष्य को वार्षिक लक्ष्य भी कहते है। वर्ष के अंत में मूल्यांकन में यदि यह पाया जाता है कि बच्चे ने वे लक्ष्य प्राप्त कर लिये है तो उसके लिए फिर नये लक्ष्य निर्धारित किये जायेंगे। यदि बच्चे की प्रगति उपयुक्त नहीं पायी गयी तो, उसी लक्ष्य को अगली अवधि तक ले जाया जाता है जब तक बच्चा उस पर सफलता न हासिल कर ले।

दीर्घावधि लक्ष्यों का चयन

i. लम्बी अवधि लक्ष्य के चयन के दौरान निम्नलिखित बातें ध्यान में चाहिएः
ii. बच्चे द्वारा पिछली उपलब्धियों सफलताओ की जानकारी
iii. बच्चे की वर्तमान योग्यता, या कर पाने की क्षमता

iv. चयन किय हुए लम्बी अवधि लक्ष्य को प्राप्त करने की व्यवहारिकता अथवा क्रियात्मकता जो कि, दैनिक जीवन में सहायता करती है।
v. बच्चे की आवश्यक तायें और लम्बी अवधि लक्ष्य से उनका साहचर्य।
vi. आवश्यक समय औ साधनों की उपलब्धता जिससे बच्चा लक्ष्य को एक वर्ष में प्राप्त कर पाए।
vii. बालक के सीखने की गति और निर्धारित लक्ष्यों में सामंजस्य
viii. बच्चे की मंदता का स्तर और उसके दीर्घावधि लक्ष्यों में सामंजस्य

अल्पावधि लक्ष्य/व्यावहारिक उद्देश्य /विशिष्ट उद्देश्य (Specific/Behavioral Objectives)

अल्पावधि लक्ष्यों को व्यावहारिक उद्देश्य अथवा विशिष्ट उद्देश्य भी कहते हैं। ये दीर्घावधि लक्ष्य के वे छोटे-छोटे भाग है जिन्हें अपेक्षाकृत लघु अवधि में प्राप्त किया जा सकता है। स्पष्ट रूप से समझने के लिए, विशिष्ट उद्देश्य , वार्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के रास्ते के 'मील के पत्थर' के समान हैं।

दीर्घावधि लक्ष्यों का प्रायः एक साल बाद पुर्ननिरीक्षण किया जाता है और उस समय बच्चे की प्रगति का आकलन कर के तदनुसार उसमें परिवर्तन पर विचार किया जाता है। अल्प अवधि लक्ष्यों को आवश्यक ता पड़ने पर या दो या तीन महीनों के अंतराल के बार मुल्यांकन किया जाता है और यदि बच्चे की प्रगति संतोष जनक हो तो अगला विशिष्ट उद्देश्य बच्चे के लिए निर्धारित करते है।

अल्प अवधि लक्ष्य/व्यवहार उद्देश्यों का चयन

अल्पावधि/विशिष्ट /व्यवहारिक उद्देश्यों का चयन करते समय निम्नलिखित सिद्धान्तों को ध्यान में रखना चाहिएः

i. व्यवहार उद्देश्य का चयन बच्चे की योग्यता, उम्र, उसकी विशिष्ट आवश्यकताएँ, लिंग उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि और वर्तमान स्तर को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। उदाहरण के लिए-बच्चे को खरीददारी का कौशल तभी सिखाना चाहिए, जब उसे अंको का ज्ञान हो।
ii. ऐसे व्यवहारिक उद्देश्यों का चयन किया जाना चाहिए जो कि, क्रियात्मक रूप से एक मानविक मंद बालक के दैनिक जीवन में प्रासंगिक और उपयोगी हो।
iii. व्यावहारिक उद्देश्यों का चयन करते समय समयावधि का ध्यान आवश्यक है। यदि आप ऐसे व्यावहारिक उद्देश्यों का चयन करेंगे जो तय समय सीमा में पूरे नहीं किये जा सके तो आपको एवं आपके साथ साथ बच्चे को भी असफलता की वजह से मानसिक तनाव होगा।
iv. विकास के क्रम में पहले आने वाले व्यवहारों को पहले और बाद में आने वाले व्यवहारों को बाद में लेना चाहिए।

नीचे का उदाहरण लम्बी अवधि लक्ष्य और अल्प अवधि के बीच के अंतर को स्पष्ट करता है।

सोहनलाल 16 साल बौद्धिक अक्षमता युक्त बालक है। कौन से व्यवहार वह कर पाता है और कौन से नही कर पाता, ये जानने के लिए शिक्षक ने बेसिक एम. आर. की सहायता ली और उसके आधार पर उसने ने नीचे दिए गए वार्षिक उद्देश्य बनाए

i. स्वय सेवा कुशलताएँ
ii. पढ़ने-लिखने की कुशलताएँ

सोहनलाल के लिए उसकी लम्बी अवधि के लक्ष्यों में चुने गए अल्प अवधि लक्ष्य इस प्रकार थेरू

i. स्वयं सेवा कुशलताएँ
   (क) चप्पल पहनना
ii. पढ़ने लिखने की कुशलताएँ
   (क) वस्तुओं को चित्र के साथ मिलाना
   (ख) चौकोन का चित्र बनाना

इन लम्बी अवधि या अल्प अवधि लक्ष्यों की संख्या बालक की वर्तमान योग्यता और साथ ही साथ शिक्षक को उपलब्ध साधनों पर निर्भर करती है।

मानसिक मंदता युक्त बालकों को सिखाने के लिए प्रायः स्किनर द्वारा प्रतिपादित क्रिया-प्रसुत अनुबंधन्वाद में सुझाई गई विधियाँ यथा चौनिंग शापिंग, पुनर्बलन, विलोपन आदि प्रयुक्त किये जाते हैं लेखक आशा करता है की क्रिया प्रसुत अनुबंधन का स्किनर का सिद्धांत आप सिखने के सिद्धांत खंड में चुके ह

यहाँ पर हम इन विधिओं का वर्णन मानसिक मंदता में विस्तृत रूप से करेंगे

कार्य विश्लेषण (Task Analysis)

कार्य विश्लेषण का सामान्य अर्थ है किसी बड़े, जटिल कार्य को छोटे-छोटे खंडो में बाँटना तथा उसे एक तार्किक क्रम में जोड़ना। मैकार्थी (1987) के अनुसार कार्य विश्लेषण षिक्षण की एक तकनीक है जिसमे किसी कार्य को षिक्षण योग्य खंडो में बांटकर उसे क्रमबद्ध किया जाता है। जैसे जैसे बच्चा छोटे-छोटे खंडो को सीखना है, वह उस कार्य को स्वतंत्र रूप से कर पाने में सक्षम होता जाता है।

उदाहरण के लिए यदि किसी बौद्धिक असमता युक्त बालक को हमें ब्रष करना सिखाना हो तो उसके लिए ‘ब्रष करना’ कार्य को निम्नांकित छोटे छोटे भागों में बाँट सकते है।

i. टूथ पेस्ट का ट्यब बायें हाथ में लेना
ii. दाये हाथ से ढक्कन खोलना

iii. बाये हाथ से ब्रश पकड़ना
iv. टूथ पेस्ट ट्यब को दबाना
v. टूथ पेस्ट ट्यब से आवश्यकतानुसार पेस्ट निकालना
vi. टूथ पेस्ट ब्रश पर लगाना
vii. ट्यूब बंद करना उसे यथा-स्थान रखना
viii. ब्रश दांतों पर बायें से दायें एवं दायें से बायें हल्के दबाव के साथ थोड़ी देर घुमाना
ix. नल के पास जाना
x. नल की टोंटी खोलना
xi. पानी मुँह में लेकर चार पाँच बार कुल्ला करना
xii. ब्रश को धोना
xiii. ब्रश को यथा स्थान रखना

यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य है कि किसी कार्य को कितने उपखंडों में बांटा जाये यह बच्चे की क्षमता, कार्य की प्रकृति और बच्चे के सीखने की गति पर निर्भर करता है। किसी कार्य के उपखंड को भी बालक की आवश्यक तानुसार पुनः उपखंडों में विभाजित किया जा सकता है।

श्रंखलाबद्धता (चेनिंग)

हमने देखा कि, कई जटिल व्यवहार मानसिक मंद बच्चो को सिखाए जा सकते हैं यदि उन व्यवहारों को सरल और छोट-छोटे टुकड़ों में बाँट कर सिखाया जाए। श्रंखलाबद्धता का सामान्य अर्थ है किसी बड़े, जटिल कार्य के छोटे-छोटे खंडो को एक तार्किक क्रम में जोड़ना। श्रंखलाबद्धता पद्धति का प्रयोग दो प्रकार से किया जा सकता है अग्र श्रंखलाबद्धता **(Forward Chaining)** और पश्च श्रंखलाबद्धता **(Backward Chaining)**। अग्र श्रंखलाबद्धता **(Forward Chaining)** में पहला उपकार्य पहले और आखिर का सबसे अंत में सिखाते हैं जबकि पश्च श्रंखलाबद्धता **(Backward Chaining)** में सबसे आखिरी कार्य पहले और सबसे पहला कार्य अंत में सिखाते हैं । सामान्यतः पढ़ने सम्बन्धी कार्यों में अग्र श्रंखलाबद्धता का प्रयोग करते हैं और स्वसहायता कौसल सिखाने में पश्च श्रंखलाबद्धता का। जैसे यदि कोई बच्चा पैंट पहनना सीख रहा हो तो पहले हम उसे पैंट की जिप बंद करना सिखायेंगे फिर उसे पैंट को घुटनों से ऊपर करना सिखायेंगे और सबसे अंत में पैंट को पावों में डालना सिखायेंगे पश्च का लाभ यह है कि इस से बच्चे को खुशी मिलती है कि उसने कार्य करना सीख लिया।

श्रंखलाबद्धता के प्रयोग के निर्देश

i. लक्ष्य व्यवहार तक पहुँचने के लिए जिन छोटे-छोटे चरणों को सीखते हुए आगे बढ़ना है, उनका वर्णन करें।

ii. यदि एक व्यवहार उद्देश्य पाँच क्रमबद्ध चरणों में बाँटा गया है तब इसके लिए आप पहले चरण को सिखायेंगे, फिर दूसरे को और तब दोनो चरणों में उचित संबन्ध भी दर्शायेंगे। इसी प्रकार जब तीसरा चरण सिखाएंगे तो दूसरे और तीसरे चरण में स्वाभाविक सबन्ध अवष्य दर्षाए। आगे इसी प्रकार प्रत्येक चरण को आपस में संबन्धित करते हुए दूसरे की कड़ी को मजबूत करते हुए व्यवहार लक्ष्य पूरा किया जा सकता है।
iii. प्रत्येक चरण पर उचित पुरस्कार दे।
iv. मानसिक मंद बच्चो को स्वयं सेवा क्रियाओ को सिखाने के लिए बैकवर्ड चेनिंग का प्रयोग करें।
v. श्रंखला में जिस क्रम में चरण बनाए गए हो उन्ही चरणों में बच्चो को सिखाएँ।
vi. अगले चरण की ओर तभी बढ़े जब उसने पहले चरण को सीख लिया हो।

शेपिंग (Shaping)

शेपिंग का सामान्य अर्थ है अकार देना अर्थात शेपिंग मानसिक मंदता युक्त बालकों के शिक्षण की वह विधि है जिसमे शिक्षक बालक के लक्षोंनमुख हर सफल प्रयास को तबतक प्रोत्साहित करता रहता है जब तक की लक्ष्य व्यव्हार प्राप्त न कर लिया जाये। शिक्षकों को मानसिक मंद बच्चों को ऐसे कुछ व्यवहार सिखाने पड़ते है जिसे बच्चे ने कभी न किये हो। ऐसे व्यवहारों को सिखाने में शेपिंग की विधि अत्यंत प्रभावी सिद्ध हो सकती है। शेपिंग में बच्चे द्वारा दिखाए गए थोड़े परिवर्तन पर भी ध्यान देना और पुरस्कृत करना होगा, जिससे लक्ष्य व्यवहार की ओर बढने में बच्चे को उत्साह मिलता रहे। मानसिक मंद बच्चों के प्रषिक्षण के लिए शेपिंग के प्रयोग से बच्चे और शिक्षक दोनो की निराषा की भावना कम की जा सकती है। षिक्षण आनन्द दायक हो जाता है क्योंकि, बच्चे अपने थोड़े से प्रगति के लिए भी प्रोत्साहन पाते है।

उदाहरण के लिए यदि एक बच्चा ‘‘पानी’’ नही बोल पाता है, परन्तु उसके निकट कुछ ‘‘पा पा’’ जैसा बोल लेता है तो शेपिंग पद्धति का प्रयोग कर कदम पर कदम उसे ‘‘पा पा’’-- पाई’’ कहलाते या बुलाते हुए अन्ततः ‘‘पानी’’ बुलवा सकेंगे।

शेपिंग पद्धति को प्रभावी ढंग से प्रयोग में लाने के निर्देश

i. व्यवहार प्रषिक्षण के लिए शेपिंग के साथ अन्य पद्धतियों, जैसे प्रोत्साहन, श्रंखलाबद्धता, फेडिंग और मॉडलिग के साथ करें।
ii. शेपिंग के कदम या चरण इतने बड़े न हो कि बच्चा उसे पूरा ही न कर सकें, और आगे वाले कदम पर न पहुँच पाए साथ ही इतना छोटा न हो कि, अनावष्यक समय बरबाद हो।
iii. शेपिंग पद्धति के किसी भी समय चरणों के आकार में परिवर्तन के लिए तैयार रहे। यह बच्चे की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा।

शेपिंग प्रक्रिया के चरण

i. लक्ष्य व्यवहार चुने।
ii. बच्चे के उस प्रारम्भिक व्यवहार को चुने जो लक्ष्य व्यवहार से किसी रूप से मिलता हो।
iii. प्रभावकारी पुरस्कार का चयन करें।
iv. प्रारम्भिक व्यवहार को पुरस्कृत तब तक करते रहे जब तक वह बार-बार न आने लगे।
v. लक्ष्य व्यवहार से मिलता जुलता कोई भी प्रयास पुरस्कृत करते रहे।
vi. लक्ष्य व्यवहार जब जब आता है, पुरस्कृत करते रहें।
vii. लक्ष्य व्यवहार को कभी कभी पुरस्कृत करें।

एक गोलाकार आकृति खीचना सीखाने के पद्धति या प्रक्रिया के प्रत्येक कदम को नीचे के उदाहरण मे दर्षाया गया है।

शेपिंग प्रक्रिया का उदाहरण

i. ऐसा व्यवहार चुने जिसे बच्चा पहले से कर रहा हो, और जो लक्ष्य व्यवहार से मिलता हो। यदि आप का लक्ष्य है बच्चे को गोलाकार आकृति बनाना सिखाना, और बच्चा पेन्सिल पकड़ लेता है, कागज पर कुछ लकीरें बना लेता है, तब आप शेपिंग पद्धति का प्रयोग कर सकते है।
ii. बच्चे के साथ, उसके स्तर पर काम करना प्रारम्भ करे, और पुरस्कार दे। इससे बच्चे को मालूम हो जाएगा कि, उसके ऐसा करने से पुरस्कार मिलता है। प्रस्तुत उदाहरण मे यदि बच्चा लकीरे घसीटता है तो उसे पुरस्कृत करें।
iii. अब बच्चे को पहले से परिचित व्यवहार से थोड़ा आगे बढ़ाते हुए कुछ गोलाकार या अर्ध गोलाकार रेखाये बनाना सिखाये, पुरस्कृत करते रहे।
iv. अब बच्चे को लकीरे घसीटने पर कोई पुरस्कार ने दे। पुरस्कृत तभी करे जब बच्चा गोलाकार जैसी आकृति बनाएँ।

मॉडलिंग या अनुकरणत्मक सीखना

जाने अनजाने हम सभी, बहुत से अपने व्यवहार अनुकरण द्वारा सीखते या अर्जित करते है। बच्चे भी अपने अनेक व्यवहार दूसरो को देख-देख कर सीखते रहते है। बच्चे उन लोगों को अनुकरण अधिक करते है जिन्हे वे अधिक महत्व देते है, जैसे, शिक्षक , माँ-बाप, दोस्त, फिल्म या टी.वी. सितारे, आदि। सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक अल्बर्ट बन्डूरा के सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के अनुसार बच्चे अधिकांश सामाजिक व्यव्हार अनुकरण करके सीख जाते हैं । इसी सिधांत का प्रयोग करके मॉडलिंग की विधि द्वारा भी कई व्यव्हार मानसिक मंदता युक्त बालकों को सिखाये जा सकते हैं। यदि मॉडलिंग पद्धति का उचित प्रयोग करें, तो यह प्रभावकारी व्यवहार परिवर्तन ला सकता है। इसका कक्षा व स्कूल में बराबर प्रयोग किया जा सकता है।

बच्चो को नए व्यवहार सिखाने के लिए उन्हें दिखायें कि, वह व्यवहार कैसे होता है? कैसे किया जाता हे? और यदि बच्चा उसका अनुकरण करे, तो ऐसी विधि को मॉडलिंग कहेंगे। इस विधि का प्रयोग नए व्यवहार को सिखाने और सीखे हुए व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए किया जा सकता है।

सहायता करना अथवा प्रोम्पटिंग (Prompting)

किसी भी क्रिया या व्यवहार कुशलता को सीखने के लिए प्रायः सभी को निर्देश , सलाह, या मदद की आवश्यक ता पड़ती है। मानसिक मंद बच्चे इस प्रकार की मदद अपने उमर के सामान्य लोगों से कही अधिक चाहते है। प्रांप्ट का सामान्य अर्थ है सहायता करना। कई बार मानसिक मन्दता युक्त बालक किसी क्रिया को कर पाने में कठिनाई महसूस करते हैं ऐसे में उन्हें जरुरत के मुताबिक विभिन प्रकार की सहायता उपलब्ध कराइ जा सकती है और बाद में जैसे जैसे बालक उसे करने में स्वतंत्र हो वैसे वैसे हम धीरे धीरे सहायता को कम करते जा सकते हैं ताकि बच्चा उस कार्य को स्वतंत्र रूप से करने में सक्षम हो सके।

सहायता करना अथवा प्रोम्पटिंग (Prompting) के प्रकार

किसी भी व्यवहार के संदर्भ में प्रत्येक मानसिक मंद बालक की कार्य कुषलता का स्तर अलग-अलग होगा। कार्य कुषलता के वर्ततान स्तर के आधार पर हम प्रॉम्प्ट को तीन प्रमुख भागों में रख सकते है। बच्चे को क्रिया सिखाने के लिए इनमें से उपयुक्त प्रॉम्प्ट को चुन उसका प्रयोग किया जा सकता है।

i. **शारीरिक सहायता (Physical Prompt or PP)-** कुछ बच्चे किसी काम को पूरा कर पाने के लिए शारीरिक सहायता प्रॉम्प्ट चाहते है। ऐसी स्थिति मे शिक्षक को बालक का हाथ पकड़ उसे व्यवहार विषेष को किसी हद तक कर पाने मे मदद करनी पड़ती है। जैसे-बटन लगाना, पेन्सिल से लिख पाना या रस्सी से कुदना आदि के लिए बच्चो को हाथ का सहारा देना पड़ सकता है। किसी नए व्यवहार को सिखाने के प्रारम्भिक अवस्था से इस प्रकार के भौतिक प्रॉम्प्ट की अक्सर आवश्यक ता होती है। इस पद्धति में शिक्षक बालक के बहुत करीब रहता है जिससे उसे शारीरिक सहायता दे सके।

ii. **शाब्दिक सहायता (Verbal Prompt or VP)-** कुछ बच्चे, अपने व्यवहार को सफलता पूर्वक पूरा करने के लिए केवल शाब्दिक निर्देश ही चाहते है, जिसकी सहायता से कार्य पूरा कर पाते है। उदाहरण के लिए-यदि शिक्षक , बालक को बटन खोलना सिखाना चाहते हैं तो बच्चे से कहेंगे ‘‘बटन को अपनी ऊँगलियों से पकड़ों... दूसरे हाथ से कमीज के काज वाले सिरे को पकड़ो... अब बटन को उसके नीचे वाले छेद से बाहर निकालो...’’ इस उदाहरण में शिक्षक प्रॉम्प्ट विधि का प्रयोग करते हुए बच्चे को क्रिया के प्रत्येक चरणों में निर्देश देते जा रहे है और यह तब तक होता रहेगा जब तक वह क्रिया लक्ष्य व्यवहार को पूरा न कर लें।

सहायता के अन्य प्रकारों में इशारे द्वारा सहायता **(Gestural Prompt or GP)** और संकेत **Occasional Clue or OC)** भी शामिल है परन्तु हम विभिन प्रांप्ट के मिश्रित प्रयोग भी कर सकते हैं।

प्रॉम्प्ट के चुनाव व प्रयोग

i. प्रॉम्प्ट उसी हालत मे देना है जब बच्चा लक्ष्य व्यवहार को अपेक्षित प्रकार से न कर पा रहा हो।
ii. प्रॉम्प्ट जितना कम समय का हो उचित व प्रभावकारी होगा।
iii. प्रॉम्प्ट जितना स्वाभाविक व बच्चे की भाषा में होना चाहिए जिसे वह समझ पाए। जब आप शाब्दिक और सांकेतिक प्रॉम्प्ट का प्रयोग कर रहे है तो इसका अधिक ध्यान रखें।
iv. ऐसे, प्रॉम्प्ट का चयन करे जो शीघ्र ही बच्चे को स्वावलम्बी बना पाए और बालक लक्ष्य व्यवहार अपने आप करने लगे।
v. सीखने की क्रिया को प्रभावकारी बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रॉम्प्ट का मिश्रित प्रयोगे करें।
vi. जितनी जल्दी हो प्रॉम्प्ट हो हटाने की कोषिष करें। धीरे-धीरे भौतिक प्रॉम्प्ट को कम करें। जब बच्चा व्यवहार करने लगे, फिर शाब्दिक और फिर सांकेतिक प्रॉम्प्ट देना कम से कम कर दे।

पुनर्बलन (Reinforcement)

पुनर्बलन का सामान्य अर्थ है किसी क्रिया के बाद उस उद्दीपक को प्रस्तुत करना जो क्रिया की दर एवं उसकी आवृत्ति को बढ़ा दे। जो उद्दीपक क्रिया की दर को बढ़ाता है। उसे पुनबैलक कहते हैं पुर्बलन का प्रयोग यूं तो सभी बालकों के षिक्षण में किया जाना चाहिए परंतु मानसिक मंदता युक्त बालकों के षिक्षण संदर्भ में यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। चूंकि मानसिक मंदतायुक्त बालकों का अभिप्रेरणा स्तर कम होना है। अतः उनकी कार्य में रुचि बनाए रखने हेतु उपयुक्त पुनर्बलन का प्रयोग सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए।

पुनर्बलन के मुख्यतः दो प्रकार हैं:

i. सकारात्मक पुनर्बलन **(Positive Reinforcement)**
ii. नकारात्मक पुनर्बलन **(Negative Reinforcement)**

सकारात्मक पुनर्बलन का तात्पर्य है किसी 'वांछनीय व्यवहार' के तुरंत बाद कोई सकारात्मक उद्दीपक भेंट करना जिससे प्रतिक्रिया की दर और आवृत्ति बढ़े; जैसे-किसी बालक को वांछनीय व्यवहार के बाद चॉकलेट/बिस्किट देना या 'षाबास' आदि कहना।

नकारात्मक पुनर्बलन का तात्पर्य है किसी वाछंनीय व्यवहार के तुरंत बाद कोई नकारात्मक उद्दीपक वातावरण से हटा लेना जिससे वांछनीय व्यवहार की दर और आवृत्ति बढ़े; जैसे-गृहकार्य पूरा कर लेने के बाद किसी बालक को खेलने जाने की इजाजत देना।

अक्सर नकारात्मक पुर्बलन एवं दंड का समान होने का भ्रम होता है परंतु नकारात्मक पुनर्बलन दंड से अलग। 'दंड' की स्थिति में, बच्चे के किसी अवांछनीय व्यवहार के बाद 'नकारात्मक/दुखदायक **(Aversive)** उद्दीपक भेंट किया जाता है ताकि अवांछनीय व्यवहार में कमी आए; जैसे-किसी बच्चे को देर से आने पर कक्षा से बाहर निकाल देना। पुनर्बलन सकारात्मक हो या नकारात्मक वाछंनीय व्यवहार में वृद्धि करता है

जबकि दंड अवांछनीय व्यवहार को कम करता है। एक उदाहरण के द्वारा तीनों का अंतर स्पष्ट किया जा सकता है। यदि शिक्षक गृहकार्य पूरा करने पर बालक को खेलने का अतिरिक्त समय देता है तो यह सकारात्मक पुनर्बलन होगा।

यदि गृहकार्य पूरा न करने की स्थिति में शिक्षक छात्र को कहता है कि तुम तभी खेलने जाओगे जब गृहकार्य पूरा कर लोगे। यह नकारात्मक पुनर्बलन है। यदि शिक्षक कहता है कि चूंकि तुमने गृहकार्य नहीं किया है इसलिए तुम आज खेलने नहीं जाओगे यह दंड है।

ध्यान दें उपरोक्त उदाहरण में नकारात्मक पुनर्बलन में बच्चे के पास अपनी गलती सुधारने का अवसर है जबकि दंड में ऐसा नहीं है।
पुनर्बलन के संदर्भ में विस्तृत जानकारी हेतु स्किनर का ऑपरेंट कंडीसनिंग का सिद्धांत देखिए। स्थान की कमी की वजह से यहाँ पुनर्बलन की सिर्फ संक्षिप्त चर्चा की गई है।

अभ्यास प्रश्न

21. प्राम्प्ट का सामान्य अर्थ है 'सहायता'। (सत्य/असत्य)
22. 'चेनिंग' और कार्य विश्लेषण , मानसिक मंदता युक्त बालकों के षिक्षण की तकनीक है। (सत्य/असत्य)
23. मनसिक मंद बालक अमूर्त से मूर्त की ओर सीखते हैं। (सत्य/असत्य)
24. 'मॉडलिंग' की विधि सामाजिक अधिगम के अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत पर आधारित है। (सत्य/असत्य)
25. विभिन्न प्रकार के प्राम्प्ट्स का धीरे-धीरे विलोपन किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं। (सत्य/असत्य)

20.7 सारांश

इकाई संख्या (20) में आपने मानसिक मंदता के स्क्रीनिंग मंतद के स्क्रीनिंग एवं पहचान के बारे में और उसमें प्रयोग किए जा रहे जांच सूचियों के बारे में पढ़ा। स्क्रीनिंग का तात्पर्य है विभिन्न लक्षणों के आधार पर मानसिक मंदता संभावित व्यक्तियों की पहचान करना ताकि उन्हें मानसिक मंदता से संबद्ध आवश्यक जांच के लिए व्यवहारों के आधार पर राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान ने मानसिक मंदता की प्रारंभिक जांच सूची बनाई है जिसके आधार पर मानसिक मंदता संभावित व्यक्तियों की पहचान की जा सकती है। इसके अतिरिक्त आपने परीक्षण और उसके प्रकार देखें और पढ़ा कि परीक्षण का तात्पर्य किसी व्यक्ति के बारे में सूचनाएं एकत्र करना, उनका विश्लेषण करना एवं रिकार्ड रखना है ताकि व्यक्ति के बारे में प्रषासनिक शैक्षणिक निर्णय लिए जा सकें। इसके अलावा, भारतीय परिप्रेक्ष्य में मानसिक मंदता के परीक्षण के लिए प्रयोग किए जा

रहे विभिन्न टूलों FACP, MDPS तथा BASIC (MR)के बारे में विस्तार से पढ़ा। आगे आपने मानसिक मंदता युक्त बालकों के लिए व्यक्तिगत कार्य योजना के अंतर्गत दीर्घवधि लक्ष्य एवं विशिष्ट उद्देश्य का अध्ययन किया साथ ही मानसिक मंदता युक्त बालकों के षिक्षण में प्रयुक्त विभिन्न तकनीको यथा कार्य विश्लेषण , चेनिंग (फॉरवर्ड एवं बैकवर्ड), प्रॉम्पटिंग, एवं पुनर्बलन (सकारात्मक एवं नकारात्मक) के बारे में पढ़ा।

अगली इकाई संख्या (21) में आप मानसिक मंद बालको की समावेषी, समेकित, एवं विषेष षिक्षा; जैसे- षैक्षिण नियोजन के विकल्प एवं उनके गुण दोष तथा मानसिक मंदता युक्त बालकों के षिक्षण में विषेषज्ञ एवं सामान्य शिक्षक की विभिन्न भूमिकाओं के बारे में पढ़ेंगे।

20.8 शब्दावली एवं शब्द विस्तार

1. ABS: Adaptive Behaviour Scale
2. BASIC MR: Behavioral Assessment Scale for Indian Children with Mental Retardation
3. CRT: Criterion Reference Test
4. DST: Development Screening Test
5. FACP: Functional Assessment Checklist for Programming
6. IEP: Individualized Education Program
7. GP: Gestural Prompt
8. MDPS: Madras Developmental Programming System
9. NRT: Norm Reference Test
10. OC: Occasional Clues
11. PP: Physical Prompt
12. VP: Verbal prompt
13. VSMS: Vineland Social Maturity Scale
14. WAIS: Weshchler Adult Intelligence Scale
15. WISC: Weshchler Intelligence Scale for Children

20.9 संदर्भ ग्रंथ सूची

1. नारायण, जे. एन्ड कुट्टी, ए.टी.टी. (1989) हेन्डबुक फॉर द ट्रेनरस ऑफ द मेंअली रीडरडेड परसनस सिकन्दराबाद, एनआईएमएच.
2. मडरीडि, वी. एन्ड नारायण, जे. (1998) फंकसनल ऐकेडेमिक्स फोर स्ूअ्टेन्टस विथ मेंअल रीटारडेषन-ए नाईड फोर टीचरस, सिकन्दराबाद, एनआईएमएच.
3. माक्कार्थी, एफ.ई. (1987) टास्क ऐनअलाईसिस. इन सी.आर. रीनोल्डस एन्ड एल. मान (इडस.) ऐनसाइक्लोपीडिया ऑफ स्पेषल एडयूकेन, वोल्यूम. 3. न्यूयोर्क: डॉनवीले एन्ड सन्स.
4. येस्लडिक, जे.ई. एन्ड सलविया, जे. (1974) डाइग्नोस्टिक प्रीस्क्रिपटिव टीचिंग: टू मॉडल्स एक्सैष्पनल चिल्ड्रन 41, 181-185.
5. वल्लेस, जी. एन्ड लारसेन, एस.सी. (1978) एड्यूकेषनल असेसमैन्ट ऑफ लर्निंग प्रोब्लेम्स टेस्टिंग फॉर टीचिंग बोस्टन: ऐलीन एन्ड बैकन.
6. जयचंदन पी. एवं विमला वी., (1968), एम.डी.पी. एस. टीचर्स मैनुअल, विजय ह्यूमन सर्विसेज,।
7. पेषवारिया आर. (2007), वेंकटेषन एस. (2007), बेसिक एम.आर. टीचर्स मैनुअल, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद।
8. टी. माधवन एवं अन्य (1994), मानसिक मंदन: मनौवैज्ञानिकों के लिए नियम पुस्तक, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद।
9. रीता पेषावारिया, एस. वेंकटेषन (1999), मानसिक मंद बच्चों के षिक्षण की व्यावहारिक पद्धति के लिए पुस्तिका, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद।
10. नारायण जे. (1989), नियमित विद्यालय में विषेष कक्षा की व्यवस्था राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद।
11. डॉ0पर्सा ए.जे. एवं अन्य (2003), रैपिड 'विकलांगताओं की पहचान के लिए प्रयास एवं प्रोग्रामिंग', राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकंदराबाद।
12. मायरेड्डी वी. (1998), नारायण जे., फंक्शनल ऐकैडमिक्स फॉर द मेंटली हैंडीकैप्ड।
13. मयरेड्डी वी. अन्य (1987), ए गाइड फॉर एजुकेटिंग मेनस्ट्रीम्ड स्टूडेंट एलन एंड बेकन, लंदन।
14. डॉ0नारायण जे. एवं अन्य (2003), एजुकेटिंग चिल्ड्रेन विथ लर्निंग प्रॉबलम्स इन प्राइमरी स्कूल।
15. डॉ0नारायण जे. श्रेसियाकुट्टी ए.टी. (1990), स्वावलंबन शृंखला 7, कपड़े पहना, रास्ट्रीय।
16. पॉल एस. (1966), ए रिसोर्स गाइड फॉर टीचर्स ऑफ एजुकेबल मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रेन मिनिसोटा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन , मिनिसोटा।

20.10 निबंधात्मक प्रश्न

1. मानसिक मंदता की स्क्रीनिंग एवं पहचान आप कैसे करेंगे?

2. मानसिक मंदता के परीक्षण एवं कार्य योजना के लिए भारतीय परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत दो टूलों का संक्षिप्त विवरण दें।
3. परीक्षण (Assessment) से आप क्या समझते हैं? इसके उद्देश्य एवं विभिन्न प्रकार बताइए।
4. व्यक्तिगत षिक्षण योजना क्या है? इसके विभिन्न अवयवों की विस्तृत व्याख्या कीजिए।
5. मानसिक मंद बालकों षिक्षण विभिन्न तकनीकों की संक्षिप्त चर्चा करें।
6. कार्य विश्लेषण क्या है? एक मानसिक मंदता युक्त बालक को 'नहाना' सिखाने के लिए कार्य विश्लेषण कीजिए।
7. 'प्राम्पिटंग' (Prompting) क्या है? मानसिक मंदता युक्त बालकों के षिक्षण में प्रयुक्त विभिन्न प्रॉम्पट्स का विवरण दें।
8. मानसिक मंदता युक्त बालकों के विभिन्न षिक्षण सिद्धांतों की चर्चा करें।
9. चेंनिंग क्या है? और मानसिक मंद बालकों के षिक्षण में इसका क्या महत्व है? चेनिंग के विभिन्न प्रकारों का विवरण दें।
10. बच्चे के विकास के विभिन्न मील के पत्थरों को लिखें।

परिशिष्ट 1

मद्रास विकासात्मक प्रणाली के एक क्षेत्र का उदाहरण

3 भोजनकाल की क्रियाएं

1. मुलायम खाने को निगलता है जिसको चबाने की आवश्यकता नहीं होती है।
2. बिना गिराए पीता है, सहायता से कप या गिलास से पीता है।
3. आवश्यक खाद्य सामाग्री मुंह से काटता है।
4. खाने तथा न खाने वाले पदार्थों में भेद करता है।
5. उंगलियों से सूखे खने के टुकड़ों को पकड़ता है (बिस्कुट) तथा खाने को मुंह में रखता है।
6. ठोस खाने को चबाता है।
7. भरे गिलास को पकड़ता है तथा बिना गिराए पीता है।
8. खाना पकड़ने तथा मिलाने के लिये चम्मच/हाथ का प्रयोग करता है।
9. खाना मिलाता है तथा थोड़ा गिराये या बगैर गिराये खाता है।
10. अनाजों से तैयार खाना खाता है जैसे इडली, डोसा, पूरी (निवाले बनाने में उंगली प्रयोग करता है।)
11. सार्वजनिक स्थानों पर खाने के व्यवहारों में बिना ध्यान खींचे खाता है।
12. दलिया, पायसम (दूध में गोल गप्पे), आइसक्रीम थोड़ा गिराये या बगैर गिराये खाता है।
13. सभी सामान्य खाने के औजारों का प्रयोग करके पूर्ण खाना थोड़ा गिराये या बिना गिराये खाता है।
14. खाने के बाद प्लेट को कूड़े दान में खाली करके धोता है।
15. जब खाना दिया जाता है तो उचित मात्रा लेता है।
16. खाते समय विनम्रता से खाने का इन्तजार करता है तथा दूसरों के समाप्त करने तक इन्तजार करता है।
17. आवश्यक व्यवस्था करता है तथा परिवारिक माहौल में भोजन परोसता है।
18. सार्वजनिक स्थल में पीने के पानी की पहचान करके पीता है।
19. जब खाने के विभिन्न प्रकार के आइटम हो तो वह आवश्यक खाने का चुनाव करता है।
20. सार्वजनिक खाने की जगह में वह मंगाकर खाना खाता है।

परिशिष्ट 2

FACP **का एक उदाहरण**

क्र सं	क्रियाएं व्यक्तिगत	प्रथम वर्ष प्रवेश स्तर	1 स्तर	2 स्तर	3 स्तर	द्वितीय वर्ष प्रवेश स्तर	1 स्तर	2 स्तर	3 स्तर	तृतीय वर्ष प्रवेष स्तर	1 स्तर	2 स्तर	3 स्तर
1	ठोस भोजन जब मुंह में रखा जाता तो चबाता है और निगलता है।												
2	पानी/दूध/जूस के गिलास या कप को पकड़ता है और, पीता है।												
3	जब खाना मिलाकर दिया जाता है उंगलियों से अपने आप खाता है।												
4	पाटी पर बैठता है और बैठकर पेषाब या पाखाना करता है।												
5	मौखिक रूप से इंगित करता है या शौचालय जाने के लिए इशारे से बताता है।												
6	शौचालय प्रयोग के लिए नीचे के कपड़े उतारता है।												
7	छांतों को साफ करता है या तो उंगलियों से या ब्रष से पेस्ट या पाउडर के प्रयोग												

	से।												
8	स्नान करते समय सहयोग करता है जब कहा जाए हाथ/पैर बढ़ाना।												
9	कपड़ों को उतारता है जब बटन खोल दिए जाएं (जिसमें अंदर के कपड़े सम्मिलित हैं)												
10	नीचे के कपड़ों को पहनना।												
11	रूमाल से नाम साफ साफ करना।												
12	खाना खाने से पहले या शौचालय जाने के बाद या जब हाथ गंदे हो धुलना।												
13	नहाने के बाद तौलिए से सुखाना।												
14	संतरा, केला खाने से पहले छीलना।												
15	सहायक खाने को उचित प्रकार से खाना जैसे ब्रेड में जेम, चपाती और सीखा, इडली चटनी।												
16	मिलाता है तथा बगैर गिराए खाता है।												
17	हाथ और मुंह												

	धुलने के बाद तौलिए से सुखाता है।													
18	चप्पलें पहनता है।													
19	बगैर फीते/बकल के जूते पहनता है।													

कुंजी:- + है सही C कभी-कभी इशारे NA आवश्यक नहीं

NE = अवसर नहीं दिया गया PP = शारीरिक सहायता VP = मौखिक सहायता

GP = सांकेतिक सहायता M = मॉडल का प्रयोग& = नहीं अन्य किसी कोड का प्रयोग करें तो उसे लिखें।

परिशिष्ट 3

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान

सिकंदराबाद

व्यक्तिगत प्रशिक्षण कार्यक्रम

पंजीकरण सं0:-

कक्षा और रोल नं0:-

आई टी पी (व्य.प्र.का.):-

आई टी पी सं0:-

भाग क

1. नाम-
2. जन्म तिथि (आयु)-
3. लिंग-
4. पता-
5. मातृ भाषा-
   मानसिक विकलांग-
   बच्चे द्वारा बोली-
   जाने वाली भाषा-
   (भाषाएं)
6. विकलांग बच्चे के बरे में महत्वपूर्ण जानकारी-
7. सम्बद्ध परिस्थितियां और उपतारार्थ कहाँ भेजा गया, यदि कोई हो-
8. लक्ष्य-
9. कर्मचारी जिसका उत्तरदायित्व है-

प्रक्रिया

मूल्यांकन

1 2 3 4 5 6 7

अभ्युक्तियां/सामने आई समस्याएं

कर्मचारी के हस्ताक्षर

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान

सिकंदराबाद

एकीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम सं0:-

व्यक्ति प्रशिक्षण कार्यक्रम :-

कार्यक्रम बनाने की तारीख:-

मुल्यांकन की तारीख:-

उत्तरदायी कर्मचारी:-

भाग-'ख'

कौशल

वर्तमान स्तर

आधार रेखा

उद्देश्य

आवश्यक   सामाग्री

इकाई 21 मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता युक्त बालकों की समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका

21.1 परिचय
21.2 उद्देश्य
21.3 मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता युक्त बालकों की शिक्षा
21.3.1 अक्षमता के अध्ययन के विभिन्न उपागम
21.3.2 'लेबलिंग' के लाभ और हानियाँ
21.3.3 समावेशी शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास
21.4 विशेष शिक्षा, समेकित शिक्षा, समावेशी शिक्षा
21.4.1 विशेष शिक्षा, समेकित शिक्षा, एवं शिक्षा में अंतर
21.5 मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमतायुक्त बालकों की समावेशी शिक्षा में विशेषज्ञ शिक्षक की भूमिका
21.5.1 विशेषज्ञ शिक्षक की शैक्षणिक भूमिका
21.5.2 विशेषज्ञ शिक्षक की सामाजिक भूमिका
21.5.3 विशेषज्ञ शिक्षक की अन्य भूमिकाऐं
21.6 मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता युक्त बालकों की समावेशी शिक्षा में सामान्य शिक्षक की भूमिका
21.6.1 सामान्य शिक्षक की शैक्षणिक भूमिका
21.6.2 सामान्य शिक्षक की सामाजिक भूमिका
21.6.3 सामान्य शिक्षक की अन्य भूमिकाऐं
21.7 सारांश
21.8 शब्दावली एवं शब्द विस्तार
21.9 संदर्भ ग्रथ सूची
21.10 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न /निबंधात्मक प्रश्न

21.1 प्रस्तवना

पिछली इकाइयों इकाई (19) और इकाई (20) में आपने मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता युक्त बालकों के बारे में पढ़ा। आपने मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमतां, उसके प्रकार, विशेष ताये और पहचान एवं निदान की विधियों के बारे में पढ़ा। वर्तमान इकाई में आप मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमतां वाले बालकों की समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का अध्ययन करेंगे। इकाई के आरंभ में आप विकलांगता/अक्षमता के प्रति विभिन्न दृष्टिकोणों का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम मुख्य रूप से अक्षमता के अध्ययन का चिकित्सकीय दृष्टिकोण एवं सामाजिक दृष्टिकोण एवं उनकी मान्यताओं का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तत्पष्चात् ‘विकलांगता’ का ‘लेबल’ लगने के किसी व्यक्ति के जीवन पर अधिगम अक्षमतायुक्त बालकों की शिक्षा के ऐतिहासिक विकास पर एक नजर डालेंगे। आगे की उप-इकाई में हम विशेष शिक्षा , समेकित शिक्षा एवं समावेशी शिक्षा की संक्षिप्त चर्चा करेंगे जिसमें इनका संक्षिप्त परिचय, इनकी विशेष तायें और सीमायें समाहित हैं। उससे आगे की अन्य दो इकाईयों में अधिगम अक्षमता युक्त बालकों के समावेशी शिक्षण में विशेष शिक्षक एवं सामान्य शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिकाओं का अध्ययन करेंगे। पाठ के अंत में पुनरावृत्ति हेतु इकाई का सारांष, महत्वपूर्ण शब्दावली व शब्द संक्षेप दिये गये हैं जो त्वरित संदर्भ के लिए आपके मददगार होंगे। इकाई के आखिर में संदर्भ ग्रन्थ /अन्य अध्ययन की सूची दी गयी है जो आपके और विसतृत अध्ययन में लाभप्रद साबित होगी।

21.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप-

1. अक्षमता के अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोणों के बारे में बता सकेंगे।अक्षमता के अध्ययन के चिकित्सकीय एवं सामाजिक मॉडल की तुलनात्मक रूप रेखा प्रस्तुत कर सकेंगे।
2. किसी बालक को मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता युक्त ‘लेबल’ करने की आवश्यकता और उसके दुष्परिणामों की व्याख्या कर सकेंगे।
3. मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता युक्त बालकों की समावेशी शिक्षा का सक्षिप्त इतिहास बता सकेंगे
4. विशेष शिक्षा की परिभाषा, उसकी विशेष तायें एवं सीमाये बता पाने में सक्षम हो सकेंगे होगे।
5. एकीकृत शिक्षा का परिभाषित करने और उसकी विशेष तायें और सीमाये बता बता पाने में सक्षम होंगे।
6. समावेशी शिक्षा की आवश्यकता, परिभाषा, उसकी विशेषतायें और सीमाये बता पाने में सक्षम होंगे।
7. विशेष शिक्षा , एकीकृत शिक्षा , एवं समावेशी शिक्षा के बीच का अंतर स्पष्ट कर पाने में सक्षम हो सकेंगे।
8. मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता युक्त बालकों की शिक्षा में शिक्षक की शैक्षणिक, सामाजिक एवं अन्य भूमिकाओं की व्याख्या कर सकेंगे।

9. मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता युक्त बालकों की शिक्षा में सामान्य शिक्षक की विभिन्न भूमिकाऐं यथा सामाजिक, शैक्षणिक एवं अन्य की व्याख्या कर पाने में सक्षम होंगे।

21.3 मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता युक्त बालकों की शिक्षा का आरंभ

24.3.1 अक्षमता के अध्ययन के विभिन्न उपागम

चिकित्सकीय उपागम विकलांगता/अक्षमता के अध्ययन के कई उपागम है जो भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण एवं मान्यताओं के आधार विकलांगता का अध्ययन करते है । अक्षमता के अध्ययन का सबसे पुराना मॉडल है चिकित्सकीय मॉडल जिसकी मान्यता है कि अन्य बीमारियों की तरह ही अक्षमता/विकलांगता भी किसी व्यक्ति के अंदर किसी प्रकार की जैविक ;ठपवसवहपबंसद्ध कमी से होती है जिसे दवाओं से ठीक किया जा सकता है ।

सामाजिक उपागम: अक्षमता के अध्ययन का सामाजिक उपागम अक्षमता को एक सामाजिक वैविध्य (Social Diversity) के रूप में देखता है और उसे स्वीकार करते हुए, उसके सामाजिक समाधान एवं सामाजिक भागीदारी से समाधान पर जोर देता है। सामाजिक उपागम अक्षमता युक्त बालकों को समाज का एक अभिन्न अंग मानता है अतः उनके अलग 'पुनर्वास' की बजाए समुदाय आधारित पुनर्वास (Community Based Rehabilitation) की बात करता है। यह बच्चे को प्राथमिक मानता है और उसके अनुसार के वास एवं पुनर्वास (Habilitation and Rehabilitation) में समाज की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानता है।

अक्षमता के चिकित्सकीय और सामाजिक मॉडल की तुलना

क्र.सं.	**चिकित्सा मॉडल**	**समाजिक मॉडल**
1	दोष बच्चे में हैं।	बच्चा महत्वपूर्ण है।
2	निदान की आवश्यकता	विशेष आवश्यकताओं के पहचान की आवश्यकता
3	बच्चे का वर्गीकरण विभिन्न कमियों के आधार पर।	विभिन्न व्यवधानों की पहचान और उनके समाधान पर जोर।
4	बच्चे की अक्षमता महत्पूर्ण/प्राथमिक।	बच्चा महत्वपूर्ण उसके आवश्यकतानुसार कार्यक्रम विकास
5	परीक्षण और सतत् निरीक्षण की आवश्यकता ।	संसाधन उपलब्ध कराना।
6	समाज से विलगाव एवं वैकल्पिक समाधान।	माता-पिता एवं अन्य व्यवसायियों का विशेष प्रशिक्षण

7	समावेष यदि सामान्यता की प्राप्ति अन्यथा हमेशा के लिए समाज से अलग।	बच्चों का उनकी वैयक्तिक भिन्नता के साथ स्वागत।
8	समाज का कोई सरोकार नहीं।	समाज की महत्वपूर्ण भूमिका।

21.3.2 'लेबलिंग' के लाभ और हानियाँ

हालाँकि किसी व्यक्ति पर 'विकलांगता' का ठप्पा (label) लगाने का उसके संपूर्ण जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, परंतु उसके कुछ सकारात्मक पहलुओं की वजह से यह आवश्यक है। आइये हम जानें कि लेबलिंग (labelling) का किसी व्यक्ति के जीवन पर क्या नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव हो सकता है। हेवर्ड (2006) के अनुसार लैबलिंग के निम्नांकित सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं:-

'लेबलिंग के नकारात्मक पहलू:

i. एक सामाजिक धब्बा है जो व्यक्ति के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण को नकारात्म्क रूप से प्रभावित करता है।
ii. यह प्रभावित व्यक्ति को भेद भाव का शिकार बना देता है।
iii. व्यथ्कत स्वयं को असामान्य महसूस करने लगता है।
iv. कभी कभी व्यक्ति हीन भावना का शिकार हो जाता है।
v. प्रथामिक रूप से बालक के अंदर 'कुछ गलत' होने का एहसास
vi. सामाजिक स्तर में कमी और भेदभाव

लेबलिंग के सकारात्मक पहलू:

i. विशेष शिक्षा की अर्हता के लिए
ii. उपलब्ध सामाजिक एवं सरकारी सहयाता के लाभ के लिए
iii. शैक्षणिक एवं अन्य
iv. अतिरिक्त सेवाओं की जरूरत के निर्धारण के लिए
v. विकलांगता की गम्भीरता और उसके प्रभावों के पूर्वानुमान के लिए।
vi. सहायता समूहों की सदस्यता और निर्माण के लिए
vii. उपयुक्त कानून एवं नीति निर्धारण के लिए
viii. सुरक्षात्मक सामाजिक अनुक्रिया के लिए

21.3.3 समावेशी शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास (मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता का संदर्भ)

आजकल आप समावेशी विकास (**Inclusive Growth**) सामाजिक समावेष (Social Inclusion), समावेशी शिक्षा (Inclusive Education) की चर्चा हर जगह सुन रहे होंगे, और तब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर ये 'समावेष' है क्या? इसकी आवश्यकता क्या है? किसका समावेष किया जाना

चाहिए? समोवष की यह प्रक्रिया क्या हो सकती है? समावेष में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है आदि-आदि।उपरोक्त प्रष्नों के समाधान के लिए हमें मानवधिकारों की वैष्विक घोषणा की ओर जाना होगा।

संयुक्त राष्ट्र संघ की विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की घोषणा (1975) के अनुसार-

''विकलांग व्यक्तियों को, उनके 'आत्म सम्मान' के लिए आदर पाने का प्राकृतिक अधिकार है। विकलांग व्यक्तियों को भी उनके हम उम्र व्यक्तियों के समान सभी मूल अधिकार, जिसमें जिन्दगी को पूर्णता एवं सम्मान से जीना शामिल है, प्राप्त है चाहे उनका मूल (जाति/वंष) प्रकृति अथवा उनकी विकलांगता एवं अक्षमता की गंभीरता कुछ भी क्यों न हो।'' (Article 3)

संयुक्त राष्ट्र संघ की इस घोषण के पष्चात् सभी सदस्य राष्ट्रों ने सहमति जतायी कि अक्षमता/वातावरण के ख्याल किये बिना, विकलांग व्यक्तियों को भी वे सारे मूल अधिकार प्राप्त होने चाहिए जो एक सामान्य नागरिक को उपलब्ध होते हैं। मानवधिकारों और तत्पष्चात् विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की इस घोषणा को आगे 'बालको के अधिकार' पर हुए संयुक्त राष्ट्र के अन्वेंषन (1989) में 'समावेशी शिक्षा ' की जड़े छुपी हैं।

बालकों के वैष्विक अधिकारेां की इस घोषण के अनुसार ''एक विकलांग बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करते हुए, उन्हें उपयुक्त सहायता प्रदान किया जाना चाहिए ताकि उन्हें प्रभावी शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके, और बच्चे के अनुकूल, उसका पूर्ण सामाजिक एकीकरण एवं पूर्ण विकास संभव हो। (Article 23)

उपरोक्त दोनों घोषणाओं से स्पष्ट है कि समाज में सभी व्यक्तियों की पूर्ण भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है और तद्नुसार सभी बालकों को बिना किसी भेदभाव के अपनी संस्कृति में विकसित होने का अवसर मिलना चाहिए ताकि वे उसके मूल्यों को आत्मसात् कर सकें और उसके विकास में योगदान कर सकें।

सलमांका कान्फ्रेंस (1994) के अनुसार,

- सभी बालकों को शिक्षा का मौलिक अधिकार है और उन्हें एक स्वीकार्य स्तर तक सीखने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए।
- सभी शैक्षिक निकायों की संरचना और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन इस प्रकार किया जाना चाहिए ताकि वे बालकों की वैयक्ति भिन्नता और विविध आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो सके। विशेष शैक्षणिक आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य विद्यालय (त्महनसंत ैबीववस) अवष्य उपलब्ध होने चाहिए।
- नियमित समावेशी विद्यालय
    i. विभेदक प्रवृत्तियों को समाप्त करने में;
    ii. एक समावेशी समाज के निर्माण में एवं
    iii. विद्यालय सभी के लिए शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु सबसे प्रभावी माध्यम हो सकते हैं।

- सामान्य/आम विद्यालयों में प्रभावी अध्ययन की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि अधिकांष बच्चे शिक्षा का लाभ ले सकें, और इस प्रकार शिक्षा को प्रभावी और अल्प व्ययी (Cost-Effective) बनाया जा सके।

अभ्यास प्रश्न

1. 'लैबलिंग' किसी विशिष्ट बालक को सिर्फ नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। (सत्य/असत्य)
2. 'लैबलिंग' विशेष शिक्षा के लिए आवश्यक है। (सत्य/असत्य)
3. चिकित्सकीय उपागम के अनुसार मानसिक मंदता एक व्यक्ति के अंदर की समस्या है। (सत्य/असत्य)
4. सामाजिक उपागम के अनुसार मानसिक मंदता एक सामाजिक समस्या है। (सत्य/असत्य)
5. 'समावेशी शिक्षा ' विकलांगता की सामाजिक मान्यता पर आधारित है। (सत्य/असत्य)

21.4 विशेष शिक्षा, समेकित शिक्षा, समावेशी शिक्षा

मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता युक्त छात्रों के शैक्षणिक नियोजन के विकल्प

i. विशेष शिक्षा
ii. समेकित शिक्षा
iii. नियमित/समावेशी शिक्षण

विशेष शिक्षा

विशेष शिक्षा प्रायः व्यक्तिगत अनुदेषनात्मक कार्यक्रम है। इसका मुख्य आधार है बच्चे की वर्तमान क्रियाषीलता जिसके आधार पर शिक्षण के लक्ष्य, शिक्षण सामग्री शिक्षण विधि, शिक्षण की तकनीक आदि निर्धारित होती हैं। विशेष शिक्षा में इस बात पर जोर दिया जाता है कि बच्चे को व्यक्तिगत आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए उन्हें उनके अधिकतम स्तर तक पहुँचाना है।

विशेष शिक्षा का तात्पर्य है विशेष आवश्यकता युक्त बालक को (सामान्य से अलग) विशेष वातावरण में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों द्वारा, विशेष संरचित पाठ्यक्रम, विशिष्ट तकनीकों एवं विधियों तथा विशेष रूप से निमित्ति शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करके पढ़ाना। यह हालांकि गंभीर अक्षमता युक्त बालकों के लिए प्रभावी और लाभकारी सिद्ध हो सकता है परंतु अपनी भेदभावपूर्ण प्रकृति जो अक्षमतायुक्त बालकों को समाज एवं समुदाय से अलग करती है, के कारण वर्त्तमान समय में उपयुक्त नहीं है। इसकी विशेष ताएं और सीमाएं निम्नांकित है:

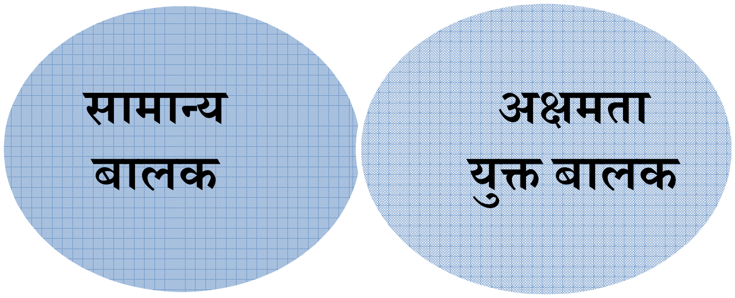

विशेष शिक्षा

विशेष शिक्षा के प्रमुख गुण निम्नलिखित है:

i. सभी बच्चों पर व्यक्तिगत ध्यान।
ii. यह आधारभूत जीवनयापन कौषल सिखाता है ताकि व्यक्ति/बालक स्वावलंबी हो सकें।
iii. यह बालकों को एक सुरक्षित को एक सुरचित अधिगम कार्यक्रम का आधार देता है।
iv. बच्चे के बौद्धिक विकास में सहायक
v. बच्चे के माता-पिता को उपयुक्त सेवाएं प्राप्त करने में मददगार

विशेष शिक्षा की कमियों जिन्होंने समावेशी शिक्षा की नीव रखी:

i. विशेष शिक्षा की उच्च लागत, जो गरीब बालक वहन नहीं कर सकते।
ii. सामान्यतः शहरी क्षेत्रों में विशेष शिक्षा की उपलब्धता जो सिर्फ उच्च आयवर्ग से आने वाले बालकों को उपलब्ध थी।
iii. विशेष ज्ञ शिक्षक और सामान्य शिक्षकों के मध्य 'विशेष ज्ञता' के आदान-प्रदान का अभाव।

समेकित शिक्षा

समेकित शिक्षा का तात्पर्य है अक्षमताग्रस्त बालकों को कुछ समय के लिए सामान्य बालकों के साथ अंतः क्रिया का मौका देना जैसे लंच टाइम में, खेल के समय, विभिन्न सामाजिक अवसरों पर आदि परंतु उनका संपूर्ण शिक्षण का कार्य अलग-अलग होता है चाहे दोनों विद्यालय अलग-अलग हों या विशेष बालक की एक ही कैंपस में अलग कक्षा हो। यह इस मान्यता पर आधारित है कि यदि अक्षमता युक्त बालक कुछ उपयुक्त सामाजिक व्यवहार सीख ले तब, उसे सामान्य कक्षा में भेजा जा सकता है। यह विशेष शिक्षा से बेहतर

विकल्प है परंतु वर्त्तमान मानवाधिकारों के दौर में प्रासंगिक नहीं है क्योंकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सभी बालक का अधिकार है।

समेकित शिक्षा का तात्पर्य सामान्य अर्थों में 'बच्चे के सामान्य स्कूल में जाने' से है। जबकि समावेशी शिक्षा का अर्थ विद्यालय में बच्चे की पूर्ण भागीदारी से है।

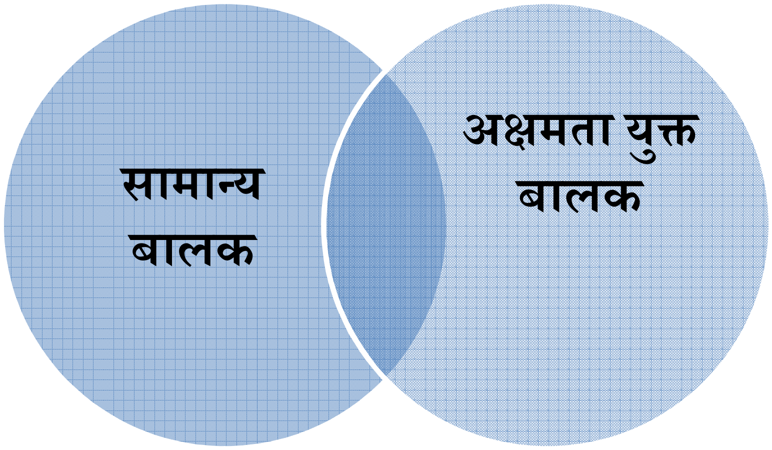

समेकित शिक्षा

समेकित शिक्षा के लाभः

i. बच्चे का बेहतर समाजीकरण
ii. बच्चे का सामाजिक एकीकरण का बढ़ाना
iii. बच्चे के प्रति सामाजिक अभिवृति सकारात्मक
iv. अभिभावकों की बालक की शिक्षा में अधिक भागीदारी
v. कम विशेष शिक्षा की तुलना में व्यय
vi. कुछ शोधों के अनुसार छात्रों की बेहतर उपलब्धि
vii. संस्थानीकरण एवं आवागम के खर्च में बचत

समेकित शिक्षा की सीमायें

i. सभी बालकों की आवश्यकता पूरी करने में सक्षम नहीं
ii. सीमित संसाधना पर अधिक दबाव

iii. अभिभावकों, स्वयंसेवकों एवं अन्य बालकों द्वारा सहयोग की आवश्यकता

समावेशी शिक्षा

शिक्षा के क्षेत्र में समावेष (समावेशी शिक्षा) का तात्पर्य है विद्यालय के पुननिर्माण की वह प्रक्रिया जिसके लक्ष्य सभी बच्चों को शैक्षणिक और सामाजिक अवसरों की उपलब्धता है। इस प्रक्रिया में पाठ्यक्रम, परीक्षण, छात्र की उपलब्धियों का रिकार्ड, विभिन्न योग्यताओं के आधार पर छात्रों के समूहन, शिक्षण तकनीक, कक्षा के अंदर के कार्यकलाप आदि के साथ ही खेल और मनोरंजनात्मक क्रियाओं भी समाहित है। (Mittlar 2000) ।

यूनेस्को के अनुसार, समावेशी शिक्षा का तात्पर्य उस शिक्षा से है जो;

i. यह विश्वास करती है सभी बच्चे सीख सकते हैं और सभी बच्चों की अलग-अलग प्रकार की विशेष आवश्यकता होती है।
ii. जिसका लक्ष्य सीखने की कठिनाइयों की पहचान और उनका प्रभाव न्यूनतम करना है।
iii. जो औपचारिक शिक्षा से वृहत् अर्थ रखता है और घर समुदाय एवं घर से बाहर शिक्षा के अन्य अवसरों पर भी बल देता है।
iv. अभिवृत्तियों, व्यवहारों, शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम एवं वातावरण को परिवर्तित करने की वकालत करता है ताकि सभी बालकों की विशेष आवश्यकतायें पूरी हो सकें।
v. एक स्थिर गति से, चलने वाली एक गतिषील प्रक्रिया है और समावेशी समुदाय को प्रोन्नत करने के लिए प्रयुक्त विभिन्न तरीको का एक भाग है।

समावेशी शिक्षा

समावेशी शिक्षा की विशेषताऐं

i. विद्यालय व्यक्तिगत भिन्नताओं को सीन में रखते हुए सभी बालकों के लाभ के सिद्धांत पर काम करते है।विद्यालय की अभिवृति में अक्षमतायुक्त बालकों के प्रति सकारात्मक परिवर्तन
ii. विशेष विद्यायलों की अपेक्षा कम खर्च का विकल्प
iii. मातापिता पर कोई अतिरिक्त व्यय नहीं
iv. अक्षमता युक्त बालकों के सामाजिक कल्याण पर खर्च में कमी
v. अक्षमतायुक्त बालकों सहित अन्य सभी बालकों की उपलब्धियों में वृद्धि
vi. विशेष बालक का उन्नत सामाजिक समायोजन
vii. समावेशी शिक्षा का किफायती (Cost Effective)होना
viii. स्थानीय संसाधनो का प्रयोग करके व्यय में कमी संभव
ix. अक्षमता युक्त बालकों को अपेक्षाकृत वृहत पाठ्यक्रम उपलब्ध

सीमाऐं

i. पाठ्यक्रम अनुकूलन का अतिरिक्त खर्च
ii. शिक्षण सामग्री का अतिरिक्त खर्च
iii. शिक्षक में समावेशी शिक्षा हेतु उपयुक्त कौषल विकास पर खर्च
iv. सामान्य एवं विशेषज्ञ शिक्षकों की अपर्याप्त संख्या
v. अभिभावक एंव समुदाय की अधिक भागीदारी की आवश्यकता

समावेशी शिक्षा के लाभ

भारतीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के अनुसार, समावेशी शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को निम्नांकित लाभ होते हैं:

i. समावेशी शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बालकों को अपने हम उम्र और विकलांग बच्चों के साथ अंतःक्रिया का मौका मिलता है, जो विशेष विद्यालयों में उपलब्ध नहीं है।
ii. विशेष आवश्यकता वाले बालक अपने अविकलांग सहपाठियों से सामाजिक रूप से स्वीकार्य व्यवहार, सीखते हैं।
iii. शिक्षक प्रायः विशेष आवश्यकता वाले बालकों से भी अपेक्षाकृत ऊँची अपेक्षा रखते हैं।
iv. सामान्य एवं विशेष शिक्षक बिना किसी भेदभाव के सभी छात्रों से समान उम्मीद रखते हैं।
v. विशेष आवश्यकता वाले बालकों को भी उनकी उम्र के उपयुक्त, शैक्षणिक विषयों के कार्यात्मक/प्रायोगिक भाग को सीखने का मौका मिलता है जो विशेष विद्यालयों में प्रायः अनुपलब्ध है।
vi. समावेशी शिक्षा के कारण यह संभावना बढ़ जाती है कि विशेष बालकों की सामाजिक भागीदारी बढ़ेगी और जीवन पर्यन्त रहेगी।

इसके अतिरिक्त, समावेशी परिवेष में अध्ययन करने से, विशेष बालकों को निम्नांकित लाभ होते हैं:

i. विशेष बालकों के सहपाठियों और फलस्वरूप समाज में उनके प्रति एक सकारात्मक और स्वीकार्यात्मक अभिवृत्ति का विकास।
ii. विशेष बालकों में एक स्वास्थ्य प्रतिस्पर्द्धा की भावना का विकास।
iii. विशेष बालकों के प्रति शिक्षक की अभिवृत्ति में परिवर्तन।
iv. विशेष बालक को 'लघ समाज' का अनुभव।
v. विशेष बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास।

समावेशी शिक्षा से न केवल विशेष आवश्यकता वाले बालकों को लाभ होता है, बल्कि इससे गैर विकलांग बालकों को भी लाभ है, जिनमें से कुछ प्रमुख निम्नांकित है।

भारतीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के अनुसार, गैर विकलांग बालकों के लिए समावेशी शिक्षा के लाभ

i. विभिन्न अनुदेषनात्मक गतिविधियों में सहपाठी-शिक्षक (Pear Tutor) के रूप में काम करने का मौका।
ii. विशेष बालकों के प्रति उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन।
iii. पाठ्य सहगामी क्रियाओं के दौरान विशेष बालकों का सहयोग करने का अवसर सामान्य बालकों में।
iv. व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार करने, सहनषक्ति आदि का विकास करने में सहायता मिलती है।
v. सामान्य बालक कई सकारात्मक व्यवहार विशेष बालकों से सीख सकते हैं।
vi. सामान्य बालकों को कई मानवता से जुड़े व्यवसाय और उनमें कैरियर की संभावनाओं यथा विशेष शिक्षा , फिजियोथेरॉपी, एजुकेशनल थेरॉपी आदि की जानकारी मिलती है।
vii. सामान्य बालकों में अलग-अलग प्रकार के व्यक्तियों से प्रभावी संप्रेषण कौषल का विकास होता है।

यूनिसेफ पोजिशन पेपर के अनुसार समोवेशी शिक्षा के निम्नांकित लाभ हैः

सभी बच्चों को लाभ

i. बच्चे ज्यादा आत्मविष्वासी और आत्म सम्मान युक्त हो जाते है।
ii. वे विद्यालय के अंदर और विद्यालय के बाहर स्वतंत्र अधिगम की प्रक्रिया सीखते है।
iii. वे अपने सीखे हुए ज्ञान और समझ का अपने दैनिक जीवन में (अन्य स्ािानों यथाः खेल के मैदान में, घन में) उपयोग करना सीखते हैं।
iv. वे अपने से इतर सहपाठियों एवं शिक्षकों से ज्यादा सक्रिय एवं प्रसन्नतापूर्ण अंतः क्रिया सीखते है।
v. वे अपने से भिन्न बालकों के प्रति संवेदनषीलता और उन भिन्नताओ को स्वीकार करते हुए उनके साथ अनुकूलित होता सीखते है।

vi. बच्चो के संप्रेषण कौषल का बेहतर विकास होता है, और बेहतर जीवन के लिए तैयार होते हैं।
vii. वे अपने आप पर अपनी उपलब्धियों पर गर्व करना सीखते हैं।

शिक्षकों को लाभ

i. शिक्षकों के पास विभिन्न प्रकार के बालकों को पढ़ाने के भिन्न भिन्न तरीके सीखने का अवसर होता है।
ii. शिक्षकों को वैयक्तिक भिन्नता युक्त कक्षा में शिक्षण और अधिगम के अलग अलग नय तरीकों का ज्ञान होता है।
iii. विभिन्न प्रकार की अधिगम संबंधी बाधाओं को कम करने का उपाय खोजते हुए, शिक्षकों को व्यक्तियों, बालकों एवं अलग-अलग परिस्थितियों के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास होता है।
iv. शिक्षकों के पास संप्रेषण के नये तरीकों की खोज का बेहतर अवसर होता है विभिन्न सहकर्मियों, अभिभावक, समुदाय के विभिन्न व्यक्तियों आदि से।
v. नये विचारों/तरीकों का शिक्षण के दौरान प्रयोग करते हुए वे अधिगम ज्यादा रुचिकर, और बच्चों को ज्यादा attentive बना पाते हैं। अतः बच्चे और उनके अभिभावकों से शिक्षकों को सकारात्मक फीडबैक मिलता है।
vi. शिक्षक अधिक संतुष्टि (Job Satisfaction) का अनुभव करते हैं क्योंकि सभी बालक अपनी समता को अधिकृत स्तर तक सफल हो सकते हैं।

अभिभावकों को लाभ

i. अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा में भागीदारी बढती है और अपने बच्चों का उनके अधिगम में वे ज्यादा सहयोग करते है।
ii. अभिभावकगण उनके बच्चों को कैसे शिक्षा दी जा रही है, सीखते हैं।
iii. शिक्षक विभिन्न अवसरों पर अभिभावकों के विचार पूछते है अतः अभिभावक को अपने अंदर सम्मान महसूस होता है और वे स्वयं को बच्चे की शिक्षा का समान भागीदार मानते है।
iv. अभिभावकों के पास भी ज्यादा लोगों यथा शिक्षक , अन्य अभिभावक, अन्य बालकों आदि से अंतः क्रिया का अवसर होता है और वे पारस्परिक सहयोग की भावना सीखते है।
v. सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अभिभावक यह जाने लगतें हैं कि उनके बच्चे अन्य सभी बच्चें के साथ, गुणवत्ता युक्त शिक्षा ग्रहण कर रहे है।

समावेशी शिक्षा /अक्षमताग्रस्त बालकों की शिक्षा की बाधाएं:

- सामाजिक और सामुदायिक बाधाएं
- माता-पिता की नकारात्मक अभिवृत्ति।
- विशेष बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा की बजाय अभिभावकों की विशेष शिक्षा में रुचि।
- समुदाय में विशेष कर ग्रामीण परिवेष में अक्षमता युक्त बालकों के प्रति व्याप्त भ्रांतियां।
- अक्षमता/विकलांगता के प्रति सामाजिक जागरुकता का अभाव।
- समाज में मानवाधिकारों के प्रति जागरुकता का अभाव।
- अक्षमता युक्त बालकों के प्रभावी अभिभावक संघ का न होना।

विद्यालय स्तर की बाधाएं:

- स्कूल का बजट कम होने के कारण सुविधाओं का अभाव।
- विद्यालय भवन अक्षमतायुक्त बालकों के लिए अप्राप्य/दुर्गम होना।
- शिक्षकों की अपर्याप्त संख्या।
- विकलांग बालकों के लिए सीमित सुविधाएं/सहयोग।
- समावेशी शिक्षण प्रविधियों का शिक्षकों को अपूर्ण ज्ञान।
- शिक्षक अक्षमयुक्त बालकों की आवश्यकताएं पूर्ण करने में अक्षम।
- शिक्षक एवं विद्यालय के अन्य स्टाफ के बीच विकलांगता के प्रति जागरुकता का अभाव।

नीति एवं निकाय से संबंधित बाधाएं:

- भेदभावपूर्ण शैक्षिक नीतियां जो अक्षमता युक्त बालकों को अलग करती है।
- और उन्हें विद्यालय जाने, व्यावहारिक शिक्षण -प्रशिक्षण आदि से रोकती है।
- विकलांगता के लिए विशेष नीति अथवा विकलांग बालकों के लिए विशेष शिक्षा नीति का अभाव।
- वर्तमान नीतियों की अनुपयुक्तता अथवा उनका विकलांगता के चिकित्सकीय उपागम पर अधारित होना।
- उपयुक्त नीतियों के अस्तत्व के बावजूद उनका उपयुक्त अनुपालन न होना।
- विकलांग बच्चों की शिक्षा पर अल्प संसाधनों की उपलब्धता।

- विकलांगता बच्चों की समावेशी शिक्षा के लिए उपयुक्त शिक्षक /प्रशिक्षण का अभाव।

21.4.1विशेष शिक्षा , समेकित शिक्षा , एवं समावेशी शिक्षा में अंतर

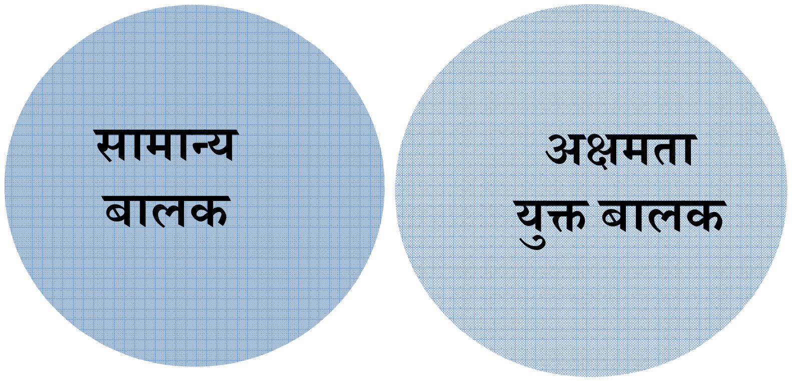

विशेष शिक्षा

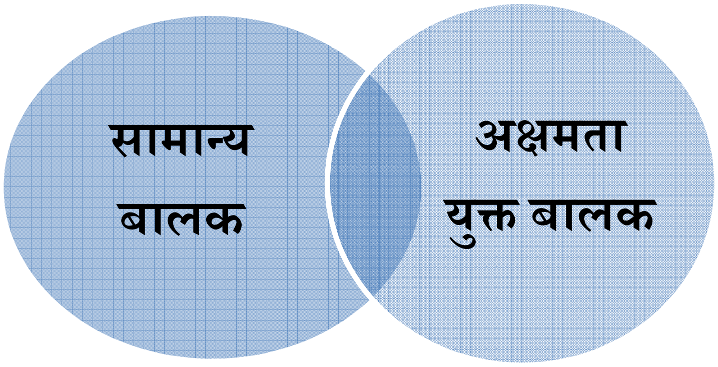

समेकित शिक्षा

क्र.सं.	विशेष शिक्षा	समेकित शिक्षा	समावेशी शिक्षा
1.	अक्षमताग्रस्त बच्चों को विशेष सेवा प्रदान करना।	अक्षमता युक्त बालकों की विशेष आवश्यकताओं पर जोर	अक्षमता युक्त बालकों के अधिकारों पर बल।
2.	अक्षमतायुक्त बालकों का विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकरण।	अक्षम बालकों में 'परिवर्तन' ताकि वे सामान्य बालकों के साथ शिक्षा ग्रहण करने योग्य हो सकें।	विद्यालय और वातावरण में परिवर्तन ताकि कोई भी बालक अपने आप को अक्षम महसूस न करें।
3.	विकलांगता एक व्यक्ति के अंदर की समस्या है।	विकलांगता एक समस्या है।	सभी व्यक्ति सक्षम हैं, परंतु व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं।
4.	सभी सेवाएं सामान्य से अलग।	विकलांग बालकों कि लाभ हेतु।	सभी बालकों के हितार्थ।
5.	इनपुट पर जोर।	प्रक्रिया पर जोर।	आउटपुटर पर जोर।
6.	अलग पाठ्यक्रम पर बल।	विकलांग बच्चों को पाठ्यक्रम सिखाने की प्रक्रिया पर बल।	पाठ्यक्रम की सामग्री छात्र के क्षमतानुसार।
7.	दया की भावना पर आधारित।	दया युक्त सामाजिकता पर आधारित।	व्यक्ति के सामान्य मानवाधिकार पर आधारित समाज में पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करना।

अभ्यास प्रश्न

6. विशेष शिक्षा में अक्षमतायुक्त छात्रों विशेष विद्यालय में पढ़ते हैं। (सत्य/ असत्य)
7. समेकित शिक्षा में विशेष बालक एवं सामान्य बालक एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। (सत्य/ असत्य)
8. समावेशी शिक्षा आनवाधिकार आधारित शिक्षा है। (सत्य/ असत्य)
9. समावेशी शिक्षा 'अल्पव्ययी' नहीं है। (सत्य/ असत्य)
10. विशेष शिक्षा अल्पव्ययी है।
11. विशेष शिक्षा में मानसिक मंदता युक्त बालकों को हमेशा भेजा जाना चाहिए। (सत्य/ असत्य)
12. समावेशी शिक्षा में सामान्य बालक को कोई लाभ नहीं है। (सत्य/ असत्य)
13. समावेशी शिक्षा सभी के लिए लाभप्रद है। (सत्य/ असत्य)
14. समावेशी विद्यालय वैयक्तिक वैविध्य का स्वागत करते हैं। (सत्य/ असत्य)
15. समावेशी विद्यालय में विशेष शिक्षक की कोई आवश्यकता नहीं। (सत्य/ असत्य)

21.6 मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता युक्त बालकों की समावेशी शिक्षा में विशेषज्ञ शिक्षक की भूमिका

21.5.1 विशेषज्ञ शिक्षक की शैक्षणिक भूमिका

- मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता की पहचान करने में
- अतिरिक्त कक्षाओं के द्वारा मानसिक मंद/बौद्धिक अक्षम बालक की विशेष आवश्यकता पूरी करने में
- मानसिक मंद/बौद्धिक अक्षम बालक को संसाधन कक्ष शिक्षण प्रदान करने में और संसाधन कक्ष के विकास में
- मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता बालक की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्म्च् बनाने एवं पाठ्यक्रम निर्माण में
- शोध आधरित शिक्षण विधियों के अभिनव प्रयोग में

1. **मंदता/बौद्धिक अक्षमता की पहचान करने में**- जैसे कि आपने पिछली निर्भर है। ऐसे में मानसिक मंदता की स्क्रीनिंग एवं पहचान और उसकी सुनिश्चितता हेतु रेफरल आदि एक इकाई सं० 19 एवं 20 में पढ़ा मानसिक मंदता एक अत्यंत जटिल , सापेक्ष संकल्पना है जो विभिन्न अन्य संकल्पनाओं यथा 'बुद्धि लब्धि' , अरुकूलनीय व्यवहार प्रकट होने की आयु (विकासात्मक अवधि) आदि पर विशेषज्ञ की शिक्षक को ही करना चाहिए जिस इन उद्देश्यों के लिये निर्मित विभिन्न टूल ,उनके

सकारात्मक प्रयोग ,उसकी प्रक्रिया आदि में दक्षता हासिल हो। चूँकि मानसिक मंदता सुनिश्चित होने का प्रभावित व्यक्ति के जीवन के संपूण्र पहलुओं पर गहरा प्रभाव पड़ता है अतः मानसिक मंदता के निर्धारण हेतु तय प्रत्येक मानदंड पर गंभीरता से विचार करके ही , निर्णय लिया जाना चाहिए। आपने पिछली इकाई संख्या (20) में मानसिक मंदता के परीक्षण के विभिन्न भारतीय इन टूलों के बारे मे पढ़ा जिनमें MDPS, FACP, BASIC (MR) आदि प्रमुख हैं। इन टूलों का प्रयोग करके मानसिक मंदता का परीक्षण , एवं कार्यक्रम निर्माण विशेशज्ञाता की माँग है।

2. **कक्षाओं के द्वारा मानसिक मंद/बौद्धिक अक्षम बालक की विशेष आवश्यकता पूरी करने में** समावेशी शिक्षा में सभी बालक अधिकांश समय समान कक्षा में ही अध्ययन करते हैं। कई बार भ्रमवश ,लोग 'समावेशी शिक्षा' का तात्पर्य्र विशेष आवश्यकता बाले बालकों का सिर्फ सामान्य विद्यालय में गैर -विकलांग बालकों के साथ बिना अतिरिक्त सहायता के पढ़ने से लगाते है जो उचित नहीं। प्रत्येक समावेशी विद्यालय का दायित्व है कि विशेष आवश्यकता वाले बालकों का सामान्य बालक के साथ पठन पाठन सुनिश्चित करने के अलावा, अनकी विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति करना भी है। विशेष शिक्षक को सामान्य कक्षा से अलग समक्ष देकर ,व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रयास करना चाहिए ताकि विशेष बालक मानसिक मंदता युक्त बालक कक्षा के साथ साथ चल सके अन्यथा ,मानसिक मंद बालक कक्षा में उत्तरोत्तर पिछड़ता जायेगा जो उसके संपूर्ण व्यक्तित्व को नकरात्मक रूप से प्रभावित करेंगा।

मानसिक मंदता युक्त बालकों की विशिष्ट शिक्षण तकनीकें:

i. कार्य विष्लेषण (Task Analysis)
ii. श्रंखलाबद्धता (Chaining)
iii. शेपिंग (Shaping)
iv. प्राम्पिटिंग (Prompting)
v. विलोचन (Fading)
vi. पुनर्वलन (Reinforcement)

आदि प्रयोग है जिनका विस्तृत अध्ययन आपने पिछली इकाई सं0 (20) में किया है।इन तकनीको का प्रयोग करके मानसिक मंदता युक्त बालको को कक्षा के साथ तालमेंल बिठाकर चलने में मदद करने मे विशेषज्ञ शिक्षक की अहम भूमिका होती है।

3. **मानसिक मंद/बौद्धिक अक्षम बालक को संसाधन कक्ष शिक्षण प्रदान करने में और संसाधन कक्ष के विकास में-** मानसिक मंदता युक्त बालक को संसाधन कक्ष शिक्षण प्रदान करने एवं संसाधन कक्ष को उनकी आवश्यकतानुसार संरचित करने में भी विशेषज्ञ शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है। संसाधन कक्ष में मानसिक मंदता युक्त बालको की आवश्यकतानुसार सामग्रियों की एकत्र करना संसाधन कक्ष शिक्षण तकनीकों का समय प्रबंधन, उपयुक्त सामग्रियों की सहायता से विशेष शिक्षण

तकनीकों का प्रयोग करके , विशेषज्ञ शिक्षक द्वारा मानसिक मंदता युक्त बालको के अधिगम की कठिनाइयों को दूर करने मे भी विशेषज्ञ शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

4. **मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता बालक की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए IEP बनाने एवं पाठ्यक्रम निर्माण में-** मानसिक मंदता युक्त बालक के व्यक्तिगत शिक्ष्ज्ञण कार्यक्रम बनाने एवं क्रियान्वित करने का कार्य भी विशेषज्ञ शिक्षक का है। मानसिक मंदता युक्त बालक की व्यक्तिगत शैक्षणिक योजना उसके सामानय पाठृश्यक्रम के साथ तालमेल युक्त होना चाहिए और वह बालक को सामान्य पाठ्यक्रम ससे अलग नही अपितु उसका पूरक (complementary)होना चाहिए।
5. **शोध आधारित शिक्षण विधियों के विकास एवं अभिनव प्रयोगों में-** मानसिक मंदता युक्त बालकों के शिक्षण-प्रशिक्षण का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। इसमें हर रोज सैकड़ो नये शोध किये जा रहे हैं और अन्य शोधों के लिये अनंत संभावनायें भी है। मानसिक मंदता युक्त बालकों के शिक्षण हेतु नये प्र्रभावी निधियों की खोज करना एवं वैश्विक स्तर पर हो रहे विभिन्न शोधों का सावधानी पूर्वक प्रयोग करके मानसिक मंद बालको को प्रभावी तरीके से सिखाने का कार्य भी विशेषज्ञ शिक्षण का है जिसमें वह शिक्षण पद्धतियाँ प्रयोग की जा रही हैं उनमें:
   - सहपाठी शिक्षण
   - कम्प्यूटर आधारित अनुदेशन, अधिगम (CAI/CBL)
   - बहुसंवेदी उपागम
   - नियोजित अनुदेशन (Programmed Instruction)आदि प्रमुख हैं जिनका विवरण निम्नांकित है।

1. **सहपाठी शिक्षण (Peer Tutoring)** - सहपाठी शिक्षण (**Peer Tutoring**) मानसिक मंदता युक्त बालकों के प्रभावी -शिक्षण प्रशिक्षण की एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं किफायती योजना के रूप् में उभर कर सामने आया है जिसमें एक बालक का सहपाठी (जो विषय विशेष में दक्ष है) अपने अल्प -दस सहपारियों की सीखने में मदद करता है। शोधो द्वारा, सहपाठी शिक्षण और अन्य समान तकनीकें यथाः सहपाठी सहायता युक्त अधिगम (PALS: Peer Assisted Learning strategies, Collaborative Learning) मानसिक मंदता युक्त आलको के लिये अत्यंत प्रभावी एवं किफायती पायी गयी है और इनका प्रयोग करके एक विशेषज्ञ शिक्षक अपने कार्य का बोझकम कर सकता है ताकि वह समय, उनके शिक्षण-प्रशिक्षण से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण कार्यो में दिया जा सके।
2. **कंपूयटर आधारित अधिगम एवं अनुदेशन-** (CAI: Computer Assisted Instruction/Computer Based Learning (CBL) भी मानसिक मंदता युक्त बालकों के शिक्षण-प्रशिक्षण की वर्त्तमान प्रवृतियो में से एक है जिसका प्रयोग करके मानसिक मंदता युक्त बालकों को प्रभावी तरीके से सिखाया जा सकता है। इस उद्देश्य के लिये विभिन्न प्रकार के

सॉफ्टवेयर आसानी से उपलब्ध हैं जो मानसिक मंदता युक्त बालको को समावेशी शिक्षण केसाथा तालमेल बिठाने में और प्रभावी अधिगम में मदद कर सकते है। इसके अलावा , यह अपने आपमें अत्यंत रूचिकर होने एवं अल्प-शिक्षण सहायता की माँग करने वाले होने की वजह से ,अत्यंत प्रभावी हो सकते है यदि अन्य शिक्षण तकनीकों के साथ इनका भी समुचित प्रयोग किया जाय।

21.5.2 विशेषज्ञ शिक्षक की सामाजिक भूमिका

- अक्षमतायुक्त बालकों के सहपाठियों, विद्यालय के अन्य शिक्षकों एंव अभिभावकों को अधिगम अक्षमता के प्रति जागरुक बनाने में
- समुदाय में जागरुकता लाने एवं मानसिक मंदता युक्त बालकों के समुदाय आधारित पुरर्वास (Community Based Rehabilitation CBR) में
- अक्षमता युक्त बालकों को एवं अभिभावकों को उनके अधिकारों एवं मिलने वाले सरकारी लाभ के बारे में जागरुक करने में
- अभिभावकों एवं अधिगम अक्षमता युक्त बालक के एक काउंसलर के रूप में

1. **अक्षमतायुक्त बालकों के सहपाठियों, विद्यालय के अन्य शिक्षकों एंव अभिभावकों को अधिगम अक्षमता के प्रति जागरुक बनाने में-** मानसिक मंदता युक्त बालको के सहपाठियों , विद्यालय के अन्य शिक्षकों एवं अभिभावकों में मानसिक मंदता युक्त बालकों के प्रति जागरूकता एवं उनकी विशेष आवश्यकताओ की पूर्ति के प्रति संवेदनशील बनाने में विशेषज्ञ शिक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका है । हालाकि वर्तमान समय में भारतीय समाज में मानसिक मंदता के प्रति थोड़ी जागरूकता आयी है परंतु ,अभी भी ग्रामिण क्षेत्रों में मानसिक मंदता युक्त बालकों को 'पागल' समझा जाना और मनोरंजन हेतू उन्हें परेशान किया जाना, उनकी क्षमताओ के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखना आदि सामान्य है। अशिक्षित लोगों में ही नहीं बल्कि शिक्षित लोगो, कई बार शिक्षकों में भी मानकिस मंदता के प्रति अभी उपयुक्त् जागरूकता नहीं आयी है । इस संदर्भ में लेखक का एक अनुभव प्रांसगिक होगा। अपने एम० एड० (विशेष शिक्षा) मानसिक मंदता के प्रशिक्षण के दौरान, लेखन एक निजी यात्रा पर या जिसमें , उसकी मुलाकात एक सहयात्री से हुयी जो एक उच्च विद्यालय में शिक्षक के रूम में कार्यरत थे । बातचीत के दौरान ,सहयात्री शिक्षक ने लेखक के वर्तमान कार्यादि के बारे में पूछा। जब सूचनाओं के आदान प्रदान के दौरान लेखक ने बताया कि वह गणित से स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त करके के बाद , मानसिक मंदता युक्त बालकों के शिक्षण प्रशिक्षण में स्नातकात्तर उपाधि का छात्र है , तो सहयात्री शिक्षक का अगला प्रश्न थां '' पहले तो आप सामान्य (Normal) थे , आपको यह समस्या (Problem)कब से शुरू हुयी ? कहने का तात्पर्य है कि आप भी हमारे भारतीय समाज में मानसिक मंदता युक्त बालकों को असामान्य (Abnormal) समझना आम बात है । ऐसे में

विशेषज्ञ शिक्षको की यह अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका बन जाती हे कि वह विद्यालय के अन्य छात्रों साथी शिक्षकों, एवं विद्यालय के अन्य कर्मचारियों का मानसिक मंदता युक्त बालकों के प्रति जागरूक उनकी विशेष आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील बनायें।

2. **समुदाय में जागरुकता लाने एवं मानसिक मंदता युक्त बालकों के समुदाय आधारित पुरर्वास (Community Based Rehabilitation CBR) में-** शिक्षक सामाजिक परिवर्तन का नेतृत्व करता है क्योंकि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का आधार हैं। विद्यालयी क्रियाओं से इतर, विशेष ज्ञ शिक्षक की भूमिका मानसिक मंदता के प्रति सामाजिक जागरुकता लाने और मानसिक मंद बालकों के समुदाय आधारित पुनर्वास में भी है। विशेष ज्ञ शिक्षक की यही भूमिका भ्रमणशील शिक्षक की संकल्पना में निहित है जिसमें, विशेष ज्ञ शिक्षक की इतर विद्यालयी भूमिकाओं में समुदाय में जाकर मानसिक मंदता युक्त बालको की पहचान, रेफरल, और उन्हे नियमित विद्यालय में भेजना सुनिश्चित करना भी शामिल है। मानसिक मंदता /बौद्धिक अक्षमता वाले बालकों का 'पूर्ण समावेश' तब तक संभव नहीं जब तक कि संपूर्ण समुदाय केा उसके प्रति जागरूक न बनाया जाय। इसके अलावा मानसिक मंदता युक्त बालकों का शिक्षयण प्रशिक्षण तब तक प्रभावी नहीं माना जा सकता जब तक उन्हें अनुकुलतम स्तेर स्वखलबी तक न बना दिया जाय। ऐसे में विशेषज्ञ शिक्षक समुदाय का जागरूक बनाने में , उा समुदाय में मानसिक मंदता युक्त बालकों के पुनर्वास हेतु विभिन्न रोजगारों की पहचान करने में समुदाय में व्याप्त भेद भाव पूर्ण व्यवहार को कम करने में किये जा रहे प्रयासो का नेतृत्व विशेषज्ञ शिक्षक का करना चाहिए।

3. **मानसिक मंदता युक्त बालकों को एवं अभिभावकों को उनके अधिकारों एवं मिलने वाले सरकारी लाभ के बारे में जागरुक करने में-** मानसिक मंदता युक्त बालकों के समावेशी शिक्षण का बढ़ाया देने के लिये एवं उनके कल्याणार्थ विभिन्न सरकारी योजनायें चलायी जा रही है जिसके बारे में प्रायः गा्रमिण क्षेत्रो के अभिभावक जागरूक नहीं है और फलतः उसका लाभ नहीं उठा पाते । एक विशेषज्ञ शिक्षक का तत्संबंधित योजनाओं के बारे मं न केवल जागरूक होना चाहिए बल्कि अभिभावक को इसके प्रति जागरूक बनाने एवं सुविधाये हासिल करने की विभिन्न प्रक्रियाओ से परिचित कराने में विशेषज्ञ शिक्षक का तथा संभव मदद करनी चाहिए ताकि चलायी जा रही कल्याणकरी योजनायें उपयुक्त लाभार्थी तक पहुँच सकें।

4. **अभिभावकों एवं मानसिक मंदता युक्त बालक के एक काऊंसलर के रूप में-** किसी बालक में मानसिक मंदता /बौद्धिक अक्षमता का निर्धारण, न केवल बालक को, बल्कि उसके पूरे परिवार का प्रभावित करता है । परिवार के लोग सर्वप्रथम यह स्वीकार ही नहीं कर पाते कि उनके बच्चे में मानसिक मंदता है ,फलतः इधर उधर उसके इलाज , झाड़-फूँक आदि के लिये परेशान होते रहते है। और अच्चे के प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण समय इन कार्यो मे गँवा देते है । फिर जब वे यह स्वीकार कर लेते है कि उनके बच्चे मे मानसिक मंदता है तब वे प्रायः उनके शिक्षण के लिये उन्मुख होते है ,परंतु उन्हें आशा होती है कि विशषज्ञ शिक्षक के पास कोई जादू है जिससे उनका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जायेगा। इसके अलावा कई बार वे अपने बच्चे का आवश्यकता से अधिक ध्यान रखना शुरू

कर देते है जा बच्चे को स्वावलंबी बनने में बाधा उत्पन्न करता है। मानसिक मंद बालक का पिता कहलाने में सामाजिक शर्म महसूस करते हैं, और बच्चे को सामाजिक अवसरों पर ले जाने से कतराते हैं जो बच्चे के अनुकूलनीय व्यवहारों और उनके सामाजिक समायोजन को प्रभावित करता है। साथ ही बच्चे के अभिभावक बच्चे के भविष्य को लेकर अवसादग्रस्त हो जाते हैं। इन परिस्थितियों में विशेषज्ञ शिक्षक न केवल बच्चे के लिये बल्कि उसके अभिभावको के लिये भी , एक काऊंसलर के रूप् मं उन्हें उपरोक्त परिस्थितियों से बाहर निकालने में , उन्हें यह समझने में कि शनैः शैनेः प्रशिक्षण दिये जाने पर उनको अनुकूलनीय व्यवहार उन्नत होगा। और यह किसी भी परिवार मं हो सकता है ,अतः सामाजिक शर्म महसूस करने की बजाय वे बच्चे के साथ अधिकाधिक सामाजिक कार्यो में भाग लें,बच्चे को अति रख-रखाव की बजाय कार्य करने का अवसर दें, उसकी शिक्षा मं भागीदार बनें और अक्षमता के प्रति समुदाय में जागरूकता फैलाये। इन कार्यो में विशेष शिक्षक एक अत्यंत उपयोगी काऊँसलर की भूमिका निभा सकता है।

21.5.3 विशेष ज्ञ शिक्षक की अन्य भूमिकाऐं

- सामान्य शिक्षक एवं आवश्यकतानुसार अन्य विशेष ज्ञों से समन्वय स्थापित करने में
- TLM निर्माण में
- अक्षमता युक्त बालकों के लिए प्रभावी अनुकुलनः

1. **सामान्य शिक्षक एवं आवश्यकतानुसार अन्य विशेष ज्ञों से समन्वय स्थापित करने में**- समावेशी शिक्षा में एक मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमतायुक्त बालक अधिकांष समय तक सामान्य कक्षा में सीखता है। ऐसे में विशेष ज्ञ शिक्षक द्वारा विभिन्न विषयों के शिक्षकों से समन्वय बनाकर कार्य करना पड़ता है। जब तक बच्चे के व्यक्तिगत प्रशिक्षण और सामान्य कक्षा के क्रियाओं में तारतम्यता नही होगी तब तक बच्चे की उपयुक्त प्रगति संभव नहीं। इसके अतिरिक्त कई बार मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता से जुड़ी हुई अन्य स्थितियाँ भी होती है यथा आँख और हाथ के समन्वय में परेषानी, गामक कठिनाइयों आदि और इसके लिए उसे विभिन्न व्यसायियों यथा चिकित्सक, आकुपेषनल थेरेपिस्ट, फिजियाथेरेपिस्ट योगा थेरापिस्ट स्वीच थेरेपिस्ट आदि के सेवाओं की आवश्यकता भी होती है, ऐसी परिस्थिति में विशेष ज्ञ शिक्षक को प्रभावी शिक्षण हेतु, उनके लिये समय का आबंटन आदि कार्यों में मुख्य भूमिका निभानी पड़ती है। सामान्य शिक्षक एवं आवश्यकतानुसार अन्य विशेषज्ञों के साथ समन्वय बनाने का कार्य भी विशेषज्ञ शिक्षक का करना होता है। विशेष शिक्षक को संदर्भित बालक की मानसिक मंदता , उससे संबद्ध अन्य अवस्थायें , उसकी अन्य शिक्षण से इतर आवश्यकतायें अर्थात चिकित्सकीय सेवा, थेरेपी , परामर्श इन सभी से संपर्क रखना और अनके समन्वय से व्यक्तिगत शिक्षण-योजना क्रियान्वित करना, माता-पिता का

बालक की शिक्षा में सक्रियता से शामिल आदि कार्यों की संपूर्ण जिम्मेवारी विशेषज्ञ शिक्षण की होती है।

2. **शिक्षण सामग्रियों (Teaching Learning Material or TLM) के निर्माण में** -शिक्षण सामग्रियों के निर्माण में मानसिक मंदता युक्त बालक समूह व्यक्तिगत -वैविध्य से पूर्ण होता है, प्रत्येक बच्चे की शैक्षिणिक आवश्यकता भिन्न होती है, उनके सीखने की गति अलग होती है । ऐसे वे विशेषज्ञ शिक्षक विभिन्न व्यक्तिनिष्ठ (Customized) शिक्षण सामग्रियों की आवश्यकता होती है। विशेष शिक्षक को बालक की आवश्यकतानुरूप ,सक्षे, टिकाऊ विषयोन्मुख ,खोजपूर्ण शिक्षण सामग्रियों के निंरतर विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है।
3. **मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता युक्त बालकों के लिये लिये प्रभावी अनुकूलनों के विकास में-** कई परिस्थितियाँ ऐसी आती है जिसमें हल्के वातावरणीय संशोधनों के उपरांत मानसिक मंदता युक्त बालक दिये गये कार्य करने में सक्षम हो जाता है । इन वातावरणीय संशोधनों को अनूकूलन (**Adaptation**) कहते है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुगम एवं आसान बनाने के लिये ,परिस्थितियाँ का आलोचनात्मक अध्ययन करके विशेषज्ञ शिक्षण को कई वातावरणीय अनुकूलन बनाने पड़ता है। उदाहरण के लिये यदि एक बालक का सूक्ष्म गामक (Fine Motor) की समस्या होने की वजह से यदि वह चम्मच को ठीक से पकड़ नहीं पाता तो उसे पकड़े बाँध कर मोटा बनाया जा सकता है । यदि कोई बच्चा लिखने समय कलम पकड़ने में समस्या का अनुभव कर रहा हो तो पेंसिल में एक छोटी गेंद ग्रिप के लिये लगायी जा सकती है । अनुकूलन प्रायः परिस्थिति जन्म होते है और शिक्षक की 'खोजपूर्ण ' प्रवृति पर निर्भर है कि वर्तमान परिस्थित का प्रयोग करते हुए अधिकतम अधिगम कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है।

मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता युक्त बालकों के लिए प्रभावी अनुकुलनः

शैक्षिक वातावरण संबंधी	अनुदेशानात्मक विधियों से संबंधित	परीक्षण प्रक्रिया संबंधी	समय एवं संगठन सहयोग संबंधी	अधिगम सामग्री/ संसाधन सम्बंधी
कक्षा में वैकल्पिक स्थान	शाब्दिक प्रस्तुतियों के पूरक के रूप में दृश्य सामग्रियाँ	ध्वनि से आलेख तकनीक (Voice to Text)	अतिरिक्त समय	'मैनिपुलेटिव' (Manipulative) मिटाने योग्य मार्कर
वैकल्पिक व्यवस्था (यथा संसाधन कक्ष)	दृश्य सामग्रियों की शाब्दिक व्याख्या	दृश्य फार्मेट (यथा चित्र, चार्ट, ग्राफ, डाइग्राम आदि	छोटे असाइनमेंट	कैलकुलेटर बोलती पुस्तकें (Talking Books)
सुगम भवन	कार्यों का छोट भागों में विभाजन	शाब्दिक प्रस्तुति	शैक्षणिक क्रियाओं में	ग्राफ/चार्ट/ डायग्राम

			विविधता	
अनुकुलित डेस्क टेबल	सहपाठी शिक्षण (Peer Tutoring)	दृश्य प्रस्तुति	असाइनमेंट के छोट छोटे खंड	कंप्यूटर सिस्टम उभरी पंक्तियों वाले कागज
बैठने हेतु कुशन	सहयोगी शिक्षण	वर्तनी जाँच	सहयोगी कक्षा	श्रवण यंत्र, (लाउड स्पीकर/हेंडसेट) आदि
ध्वनिक यंत्र	कंप्यूटर सहयोगी/तकनीकी (यथाः लाउडस्पीकर आदि)	कैलकुलेटर	सुगम भवन	बड़े प्रिंट में विभिन्न पाठ्य वस्तुओं के चार्ट

अभ्यास प्रश्न

16. मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमतायुक्त बालकों के समावेशी शिक्षण में संसाधन कक्ष शिक्षण की आवश्यकता होती है। (सत्य/असत्य)
17. मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमतायुक्त बालकों के कक्षा में समायोजन। (सत्य/असत्य)
18. कंप्यूटर अधारित अनुदेशन, मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमतायुक्त बालकों के शिक्षण की प्रभावी युक्ति है। (सत्य/असत्य)
19. सहपाठी शिक्षण विशेष बालक के कक्षा में समायोजन में मदद करता है। (सत्य/असत्य)
20. विशेषज्ञ शिक्षक को मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता युक्त के प्रति समाज में जागरुकता फैलाने का कार्य भी करना चाहिए। (सत्य/असत्य)
21. संसाधन-कक्ष शिक्षण में विशेष ज्ञ शिक्षक की कोई भूमिका नहीं है। (सत्य/असत्य)

21.6 मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमतायुक्त बालकों की समावेशी शिक्षा में सामान्य शिक्षक की भूमिका

अभी अभी आपने मानसिक मंदता युक्त बालकों की समावेशी शिक्षा में विशेषज्ञ शिक्षक की भूमिकाऐं देखी। अब हम समावेशी शिक्षा के संदर्भ में सामानय शिक्षकों की भूमिकाओं का अध्ययन करेगी।

21.6.1 सामान्य शिक्षक की शैक्षणिक भूमिका

- मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता युक्त बालकों की विशेष शैक्षिक आवश्यकता की सामान्य कक्षा में पूरा करना
- सभी बालकों के शैक्षिक विकास पर ध्यान रखना
- शिक्षण में मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता विशेषज्ञ शिक्षण के साथ समन्वय
- मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमतायुक्त बालकों की समावेशी शिक्षा में अभिनव शिक्षण तकनीकों का कक्षा में प्रभावी शिक्षण हेतु प्रयोग करने में

1. **मानसिक मंदता युक्त बालक की विशेष आवश्यकताओं को ध्याने में रखते हुए कक्षा शिक्षण -** समावेशी शिक्षा की संकल्पना 'सभी बालकों के समन्वित विकास' पर आधारित है अतः आमान्य शिक्षक को कक्षा में उपस्थित बालकों की विभिन्न को ध्यान में रखते हुए शिक्षण कार्य करना चाहिए। विभिन्न अक्षमता युक्त (जिसमें मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता भी शामिल है) बालकों की विशेष आवश्यकताओं के मद्देनजर पढ़ाने में शिक्षक को वातावरण को रुचिकर बनाना, आकर्षक एवं उपयुक्त विभिन्न शिक्षण सामग्रियों आदि का प्रयोग करना, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में सभी बालकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना आदि क्रियाओं को सम्मिलित करना चाहिए।
2. **सभी बालकों के शैक्षणिक विकास पर ध्यान-** समावेशी शिक्षण के वातावरण में सभी बालकों के शैक्षणिक विकास पर ध्यान रखना सामान्य शिक्षक की नैतिक भूमिका है। शिक्षक को मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता अन्य अक्षमता युक्त बालकों के शैक्षणिक विकास के साथ-साथ अन्य बालकों के शैक्षणिक विकास पर भी ध्यान रखना चाहिए। यदि सामान्य शिक्षक का शिक्षण सिर्फ मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता / अन्य अक्षमता युक्त बालकों को ध्यान में रखकर होगा, तो कक्षा के अन्य बच्चों की शिक्षा प्रभावित होगी, वहीं यदि सामान्य शिक्षक कक्षा में उपस्थित मानसिक मंदता एवं अन्य अक्षमता युक्त बालकों की उपेक्षा करेगा तब समावेशी शिक्षण की मूल भावना प्रभावित हीगी। अतः सामान्य शिक्षक को सभी बालकों के शैक्षणिक विकास पर ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए।
3. **शिक्षण में मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता विशेषज्ञ शिक्षण के साथ समन्वय-** सामान्य शिक्षक विभिन्न अक्षमता/ मानसिक मंदता युक्त बालकों के विशेष ज्ञ शिक्षक से सलाह लेकर, एवं बालक के व्यक्तिगत शिक्षण योजना से तालमेल बिठकार ही, प्रभावी शिक्षण कर सकता हैं सामान्य शिक्षक एवं विशेष शिक्षक दोनों को आपस में चर्चा करके, अधिगम अक्षमता युक्त बालक के लिए व्यक्तिगत शिक्षण योजना, बालक की अधिगम समस्याएं एवं सामूहिक कक्षा में उसका संभव हल निकालें, तभी अधिगम युक्त बालकों का कक्षा शिक्षण एवं अधिगम प्रभावी होगा।

4. **मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमतायुक्त बालकों की समावेशी शिक्षा में अभिनव शिक्षण तकनीकों का कक्षा में प्रभावी शिक्षण हेतु प्रयोग करने में** - अभिनव शिक्षण तकनीकों का कक्षा में प्रयोग करके सभी बालकों के लिए प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने में सामान्य शिक्षक का बड़ा हाथ है। मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता युक्त बालकों की शिक्षण पद्धतियों पर नित्य नए-नए शोध हो रहे हैं और नई-नई शिक्षण तकनीकें विकसित की जा रही हैं सामान्य शिक्षक को गंभीरतापूर्वक विचार करके विभिन्न नवीन शिक्षण तकनीकों का यथासंभव, परिस्थितिनुसार, उपयुक्त प्रयोग करके शिक्षण को प्रभावी बनाने का प्रयास करनार चाहिए।

21.6.2 सामान्य शिक्षक की सामाजिक भूमिका

- सामान्य कक्षा में मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमतायुक्त बालकों का सामंजस्य बिठाने में
- मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमतायुक्त बालकों को स्व.अभिव्यक्ति का बराबर अवसर देने में
- मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमतायुक्त बालक एवं अन्य विभिन्न आवश्यकता वाले बालकों में एक सहयोग पूर्ण वातावरण बनाने में

1. **सामान्य कक्षा में मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमतायुक्त बालकों का सामंजस्य बिठाने में**- सामान्य कक्षा में मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता युक्त बच्चों का सहपाठियों के साथ सामंजस्य बिठाने में सामान्य शिक्षक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। कई बार, मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता युक्त बालक, अपनी विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं के कारण सहपाठियों में पिछड़ा समझा जाने लगता है, और सहपाठी अस्वीकार्यता (Peer Rejection) का शिकार हो जाता है। कई बार ऐसी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे विभिन्न तरीके के शोषण एवं सताए जाने (**Bullying**) का शिकार हो जाते हैं। एक सामान्य शिक्षक को कक्षा में छात्रों की विभिन्न गतिविधियों एवं कक्षा की गतिकि (Class Dynamics) पर पैनी नजर रखनी चाहिए और यदि ऐसी किसी भी संभावना का संकेत मिलता है तो शिक्षक को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए ताकि स्थिति गंभीर रूप न ले ले। जब तक मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता युक्त बालक कक्षा में स्वीकार्य नहीं होगा तब तक अधिगम अभावी नहीं हो सकता। मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता युक्त बालकों की कक्षा में सहपाठियों के मध्य स्वीकार्य बढ़ाने के लिए सभी बालकों को विशेष आवश्यकता वाले बालकों के प्रति जागरुक बनाने में सामान्य शिक्षक एक अहम् भूमिका निभा सकता है, साथ ही 'सहपाठी शिक्षण ' जैसी आधुनिक तकनीकों का प्रयोग भी कर सकता है जो मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता युक्त बालकों को अपने अन्य सहपाठियों से घुलने-मिलने में उनकी मदद करेगा।

2. **मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमतायुक्त बालकों को स्वअभिव्यक्ति का बराबर अवसर देने में**- मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता युक्त स्व-अभिव्यक्ति बालकों को बराबर अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, जिसकी जिम्मेदारी मुख्यतः सामान्य शिक्षक की है। प्रायः इस प्रकार के अक्षमता युक्त

बालक कक्षा में पिछड़े दिखाई देते हैं और फलस्वरूप इन्हें स्वाभिव्यक्ति का अवसर नहीं मिल पाता, उस अवसर को अन्य बालक छीन लेते हैं एक सामान्य शिक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता युक्त बालक को भी कक्षा में स्वाभिव्यक्ति का पूरा मौका मिले अन्यथा वह कक्षा में उत्तरोत्तर पिछड़ता चला जाएगा।

3. **मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमतायुक्त बालक एवं अन्य विभिन्न आवश्यकता वाले बालकों में एक सहयोग पूर्ण वातावरण बनाने में-** मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता युक्त बालक एवं अन्य बालकों के मध्य एक सहयोग पूर्ण वातावरण का विकास का प्रयास सामान्य शिक्षक को करना चाहिए जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को अत्यंत प्रभावी बनाता हैं कक्षा के सभी बालकों में एक पारस्परिक सद्भावना एवं सम्मान का भाव विकसित करने के लिए सामान्य शिक्षक छात्रों को व्यक्तिगत कार्यों के अतिरिक्त सामूहिक कार्य भी छात्रों को दे सकता है। कक्षा में छोत्रों/छात्र समूहों के बीच एक स्वस्थ्य प्रतिस्पर्द्धा का वातावरण विकसित किए जाने में सामान्य शिक्षक की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है।

21.6.3 सामान्य शिक्षक की अन्य भूमिकाऐं

- मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमतायुक्त बालकों की शिक्षा में अभिभावकों की भागीदारी बढाने में
- समुदाय को समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया में शामिल करने में
- अक्षमता ग्रस्त बालकों (जिसमें मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता भी शामिल है) के प्रभावी शिक्षण हेतु अल्पव्ययी, खोजपूर्ण, कार्यानुसार शैक्षणिक सामग्री के विकास में।
- सामान्य पाठ्यक्रम में मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमतायुक्त बालकों के लिए उपयुक्त अनुकूलन
- मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमतायुक्त बालकों की शिक्षा में अभिभावकों की भागीदारी बढाने में

अभ्यास प्रश्न

22. मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमतायुक्त बालकों की सहपाठी स्वीकार्यता में सामान्य शिक्षक की अहम् भूमिका है। (सत्य/असत्य)
23. सामान्य शिक्षक का मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमतायुक्त बालक के विद्यालय में समायोजन से कोई सरोकार नहीं है। (सत्य/असत्य)
24. सामान्य शिक्षक को विशेष ज्ञ शिक्षक के साथ समन्वय बनाकर कार्य करना चाहिए। (सत्य/असत्य)
25. सामान्य शिक्षक मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमतायुक्त बालकों को अभिभावकों की उनकी शिक्षा में भागीदारी बढ़ाने में मददगार हो सकता है। (सत्य/असत्य)
26. मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमतायुक्त बालक वर्त्तमान भारतीय कानूनों के अंतर्गत 'अक्षमता' की श्रेणी में नहीं आते। (सत्य/असत्य)

21.7 सारांश

इस इकाई मे अक्षमता के अध्ययन के चिकित्सकीय और सामाजिक उपागमों का तुलनात्मक अध्ययन किया। जहाँ चिकित्सकीय उपागम की मान्यता ,विकलांगता को व्यक्तिगत समस्या मानते हुए उसके इलाज की ओर कंद्रित है वहीं सामाजिक उपागम विकलांगता का एक सामाजिक समस्या मानते हुए उसके समाधान एवं समाजिक स्वीकार्यता पर बल देता है। आपने यह भी पढ़ा कि 'विकलांगता' का 'लेवल' लगने से व्यक्ति का आत्म सम्मान ,आत्म विश्वास , सामाजिक स्तर, अदि नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है वहीं दूसरी ओर विशेष शिक्षा एवं अन्य सुविधाओं का लाभ उठाने, उपयुक्त सेवायें प्राप्त करने में 'लेबलिंग' मददगार है।

इसके अतिरिक्त आपने मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता के क्रमिक विकास आदि के बारे में पढ़ा। इसी क्रम में आपने आगे विशेष शिक्षा, समेकित शिक्षा एवं समावेशी शिक्षा के बारे में पढ़ा। विशेष शिक्षा का तात्पर्य विशेष तकनीक विशेष सामग्री विशेष वातावरण और विशेष शिक्षको द्वारा अक्षमतायुक्त बालकों के शिक्षण से है। इसमें बालक के पास समाजीकरण , एवं नकल करके सीखने का अवसर कम होता है। साथ ही खर्चीला तो है परंतु बच्चो पर व्यक्तिगत ध्यान की वजह से अतिगंभीर एवं गंभीर अक्षमता मुक्त बालको की विशेष शैक्षिक आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम ह ै। समेकित शिक्षा मध्यम स्तर का सामाजिकरण का अवसर अक्षमता युक्त बालकों को प्रदान करता है परंतु अत्यंत खर्चीला है अक्षमता बालको की शेक्षणिक क्रियाओं में पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित नहीं करता है। समावेशी शिक्षा सभी बालकों के लिये एक उत्तम विकल्प है जो कम खर्चिला है और सामान्य शिक्षण वातावरण में अक्षमता युक्त बालकों की समाजिकरण का बेहतर अवसर प्रदान करता है। आपने मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता युक्त बालको के समावेशी शिक्षण मे विशेषज्ञ एवं सामान्य शिक्षको की शैक्षणिक, सामाजिक और अन्य भूमिकाओ के बारे में पढ़ा जिनमें अतिरिक्त शिक्षण, संसाधन कक्ष शिक्षण, अभिभावक परामर्शदाता, सामुदायिक जागरूकता, आदि महत्वपूर्ण है। आपने यह भी देखा कि एक मानसिक मंद/बौद्धिक अक्षम बालक के प्रभावी समावेशी शिक्षण मे स्कूल, सामान्य शिक्षक, विशेषज्ञ शिक्षक, छात्र स्वयं ,एवं अभिभावक और समाज की भागीदारी आवश्यक है।

21.8 शब्दावली एवं शब्द विस्तार

1. **चिकित्सकीय उपागम-** चिकित्सकीय उपागम की मान्यता है कि अन्य बीमारियों की तरह ही अक्षमता/विकलांगता भी किसी व्यक्ति के अंदर किसी प्रकार की जैविक ;ठपवसवहपबंसद्ध कमी से होती है जिसे दवाओं से ठीक किया जा सकता है।
2. **सामाजिक उपागम-** अक्षमता के अध्ययन का सामाजिक उपागम अक्षमता को एक सामाजिक वैविध्य
   (Social Diversity) के रूप में देखता है और उसे स्वीकार करते हुए, उसके सामाजिक समाधान एवं सामाजिक भागीदारी से समाधान पर जोर देता है।

3. **विशेष शिक्षा** का तात्पर्य है विशेष आवश्यकता युक्त बालक को (सामान्य से अलग) विशेष वातावरण में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों द्वारा, विशेष संरचित पाठ्यक्रम, विशिष्ट तकनीकों एवं विधियों तथा विशेष रूप से निमित्ति शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करके पढ़ाना।
4. **समेकित शिक्षा** का तात्पर्य है अक्षमताग्रस्त बालकों को कुछ समय के लिए सामान्य बालकों के साथ अंतः क्रिया का मौका देना जैसे लंच टाइम में, खेल के समय, विभिन्न सामाजिक अवसरों पर आदि परंतु उनका संपूर्ण शिक्षण का कार्य अलग-अलग होता है चाहे दोनों विद्यालय अलग-अलग हों या विशेष बालक की एक ही कैंपस में अलग कक्षा हो।
5. शिक्षा के क्षेत्र में समावेष (समावेशी शिक्षा) का तात्पर्य है विद्यालय के पुनर्निर्माण की वह प्रक्रिया जिसके लक्ष्य सभी बच्चों को शैक्षणिक और सामाजिक अवसरों की उपलब्धता है। इस प्रक्रिया में पाठ्यक्रम, परीक्षण, छात्र की उपलब्धियों का रिकार्ड, विभिन्न योग्यताओं के आधार पर छात्रों के समूहन, शिक्षण तकनीक, कक्षा के अंदर के कार्यकलाप आदि के साथ ही खेल और मनोरंजनात्मक क्रियाओं भी समाहित है।
6. CAI: Computer Assisted Instruction
7. PALS: Peer Assisted Learning Strategies
8. CBR: Community Based Rehabilitation
9. TLM: Teaching Learning Material

21.9 संदर्भ ग्रथ सूची/अन्य अध्ययन

1. हेवार्ड डब्ल्यू.जे., (2006), विशिष्ट काउंसिल ऑफ एक्सेप्सनल चिल्ड्रेन (CEC से प्रकाशित।
2. ल्यूकेसान एवं अन्य, (1992), मेंटल रिटार्डेषन, क्लासिफिकेषन एंड सिस्टम ऑफ सपोटर््स (9वीं मैनुअल) AAMR से प्रकाशित ।
3. श्लेलॉक एवं अन्य, (2002), मेंटल रिटार्डेषन, क्लासिफिकेषन एंड सिस्टम ऑफ सपोटर््स (9वीं मैनुअल) AAMR से प्रकाशित।
4. डिसेविलिटी स्टेटस ऑफ इंडिया ;2007द्ध भारतीय पुनर्वास परिषद् से प्रकाशित।
5. यूनेस्को, (2001), अंडरस्टैडिंग एंड रेस्पॉडिंग टू चाइल्ड नीड्स इन इनक्लूसिव क्लासरूम, यूनेस्को से प्रकाशित।
6. मंगल एस.के., (2007), विशिष्ट बालक, प्रेंटिल हॉल ऑफ इंडिया से प्रकाशित।
7. हालाहन डी.पी. एंड कॉफ मैन जे.एम., (2006), एक्सेप्सनल चिल्ड्रेन इंट्रोडक्षन टू स्पेषल एजुकेषन, पार्सन एजुकेषन से प्रकाशित।
8. भारत सरकार, (1995), पर्सन्स विथ डिसैविलिटिज ऐक्ट, भारत सरकार से प्रकाशित।

9. यूनेस्को, (2004), इमब्रासिंग डायवर्सिटि टूलकिट फॉर क्रिएटिंग इनक्लूसिव लर्निंग फ्रेंडली इनवायरमेंट यूनेस्को की वेबसाइट से लिया गया।
10. एनिसवर्थ पी. एंड बेकर सी.बी. (2004), अंडरस्टैडिंग मेंटल रिटार्डेषन, यूनिवर्सिटी प्रेस ऑफ मिसीसीपी से प्रकाशित।
11. रेनाल्डस सी.आर. एंड जानजेन इ.एफ. (Ed), (2007), इनसालक्लोपीडिया ऑफ स्पेषन एजुकेषन, जॉन वाइली एंड संस से प्रकाशित।

21.10 निबंधात्मक प्रश्न

1. अक्षमता के अध्ययन के विभिन्न उपागम क्या हैं? अक्षमता के अध्ययन के चिकित्सकीय एवं सामाजिक उपागम का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत करें।
2. विशेष शिक्षा , समेकित शिक्षा और समावेशी शिक्षा की परिभाषा दीजिए एवं इनके लाभ और हानियों की चर्चा करें।
3. समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं? इसकी विशेष ताएं और फायदे पर प्रकाश डालें।
4. एक मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता युक्त बालक के समावेशी शिक्षण में विशेष शिक्षक की विभिन्न भूमिकाओं की विस्तृत चर्चा करें।
5. एक मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता बालक के समावेशी शिक्षण में सामान्य शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है, विस्तार से लिखें।

ईकाई 22 अधिगम अक्षमताः अर्थ, विशेषता एवं वर्गीकरण

22.1 प्रस्तवाना
22.2 उद्देश्य
22.3 अधिगम अक्षमता: एक परिचय
22.3.1 अधिगम अक्षमता का अर्थ और परिभाषा
22.3.2 ऐतिहासिक परिदृश्य
22.3.3 अधिगम अक्षमता की प्रकृति एवं विशेषताएँ
22.4 अधिगम अक्षमता का वर्गीकरण
22.5 अधिगम अक्षमता और अन्य विकलांगता
22.5.1 अधिगम अक्षमता और मानसिक मंदता
22.5.2 अधिगम अक्षमता और स्लो लर्नर्स व पिछड़े बालक
22.6 सारांश
22.7 शब्दावली
22.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
22.9 संदर्भ ग्रंथ सूची
22.10 सहायक/उपयोगी पाठ्यसामग्री
22.11 निबंधात्मक प्रश्न

22.1 प्रस्तावना

आज शिक्षा के सार्वभौमीकरण के प्रयास के तहत विशिष्ट शिक्षा के संप्रत्यय को बल मिला है लेकिन लोगों में अभी भी जागरुकता का अभाव है। विशिष्ट बालक कौन है और विशिष्टता के कितने प्रकार हैं, इस संदर्भ में या तो लोगों को जानकारी ही नहीं है या फिर अपूर्ण जानकारी है। विशिष्ट बालक के मुख्य प्रकार जैसे अस्थि विकलांगता, श्रवण विकलांगता, दृष्टि विकलांगता आदि में तो फिर भी लोग अंतर कर लेते हैं लेकिन मानसिक मंदता, अधिगम अक्षमता, पागलपन आदि की जानकारी उन्हें नहीं है। भ्रमवश वे इन सबको एक ही अर्थ में समझते हैं तथा एक ही अर्थ में प्रयोग करते हैं। यह बहुत गंभीर समस्या है। अधिगम अक्षमता के साथ ऐसा अधिकांशतः होता है।

हर प्रकार के विशिष्टता की अपनी प्रकृति होती है और उस प्रकृति के अननुकूल हीं हमें शिक्षण अधिगम-प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। अतः, यह आवश्यक है कि हम विशिष्ट बालकों के विभिन्न प्रकार को

जाने एवं समझें। इसी क्रम में, इस इकाई में हम विशिष्ट बालकों के एक प्रकार, अधिगम अक्षमता की परिभाषा, प्रकृति लक्षण, विभिन्न प्रकार एवं विशिष्ट बालकों के अन्य प्रकार से अंतर की चर्चा करेंगे।

22.2 उद्देश्य

इस ईकाई के अध्ययन के पश्चात आप:

1. अधिगम अक्षमता की परिभाषा, प्रकृति, विशेषता की व्याख्या कर सकेंगे;
2. अधिगम अक्षमता के विभिन्न प्रकार का वर्णन कर सकेंगे;
3. अन्य प्रकार की विकलांगताओं एवं अधिगम अक्षमता में अंतर कर सकेंगे।

22.3 अधिगम अक्षमता: एक परिचय

22.3.1 अधिगम अक्षमता का अर्थ और परिभाषा

"अधिगम अक्षमता" पद दो अलग-अलग पदों "अधिगम" और "अक्षमता" से मिलकर बना है। अधिगम शब्द का आशय "सीखने" से है तथा "अक्षमता" का तात्पर्य "क्षमता के अभाव" या "क्षमता की अनुपस्थिति" से है। अर्थात् सामान्य भाषा में "अधिगम अक्षमता" का तात्पर्य "सीखने की क्षमता अथवा योग्यता" की कमी या अनुपस्थिति से है। सीखने में कठिनाइयों को समझने के लिए हमें एक बच्चे की सीखने की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों का आकलन करना चाहिए। प्रभावी अधिगम के लिए.मजबूत अभिप्रेरण, सकारात्मक आत्म छवि, और उचित अध्ययन प्रथाएँ एवं रणनीतियाँ आवश्यक शर्तें हैं (एरो, जेरे-फोलोटिया, हेन्गारी, कारिउकी तथा म्कानडावायर, 2011)। औपचारिक शब्दों में, "अधिगम अक्षमता" को "विद्यालयी पाठ्यक्रम" सीखने की क्षमता की कमी या अनुपस्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

"अधिगम अक्षमता" पद का सर्वप्रथम प्रयोग 1963 ई. में सैमुअल किर्क द्वारा किया गया था और इसे निम्न शब्दों में परिभाषित किया था-

"अधिगम अक्षमता को वाक्, भाषा, पठन, लेखन या अंकगणितीय प्रक्रियाओं में से किसी एक या अधिक प्रक्रियाओं में मंदता, विकृति अथवा अवरुद्ध विकास के रुप में परिभाषित किया जा सकता है, जो संभवत: मस्तिष्क कार्यविरुपता और/या संवेगात्मक अथवा व्यावहारिक विक्षोभ का परिणाम है न कि मानसिक मंदता, संवेदी अक्षमता अथवा सांस्कृतिक या अनुदेशन कारक का। (किर्क,1963)

इसके पश्चात से अधिगम अक्षमता को परिभाषित करने के लिए विद्वानों द्वारा निरंतर प्रयास किए गए, लेकिन कोई सर्वमान्य परिभाषा विकसित नहीं हो पाई।

अमेरिका में विकसित फेडरल परिभाषा के अनुसार, "विशिष्ट अधिगम अक्षमता को, लिखित एवं मौखिक भाषा के प्रयोग एवं समझने में शामिल एक या अधिक मूल मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया में विकृति, जो व्यक्ति के सोच, वाक्, पठन, लेखन, एवं अंकगणितीय गणना को पूर्ण या आंशिक रुप में प्रभावित करता है, के

रुप में परिभाषित किया जा सकता है। इसके अंतर्गत इन्द्रियजनित विकलांगता, मस्तिष्क क्षति, अल्पतम असामान्य दिमागी प्रक्रिया, डिस्लेक्सिया, एवं विकासात्मक वाच्चाघात आदि शामिल है। इसके अंतर्गत वैसे बालक नहीं साम्मिलित किए जाते हैं, जो दृष्टि, श्रवण या गामक विकालांगता, संवेगात्मक विक्षोभ, मानसिक मंदता, सांस्कृतिक या आर्थिक दोष के परिणामत: अधिगम संबंधी समस्या से पीड़ित है।" (फेडरल रजिस्टर, 1977)

वर्ष 1994 में अमेरिका की अधिगम अक्षमता की राष्ट्रीय संयुक्त समिति (द नेशनल ज्वायंट कमीटी ऑन लर्निंग डिसएबलिटिज्स) ने अधिगम अक्षमता को परिभाषित करते हुए कहा कि "अधिगम अक्षमता एक सामान्य पद है, जो मानव में अनुमानत: केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र के सुचारु रुप से नहीं कार्य करने के कारण उत्पन्न आंतरिक विकृतियों के विषम समूह, जिसमें की बोलने, सुनने, पढ़ने, लिखने, तर्क करने या गणितीय क्षमता के प्रयोग में कठिनाई शामिल होते हैं, को दर्शाता है। जीवन के किसी भी पड़ाव पर यह उत्पन हो सकता है। हालाँकि अधिगम अक्षमता अन्य प्रकार की अक्षमताओं (जैसे कि संवेदी अक्षमता, मानसिक मंदता, गंभीर संवेगात्मक विक्षोभ) या सांस्कृतिक भिन्नता, अनुपयुक्तता या अपर्याप्त अनुदेशन के प्रभाव के कारण होता है लेकिन ये दशाएँ अधिगम अक्षमता को प्रत्यक्षत: प्रभावित नहीं करती हैं" (द नेशनल ज्वायंट कमीटी ऑन लर्निंग डिसएबलिटिज्स-1994) .

उपर्युक्त परिभाषाओं की समीक्षा के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अधिगम अक्षमता एक व्यापक संप्रत्यय है, जिसके अंतर्गत वाक्, भाषा, पठन, लेखन, एवं अंकगणितीय प्रक्रियाओं में से एक या अधिक के प्रयोग में शामिल एक या अधिक मूल मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया में विकृति को शामिल किया जाता है, जो अनुमानत: केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र के सुचारू रुप से नहीं कार्य करने के कारण उत्पन्न होता है। यह स्वभाव से आंतरिक होता है।

22.3.2 ऐतिहासिक परिदृश्य

अधिगम अक्षमता के इतिहास पर दृष्टिपात करने से आप पाएँगे कि इस पद ने अपना वर्तमान स्वरुप ग्रहण करने के लिए एक लंबा सफर तय किया है। इस पद का सर्वप्रथम प्रयोग 1963 ई. में सैमुअल किर्क ने किया था। यही पद आज सार्वभौम एवं सर्वमान्य है। इसके पूर्व विद्वानों ने अपने-अपने कार्यक्षेत्र के आधार पर अनेक नामकरण किए थे। जैसे- न्यूनतम मस्तिष्क क्षतिग्रस्तता (औषधि विज्ञानियों या चिकित्सा विज्ञानियों द्वारा), मनोस्नायुजनित विकलांगता (मनोवैज्ञानिकों + स्नायुवैज्ञानिकों द्वारा), अतिक्रियाशीलता (मनोवैज्ञानिकों द्वारा),न्यूनतम उपलब्धता (शिक्षा मनोवैज्ञानिकों द्वारा) आदि।

रेड्डी, रमार एवं कुशमा (2003) ने अधिगम अक्षमता के क्षेत्र के विकास को तीन निम्नलिखित चरणों में विभाजित किया है-

- प्रारम्भिक (Foundation) काल
- रूपान्तरण (Transition) काल
- स्थापन (Recognition) काल

प्रारम्भिक काल- यह काल अधिगम अक्षमता के उदभव से सम्बन्धित है। वर्ष 1802 से 1946 के मध्य का यह समय अधिगम अक्षमता के लिए कार्यकारी साबित हुआ। अधिगम अक्षमता प्रत्यय की पहचान एवं विकास इसी समय से आरम्भ हुई तथा उनकी पहचान तथा उपयुक्त निराकरण हेतु प्रयास किए जाने लगे।

रूपान्तरण काल - यह काल अधिगम अक्षमता के क्षेत्र में एक नये रूपान्तरण का काल के रूप में जाना जाता है। जब अधिगम अक्षमता एक विशेष अक्षमता के रूप में स्थापित हुई तथा जब अधिगम अक्षमता प्रत्यय का उद्भव हुआ, इन दोनों के मध्य का संक्रमण का काल ही रूपान्तरण काल से सम्बन्धित है।

स्थापन काल - 60 के दशक के मध्य में अधिगम अक्षमता से सम्बन्धित कठिनाईयों को सामूहिक रूप से पहचान की प्राप्ति हुई। इस काल में ही सैमुअल किर्क ने 1963 में अधिगम अक्षमता (Learning Disability) शब्द को प्रतिपादित किया । 60 के दशक के बाद इस क्षेत्र में अनेक विकासात्मक कार्य किए गये और विशिष्ट शिक्षा में अधिगम अक्षमता एक बड़े उपक्षेत्र के रूप में प्रतिस्थापित हुई।

क्रुकशैंक ने 1972 में 40 शब्दों का एक शब्दकोष विकसित किया। इसी क्रम में यदि आप कुर्त गोल्डस्टिन द्वारा 1927 ई0 1936 ई0 एवं 1939 ई0 में किए गए कार्यो का मूल्यांकन करें तो आप पाएँगे कि उनके द्वारा वैसे मस्तिष्कीय क्षतिग्रस्त सैनिकों जो प्रथम विश्वयुद्ध में कार्यरत थे की अधिगम समस्याओं का जो उल्लेख किया गया है, वही अधिगम अक्षमता का आधार स्तम्भ है. उनके अनुसार, “ ऐसे लोगों से अनुक्रिया प्राप्त करने में अधिक प्रत्यन करना पड़ता है। इनमें आकृति पृष्ठभूमि भ्रम बना रहता है, ये अतिक्रियाशील होते हैं तथा इनकी क्रियाएँ उत्तेजनात्मक होती हैं।” सट्रॉस (1939) ने अपने अध्ययन में कुछ लक्षण बताए थे जो मूलत: अधिगम अक्षम बालकों एवं किशोरों में मिलते हैं। क्रुकशैंक, वाइस और वैलेन (1957) ने अपने अधिगम अक्षमता संबंधी अध्ययन में केवल वैसे बालकों पर बल दिया जो बुद्धिलब्धि परीक्षण पर सामान्य से कम बुद्धिलब्धि रखते थे। उन्होंने कहा कि यदि किसी बालक की बुद्धिलब्धि न्यून है और साथ ही न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त करता है तो उसकी शैक्षिक योग्यता की न्यूनता का कारण बुद्धिलब्धि की न्यूनता ही है। इन अध्ययनों को सैमुअल किर्क ने अपने अध्ययन का आधार बनया और कहा कि अधिगम अक्षमता सिर्फ शैक्षिक न्यूनता नहीं है। यह न्यूनतम मस्तिष्कीय क्षतिग्रस्तता, पढ़ने की दक्षता में समस्या अतिक्रियाशीलता आदि जैसे गुणों का समूह है। उन्होंने ये भी कहा जो बालक इन सारे गुणों से संयुक्त रुप से पीड़ित है, वो अधिगम अक्षम बालक है। शैक्षिक न्यून बालकों के संबंध में अपने मत को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि अधिगम अक्षम बालक शैक्षिक न्यूनता से पीड़ित होगा और यह न्यूनता उसके आंतरिक एवं वाह्य दशाओं के परिणाम के कारण ही नहीं बल्कि उसमें उपलब्ध न्यूनतम शैक्षिक दशाओं के कारण भी संभव है। सैमुअल किर्क ने इस कार्य को और प्रसारित करने के लिए अधिगम अक्षमता अध्ययनकर्ताओं का एक संघ बनाया जिसे “एसोसिएशन फॉर चिल्ड्रेन विद लर्निंग डिसएबलिटी” कहा गया और अधिगम अक्षमता शोध पत्रिका का प्रारंभ किया। आज विश्व स्तर पर अधिगम अक्षमता संबंधी अध्ययन किए जा रहे है और अधिगम अक्षमता पर आधारित दो विश्वस्तरीय शोध पत्रिकाएँ मौजूद हैं जो किए जा रहे अध्ययनों का प्रचार- प्रसार करने में अपनी भूमिका निभा रही हैं।

भारत में इस संबंध में कार्य शुरु हुए अभी बहुत कम समय हुया है और आज यह पश्चिमी देशों में अधिगम अक्षमता संबंधी हो रहे कार्यों के तुलनीय है। भारत वर्ष में अधिगम अक्षम बालकों की पहचान विदेशियों द्वारा की गई लेकिन धीरे-धीरे भारतीयों में भी जागरुकता बढ़ रही है। वर्तमान में भारत में सरकरी और गैर- सरकारी संस्थाएँ इस क्षेत्र में कार्यरत हैं। लेकिन, आज भी अधिगम अक्षमता को भारत में कानूनी विकलांगता के रूप में पहचान नहीं मिली है। नि:शक्त जन (समान अवसर, अधिकार संरक्षण, और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 में उल्लेखित सात प्रकार की विकलांगता में यह शामिल नहीं है। ज्ञात हो कि यही अधिनियम भारतवर्ष में विकलांगता के क्षेत्र में सबसे वृहद कानून है। अर्थात् भारत में अधिगम अक्षम बालक को कानूनी रुप से विशिष्ट सेवा पाने का आधार नहीं है।

22.3.3 अधिगम अक्षमता की प्रकृति एवं विशेषताएँ

अधिगम संबंधी कठिनाई, श्रवण, दृष्टि, स्वास्थ, वाक् एवं संवेग आदि से संबंधित अस्थायी समस्याओं से जुड़ी होती है। समस्या का समाधान होते ही अधिगम संबंधी वह कठिनाई समाप्त हो जाती है। इसके विपरीत अधिगम अक्षमता उस स्थिति को कहते हैं जहाँ व्यक्ति की योग्यता एवं उपलब्धि में एक स्पष्ट अंतर हो। यह अंतर संभवत: स्नायुजनित होता है तथा यह व्यक्ति विशेष में आजीवन उपस्थित रहता है।

चूँकि अधिगम अक्षमता को कानूनी मन्यता प्राप्त नहीं है और जनगणना में अधिगम अक्षमता को आधार नहीं बनाया जाता है। इसलिए देश में मौजूद अधिगम अक्षम बालकों के संबंध में ठीक-ठीक आँकड़ा प्रदान करना तो अति मुश्किल है लेकिन एक अनुमान के अनुसार यह कहा जा सकता है कि देश में इस प्रकार के बालकों की संख्या अन्य प्रकार के विकलांग बालकों की संख्या से से कहीं ज़्यादा है। यह संख्या, देश में उपलब्ध कुल स्कूली जनसंख्या के 1-41 प्रतिशत तक ही सकता है। सन् 2012 में चेन्नई में समावेशी शिक्षा एवं व्यावसायिक विकल्प विषय पर सम्पन्न हुए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन “लर्न 2012” में विशेषज्ञों ने कहा कि भारत में लगभग 10% बालक अधिगम अक्षम हैं। (टाइम्स आफ इंडिया, जनवरी 27, 2012).

अधिगम अक्षमता की विभिन्न मान्यताओं पर दृष्टिपात करने से अधिगम अक्षमता की प्रकृति के संबंध में आपको निम्नलिखित बातें दृष्टिगोचर होंगी:

1. अधिगम अक्षमता आंतरिक होती है;
2. यह स्थायी स्वरुप का होता है अर्थात यह व्यक्ति विशेष में आजीवन विद्यमान रहता है;
3. यह कोई एक विकृति नहीं बल्कि विकृतियों का एक विषम समूह है;
4. इस समस्या से ग्रसित व्यक्तियों में कई प्रकार के व्यवहार और विशेषताएँ पाई जाती हैं;
5. चूँकि यह समस्या केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र की कार्यविरुपता से संबंधित है, अतः यह एक जैविक समस्या है;
6. यह अन्य प्रकार की विकृतियों के साथ हो सकता है, जैसे- अधिगम अक्षमता और संवेगात्मक विक्षोभ; तथा

7. यह श्रवण, सोच, वाक्, पठन, लेखन एवं अंकगणितीय गणना में शामिल मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया में विकृति के फलस्वरुप उत्पन्न होता है, अतः यह एक मनोवैज्ञानिक समस्या भी है।

अधिगम अक्षमता के प्रकृत्ति को चित्र संख्या एक के माध्यम से समझा जा सकता है:

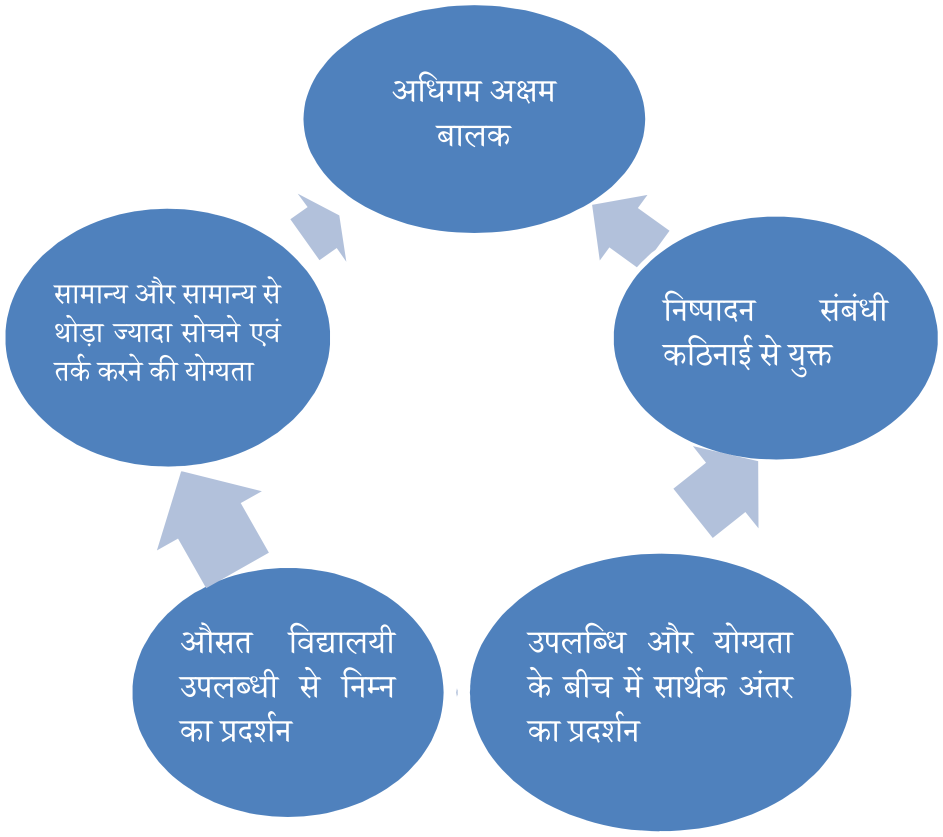

अधिगम अक्षमता के लक्षण को आप अधिगम अक्षम बालकों की विशेषताओं के संदर्भ में समझ सकते हैं। उपरोक्त मुख्य लक्षणों के अतिरिक्त कुछ अन्य लक्षण भी प्रदर्शित कर सकते हैं, जो निम्नलिखित है:

- बिना सोचे-विचारे कार्य करना;
- उपयुक्त आचरण नहीं करना;
- निर्णयात्मक क्षमता का अभाव ;
- स्वयं के प्रति लापरवाही;
- लक्ष्य से आसानी से विचलित होना;

- सामान्य ध्वनियों एवं दृश्यों के प्रति आकर्षण;
- ध्यान कम केन्द्रित करना या ध्यान का भटकाव;
- भावत्मक अस्थिरता;
- एक ही स्थिति में शांत एवं स्थिर रहने की असमर्थता;
- स्वप्रगति के प्रति लापरवाही बरतना;
- सामान्य से ज्यादा सक्रियता;
- गामक क्रियाओं में बाघा;
- कार्य करने की मंद गति;
- सामान्य कार्य को संपादित करने के लिए भी एक से अधिक बार प्रयास करना;
- पाठ्य सहगामी क्रियाओं में शामिल नहीं होना;
- क्षीण स्मरण शक्ति का होना;
- बिना वाह्य हस्तक्षेप के अन्य गतिविधियों में भाग लेने में असमर्थ होना; तथा
- प्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी दोष।

अभ्यास प्रश्न

1. 'अधिगम अक्षमता' पद का सर्वप्रथम प्रयोग .... ने किया था.
2. अमेरिका में अधिगम अक्षमता के फेडरल परिभाषा का विकास वर्ष.................. में हुआ था.
3. .... ने सन 1972 में 'अधिगम अक्षमता' संबंधी 40 शब्दों का एक शब्दकोष विकसित किया था.
4. 'एसोसिएशन फॉर चिल्ड्रेन विद लर्निंग डिसएबलिटि' का गठन .... ने किया था.

22.4 अधिगम अक्षमता का वर्गीकरण

अधिगम अक्षमता एक वृहद् प्रकार के को कई आधारों पर विभेदीकृत किया गया है। ये सारे विभेदीकरण अपने उद्देश्यों के अनुकूल हैं। इसका प्रमुख विभेदीकरण ब्रिटिश कोलंबिया (2011) एवं ब्रिटेन के शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित पुस्तक सपोर्टिंग स्टुडेंटस विद लर्निंग डिसएबलिटिः ए गाइड फॉर टीचर्स में दिया गया है, जो निम्नलिखित है:

1. डिस्लेक्सिया (पढ़ने संबंधी विकार);

2. डिस्ग्राफिया (लेखन संबंधी विकार);
3. डिस्कैलकुलिया (गणितीय कौशल संबंधी विकार);
4. डिस्फैसिया (वाक् क्षमता संबंधी विकार);
5. डिस्प्रैक्सिया (लेखन एवं चित्रांकन संबंधी विकार)
6. डिसऑर्थोग्राफिया (वर्तनी संबंधी विकार);
7. ऑडिटरी प्रोसेशिंग डिसआर्डर (श्रवण संबंधी विकार);
8. विजुअल परसेप्शन डिसआर्डर (दृश्य प्रत्यक्षण क्षमता संबंधी विकार);
9. सेंसरी इंटिग्रेशन ऑर प्रोसेसिंग डिसआर्डर (इन्द्रीय समन्वयन क्षमता संबंधी विकार); तथा
10. ऑर्गनाइजेशनल लर्निंग डिसआर्डर (संगठनात्मक पठन संबंधी विकार)

अब आप बारी-बारी से एक-एक का अध्ययन करेंगे।

1. **डिस्लेक्सिया -** डिस्लेक्सिया शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्द ''डस'' और ''लेक्सिस'' से मिलकर बना है जिसका शाब्दिक अर्थ है ''कठिन भाषा(डिफिकल्ट स्पीच)'' । वर्ष 1887 में एक जर्मन नेत्र रोग विशेषज्ञ रुडोल्फ बर्लिन द्वारा खोजे गए इस शब्द को ''शब्द अंधता'' भी कहा जाता है। डिस्लेक्सिया को भाषायी और सांकेतिक कोडों भाषा के ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले वर्णमाला के अक्षरों या संख्याओं का प्रतिनिधित्व कर रहे अंकों के संसाधान में होनेवाली कठिनाई के रुप में परिभाषित किया जाता है। यह भाषा के लिखित रुप, मौखिक रुप एवं भाषायी दक्षता को प्रभावित करता है। यह अधिगम अक्षमता का सबसे सामान्य प्रकार है। डिस्लेक्सिया के लक्षण निम्नलिखित हैं-
    - वर्णमाला अधिगम में कठिनाई
    - अक्षरों की ध्वनियों को सीखने में कठिनाई
    - एकाग्रता में कठिनाई
    - पढ़ते समय स्वर वर्णो का लोप होना
    - शब्दों को उलटा या अक्षरों का क्रम इधर-उधर कर पढ़ा जाना, जैसे- नाम को मान या शावक को शाक पढ़ा जाना; वर्तनी दोष से पीड़ित होना;
    - समान उच्चारण वाले ध्वनियों को न पहचान पाना;
    - शब्दकोष का अभाव
    - भाषा के अर्थपूर्ण प्रयोग का अभाव; तथा
    - क्षीण स्मरण शक्ति

डिस्लेक्सिया की पहचान- उपर्युक्त लक्षण हालाँकि डिस्लेक्सिया की पहचान करने में उपयोगी होते हैं लेकिन इन लक्षणों के आधार पर पूर्णतः विश्वास के साथ किसी भी व्यक्ति को डिस्लेक्सिक घोषित नहीं किया जा सकता है। डिस्लेक्सिया की पहचान करने के लिए सन् 1973 में अमेरिकन फ़िजिशियन एलेना बोडर ने "बोड टेस्ट ऑफ रीडिंग-स्पेलिंग पैर्टन" नामक एक परीक्षण का विकास किया। भारत में इसके लिए "डिस्लेक्सिया अर्ली स्क्रीनिंग टेस्ट" और "डिस्लेक्सिया स्क्रीनिंग टेस्ट" का प्रयोग किया जाता है।

डिस्लेक्सिया का उपचार- डिस्लेक्सिया का पूर्ण उपचार असंभव है लेकिन इसको उचित शिक्षण-अधिगम पद्धति के द्वारा निम्नतम स्तर पर लाया जा सकता है।

2. **डिस्ग्राफिया -** "डिस्ग्राफिया अधिगम अक्षमता का वो प्रकार है जो लेखन क्षमता को प्रभावित करता है। यह वर्तनी संबंधी कठिनाई, खराब हस्तलेखन एवं अपने विचारों को लिपिबद्ध करने में कठिनाई के रुप में जाना जाता है"। (नेशनल सेंटर फॉर लर्निंग डिसएबलिटिज्स, 2006).

   डिस्ग्राफिया के लक्षण- इसके निम्नलिखित लक्षण है:

   i. लिखते समय स्वयं से बातें करना;
   ii. अशुद्ध वर्तनी एवं अनियमित रुप और आकार वाले अक्षर को लिखना;
   iii. पठनीय होने पर भी कॉपी करने में अत्यधिक श्रम का प्रयोग करना;
   iv. लेखन सामग्री पर कमजोर पकड़ या लेखन सामग्री को कागज के बहुत नजदीक पकड़ना;
   v. अपठनीय हस्तलेखन;
   vi. लाइनों का ऊपर-नीचे लिखा जाना एवं शब्दों के बीच अनियमित स्थान छोड़ना; तथा
   vii. अपूर्ण अक्षर या शब्द लिखना।

उपचारात्मक कार्यक्रम- चूँकि यह एक लेखन संबंधी विकार है, अतः, इसके उपचार के लिए यह आवश्यक है कि इस अधिगम अक्षमता से ग्रसित व्यक्ति को लेखन का ज्यादा से ज्यादा अभ्यास कराया जाय।

3. **डिस्कैलकुलिया**- यह एक व्यापक पद है जिसका प्रयोग गणितीय कौशल अक्षमता के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत अंकों संख्याओं के अर्थ समझने की अयोग्यता से लेकर अंकगणितीय समस्याओं के समाधान में सूत्रों एवं सिद्धांतों के प्रयोग की अयोग्यता तथा सभी प्रकार के गणितीय कौशल अक्षमता शामिल है।

डिस्कैलकुलिया के लक्षण – इसके निम्नलिखित लक्षण है :

- नाम एवं चेहरा पहचानने में कठिनाई;
- अंकगणितीय संक्रियाओं के चिन्हों को समझने में कठिनाई;
- अंकगणितीय संक्रियाओं के अशुद्ध परिणाम मिलना;
- गिनने के लिए ऊँगलियओँ का प्रयोग ;
- वित्तीय योजना या बजट बनाने में कठिनाई;
- चेकबूक के प्रयोग में कठिनाई;
- दिशा ज्ञान का अभाव या अल्प समझ;
- नकद अंतरण या भुगतान से डर; तथा
- समय की अनुपयुक्त समझ के कारण समय-सारणी बनाने में कठिनाई का अनुभव करना।

डिस्कैलकुलिया के कारण- इसका कारण मस्तिष्क में उपस्थित कार्टेक्स की कार्यविरुपता को माना जाता है। कभी-कभी तार्किक चिंतन क्षमता के अभाव के कारण या कार्यकारी स्मृति के अभाव के कारण भी डिस्ग्राफिया उत्पन्न होता है।

डिस्कैलकुलिया का उपचार- उचित शिक्षण-अधिगम रणनीति अपनाकर डिस्कैलकुकलिया को कम किया जा सकता है। कुछ प्रमुख रणनीतियाँ निम्नलिखित है:

- जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करना;
- गणितीय तथ्यों को याद करने की लिए अतिरिक्त समय प्रदान करना;
- फ्लैश कार्ड्स और कम्पुटर गेम्स का प्रयोग करना; तथा
- गणित को सरल करना और यह बताना कि यह एक कौशल है जिसे अर्जित किया जा सकता है।

4. **डिस्फैसिया**- ग्रीक भाषा के दो शब्दों “डिस” और “फासिया” जिनके शाब्दिक अर्थ क्रमशः “अक्षमता” एवं “वाक्” होते हैं से मिलकर बने शब्द डिस्फैसिया का शाब्दिक अर्थ वाक् अक्षमता से है। यह एक भाषा एवं वाक् संबंधी विकृती है जिससे ग्रसित बच्चे विचार की अभिव्यक्ति या व्याखान के समय कठिनाई महसूस करते हैं। इस अक्षमता के लिए मुख्य रुप से मस्तिष्क क्षति (ब्रेन डैमेज) को उत्तरदायी माना जाता है।

5. **डिस्प्रैक्सिया-** यह मुख्य रुप से चित्रांकन संबंधी अक्षमता की ओर संकेत करता है। इससे ग्रसित बच्चे लिखने एवं चित्र बनाने में कठिनाई महसूस करते हैं।

अभ्यास प्रश्न

5. सही मिलान करें

समूह क	**समूह ख**
1. डिस्लेक्सिया	क. गणितीय कौशल संबंधी विकार
2. डिस्ग्र्राफिया	ख. लेखन संबंधी विकार
3. डिस्कैलकुलिया	ग. लेखन एवं चित्रांकन संबंधी विकार
4. डिस्प्रैसिया	घ. पठन संबंधी विकार
5. डिस्फासिया	ङ. वाक् सबंधी विकार

22.5 अधिगम अक्षमता और अन्य विकलांगता

22.5.1 अधिगम अक्षमता और मानसिक मंदता

"अधिगम अक्षमता" और "मानसिक मंदता" पद एक सामान्य आदमी की भाषा में एक-दूसरे के पर्याय हैं और भ्रमवश वे दोनों पदों का एक ही अर्थ में प्रयोग करते हैं। यह सर्वथा गलत है। अधिगम अक्षमता और मानसिक मंदता में स्पष्ट अंतर है जिन्हें आप उनकी परिभाषाओं के माध्यम से समझ सकेंगे।

"अधिगम अक्षमता" को लिखित या मौखिक भाषा के प्रयोग में शामिल किसी एक या अधिक मनिवैज्ञानिक प्रक्रियाओं में कार्यविरुपता के रुप में परिभाषित किया जा सकता है जबकि मानसिक मंदता को मानसिक विकास की ऐसी अवस्था के रुप में परिभाषित किया जाता है जिसमें बच्चों का बौद्धिक विकास औसत बुद्धि वाले बालकों से कम होता है। इस अंतर को आप निम्नलिखित तालिका के माध्यम से आप और स्पष्ट कर सकते हैं:

अधिगम अक्षमता	मानसिक मंदता
1. औसत या औसत से ज्यादा बुद्धिलब्धि प्राप्तांक	बुद्धिलब्धि प्राप्तांक 70 या उससे कम
2. मस्तिष्क की सामान्य कार्य-प्रणाली बाधित नहीं होती है या औसत होती है	मस्तिष्क की सामान्य कार्य-प्राणाली औसत से कम

3. योग्यता और उपलब्धि में स्पष्ट अंतर	दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूर्णतः अक्षम या कठिनाई का सामना
4. अधिगम अक्षम व्यक्ति मानसिक मंदता से ग्रसित हो यह आवश्यक नहीं है.	मानसिक मंद व्यक्ति आवश्यक रुप से अधिगम अक्षमता से ग्रसित होते हैं.
5. यह किसी में भी हो सकता है.	यह महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में ज्यादा पाई जाती है.

22.5.2 अधिगम अक्षमता और स्लो लर्नर्स(Slow Learners) व पिछड़े बालक

अधिगम अक्षमता पद भ्रमवश स्लो लर्नर्स बालकों के लिए भी सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। वर्तमान परिदृश्य में भी एक बहुत बड़ी जनसंख्या इन दोनों पदों का प्रयोग एक ही अर्थ में करती है। यह इन दोनों ही पदों का अनुपयुक्त प्रयोग है। दोनों पद एक दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं। दोनों पदों के बीच स्पष्ट खींचीं विभाजन रेखा को आप इनकी परिभषाओं के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं।

एक स्लो लर्नर्स औसत से कम बुद्धि का बालक होता है जिसके सोचने की क्षमता, उस आयु समूह के बालकों के लिए निश्चित किए गए मानदण्ड से कम होता है। ऐसे बालक विकास की सभी अवस्थाओं से गुजरते हैं जो उसके लिए है लेकिन उस आयु समूह के सामान्य बालकों की तुलना में सार्थक रुप से धीमी गति से जबकि एक अधिगम अक्षम बालक औसत या औसत से ज्यादा बुद्धिवाला होता है जिसे कुछ विशिष्ट समस्याएँ होती हैं जो अधिगम को बहुत कठिन बना देती हैं। इस प्रकार अधिगम अक्षमता स्लो लर्निंग से भिन्न संप्रत्यय है।

“पीछड़े बालक” पद एक सापेक्ष पद है जिसकी व्याख्या शिक्षा, आर्थिक स्थिति, मानसिक स्थिति, सामाजिक स्थिति आदि के संदर्भ में की जाती है। यहाँ हम शिक्षा के संदर्भ में इसकी व्याख्या करेंगे। शिक्षा के संदर्भ में यह बालकों के एक विशिष्ट वर्ग को इंगित करता है जो किसी भी कारणवश अपने उम्र के अन्य बालकों से कम निष्पादन करते हैं। वो मानसिक मंदता से ग्रसित हो सकते हैं या अधिगम अक्षमता से या फिर कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण पीछड़े हो सकते है। ये सब पिछड़े हुए बालक कहे जाएँगे।

अधिगम अक्षमता के संदर्भ में इसका अध्ययन करने पर आप पाएँगे कि “ अधिगम अक्षमता ” पद इसकी तुलना में एक संकीर्ण पद है। पिछड़े बालक पद एक अति व्यापक पद है। ये दोनों पद एक-दूसरे के पर्याय नहीं हैं बल्कि ये एक-दूसरे से सार्थक रुप से भिन्न हैं। अधिगम अक्षमता और शैक्षिक रुप से पिछड़े बालक के मध्य अंतर को आप तालिका 2 के माध्यम से और स्पष्ट रुप से समझ सकेंगे।

22.6 सारांश

प्रस्तुत ईकाई में हमने अधिगम अक्षमता के अर्थ, प्रकृति, लक्षण आदि पर चर्चा की और इस पर भी विवेचन किया है कि अधिगम संबंधी कठिनाई से अधिगम अक्षमता किस प्रकार अलग है। हमने अधिगम क्षमता के विभिन्न प्रकार, उनके लक्षण, कारण, उपचार एवं उनसे प्रभावित होनेवाले कौशलों की भी चर्चा की है। अधिगम अक्षमता के इतिहास एवं इसके प्रसार को भी स्पष्ट किया है। अधिगम अक्षमता का अन्य प्रकार की अक्षमताओं से जैसे मानसिक मंदता, स्लो लर्निंग, शैक्षिक पिछड़ापन आदि से अंतर को भी इस ईकाई में स्पष्ट किया गया है।

आज शिक्षा सबका अधिकार है। ऐसे में अधिगम अक्षम बालकों की पहचान एवं उनके अनुकूल उन्हें शिक्षा प्रदान करना हर शिक्षण संस्था का पुनीत कार्य है।

22.7 शब्दावली

1. **डिस्लेक्सिया**- पढ़ने संबंधी विकार
2. **डिस्ग्राफिया**- लेखन संबंधी विकार
3. **डिस्कैलकुलिया**- गणितीय कौशल संबंधी विकार
4. **डिस्फैसिया**- वाक् क्षमता संबंधी विकार
5. **डिस्प्रैक्सिया**- लेखन एवं चित्रांकन संबंधी विकार
6. **डिसऑर्थोग्राफिया**- वर्तनी संबंधी विकार
7. **ऑडिटरी प्रोसेशिंग डिसआर्डर**- श्रवण संबंधी विकार
8. **विजुअल परसेप्शन डिसआर्डर**- दृश्य प्रत्यक्षण क्षमता संबंधी विकार
9. **सेंसरी-इंटिग्रेशन व प्रोसेशिंग डिसआर्डर** -इन्द्रीय समन्वयन क्षमता संबंधी विकार
10. **ऑर्गनाइजेशनल लर्निंग डिसआर्डर**- संगठनात्मक पठन संबंधी विकार

22.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. सैमुअल किर्क
2. 1977
3. क्रुकशैंक
4. सैमुअल किर्क
5. 1- घ
   2- ख
   3- क

4- ग

5- ड़

22.9 संदर्भ ग्रंथ सूची

1. Aro, T., Jere-Folotiya, J., Hengari, J., Kariuki, D. & Mkandawire, L. (2011). Learning and Learning Disabilities. In T. Aro & T. Ahonen (Eds.), Assessment of learning disablity: cooperation between Teachers, Psychologists and Parents.
2. Bhargava, M. (1998). विशिष्ट बालक: उनकी शिक्षा एवं पुनर्वास. New Delhi : Sterling Publishers Pvt. Ltd.
3. British Coulumbia (2011). Supporting Students with Learning Disabilities Aguide for Teachers retrived from www.bced.gov.bc.ca/specialed/ppandg.htm.
4. Kirk, S. A. (1970). Educating Exceptional Children. New Delhi : Oxford and IBH Publishing Co.
5. National Centre for Learning Disabilities (2006). Retrived from www.ldonline.org.
6. National Joint Committee on Learning Disabilities. (1994). Secondary to Postsecondary transition planning for students with learning disabilities.
7. Reddy, G.L., Ramar, R. & Kusuma, A. (2003). Learning Disabilities: A practical guide to practitioners. New Delhi: Discovery Publishing House
8. Times of India (Jan 27, 2012). 10% of kids in India have learning disability: Experts
9. TNN Jan 27, 2012. Retrived from http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2012-01-27/chennai/30669918_1_inclusive-education-disability-autism
10. United States Office of Education. (1977) Definition and criteria for defining students as learning disabled. Federal Register, (1977) 42:250, Washington, DC: U.S. Government Printing Office.
11. University of Guelph. (2000). A Handbook for Faculty on Learning Disabilities Issues. Guelph, Canada

22.10 सहायक /उपयोगी ग्रंथ

1. Bhargava, M. (1998). Introduction to Exceptional Children, Their Nature and Educational Provisions. New Delhi : Sterling Publishers Pvt. Ltd.
2. Reddy, G.L., Ramar, R. & Kusuma, A. (2003). Learning Disabilities: A practical guide to practitioners. New Delhi: Discovery Publishing House
3. Smith, T. E. C., Pollway, E.A., Patton, J.R. & Dowdy, C.A. (2011). Teaching students with disabilities special needs in inclusive needs in inclusive settings. New Delhi: PHI Learning Private Limited.
4. http://www.ldonline.org/ldresources
5. http://www.washington.edu/doit/Faculty/Strategies/Disability/LD/ld_resources.html

22.11 निबंधात्मक प्रश्न

1. अधिगम अक्षमता शब्द की परिभाषा दीजिए एवं अधिगम अक्षमता के ऐतिहासिक परिदृश्य का वर्णन कीजिए।
2. अधिगम अक्षमता की प्रकृति का उल्लेख करें।
3. अधिगम अक्षमता एवं मानसिक मंदता में अंतर स्पष्ट करें।
4. अधिगम अक्षमता एवं स्लो लर्नर्स में अंतर स्पष्ट करें।
5. अधिगम अक्षमता के विभिन्न प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन करें।

ईकाई 23 : अधिगम अक्षम बालकों की पहचान, मूल्यांकन तथा प्रशिक्षण

23.1 प्रस्तावना
23.2 उद्देश्य
23.3 अधिगम अक्षम बालकों की पहचान
23.3.1 अधिगम अक्षम बालक द्वारा प्रदर्शित लक्षण
23.3.2 पहचान की विधि
23.3.3 पहचान में दोष या त्रुटि
23.4 अधिगम अक्षमता का मूल्यांकन
23.5 अधिगम अक्षम बालकों का प्रतिस्थापन
23.6 अधिगम अक्षम बालकों की देखभाल एवं उनका प्रशिक्षण
23.7 सारांश
23.8 शब्दावली
23.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
23.10 संदर्भ ग्रन्थ सूचि
23.11 सहायक उपयोगी पाठ्य सामग्री
23.12 निबन्धात्मक प्रश्न

23.1 प्रस्तावना

आप यह जान चुके है कि अधिगम अक्षमता वाक्, भाषा, पठन, लेखन या अंकगणितीय प्रक्रियाओं में से किसी एक या अधिक प्रक्रियाओं अवरुद्ध के रुप में जाना जाता है, जो संभवत: मस्तिष्क कार्यविरुपता का परिणाम है। अधिगम अक्षमता को सामान्यतः विद्यालयी पाठ्यक्रम सीखने की क्षमता की कमी या अनुपस्थिति के रुप में जाना जाता है। इस ईकाई में आप अधिगम अक्षम बालकों की पहचान के बारें में जानेगें साथ ही साथ इस प्रकार की अक्षमता की तीव्रता के जानने के लिए मूल्यांकन का भी अध्ययन करेगे। आप इस बात को समझ पाएगें कि इन बालकों हेतु सेवाओं के चुनाव में किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही किस प्रकार का प्रशिक्षण कार्यक्रम इन बालाकों के लिए प्रभावकारी होता है, जिससे वे अपनी अधिगम सम्बन्धी क्षमता में अभिवृद्धि कर सकें।

23.2 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात आप

1. जान सकेगें कि अधिगम अक्षम बालकों की पहचान कैसे की जाती है।
2. बता सकेगें कि किस प्रकार से अधिगम अक्षमता का मूल्यांकन किया जाता है।
3. अधिगम अक्षम बालकों के लिए किस प्रकार प्रशिक्षण कार्यक्रम तय किए जातें हैं।

23.3 अधिगम अक्षम बालकों की पहचान

आरम्भिक चरण में अधिगम अक्षमता की पहचान करना अत्यन्त कठिन है क्योकि इसके लिए वास्तविक व्यवहार एवं अपेक्षित व्यवहार में महत्वपूर्ण अन्तर होना आवश्यक है। अधिगम अक्षमता की पहचान जितनी देर से होगी उसका निदान उतना ही कठिन होता जाता है तथा किशोरावस्था में गलत प्रवृत्तियों का शिकार होने की उनकी सम्भावना बढ़ जाती है। इसकी पहचान प्रारम्भिक स्तर पर बालको के व्यवहार द्वारा की जाती है। लगभग पूरा दिन छात्रों के साथ व्यतीत कर के उसका नीरीक्षण करने के कारण शिक्षक अधिगम अक्षमता की पहचान के लिए ज्यादा उपयुक्त होता है। पूर्व चिह्नित अक्षमताओं के आधार पर शिक्षक छात्र की सम्भाव्य अधिगम अक्षमता की जानकारी प्राप्त कर पाता है।

23.3.1 अधिगम अक्षम बालक द्वारा प्रदर्शित लक्षण

अधिगम अक्षमता एक इस प्रकार की विकलांगता है, जिसमे कई श्रेणी, तीव्रता तथा क्षेत्र वाली कठिनाइयां सम्मिलित होती हैं। ये कठिनाइयां स्वतंत्र रूप से या समूह में किसी अधिगम अक्षम बालक में प्रकट हो सकती हैं। अधिगम अक्षम बालक में निम्नलिखित व्यवहारगत लक्षण पाए जाते हैं, जिन्हें समझ कर इस प्रकार के बालकों की शीघ्र पहचान की जा सकती है:

- **बुद्धि**- सामान्यत: अधिगम अक्षम छात्र सामान्य या सामान्य से अधिक बौद्धिक स्तर के हो सकते हैं तथा कुछ छात्र विशेष प्रतिभा के भी होतें है।
- **प्रत्यक्षीकरण एवं गामक क्षमता**- हम जानतें है कि प्रत्यक्षीकरण का सम्बन्ध अर्थपूर्ण संवेदना से है। प्राय: अधिगम अक्षम बालकों को प्रत्यक्षीकरण में समस्या उत्पन्न होती है। फलस्वरूप वे विभिन्न ध्वनियों एवं दृश्यों में विभेदीकरण और उद्दीपकों को उसके नियत स्थान पर रख कर प्रत्यक्षीकरण में कठिनाई महसूस करते हैं। ऐसे बालक भिन्न-भिन्न उद्दीपकों पर भी समान प्रतिक्रिया दे सकतें है। इन्हें ध्यान केन्द्रीकरण एवं संवेग सम्बन्धी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसे बालकों में दीर्घकालीक एवं अल्पकालिक समृति सम्बन्धी समस्याएँ होती हैं, जो धारणा एवं प्रत्यास्मरण आधारित होती है। उन्हें स्वयं अपने द्धारा किए कार्यो के नियन्त्रण में भी कठिनाई होती है। अन्य बालकों की अपेक्षा समायोजन, वर्गीकरण एवं व्यवस्थित करने का कौशल भी उनमें कम होता है।

अधिगम अक्षमता के कारण इनकी गामक क्षमताएँ प्रभावित होती है। ऐसे बालकों की लिखावट भी सामान्यत: अच्छी नहीं होती है, साथ ही उन्हें विभिन्न चित्रों की पहचान एवं वर्गीकरण में भी कठिनाई होती है।

- **पराबौद्धिक (Metacognition) कौशल**- पराबौद्धिक कौशल कार्य के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है। पराबौद्धिक कौशल के अन्तर्गत किसी भी कार्य को प्रभावकारी ढंग से करने के लिए प्रयुक्त होने वाले कौशल, कार्ययोजना तथा आवश्यक संसाधन का ज्ञान आवश्यक है। इसमें स्व-नियन्त्रित तंत्रों की आवश्यकता होती है। इनमे व्यवसायिक गतिविधियां, कार्यरत योजना के प्रभाव का मूल्यांकन, प्रयत्नों के परिणाम का परीक्षण तथा समस्याओं का निराकरण सम्मिलित हैं।
- **व्यवहारगत एवं भावनात्मक गुण**- अधिगम अक्षम बालक या तो अतिक्रियाशील होतें है या कम क्रियाशील होतें हैं। ऐसे बालकों के व्यवहार में प्राय: शीघ्र विचलन, अल्प ध्यान केन्द्रीकरण, स्मृतिदोष, अतिसंवेग, अतितीव्र एवं असमान्य भावपूर्ण प्रतिक्रिया परिलक्षित होती है। ऐसे बालकों को सामाजिक समायोजन में अधिक कठिनाई होती है, क्योकि प्राय: संवेगों के प्रभाव में वे सामाजिक मूल्यों एवं सीमाओं का उल्लंघन कर जातें हैं। एसे बालक स्वयं के व्यवहार के प्रभाव का आकलन नहीं कर पातें है जिसके परिणामस्वरूप उनमें सामुचित समझ एवं अन्य भवनात्मक बोध का अभाव होता है। परिणामस्वरूप उन्हें दूसरों से सदैव नकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त होती है और समाज में वे अवांछित हो जातें हैं। दूसरों से प्रभावपूर्ण अन्त:क्रिया में अक्षमता के कारण उनमें आत्मसम्मान का अभाव हो सकता है। ऐसे बालकों के दुर्व्यवहार का कारण उनका अवसाद एवं हताशा है, जो अधिगम अक्षमजन्य होती है। अधिकांश शोध के आँकड़े ये प्रदर्शित करतें हैं कि ऐसे बालकों की सामाजिक स्वीकारात्मकता कम होती है। फिर भी समाज में कुछ ऐसे अधिगम अक्षम बालकों के भी उदाहरण मिलतें है, जो अपने वर्ग, विधालय और समूह में लोकप्रिय हुए हैं।
- **पाठ्य अधिगम क्षमता** - अधिगम अक्षम बालक प्राय: अपने वर्ग के अन्य छात्रों से पठन-पाठन, अर्थबोध, भाषाप्रवाह एवं उच्चारण आदि क्षेत्रों में अपेक्षाकृत पीछे छूट जातें है। सामान्यत: ऐसे छात्र ध्वनियों, वर्णो एवं संख्याओं के विपरीत अर्थ ग्रहण कर लेतें है। यह समस्याएँ बाद में श्रवण एवं वाचन सम्बन्धी समस्याओं को और गंभीर बना देती है।
- **संप्रेषणीय क्षमता**- अधिगम अक्षम बालकों को ध्वनियों को उच्चारित करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऐसे बालक ध्वनियों की पुनरावृत्ति एवं हकलाहट से ग्रसित होतें है। इन्हे भाषा के वास्तविक स्वरूप को सामाजिक प्रयोग हेतु रूपान्तरित करने में समस्या होती है। यह समस्या अर्थपूर्ण संप्रेषण हेतु उचित शब्दों के चयन के रूप में प्रदर्शित होती होती है।
- **स्मृति एवं विचारगत क्षमता**- प्राय: ऐसे छात्रों को शब्दों एवं ध्वनियों को (जो शब्दों का निर्माण करती हैं) याद करने में कठिनाई हो सकती है। इन्हें अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक स्तर पर शब्दों का अर्थ प्रत्यास्मरण में समस्या होती है। इनकी यह अक्षमता या तो उनके स्मृति दोष के कारण होती है

अथवा इनकी दीर्घकालिक स्मृति सम्बन्धित सूचनाओं के प्रत्यास्मरण सम्बन्धी समस्याओं का परिणाम हो सकती है।

- **विशिष्ट शैक्षिक उपलब्धि सम्बन्धित विशेषताएँ-** ऐसे बालक अलग-अलग. विशिष्ट शैक्षिक क्षेत्रों में उपलब्धि सम्बन्धी कमी प्रदर्शित करतें हैं। इन व्रिद्यालयी सम्बन्धी विशिष्ट उपलब्धियों में अवरोध निम्न रूपों में दिखाई देतें हैं:

  लेखन-पाठन सम्बन्धी-

- पठन सम्बन्धी अक्षमताओं के कारण पठन कार्य में आत्मविश्वास की कमी प्रदर्शित करतें हैं
- पठन सम्बन्धी कार्यो के दौरान शारीरिक असहजता प्रदर्शित करतें हैं
- कुछ शब्दों को स्वयं ही छोड़तें और जोड़ते चले जाते हैं
- वैकल्पिक शब्दों का प्रयोग करतें हैं
- विपरीतार्थक शब्दों का प्रयोग करतें हैं
- बोध एवं प्रवाह सम्बन्धी समस्याएँ प्रदर्शित होती हैं

गणितीय अधिगम सम्बन्धी-

- गामक अक्षमता, संख्याओं से लेखन सम्बन्धी कमी प्रदर्शित होती है।
- बहुचरणीय गणितीय प्रश्नों के हल करने में समस्या होती है
- भाषा में प्रयुक्त बहुअर्थीय शब्दों के प्रासंगिक अर्थबोध में समस्या आती है
- शब्दों एवं चिन्हों से सम्बन्धित अमूर्त्त तार्किक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

23.3.2 पहचान की विधि

वर्ट्स, कलाटा एवं टाम्पकिन्स (2007) ने अधिगम अक्षम बालकों के पहचान हेतु दो विधियों का वर्णन किया है, जो निम्न हैं:

विभेद विधि- अधिगम अक्षम बालकों की पहचान के लिए उनकी अभिवृत्तियों में अपेक्षित अन्तर को सुनिश्चित करने की विधि अपनाई जाती है। सामान्यत: यह विधि अमेरिका में अपनाई जाती है, जिसके अन्तर्गत संघीय एवं प्रान्तीय विधायिका संभावित अधिगम अक्षम बालकों की पहचान एवं मूल्यांकन हेतु बल देती है। इसके अन्तर्गत विद्यालय में वर्ग शिक्षक, मनोवैज्ञानिक एवं चिकित्सक आदि लोगों का एक मूल्यांकन दल होना चाहिए। यह दल बालकों की बौद्धिक योग्यता एवं उम्र के अनुरूप उनकी शैक्षिक उपलब्धियों का मूल्यांकन करता है। यदि बालकों में लेखन, श्रवण, मौखिक अभिव्यक्ति, भाषायी प्रक्रिया, प्रारम्भिक पठन

कौशल, पठन बोध, गणितीय तर्क व गणना आदि क्षेत्रों में बौद्धिक योग्यता और उपलब्धि सम्बन्धी अन्तर पाया जाता है। किन्तु यदि बालक में पर्यावरण, संस्कृति, आर्थिक परिस्थिति अथवा किसी अन्य विकलांगता के कारण अन्तर पाया जाता है, तो ऐसे बालकों को अधिगम अक्षम नहीं माना जाता है। विविध क्षेत्रों में पता लगाने के लिए विविध जाँच पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। जब बालक शैक्षिक और व्यवहारिक अपेक्षाओं के अनुरूप परिणाम नहीं देते तब ऐसे बालक, शिक्षक के ध्यान के केन्द्र में आ जाता है जिन्हें उनके अविभावकों की स्वीकृति के उपरान्त एक जाच प्रक्रिया में डाल दिया जाता है। शिक्षकों द्वारा निर्मित जाँच प्रक्रिया एवं पाठ्यक्रम आधारित विधि द्वारा उनके शैक्षिक उपलब्धि की सीमा का निर्धारण किया जाता है। मानक बौद्धिक जाँच (व्यक्तिगत) द्वारा किसी बालक की बौद्धिक योग्यता का पता लगाया जाता है जबकि विशेष क्षेत्र में उनके प्रदर्शन के परीक्षण हेतु प्राप्त निष्कर्ष का संदर्भित परीक्षण में प्रयोग किया जाता है।

व्यवधान प्रतिक्रिया विधि- विभेद द्वारा अधिगम अक्षम बालकों की पहचान में कभी-कभी व्यवधान सकती है। इसलिए उनके पहचान के लिए व्यवधान प्रतिक्रिया विधि का प्रयोग किया जाता है। प्रारम्भिक चरण में अच्छे निदेशन के अभाव में बालक को हो रही कठिनाई का पता लगाना होता है। इसके अंतर्गत शिक्षक वैज्ञानिक रूप से निदानात्मक विधियों का प्रयोग कर बालकों को पढातें है। यदि प्रारम्भिक प्रयासों के उपरान्त बालक अपेक्षित व्यवहार का प्रदर्शन नहीं कर पातें हैं तो उन्हें सम्पूर्ण मूल्यांकन के लिए भेज दिया जाता है।

इसमें पूर्व में एकत्रित सूचनाओं का प्रयोग किया जाता है। इस जाँच प्रक्रिया के चार प्रमुख घटक है-

- शैक्षिक उपलब्धि के सन्दर्भ में बालकों की व्याख्या
- शैक्षिक समस्याओं एवं क्षमतओं का यथासम्भव सही एवं विशिष्ट वर्णन
- त्रुटिपूर्ण शैक्षिक उपलब्धियों में अनुदेशन एवं वातावरण के प्रभाव को जानने के लिए मानक विधियों का प्रयोग
- अभिलेखन

23.3.3 पहचान में दोष या त्रुटि

यद्यपि उपरोक्त तथा अन्य विधियों के द्वारा अधिगम अक्षम बालको की पहचान आसानी से की जा सकती है तथापि इस प्रक्रिया में भी कुठ त्रुटिओं सम्भावना रहती है। त्रुटिओं के कारण को हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं:

- अधिगम अक्षमता की परिभाषा में भ्रम एवं एकरूपता की कमी।
- योग्यता एवं उपलब्धि में अन्तर को सुनिश्चित करने वाले मानको में एकरूपता का अभाव
- शिक्षण के प्रारम्भिक चरण में अनुपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग
- अधिगम अक्षम बालकों एवं मन्द गति से सीखने वाले बालको के मध्य भ्रम की स्थिति
- जाँच विधियों के गलत अनुप्रयोग से प्राप्त अवैध परिणाम

अभ्यास प्रश्न

1. सामान्यत: अधिगम अक्षम छात्र सामान्य या सामान्य से .... बौद्धिक स्तर के हो सकते हैं।
2. अधिगम अक्षम बालक उद्दीपकों को उसके नियत स्थान पर रख कर ....में कठिनाई महसूस कर सकते हैं।
3. बहुचरणीय गणितीय प्रश्नों के हल करने में अधिगम अक्षम बालक को .... होती है।
4. अधिगम अक्षम बालकों को भाषा के वास्तविक स्वरूप को सामाजिक प्रयोग हेतु .... में समस्या होती है।

23.4 अधिगम अक्षमता का मूल्यांकन

अधिगम अक्षमता के मूल्यांकन के संबंध में गुवेल्फ विश्वविद्यालय (2000) द्वारा प्रकाशित "ए हैंडबूक फॉर फैकल्टी ऑन लर्निंग डिसएबलिटि इशुज्स" में यह कहा गया है कि "अधिगम क्षमता का मूल्यांकन एक व्यापक एवं थकाऊ प्रक्रिया है जिसके लिए समय, विशेषज्ञता एवं अच्छे नैदानिक (क्लिनिकल) निर्णयात्मक क्षमता की आवश्यकता होती है। मूल्यांकन दक्ष पेशेवर के द्वारा परीक्षणों की एक ऐसी बैटरी का प्रयोग कर किया जाना चाहिए जो बुद्धिमता, विद्यालयी कार्यशैली, सूचना संसाधन, सामाजिक-भावात्मक कार्यशैली और अधिगम अक्षमता के अन्य निर्धारक तत्वों की जाँच करें"। मनोवैज्ञानिक द्वारा अधिगम अक्षमता के मूल्यांकन को चार अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है (पानानेन, फेब्रुवरी, कलीमा, मौव्स तथा कानुकी, 2011)-

- फिनोटाइप का आकलन- बच्चे के कार्यों और व्यवहार की जाँच की प्रक्रिया।
- विकास इतिहास- बच्चे के विकास और अपनी खास विशेषताओं और संभावित कमी का ज्ञान।
- संज्ञानात्मक कार्यों के मूल्यांकन- फिनोटाइप में पाया समस्याओं का और अधिक विस्तृत मूल्यांकन।
- संशोधन या हस्तक्षेप कारक- ये बच्चे के वातावरण और इसके साथ तालमेल तथा समस्याओं को संशोधित रूप में निर्धारण करने की क्षमता से है।

भारतीय परिप्रेक्ष्य में अधिगम अक्षमता के मूल्यांकन हेतु कुछ प्रमुख प्रक्रियाओं का वर्णन भार्गव (1998) ने किया है जो निम्नलिखित है:

- मनोवैज्ञानिक दशा ⟶ शैक्षिक उपलब्धि
- मनोस्नायुविक + मनोवैज्ञानिक ⟶ शैक्षिक उपलब्धि
- मनोस्नायुविक + जैव रसायनिक + मस्तिष्क विद्युत तरंगीय + मनोवैज्ञानिक ⟶ शैक्षिक उपलब्धि

अब आप बारी-बारी से एक एक का अध्ययन करेंगे.

i. मनोवैज्ञानिक दशा → शैक्षिक उपलब्धि

यह एक द्विआयामी प्रक्रिया है। पहले आयाम में पाँच परीक्षणों जिनमें की बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, प्रात्यक्षिक गति परीक्षण, अवधान परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण शामिल है का प्रयोग कर व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक दशा का अध्ययन किया जाता है। दूसरा आयाम शैक्षिक उपलब्धि का है जिसमें बालक के शैक्षिक प्रगति एवं शैक्षिक कार्य-कलाप में सहभागिता का अध्ययन किया जाता है। इसके लिए विद्यालय द्वारा प्रगति प्रमाण-पत्र की जाँच की जाती है, माता-पिता से शैक्षिक उपलब्धि, घर पर अध्ययन के लिए बालक द्वारा दिए जाने वाले समय एवं परिवार के अन्य व्यक्तियों के साथ बालक के समायोजन के संबंध में जानकारी प्राप्त की जाती है। इन अध्ययनों के आधार पर निर्णय प्रदान किया जाता है।

ii. मनोस्नायुविक + मनोवैज्ञानिक → शैक्षिक उपलब्धि

यह प्रक्रिया थोड़ी जटिल है लेकिन इससे प्राप्त परिणाम अपेक्षाकृत अधिक विश्वसनीय है। मनोवैज्ञानिक दशा और शैक्षिक उपलब्धि का परीक्षण पूर्ववत ही होता है। मनोस्नायुविक दशा के परीक्षण के लिए मूल्यांकनकर्ता "वेंड विजुअल मोटर गेस्टाल्ट टेस्ट " का प्रयोग करता है। इस परीक्षण के माध्यम से अध्ययनकर्ता को अतिक्रियाशीलता, हाइपर काइनेसिस, गति संबंधी तालमेल आदि का विस्तृत विवरण प्राप्त हो जाता है जिसके परिणामस्वरुप वह अधिगम अक्षमता संबंधी निर्णय ज्यादा विश्वास के साथ प्रदान करता है।

iii. मनोस्नायुविक+जैव रसायनिक+मस्तिष्क विद्युत तरंगीय+मनोवैज्ञानिक→शैक्षिक उपलब्धि

यह एक अति उपयोगी प्रक्रिया है. इस प्रक्रिया में जो दो नई बातें हैं, वो हैं जैव रसायनिक दशा एवं मस्तिषक विद्युतीय तरंगीय दशा का परीक्षण। इनके लिए अध्ययनकर्ता निमलिखित तथ्यों की जाँच करता है:

- रक्त में वर्तमान शर्करा की मात्रा का आकलन;
- मूत्र परीक्षण, जिसमें मूत्र में निहित 17 केटो वसा रेशों की स्थिति का आकलन;
- थायराइड ग्रंथि के कार्यशैली का परीक्षण ;
- रक्त संरचना का विश्लेषण;
- गुण-सूत्रों का परीक्षण ; तथा
- मस्तिषक तरंगों का आकलन.

इन परीक्षणों से अध्ययनकर्ता को व्यक्ति के संबंध में विशद् जानकारी प्राप्त हो जाती है जिसके परिणाम स्वरुप अधिगम अक्षमता संबंधी उसका मूल्यांकन अति विश्वसनीय हो जाता है। इन प्रक्रियाओं के इतर कुछ गणितीय मानदण्डों का प्रयोग भी अधिगम अक्षमता का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। इनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित है:

- मानसिक स्तर (मेंटल ग्रेड) का आकलन- हैरिस ने सन 1961 ई0 में इसका विकास एवं प्रमापीकरण किया था. इसके लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है.

  आर. ई. = एम.ए.- 5

  एम. ए. = (आई.क्यू. x सी.ए.)/100

  सी.ए. से यहाँ आशय क्रॉनिकल एज से है जो पाँच वर्ष निश्चित है।

- अधिगम अक्षमता लब्धांक- इस विधि को प्रतिपादित करने का श्रेय प्रसाद एवं श्रीवास्तव को जाता है। इसके लिए उन्होंने निम्नलिखित सूत्र का प्रतिपादन किया:
  एल. डी. क्यू. = 1 – पास / (आई.क्यू. + ग्रेड)
  यहाँ पास = प्रतिशत शैक्षिक उपलब्धि प्राप्तांक
  आई.क्यू. = मानसिक दक्षता; तथा
  ग्रेड = शैक्षिक स्तर

अधिगम अक्षमता के मूल्यांकन की ये विभिन्न विधियाँ अपने उद्देश्य को पूर्ण करती है तथापि परिणाम की विश्वसनीयता में अंतर हो जाता है। फलस्वरुप इन विधियों का अलग–अलग प्रयोग उतना लाभकारी नहीं है जितना कि होना चाहिए। अतः, अधिगम के समग्र एवं प्रभावपूर्ण मूल्यांकन के लिए इन विधियों का एक साथ प्रयोग किया जाना चाहिए।

23.5 अधिगम अक्षम बालकों का प्रतिस्थापन

अधिगम अक्षम बालको के प्रतिस्थापन, उनकों उपयुक्त सेवाओं में समायोजित करने से सम्बन्धित है। किसी भी अधिगम अक्षम बालक का उचित प्रतिस्थापन तब तक सम्भव नहीं है, जब तक उनकी शीघ्र पहचान न कर ली जाय, साथ ही साथ उनके कठिनाईयों की तीव्रता का आकलन करना भी आवश्यक है। अत: प्रभावकारी सेवा प्रदान करने के लिए अधिगम अक्षम बालको की शीघ्र पहचान तथा अक्षमता का सटीक आकलन अत्यन्त आवश्यक है। प्रत्येक अधिगम अक्षम बालक अक्षमताओं एवं अक्षमताओं से युक्त व्यक्तित्व होता है। इनमें इन्हीं अक्षमताओं तथा क्षमताओं का पता लगाकर उनके लिए नैदानिक कार्यक्रम एवं सेवाएं तैयार की जा सकती हैं, जो उनको क्षमताओं से सीखने तथा अक्षताओं की क्षति पूर्ति में मददगार हो सकें (हार्डलिंग 1986)। अधिगम अक्षम बालको के प्रतिस्थापन हेतु निम्नलिखित चरणों का अनुसरण किया जाता है:

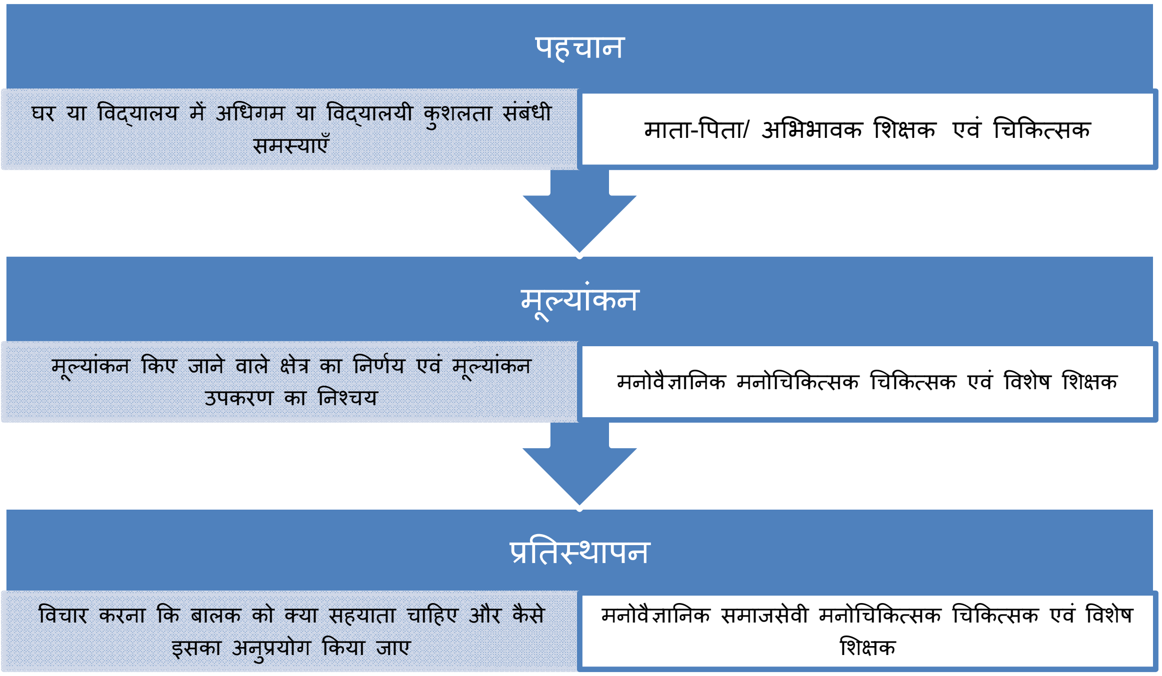

अभ्यास प्रश्न

5. अधिगम अक्षमता आंतरिक होती है। (सही/गलत)
6. शैक्षिक उपलब्धि आयाम के अंतर्गत बालक के शैक्षिक प्रगति एवं शैक्षिक कार्य-कलाप में सहभागिता का अध्ययन किया जाता है। (सही/गलत)
7. प्रतिस्थापन के उपरांत ही अधिगम अक्षम बालकों की पहचान होती है। (सही/गलत)
8. मेंटल ग्रेड आकलन विधि का प्रतिपादन सन 1971 में हुआ था। (सही/गलत)

23.6 अधिगम अक्षम बालकों की देखभाल एवं उनका प्रशिक्षण

परम्परागत रूप से विशेष शिक्षको द्वारा दी गयी वरीयता एवं विद्यालयी नीतियों के आधार पर ही अधिगम अक्षम बालकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाता है। अभिभावक एवं शिक्षक दोनों को प्रशिक्षण कार्यक्रम से बालकों में हो रहे अपेक्षित परिवर्तन के प्रति भी सचेत रहना चाहिए। अधिगम अक्षम बालकों की समस्याओं से सम्बन्धित सुचनाएँ प्रदान करने के लिए शिक्षकों के पास उसकी सम्पूर्ण जानकारी होना आवश्यक है। इस प्रकार अभिभावको एवं शिक्षकों के द्वारा बालको की योग्यताओं के सूक्ष्म निरीक्षण द्वारा ही उनके भीतर नवीन कौशलों का विकास सम्भव है। जब किसी बालक का अपेक्षित विकास नहीं होता है तब इन सूचनाओ और आँकड़ों के आधार पर ही नई युक्तिओं का प्रयोग कर प्रभावशाली ढंग से उन्हें प्रशिक्षित करने का प्रयास किया जाता है। बालकों के मूल्यांकन की सूचनाएँ शिक्षकों को भविष्य में प्रभावी एवं उत्तम

योजनाओं के निर्माण में मार्गदर्शन का कार्य करती है। विशेष शिक्षक शिक्षण पाठ्यक्रम के प्रमुख लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को चिन्हित कर, बालकों की रूचि, योग्यता एवं आवश्यकतानुसार विषयवस्तु को सुबोध बनाने का प्रयत्न करते है।

मर्शर और पुलेन (2009) (स्मिथ पॉवेल, पैटॉन तथा डॉवडी, 2011 में उल्लेखित) ने विद्यालयी पूर्व शिक्षा के पाठ्यक्रम हेतु कुछ प्रतिमान प्रदान किए गये, जिनमें कुछ निम्न हैः

i. **विकासात्मक प्रतिमान**- विकासात्मक प्रतिमान के अन्तर्गत बालक को अधिगम के लिए उत्तम परिवेश उपलब्ध कराने के साथ विविध अनुभवों से गुजरने का अवसर प्रदान कराता है। उसमें भाषा, कहानियाँ, रचनात्मक, अवसरों, व यात्राओं के माध्यम से बालक के विकास को उद्दपित करने का प्रयास किया जाता है।
ii. **बौद्धिक प्रतिमान**- बौद्धिक प्रतिमान पियाजे के सिद्धान्त पर आधारित है, जिसका प्रमुख उद्देश्य बालक के बौद्धिक एवं वैचारिक योग्यता को उद्दपित करना है। इसके अन्तर्गत स्मृति, भाषा, विभेद क्षमता, अवधारणा निर्माण, आत्म मूल्यांकन, बोध एवं समस्या समाधान को उत्तम बनाने हेतु प्रदान किया जाता है।
iii. **व्यवहारात्मक प्रतिमान**- प्रत्यक्ष अनुदेशन द्वारा प्राप्त अवधारणा और पुर्नबलन सिद्धान्त व्यवहारात्मक प्रतिमान का आधार है। प्रत्येक छात्र के लिए लक्ष्य का निर्धारण कर उसके व्यवहार का निर्धारण करना आवश्यक है।

वर्ट्स, कलाटा एवं टाम्पकिन्स (2007) ने अधिगम अक्षम बालकों के प्रशिक्षण हेतु निम्न विधियों का वर्णन किया है:

i. **प्रत्यक्ष अनुदेशन-** यह एक आँकडो पर आधारित अनुदेशन है जिसमें विविध अधिगम लक्ष्यों की पहचान की जाती है, व्यवहार अधिगम का अध्ययन किया जाता है, तथा लक्ष्य प्राप्ति के सन्दर्भ में दिखने वाले सुधारों को नोट किया जाता है। अधिगम अक्षम बालकों की सुविधा हेतु विषयवस्तु को संरचनात्मक चरणों में बांटकर यह अनुदेशन एक गहन शैक्षिक योजना प्रदान करता है। पिछले पाठ का पुनरावलोकन, पाठ का स्पष्ट उद्देश्य, कौशल अनुप्रयोग का प्रत्यक्ष और संरचनात्मक प्रदर्शन, प्रतिपुष्टि, सकारात्मक पुनर्बलन, सुधार, उदाहरण, सार्वजनिक प्रशंसा, छात्र सहभागिता इत्यादि कारणों से यह अनुदेशन बहुत हद तक सफल प्रतीत हो रहा है। प्रत्यक्ष अनुदेशन द्वारा प्राप्त अवधारणा एवं पुनर्बलन सिद्धान्त व्यवहारात्मक प्रतिमान के आधार हैं।
ii. **बौद्धिक अनुदेशन-** इस अनुदेशन में चिन्हित की गयी समस्याओं के आधार पर पाठ का निर्माण किया जाता है। इसमें शैक्षिक एवं अनुदेशनात्मक गतिविधियों, ध्यान, प्रतियुत्तर, अभ्यास प्रत्यास्मरण, और अधिगम के हस्तान्तरण पर बल दिया जाता है। अधिगम अक्षम छात्र सीमित शैक्षिक कार्य योजना का प्रयोग कर अपनी प्रतिक्रिया की निगरानी करते हैं तथा स्वंय सुधार के साथ विकास के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। शिक्षक विभिन्न शिक्षण सामग्रियों पुनर्बलन तथा छात्रों के सबल एवं कमजोर पक्षों का सम्पूर्ण आँकड़ा प्रस्तुत कर उनके सफलता एवं उपलब्धियों पर विशेष बल देते हुए

उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। इस प्रकार शिक्षक और छात्र लक्ष्यों का निर्धारण कर स्वयं निगरानी का कार्य करतें है।

iii. **अध्ययन कौशल प्रशिक्षण-** अधिगम कौशल प्रशिक्षण या पराबौद्धिक अध्ययन कौशल प्रशिक्षण छात्रों के अधिगम के निम्न क्षेत्रों में सहायता और निर्देश प्रदान करता हैः

- नोट्स लेने व जाँच प्रक्रिया में सम्मिलित होने मे
- रचना करने में
- योजना बनाने में
- विवरण प्रस्तुत करने में
- पठन-पाठन एवं अधिन्यास हेतु आवश्यक शिक्षण सामग्रियों के रखने में

यह प्रक्रिया अधिगम कार्य (पठन एवं लेखन कौशल) के सुनियोजन मूल्यांकन पर विशेष बल देती है। उदाहरणार्थ, किसी पाठयपुस्तक की मुख्य सुचनाओं का निचोड़ निकाल अपनी स्मृति के आधार पर अधिन्यास में उसका प्रयोग करना सीखना एक जटिल कार्य हो सकता है। वस्तुत: शिक्षक सम्पूर्ण स्वतंत्र प्रभावी कार्य करने की योग्यता को उच्च स्तर के अध्ययन कौशल से जोड़कर देखते है। वे बालाकों से यह अपेक्षा करते है कि वे सूचनाओं एवं शैक्षिक संसाधनो जैसे नोट्स, पाठ्य पुस्तक, कार्यसुचि, सूचनाओं आदि को फलदायी प्रकार से सम्बन्धित कर अपने अधिन्यास को प्रभावकारी ढंग से सम्पूर्ण कर सके।

सामाजिक कौशल प्रशिक्षण- सामाजिक कौशल प्रशिक्षण सकारात्मक पुनर्बलन के प्रयोग व भावनाओं को समझाने आदि की क्रियाओं पर बालकों की विशेष कौशल क्षेत्र में मदद करता है। वे क्षेत्र इस प्रकार है- मित्र बनाने में, वयस्कों से विभिन्न परिवेश और परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित करने में आदि। यह प्रशिक्षण बालकों को भावनात्मक स्तर पर सुव्यवस्थित एवं दृढ़ बनाता है, साथ ही उनमें आत्मसम्मान का भाव उत्पन्न कराता है। अत: इस प्रकार बालकों में स्वप्रोत्साहन, आत्मप्रशंसा, आत्मसम्मान संयम एवं स्थितियों व भावो पर नियन्त्रण आदि का भाव पुष्ट होता है। बालकों में प्रतियोगिता की भावना का विकास होता है। सामाजिक कौशल प्रशिक्षण बालकों में अवसाद तनाव और भ्रम आदि से मुक्ति पाने व भावनाओं के आदान-प्रदान करने के कौशलों का विकास करता है। शिक्षकों को प्रसन्न व्यवहार करवाना ही इस प्रशिक्षणों का मूल लक्ष्य है। 'क्या आप इसे पुन: बताएगें?', एक अच्छा प्राम्भिक प्रश्न हो सकता है। इस प्रश्न को पूछने के लिए बालक के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह उस शिक्षक द्वारा दी गयी जानकारियों या व्याख्यान को सुनने के पश्चात उचित अन्तराल की ध्यान पूर्वक प्रतिक्षा करे जिससे उसके प्रश्न की सार्थकता सिद्ध हो सके।

समावेशी कार्यविधियाँ- विशेष शिक्षा के नूतन नियम इस बात पर बल देते हे कि अधिगम अक्षम बालको की शिक्षा यथासम्भव सामान्य बालकों के साथ हो। यदि इन बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ पढने का अवसर दिया जाएगा तो ये बालक अपने आयु वर्ग के दूसरे बच्चों के साथ शिक्षा ग्रहण कर उनके साथ सामंजस्य स्थापित कर पाएंगें। यदि ये बालक वहॉ सामंजस्य नहीं बिठा पाते तब उनके लिए वैकल्पिक

अनुदेशनात्मक प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है। इसमें सही एवं प्रभावी अनुदेशन के लिए पाठ्क्रम का प्रयोगात्मक और सृजनात्मक अथवा कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। शिक्षक छात्रों के स्तर की अनुदेशन और विषय सामग्री उपलब्ध कराकर उनकी सफलता सुनिश्चित कर सकतें है। इसके अन्तर्गत कार्यपुस्तिका एवं अभ्यास पुस्तिका के आकर्षक तथा सूचनाओं का एक तार्किकता एवं क्रमबद्धता के साथ पेश किया जाना चाहिए। शिक्षक अधिगम अक्षम छात्रों के लिए अनुदेशन को कई बार दुहरा सकता है। इसके अन्तर्गत कार्य को पूरा करने हेतु अधिक समय देना, अनुदेशन के लिए कार्यो को छोटी-छोटी इकाईयों में तोड़ना अधिन्यास को सरल बनाने के लिए छोट-छोटे भागों में विभक्त करना और कार्य का सम्पूर्ण विश्लेषण करना आदि शामिल है। सामान्य अनुदेशनात्मक सुधार के अन्तर्गत- दैनिक अधिन्यास, चार्ट और ग्राफिक का व्यवस्थापन एवं रंगीन विषय सामग्री, जो कार्यो के निर्देश को रेखांकित करती है, को शामिल किया जा सकता है।

सहपाठी सहयोग निर्देशन- यह एक परखी हुई प्रतिक्रिया है जिसमें विद्यार्थी ही दूसरे विद्यार्थियों के लिए निर्देश एजेन्ट के रूप में कार्य करता है। सफल कार्यक्रम सदैव तार्किक रूप से व्यवस्थित व प्रभावी अनुदेशनात्मक अभ्यास के नियमों का सतत् रूप से पालन करते हैं। सफल होने के लिए सहपाठी-शिक्षक अपने शिक्षकों की भांति ही सूचनाओं को व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करते हैं। सहयोगी सहपाठियों का निरीक्षण भी करते हैं, प्रतिक्रियाओं की सार्थकता पर नियन्त्रण रखते है और तत्काल प्रतिपुष्टि प्रदान करते हैं। सहपाठी सहयोगात्मक निर्देशन का प्रयोग एक वैकल्पिक अभ्यास क्रिया के रूप में किया जा सकता है। इसका प्रयोग समूह में नई चीजों को पढाने के लिए किया जा सकता है। वे दो सहयोगी कार्यक्रम जिनको इस क्षेत्र में बढावा दिया गया है, वे इस प्रकार है- पीयर ट्यूटोरिंग एवं क्लास वाइज पीयर ट्यूटोरिंग टीम (सीडव्लूपीटी)।

संगणक निर्देशित अनुदेशन- संगणक निर्देशित अनुदेशन संगणक तथा साफ्टवेयर का ऐसा प्रयोग है जो व्यापक और विविध अनुदेशन प्रदान कर सके जैसे शैक्षिक खेल, समस्या हल अनुभव, शब्द कार्य प्रक्रिया, उच्चारण और व्याकरण जाँच अनुदेशन तथा इनका अभ्यास। संगणक निर्देशित अनुदेशन एक आकर्षक और प्रोत्साहित करने वाला अनुदेशन है जो छात्रों को सफल अनुभव अधिगम की ओर अग्रसरित करता है। यह छात्रों को तुरन्त प्रतिपुष्टि देता है, साथ ही विषयों को खण्डों में बाँटकर गलतियों की सम्भावना को कम करता है। शिक्षको को बच्चों के विकास के निरीक्षण हेतु पूरा अवसर प्रदान करता है। यदि छात्र किसी पाठ को सस्वर पढना चाहे तो वह संगणक वाचक या ध्वनि यंत्र का प्रयोग कर अभ्यास कर सकतें है। इस प्रकार संगणक ध्वनि मिश्रक समस्या वाले बालकों के लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हो सकता है। यह बच्चों के हस्तलेखन की आवश्यकता को कम करता है, इससे समय की बचत होती है। किन्तु यही संगणक निर्देशित अनुदेशन की एक सीमा भी है।

अधिगम अक्षम बालकों का प्रशिक्षण, उनके सीखने की क्षमता व विशेषता, प्रशिक्षण कार्यक्रम की प्रकृति तथा कार्यक्रम के प्रस्तुतिकरण से प्रभावित होती हैं। रेड्डी, रमार एवं कुशमा (2003) ने अधिगम अक्षम

बालकों के देखभाल के लिए निम्न पाँच अधिगम के चरणों के आघार पर अलग-अलग कार्यक्रम निर्धारण की बात कही हैः

- अधिग्रहण (Acquisition) चरण
- प्रवीणता (Proficiency) चरण
- अनुरक्षण (Maintenance) चरण
- सामान्यीकरण (Generalization) चरण
- अनुकूलन (Adaption) चरण

प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रस्तुतिकरण में संबंधित वातावरण का अनुकलित होना बालकों के अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बना देता है। स्मिथ पॉवेल, पैटॉन तथा डॉवडी (2011) ने अधिगम अक्षम बालकों की कक्षा में समावेशन के लिए कुछ सुझाव प्रस्तुत किए, जो कक्षीय सुविधाओं से जुड़ी हुई थी। उन्होने सुझाव दिया कि लिखित सामग्री स्पर्शीय हो तथा केवल आवश्यक विषयवस्तु को ही समाहित किया जाना चाहिए जो कक्षीय सुविधाओं से जुड़ी हों। श्यामपट्ट अथवा श्वेत पट्ट पर लिखित निदेशों को पढ़ने के लिए छात्रों को उसके नजदीक बैठाना लाभकारी हो सकता है। छात्रों को लिखित और वाचिक दोनों अनुदेशन एक साथ देना ज्यादा उपयोगी सिद्ध हो सकता है। अधिगम अक्षम बालकों की कक्षा को उनके हेतु सरल एवं बोधगम्य बनाने के लिए शिक्षण के दौरान विषयवस्तु से सम्बन्धित पूर्व-उल्लेखित बातों को भी शामिल करना चाहिए। जिससे बच्चे नये और पुराने विषयवस्तु के मध्य सरलतापूर्वक सम्बन्ध स्थापित कर सकें। शिक्षण के दौरान निश्चित अन्तराल पर विराम, पठित विषयवस्तु की जाँच एवं प्रश्नोत्तर तथा नोट्स बनाने के लिए समय देना इन छात्रों के लिए उपयोगी होता है। शिक्षक को विभिन्न प्रकार के नये शब्दों का ज्ञान कराने हेतु नयी-नयी युक्तियों का उपयोग करना चाहिए। कई छात्र रंगीन शीर्षक युक्त पाठ और सहयोगी युगल में काम करने पर कार्य को आसान पाते हैं। अत: उन्हें ऐसा अवसर और सुविधाए प्रदान करनी चाहिए।

अभ्यास प्रश्न

9. सामाजिक कौशल प्रशिक्षण में बालकों में प्रतियोगिता की भावना कमजोर होती है। (सही/गलत)
10. सहपाठी सहयोग निर्देशन में विद्यार्थी ही दूसरे विद्यार्थियों के लिए निर्देश एजेन्ट का कार्य करता है। (सही/गलत)
11. संगणक निर्देशित अनुदेशन एक आकर्षक और प्रोत्साहित करने वाला अनुदेशन है। (सही/गलत)
12. छात्रों को लिखित और वाचिक दोनो अनुदेशन एक साथ देना उपयोगी सिद्ध नहीं होता है। (सही/गलत)

23.7 सारांश

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप जान चुकें हैं कि अधिगम अक्षम बालकों के लिए समुचित कार्यक्रम का निर्धारण तब तक नहीं को सकता है, जब तक उन बालकों की पहचान न कर ली जाय। इन बालकों की शीघ्र पहचान अति आवश्यक है तथा इसे कुछ विशिष्ट व्यवहारगत लक्षणों के आधार पर किया जाता है। वास्तविक व्यवहार तथा अपेक्षित व्यवहार में अन्तर से ही अधिगम अक्षम बालक की पहचान की जाती है। ये अपेक्षित व्यवहार प्रत्यक्षीकरण गामक क्रियाएं, पराबौद्धिक कौशल, भावनात्मक गुण संप्रेषणीय क्षमता, स्मृति क्षमता आदि से सम्बन्धित होतें हैं। हम यह भी जान चुके हैं कि चिह्नित अधिगम अक्षम बालकों में कठिनाइयों की तीव्रता को जानने के लिए उनका मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन उपरान्त विशिष्ट क्षेत्र में क्षतिगत एवं क्षमतागत तीव्रता के आधार पर ही इन बालकों के लिए सटीक प्रशिक्षण सेवा तैयार की जाती है।

23.8 शब्दावली

1. **प्रत्यक्ष अनुदेशन**- अधिगम अक्षम बालकों की सुविधा हेतु विषयवस्तु को संरचनात्मक चरणों में बाँटकर अनुदेशन देने की एक गहन शैक्षिक योजना।
2. **सामाजिक कौशल प्रशिक्षण** - सकारात्मक पुनर्बलन के प्रयोग से बालकों को भावनात्मक स्तर पर सुव्यवस्थित एवं दृढ़ बनाने का प्रशिक्षण।
3. **संगणक निर्देशित अनुदेशन**- संगणक तथा साफ्टवेयर का प्रयोग जिससे व्यापक और विविध अनुदेशन प्रदान किया जा सके।

23.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. अधिक
2. प्रत्यक्षीकरण
3. कठिनाई
4. रुपांतरण
5. सही
6. सही
7. गलत
8. गलत
9. गलत
10. सही
11. सही
12. गलत

23.10 संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. Bhargava, M. (1998). विशिष्ट बालक: उनकी शिक्षा एवं पुनर्वास. New Delhi : Sterling Publishers Pvt. Ltd.
2. British Columbia (2011). Supporting Students with Learning Disabilities: A guide for teachers. Retrived from www.bced.gov.bc.ca/specialed/ppandg.htm.
3. Hardlig, L. (1986). Learning disabilities in the primary classroom. London: Croom Helm.
4. Paananen, M., February, P., Kalima, K., Möwes, A & Kariuki, (2011). Learning disability assessment. In T. Aro & T. Ahonen (Eds.), Assessment of learning disablity : cooperation between Teachers, Psychologists and Parents.
5. Reddy, G.L., Ramar, R. & Kusuma, A. (2003). Learning Disabilities: A practical guide to practitioners. New Delhi: Discovery Publishing House
6. Smith, T. E. C., Pollway, E.A., Patton, J.R. & Dowdy, C.A. (2011). Teaching students with disabilities special needs in inclusive needs in inclusive settings. New Delhi: PHI Learning Private Limited.
7. University of Guelph. (2000). A Handbook for Faculty on Learning Disabilities Issues. Guelph, Canada: Hughes , J. M. C., Evans, M. A. & Herriot, C.
8. Werts, M. G., Calutta, R. A. & Tompkins, J. R. (2007). Fundamentals of special education:What every teacher needs to know. New Delhi: PHI Learning Private Limited.

23.11 सहायक उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. British Columbia (2011). Supporting Students with Learning Disabilities: A guide for teachers. Retrived from www.bced.gov.bc.ca/specialed/ppandg.htm.
2. Reddy, G.L., Ramar, R. & Kusuma, A. (2003). Learning Disabilities: A practical guide to practitioners. New Delhi: Discovery Publishing House

23.12 निबन्धात्मक प्रश्न

1. अधिगम अक्षम बालक की पहचान किस प्रकार की जा सकती है, वर्णन करें।
2. अधिगम अक्षमता के मूल्यांकन की प्रक्रिया का विवेचन करें।
3. अधिगम अक्षम बालकों के लिए समुचित प्रशिक्षण कार्यक्रम का विश्लेषण करें।
4. अधिगम अक्षम बालकों के प्रतिस्थापन के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए।

इकाई 24 अधिगम अक्षमता युक्त बालकों की समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका

24.1 प्रस्तावना

24.2 उद्देश्य

24.3 अधिगम अक्षमता युक्त बालकों की शिक्षा

24.3.1 अक्षमता के अध्ययन के विभिन्न उपागम

24.3.2 ‘लेबलिंग’ के लाभ और हानियाँ

24.3.3 समावेशी शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास (अधिगम अक्षमता का संदर्भ)

24.4 विशेष शिक्षा, समेकित शिक्षा, समावेशी शिक्षा

24.4.1 विशेष शिक्षा, समेकित शिक्षा, एवं समावेशी शिक्षा में अंतर

24.5 अधिगम अक्षमता युक्त बालकों की समावेशी शिक्षा में विशेषज्ञ शिक्षक की भूमिका

24.5.1 विशेषज्ञ शिक्षक की शैक्षणिक भूमिका

24.5.2 विशेषज्ञ शिक्षक की सामाजिक भूमिका

24.5.3 विशेषज्ञ शिक्षक की अन्य भूमिकाऐं

24.6 अधिगम अक्षमता युक्त बालकों की समावेशी शिक्षा में सामान्य शिक्षक की भूमिका

24.6.1 सामान्य शिक्षक की शैक्षणिक भूमिका

24.6.2 सामान्य शिक्षक की सामाजिक भूमिका

24.6.3 सामान्य शिक्षक की अन्य भूमिकाऐं

24.7 सारांश

24.8 पारिभाषिक शब्द एवं शब्द विस्तार

24.9 संदर्भ ग्रथ सूची/अन्य अध्ययन

24.10 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न /निबंधात्मक प्रश्न

24.1 प्रस्तावना

पिछली इकाइयों इकाई (22) और इकाई (23) में आपने अधिगम अक्षमता के बारे में पढ़ा। आप अधिगम अक्षमता, उसके प्रकार, विशेष तायें और अधिगम अक्षमता के पहचान एवं निदान की विधियों के बारे में पढ़ा। वर्तमान इकाई में आप अधिगम अक्षमता वाले बालकों की समावेषी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का अध्ययन करेंगे। इकाई के आरंभ में आप विकलांगता/अक्षमता के प्रति विभिन्न दृष्टिकोणों का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम मुख्य रूप से अक्षमता के अध्ययन का चिकित्सकीय दृष्टिकोण एवं सामाजिक दृष्टिकोण एवं उनकी मान्यताओं का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तत्पष्चात् 'विकलांगता' का 'लेबल' लगने के किसी व्यक्ति के जीवन पर अधिगम अक्षमतायुक्त बालकों की शिक्षा के ऐतिहासिक विकास पर एक नजर डालेंगे। आगे की उप-इकाई में हम विशेष शिक्षा , समेकित शिक्षा एवं समावेषी शिक्षा की संक्षिप्त चर्चा करेंगे जिसमें इनका संक्षिप्त परिचय, इनकी विशेष तायें और सीमायें समाहित हैं। उससे आगे की अन्य दो इकाईयों में अधिगम अक्षमता युक्त बालकों के समावेषी शिक्षण में विशेष शिक्षक एवं सामान्य शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिकाओं का अध्ययन करेंगे। पाठ के अंत में पुनरावृत्ति हेतु इकाई का सारांश , महत्वपूर्ण शब्दावली व शब्द संक्षेप दिये गये हैं जो त्वरित संदर्भ के लिए आपके मददगार होंगे। इकाई के आखिर में संदर्भ ग्रंथ /अन्य अध्ययन की सूची दी गयी है जो आपके और विसतृत अध्ययन में लाभप्रद साबित होगी।

24.2 उद्देश्य

1. इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप
2. अक्षमता के अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोणों के बारे में बता सकेंगे।
3. अक्षमता के अध्ययन के चिकित्सकीय एवं सामाजिक मॉडल की तुलनात्मक रूप रेखा प्रस्तुत कर सकेंगे।
4. किसी बालक को अधिगम अक्षमता युक्त 'लेबल' करने की आवश्यकता और उसके दुष्परिणामों की व्याख्या कर सकेंगे।
5. अधिगम अक्षमता युक्त बालकों की समावेषी शिक्षा का सक्षिप्त इतिहास बता सकेंगे
6. विशेष शिक्षा क की परिभाषा, उसकी विशेष तायें एवं सीमाये बता पाने में सक्षम हो सकेंगे होगे।
7. एकीकृत शिक्षा का परिभाषित करने और उसकी विशेष तायें और सीमाये बता सकेंगे।
8. समावेषी शिक्षा की आवश्यकता , परिभाषा, उसकी विशेष तायें और सीमाये बता पाने में सक्षम होंगे।
9. विशेष शिक्षा , एकीकृत शिक्षा , एवं समावेषी शिक्षा के बीच का अंतर स्पष्ट कर पाने में सक्षम हो सकेंगे।
10. अधिगम अक्षमता युक्त बालकों की शिक्षा में शिक्षक की शैक्षणिक, सामाजिक एवं अन्य भूमिकाओं की व्याख्या कर सकेंगे।

11. अधिगम अक्षमता युक्त बालकों की शिक्षा में सामान्य शिक्षक की विभिन्न भूमिकाऐं यथा सामाजिक, शैक्षणिक एवं अन्य की व्याख्या कर पाने में सक्षम होंगे।

24.3 अधिगम अक्षमता युक्त बालकों की शिक्षा

24.3.1 अक्षमता के अध्ययन के विभिन्न उपागम

चिकित्सकीय उपागम विकलांगता/अक्षमता के अध्ययन के कई उपागम है जो भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण एवं मान्यताओं के आधार विकलांगता का अध्ययन करते है । अक्षमता के अध्ययन का सबसे पुराना मॉडल है चिकित्सकीय मॉडल जिसकी मान्यता है कि अन्य बीमारियों की तरह ही अक्षमता/विकलांगता भी किसी व्यक्ति के अंदर किसी प्रकार की जैविक कमी से होती है जिसे दवाओं से ठीक किया जा सकता है ।

सामाजिक उपागम: अक्षमता के अध्ययन का सामाजिक उपागम अक्षमता को एक सामाजिक वैविध्य (Social Diversity) के रूप में देखता है और उसे स्वीकार करते हुए, उसके सामाजिक समाधान एवं सामाजिक भागीदारी से समाधान पर जोर देता है। सामाजिक उपागम अक्षमता युक्त बालकों को समाज का एक अभिन्न अंग मानता है अतः उनके अलग ‘पुनर्वास’ की बजाए समुदाय आधारित पुनर्वास (Community Based Rehabilitation) की बात करता है। यह बच्चे को प्राथमिक मानता है और उसके अनुसार के वास एवं पुनर्वास (Habilitation and Rehabilitation) में समाज की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानता है।

अक्षमता के चिकित्सकीय और सामाजिक मॉडल की तुलना

क्र.सं.	चिकित्सा मॉडल	समाजिक मॉडल
1	दोष बच्चे में हैं।	बच्चा महत्वपूर्ण है।
2	निदान की आवश्यकता	विशेष आवश्यकताओं के पहचान की आवश्यकता
3	बच्चे का वर्गीकरण विभिन्न कमियों के आधार पर।	विभिन्न व्यवधानों की पहचान और उनके समाधान पर जोर।
4	बच्चे की अक्षमता महत्पूर्ण/प्राथमिक।	बच्चा महत्वपूर्ण उसके आवश्यकतानुसार कार्यक्रम विकास
5	परीक्षण और सतत् निरीक्षण की आवश्यकता ।	संसाधन उपलब्ध कराना।
6	समाज से विलगाव एवं वैकल्पिक समाधान।	माता-पिता एवं अन्य व्यवसायियों का विशेष प्रशिक्षण

7	समावेष यदि सामान्यता की प्राप्ति अन्यथा हमेशा के लिए समाज से अलग।	बच्चों का उनकी वैयक्तिक भिन्नता के साथ स्वागत।
8	समाज का कोई सरोकार नहीं।	समाज की महत्वपूर्ण भूमिका।

24. 3.2 'लेबलिंग' के लाभ और हानियाँ

हालाँकि किसी व्यक्ति पर 'विकलांगता' का ठप्पा (label) लगाने का उसके संपूर्ण जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, परंतु उसके कुछ सकारात्मक पहलुओं की वजह से यह आवश्यक है। आइये हम जानें कि लेबलिंग (labelling) का किसी व्यक्ति के जीवन पर क्या नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव हो सकता है। हेवर्ड (2006) के अनुसार लैबलिंग के निम्नांकित सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं:-

'लेबलिंग के नकारात्मक पहलू:

'लेबलिंग के नकारात्मक पहलू:

vii. एक सामाजिक धब्बा है जो व्यक्ति के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण को नकारात्म्क रूप से प्रभावित करता है।

viii. यह प्रभावित व्यक्ति को भेद भाव का शिकार बना देता है।

ix. व्यथ्कत स्वयं को असामान्य महसूस करने लगता है।

x. कभी कभी व्यक्ति हीन भावना का शिकार हो जाता है।

xi. प्रथामिक रूप से बालक के अंदर 'कुछ गलत' होने का एहसास

xii. सामाजिक स्तर में कमी और भेदभाव

लेबलिंग के सकारात्मक पहलू:

ix. विशेष शिक्षा की अर्हता के लिए

x. उपलब्ध सामाजिक एवं सरकारी सहयाता के लाभ के लिए

xi. शैक्षणिक एवं अन्य

xii. अतिरिक्त सेवाओं की जरूरत के निर्धारण के लिए

xiii. विकलांगता की गम्भीरता और उसके प्रभावों के पूर्वानुमान के लिए।

xiv. सहायता समूहों की सदस्यता और निर्माण के लिए

xv. उपयुक्त कानून एवं नीति निर्धारण के लिए

xvi. सुरक्षात्मक सामाजिक अनुक्रिया के लिए

24.3.3 समावेषी शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास (अधिगम अक्षमता का संदर्भ)

आजकल आप समावेशी विकास (**Inclusive Growth**) सामाजिक समावेष (Social Inclusion), समावेशी शिक्षा (Inclusive Education) की चर्चा हर जगह सुन रहे होंगे, और तब आपके मन में यह प्रश्न

उठ रहा होगा कि आखिर ये ‘समावेष’ है क्या? इसकी आवश्यकता क्या है? किसका समावेष किया जाना चाहिए? समोवष की यह प्रक्रिया क्या हो सकती है? समावेष में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है आदि-आदि।उपरोक्त प्रष्नों के समाधान के लिए हमें मानवधिकारों की वैष्विक घोषणा की ओर जाना होगा।

संयुक्त राष्ट्र संघ की विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की घोषणा (1975) के अनुसार-

‘‘विकलांग व्यक्तियों को, उनके ‘आत्म सम्मान’ के लिए आदर पाने का प्राकृतिक अधिकार है। विकलांग व्यक्तियों को भी उनके हम उम्र व्यक्तियों के समान सभी मूल अधिकार, जिसमें जिन्दगी को पूर्णता एवं सम्मान से जीना शामिल है, प्राप्त है चाहे उनका मूल (जाति/वंष) प्रकृति अथवा उनकी विकलांगता एवं अक्षमता की गंभीरता कुछ भी क्यों न हो।’’ (Article 3)

संयुक्त राष्ट्र संघ की इस घोषण के पष्चात् सभी सदस्य राष्ट्रों ने सहमति जतायी कि अक्षमता/वातावरण के ख्याल किये बिना, विकलांग व्यक्तियों को भी वे सारे मूल अधिकार प्राप्त होने चाहिए जो एक सामान्य नागरिक को उपलब्ध होते हैं। मानवधिकारों और तत्पष्चात् विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की इस घोषणा को आगे ‘बालको के अधिकार’ पर हुए संयुक्त राष्ट्र के अन्वेंषन (1989) में ‘समावेशी शिक्षा ’ की जड़े छुपी हैं।

बालकों के वैष्विक अधिकारेां की इस घोषण के अनुसार ‘‘एक विकलांग बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करते हुए, उन्हें उपयुक्त सहायता प्रदान किया जाना चाहिए ताकि उन्हें प्रभावी शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके, और बच्चे के अनुकूल, उसका पूर्ण सामाजिक एकीकरण एवं पूर्ण विकास संभव हो। (Article 23)

उपरोक्त दोनों घोषणाओं से स्पष्ट है कि समाज में सभी व्यक्तियों की पूर्ण भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है और तद्नुसार सभी बालकों को बिना किसी भेदभाव के अपनी संस्कृति में विकसित होने का अवसर मिलना चाहिए ताकि वे उसके मूल्यों को आत्मसात् कर सकें और उसके विकास में योगदान कर सकें।

सलमांका कान्फ्रेंस (1994) के अनुसार,

- सभी बालकों को शिक्षा का मौलिक अधिकार है और उन्हें एक स्वीकार्य स्तर तक सीखने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए।
- सभी शैक्षिक निकायों की संरचना और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन इस प्रकार किया जाना चाहिए ताकि वे बालकों की वैयक्ति भिन्नता और विविध आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो सके। विशेष शैक्षणिक आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य विद्यालय (त्महनसंत ैबीववस) अवष्य उपलब्ध होने चाहिए।
- नियमित समावेशी विद्यालय
  iv. विभेदक प्रवृत्तियों को समाप्त करने में;
  v. एक समावेशी समाज के निर्माण में एवं

vi. विद्यालय सभी के लिए शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु सबसे प्रभावी माध्यम हो सकते हैं।

- सामान्य/आम विद्यालयों में प्रभावी अध्ययन की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि अधिकांष बच्चे शिक्षा का लाभ ले सकें, और इस प्रकार शिक्षा को प्रभावी और अल्प व्ययी (Cost-Effective) बनाया जा सके।

अधिगम अक्षमता का संक्षिप्त इतिहास

वर्ष	घटना	शैक्षणिक निहितार्थ
1950-1960	अधिकांष सार्वजनिक विद्यालयों ने विभिन्न विकलांगता यथा मानसिक मंदता, अस्थि विकलांगता, संवेदी विकलांगता आदि से ग्रस्त बालकों के लिए विशेष शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत कर दी परंतु कई ऐसे छात्र जिन्हे गंभीर अधिगम कठिनायी थी पर इनमें से किसी श्रेणी में नही आते थे, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गयी।	अपने बच्चों की अधिगम से संबंधित समस्याओं के हल के लिए अभिभावकों ने वैकक्पिक सेवाओं मनावैज्ञानिक डॉक्टर, आदि से संपर्क करना शुरु किया और तदनुसार ब्रेन डेमेज, एम.वी.डी. मितिमल ब्रेन डिसफंक्षन डिस्लेक्सिया आदि शब्द उन बच्चों के लिए प्रयोग किये जाने लगे जो किसी अक्षमता की श्रेणी में तो नहीं आते थे पर उन्हें अधिगम से संबंधित गंभीर समस्या में थी।
1963	सैमुअल क्रिक ने, अभिभावकों के समूह को संबोधित करते हुए ‘अधिगम अक्षमता’ शब्द का प्रयोग उन बच्चों के लिए किया जिन्हे अधिगम से संबधित गंभीर कठिनाइयाँ थी।	अभिभावकों ने इस शब्द को पसंद किया और उसी शाम को अधिगम अक्षमता युक्त बालकों का संगठन (Association for Children with LD) का गठन किया।
1966	एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स ने 99 विशेष ताये न्यूनतम मस्तिष्क अक्रियात्मकता (Mineral Brain Dysfunction) के बताये।	इससे यह खतरा पैदा हो गया कि सभी अधिगम की कठिनाई से ग्रस्त बालकों से ये सारी विशेष ताये उम्मीद की जाने लगी जब कि यह समूह वृहत भिन्नताओं वाला है।
1968	विकलांग बच्चों की राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् ने कॉग्रेस में अधिगम अक्षमता की एक परिभाषा प्रस्तुत की	इस परिभाषा को बाद में आइडिया ;प्क्म्।द्ध में लिया गया और इन बच्चों हेतु सहयोग के लिए फंड का प्रावधान किया गया।
1968	काऊंसिल ऑफ एक्सेप्षनल चिल्ड्रेन के अंदर अधिगम अक्षमता के लिए एक अलग प्रभाग Division for Children with Learning Disability) बना	यह खंड सी.ई.सी. का सबसे बड़ा प्रमाण बन गया।
1969	द चिल्ड्रेन विथ लर्निंग डिसेबिलिटि ऐक्ट (PL	इस कानून ने पाँच साल के लिए धन आबंटित

	91-230) कॉग्रेस के द्वारा पास किया गया।	किया और अधिगम अक्षता में शिक्षक प्रशिक्षण एवं मॉडल डेमोस्ट्रषन कार्यक्रम बनाने का प्रयास किया गया।
1975	कॉग्रेस ने IDEA (PL 94-142) स्वीकृति दी	अधिगम अक्षमता को इसके एक भाग में सम्मिलित किया गया।
2001	बड़ी संख्या में बच्चों की पहचान अधिगम अक्षमताप्राप्त होने की वजह से, यू.एस. के विशेष शिक्षा कार्यालय ने अधिगम अक्षमता पर वाषिंगटन में एक सीमित आयोजि किया।	नौ श्वेत पत्र अधिगम अक्षमता के नैदानिक निर्णय, वर्गीकरण, शीघ्र पहचान, आदि पर जारी किये गयें, और इसे अक्षमता के रूप में स्वीकार किया गया।
2004	IDEIA 2004 ने अधिगम अक्षमता के नैदानिक मानदंडों में परिवर्तन किया।	स्कूल को इस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं रही कि एक बच्चे की बौद्धिक क्षमता और उसकी प्राप्तियों में अंतर की गंभीरता कितरी है। उन्हें उस प्रक्रिया का प्रयोग करने की छूट दी गयी ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि बच्चा मुल्यांकन के एक भाग के रूप में वैज्ञानिक अनुसंधान आधारित हस्तक्षेप पर क्या अनुक्रिया देते है।

भारतीय परिदृष्यः अधिगम अक्षमता की भारतीय परिदृष्य में बड़ी विचित्र स्थिति है। एक और तो भारत के वर्तमान कानून विकलांग जन कानून, 1995, भारतीय पुनर्वास परिषद् कानून, 1992, राष्ट्रीय न्याय कानून, 1999 कोई भी अधिगम अक्षमता को अक्षमता नहीं मानता वहीं दूसरी और भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिगम अक्षमता के कई शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रही है।

अभ्यास प्रश्न

1. ‘लैबलिंग’ किसी विशिष्ट बालक को सिर्फ नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। (सत्य/असत्य)
2. ‘लैबलिंग’ विशेष शिक्षा के लिए आवश्यक है। (सत्य/असत्य)
3. चिकित्सकीय उपागम के अनुसार मानसिक मंदता एक व्यक्ति के अंदर की समस्या है। (सत्य/असत्य)
4. सामाजिक उपागम के अनुसार मानसिक मंदता एक सामाजिक समस्या है। (सत्य/असत्य)
5. ‘समावेषी शिक्षा ’ विकलांगता की सामाजिक मान्यता पर आधारित है। (सत्य/असत्य)

21.4 विशेष शिक्षा, समेकित शिक्षा, समावेशी शिक्षा

मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता युक्त छात्रों के शैक्षणिक नियोजन के विकल्प

i. विशेष शिक्षा
ii. समेकित शिक्षा
iii. नियमित/समावेशी शिक्षण

विशेष शिक्षा

विशेष शिक्षा प्रायः व्यक्तिगत अनुदेषनात्मक कार्यक्रम है। इसका मुख्य आधार है बच्चे की वर्तमान क्रियाषीलता जिसके आधार पर शिक्षण के लक्ष्य, शिक्षण सामग्री शिक्षण विधि, शिक्षण की तकनीक आदि निर्धारित होती हैं। विशेष शिक्षा में इस बात पर जोर दिया जाता है कि बच्चे को व्यक्तिगत आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए उन्हें उनके अधिकतम स्तर तक पहुँचाना है।

विशेष शिक्षा का तात्पर्य है विशेष आवश्यकता युक्त बालक को (सामान्य से अलग) विशेष वातावरण में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों द्वारा, विशेष संरचित पाठ्यक्रम, विशिष्ट तकनीकों एवं विधियों तथा विशेष रूप से निमित्ति शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करके पढ़ाना। यह हालांकि गंभीर अक्षमता युक्त बालकों के लिए प्रभावी और लाभकारी सिद्ध हो सकता है परंतु अपनी भेदभावपूर्ण प्रकृति जो अक्षमतायुक्त बालकों को समाज एवं समुदाय से अलग करती है, के कारण वर्त्तमान समय में उपयुक्त नहीं है। इसकी विशेष ताएं और सीमाएं निम्नांकित है:

विशेष शिक्षा के प्रमुख गुण निम्नलिखित है:

i. सभी बच्चों पर व्यक्तिगत ध्यान।
ii. यह आधारभूत जीवनयापन कौषल सिखाता है ताकि व्यक्ति/बालक स्वावलंबी हो सकें।
iii. यह बालकों को एक सुरक्षित को एक सुरचित अधिगम कार्यक्रम का आधार देता है।
iv. बच्चे के बौद्धिक विकास में सहायक
v. बच्चे के माता-पिता को उपयुक्त सेवाएं प्राप्त करने में मददगार

विशेष शिक्षा की कमियों जिन्होंने समावेशी शिक्षा की नीव रखी:

i. विशेष शिक्षा की उच्च लागत, जो गरीब बालक वहन नहीं कर सकते।
ii. सामान्यतः शहरी क्षेत्रों में विशेष शिक्षा की उपलब्धता जो सिर्फ उच्च आयवर्ग से आने वाले बालकों को उपलब्ध थी।
iii. विशेष ज्ञ शिक्षक और सामान्य शिक्षकों के मध्य 'विशेष ज्ञता' के आदान-प्रदान का अभाव।

समेकित शिक्षा

समेकित शिक्षा का तात्पर्य है अक्षमताग्रस्त बालकों को कुछ समय के लिए सामान्य बालकों के साथ अंतः क्रिया का मौका देना जैसे लंच टाइम में, खेल के समय, विभिन्न सामाजिक अवसरों पर आदि परंतु उनका संपूर्ण शिक्षण का कार्य अलग-अलग होता है चाहे दोनों विद्यालय अलग-अलग हों या विशेष बालक की एक ही कैंपस में अलग कक्षा हो। यह इस मान्यता पर आधारित है कि यदि अक्षमता युक्त बालक कुछ उपयुक्त सामाजिक व्यवहार सीख ले तब, उसे सामान्य कक्षा में भेजा जा सकता है। यह विशेष शिक्षा से बेहतर विकल्प है परंतु वर्त्तमान मानवाधिकारों के दौर में प्रासंगिक नहीं है क्योंकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सभी बालक का अधिकार है।

समेकित शिक्षा का तात्पर्य सामान्य अर्थों में 'बच्चे के सामान्य स्कूल में जाने' से है। जबकि समावेशी शिक्षा का अर्थ विद्यालय में बच्चे की पूर्ण भागीदारी से है।

समेकित शिक्षा के लाभः

i. बच्चे का बेहतर समाजीकरण
ii. बच्चे का सामाजिक एकीकरण का बढ़ाना
iii. बच्चे के प्रति सामाजिक अभिवृति सकारात्मक
iv. अभिभावकों की बालक की शिक्षा में अधिक भागीदारी
v. कम विशेष शिक्षा की तुलना में व्यय
vi. कुछ शोधों के अनुसार छात्रों की बेहतर उपलब्धि
vii. संस्थानीकरण एवं आवागम के खर्च में बचत

समेकित शिक्षा की सीमायें

i. सभी बालकों की आवश्यकता पूरी करने में सक्षम नहीं
ii. सीमित संसाधना पर अधिक दबाव
iii. अभिभावकों, स्वयंसेवकों एवं अन्य बालकों द्वारा सहयोग की आवश्यकता

समावेषी शिक्षा

शिक्षा के क्षेत्र में समावेष (समावेशी शिक्षा) का तात्पर्य है विद्यालय के पुननिर्माण की वह प्रक्रिया जिसके लक्ष्य सभी बच्चों को शैक्षणिक और सामाजिक अवसरों की उपलब्धता है। इस प्रक्रिया में पाठ्यक्रम, परीक्षण, छात्र की उपलब्धियों का रिकार्ड, विभिन्न योग्यताओं के आधार पर छात्रों के समूहन, शिक्षण तकनीक, कक्षा के अंदर के कार्यकलाप आदि के साथ ही खेल और मनोरंजनात्मक क्रियाओं भी समाहित है। (Mittlar 2000)।

यूनेस्को के अनुसार, समावेशी शिक्षा का तात्पर्य उस शिक्षा से है जो;

i. यह विश्वास करती है सभी बच्चे सीख सकते हैं और सभी बच्चों की अलग-अलग प्रकार की विशेष आवश्यकता होती है।

ii. जिसका लक्ष्य सीखने की कठिनाइयों की पहचान और उनका प्रभाव न्यूनतम करना है।
iii. जो औपचारिक शिक्षा से वृहत् अर्थ रखता है और घर समुदाय एवं घर से बाहर शिक्षा के अन्य अवसरों पर भी बल देता है।
iv. अभिवृत्तियों, व्यवहारों, शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम एवं वातावरण को परिवर्तित करने की वकालत करता है ताकि सभी बालकों की विशेष आवश्यकतायें पूरी हो सकें।
v. एक स्थिर गति से, चलने वाली एक गतिशील प्रक्रिया है और समावेशी समुदाय को प्रोन्नत करने के लिए प्रयुक्त विभिन्न तरीको का एक भाग है।

समावेशी शिक्षा की विशेषताऐं

i. विद्यालय व्यक्तिगत भिन्नताओं को सीन में रखते हुए सभी बालकों के लाभ के सिद्धांत पर काम करते है।विद्यालय की अभिवृति में अक्षमतायुक्त बालकों के प्रति सकारात्मक परिवर्तन
ii. विशेष विद्यायलों की अपेक्षा कम खर्च का विकल्प
iii. मातापिता पर कोई अतिरिक्त व्यय नहीं
iv. अक्षमता युक्त बालकों के सामाजिक कल्याण पर खर्च में कमी
v. अक्षमतायुक्त बालको सहित अन्य सभी बालकों की उपलब्धियों में वृद्धि
vi. विशेष बालक का उन्नत सामाजिक समायोजन
vii. समावेशी शिक्षा का किफायती (Cost Effective)होना
viii. स्थानीय संसाधनो का प्रयोग करके व्यय में कमी संभव
ix. अक्षमता युक्त बालकों को अपेक्षाकृत वृहत पाठ्यक्रम उपलब्ध

सीमायें

i. पाठ्यक्रम अनुकूलन का अतिरिक्त खर्च
ii. शिक्षण सामग्री का अतिरिक्त खर्च
iii. शिक्षक में समावेशी शिक्षा हेतु उपयुक्त कौषल विकास पर खर्च
iv. सामान्य एवं विशेषज्ञ शिक्षकों की अपर्याप्त संख्या
v. अभिभावक एंव समुदाय की अधिक भागीदारी की आवश्यकता

समावेशी शिक्षा के लाभ

भारतीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के अनुसार, समावेशी शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को निम्नांकित लाभ होते हैं:

i. समावेशी शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बालकों को अपने हम उम्र और विकलांग बच्चों के साथ अंतःक्रिया का मौका मिलता है, जो विशेष विद्यालयों में उपलब्ध नहीं है।
ii. विशेष आवश्यकता वाले बालक अपने अविकलांग सहपाठियों से सामाजिक रूप से स्वीकार्य व्यवहार, सीखते हैं।

iii. शिक्षक प्रायः विशेष आवश्यकता वाले बालकों से भी अपेक्षाकृत ऊँची अपेक्षा रखते हैं।
iv. सामान्य एवं विशेष शिक्षक बिना किसी भेदभाव के सभी छात्रों से समान उम्मीद रखते हैं।
v. विशेष आवश्यकता वाले बालकों को भी उनकी उम्र के उपयुक्त, शैक्षणिक विषयों के कार्यात्मक/प्रायोगिक भाग को सीखने का मौका मिलता है जो विशेष विद्यालयों में प्रायः अनुपलब्ध है।
vi. समावेशी शिक्षा के कारण यह संभावना बढ़ जाती है कि विशेष बालकों की सामाजिक भागीदारी बढ़ेगी और जीवन पर्यन्त रहेगी।

इसके अतिरिक्त, समावेशी परिवेष में अध्ययन करने से, विशेष बालकों को निम्नांकित लाभ होते हैं:

i. विशेष बालकों के सहपाठियों और फलस्वरूप समाज में उनके प्रति एक सकारात्मक और स्वीकार्यात्मक अभिवृत्ति का विकास।
ii. विशेष बालकों में एक स्वास्थ्य प्रतिस्पर्द्धा की भावना का विकास।
iii. विशेष बालकों के प्रति शिक्षक की अभिवृत्ति में परिवर्तन।
iv. विशेष बालक को 'लघ समाज' का अनुभव।
v. विशेष बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास।

समावेशी शिक्षा से न केवल विशेष आवश्यकता वाले बालकों को लाभ होता है, बल्कि इससे गैर विकलांग बालकों को भी लाभ है, जिनमें से कुछ प्रमुख निम्नांकित है।

भारतीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के अनुसार, गैर विकलांग बालकों के लिए समावेशी शिक्षा के लाभ

i. विभिन्न अनुदेषनात्मक गतिविधियों में सहपाठी-शिक्षक (Pear Tutor) के रूप में काम करने का मौका।
ii. विशेष बालकों के प्रति उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन।
iii. पाठ्य सहगामी क्रियाओं के दौरान विशेष बालकों का सहयोग करने का अवसर सामान्य बालकों में।
iv. व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार करने, सहनषक्ति आदि का विकास करने में सहायता मिलती है।
v. सामान्य बालक कई सकारात्मक व्यवहार विशेष बालकों से सीख सकते हैं।
vi. सामान्य बालकों को कई मानवता से जुड़े व्यवसाय और उनमें कैरियर की संभावनाओं यथा विशेष शिक्षा , फिजियोथेरॉपी, अॅकुपेषनल थेरॉपी आदि की जानकारी मिलती है।
vii. सामान्य बालकों में अलग-अलग प्रकार के व्यक्तियों से प्रभावी संप्रेषण कौषल का विकास होता है

यूनिसेफ पोजिशन पेपर के अनुसार समोवेशी शिक्षा के निम्नांकित लाभ हैः

सभी बच्चों को लाभ

i. बच्चे ज्यादा आत्मविष्वासी और आत्म सम्मान युक्त हो जाते है।

ii. वे विद्यालय के अंदर और विद्यालय के बाहर स्वतंत्र अधिगम की प्रक्रिया सीखते है।
iii. वे अपने सीखे हुए ज्ञान और समझ का अपने दैनिक जीवन में (अन्य स्ाििानों यथाः खेल के मैदान में, घन में) उपयोग करना सीखते हैं।
iv. वे अपने से इतर सहपाठियों एवं शिक्षकों से ज्यादा सक्रिय एवं प्रसन्नतापूर्ण अंतः क्रिया सीखते है।
v. वे अपने से भिन्न बालकों के प्रति संवेदनषीलता और उन भिन्नताओ को स्वीकार करते हुए उनके साथ अनुकूलित होता सीखते है।
vi. बच्चो के संप्रेषण कौषल का बेहतर विकास होता है, और बेहतर जीवन के लिए तैयार होते हैं।
vii. वे अपने आप पर अपनी उपलब्धियों पर गर्व करना सीखते हैं।

शिक्षकों को लाभ

i. शिक्षकों के पास विभिन्न प्रकार के बालकों को पढ़ाने के भिन्न भिन्न तरीके सीखने का अवसर होता है।
ii. शिक्षकों को वैयक्तिक भिन्नता युक्त कक्षा में शिक्षण और अधिगम के अलग अलग नय तरीकों का ज्ञान होता है।
iii. विभिन्न प्रकार की अधिगम संबंधी बाधाओं को कम करने का उपाय खोजते हुए, शिक्षकों को व्यक्तियों, बालकों एवं अलग-अलग परिस्थितियों के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास होता है।
iv. शिक्षकों के पास संप्रेषण के नये तरीकों की खोज का बेहतर अवसर होता है विभिन्न सहकर्मियों, अभिभावक, समुदाय के विभिन्न व्यक्तियों आदि से।
v. नये विचारों/तरीकों का शिक्षण के दौरान प्रयोग करते हुए वे अधिगम ज्यादा रुचिकर, और बच्चों को ज्यादा attentive बना पाते हैं। अतः बच्चे और उनके अभिभावकों से शिक्षकों को सकारात्मक फीडबैक मिलता है।
vi. शिक्षक अधिक संतुष्टि (Job Satisfaction) का अनुभव करते हैं क्योंकि सभी बालक अपनी समता को अधिकृत स्तर तक सफल हो सकते हैं।

अभिभावकों को लाभ

i. अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा में भागीदारी बढती है और अपने बच्चों का उनके अधिगम में वे ज्यादा सहयोग करते है।
ii. अभिभावकगण उनके बच्चों को कैसे शिक्षा दी जा रही है, सीखते हैं।
iii. शिक्षक विभिन्न अवसरों पर अभिभावकों के विचार पूछते है अतः अभिभावक को अपने अंदर सम्मान महसूस होता है और वे स्वयं को बच्चे की शिक्षा का समान भागीदार मानते है।

iv. अभिभावकों के पास भी ज्यादा लोगों यथा शिक्षक , अन्य अभिभावक, अन्य बालकों आदि से अंतः क्रिया का अवसर होता है और वे पारस्परिक सहयोग की भावना सीखते है।

v. सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अभिभावक यह जाने लगतें हैं कि उनके बच्चे अन्य सभी बच्चें के साथ, गुणवत्ता युक्त शिक्षा ग्रहण कर रहे है।

21.4.1विशेष शिक्षा , समेकित शिक्षा , एवं समावेशी शिक्षा में अंतर

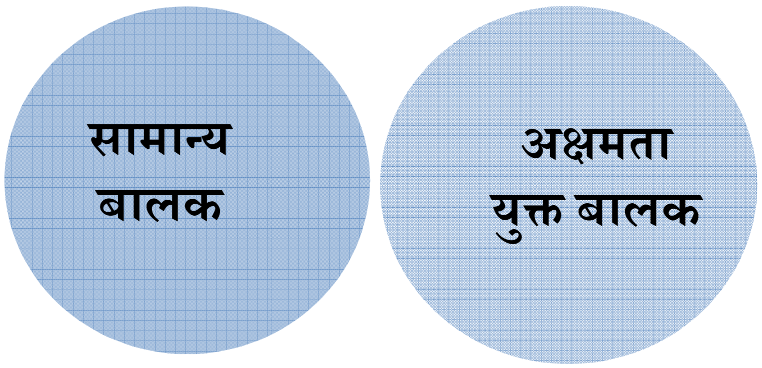

विशेष शिक्षा

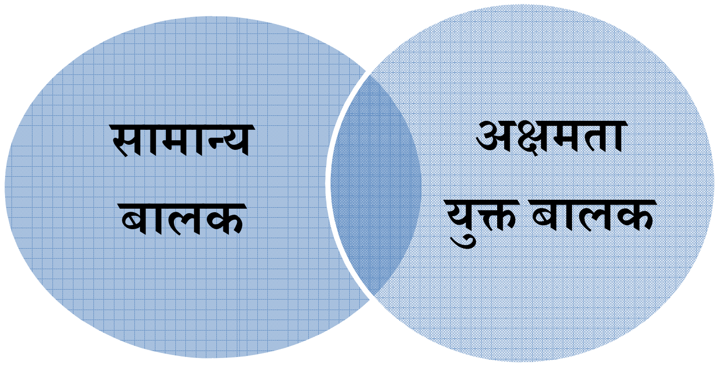

समेकित शिक्षा

समावेशी शिक्षा

क्र.सं.	विशेष शिक्षा	समेकित शिक्षा	समावेशी शिक्षा
1.	अक्षमताग्रस्त बच्चों को विशेष सेवा प्रदान करना।	अक्षमता युक्त बालकों की विशेष आवश्यकताओं पर जोर	अक्षमता युक्त बालकों के अधिकारों पर बल।
2.	अक्षमतायुक्त बालकों का विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकरण।	अक्षम बालकों में 'परिवर्तन' ताकि वे सामान्य बालकों के साथ शिक्षा ग्रहण करने योग्य हो सकें।	विद्यालय और वातावरण में परिवर्तन ताकि कोई भी बालक अपने आप को अक्षम महसूस न करें।
3.	विकलांगता एक व्यक्ति के अंदर की समस्या है।	विकलांगता एक समस्या है।	सभी व्यक्ति सक्षम हैं, परंतु व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं।
4.	सभी सेवाएं सामान्य से अलग	विकलांग बालकों कि लाभ हेतु।	सभी बालकों के हितार्थ।
5.	इनपुट पर जोर	प्रक्रिया पर जोर।	आउटपुटर पर जोर।
6.	अलग पाठ्यक्रम पर बल।	विकलांग बच्चों को पाठ्यक्रम सिखाने की प्रक्रिया पर बल।	पाठ्यक्रम की सामग्री छात्र के क्षमतानुसार।
7.	दया की भावना पर आधारित	दया युक्त सामाजिकता पर आधारित।	व्यक्ति के सामान्य मानवाधिकार पर आधारित

			समाज में पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करना।

अभ्यास प्रश्न

27. विशेष शिक्षा में अक्षमतायुक्त छात्रों विशेष विद्यालय में पढ़ते हैं। (सत्य/ असत्य)
28. समेकित शिक्षा में विशेष बालक एवं सामान्य बालक एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। (सत्य/ असत्य)
29. समावेशी शिक्षा आनवाधिकार आधारित शिक्षा है। (सत्य/ असत्य)
30. समावेशी शिक्षा 'अल्पव्ययी' नहीं है। (सत्य/ असत्य)
31. विशेष शिक्षा अल्पव्ययी है।
32. विशेष शिक्षा में मानसिक मंदता युक्त बालकों को हमेशा भेजा जाना चाहिए। (सत्य/ असत्य)
33. समावेशी शिक्षा में सामान्य बालक को कोई लाभ नहीं है। (सत्य/ असत्य)
34. समावेशी शिक्षा सभी के लिए लाभप्रद है। (सत्य/ असत्य)
35. समावेशी विद्यालय वैयक्तिक वैविध्य का स्वागत करते हैं। (सत्य/ असत्य)
36. समावेशी विद्यालय में विशेष शिक्षक की कोई आवश्यकता नहीं। (सत्य/ असत्य)

अधिगम अक्षमतायुक्त बालक के समावेषी शिक्षण में शिक्षक की भूमिका:

पिछली इकाइयों में आपने अधिगम अक्षमता की परिभाषा, अधिगम अक्षमतायुक्त बालकों की मुख्य विशेष ताये और उनकी विशिष्ट शैक्षणिक आवश्यकता ओं के बारे में पढ़ा। सफल समावेषी शिक्षण में विशेषज्ञ शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है विद्यालय के नियमित सामान्य शिक्षक के साथ समन्वय स्थापित करने में। चूकि समावेषी शिक्षा के मत के अनुसार एक विशेष बालक को अधिकाधिक समय तक अपने हम उम्र बच्चों के साथ सामान्य कक्षा में ही सीखना है अतः विशेषज्ञ शिक्षक , एक सामान्य शिक्षक को बालकों की उन विशिष्ट आवश्यकता ओं को समझने में सहयोग कर सकता है, जो सामान्य कक्षा में भी पूरी की जा सकती हो। कई बार अक्षमतायुक्त बालकों में कुछ समस्यात्मक व्यवहार भी देखने को मिलते है। एक विशेषज्ञ शिक्षक सामान्य शिक्षक की मदद समस्यात्मक व्यवहारों के प्रबंधन मे भी कर सकता है।

24.5 अधिगम अक्षमता युक्त बालकों की समावेषी शिक्षा में विशेषज्ञ शिक्षक की भूमिका

24.5.1 विशेषज्ञ शिक्षक की शैक्षणिक भूमिका

- मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता की पहचान करने में
- अतिरिक्त कक्षाओं के द्वारा मानसिक मंद/बौद्धिक अक्षम बालक की विशेष आवश्यकता पूरी करने में
- मानसिक मंद/बौद्धिक अक्षम बालक को संसाधन कक्ष शिक्षण प्रदान करने में और संसाधन कक्ष के विकास में
- मानसिक मंदता/बौद्धिक अक्षमता बालक की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्म्च् बनाने एवं पाठ्यक्रम निर्माण में
- शोध आधरित शिक्षण विधियों के अभिनव प्रयोग में

1. **अधिगम अक्षमता की पहचान करने में विशेषज्ञ शिक्षक की भूमिका-** जैसा कि आपने पिछली इकाइयों में रेखा अधिगत अक्षमता एक अत्यंत जटिल संकल्पना है और इसकी पहचान करने में भी अत्यंत सावधानी की आवश्यकता है। आपने यह भी देखा है कि किसी बालक पर विकलांगता/अक्षमता का लेबल लगने के उसके जीवन पर क्या नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। अतः अधिगम अक्षमता की पहचान का कार्य एक दुष्कर कार्य है, जो एक विशेषज्ञ शिक्षक को ही करना चाहिए। उपरोक्त कार्य को करने में एक विशेषज्ञ शिक्षक निम्नलिखित का प्रयोग कर सकता हैः
   i. मानक परीक्षणों के द्वारा (Using NRT’s)
   ii. इमानदंड आधारित परीक्षणों के द्वारा (Using CRT’s)
   iii. अनौपचारिक पठन जाँच सूचियों द्वारा
   iv. पाठ्यक्रम आधारित मामन का प्रयोग कर के
   v. प्रत्यक्ष दैनिक मापन (Observation)

अधिगम अक्षमता की पहचान करने में, एक विशेषज्ञ शिक्षक को परिस्थितियों के अनुसार एकाधिक युक्तियों का प्रयोग करके अधिगम अक्षमता की पहचान करनी होती है। उसकी गंभीरता एवं प्रकार का भी निर्धारण करना होता है और वैकल्पिक नियोजन का सुझाव भी देना होता है जो बच्चे के समानार्थिक स्तर गंभीरता का स्तर, अधिगम अक्षमता के प्रकार आदि पर निर्भर होता है।

2. **अतिरिक्त कक्षाओं के द्वारा बालक की विशेष आवश्यकता पूरी करने में**- विशेष कक्षाओं के द्वारा बालक की विशेष आवश्यकता पूरी करने में भी विशेषज्ञ शिक्षक की अहम भूमिका होती है। इसके लिए विशेषज्ञ शिक्षक को कक्षोपरांत अथवा खाली समय में अधिगम अक्षमता युक्त बालक को उसकी कठिनायी क्षेत्र की समस्याओं का निदान अतिरिक्त कक्षा में विशेष शिक्षण तकनीकों का प्रयोग कर के करना चाहिए। विशेष शिक्षण तकनीकों में-

बहुसंवेदी प्रशिक्षण (Multi Sensory Training)- अधिगम अक्षमता युक्त बालकों के शिक्षण एवं प्रशिक्षण में बहुसंवेदी प्रशिक्षण बहुत उपयोगी है। बहुसंवेदी प्रशिक्षण का तात्पर्य है एक से अधिक ज्ञानेन्द्रियों (दृष्य/श्रव्य, स्पर्ष/घ्राण/स्वाद आदि) को प्रेरित करनते हुए पढ़ाना। बहुसंवेदी अधिगम की प्रणेता सुप्रसिद्ध शिक्षाविद मारिया मांटेसरी मानी जाती है।

वी.ए.के.टी. (विजुअल ऑडिटरी काइनेस्थेस्टिक एंड टैक्टाइल) उपागम अधिगम अक्षमता युक्त बालकों को भाषायी प्रशिक्षण देने की एक सुप्रसिद्ध विधि है। जिसमें बच्चे को सर्वप्रथम किसी शब्द के सभी अक्षरों से परिचित कराया जाता है। तत्पष्चात् बच्चे को क्रमषः पूरे शब्द से परिचय कराया जाता है फिर बच्चे को संदर्भित शब्द से जुड़ी चीजों को देखने, सुनने और अनुभव करने के लिए प्रेरित करते हैं जब बच्चे को उस शब्द विशेष का ज्ञान हो जाता है तब उसे उस शब्द को वाक्यों में प्रयोग करना सिखाया जाता है। शब्द और शब्द के वाक्यों में प्रयोग पर अधिकार कर लेने के बाद बच्चे को छोटी-छोटी कहानियाँ आदि लिखने के लिए कहा जा सकता है। सीखने की प्रक्रिया को बहुसंवेदी बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक सामग्री यथा: फ्लैश कोर्ड, कंप्यूटर, शब्द विशेष से संबंधित त्रिआयामी वस्तुएँ एवं चित्र आदि का भी प्रयोग किया जाता सकता है।

प्रत्यक्ष निर्देश (Direct/Explicit Instruction)- प्रत्यक्ष निर्देश शिक्षण की एक व्यवस्थित विधी है जिसमें छोटे-छोटे चरणों में आगे बढ़ना, छात्रों के समझ की जाँच करते रहना, और सभी छात्रों के सक्रिय और सफल सहभागी बनाना समाहित है। (रोषेनषाहन, 1987)।

रोशेनशाइन (**Rosenshine**) 1986, ने प्रत्यक्ष निर्देश के निम्नांकित चरण बनाये हैः

- प्रत्येक पाठ का आरंभ पिछले दिन के गृहकार्य की जाँज और छात्रों ने क्या पढ़ा था उसकी पुनरावृत्ति से करें।
- आज के पाठ का लक्ष्य-उद्देश्य बतायें।
- नई पाठ्य वस्तु को छोटे-छोटे भणों में स्पष्ट एवं विस्तृत व्याख्या के साथ प्रस्तुत करें और प्रायः छात्रों के ग्राहाता की जाँच बीच-बीच में प्रश्न करके करते रहें।
- छात्रों को सक्रिय अभ्यास का अवसर प्रदान करें और उन्हें फीडवैक प्रदान करें।
- विभिन्न अभ्यासों के द्वारा छात्रों की प्रगति पर नजर रखें

- छात्रों को अभ्यास/पुनरावृत्ति का अवसर तक तब प्रदान करते रहें जब तक वे सिखाये गये कौषलों को स्वतंत्रता पूर्वक करने में सक्षम न हो जायें।
- प्रत्येक सप्ताह के पहले दिन, पिछले सप्ताह के कार्यों का पुनरीक्षण करें और प्रत्येक माह के अंत में छात्रों द्वारा सीखे गये कौषल का पुनरीक्षण करते रहें।

इस प्रकार, प्रत्यक्ष निर्देश में प्रारंभ में शिक्षक,छात्रों के अधिगम की पूरी जिम्मेदारी लेता है, परंतु धीरे-धीरे छात्रों को स्वतंत्र बनाने के लिए इसे कम करते हुए, उन पर स्थांनातरित कर देता है। प्रत्यक्ष निर्देश न में शिक्षक ज्ञानार्जन और उसके प्रयोग के बीच के संबंधों को छात्रों द्वारा अचानक सीखे जाने की बजाय, छात्रों को इस संबध के बारे में पारदर्शी एवं स्पष्ट भाषा में बताता है। फच और फच (Fuchs & Fuchs 2001) प्रत्यक्ष निर्देश न एक क्रमिक, सतत् श्रेणी है जो शिक्षक के द्वारा मोडलिंग से होते हुए विभिन्न सहायता एवं संकेतो के द्वारा निर्देशित अभ्यास तक जाता है जो छात्रों को सिखाये गये कौषल में स्वतंत्र एवं धाराप्रवाह बनाता है।

पाठ्यवस्तु संशोधन

पाठ्यवस्तु संशोधन का तात्पर्य उन विस्तृत तकनीकों से है जिसके द्वारा शिक्षक पाठ के गठन और उसके क्रियान्वयन को संषोधित करता है ताकि पाठ्यवस्तु को छात्र बेहतर तरीके मे संगठित कर सके, उसे बेहतर तरीके से समझ सके एवं संदर्भित सूचनाओ को अपनी समृमि में लंबे समय तक संचित कर सकें। (क्राफ्ट एवं मिलर 1993) पाठ्य-वस्तु संशोधन के लिए शिक्षक को निम्नांकित चीजों को ध्यान में रखना चाहिएः

- पाठ्य वस्तु का आलोचनात्मक तुलनात्मक चिंतन
- छात्रों के सफल अधिगम के लिए उनकी आवश्यकता के अनुरूप शिक्षण विधी का चयन
- बच्चे को सीखना है उसका चयन
- बच्चे को कैसे सिखाना/सीखना है इसका चयन

पाठ्यवस्तु संशोधन के निम्नांकित प्रकार हो सकते हैः

निर्देशित नोट्स (**Guided Notes**) निर्देशित नोट्स पाठ्यक्रम संशोधन एंव उसके पुनर्गठन की एक विधि है जो विकलांगता युक्त बालकों एवं उसके अन्य अविकलांग सहपाठियों को कक्षा के दौरान सक्रिय भागीदारी निभाने में मदद करता है। (हेवर्ड, 2001)

सामात्यतः निर्देशित नोट्स शिक्षक द्वारा तैयार छोटे नोट्स होते हैं जो पाठ की रूपरेख, मुख्य तथ्य, संकल्पनायें, एवं संबंधों के संक्षिप्त विवरण युक्त होते हैं। निर्देशित नोट्स का प्रयोग अधिगम अक्षमता युक्त बालकों के शिक्षण में अत्यंत प्रभावी हैं।

निर्देशित नोट्स के लाभः

- छात्रो द्वारा पाठ्यवस्तु को लंबे समय तक याद रखना
- छात्रों की कक्षा में सक्रिय भागीदारी में वृद्धि
- छात्रों को समझने में आसानी
- कक्षोपरांत अध्ययन के लिए छात्रों के पास पाठ्यवस्तु का मानक संकलन

ग्राफ युक्त विवेचक (**Graphic Organizer**)

यह सुचनाओं की एक दृश्य (Spatical) व्याख्या जिसमें शब्दों अथवा संकल्पनाओं को आरेखों के द्वारा जोड़ा जाता है। जो छात्रों को तुलनात्मक, क्रमिक, एवं विभिन्न स्तर युक्त संकल्पनाओं को समझने में मदद करता है। यह छात्रों को एक से अधिक इंद्रियों को प्रभावित करता है, अतः इसकी स्मृति लंबे समय तक रहती है।

Mnemonics (Memory Enhancing Strategies)शोधों से यह साबित हुआ है कि डदमदवदपबे और इस प्रकार के अन्य स्मृति सुधार तकनीके अधिगम अक्षमतायुक्त बालकों हेतु अत्यंत प्रभावी हैं।

3. बालक को संसाधन कक्ष शिक्षण प्रदान करने में और संसाधन कक्ष के विकास में
   अधिगम अक्षमता युक्त बालक को संसाधन कक्ष शिक्षण प्रदान करने एवं संसाधन कक्ष को उनकी आवश्यकतानुसार संरचित करने में भी विशेषज्ञ शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है । संसाधन कक्ष में अधिगम अक्षमता युक्त बालको की आवश्यकतानुसार सामग्रियों को एकत्र करना संसाधन कक्ष शिक्षण तकनीकों का प्रयोग समय प्रबंधन, उपयुक्त सामग्रियों की सहायता से विशेष शिक्षण तकनीकों का प्रयोग करके अधिगम अक्षमता युक्त बालको के अधिगम की कठिनाइयों को दूर करने मे भी विशेषज्ञ शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रत्येक समावेशी विद्यालय में संसाधन कक्ष स्थापित करना और उसमें अधिगम अक्षमता युक्त बालकों की विशेष शैक्षणिक आवश्यकता ओं पूरा करने हेतु उपयुक्त सामग्री उपलब्ध कराना विशेष शिक्षक अधिगम अक्षमता युक्त बच्चों की विशेष आवयकता की पूर्ति हेतु निम्नलिखित सामग्री संसाधन कक्ष में उपलब्ध होनी चाहिए।

   i. धीमी गति से वाचन करने वाले या लिखे हुए शब्दों को पढ़ने में कठिनायी बालकों हेतु ‘बोलती पुस्तके ;जंसापदह ठववोद्ध ताकि वे सुनकर साथ-साथ वाचन करने का प्रयास कर सके। इनके साथ साथ विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक वीडियो आदि
   ii. धीमी गति से लिखले वाले बालकों के लिए कंप्यूटर जो कि वर्ड प्रोसेसर से युक्त हो, उपलब्ध कराया हा सकता है।
   iii. वे छात्र जिन्हें लघु अवधि की स्मृति में कठिनायी हो अथवा गणितिय समस्यायें हो, उनके लिए विभिन्न तथ्यों को दर्षाते चार्ट कैलकुलेटर आदि उपलब्ध कराये जा सकते है।

iv. छात्रो की स्मृति, और श्रवण कौशल विकसित करने हेतु विभिन्न प्रकार की कवितायें राइमस, गीत आदि के दृष्य श्रव्य साधन रखे जाने चाहिए।

v. गणित से संबधित कठिनायी वाले बालकों के लिए संसाधन कस में 'गणितीय प्रयोगषाला' से संबधित सामग्रियाँ होनी चाहिए जिनमें से प्रमुख हैः

- विभिन्न प्रकार की ज्यामितिय आकृतियाँ कंप्यूटर सिस्टम,
- ज्यामिति बॉक्स एल.सी.डी.
- अॅबेकस ओ.एच.पी.
- लंबाई चौड़ाई आदि मापने हेतु मानक टेप डी.वी.डी. प्लेअर्स
- तरल की मात्रा मापने हेतु मापन मग
- समय की संकल्पना सीखने हेतु डमी दीवाल घड़ियाँ
- प्लास्टिक के विभिन्न गणितिय खिलौने
- खेलने वाले कार्डस
- मुद्रा/रुपय/पैसे की संकल्पना हेतु डमी नोट
- फ्लैश कार्डस
- सेंगुइन फॉर्म बोर्ड
- विभिन्न प्रकार के त्रिविभीय मॉडल
- चार्ट पेपर
- ग्राफ पेपर
- जोड़ घटाव की संकल्पना के लिए लकड़ी या प्लास्टिक के ब्लॉक
- स्वॉप वॉच

विभिन्न प्रकार के पजल्स धन की उपलब्धता के अनुसार ऐसी कई सामग्री संसाधन कक्ष में, रखी जा सकता है जो अधिगत अक्षमता युक्त बालकों की विशेष शैक्षणिक आवश्यकता ओं को पूरा करती हो। इनके अतिरिक्त विशेषज्ञ शिक्षक को छात्रो की विशेष आवश्यकता ओं के अनुसार अल्प व्यय वाल, नवीनता युक्त, स्वनिर्मित शिक्षण -सामग्रीयों को भी संधाधन कक्ष में रखा जाना चाहिए।

4. बालक की विशिष्ट आवश्यकता ओं को ध्यान में रखते हुए **IEP** बनाने एवं पाठ्यक्रम निर्माण में अधिगम अक्षमता युक्त बच्चों को कक्षा-प्रशिक्षण के अलावा व्यक्तिगत शिक्षण कार्यक्रम की आवश्यकता भी हो सकती है क्योंकि एक बड़ी सामान्य बालकों की कक्षा में उसकी व्यक्तिगत, शैक्षणिक आवश्यकता एँ पूरी नहीं की जा सकती हैं। अधिगम अक्षमता युक्त बालक के व्यक्तिगत

शिक्षण कार्यक्रम बनाने एवं क्रियान्वित करने का कार्य भी विशेषज्ञ शिक्षक का है। अधिगम अक्षमता युक्त बालक की व्यक्तिगत शैक्षणिक योजना उसके सामानय पाठ्यक्रम के साथ तालमेल युक्त होना चाहिए और वह बालक को सामान्य पाठ्यक्रम से अलग नही अपितु उसका पूरक (complementary) होना चाहिए।

5. शोध आधरित शिक्षण विधियों के अभिनव प्रयोग में
   समावेषी शिक्षा , एक नई संकल्पना है, जिसमें नित्य नवीन शोध हो रहे है, और आगे कई शोधों की आवश्यकता है। ऐसे में विशेषज्ञ शिक्षक , को इन शोधों का अधिगम अक्षमता युक्त बालकों के शिक्षण के प्रयोग एवं नवीन शिक्षण विधियों की खोज का प्रयास करने का होना चाहिए।

24.5.2 विशेषज्ञ शिक्षक की सामाजिक भूमिका

- अक्षमतायुक्त बालकों के सहपाठियों, विद्यालय के अन्य षिक्षकों एंव अभिभावकों को अधिगम अक्षमता के प्रति जागरुक बनाने में
- समुदाय में जागरुकता लाने एवं मानसिक मंदता युक्त बालकों के समुदाय आधारित पुर्वास (Community Based Rehabilitation CBR) में
- अक्षमता युक्त बालकों को एवं अभिभावकों को उनके अधिकारों एवं मिलने वाले सरकारी लाभ के बारे में जागरुक करने में
- अभिभावकों एवं अधिगम अक्षमता युक्त बालक के एक काऊंसलर के रूप में

1. अक्षमतायुक्त बालकों के सहपाठियों, विद्यालय के अन्य षिक्षकों एंव अभिभावकों को अधिगम अक्षमता के प्रति जागरुक बनाने में
   अधिगम अक्षमता युक्त बालको के सहपाठियों , विद्यालय के अन्य शिक्षकों एवं अभिभावकों में अधिगम अक्षमता युक्त बालकों के प्रति जागरूकता एवं उनकी विशेष आवश्यकताओ की पूर्ति के प्रति संवेदनशील बनाने में विशेषज्ञ शिक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका है । हालाकि वर्तमान समय में भारतीय समाज में अधिगम अक्षमता के प्रति थोड़ी जागरूकता आयी है परंतु ,अभी भी ग्रामिण क्षेत्रों में अशिक्षित लोगों में ही नहीं बल्कि शिक्षित लोगो, कई बार शिक्षकों में भी अधिगम अक्षमता के प्रति उपयुक्त जागरूकता नहीं आयी है ।ऐसे में विशेषज्ञ शिक्षको की यह अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका बन जाती हे कि वह विद्यालय के अन्य छात्रों साथी शिक्षकों, एवं विद्यालय के अन्य कर्मचारियों को अधिगम अक्षमता युक्त बालकों के प्रति जागरूक एव उनकी विशेष आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील बनायें।
2. समुदाय में जागरुकता लाने एवं अधिगम अक्षमता युक्त बालकों के समुदाय आधारित पनर्वास (Community Based Rehabilitation CBR) में - शिक्षक सामाजिक परिवर्तन का नेतृत्व करता

है क्योंकि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का आधार हैं। विद्यालयी क्रियाओं से इतर, विशेषज्ञ शिक्षक की भूमिका अधिगम अक्षमता के प्रति सामाजिक जागरुकता लाने और अधिगम अक्षम बालकों के समुदाय आधारित पुनर्वास में भी है। विशेषज्ञ शिक्षक की यही भूमिका भ्रमणशील शिक्षक (**Itinerant Teacher**) की संकल्पना में निहित है जिसमें, विशेषज्ञ शिक्षक की इतर विद्यालयी भूमिकाओं में समुदाय में जाकर अधिगम अक्षमता युक्त बालको की पहचान, रेफरल, और उन्हें नियमित विद्यालय में भेजना सुनिश्चित करना भी शामिल है।

3. अक्षमता युक्त बालकों को एवं अभिभावकों को उनके अधिकारों एवं मिलने वाले सरकारी लाभ के बारे में जागरुक करने में

   अधिगम अक्षमता युक्त बालकों के समावेशी शिक्षण का बढ़ाया देने के लिये एवं उनके कल्याणार्थ विभिन्न सरकारी योजनायें चलायी जा रही है जिसके बारे में प्रायः ग्ा्रमिण क्षेत्रो के अभिभावक जागरूक नहीं है और फलतः उसका लाभ नहीं उठा पाते । एक विशेषज्ञ शिक्षक को तत्संबंधित योजनाओं के बारे में न केवल जागरूक होना चाहिए बल्कि अभिभावकों को इसके प्रति जागरूक बनाने एवं सुविधाये हासिल करने की विभिन्न प्रक्रियाओ से परिचित कराने में मदद करनी चाहिए ताकि चलायी जा रही कल्याणकरी योजनायें उपयुक्त लाभार्थी तक पहुँच सकें।

4. अभिभावकों एवं अधिगम अक्षमता युक्त बालक के एक काऊंसलर के रूप में

   किसी बालक में अधिगम अक्षमता का निर्धारण , न केवल बालक को, बल्कि उसके पूरे परिवार का प्रभावित करता है । परिवार के लोग सर्वप्रथम यह स्वीकार ही नहीं कर पाते कि उनके बच्चे में अधिगम अक्षमता है ,फलतः इधर उधर उसके इलाज , झाड़-फूँक आदि के लिये परेशान होते रहते है। और अच्चे के प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण समय इन कार्यों मे गँवा देते है । फिर जब वे यह स्वीकार कर लेते है कि उनके बच्चे मे अधिगम अक्षमता है तब वे प्रायः उनके शिक्षण के लिये उन्मुख होते है ,परंतु उन्हें आशा होती है कि विशषज्ञ शिक्षक के पास कोई जादू है जिससे उनका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जायेगा। इसके अलावा कई बार वे अपने बच्चे का आवश्यकता से अधिक ध्यान रखना शुरू कर देते है जा बच्चे को स्वावलंबी बनने में बाधा उत्पन्न करता है । अधिगम अक्षम बालक का पिता कहलाने में सामाजिक शर्म महसूस करते हैं, और बच्चे को सामाजिक अवसरों पर ले जाने से कतराते हैं जो बच्चे के सामाजिक समायोजन को प्रभावित करता है। साथ ही बच्चे के अभिभावक बच्चे के भविष्य को लेकर अवसादग्रस्त हो जाते हैं। इन परिस्थितियों में विशेषज्ञ शिक्षक न केवल बच्चे के लिये बल्कि उसके अभिभावको के लिये भी , एक काऊंसलर के रूप् मं उन्हें उपरोक्त परिस्थितियों से बाहर निकालने में , उन्हें यह समझने में कि शनैः शैनेः प्रशिक्षण दिये जाने पर उनको अनुकूलनीय व्यवहार उन्नत होगा । और यह किसी भी परिवार मं हो सकता है ,अतः सामाजिक शर्म महसूस करने की बजाय वे बच्चे के साथ अधिकाधिक सामाजिक कार्यो में भाग लें,बच्चे को अति रख-रखाव की बजाय कार्य करने का अवसर दें, उसकी शिक्षा मं भागीदार बनें और अक्षमता के प्रति समुदाय में जागरूकता फैलाये । इन कार्यो में विशेष शिक्षक एक अत्यंत उपयोगी काऊँसलर की भूमिका निभा सकता है।

24.5.3 विशेषज्ञ शिक्षक की अन्य भूमिकाऐं

- सामान्य शिक्षक एवं आवश्यकता नुसार अन्य विशेष ज्ञों से समन्वय स्थापित करने में
- TLM निर्माण में
- अक्षमता युक्त बालकों के लिए प्रभावी अनुकुलन

i. सामान्य शिक्षक एवं आवश्यकता नुसार अन्य विशेष ज्ञों से समन्वय स्थापित करने में

समावेषी शिक्षा में एक अधिगम अक्षमता युक्त बालक अधिकांष समय तक सामान्य कक्षा में सीखता है। ऐसे में विशेषज्ञ शिक्षक द्वारा विभिन्न विषयों के षिक्षकों से समन्वय बनाकर कार्य करना पड़ता है। जब तक बच्चे के व्यक्तिगत प्रशिक्षण और सामान्य कक्षा के क्रियाओं में तारतम्यता नही होगी तब तक बच्चे की उपयुक्त प्रगति संभव नहीं। इसके अतिरिक्त कई बार अधिगम अक्षमता से जुड़ी हुई अन्य स्थितियाँ भी होती है यथा आँख और हाथ के समन्वय में परेषानी, गामक कठिनाइयों आदि और इसके लिए उसे विभिन्न व्यसायियों यथा चिकित्सक, आकुपेषनल बेरेपिस्ट, फिजियाथेरेपिस्ट योगा थेरापिस्ट स्वीच थेरेपिस्ट आदि के सेवाओं की आवश्यकता भी होती है, ऐसी परिस्थिति में विशेषज्ञ शिक्षक को प्रभावी शिक्षण हेतु, उनके लिये समय का आबंटन आदि कार्यों में मुख्य भूमिका निभानी पड़ती है।

ii. शिक्षण सामग्रियों के निर्माण में

अधिगम अक्षमता युक्त बालक समूह व्यक्तिगत -वैविध्य से पूर्ण होता है, प्रत्येक बच्चे की शैक्षिणिक आवश्यकता भिन्न होती है, उनके सीखने की गति अलग होती है । ऐसे वे विशेषज्ञ शिक्षक विभिन्न व्यक्तिनिष्ठ (Customized) शिक्षण सामग्रियों की आवश्यकता होती है। अधिगम अक्षमता युक्त बालक के आवश्यकतानुरूप ,सक्षे, टिकाऊ विषयोन्मुख ,खोजपूर्ण शिक्षण सामग्रियों के निंरतर विकास में विशेष शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है ।

iii. अक्षमता युक्त बालकों के लिये लिये प्रभावी अनुकूलनों के विकास में

कई परिस्थितियाँ ऐसी आती है जिसमें हल्के वातावरणीय संशोधनों के उपरांत मानसिक मंदता युक्त बालक दिये गये कार्य करने में सक्षम हो जाता है । इन वातावरणीय संशोधनों को अनूकूलन (Adaptation) कहते है । शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुगम एवं आसान बनाने के लिये ,परिस्थितियाँ का आलोचनात्मक अध्ययन करके विशेषज्ञ शिक्षण को कई वातावरणीय अनुकूलन बनाने पड़ता है। उदाहरण के लिये यदि एक बालक का सूक्ष्म गामक (Fine Motor) की समस्या होने की वजह से यदि वह चम्मच को ठीक से पकड़ नहीं पाता तो उसे पकड़े बाँध कर मोटा बनाया जा सकता है । यदि कोई बच्चा लिखने समय कलम पकड़ने में समस्या का अनुभव कर रहा हो तो तो पेंसिल में एक छोटी गेंद ग्रिप के लिये लगायी जा सकती है । अनुकूलन प्रायः परिस्थिति जन्य होते है और शिक्षक की ‘खोजपूर्ण ’ प्रवृति पर निर्भर है कि वर्तमान परिस्थित का प्रयोग करते हुए अधिकतम अधिगम कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है।

अक्षमता युक्त बालकों के लिए प्रभावी अनुकुलनः

शैक्षिक वातावरण संबंधी	अनुदेशानात्मक विधियों से संबंधित	परीक्षण प्रक्रिया संबंधी	समय एवं संगठन सहयोग संबंधी	अधिगम सामग्री/ संसाधन सम्बंधी
कक्षा में वैकल्पिक स्थान	शाब्दिक प्रस्तुतियों के पूरक के रूप में दृश्य सामग्रियाँ	ध्वनि से आलेख तकनीक (Voice to Text)	अतिरिक्त समय	'मैनिपुलेटिव' (Manipulative) मिटाने योग्य मार्कर
वैकल्पिक व्यवस्था (यथा संसाधन कक्ष)	दृश्य सामग्रियों की शाब्दिक व्याख्या	दृश्य फार्मेट (यथा चित्र, चार्ट, ग्राफ, डाइग्राम आदि	छोटे असाइनमेंट	कैलकुलेटर बोलती पुस्तकें (Talking Books)
सुगम भवन	कार्यों का छोट भागों में विभाजन	शाब्दिक प्रस्तुति	शैक्षणिक क्रियाओं में विविधता	ग्राफ/चार्ट/ डायग्राम
अनुकुलित डेस्क टेबल	सहपाठी शिक्षण (Peer Tutoring)	दृश्य प्रस्तुति	असाइनमेंट के छोट छोटे खंड	कंप्यूटर सिस्टम उभरी पंक्तियों वाले कागज
बैठने हेतु कुशन	सहयोगी शिक्षण	वर्तनी जाँच	सहयोगी कक्षा	श्रवण यंत्र, (लाउड स्पीकर/हेंडसेट) आदि
ध्वनिक यंत्र	कंप्यूटर सहयोगी/तकनीकी (यथाः लाउडस्पीकर आदि)	कैलकुलेटर	सुगम भवन	बड़े प्रिंट में विभिन्न पाठ्य वस्तुओं के चार्ट

अभ्यास प्रश्न

1. अधिगम अक्षमता युक्त बालकों के समावेषी शिक्षण में संसाधन कक्ष शिक्षण की आवश्यकता होती है। (सत्य/असत्य)
2. अधिगम अक्षमता युक्त बालकों के कक्षा में समायोजन। (सत्य/असत्य)
3. कंप्यूटर अधारित अनुदेषन, अधिगम अक्षमता युक्त बालकों के शिक्षण की प्रभावी युक्ति है। (सत्य/असत्य)
4. 4. सहपाठी शिक्षण विशेष बालक के कक्षा में समायोजन में मदद करता है। (सत्य/असत्य)
5. विशेषज्ञ शिक्षक को अधिगम अक्षमता के प्रति समाज में जागरुकता फैलाने का कार्य भी करना चाहिए। (सत्य/असत्य)
6. संसाधन-कक्ष शिक्षण में विशेषज्ञ शिक्षक की कोई भूमिका नहीं है। (सत्य/असत्य)

24.6 अधिगम अक्षमता युक्त बालकों की समावेषी शिक्षा में सामान्य शिक्षक की भूमिका

अभी अभी आपने अधिगम अक्षमता युक्त बालकों की समावेशी शिक्षा में विशेषज्ञ शिक्षक की भूमिकाऐं देखी। अब हम समावेशी शिक्षा के संदर्भ में सामानय शिक्षकों की भूमिकाओं का अध्ययन करेगी।

24.6.1 सामान्य शिक्षक की शैक्षणिक भूमिका

- अधिगम अक्षमता युक्त बालकों की विशेष शैक्षिक आवश्यकता की सामान्य कक्षा में पूरा करना
- सभी बालकों के शैक्षिक विकास पर ध्यान रखना
- शिक्षण में विशेषज्ञ शिक्षण के साथ समन्वय
- अभिनव शिक्षण तकनीकों का कक्षा में प्रभावी शिक्षण हेतु प्रयोग करने में

i. अधिगम अक्षमता युक्त बालकों की विशेष शैक्षिक आवश्यकता की सामान्य कक्षा में पूरा करना- अधिगम अक्षमतायुक्त बालक की विशेष आवश्यकता ओं को ध्याने में रखते हुए कक्षा शिक्षण समावेषी शिक्षा की संकल्पना ‘सभी बालकों के समन्वित विकास’ पर आधारित है अतः सामान्य शिक्षक को कक्षा में उपस्थित बालकों की विभिन्न को ध्यान में रखते हुए शिक्षण कार्य करना चाहिए। विभिन्न अक्षमता युक्त (जिसमें अधिगम अक्षमता भी शामिल है) बालकों की विशेष आवश्यकता ओं के मद्देनजर पढ़ाने में शिक्षक को वातावरण को रुचिकर बनाना, आकर्षक एवं उपयुक्त विभिन्न शिक्षण सामग्रियों आदि का प्रयोग करना, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में सभी बालकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना आदि क्रियाओं को सम्मिलित करना चाहिए।

ii. सभी बालकों के शैक्षिक विकास पर ध्यान रखना- समावेषी शिक्षण के वातावरण में सभी बालकों के शैक्षणिक विकास पर ध्यान रखना सामान्य शिक्षक की नैतिक भूमिका है। शिक्षक को अधिगम अक्षमता अन्य अक्षमता युक्त बालकों के शैक्षणिक विकास के साथ-साथ अन्य बालकों के शैक्षणिक विकास पर भी ध्यान रखना चाहिए। यदि सामान्य शिक्षक का शिक्षण सिर्फ अधिगम अक्षमता/ अन्य अक्षमता युक्त बालकों को ध्यान में रखकर होगा, तो कक्षा के अन्य बच्चों की शिक्षा प्रभावित होगी, वहीं यदि सामान्य शिक्षक कक्षा में उपस्थित अधिगम एवं अन्य अक्षमता युक्त बालकों की उपेक्षा करेगा तब समावेषी शिक्षण की मूल भावना प्रभावित हीगी। अतः सामान्य शिक्षक को सभी बालकों के शैक्षणिक विकास पर ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए।

iii. शिक्षण में विशेषज्ञ शिक्षण के साथ समन्वय-विशेषज्ञ शिक्षक के साथ समन्वय करने एवं सामान्य सामूहिक कक्षा में अधिगम अक्षमता युक्त बालक को अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामान्य शिक्षक विभिन्न अक्षमता/अधिगम अक्षमता युक्त बालकों के विशेषज्ञ शिक्षक से सलाह लेकर, एवं बालक के व्यक्तिगत शिक्षण योजना से तालमेल बिठकार ही, प्रभावी शिक्षण कर सकता हैं सामान्य शिक्षक

एवं विशेष शिक्षक दोनों को आपस में चर्चा करके, अधिगम अक्षमता युक्त बालक के लिए व्यक्तिगत शिक्षण योजना, बालक की अधिगम समस्याएं एवं सामूहिक कक्षा में उसका संभव हल निकालें, तभी अधिगम युक्त बालकों का कक्षा शिक्षण एवं अधिगम प्रभावी होगा।

iv. अभिनव शिक्षण तकनीकों का कक्षा में प्रभावी शिक्षण हेतु प्रयोग करने में-अभिनव शिक्षण तकनीकों का कक्षा में प्रयोग करके सभी बालकों के लिए प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने में सामान्य शिक्षक का बड़ा हाथ है। अधिगम अक्षमता युक्त बालकों की शिक्षण पद्धतियों पर नित्य नए-नए शोध हो रहे हैं और नई-नई शिक्षण तकनीकें विकसित की जा रही हैं सामान्य शिक्षक को गंभीरतापूर्वक विचार करके विभिन्न नवीन शिक्षण तकनीकों का यथासंभव, परिस्थितिनुसार, उपयुक्त प्रयोग करके शिक्षण को प्रभावी बनाने का प्रयास करनार चाहिए।

24.6.2 सामान्य शिक्षक की सामाजिक भूमिका

- सामान्य कक्षा में अधिगम अक्षमता युक्त बालकों का सामंजस्य बिठाने में
- अधिगम अक्षमता युक्त बालकों को स्व.अभिव्यक्ति का बराबर अवसर देने में
- अधिगम अक्षमता युक्त बालक एवं अन्य विभिन्न आवश्यकता वाले बालकों में एक सहयोग पूर्ण वातावरण बनाने में

i. सामान्य कक्षा में अधिगम अक्षमता युक्त बालकों का सामंजस्य बिठाने में-सामान्य कक्षा में अधिगम अक्षमता युक्त बच्चों का सहपाठियों के साथ सामंजस्य बिठाने में सामान्य शिक्षक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। कई बार, अधिगम अक्षमता युक्त बालक, अपनी विशेष शैक्षणिक आवश्यकता ओं के कारण सहपाठियों में पिछड़ा समझा जाने लगता है, और सहपाठी अस्वीकार्यता का षिकार हो जाता है। कई बार ऐसी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे विभिन्न तरीके के शोषण एवं सताए जाने का षिकार हो जाते हैं। एक सामान्य शिक्षक को कक्षा में छात्रों की विभिन्न गतिविधियों एवं कक्षा की गतिकि पर पैनी नजर रखनी चाहिए और यदि ऐसी किसी भी संभावना का संकेत मिलता है तो शिक्षक को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए ताकि स्थिति गंभीर रूप न ले ले। जब तक अधिगम अक्षमता युक्त बालक कक्षा में स्वीकार्य नहीं होगा तब तक अधिगम अभावी नहीं हो सकता। अधिगम अक्षमता युक्त बालकों की कक्षा में सहपाठियों के मध्य स्वीकार्य बढ़ाने के लिए सभी बालकों को विशेष आवश्यकता वाले बालकों के प्रति जागरुक बनाने में सामान्य शिक्षक एक अहम् भूमिका निभा सकता है, साथ ही 'सहपाठी शिक्षण ' जैसी आधुनिक तकनीकों का प्रयोग भी कर सकता है जो अधिगम अक्षमता युक्त बालकों को अपने अन्य सहपाठियों से घुलने-मिलने में उनकी मदद करेगा।

ii. अधिगम अक्षमता युक्त बालकों को स्व.अभिव्यक्ति का बराबर अवसर देने में- अधिगम अक्षमता युक्त बच्चों को स्व-अभिव्यक्ति को बराबर अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, जिसकी जिम्मेदारी

मुख्यतः सामान्य शिक्षक की है। प्रायः इस प्रकार के अक्षमता युक्त बालक कक्षा में पिछड़े दिखाई देते हैं और फलस्वरूप इन्हें स्वाभिव्यक्ति का अवसर नहीं मिल पाता, उस अवसर को अन्य बालक छीन लेते हैं एक सामान्य शिक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिगम अक्षमता युक्त बालक को भी कक्षा में स्वाभिव्यक्ति का पूरा मौका मिले अन्यथा वह कक्षा में उत्तरोत्तर पिछड़ता चला जाएगा।

iii. अधिगम अक्षमता युक्त बालक एवं अन्य विभिन्न आवश्यकता वाले बालकों में एक सहयोग पूर्ण वातावरण बनाने में- अधिगम अक्षमता युक्त बालक एवं अन्य बालकों के मध्य एक सहयोग पूर्ण वातावरण का विकास का प्रयास सामान्य शिक्षक को करना चाहिए जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को अत्यंत प्रभावी बनाता हैं कक्षा के सभी बालकों में एक पारस्परिक सद्भावना एवं सम्मान का भाव विकसित करने के लिए सामान्य शिक्षक छात्रों को व्यक्तिगत कार्यों के अतिरिक्त सामूहिक कार्य भी छात्रों को दे सकता है। कक्षा में छात्रों/छात्र समूहों के बीच एक स्वस्थ्य प्रतिस्पर्द्धा का वातावरण विकसित किए जाने में सामान्य शिक्षक की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है।

24.6.3 सामान्य शिक्षक की अन्य भूमिकाऐं

i. अधिगम अक्षमता युक्त बालकों की शिक्षा में अभिभावकों की भागीदारी बढाने में
ii. समुदाय को समावेषी शिक्षा की प्रक्रिया में शामिल करने में
iii. अक्षमता ग्रस्त बालकों (जिसमें अधिगम अक्षमता भी शामिल है) के प्रभावी शिक्षण हेतु अल्पव्ययी, खोजपूर्ण, कार्यानुसार शैक्षणिक सामग्री के विकास में।
iv. सामान्य पाठ्यक्रम में अधिगम अक्षम बालकों के लिए उपयुक्त अनुकूलन

अभ्यास प्रश्न

---

1. अधिगम अक्षमता युक्त बालकों की सहपाठी स्वीकार्यता में सामान्य शिक्षक की अहम् भूमिका है। (सत्य/असत्य)
2. सामान्य शिक्षक का अधिगम अक्षमतायुक्त बालक के विद्यालय में समायोजन से कोई सरोकार नहीं है। (सत्य/असत्य)
3. सामान्य शिक्षक को विशेषज्ञ शिक्षक के साथ समन्वय बनाकर कार्य करना चाहिए। (सत्य/असत्य)
4. सामान्य शिक्षक अधिगम अक्षम बालकों को अभिभावकों की उनकी शिक्षा में भागीदारी बढ़ाने में मददगार हो सकता है। (सत्य/असत्य)
5. अधिगम अक्षमता युक्त बालक वर्त्तमान भारतीय कानूनों के अंतर्गत 'अक्षमता' की श्रेणी में नहीं आते। (सत्य/असत्य)

24.7 सारांश

इस इकाई मे अक्षमता के अध्ययन के चिकित्सकीय और सामाजिक उपागमों का तुलनात्मक अध्ययन किया। जहाँ चिकित्सकीय उपागम की मान्यता ,विकलांगता को व्यक्तिगत समस्या मानते हुए उसके इलाज की ओर कंद्रित है वहीं सामाजिक उपागम विकलांगता का एक सामाजिक समस्या मानते हुए उसके समाधान एवं समाजिक स्वीकार्यता पर बल देता है । आपने यह भी पढ़ा कि 'विकलांगता' का 'लेवन' लगने से व्यक्ति का आत्म सम्मान ,आत्म विश्वास , सामाजिक स्तर, अदि नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है वहीं दूसरी ओर विशेष शिक्षा एवं अन्य सुविधाओं का लाभ उठाने, उपयुक्त सेवायें प्राप्त करने में 'लेबलिंग' मददगार है।

इसके अतिरिक्त आपने अधिगम अक्षमता के समावेशी शिक्षण के 1963 जब सेमुअल क्रिक ने अधिगम अक्षमता के शब्द का प्रथम प्रयोग किया पा तब से अबतक 2004 ;प्क्म्प्।ए2004द्ध तक के क्रमिक विकास आदि के बारे में पढ़ा । इसी क्रम में आपने आगे विशेष शिक्षा, समेकित शिक्षा एवं समावेशी शिक्षा के बारे में पढ़ा । विशेष शिक्षा का तात्पर्य विशेष तकनीक विशेष सामग्री ,विशेष वातावरण और विशेष शिक्षको द्वारा अक्षमतायुक्त बालकों के शिक्षण से है। इसमें बालक के पास समाजीकरण , एवं नकल करके सीखने का अवसर कम होता है। साथ ही खर्चीला तो है परंतु बच्चो पर व्यक्तिगत ध्यान की वजह से अतिगंभीर एवं गंभीर अक्षमता मुक्त बालको की विशेष शैक्षिक आवश्यकता को पूरा करने में सक्षमह ै। समेकित शिक्षा मध्यम स्तर का सामाजिकरण का अवसर असमता युक्त बालकों को प्रदान करता है । परंतु अत्यंत खर्चीला है असमतायुक्त बालको की शेक्षणिक क्रियाओं में पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित नहीं करता है । समावेशी शिक्षा सभी बालकों के लिये एक उत्तम विकल्प है जो कम खर्चिला है और सामान्य शिक्षण वातावरण में अक्षमता युक्त बालकों की समाजिकरण का बेहतर अवसर प्रदान करता है । आग्र की दा इकाइयों मे आपने अधिगम अक्षमता युक्त बालको के समावेशी शिक्षण मे विशेषज्ञ एवं सामान्य शिक्षको की शेक्षनिक , सामाजिक और अन्य भूमिकाओ के बारे में पढ़ा जिनमें अतिरिक्त शिक्षण , संसाधन कक्ष शिक्षम ,अभिभावक परामर्शदाता , सामुदायिक जागरूकता, आदि महत्वपूर्ण है। आपने यह भी देखा कि एक अधिगम अक्षमतायुक्त बालक के प्रभावी समावेशी शिक्षण मे स्कूल ,सामान्य शिक्षक ,विशेषज्ञ शिक्षक , छात्र स्वयं ,एवं अभिभावक और समुरूप् की भागीदारी आवश्यक है।

24.8पारिभाषिक शब्द एवं शब्द विस्तार

1. **चिकित्सकीय उपागम-** चिकित्सकीय उपागम की मान्यता है कि अन्य बीमारियों की तरह ही अक्षमता/विकलांगता भी किसी व्यक्ति के अंदर किसी प्रकार की जैविक कमी से होती है जिसे दवाओं से ठीक किया जा सकता है।
2. **सामाजिक उपागम-** अक्षमता के अध्ययन का सामाजिक उपागम अक्षमता को एक सामाजिक वैविध्य

a. (Social Diversity) के रूप में देखता है और उसे स्वीकार करते हुए, उसके सामाजिक समाधान एवं सामाजिक भागीदारी से समाधान पर जोर देता है।

3. **विशेष शिक्षा** का तात्पर्य है विशेष आवश्यकता युक्त बालक को (सामान्य से अलग) विशेष वातावरण में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों द्वारा, विशेष संरचित पाठ्यक्रम, विशिष्ट तकनीकों एवं विधियों तथा विशेष रूप से निमित्ति शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करके पढ़ाना।
4. **समेकित शिक्षा** का तात्पर्य है अक्षमताग्रस्त बालकों को कुछ समय के लिए सामान्य बालकों के साथ अंतः क्रिया का मौका देना जैसे लंच टाइम में, खेल के समय, विभिन्न सामाजिक अवसरों पर आदि परंतु उनका संपूर्ण शिक्षण का कार्य अलग-अलग होता है चाहे दोनों विद्यालय अलग-अलग हों या विशेष बालक की एक ही कैंपस में अलग कक्षा हो।
5. शिक्षा के क्षेत्र में समावेष (समावेशी शिक्षा) का तात्पर्य है विद्यालय के पुनर्निर्माण की वह प्रक्रिया जिसके लक्ष्य सभी बच्चों को शैक्षणिक और सामाजिक अवसरों की उपलब्धता है। इस प्रक्रिया में पाठ्यक्रम, परीक्षण, छात्र की उपलब्धियों का रिकार्ड, विभिन्न योग्यताओं के आधार पर छात्रों के समूहन, शिक्षण तकनीक, कक्षा के अंदर के कार्यकलाप आदि के साथ ही खेल और मनोरंजनात्मक क्रियाओं भी समाहित है।
6. CAI: Computer Assisted Instruction
7. PALS: Peer Assisted Learning Strategies , Collaborative Learning
8. CBR: Community Based Rehabilitation
9. TLM: Teaching Learning Material
10. IDEA: Individual with Disabilities Education Act

24.9 संदर्भ ग्रथ सूची/अन्य अध्ययन

1. हेवार्ड डब्ल्यू.जे., (2006), विशिष्ट काउंसिल ऑफ एक्सेप्सनल चिल्ड्रेन (CEC से प्रकाशित।
2. ल्यूकेसान एवं अन्य, (1992), मेंटल रिटार्डेषन, क्लासिफिकेशन एंड सिस्टम ऑफ स्पोर्ट्स (9वीं मैनुअल) AAMR से प्रकाशित ।
3. श्लेलॉक एवं अन्य, (2002), मेंटल रिटार्डेषन, क्लासिफिकेषन एंड सिस्टम ऑफ स्पोर्ट्स (9वीं मैनुअल) AAMR से प्रकाशित।
4. डिसेविलिटी स्टेटस ऑफ इंडिया ;2007द्ध भारतीय पुनर्वास परिषद् से प्रकाशित।
5. यूनेस्को, (2001), अंडरस्टैडिंग एंड रेस्पॉडिंग टू चाइल्ड नीड्स इन इनक्लूसिव क्लासरूम, यूनेस्को से प्रकाशित।
6. मंगल एस.के., (2007), विशिष्ट बालक, प्रेंटिल हॉल ऑफ इंडिया से प्रकाशित।
7. हालाहन डी.पी. एंड कॉफ मैन जे.एम., (2006), एक्सेप्सनल चिल्ड्रेन इंट्रोडक्षन टू स्पेशल एजुकेशन, पार्सन एजुकेषन से प्रकाशित।

8. भारत सरकार, (1995), पर्सन्स विथ डिसैविलिटिज ऐक्ट, भारत सरकार से प्रकाशित।
9. यूनेस्को, (2004), इमब्रासिंग डायवर्सिटि टूलकिट फॉर क्रिएटिंग इनक्लूसिव लर्निंग फ्रेंडली इनवायरमेंट यूनेस्को की वेबसाइट से लिया गया।
10. एनिसवर्थ पी. एंड बेकर सी.बी. (2004), अंडरस्टैडिंग मेंटल रिटार्डेशन, यूनिवर्सिटी प्रेस ऑफ मिसीसीपी से प्रकाशित।
11. रेनाल्डस सी.आर. एंड जानजेन इ.एफ. (Ed), (2007), इनसालक्लोपीडिया ऑफ स्पेशल एजुकेशन, जॉन वाइली एंड संस से प्रकाशित।

24.10 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न /निबंधात्मक प्रश्न

1. अक्षमता के अध्ययन के विभिन्न उपागम क्या हैं? अक्षमता के अध्ययन के चिकित्सकीय एवं सामाजिक उपागम का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत करें।
2. विशेष शिक्षा, समेकित शिक्षा और समावेषी शिक्षा की परिभाषा दीजिए एवं इनके लाभ और हानियों की चर्चा करें।
3. समावेषी शिक्षा से आप क्या समझते हैं? इसकी विशेष ताएं और फायदे पर प्रकाष डालें।
4. एक अधिगम अक्षमता युक्त बालक के समावेषी शिक्षण में विशेष शिक्षक की विभिन्न भूमिकाओं की विस्तृत चर्चा करें।
5. एक अधिगम अक्षमता युक्त बालक के समावेषी शिक्षण में सामान्य शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है, विस्तार से लिखें।

इकाई 25-प्रतिभाशाली बच्चे : संप्रत्यय, पहचान तथा विशेषताएँ

25.1 प्रस्तावना
25.2 उद्देश्य
25.3 प्रतिभाशाली बच्चे
25.3.1 प्रतिभाशाली बच्चे की परिभाषा
25.3.2 प्रतिभाशाली बच्चे का वर्गीकरण
25.3.3 रेंज़ुल्ली का तीन-वृत्त संप्रत्यय
25.3.4 गैने का विभेदीकरण प्रारूप
25.4 प्रतिभाशाली बच्चे की पहचान
25.4.1 झझ
25.4.2 प्रतिभाशाली बच्चों के पहचान के तरीके
25.4.3 प्रतिभाशाली बच्चों के पहचान में ध्यान देले वाली बातें
25.5 प्रतिभाशाली बच्चे की विशेषताएं
25.6 सारांश
25.7 शब्दावली
25.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
25.9 संदर्भ ग्रन्थ सूची
25.10 सहायक उपयोगी पाठ्य सामग्री
25.11 निबन्धात्मक प्रश्न

25.1 प्रस्तावना

इस बात से हम भलीभांति परिचित हैं कि प्रत्येक बच्चा भिन्न होता है। प्रत्येक बच्चे की मानसिक तथा शारीरिक योग्यताएं अलग-अलग होती हैं। हमारे बीच कुछ ऐसे भी बालक या बालिकाएं भी होतीं हैं जिनकी बौधिक क्षमताएँ काफी अधिक होती है. इन बालक या बालिकाओं की योग्यता, क्षमता तथा उपलब्धि सामान्य बालकों या बालिकाओं से सार्थक रूप से अधिक होती है। सामान्यतः यह भी संभावना होती है कि इन बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि अधिक हो। इन विशेष बच्चों को प्रतिभाशाली बच्चों के रूप में जाना जाता है। इन अधिक क्षमतावान प्रतिभाशाली बालक या बालिकाओं की आवश्यकताओं को समझाना काफी

आवश्यक होता है ताकि ये अपनी क्षमताओं का प्रयोग सही कार्यों में कर सके जो समाज के लिए हितकारी हो।

पिछले कुछ दशकों से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की विशिष्टता एवं इनकी समस्याओं को बहुत गंभीरता से देखा जाने लगा है। विकलांग बच्चों की आवश्यकता अनुरूप समावेशी शिक्षा ने कार्ययोजना से कहीं अधिक एक दर्शन के रूप में अपने को स्थापित किया है। इस दर्शन ने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सूची को और भी व्यापक रूप दिया है। चुकि प्रतिभाशाली बच्चों की आवश्यकता भी बिलकुल अलग होती है, अतः अब इसे भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के समूह में रखा जाता है। मनोवैज्ञानिकों एवं शिक्षा-शास्त्रियों का ध्यान भी प्रतिभाशाली बच्चों की ओर भी आकर्षित हुआ है। यह माने जाना लगा है कि इन प्रतिभाशाली बच्चों की क्षमता का उपयोग कर समाज अधिक लाभान्वित हो सकता है। अतः इनके लिए अलग से शैक्षिक कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए जिससे इनके क्षमताओं को और निखारा जा सके और इनके सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहित किया जा सके। अर्थात्, इनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही इनके लिए अलग से शैक्षिक कार्यक्रमों की रुपरेखा तय की जानी चाहिए। इसी क्रम में प्रस्तुत इकाई के अंतर्गत आप प्रतिभाशाली बच्चों को समझाने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ आप इन बच्चों की पहचान तथा विशेषताओं के बारे में भी अपनी समझ बनायेंगे।

25.2 उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई प्रतिभाशाली बच्चों के संप्रत्यय पर आधारित है। इस इकाई के अध्ययन के उपरांत आप**:**

- जान सकेगें कि प्रतिभाशाली बच्चे कौन हैं।
- समझ सकेंगे कि प्रतिभाशाली पलकों की पहचान किस प्रकार संभव है।
- बता सकेंगे कि प्रतिभाशाली बच्चों की कौन-कौन सी विशेषताएँ होती हैं।

25.3 प्रतिभाशाली बालक

आप अक्सर रोजमर्रा की जिंदगी में बुद्धि शब्द का प्रयोग करते हैं। हम सामान्यतः इस शब्द का प्रयोग तब करते हैं जब कोई हमारी उम्मीद से अच्छा कम करता है। विद्यालयों में भी इस शब्द (जो कि एक मनोवैज्ञानिक प्रत्यय भी है) का खूब प्रचलन है। कक्षा में जो बहुत अच्छा करता है या परीक्षा में जो सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करता है, उसे अधिक बुद्धि वाला बालक या बालिका समझा जाता है। लेकिन बुद्धि का संबंध अंक अर्जित करने और डिग्रीयां हासिल करने से कहीं अधिक है। बुद्धि लोगों के बहुमुखी क्षमताओं को दर्शाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 'बुद्धि' कार्यात्मक है, यह कुछ करने के लिए और कुछ हासिल करने के लिए

इस्तेमाल होता है। यह कई रूपों में प्रदर्शित होता है। कुछ लोग मशीनों की मरम्मत में अच्छा कर रहे हैं, कुछ अभिनय में अच्छा कर रहे हैं, और कुछ खेल में महान हैं, तो कोई पढ़ाई में अच्छा कर रहे हैं। यानि कुछ लोग औसत से बहुत अच्छा कर रहे हैं।

बुद्धि-लब्धि द्वारा हम किसी व्यक्ति की बुद्धि को जानते है, जो किसी बुद्धि परीक्षण के उपरांत प्राप्त होता है। शब्द बुद्धि-लब्धि का पहली बार प्रयोग 1912 में एक जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न द्वारा किया गया था। मूल रूप से, यह एक अनुपात है जो मानसिक उम्र तथा कालानुक्रमिक उम्र के भागफल से प्राप्त किया जाता है। बुद्धि-लब्धि स्कोर वास्तविक जनसंख्या के स्कोर के मानदंडों के अनुसार ही समझी जाती है। यदि बच्चों की जनसँख्या के बुद्धि-लब्धि स्कोर को सामान्य संभावना वक्र (NPCNormal Probability Curve) पर देखा जाए तो हम पाएंगे कि अधिकतम बच्चे सामान्य बुद्धि वाले होते हैं जबकि कुछ बच्चे ऐसे होतें हैं जिनकी बुद्धि सामान्य से कम या अधिक होती है। प्रतिभाशाली बच्चों का संबंध इस वक्र में दाहिने ओर स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों से है यानि वे बच्चे जिनकी बुद्धि सामान्य से अधिक है।

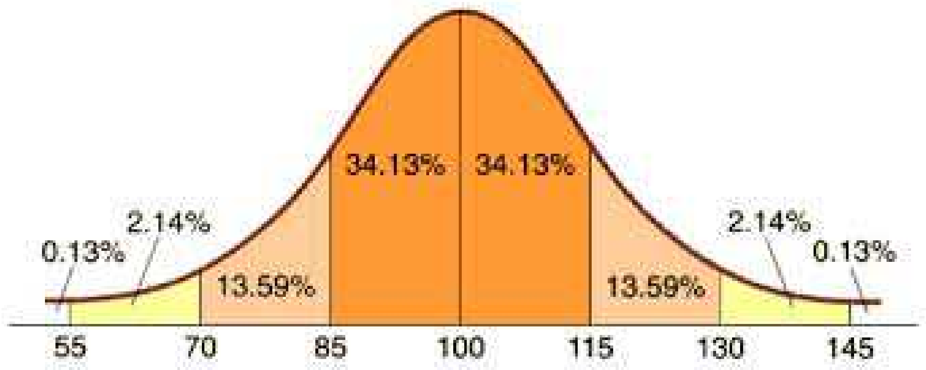

बुद्धि-लब्धि

चित्र संख्या-1

हम कह सकते हैं कि ऐसे बालक जिनकी बुद्धि सामान्य बालकों से अधिक होती है और इस कारण वे अपने साथियों का विशिष्ट ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे कहे जाते हैं।

25.3. 1 प्रतिभाशाली बच्चे की परिभाषा

कई संस्थाओं, शिक्षाविदो तथा मनोवैज्ञानिकों ने प्रतिभाशाली बच्चे को परिभाषित किया है। कुछ प्रमुख परिभाषाएँ निम्न है:

अमेरिका में स्थित 'प्रतिभाशाली बच्चों के लिए राष्ट्रीय संघ' (NAGC) के अनुसार-

"प्रतिभाशाली व्यक्ति एक या एक से अधिक डोमेन में विशिष्ट स्तर पर परिक्षमता या सक्षमता को प्रदर्शित करते हैं। डोमेन में प्रतीक प्रणाली आधारित गतिविधि के किसी भी संरचित क्षेत्र (उदाहरण के लिए, गणित, संगीत, भाषा) और/या ज्ञानेन्द्रिय-गामक कौशल (जैसे, चित्रकला, नृत्य, खेल) शामिल हैं"

"Gifted individuals are those who demonstrate outstanding levels of aptitude or competence in one or more domains. Domains include any structured area of activity with its own symbol system (e.g., mathematics, music, language) and/or set of sensorimotor skills (e.g., painting, dance, sports)"

रेंज़ुल्ली (1978) के अनुसार-

"प्रतिभाशाली होना तीन निम्नांकित आधारभूत विशेषताओं के समूह के मध्य परस्पर अनुक्रिया से सम्बंधित है:

- औसत से अधिक सामान्य क्षमता
- उच्च स्तरीय कार्य प्रतिबद्धता
- उच्च स्तरीय रचनात्मकता"

"Giftedness consists of an interaction among three basic clusters of human traits:

- above average general abilities
- high levels of task commitment
- high levels of creativity"

यूएस ऑफिस फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड इम्प्रूवमेंट (OERI) (1993) प्रतिभाशाली का संबंध असामान्य प्रतिभा (outstanding talent) से है तथा यह सभी आर्थिक वर्गों, और मानव प्रयास के सभी क्षेत्रों में तथा सभी सांस्कृतिक समूहों के बच्चों और युवाओं में पाया जा सकता है।

Giftedness is about *outstanding talents which "may present in children and youth from all cultural groups, across all economic strata, and in all areas of human endeavor."*

25.3.2 प्रतिभाशाली बच्चों का वर्गीकरण

हमने यह देखा है कि सामान्यतः प्रतिभाशाली बच्चों का विश्लेषण बुद्धि-लब्धि के आधार पर ही होता है। वो सभी बच्चे जो सामान्य से अधिक बुद्धि-लब्धि वाले होते हैं उन्हें प्रतिभाशाली बच्चों के श्रेणी में रखते हैं। पुनः यह सवाल हमारे मन में आता है कि क्या सभी प्रतिभाशाली बच्चे एक जैसे होतें हैं या उन्हें भी भी अलग-अलग श्रेणियों में बांटा जा सकता है। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए भी कई वर्गीकरण प्रस्तुत किए गए जिनमे से शीली एवं सिल्वेरमैन (2000) द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण प्रचलित है। इन्होनें प्रतिभाशाली बच्चों को पांच प्रवर्ग में बाँट कर एक वर्गीकरण प्रस्तुत किया जो निम्न है:

प्रवर्ग	बुद्धि-लब्धि स्तर
न्यून प्रतिभाशाली (Mildly gifted)	115-129
माध्यम प्रतिभाशाली (Moderately gifted)	130-144
उच्च प्रतिभाशाली (Highly gifted)	145-159
असाधारण प्रतिभाशाली (Exceptionally gifted)	160-174
प्रगाढ़ प्रतिभाशाली (Profoundly gifted)	175 से अधिक

प्रतिभाशाली बच्चों में अंतरनिहित प्रतिभा को समझने का प्रयास कई विद्वानों ने किया है। कई इसे अंतर्निहित शक्तियों से जोड़ते हैं, कुछ इसे आनुवांशिक विरासत से जोड़ कर देखते हैं जबकि कुछ लोग इसे अर्जित क्षमता के रूप में देखते है। इस क्रम में कई सिद्धांत भी प्रतिपादित किए गए है। आइए अब हम प्रतिभाशाली बच्चों हेतु रेंज़ुल्ली तथा गैने के द्वारा दिए गए दो अलग-अलग महत्वपूर्ण सिद्धांतों को बारी-बारी से समझाने का प्रयास करते हैं।

25.3.3 रेंज़ुल्ली का तीन-वृत्त संप्रत्यय

रेंज़ुल्ली के तीन-वृत्त सिद्धांत में तीन वृत्त मानव लक्षण के तीन समूहों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे हैं- 1) औसत से ऊपर की क्षमता, 2) रचनात्मकता और 3) कार्य प्रतिबद्धता। उनके अनुसार, ये तीनों गुण एक दुसरे से जुड़ कर या एक दूसरे के साथ अन्तःक्रिया कर रचनात्मक उपलब्धि (प्रतिभाशाली व्यवहार) के रूप में प्रकट होते हैं। जो छात्र इन गुणों संबधी तत्वो का पर्याप्त स्तरों पर प्रदर्शन करते हैं, या प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं, के समक्ष नियमित रूप से कक्षा में उपलब्ध होने वाले अवसरों और चुनौतियों से कहीं अधिक अवसरों और चुनौतियों की पेशकश की आवश्यकता होती है।

रेंज़ुल्ली के ये तीन वृत्त किसी शून्य में मौजूद नहीं होते हैं। बल्कि, व्यक्तित्व और पर्यावरणीय कारक इन तीन वृतों को विकसित करने हेतु परिवेश तथा संदर्भ का निर्माण करती हैं। व्यक्तित्व कारकों के बीच रेंज़ुल्ली 'सह-संज्ञानात्मक')co-cognitive(कारकों को प्रमुख मानते हैं जो सामाजिक और बौद्धिक पूंजी के विकास में मदद करती हैं।: आशावाद, साहस, एक विषय या अनुशासन के साथ प्रेम, मानव चिंताओं के प्रति संवेदना, मानसिक/शारीरिक ऊर्जा, और भवितव्यता)destiny (की दृष्टि/भावना सह-संज्ञानात्मक कारकों में शामिल हैं। ये सभी व्यक्तित्व लक्षण बच्चे के संज्ञानात्मक लक्षण के साथ परस्पर संयोजन कर क्षमता विकसित करती है।

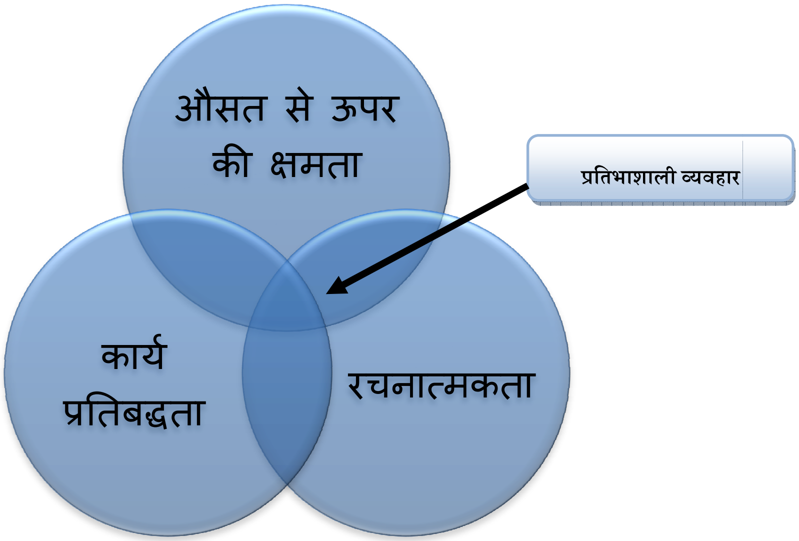

चित्र संख्या -2 (रेंज़ुल्ली का तीन वृत्त संप्रत्यय)

रेंज़ुल्ली प्रतिभाशाली के शिक्षा के दो उद्देद्श्य भी बताते हैं- पहला, उनके भीतर क्षमता विकसित करने के अवसरों को अधिकतम करने तथा दूसरा यह की समाज को अग्रिम बनाने में तथा समस्या समाधान के लिए नए योगदान व् उत्पादन के माध्यम को समृद्ध करना।

25.3.4 गैने का विभेदीकरण प्रारूप

गैने (Gagné) ने अपने विभेदीकरण मॉडल (Differentiated Model) में मेधावी (giftedness) तथा प्रतिभा (*talent*) को दो अलग अलग संप्रत्यय मानते है। उनके अनुसार, मेधावी एक उत्कृष्ट प्राकृतिक क्षमता है जबकि प्रतिभा अच्छी तरह से विकसित या अर्जित असाधारण क्षमता (या कौशल) है। हम कह सकते है कि

प्रतिभा का होना मेधावी को दर्शाता है किन्तु मेधावी होना मात्र ही प्रतिभा को परिलक्षित करे यह आवश्यक नहीं होता है। गैने मानते हैं कि एक व्यक्ति में मेधा के साथ शुरूआत होती है और विभिन्न उत्प्रेरकों के माध्यम से प्रतिभा को विकसित करने का मौका मिलता है। इन उत्प्रेरकों में अंतर-वैयक्तिक संबंध आधारित कारक (जैसे परिपक्वता, प्रेरणा, हितों, मौका) और पर्यावरणीय कारक (जैसे परिवार व् स्कूल) शामिल हैं। गैने के सिद्धांत को हम निम्न आतेख चित्र द्वारा भी समझ सकते हैं:

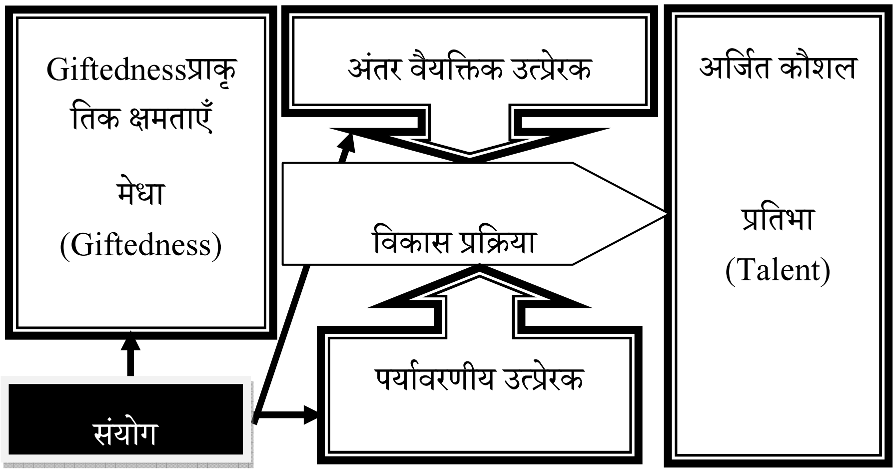

चित्र संख्या-3

गैने मानते हैं कि, एक बच्चा मेधावी (gifted) पैदा हो सकता है, लेकिन यदि इस मेधा को सही रूप से निखारा नहीं गया तो वे पूरी तरह से प्रतिभा में विकसित नहीं हो पते हैं। एक छात्र संगीत में मेधावान हो सकता है, लेकिन प्रशिक्षण के बिना न तो इस मेधा का एहसास होगा और न ही इस मेधा के गहनता पर ध्यान दिया जायेगा। इसके अलावा, गैने यह भी कहते हैं कि अगर एक बच्चा 10 साल की उम्र में प्रतिभाशाली है तो आवश्यक नहीं है कि 20 साल की उम्र में भी उसका प्रदर्शन बेहतर ही हो। इस परिपेक्ष में उनका मनना है कि प्रतिभा बच्चे के साथियों या उससे उम्मीदों पर प्रदर्शन के आधार पर निर्धारित की जाती है। गैने के मॉडल को और स्पष्टता के साथ समझाने के लिए हम निम्न चित्र का भी अवलोकन कर सकते हैं:

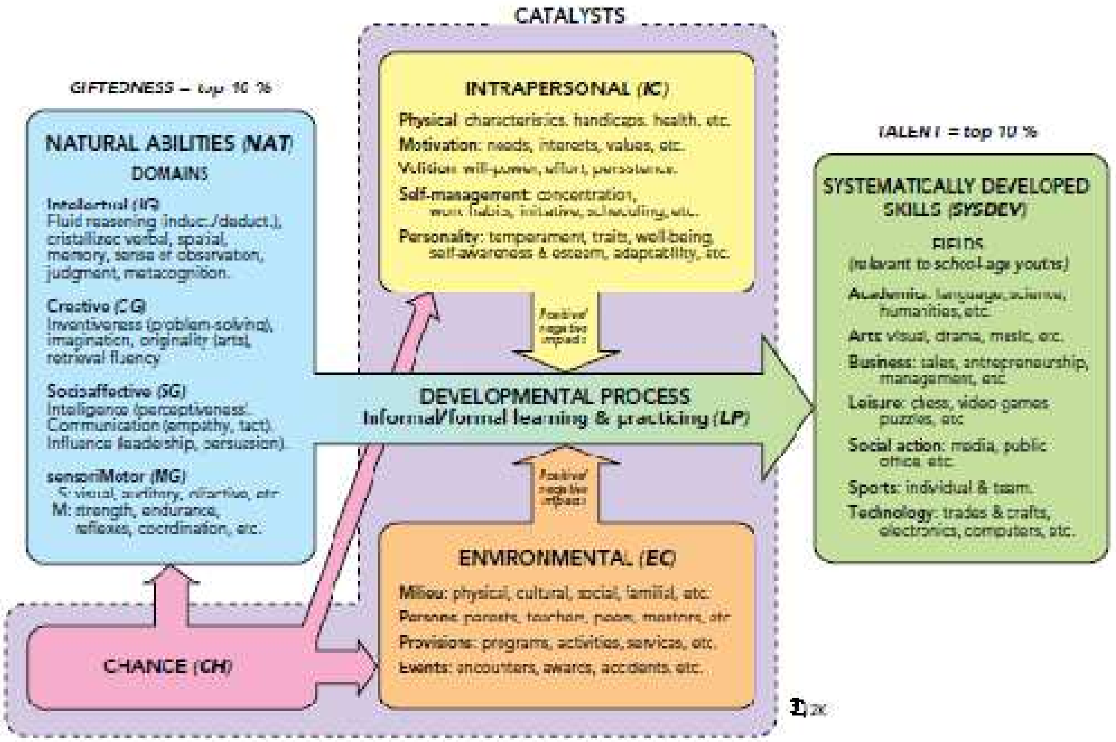

Gagné's Differentiated Model of Giftedness and Talent (DMGT.EN.2K)

चित्र संख्या- 4

[श्रोत(SourceSource): न्यू साउथ वेल्स डिपार्टमेंट ऑफ़ एजुकेशन एंड कम्युनिटीज, ऑस्ट्रेलिया]

अभ्यास प्रश्न

1. निम्न में से कौन सा विकल्प रेंज़ुल्ली के तीन वृत्त संप्रत्यय का हिस्सा नहीं है:
   a. औसत से ऊपर की क्षमता
   b. रचनात्मकता
   c. सामाजिक अवधारणा
   d. कार्य प्रतिबद्धता
2. प्रतिभाशाली बच्चों हेतु प्रस्तुत गैने (Gagne) के मॉडल को कहते हैं:
   a. विघटन मॉडल
   b. विकृत मॉडल

c. विस्तृत मॉडल
d. विभेदीकरण मॉडल

3. शीली एवं सिल्वेरमैन ने प्रतिभाशाली बच्चों के वर्गीकरण में कुल कितने श्रेणी निर्धारित किए थे:
a. पांच
b. चार
c. सात
d. तीन

25.4 प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान

यह हमने जाना है कि प्रतिभाशाली बच्चों के समुचित विक्स से समाज के विकास को बल मिल सकता है। इन बच्चों का समाज में उनकी क्षमता के अनुरूप योगदान प्राप्त किया जा सके इसके लिए सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि ऐसे बच्चों की पहचान की जाय तथा उनके लिए विशेष शिक्षा तथा संवधन की व्यवस्था की जाय।

25.4.1 पहचान के संकेतक

कुछ बच्चे कम उम्र में ही उच्च क्षमता के लक्षण प्रदर्शित करते हैं। किसी एक व्यक्ति के स्तर की क्षमता स्थायी नहीं होती है, समय के साथ इनका विकास भी संभव है। किसी विशेष स्तर/स्टेज पर एक बच्चे द्वारा प्रदर्शित उच्च क्षमता दूसरे बच्चे द्वारा अलग स्तर/स्टेज पर पदर्शित हो सकती है। शिक्षक तथा माता-पिता द्वारा किया गया अवलोकन और अनौपचारिक आकलन विशेष रूप से बहुत छोटे बच्चों के मामले में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उच्च क्षमता सम्बन्धी विशेषता किसी भी उम्र में प्रदर्शित हो सकती है। कुछ सुविधाएँ और अभिवृति विकास के चरण मेंपहचान के लिए महत्वपूर्ण हो सकतीं हैं। निम्नांकित सूची विद्यालय में प्रदर्शित किये जाने वाले संकेत (छात्रों की जरूरतों के कुछ उदाहरण) को बताती हैं, जिससे प्रतिभावान बच्चे की पहचान में सहायता मिल सकती है। यह समझाना जरुरी है कि ये संकेत मात्र है, निश्चित साधन नहीं हैं।

प्रारंभिक वर्षों में	प्राथमिक स्तर	माध्यमिक स्तर
जल्दबाजी या मेधा	प्रक्रिया को पूरा करने में कम चरणों की आवश्यकता	प्रश्न नियम / अधिकार
अनियमित विकास	तेज गति से कार्य करने में आनंद	गैर-अनुरूपता
ज्यादा कठिन या आसन कार्य को पार पाना	अल्प अनुदेशन की आवश्यकता	उच्च क्षमता/निम्न अभिप्रेरण
खुद के विस्तारित कार्य को स्वयं करने की इच्छा	स्वतंत्र अध्ययन के प्रति रुझान	न्याय की गहरी समझ की इच्छा
रचनात्मकता का प्रदर्शन	अमूर्त क्रियाओं का निष्पादन	विस्तारित चिंतन
आसानी से बोर	अप्रतिबंधित स्थिति को पसंद करना	वाक्-पटुता में माहिर

अच्छा मौखिक तर्क शक्ति	विफलता सिखाने की जरुरत	बढ़ता आत्मविश्वास
जल्दी से सिखने के बजाय संवर्धन पर बल	अनेक रचनात्मक मौकों का प्रतिवादी	रूचि के लिए आजीवन उत्साह का विकास
उम्र से अधिक सोच का प्रदर्शन	कार्य को करने के लिए प्रोत्साहन की आवश्यकता	बौधिक उत्सुकता स्टैंड्स आउट
भावनात्मक समझ का शैक्षणिक कार्य से पीछे होना	सहायक वातावरण में आत्मसम्मान को विकसित करने की जरूरत	एकाग्रता व् सहनशीलता की असाधारण शक्ति
समझ और प्रावधान की पहचान	बौद्धिक स्तर कैसा भी हो वास्तविक उम्र का याद रहना	समान क्षमता के छात्रो के साथ काम करने की जरूरत (स्कूल या बहार)

25.4.2 प्रतिभाशाली बच्चों के पहचान के तरीके

प्रतिभाशाली बच्चों को पहचानने के लिए विधिवत अवलोकन तथा मानकीकृत परीक्षणों का प्रयोग किया जा सकता है। कुछ प्रमुख तरीके निम्नांकित हैं, जिससे हम प्रतिभाशाली बच्चों के योग्यताओं की पहचान कर सकते है:

a) शिक्षक/कर्मचारियों द्वारा नाम-निर्देशन/ शिक्षक निर्णय
b) सहकर्मी नामांकन/सहपाठी निर्णय
c) उपलब्धि परीक्षण/पाठ्यक्रम की क्षमता
d) जाँच सूची
e) बच्चों के काम का आकलन
f) पैतृक जानकारी
g) बच्चों का युवा/लोगों के साथ चर्चाएँ
h) विधिवत अवलोकन
i) बुद्धि परीक्षण
j) विशिष्ट योग्यता परीक्षण
k) व्यक्तित्व परीक्षण
l) रूचि परिक्षण

25.4.3 प्रतिभाशाली बच्चों के पहचान में ध्यान देले वाली बातें:

- बच्चों में प्रतिभा की पहचान करने के क्रम में शिक्षकों या पेशेवरों को किसी एक कारक के बजाय प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों पर विचार करना चाहिए।
- व्यक्तिगत आकलन और पर्यवेक्षण सामान्यतः उस समय विशेष में बच्चे की स्थिति को बताती हैं जबकि प्रतिभाशाली बच्चे की पहचान करने के लिए लम्बे समय में तथ्यों को संग्रह करने की आवश्यकता होती है।

- यह आवश्यक नहीं है कि प्रतिभाशाली बच्चे अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन जब हम चाहें तब कर ही दें।
- प्रतिभाशाली बच्चों में भी विकलांगता हो सकती है। इसलिए प्रतिभा को शारीरिक या मानसिक क्षमता से अलग कर के देखा जाना चाहिए।
- शिक्षकों तथा पेशेवर कर्मी में निहित सांस्कृतिक और अन्य पूर्वाग्रह बच्चों में प्रतिभा की पहचान करने की क्रिया में बाधक हो सकते हैं। कुछ संस्कृतियों में बच्चों को उनकी क्षमता को प्रदर्शित करने से हतोत्साहित किया जा सकता है।
- प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान मुश्किल हो जाती है जहाँ उनके द्वारा प्रदर्शित लक्षण सूक्ष्म या गौण होते हैं। ऐसा बिलकुल भी नहीं है कि सभी युवा प्रतिभाशाली बच्चे पठन क्रिया या गणित में अच्छे हों।
- युवा प्रतिभाशाली बच्चों को उनके प्रतिभाशाली क्षमता प्रदर्शित करने का अवसर या समर्थन की कमी भी पहचान में बाधक हो सकती है।

अभ्यास प्रश्न

4. प्रतिभाशाली बच्चे सामायतः आलसी होते हैं. (सही/गलत)
5. प्रतिभाशाली बच्चों के पहचान करते समय किसी एक कारक से भी उसकी पहचान पक्की हो जाती है. (सही/गलत)
6. यह आवश्यक नहीं कि हर प्रतिभाशाली बच्चा गणित में निपुण हो. (सही/गलत)
7. बुद्धि परीक्षण भी प्रतिभाशाली बच्चों के पहचान का एक साधन है. (सही/गलत)

25.5 प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषताएं

प्रतिभाशाली बालकों की विभिन्न योग्यताओं का विकास करने हेतु एक सफल एवं उपयोगी शैक्षिक कार्यक्रम की आवश्यकता होती है। इस क्रम में यह अति आवश्यक है कि प्रतिभाशाली बच्चों विशेषताओं को जाना जाय। प्रतिभाशाली बालकों की कुछ प्रमुख विशेषताएँ निम्न हैं:

- इनमें मानसिक क्रियाओं (जैसे अवधान, निरीक्षण, प्रत्यक्षीकरण, प्रत्ययीकरण, कल्पना, तर्क, चिन्तन, निर्णय व स्मरण करने) की योग्यता अधिक तीव्र होती है।
- ये बहुत चौकस तथा अत्यंत जिज्ञासु होते है।
- इनमें लम्बी ध्यान अवधि की क्षमता होती है।

- ये बढ़िया तर्क कौशल में निपुण होते है।
- अमूर्त अवधारणा और संश्लेषण की शक्तियां अच्छी तरह से विकसित होती हैं।
- ये जल्दी और आसानी से विचारों, वस्तुओं या तथ्यों में संबंधों को देखते हैं।
- व्यापक और मूल सोच के साथ-साथ धाराप्रवाह व् लचीला सोच का विद्धमान होना।
- समस्या को सुलझाने का कौशल काफी विकसित होता है।
- जल्दी और कम अभ्यास या दोहराव के साथ सीखते हैं।
- असामान्य और/या उज्ज्वल कल्पना का होना।
- ये कठिन विषयों में अधिक रूचि लेते हैं।
- इनकी ज्ञानेन्द्रियों का विकास तीव्र गति से होता है।
- इनका शब्द भण्डार अधिक व्यापक होता हैं।
- इनकी विद्यालयी उपलब्धि अधिक हो सकती है।

उपरोक्त वर्णित विशेषताएं प्रतिभाशाली बालकों की सामूहिक विशेषताएं हैं। यह बिलकुल आवश्यक नहीं कि प्रत्येक प्रतिभाशाली बालक में ये सभी विशेषताएं पायी ही जाएं। परन्तु यह कहा जा सकता है कि किसी प्रतिभाशाली बालक में इनमें से अधिकतर विशेषताएं विद्यमान होती हैं।

अभ्यास प्रश्न

8. प्रतिभाशाली बच्चे मानसिक क्रियाओं की योग्यता __________ होती है।
9. प्रतिभाशाली बच्चे __________ से विचारों, वस्तुओं, या तथ्यों में संबंधों को देखते हैं।
10. समस्या को सुलझाने का कौशल प्रतिभाशाली बच्चों में __________ होता है।

25.6 सारांश

यदि बच्चों की जनसँख्या के बुद्धि-लब्धि स्कोर को सामान्य संभावना वक्र पर देखा जाए तो हम पाएंगे कि अधिकतम बच्चे सामान्य बुद्धि वाले होते हैं जबकि कुछ बच्चे ऐसे होतें हैं जिनकी बुद्धि सामान्य से अधिक होती है। प्रतिभाशाली बच्चों का संबंध इन्ही बच्चों से है जिनकी बुद्धि सामान्य से अधिक है। कई संस्थाओं, शिक्षाविदो तथा मनोवैज्ञानिकों ने प्रतिभाशाली बच्चे को अलग अलग रूप से परिभाषित किया है. अमेरिका के 'प्रतिभाशाली बच्चों के लिए राष्ट्रीय संघ' के अनुसार, प्रतिभाशाली व्यक्ति एक या एक से अधिक डोमेन में विशिष्ट स्तर पर परिक्षमता या सक्षमता को प्रदर्शित करते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों को भी पुनः वर्गीकृत किया

गया है। शीली एवं सिल्वेरमैन (2000) ने प्रतिभाशाली बच्चों को पांच प्रवर्ग में बाँट कर एक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। ये पांच प्रवर्ग है: न्यून प्रतिभाशाली (Mildly gifted), माध्यम प्रतिभाशाली (Moderately gifted), उच्च प्रतिभाशाली (Highly gifted), असाधारण प्रतिभाशाली (Exceptionally gifted) तथा प्रगाढ़ प्रतिभाशाली (Profoundly gifted)। प्रतिभाशाली बच्चों में अंतरनिहित प्रतिभा को समझने का प्रयास कई विद्वानों ने किया है। रेंज़ुल्ली ने अपने तीन-वृत्त सिद्धांत में औसत से ऊपर की क्षमता, रचनात्मकता और कार्य प्रतिबद्धता के मध्य अन्तःक्रिया को प्रतिभाशाली व्यवहार के उत्पति के लिए जिम्मेदार बताया। दूसरी ओर गैने ने अपने विभेदीकरण मॉडल में मेधावी तथा प्रतिभा को दो अलग अलग संप्रत्यय के रूप देखा है। उनके अनुसार, मेधावी एक uउत्कृष्ट प्राकृतिक क्षमता है जबकि प्रतिभा अच्छी तरह से विकसित या अर्जित असाधारण क्षमता है। ऐसे बच्चों की पहचान के लिए विधिवत अवलोकन तथा मानकीकृत परीक्षणों का प्रयोग किया जा सकता है। प्रतिभाशाली बालकों की कुछ प्रमुख विशेषताएँ होतीं हैं, जिनमे मानसिक क्रियाओं की योग्यता का अधिक तीव्र होना, बहुत चौकस, अत्यंत जिज्ञासु, लम्बी ध्यान अवधि की क्षमता, बढ़िया तर्क कौशल, अमूर्त अवधारणा सहित कई योग्यताएं शामिल हैं।

25.7 शब्दावली

- **प्रतिभाशाली बच्चा**- प्रतिभाशाली बच्चे एक या एक से अधिक क्षेत्र (उदाहरण के लिए, गणित, संगीत, भाषा, चित्रकला, नृत्य या खेल) में विशिष्ट स्तर पर परिक्षमता या सक्षमता को प्रदर्शित करते हैं।
- **तीन-वृत्त सिद्धांत**- रेंज़ुल्ली द्वारा प्रतिपादित तीन-वृत्त सिद्धांत में तीन वृत्त मानव लक्षण के तीन समूहों (औसत से ऊपर की क्षमता, रचनात्मकता और कार्य प्रतिबद्धता) का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार, ये तीनों गुण एक दुसरे से जुड़ कर या एक दूसरे के साथ अन्तःक्रिया कर प्रतिभाशाली व्यवहार के रूप में प्रकट होते हैं।
- **विभेदीकरण मॉडल**- गैने द्वारा प्रतिपादित विभेदीकरण (डिफरेंसिएटेड) मॉडल में मेधावी (giftedness) तथा प्रतिभा (*talent*) को दो अलग अलग संप्रत्यय में देखा गया है। जिसमें मेधावी एक uउत्कृष्ट प्राकृतिक क्षमता है जबकि प्रतिभा अच्छी तरह से विकसित या अर्जित असाधारण क्षमता है।

25.8अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. (c)
2. (d)

3. (a)
4. गलत
5. गलत
6. सही
7. सही
8. तीव्र
9. b) आसानी
10. c) विकसित

25.9 संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. Gagné, F. (2000). A Differentiated Model of Giftedness and Talent (DMGT), PersonalNotes.Retrieved from

   www.curriculumsupport.education.nsw.gov.au/.../poldmgt2000rtcl.pdf
2. Renzulli,J.S.(1998) Three-Ring Conception of Giftedness. In Baum, S. M., Reis, S. M., & Maxfield, L. R. (Eds.). (1998). *Nurturing the gifts and talents of primary grade students.* Mansfield Center, CT: Creative Learning Press.
3. Renzulli, J. S. (2005). The three-ring conception of giftedness: A developmental model for promoting creative productivity. In R. J. Sternberg & J. E. Davidson (Eds.), Conceptions of Giftedness (pp. 246-279). New York: Cambridge University Press.
4. Sheely, A. R. and Silverman, L. K. (2000). Defining the few. *Communicator*, California association for the Gifted. 31(4), 1-37.
5. **Websites:**

   http://www.gifted.uconn.edu/
   www.nagc.org
   www.cec.sped.org
   www.cectag.org
   www.nsgt.org
   www.hoagiesgifted.org
   www.curriculumsupport.education.nsw.gov.au

25.10 सहायक उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. Joshi, S. (2013). Pratibhashali (The Talented). Sliver Leaf Publishing, Holliston
2. Mangal, S. K. (2007). Educating Exceptional Children: An Introduction to Special Education. Prentice Hall of India Pvt Ltd. New Delhi.
3. Stevens, M. (2009). Challenging the Gifted Child: An Open Approach to Working with Advanced Young Readers. Jessica Kingsley Publishers, London

25.11 निबन्धात्मक प्रश्न

1. प्रतिभाशाली बच्चों से आप क्या समझते है। किस प्रकार इन बच्चों की आवश्यकताएं भिन्न होती हैं, समझाएं।
2. प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान के लिए किन किन बातों का ध्यान में रखना आवश्यक है, वर्णन करे।
3. उन विशेषताओं को सूचीबद्ध करें जो प्रतिभाशाली बच्चों को अलग करती हैं।
4. प्रतिभाशाली के समझ को स्थापित करने के लिए रेंज़ुल्ली के तीन वृत्त मॉडल की विवेचना करें।

इकाई 26- प्रतिभाशाली बच्चों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम, समावेशी शैक्षिक कार्यक्रम, अल्प सम्प्राप्ति वाले प्रतिभाशाली बच्चे

26.1 प्रस्तावना
26.2 उद्देश्य
26.3 प्रतिभाशाली बालकों के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों का लक्ष्य
26.4 प्रतिभाशाली बच्चों के शैक्षिक कार्यक्रम के प्रकार
26.5 प्रतिभाशाली बालकों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम
26.6 प्रतिभाशाली बालकों के लिए समावेषी शैक्षिक कार्यक्रम
26.7 निम्न उपलब्धि वाले प्रतिभाशाली बालक
26.8 सारांश
26.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
26.10 निबंधात्मक प्रश्न

26.1 प्रस्तावना

पिछली इकाई में आप जान गये होंगे कि प्रतिभाशाली बालकों की क्या विषेषताएं हैं और उनकी पहचान कैसे की जाती है। अब हम प्रस्तुत इकाइ्र में इस सम्बन्ध में अध्ययन करेंगे कि प्रतिभाशाली बालकों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम किस तरह बनाये जाने चाहिए।

प्रतिभाशाली बालकों की विभिन्न योग्यताओं का विकास करने हेतु एक सफल एवं उपयोगी शैक्षिक कार्यक्रम की आवश्यक ता होती है।प्रतिभाशाली बालकों में सीखने की गति तीव्र होती है जिस कारण ये बालक सामान्य कक्षा ओं में समायोजित हो पाने में समस्या का अनुभव करते हैं। सामान्य कक्षाओं में इनकी स्थिति कुछ इस तरह हो जाती है जैसे पानी के बाहर मछली। अतः ऐसे बालकों हेतु तीव्रगति से सीखने सम्बन्धी कार्यों की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके साथ ही इनके लिए नियमित पाठ्यक्रम के अतिरिक्त अन्य विस्तृत शैक्षिक कार्यक्रम का क्रियान्वयन होना चाहिए। जिससे इनके ज्ञान एवं अनुभवों का अधिक विकास हो सके। साथ ही इनके अन्दर शोध एवं समस्याओं को हल करने की क्षमताओं का उचित विकास हो सके व इनकी

सृजनात्मक क्षमताओं से समाज को लाभान्वित किया जा सके। इसके लिए ऐसे बालकों के लिए विशिष्ट शैक्षिक कार्यक्रम की आवश्यक ता होती है।

26.2 उद्देश्य

1. इस इकाई के अध्ययन के बाद आप जान जायेंगे कि प्रतिभाशाली बालकों के शैक्षिक कार्यक्रम का क्या लक्ष्य होना चाहिए।
2. इस इकाई के अध्ययन के बाद आप जान जायेंगे कि प्रतिभाशाली बालकों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
3. इस इकाई के अध्ययन के बाद आप जान जायेंगे कि प्रतिभाशाली बालकों के लिए समावेषी शैक्षिक कार्यक्रम की क्या उपयोगिता होती है।
4. इस इकाई के अध्ययन के बाद आप जान जायेंगे कि प्रतिभाशाली बालकों के लिए समावेषी शैक्षिक कार्यक्रम बनाते समय किन बातों पर ध्यान देना चाहिए।
5. इस इकाई के अध्ययन के बाद आप जान जायेंगे कि कुछ प्रतिभाशाली बालक किन कारणों से निम्न शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त करते हैं।
6. इस इकाई के अध्ययन के बाद आप जान जायेंगे कि निम्न शैक्षिक उपलब्धि वाले बालकांे के लिए शैक्षिक कार्यक्रम बनाते समय किन बातों पर ध्यान देना चाहिए।

26.3 प्रतिभाशाली बालकों के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों का लक्ष्य (Goal of Educational Programme for Gifted Children)

प्रतिभाशाली बालकों के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों का लक्ष्य निम्नवत होना चाहिए -

1. विस्तृत शैक्षिक कार्यक्रम- प्रतिभाशाली बालकों के लिए नियमित पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त अन्य विस्तृत शैक्षिक कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जाना चाहिए जिससे उनके ज्ञान एवं अनुभवों का समुचित विकास किया जा सके।
2. गहन अध्ययन की सुविधा- प्रतिभाशाली बालकों की रूचि के विषय में उन्हें सूक्ष्म एवं गम्भीर अध्ययन हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शैक्षिक कार्यक्रम बनाये जाने चाहिए।
3. तीव्रगति से सीखने सम्बन्धी कार्यो की व्यवस्था -प्रतिभाशाली बालक सामान्य बालकों की अपेक्षा तीव्रता से सीख लेते हैं। अतः इनके लिए ऐसे शैक्षिक कार्यक्रमों की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे इनमें तीव्रता से सीखने की क्षमता बनी रहे।

4. समस्या समाधान की योग्यता सम्बन्धी कार्यक्रम - ऐसे बच्चे समाज की बहुमूल्य धरोहर होते हैं। इनका उपयोग समाज में उचित ढंग से किया जा सके व समाज इनकी प्रतिभा से लाभान्वित हो सके इसके लिए आवश्यक है कि इनका प्रषिक्षण उचित तरीके से किया जाये, जिससे इनकी मौलिकता का समस्याओं के समाधान हेतु प्रयोग किया जा सके। अतः इस प्रकार के बच्चों के लिए ज्ञान वर्धन व शोध क्षमता को विकसित करने वाले शैक्षिक कार्यक्रम बनाये जाने चाहिए।

26.4 प्रतिभाशाली बच्चों के शैक्षिक कार्यक्रम के प्रकार (Types of Educational Programme for Gifted Children)

प्रतिभाशाली बच्चों के शैक्षिक कार्यक्रम की योजना मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है:-

1. समानान्तर योजना (Horizontal Programme)
2. शिखर सम्बन्धी योजना (Vertical Programme)

समानान्तर योजना (Horizontal Programme) - प्रतिभाशाली बालकों के लिए समानान्तर शैक्षिक योजना बनाते समय निम्नलिखित बातों को शामिल करना चाहिए।

i. **अन्वेषण (Exploration)-** प्रतिभाशाली बच्चों में सीखने के प्रति उत्साह बना रहे इसके लिए आवश्यक है कि उन्हें प्राथमिक स्तर पर ही अपनी रूचि एवं क्षमता के अनुरूप विषय चयन की स्वतंत्रता हो। अपनी रूचि व क्षमता के अनुसार अन्वेषण की सुविधा देने से इन बालकों को पृथक स्तर का ज्ञान प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है।
ii. **संवर्धन (Enrichment)** - प्रतिभाशाली बच्चों के ज्ञान एवं अनुभव को विस्तृत करने के लिए नियमित पाठ्यक्रम से इतर अन्य प्रकरणों के भी सीखने की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे उनकी सीखने सम्बन्धी शक्तियों का उचित उपयोग हो सके।
iii. **प्रशासनिक स्थानबद्धता (Executive Internship)-** प्रतिभाशाली बालकों की रूचि जिस क्षेत्र में हो उससे सम्बन्धित जानकारी क्रियाकलापों के माध्यम से देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। यदि किसी बालक की रूचि फोटो ग्राफी में है तो उसे फोटोग्राफर के स्टूडियो में भेजकर सीखने का अवसर प्रदान करना चाहिए।

शिखर सम्बन्धी योजना (Vertical Programme) - शिखर सम्बन्धी योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित बातों को शामिल करना चाहिए।

i. **त्वरण (Acceleration) -** प्रतिभाशाली बालकों को इस प्रकार अवसर प्रदान करना चाहिए जिससे ये अपनी गति के साथ सीख सकें प्रतिभाशाली बच्चे जब अपनी कक्षा का पाठ्यक्रम पूर्ण

कर लें तब इन्हें अगली कक्षा में भेजकर सीखने का अवसर प्रदान करना चाहिए, जिससे इनकी त्वरण या गति संवर्धन की स्थिति बनी रहे।

ii. **स्वतंत्र रूप से अध्ययन (Independent Study) -** प्रतिभाशाली बच्चों को अपनी रूचि के अनुसार गहन अध्ययन हेतु मुक्त कर देना चाहिए। अध्यापक को केवल एक मार्ग दर्षक के रूप में उनके लक्ष्य निर्धारण, अध्ययन सामग्री व अध्ययन विधियों के चयन में उनकी सहायता करनी चाहिए।

iii. **मंत्रित्व (Mentorship) -** प्रतिभाशाली बच्चे अपने से कम बौद्धिक क्षमता वाले बच्चों के लिए विषेषज्ञ के रूप में उनका मार्गदर्षन कर सकते हैं। इन्हें इस प्रकार का अवसर प्रदान कर उनकी क्षमता का विकास व उचित उपयोग किया जा सकता है।

उपर्युक्त शैक्षिक कार्यक्रमों के आधार पर प्रतिभाशाली बच्चों को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। -

i. **पूर्ण कालिक-** पूर्ण कालिक रूप से विशिष्ट विद्यालय में अध्ययन करने वाले प्रतिभाशाली बालक।

ii. **अंश कालिक -** सामान्य विद्यालय में अध्ययन करने वाले प्रतिभाशाली बालक जिन्हें किसी अध्ययन केन्द्र या विशिष्ट कक्षा में कुछ समय के लिए भेजा जाता है।

iii. नियमित कक्षा में रहकर पढ़ने वाले प्रतिभाशाली बालक - सामान्य विद्यालय की सामान्य कक्षा में सामान्य छात्रों के साथ पढ़ने वाले प्रतिभाशाली बालक।

प्रायः अधिकांश शिक्षाशास्त्री प्रतिभाशाली बच्चों के अंषकालिक कार्यक्रमों पर विषेष रूप से बल देते हैं। किसी एक प्रकार का कार्यक्रम प्रतिभाशाली बालकों के लिए समान रूप से सभी विद्यालयों में क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। प्रतिभाशाली बालकों की रूचि, योग्यता, आवश्यक ता एवं क्षमता के अनुसार भिन्न-भिन्न विद्यालयों में अलग योजनायें निर्मित करनी चाहिए, जिससे उनकी अन्तनिर्हित क्षमताओं का उचित विकास हो सके।

26.5 प्रतिभाशाली बालकों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम (Educational Programme for Gifted Children)

प्रतिभाशाली बालकों के वांछित सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहित करने के लिए उपयोगी तथा प्रभावी शैक्षिक व्यवस्था करने के लिए अनेक तरीके अपनाये जा सकते हैं, जो निम्नवत् हैं:-

1. **पाठ्यक्रम में समृद्धि -** प्रतिभाशाली बालकों की षिक्षा का एक महत्वपूर्ण तरीका यह है कि इनके लिए सामान्य पाठ्यक्रम की तुलना में थोड़ा कठिन एवं जटिल पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाय, जिससे ये बालक अपनी प्रतिभा के अनुरूप अधिगम कर आत्म सन्तुष्टि प्राप्त कर सकें।

2. **संपुष्ट कार्यक्रम -** ऐसे बालकों को पुस्तकालय, भ्रमण आदि की सुविधा देकर उन्हें व्यापक और विस्तृत अनुभव कराया जाना चाहिए।
3. **तीव्र उन्नति -** प्रतिभाशाली बालकों को षिक्षा देने की एक विधि यह भी है कि उन्हें शीघ्र ही अतिरिक्त उन्नति देकर अगली कक्षा में भेज दिया जाना चाहिए। उच्चतर वर्ग का पाठ्यक्रम कठिन होने से उसे ये बालक अपनी क्षमता के अनुरूप पायेंगे और अपनी क्षमता का पूरा उपयोग कर सीखने की गति में तीव्रता बनाये रख पायेंगे।
4. **व्यक्तिगत ध्यान -** ऐसे बालकों की क्षमता का अधिकतम उपयोग किया जा सके, इसके लिए आवश्यक है कि इन पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देकर निर्देषन व परामर्ष प्रदान करते रहना चाहिए।
5. **प्रोत्साहन -** इन बालकों की सीखने की गति तीव्र बनी रहे इसके लिए यह आवश्यक है कि इनको प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। उचित अभिप्रेरणा के अभाव में ये अपनी क्षमता का उपयोग गलत दिषा में कर सकते हैं।
6. **प्रभावकारी शिक्षक -** प्रतिभाशाली बालकों को यदि योग्य शिक्षक नहीं मिल पाते तो ये अपनी प्रतिभा के अनुरूप षिक्षा न प्राप्त कर कुंठित हो जाते हैं और अनुशासन की भी समस्या पैदा कर देते हैं। इन्हें षिक्षण करने वाले शिक्षक के लिए यह आवश्यक है कि वह बौद्धिक रूप से सजग हो, विभिन्न प्रकार की अभिरूचि रखने वाला व अनुपयोगी (unusual) और विविध (diverse) प्रकार के प्रष्नों का भी उत्तर देने की क्षमता रखता हो। प्रतिभाशाली बालकों के अध्यापकों को षिक्षा मनोविज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए।
7. **विशिष्ट कक्षा** - ऐसे बालक सामान्य कक्षाओं में अपनी सीखने की तीव्रता नहीं बनाये रख पाते और समायोजन में भी समस्या का अनुभव करते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने ऐसे बालकों की षिक्षा के लिए अलग से विशिष्ट कक्षा चलाने का सुझाव दिया है। चूँकि ऐसी कक्षा में सिर्फ प्रतिभाशाली बालक ही होते हैं, शिक्षकों के लिए एक समान ढंग से षिक्षण करना सुलभ हो जाता है। समान योग्यता वाले बालकों के साथ देने के कारण इन बालकों का कक्षा में समायोजन भी पूर्ण रूप से हो जाता है। ऐसी कक्षाओं में इनमें न तो श्रेष्ठता का भाव आता है और न ही हीनता का। बल्कि स्वस्थ प्रतियोगिता के माध्यम से ये बालक सीखने में तीव्रता बनाये रखते हैं।
8. **विशिष्ट विद्यालय -** कुछ षिक्षा शास्त्री और मनोवैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि प्रतिभाशाली बालकों की प्रतिभा के साथ न्याय हो पाये इसके लिए आवश्यक है कि इनके लिए अलग से विशिष्ट विद्यालय खोले जाने चाहिए। ऐसे विद्यालयों का विषेष लाभ यह होता है कि छात्रों में एकरूपता होगी और अध्यापक के लिए षिक्षण करना आसान होगा। ऐसे विद्यालयों में एक ऐसा शैक्षिक वातावरण बन पायेगा जिसमें कक्षा के अन्दर तथा बाहर भी बालकों को अन्तः क्रिया करने में कठिनाई नहीं होगी और उनमें समायोजन से सम्बन्धित कोई समस्या भी नहीं खड़ी होगी। कई राज्य सरकारों द्वारा भी इस तरह के विद्यालय समय-समय पर खोले गये। सैनिक स्कूल भी इसी श्रेणी में आते हैं। प्रतिभाशाली बालकों की विशिष्ट आवश्यक ता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने भी गति निर्धारण विद्यालय स्थापित किये हैं। नयी राष्ट्रीय षिक्षा नीति के तहत देष के प्रत्येक जिले में

नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गयी जिसमें योग्यता के आधार पर मेधावी छात्रों का चयन कर उन्हें उच्च गुणवत्ता वाली निःषुल्क षिक्षा प्रदान की जाती हैं कई प्रतिष्ठित पब्लिक स्कूल भी योग्यता के आधार पर अपने यहाँ बालकों का प्रवेष लेते हैं और उन्हें गुणवत्तापूर्ण की षिक्षा प्रदान करते हैं। निःसन्देह प्रतिभाशाली बालकों की षिक्षा पर विषेष ध्यान दिया जाना चाहिए जिससे उनका सर्वांगीण विकास कर राष्ट्र की प्रगति में उनका योगदान प्राप्त किया जा सके।

अभ्यास प्रश्न

1. त्वरण, समानान्तरण योजना का एक महत्वपूर्ण अंग है। (सत्य/ असत्य)
2. मंत्रित्व का तात्पर्य अपने से कम बौद्धिक क्षमता वाले बालकों के लिए विषेषज्ञ के रूप में मार्ग दर्षन करना है। (सत्य/ असत्य)
3. स्वतंत्र रूप से अध्ययन शिखर सम्बन्धी योजना का महत्वपूर्ण अंग है। (सत्य/ असत्य)
4. प्रतिभाशाली बालक विशिष्ट कक्षाओं में अपने समान योग्यता के साथी न पाकर समायोजन सम्बन्धी समस्या का अनुभव करते हैं। (सत्य/ असत्य)

26. 6 प्रतिभाशाली बालकों के लिए समावेशी शैक्षिक कार्यक्रम (Inclusive Education Programmes for Gifted Children)

प्रतिभाशाली बालकों के लिए अलग से शैक्षिक कार्यक्रम बनाये जाने की आवश्यक ता पर बल दिया जाता है लेकिन अलग-अलग तरह की विशिष्ट ता वाले बालकों के लिए अलग शैक्षिक कार्यक्रम बनाया जाना व्यावहारिक रूप से बहुत उपयुक्त नहीं हो पाता। इसके साथ ही अपने से अलग तरह के छात्रों के साथ उनकी षिक्षा की व्यवस्था न करने से उनका उचित समायोजन समाज में नहीं हो पाता। क्योंकि षिक्षा पूर्ण करने के बाद उन्हें समाज में हर तरह के व्यक्तियों के साथ रहना होता है। इन कारणों से प्रतिभाशाली बालकों को अन्य बालकों के साथ ही षिक्षा देने की बात की जाती है। परन्तु ऐसा करते समय यह ध्यान अवष्य रखना होता है कि ऐसे छात्र सामान्य कक्षा में कुंठित न हो पायें। अध्यापकों को इन छात्रों की विषेषताओं को ध्यान में रखते हुए इनके विकास व देखभाल की जिम्मेदारी निभानी होती है। इनके लिए सामान्य कक्षा के अतिरिक्त विशिष्ट कक्षा व सामान्य कक्षा में भी विशिष्ट ध्यान की आवश्यक ता होती है।

समावेषी शैक्षिक कार्यक्रम का तात्पर्य सामान्य बालकों के साथ ही विशिष्ट बालकों की षिक्षा व्यवस्था कर उन्हें उनकी क्षमता व आवश्यक ता के अनुरूप सामाजिक व शैक्षणिक अनुभव प्रदान किया जाय।

समावेषी शिक्षा के अन्तर्गत सामान्य विद्यालयों में प्रतिभाशाली बालक कुछ विषयों का अध्ययन अपने स्तर के अनुरूप सामान्य विद्यार्थियों के साथ करता है। उदाहरण के लिए हिन्दी वह कक्षा-3 में पढ़ता है, तो गणित का अध्ययन वह कक्षा- 4 में कर सकता है। समावेषी षिक्षण में अध्यापक कक्षा में अपने विषय को एक विषेष दृष्टिकोण से पढ़ाने का प्रयास करता है जिससे सामान्य और प्रतिभाशाली बच्चे समान रूप से लाभ प्राप्त कर सकें। इसके बावजूद भी यदि प्रतिभाशाली बच्चे किसी कमी का अनुभव करते हैं तो अध्यापक व्यक्तिगत स्तर पर या विषेष कक्षा के माध्यम से उनकी गति के अनुसार षिक्षण कर सकते हैं। इस हेतु विद्यालय में एक या दो विषेष कक्षों और एक या दो विषेषज्ञ नियुक्त करने की आवश्यक ता होती है।

प्रतिभाशाली बालकों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम बनाते समय मुख्यतः दो बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। सर्वप्रथम यह कि इन्हें अपनी क्षमता के अनुसार सीखने का अवसर उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जिससे इनकी क्षमता का अधिक से अधिक लाभ स्वयं इनको व समाज को प्राप्त हो सके व इनका ध्यान गलत दिषा में न जाने पाये। दूसरा यह कि इनके लिए कोई ऐसा शैक्षिक कार्यक्रम न बनाया जाय जिससे ये अन्य सामान्य छात्रों से अपने को अलग-थलग महसूस करें व समाज में इनके समायोजन में समस्या पैदा हो।

अतः आधुनिक शिक्षा शास्त्री व मनोवैज्ञानिक समावेषी शैक्षिक कार्यक्रम को आवश्यक मानते हैं जिसमें सभी तरह के छात्र एक साथ अध्ययन कर सकें और साथ ही साथ उनकी विशिष्ट ता का भी ध्यान रखा जाय। समावेषी शैक्षिक कार्यक्रम के तहत प्रतिभाशाली बालकों को सामान्य छात्रों के साथ ही अध्ययन करना होता है परन्तु इसके साथ ही उनके लिए अलग से सम्पुष्ट कार्यक्रमों, कक्षा से शीघ्र उन्नति, विशिष्ट कक्षा व व्यक्तिगत ध्यान व प्रोत्साहन के माध्यम से इनको अपनी प्रतिभा के अनुसार अध्ययन करने का अवसर प्रदान किया जाता है।

अभ्यास प्रश्न

5. समावेषी शैक्षिकम कार्यक्रम का क्या तात्पर्य होता है ?
6. प्रतिभाशाली बालकों के लिए समावेषी शैक्षिक कार्यक्रम की उपयोगिता साबित करने के लिए दो महत्वपूर्ण तथ्य दीजिए।

26.7 निम्न उपलब्धि वाले प्रतिभाशाली बालक (Under Achieving Gifted Children)

प्रतिभाशाली बालक शिक्षा एवं समायोजन की दृष्टि से शिक्षकों के लिए सबसे अधिक चुनौती देने वाले बालक होते हैं। ऐसे बालक अधिक तीव्र गति से सीखते हैं जिससे कक्षा की विषय वस्तु को अन्य छात्रों की अपेक्षा शीघ्रता से सीख लेते हैं और अति आत्म विष्वास का षिकार हो कक्षा में रूचि लेना बन्द कर देते हैं।

यदि इन पर उचित ध्यान न दिया जाय तो ये अपना ध्यान विभिन्न तरह के शरारतों में लगा देते हैं और कक्षा में अनुषासन एवं समायोजन की समस्या पैदा कर देते हैं। ये बालक पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को अत्यधिक आसान समझ लेते हैं जिस कारण इनकी शैक्षिक उपलब्धि का स्तर नीचे गिरता जाता है।

अध्ययन के प्रति अरूचि का परिणाम यह होता है कि इनकी रूचि पढ़ाई से हटकर अन्य कार्यो में हो जाती है। जब इनकी रूचि अन्य कार्यो में हो जाती है, जिनमें कुछ असामाजिक तरह के भी हो सकते हैं, तब इनका ध्यान पुनः अध्ययन की तरह ले आ पाना काफी मुष्किल हो जाता है और ये छात्र प्रतिभाशाली होने के बावजूद भी शैक्षिक उपलब्धि अपनी क्षमता के अनुरूप नहीं प्राप्त कर पाते। प्रतिभाशाली बालकों के लिए गृह कार्य व कक्षा कार्य उत्तेजनापूर्ण नहीं होते हैं। जिस कारण इनमें अच्छी अध्ययन आदत का भी विकास नहीं हो पाता और ये शैक्षिक उपलब्धि में पिछड़ जाते हैं।

इन छात्रों में श्रेष्ठता का भाव अत्यधिक होता है जिस कारण कक्षा के साथियों से इनका उचित समायोजन नहीं होता और अध्यापकों के साथ भी इनके सम्बन्ध अपनी शरारतों व श्र्रेष्ठता के भाव के कारण उतने अच्छे नहीं रह पाते, जिसका परिणाम यह होता है कि ये अपने अध्ययन में अपने साथियों व अध्यापकों का सहयोग नहीं प्राप्त कर पाते हैं। अपनी श्रेष्ठता के भाव के कारण ये अपने को अन्य साथियों से अलग रखते हैं और धीरे-धीरे इनमें सामाजिक अकेलापन की भावना उत्पन्न हो जाती है और कक्षा से भागने लगते हैं व शिक्षा के प्रति उदासीन हो जाते हैं। ऐसे बालक प्रायः कुछ इस तरह के कार्यों में रूचि लेते हैं जिसमें नवीनता का तत्व अधिक हो। परन्तु इस दिषा में जब उन्हें उचित प्रोत्साहन नहीं प्राप्त होता है और ये अपने इस तरह के कार्यों के प्रति लोगों के मजाक या परिवार व शिक्षकों के डॉट का पात्र बनने लगते हैं, तब इनमें प्रतिरोध का भाव उत्पन्न हो जाता है और ये अध्ययन में रूचि न लेकर असामाजिक व्यवहार करने लगते हैं। जिस कारण इनकी शैक्षिक उपलब्धि कम होने लगती है। अतः आवश्यक ता इस बात की है कि प्रतिभाशाली बालकों पर अध्यापक व अभिभावक को हमेषा ध्यान देते रहना चाहिए। यह न माना जाय कि ये प्रतिभाशाली हैं जिस कारण इनको निर्देषन या परामर्ष की कोई आवश्यक ता नहीं है, बल्कि इन्हें निर्देषन व परामर्ष की अधिक आवश्यक ता होती है। इनकी शैक्षिक एवं भावनात्मक समस्याओं की पहचान व उसका निदान करना अत्यन्त आवश्यक होता है जिससे इनको अध्ययन से अरूचि न होने पाये। कक्षा में इनका उचित समायोजन व अध्ययन में इनकी रूचि बनाये रखने हेतु इनके लिए अलग से शैक्षिक कार्यक्रम बनाना व उसके अनुरूप इनके शिक्षा की व्यवस्था करना आवश्यक होता है जिससे इनकी शैक्षिक उपलब्धि का स्तर उच्च बना रहे।

अभ्यास प्रश्न

7. प्रतिभाशाली बालक कभी-कभी निम्न उपलब्धि प्राप्त करने लगते हैं इसके दो प्रमुख कारण बताइए ?
8. प्रतिभाशाली बालकों को सामान्य कक्षाओं में समायोजन में क्या समस्या आती है।

26.8 सारांश

इस इकाई में हमने निम्न तथ्यों का अध्ययन किया -

प्रतिभाशाली बालकों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम का लक्ष्य -

i. विस्तृत शैक्षिक कार्यक्रम।
ii. गहन अध्ययन की सुविधा।
iii. तीव्रगति से सीखने सम्बन्धी कार्यों की व्यवस्था।
iv. समस्या समाधान की योग्यता सम्बन्धी कार्यक्रम।

प्रतिभाशाली बालकों के शैक्षिक कार्यक्रम के प्रकार –

1. समानान्तर योजना
   a. अन्वेषण
   b. संवर्धन
   c. प्रषासनिक स्थान बद्धता
2. शिखर योजना-
   a. त्वरण
   b. स्वतंत्र रूप से अध्ययन
   c. मंत्रित्व

प्रतिभाशाली बालकों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम -

i. पाठ्यक्रम में समृद्धि।
ii. सम्पुष्ट कार्यक्रम।
iii. तीव्र उन्नति।
iv. व्यक्तिगत ध्यान।
v. प्रोत्साहन।
vi. प्रभावकारी शिक्षक ।
vii. विशिष्ट कक्षा।
viii. विशिष्ट विद्यालय।

प्रतिभाशाली बालकों के लिए समावेषी शैक्षिक कार्यक्रम - प्रतिभाशाली बालकों को सामान्य बालकों के साथ ही शिक्षा देने की व्यवस्था कर उनके सामाजिक अलगाव से बचा जा सकता है और साथ ही उनके लिए

तीव्र उन्नति व विषेष कक्षाओं के आयोजन से उनकी सीखने की तीव्रगति के साथ न्याय भी किया जा सकता है। निम्न उपलब्धि वाले प्रतिभाशाली बालक - कुछ प्रतिभाशाली बालक उचित निर्देषन व देखभाल के अभाव में अपनी प्रतिभा का उपयोग उचित दिषा में नहीं कर पाते, जिस कारण उनकी शैक्षिक उपलब्धि निम्न रह जाती है। इनकी उचित देखभाल व इनकी समस्याओं को समझकर व उसका निदान कर इनकी क्षमता के अनुसार इनकी उपलब्धि प्राप्त करायी जा सकती है।

26.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. असत्य
2. सत्य
3. सत्य
4. असत्य
5. समावेषी शैक्षिक कार्यक्रम का तात्पर्य ऐसा शैक्षिक कार्यक्रम जिसमें सामान्य एवं विशिष्ट दोनों तरह के बालकों को साथ-साथ शिक्षा देने की व्यवस्था कर उन्हें उनकी क्षमता एवं आवश्यक ता के अनुरूप सामाजिक एवं शैक्षणिक अनुभव प्रदान किया जाय।
6. (i) प्रतिभाशाली बालकों को समावेषी शैक्षिक कार्यक्रम के तहत सामान्य बालकों के साथ शिक्षा देने से उनमें सामान्य बालकों से अलगाव की भावना नहीं पैदा हो पाती है।
   (ii) प्रतिभाशाली बालकों को भविष्य में सामान्य बालकों के साथ ही समाज में रहना होता है। अतः विद्यालय से ही साथ-साथ रहने से बाद में सामाजिक जीवन में सामान्य लोगों के साथ रहने में उन्हें समायोजन सम्बन्धी समस्या नहीं आयेगी।
7. (i) प्रतिभाशाली बालक अति आत्म विष्वास का षिकार होकर कक्षा की गतिविधियों में रूचि लेना बन्द कर देते हैं जिसका परिणाम यह हो सकता है कि उनकी शैक्षिक उपलब्धि निम्न हो जाय।
   (ii) प्रतिभाशाली बालकों में यदि श्रेष्ठता की भावना बलवती हो जाय तो ये बालक अध्यापक व सामान्य सहपाठियों से अपने सम्बन्ध मधुर नहीं रख पाते और सामाजिक अकेलापन का षिकार हो कक्षा से भागने लगते हैं और इसका परिणाम यह होता है कि इनकी शैक्षिक उपलब्धि कम हो जाती है।
8. प्रतिभाशाली बालक अपनी योग्यता के कारण अपने सामान्य सहपाठियों की ईर्ष्या का पात्र बन जाते हैं। अपने साथियों के साथ तनावपूर्ण सम्बन्ध के कारण ये बालक अन्तर्मुखी व असामाजिक हो जाते हैं और उनके समायोजन में समस्या पैदा हो जाती है।

26.10 निबंधात्मक प्रश्न

1. प्रतिभाशाली बालकों के लिए बनाये जाने वाले शैक्षिक कार्यक्रमों में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसकी व्याख्या कीजिए।
2. समावेशी शैक्षिक कार्यक्रम के तहत प्रतिभाशाली बालकों की क्षमता के साथ न्याय किया जा सकता है। इस कथन की व्याख्या कीजिए।
3. उन कारणों की व्याख्या कीजिए जिस कारण प्रतिभाशाली बालकों की उपलब्धि निम्न रह जाती है।